लेखाशास्त्र

साझेदारी एवं कंपनी खाते

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

लेखक

जी. सी. महेश्वरी

एस. सी. जैन

एस. एस. सहरावत

संपादक

जी. सी. महेश्वरी

मुनीष मक्कड़

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
मई 2003
बैसाख 1925
PD 2T GR

ISBN 181-7450-187-8

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस	108, 100 फीट रोड, होस्डेकेरे	नवजीवन ट्रस्ट भवन	सी.डब्लू.सी. कैम्पस
श्री अरविंद मार्ग	हेली एक्सटेंशन बनाशंकरी III इस्टेज	डाकघर नवजीवन	अपोजिट धनकल बस स्टॉप
नई दिल्ली 110 016	**बैंगलूर 560 085**	**अहमदाबाद 380 014**	पानीहटी, **कोलकाता 700 114**

प्रकाशन सहयोग

संपादन : गोबिंद राम
उत्पादन : अतुल सक्सेना
आवरण : अमित श्रीवास्तव

रु. : **75.00**

एन. सी. ई. आर. टी. वाटर मार्क 70 जी एस एम पेपर पर मुद्रित

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा ड्रीम सिस्टम कंप्यूटर सेंटर, 124-A, तृतीय तल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110 016 द्वारा टाइप सेट होकर इंडिया ऑफसेट प्रैस, ए-1 मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1, रिंग रोड नई दिल्ली 110 064 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2000 में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु शिक्षा संबंधी विषय वस्तु एवं प्रक्रिया के नवीनीकरण और पुन: परीक्षण पर बल दिया गया है।

लेखाशास्त्र : ग्यारहवीं कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक में लेखांकन के सभी पहलुओं के बुनियादी ढांचे को प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में अगला तर्कसंगत चरण इस विषय वस्तु को विभिन्न प्रकार की व्यापारिक संस्थाओं के अभिलेखों को तैयार करने और उनके अनुरक्षण से संबंधित है जिनमें साझेदारी फर्म और संयुक्त स्कंध कंपनीयाँ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करने में प्रत्येक अभ्यास में अनेक उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को विषय एवं सैद्धांतिक मूलाधार पूरी तरह से समझाने की कोशिश की गई है। उनकी सूझ–बूझ को व्यापक बनाने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में पर्याप्त अभ्यास सामग्री दी गई है।

पाठ्य पुस्तक की अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, व्यवहारिक और अर्थपूर्ण बनाने हेतु सार्थक प्रयास किए गए हैं। पाठ्य सामग्री में व्यवसाय जगत द्वारा सार्वजनिक प्रयोग में लायी जाने वाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शिक्षार्थियों में स्वाभाविक रूप से लेखांकन व्यवहार तथा उसकी व्यावसायिक गतिविधियों की भूमिका को विकसित करने का प्रयास किया गया है।

हम विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं और विद्यालयों से आए सभी विषय–विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से इस पाठ्यपुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करना संभव हुआ है। पाठ्यपुस्तक में सुधार हेतु सुझावों का स्वागत है।

जगमोहन सिंह राजपूत

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली

मार्च 2003

पाठ्यपुस्तक समीक्षा कार्यगोष्ठी के सदस्य

जी. सी. महेशवरी
प्रोफेसर
प्रबंधकीय शिक्षण विभाग
एम. एस. विश्वविद्यालय
बडोदरा, गुजरात

मुनीष मक्कड़
प्रोफेसर
अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान
नई दिल्ली

दिनेश कुमार गुप्ता
प्रोफेसर
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़

एस. सी. जैन
रीडर
भगत सिंह कॉलेज
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

एस. एस. सहरावत
सहायक आयुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन, गुवाहटी

अश्विनी काला
वरिष्ठ वाणिज्य अध्यापक
हीरा लाल जैन उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय
सदर बाजार, दिल्ली

हिन्दी रूपातंरण

अश्विनी काला
वरिष्ठ वाणिज्य अध्यापक
हीरा लाल जैन उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय
सदर बाजार, दिल्ली

मनवीर सिंह राणा
पी.जी.टी. कॉमर्स
गंगा इंटरनेशनल स्कूल
नजफगढ़, दिल्ली

एन.सी.ई.आर.टी. संकाय सदस्य

मीनू नंद्राजोग
रीडर

क्षिप्रा वैद्या ***(रूपांतरकर्ता एवं समन्वयक)***
लेक्चरॉर

गांधी जी का जंतर

तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आज़माओ :

जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा?क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा?यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

विषय-सूची

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे,

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे,

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे,

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों,

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे,

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे,

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।

अध्याय 1

साझेदारी लेखांकन – आधारभूत अवधारणाएँ

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत आप :

- साझेदारी को पारिभाषित कर सकेंगे और उसकी अनिवार्य विशेषताएँ सूचीबद्ध कर सकेंगे;
- साझेदारी विलेख का अर्थ समझ सकेंगे तथा इसकी विषय-वस्तु का उल्लेख कर सकेंगे;
- भारतीय साझेदारी-अधिनियम 1932 के उन प्रासंगिक प्रावधानों की पहचान कर सकेंगे, जो लिखित अनुबंध के अभाव से लेखांकन प्रक्रिया को प्रतिकूल प्रभावित करते हैं;
- स्थायी एवं अस्थायी पूँजी पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कर सकेंगे;
- साझेदारों में लाभ-हानि विभाजित कर सकेंगे और लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कर सकेंगे;
- साझेदारों को प्रदत्त न्यूनतम लाभ-राशि की गारंटी से संबंधित लेखाव्यवहारों को समझ सकेंगे;
- पूर्व समायोजनों का लेखा कर सकेंगे;
- ख्याति का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे एवं ख्याति मूल्यांकन की विधियाँ बता सकेंगे; तथा
- लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन से लेखाकर्म पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कर सकेंगे।

व्यवसाय को एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म या कंपनी के रूप में संगठित किया जा सकता है। अभी तक आप यह अध्ययन कर चुके हैं कि एक एकल स्वामी का लाभ व हानि खाता और तुलन-पत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इतना मेधावी हो पाता कि वह अपने लिए सभी आवश्यक संसाधनों को एकत्रित कर सकता तथा सब कुछ करने की आवश्यक शक्तियाँ उसमें समाहित हो पातीं तो शायद वह अकेले ही अपने व्यवसाय का संचालन कर पाता, किंतु इस कथन में लेशमात्र सच्चाई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से सहायता की आवश्यकता पड़ती है और व्यवसाय के संदर्भ में यह कथन सटीक है क्योंकि व्यवसाय को सतत विस्तार कार्यक्रमों के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः साझेदारी व्यवसाय इसका एक अपरिहार्य उपाय है, जिसमें दो या अधिक व्यक्ति बौद्धिक एवं वित्तीय संसाधनों के पारस्परिक सहयोग के द्वारा व्यावसायिक प्रयत्नों को पूरकता प्रदान कर सकते हैं। यह अध्याय साझेदारी लेखांकन के उन आधारभूत पहलुओं से संबंधित है जो कि साझेदारी फर्म में लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र को तैयार

करने में सहायक होते हैं। यद्यपि सभी स्थितियों में आधारभूत लेखांकन कार्यविधि समान होती है, किंतु साझेदारी फर्म के लेखों की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कि लाभ का विभाजन, पूँजी खातों का अनुरक्षण तथा फर्म के पुनर्गठन के समय किए जाने वाले वांछित समायोजन। इस अध्याय में हम साझेदारी फर्म के लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र के निर्माण के साथ साझेदारी की प्रकृति और साझेदारी लेखांकन के आधारभूत पहलुओं; जैसे — पूँजी खातों का निर्माण, साझेदारों में लाभ-विभाजन और वर्तमान साझेदारों के लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे।

1.1 साझेदारी की प्रकृति

एकल व्यवसाय की अपनी सीमाएँ हैं; जैसे — सीमित पूँजी, सीमित प्रबंधकीय क्षमता और जोखिम उठाने की सीमित क्षमता। इसलिए जब व्यवसाय का विस्तार होता है, या जब वह उस पैमाने पर गठित किया जाए कि जिसमें अधिक पूँजी की जरूरत और जोखिम अंतर्निहित हो जाएँ तो एक से अधिक व्यक्ति साथ मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं। वे पूँजी, प्रबंध, जोखिम में हिस्सेदारी और व्यवसाय से होने वाले लाभ को बाँटने के लिए समझौता करते हैं। इन व्यक्तियों के बीच लिखित या मौखिक समझौते पर आधारित पारस्परिक आर्थिक संबंध को साझेदारी कहते हैं। जो व्यक्ति समझौता करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप में साझेदार और सामूहिक रूप में फर्म कहते हैं।

भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार है, ''साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बाँटने के लिए सहमत होते हैं, जिनका संचालन उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से उनमें से किसी के द्वारा किया जाता है।'' इस परिभाषा के आधार पर साझेदारी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. *दो या अधिक व्यक्ति :* साझेदारी के गठन के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, हालांकि गठन करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की एक सीमा है। यदि फर्म बैंकिग व्यवसाय चला रही है तो साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 और यदि कोई अन्य व्यवसाय चला रही है तो अधिकतम संख्या 20 होनी चाहिए।
2. *साझेदारों के बीच समझौता :* साझेदारी का गठन एक समझौते के द्वारा होता है। इसका सृजन न तो कानूनी प्रविधि के अंतर्गत होता है, जैसा कि हिंदू अविभाजित परिवार के संबंध में होता है, औन न ही वैधानिक तौर पर किया जाता है। यह समझौता साझेदारों के बीच आर्थिक संबंध का आधार बनता है। यह समझौता मौखिक अथवा लिखित हो सकता है।
3. *व्यवसाय:* समझौता किसी वैधानिक रूप से मान्य व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। किसी परिसंपत्ति के मात्र सहस्वामित्व से ही स्वतः साझेदारी का गठन नहीं होता है।

हालाँकि साझेदारी व्यवसाय में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिसंपत्ति का सहस्वामित्व साझेदारी समझौते का आधार बन जाता है।

4. *लाभ का विभाजन :* समझौता व्यवसाय से होने वाले लाभ को बाँटने के लिए होना चाहिए। यदि कुछ व्यक्ति दान/धर्मार्थ कार्यकलापों के लिए किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं तो इसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। साझेदार किस अनुपात में लाभ विभाजित करेंगे यह उनके समझौते द्वारा निश्चित होता है और किसी विशेष समझौते के अभाव में समान अनुपात में लाभ बाँटा जाएगा।

5. *सभी के द्वारा या सभी के लिए कुछ के द्वारा चलाया गया व्यवसाय :* फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों के द्वारा या सबके लिए किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि साझेदारी पारस्परिक प्रतिनिधि-एवं प्रधान की अवधारणा पर आधारित है। एक साझेदार दोनों हैं – प्रतिनिधि (Agent) तथा प्रधान (Principal)। साझेदार प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यों से दूसरे साझेदारों को बाध्य कर सकता है और प्रधान के रूप में वह दूसरे साझेदारों के कार्यों से बाध्य होता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक साझेदार व्यवसाय की क्रियाओं में भाग ले सकता है, फर्म के लिए कार्य कर सकता है और फर्म के अन्य साझेदारों को व्यवसाय संबंधी क्रियाओं से बाध्य कर सकता है।

1.2 साझेदारी विलेख

1.2.1 अर्थ

साझेदारी का गठन समझौते द्वारा होता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। यद्यपि कानून स्पष्टत: यह नहीं कहता कि साझेदारी समझौता लिखित हो, तथापि लिखित समझौते का अभाव 'फर्म' की व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। अत: साझेदारी विलेख लिखित तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

1.2.2 साझेदारी विलेख की विषय-वस्तु

साझेदारी विलेख में सामान्यत: निम्नलिखित विवरण होते हैं:

- फर्म का नाम
- सभी साझेदारों के नाम व पते
- व्यवसाय की प्रकृति तथा उस स्थान का पता, जहाँ व्यवसाय चलाया जाना हो

- साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि
- साझेदारी की अवधि, यदि कोई हो
- प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई या लगाई जाने वाली पूँजी की राशि
- बैंक खातों के संचालन संबंधी नियम
- वह अनुपात जिसमें लाभ का विभाजन किया जाएगा
- साझेदारों की पूँजी तथा आहरण पर ब्याज, यदि कोई हो
- साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज
- वेतन, कमीशन आदि यदि किसी साझेदार को देय हो
- लेखा पुस्तकें व फर्म के अन्य प्रलेखों को सुरक्षित रखना
- अंकेक्षक की नियुक्ति का तरीका, यदि कोई हो
- साझेदार का प्रवेश, अवकाश-ग्रहण व मृत्यु की स्थिति में पालन किए जाने वाले नियम
- फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा
- साझेदारों के आपसी विवाद को निबटाने का तरीका।

यदि विलेख में कुछ मामले अनभिव्यक्त हों या साझेदारी समझौते तथा विलेख अनुपस्थित हो, तो साझेदारी अधिनियम संबंधित प्रावधान अपने आप लागू हो जाते हैं और इनका लेखांकन विधि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अत: जानकारी होना आवश्यक है। ये प्रावधान निम्नलिखित है :

1.2.3 लेखांकन व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रावधान

सामान्यत: साझेदारी विलेख में साझेदारों के बीच पारस्परिक समझौते से संबंधित सभी विवरण सम्मिलित होते हैं।

1. *लाभ -हानि का हिस्सा बाँटना :* पूँजी की राशि कितनी भी क्यों न हो, सभी साझेदार लाभ हानि को बराबर अनुपात में बाँटेंगे।
2. *पूँजी पर ब्याज :* साझेदारों द्वारा लगाई गई पूँजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि समझौते में पूँजी पर ब्याज देना तय हुआ है तो यह ब्याज केवल व्यवसाय के लाभ में से ही दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि हानि की स्थिति है तो पूँजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, चाहे समझौते में यह तय किया गया हो।
3. *ऋण पर ब्याज :* यदि कोई साझेदार अपनी पूँजी के अतिरिक्त फर्म को कोई रकम ऋण के रूप में देता है तो उस राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज फर्म की परिसंपत्तियों में से भी दिया जा सकता है।

इससे आशय यह है कि हानि की स्थिति में ऋण पर ब्याज दिया जाएगा; अर्थात् ऋण में भी ऋण पर ब्याज आगमों पर प्रभार है।

4. *आहरण पर ब्याज :* साझेदारों द्वारा पूँजी में से निकाली गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
5. *साझेदारों को पारिश्रमिक :* किसी भी साझेदार को फर्म की व्यावसायिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का वेतन या कमीशन लेने का अधिकार नहीं होगा।

   यह स्मरणीय रहे कि उपरोक्त प्रावधान तभी लागू होंगे, जबकि साझेदारी समझौते में इनका स्पष्ट उल्लेख न हो।

1.3 साझेदारी लेखांकन के विशेष पहलू

निम्नलिखित साझेदारी लेखांकन के विशेष पहलू हैं, जिन पर लेखा करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

- साझेदारों के पूँजी खातों का अनुरक्षण।
- लाभ का निर्धारण एवं बँटवारा।
- लाभ के गलत बँटवारे का समायोजन।
- साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी।
- साझेदारी फर्म का पुनर्गठन तथा
- साझेदारी फर्म का विघटन।

प्रथम चार पहलुओं की इस अध्याय में व्याख्या की गई है और अंतिम दो पहलुओं को आगामी अध्यायों में विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

1.3.1 साझेदारों के पूँजी खाते

साझेदारी फर्म के संदर्भ में साझेदारों से संबंधित लेन-देन का लेखा पूँजी खातों में किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक साझेदार का पूँजी खाता अलग तैयार किया जाता है। परंतु खाते सारणी रूप में भी दिखाए जा सकते हैं, जैसा कि इस अध्याय में आगे वर्णित है।
साझेदारों के पूँजी खाते निम्न दो विधियों से बनाए जा सकते हैं :

- अस्थिर पूँजी विधि
- स्थिर पूँजी विधि

अस्थिर पूँजी विधि

अस्थिर पूँजी विधि में प्रत्येक साझेदार का केवल एक ही पूँजी खाता तैयार किया जाता है। इसमें साझेदारों के खातों को प्रभावित करने वाली सभी मदें लिखी जाती हैं; जैसे — पूँजी पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन और पूँजी खाते में ही लाभ या हानि का हिस्सा। इसके फलस्वरूप पूँजी खाते का शेष परिवर्तित होता रहता है।

सामान्यत: साझेदार के पूँजी खाते के नाम पक्ष व जमा पक्ष की ओर लिखी जाने वाली मदें निम्नलिखित हैं :

जमा पक्ष :

- प्रारंभ में लगाई गई पूँजी या प्रारंभिक पूँजी शेष
- वर्ष भर में पूँजी में जमा की गई अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो
- पूँजी पर ब्याज
- साझेदारों का वेतन
- साझेदारों का कमीशन तथा बोनस
- लाभ का हिस्सा

नाम पक्ष :

- वर्ष के दौरान आहरण
- आहरण पर ब्याज
- हानि का हिस्सा, यदि कोई हो
- पूँजी का आहरण, यदि कोई हो
- अंतिम पूँजी शेष

अत: साझेदार के पूँजी खाते का प्रारूप इस प्रकार होगा :

साझेदार का पूँजी खाता प्रारूप

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	आहरण		–		प्रारंभिक शेष		–
	आहरण पर ब्याज		–		रोकड़/बैंक अतिरिक्त पूँजी		
	हानि का हिस्सा, यदि हानि हो		–		पूँजी पर ब्याज		
					वेतन, कमीशन/बोनस		–
	पूँजी से आहरण		–		लाभ का हिस्सा		
	अंतिम शेष		–				
	योग		****		**योग**		****

प्रदर्श : 1.1

टिप्पणी : साझेदार का पूँजी खाता सामान्यतया जमाशेष दर्शाता है। हालांकि, किन्ही विशेष परिस्थितियों में यह नामशेष भी दर्शाता है जैसे कि अधि-आहरण अथवा साझेदार के दिवालिया होने पर।

स्थिर पूँजी विधि

स्थिर पूँजी विधि में साझेदारों की पूँजी स्थिर रहेगी, जब तक कि साझेदारों के बीच समझौते के अनुसार न तो अतिरिक्त पूँजी लगाई जाती है या पूँजी का कुछ भाग निकाला जाता है। अत: सभी मदें, जैसे पूँजी पर ब्याज़, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ या हानि का हिस्सा, आदि उनके पूँजी खाते में नहीं दर्शायी जाती है। इन सभी लेनदेन के लिए एक अलग खाता तैयार किया जाता हैं, जिसे साझेदार का चालू खाता कहते हैं। इसलिए स्थिर पूँजी विधि में प्रत्येक साझेदार के दो खाते रखे जाते हैं (1) पूँजी खाता और (2) चालू खाता। यह स्मरण रहे कि पूँजी खाता कई वर्षो तक समान शेष राशि दिखाता है, जब तक की अतिरिक्त पूँजी राशि न तो लगाई जाए और न ही निकाली जाए, जबकि चालू खाते के शेष में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन होता है।

स्थिर पूँजी विधि के अंतर्गत स्थायी पूँजी खाते और चालू पूँजी खाते का प्रारूप इस प्रकार होगा :

साझेदारों का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	पूँजी से आहरण, यदि कोई हो		–		प्रारंभिक शेष		–
	अंतिम शेष				अतिरिक्त पूँजी, यदि कोई हो		

प्रदर्श 1.2 : *स्थिर पूँजी खाता प्रारूप*

साझेदारों का चालू खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	प्रारंभिक शेष **		-		प्रारंभिक शेष **		-
	आहरण		-		पूँजी पर ब्याज		
	आहरण पर ब्याज		-		वेतन		
	हानि का हिस्सा, यदि हानि हो		-		कमीशन/बोनस		-
					लाभ का हिस्सा		
	अंतिम शेष **		****		अंतिम शेष **		****

प्रदर्श : 1.3

** *साझेदार के चालू पूँजी खाता का प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष नाम व जमा किसी भी पक्ष में आ सकता है।*

उदाहरण 1

अमित और सुमित ने साझेदारों के रूप में 1 अप्रैल, 2000 को व्यवसाय आरंभ किया। अमित और सुमित ने क्रमशः 40,000 रु. और 25,000 रु. पूँजी के रूप में लगाए। साझेदारों ने लाभ-हानि का विभाजन 2:1 के अनुपात में करने का निश्चय किया। अमित का प्रतिवर्ष 6,000 रु. का वेतन तथा प्रतिवर्ष पूँजी पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा। 1 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अमित और सुमित की आहरण राशि क्रमशः 4,000 रु. और 8,000 रु. थी। अमित का वेतन व पूँजी पर ब्याज देने के बाद फर्म का लाभ 12,000 रु. था। साझेदारों के पूँजी खाते बनाइए (1) जब अस्थिर पूँजी खाते हों (2) जब स्थिर पूँजी खाते हों।

हल

(1) जब पूँजी खाता अस्थिर हो
अमित का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	आहरण		4,000		रोकड़		40,000
	शेष आ/ले		52,400		वेतन		6,000
					पूँजी पर ब्याज		2,400
					लाभ-हानि विनियोजन खाता (लाभ का हिस्सा 12,000 रु. का 2/3)		8,000
	योग		**56,400**		**योग**		**56,400**

सुमित का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	आहरण		8,000		रोकड़		25,000
	शेष आ/ले		22,500		पूँजी पर ब्याज		1,500
					लाभ-हानि विनियोजन खाता (लाभ का हिस्सा 1,2000 रु. का 1/3)		4,000
	योग		**30,500**		**योग**		**30,500**

(2) जब पूँजी खाता स्थिर हो
अमित का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	शेष आ/ले		40,000		रोकड़		40,000
	योग		**40,000**		योग		**40,000**

अमित का चालू खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	आहरण		4,000		वेतन		6,000
	शेष आ/ले		12,400		पूँजी पर ब्याज		2,400
					लाभ-हानि विनियोजन खाता (लाभ का हिस्सा 12,000 रु. का 2/3)		8,000
	योग		**16,400**		**योग**		**16,400**

सुमित का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	शेष आ/ले		25,000		रोकड़		25,000

सुमित का चालू खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	आहरण		8,000		पूँजी पर ब्याज		1,500
					लाभ-हानि विनियोजन खाता (लाभ का हिस्सा 12,000 रु. का 1/3)		4,000
					शेष आ/ला		2,500
	योग		**8,000**		**योग**		**8,000**

1.3.2 लाभ का विभाजन

साझेदारी फर्म की स्थिति में शुद्ध लाभ (पूँजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन तथा आहरण पर ब्याज देने के बाद जो बचे) सभी साझेदारों में पूर्व निर्धारित लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर

विभाजित होता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि किसी विशेष समझौते की अनुपस्थिति में लाभ-हानि का विभाजन साझेदारों के मध्य समान रूप में किया जाएगा।

लाभ-हानि विनियोजन खाता

यदि साझेदारी समझौते की शर्तों में स्पष्ट हो तो, साझेदारी फर्म के लाभ-हानि खाते में दर्शाए गए शुद्ध लाभ पर पूँजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन और कमीशन आदि के संदर्भ में, समायोजन करना आवश्यक होता है, इसके लिए लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार किया जाता है। यह खाता लाभ-हानि खाते का विस्तार मात्र है और यह दिखाने के लिए तैयार किया जाता है कि साझेदारों के बीच शुद्ध लाभ का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा। इस खाते के जमा पक्ष में शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज तथा नाम पक्ष में पूँजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन या कमीशन दर्शाया जाता है। हालांकि यदि लाभ-हानि खाता, शुद्ध हानि दर्शाता है तो यह हानि विनियोजन खाते के नाम पक्ष की ओर दिखाई जाएगी। इन सब समायोजनों को करने के पश्चात लाभ-हानि विनियोजन खाता लाभ या हानि की वह राशि दिखाएगा जो साझेदारों के बीच पूर्व निर्धारित लाभ-विभाजन अनुपात में बाँटी जाएगी।

लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार करते समय विभिन्न मदों मे लिए निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ दी जाएँगी।

(1) पूँजी पर ब्याज के लिए

(i) पूँजी पर ब्याज साझेदार के पूँजी चालू खाते के जमा पक्ष की ओर दिखाने के लिए :

पूँजी पर ब्याज खाता — नाम
    साझेदारों का पूँजी चालू खाता

(ii) पूँजी पर ब्याज को लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरण के लिए :

लाभ-हानि विनियोजन खाता — नाम
    पूँजी पर ब्याज खाता

(2) आहरण पर ब्याज के लिए

(i) आहरण पर ब्याज से फर्म में की लाभ वृद्धि होती है और इस राशि को साझेदारों के पूँजी चालू खाते मे नाम किया जाता है।

साझेदारों का पूँजी चालू खाता — नाम
    आहरण पर ब्याज खाता

(ii) आहरण पर ब्याज को लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए:

आहरण पर ब्याज खाता — नाम
    लाभ-हानि विनियोजन खाता

(3) साझेदार के वेतन के लिए :

(i) वेतन साझेदार का व्यक्तिगत लाभ-वृद्धि है। अतः समझौते के अनुसार इसे फर्म के लाभ में से दिया जाता है।

साझेदार का वेतन खाता नाम
साझेदार की पूँजी चालू खाता

(ii) वेतन को लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए :

लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम
साझेदार का वेतन खाता

(4) साझेदार के कमीशन के लिए :

(i) कमीशन फर्म के लिए व्यय और साझेदार के लिए लाभ-वृद्धि होती है। इस सदंर्भ में निम्न प्रविष्टि दी जाती है :

साझेदार का कमीशन खाता नाम
साझेदार की पूँजी चालू खाता

(ii) कमीशन को लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए :

लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम
साझेदार का कमीशन खाता

(5) संचय को हस्तांतरित करने के लिए :

लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम
संचय खाता

(6) समायोजन पर लाभ अथवा हानि के हिस्से के लिए,

यदि लाभ हो :

लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम
साझेदारों का पूँजी चालू खाता

यदि हानि हो :

साझेदारों की पूँजी खाता/चालू खाता नाम
लाभ-हानि विनियोजन खाता

लाभ-हानि विनियोजन खाते का प्रारूप इस प्रकार है :

नाम **जमा**

विवरण	*राशि (रु.)*	*विवरण*	*राशि (रु.)*
शुद्ध हानि, लाभ-हानि खाते के अनुसार (यदि हानि हो)	xxx	शुद्ध लाभ, लाभ-हानि खाते के अनुसार (यदि लाभ हो)	
पूँजी पर ब्याज :		आहरण पर ब्याज	
अ ......x.......		अ की पूँजी ......x.......	
ब ......x.......	xxx	ब की पूँजी ......x.......	xxx
साझेदार का वेतन		पूँजी खाते-हानि का हिस्सा (यदि हानि हो)	
साझेदार का कमीशन		अ ......x.......	
संचय (हस्तांतरित)		अ ....x......	xxx
पूँजी खाते-लाभ का हिस्सा (यदि लाभ हो)			
अ ....x......			
ब ....x......	xxxx		
	xxxx		xxxx

प्रदर्श 1.4 : *लाभ-हानि विनियोजन खाता*

उदाहरण 2

आकृति और आकाश एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। दिसंबर 31, 2000 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार है।

विवरण	*राशि (रु.)*	*राशि (रु.)*
आकृति की पूँजी		65,000
आकाश की पूँजी		40,000
आकृति का आहरण	4,000	
आकाश का आहरण	3,000	
ख्याति	10,000	
प्लांट एवं मशीनरी	40,000	
कार्यालय फर्नीचर	5,000	
क्रय	85,000	
विक्रय		1,60,000
विविध देनदार	40,500	
विविध लेनदार		14,510
क्रय वापसी एवं विक्रय वापसी	1,500	2,500
किराया	3,750	
डाक एवं तार	500	
विज्ञापन खर्चा	9,000	
प्रारंभिक रहतिया	11,500	
हस्तथ रोकड़	16,000	
मजदूरी	14,000	
दूरभाष व्यय	500	
वेतन	12,250	
छपाई एवं लेखन सामग्री	750	
कमीशन	5,000	
यात्रा व्यय	2,000	
आंतरिक ढुलाई भाड़ा	5,800	
मोटर वैन	20,860	
देय-विपत्र		8,900
योग	**2,90,910**	**2,90,910**

निम्नलिखित समायोजनों के पश्चात 31 दिसंबर, 2000 को फर्म का लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र बनाइए।

1. 31 दिसंबर, 2000 को अंतिम रहतिए का मूल्य 12,500 रु.।
2. कार्यालय फर्नीचर को 250 रुपए से प्लांट एवं मशीनरी को 10% की दर से और मोटरवैन को 20% की दर से अपलिखित कीजिए।
3. डूबत ऋण के लिए विविध देनदारों पर 5% की दर से प्रावधान बनाइए।
4. विज्ञापन व्यय के 1/5 भाग को अपलिखित कीजिए।
5. साझेदार 5% प्रतिवर्ष के पूँजी पर ब्याज के हकदार हैं और आकाश 1,800 प्रतिवर्ष वेतन का हकदार है।

31 दिसंबर, 2002 को फर्म का लाभ-हानि खाता

विवरण		*राशि (रु.)*	*विवरण*		*राशि (रु.)*
प्रारंभिक रहतिया		11,500	विक्रय	1,60,000	
क्रय	85,500		घटाया : विक्रय वापसी	1,500	1,58,500
घटाया क्रय वापसी	2,500	82,500			
मजदूरी		14,000	अंतिम रहतिया		12,500
आंतरिक ढुलाई भाड़ा		5,800			
सकल लाभ आ./ले.		57,200			
		1,71,000			**1,71,000**
वेतन		12,250	सकल लाभ आ./ला.		57,200
किराया		3,750			
डाक एवं तार		500			
विज्ञापन खर्चा अपलिखित (1/5)		1,800			
दूरभाष व्यय		500			
छपाई एवं लेखन सामग्री		750			
कमीशन		5,000			
यात्रा व्यय		2,000			
ह्रास					
प्लांट	4,000				
फर्नीचर	250				
मोटर वैन	4,172	8,422			

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2,025		
आकाश का वेतन	1,800		
ब्याज : आकृति 3,250			
आकाश 2,000	5,250		
शुद्ध लाभ			
(पूँजी खाते में हस्तांतरित)			
आकृति 7,892			
आकाश 5,261	13,153		
योग	**57,200**	**योग**	**57,200**

दिसंबर 31, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*		*राशि (रु.)*
–			ख्याति		10,000
आकृति की पूँजी	65,000		प्लांट एवं मशीनरी	40,000	
घटाया : आहरण	4,000		घटाया : ह्रास	4,000	36,000
	61,000		कार्यालय फर्नीचर	5,000	
जोड़ा : ब्याज	3,250		घटाया : ह्रास	250	4,750
: लाभ	7,892	72,142	मोटर वैन	20,860	
			घटाया ह्रास	4,172	16,688
आकाश की पूँजी	40,000		विविध देनदार	40,500	
घटाया : आहरण	3,000		घटाया प्रावधान	2,025	38,475
	37,000		हतस्थ रोकड़		16,000
जोड़ा ब्याज	2,000		विज्ञापन खर्चा	9,000	
वेतन	1,800		घटाया : ऊपर लिखित (1/5)	1,800	7,200
लाभ	5,261	46,061	हतस्थ रहतिया		12,500
विविध लेनदार		14,510			
देय विपत्र		8,900			
योग		**1,41,613**	**योग**		**1,41,613**

उदाहरण 3

अजीत, माधुरी और विशाल ने 01 जनवरी, 2001 को एक साझेदारी फर्म का गठन किया। उन्होंने क्रमशः 50,000 रु., 40,000 रु. और 30,000 रु. की पूँजी लगाई और लाभ–हानि में उनका अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। साझेदारी विलेख के अनुसार अजीत को प्रतिमाह 1,000 रु. का वेतन और माधुरी को 5,000 रु. का कमीशन दिया जाएगा।

पूँजी पर प्रतिवर्ष 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इस वर्ष की आहरण राशि; अजित 6,000 रु., माधुरी 4,000 रु. और विशाल 2,000 रु. है। अजीत, माधुरी और विशाल से क्रमशः 270 रु., 180 रु. और 90 रु. आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। लाभ-हानि खाते के अनुसार वर्ष 2001 का शुद्ध लाभ 35,660 रु. था।

आपको लाभ के विनियोजन से संबंधित रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी हैं और लाभ-हानि विनियोजन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार करने है।

रोजनामचा

दिनांक 2001	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
वर्ष अंत	लाभ और हानि खाता नाम लाभ-हानि विनियोजन खाता (लाभ-हानि विनियोजन खाते में लाभ का हस्तांतरण)		35,660	35,660
	अजीत का वेतन खाता नाम अजीत का पूँजी खाता (अजीत को वेतन राशि)		12,000	12,000
	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम अजीत का वेतन खाता (अजीत का वेतन लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरण)		12,000	12,000
	माधुरी का कमीशन खाता नाम माधुरी का पूँजी खाता (माधुरी की कमीशन की राशि)		5,000	5,000
	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम माधुरी का कमीशन (माधुरी के कमीशन का लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरण)		5,000	5,000
	पूँजी पर ब्याज खाता नाम अजीत का पूँजी खाता माधुरी का पूँजी खाता विशाल का पूँजी खाता (पूँजी पर ब्याज राशि)		7,200	3,000 2,400 1,800
	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम पूँजी पर ब्याज खाता (पूँजी पर ब्याज का लाभ हानि-विनियोजन खाते में हस्तांतरण)		7,200	7,200

	अजीत का पूँजी खाता नाम माधुरी का पूँजी खाता नाम विशाल का पूँजी खाता नाम आहरण पर ब्याज खाता (आहरण पर ब्याज की राशि)		270 180 90	 540
	आहरण पर ब्याज खाता नाम लाभ-हानि विनियोजन खाता (आहरण पर ब्याज का लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरण)		540	 540
	लाभ-हानि विनियोजन नाम *अजीत का पूँजी खाता* माधुरी का पूँजी खाता विशाल का पूँजी खाता (विनियोजन पर लाभ की राशि)		12,000	 6,000 4,000 2,000

31 दिसंबर, 2002 को फर्म का लाभ-हानि विनियोजन खाता

नाम **जमा**

विवरण		*राशि* (रु.)	*विवरण*		*राशि* (रु.)
अजीत का वेतन		12,000	शुद्ध लाभ		35,000
माधुरी का कमीशन		5,000	(लाभ-हानि खाते के अनुसार)		
पूँजी पर ब्याज :			आहरण पर ब्याज :		
अजीत की पूँजी	3,000		अजीत की पूँजी	270	
माधुरी की पूँजी	2,400		माधुरी की पूँजी	180	
विशाल की पूँजी	1,800	7,200	विशाल की पूँजी	90	540
पूँजी खाता-लाभ का हिस्सा :					
अजीत की पूँजी	6,000				
माधुरी की पूँजी	4,000				
विशाल की पूँजी	2,000	12,000			
योग		**36,200**	**योग**		**36,200**

अजीत का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	आहरण		6,000		रोकड़		50,000
	आहरण पर ब्याज		270		वेतन		12,000
	शेष आ/ले		64,730		पूँजी पर ब्याज		3,000
					लाभ-हानि खाता विनियोजन (लाभ का हिस्सा)		6,000
	योग		**71,000**		**योग**		**71,000**

माधुरी का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	आहरण		4,000		रोकड़		40,000
	आहरण पर ब्याज		180		कमीशन		5,000
	शेष आ/ले		47,220		पूँजी पर ब्याज		2,400
					लाभ-हानि खाता विनियोजन (लाभ का हिस्सा)		4,000
	योग		**51,400**		**योग**		**51,400**

विशाल का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	आहरण		2,000		रोकड़		30,000
	आहरण पर ब्याज		90		पूँजी पर ब्याज		1,800
	शेष आ/ले		31,710		लाभ-हानि खाता विनियोजन (लाभ का हिस्सा)		2,000
	योग		**33,800**		**योग**		**33,800**

उदाहरण 4

पवन और पूर्वा एक फर्म के साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। 1 जनवरी, 1998 को उनके पूँजी और चालू खाते में शेष इस प्रकार था :

	पवन	पूर्वा
	रु.	रु.
पूँजी	30,000	20,000
चालू खाता (जमा)	10,000	8,000

साझेदारी विलेख के अनुसार पवन को प्रतिमाह 500 रु. का वेतन दिया जाएगा और पूर्वा को वर्ष में 4,000 रु. की कमीशन दी जाएगी।

पूँजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। वर्ष में पवन और पूर्वा की आहरण राशि क्रमशः 3,000 रु. व 1,000 रु.। आहरण पर ब्याज की राशि पवन के लिए 75 रु. और पूर्वा के लिए 25 रु. ज्ञात की गई। इन समायोजनों से पूर्व फर्म का शुद्ध लाभ 24,900 रु. था।

लाभ-हानि विनियोजन खाता बनाइए और साझेदारी के पूँजी व चालू खाते बनाइए।

हल

पवन और पूर्वा की पुस्तक में

वर्ष 1998 के लिए लाभ-हानि विनियोजन खाता

नाम **जमा**

विवरण		*राशि* (रु.)	*विवरण*		*राशि* (रु.)
पवन का वेतन		6,000	शुद्ध लाभ		24,900
पूर्वा का कमीशन		4,000	(लाभ-हानि खाते के अनुसार)		
पूँजी पर ब्याज :			आहरण पर ब्याज :		
पवन	1,800		पवन	75	
पूर्वा	1,200	3,000	पूर्वा	25	
पूँजी खाता : (लाभ का हिस्सा)					100
पवन	7,200				
पूर्वा	4,800				
		12,000			
योग		**25,000**	**योग**		**25,000**

साझेदारों का पूँजी खाता

नाम जमा

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	पवन राशि (रु.)	पूर्वा राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	पवन राशि (रु.)	पूर्वी राशि (रु.)
	शेष आ/ले		30,000	20,000		शेष आ/ला		30,000	20,000

साझेदारों के चालू खाते

नाम जमा

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	पवन राशि (रु.)	पूर्वा राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	पवन राशि (रु.)	पूर्वी राशि (रु.)
	आहरण		3,000	1,000		शेष आ/ला		10,.000	8,000
	आहरण पर ब्याज		75	25		वेतन		6,000	
	शेष आ/ले		21,975	16,975		कमीशन		--	4,000
						पूँजी पर ब्याज		1,800	1,200
						लाभ का हिस्सा		7,200	4,800
	योग		**25,000**	**18,000**		**योग**		**25,000**	**18,000**

1.3.3 पूँजी पर ब्याज की गणना

यदि साझेदारी समझौते में विशेष तौर पर साझेदारों की पूँजी पर ब्याज दर तय की गई हो तब ही पूँजी पर ब्याज लगाया जाता है। पूँजी पर ब्याज एक निश्चित समयावधि, दर एवं राशि पर दिया जाता है। ब्याज की गणना करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

1 समान्यतया संपूर्ण लेखांकन वर्ष में पूँजी खाते के प्रारंभिक शेष पर ही ब्याज की गणना की जाती है।

2 यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूँजी लगाई जाती है तो अतिरिक्त पूँजी पर ब्याज की गणना केवल उस लेखावधि के लिए की जाएगी, जिस अवधि में यह राशि व्यवसाय में निवेश की गई है।

3 यदि वर्ष के दौरान पूँजी का कुछ भाग आहरित किया जाता है, तो पूँजी के उस राशि पर जो संपूर्ण वर्ष में निवेशित रही हो, पूरे वर्ष के ब्याज की गणना की जाएगी। ध्यान देने योग्य यह है कि आहरण की गई राशि पर ब्याज की गणना केवल उस समयावधि के लिए की

जाएगी, जितनी अवधि के लिए वह राशि व्यवसाय में निवेशित रही हो। अंततः संपूर्ण वर्ष में निवेशित की गई पूँजी पर लगाए गए ब्याज तथा आहरित राशि पर ज्ञात किए गए ब्याज को जोड़कर पूँजी पर कुल ब्याज राशि की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए वर्ष के प्रारंभ में सूरज के पूँजी खाते का शेष 30,000 रु. था। वर्ष के मध्य में सूरज ने 10,000 रु. की राशि का आहरण किया तथा वह 10% प्रतिवर्ष की दर से पूँजी पर ब्याज पाने का हकदार है।

ऐसी स्थिति में, पूँजी पर ब्याज की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :

$$(20{,}000\text{ रु.}\times\frac{10}{100})+(10{,}000\text{ रु.}\times\frac{10}{100}\times\frac{1}{2}) = 2{,}500\text{ रु.}$$

वैकल्पिक रूप से, ब्याज की राशि की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है :

$$(30{,}000\text{ रु.}\times\frac{10}{100}\times\frac{1}{2})+(20{,}000\text{ रु.}\times\frac{10}{100}\times\frac{1}{2}) = 2{,}500\text{ रु.}$$

उदाहरण 5

मंसूर और रेशमा एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी, 2000 को उनके पूँजी खाते का शेष निम्नलिखित था :

मंसूर 20,000 रु.

रेशमा 15,000 रु.

वर्ष के दौरान 1 मई, 2000 को मंसूर ने 10,000 रु. की अतिरिक्त पूँजी लगाई और जुलाई 1, 2000 को रेशमा ने 15,000 रु. की अतिरिक्त पूँजी लगाई। रेशमा ने 1 अक्तूबर, 2000 को पूँजी में से 5,000 रु. का आहरण किया। पूँजी पर ब्याज 6 % प्र. व. की दर से लगाया जाता है। पूँजी पर देय ब्याज राशि की गणना कीजिए।

हल

पूँजी पर ब्याज की गणना का विवरण

	विवरण	*मंसूर राशि (रु.)*	*रेशमा राशि (रु.)*
1.	1 जनवरी, 2002 को पूँजी पर ब्याज :		
	मंसूर (20,000 रु. × 6/100)	1,200	
	रेशमा (15,000 रु. × 6/100)		900
2.	जोड़ा : अतिरिक्त पूँजी पर ब्याज :		
	मंसूर (10,000 रु. × 6/100 × 8/12)	400	
	रेशमा (15,000 रु. × 6/100 × 6/12)		450
3.	घटाया : आहरण पर ब्याज की गणना (5,000 रु. × 3/12 × 6/100)		(75)
	कुल देय ब्याज	**1,600**	**1,275**

1.3.4 आहरण पर ब्याज की गणना

यदि साझेदारी विलेख में विशेष रूप से तय किया गया हो तब ही साझेदार द्वारा पूँजी से निकाली गई राशि पर ब्याज लगाया जाता है। अत:, आहरण पर ब्याज की गणना उस अवधि के लिए की जाएगी, जिस अवधि के लिए राशि आहरित रही हो। विभिन्न परिस्थितियों में आहरण पर ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी :

(i) जब आहरण की राशि, ब्याज और तिथि दी गई हो :

मान लीजिए, जॉनसन एक फर्म में साझेदार है जो अक्तूबर 1, 2002 को 20,000 की राशि पूँजी में से निकालते हैं। आहरण पर 10% प्र.व. की दर से ब्याज लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में ब्याज की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :

$$(20{,}000 \text{ रु.} \times \frac{3}{12} \times \frac{10}{100}) = 500 \text{ रु.}$$

(ii) जब आहरण की राशि और ब्याज दर दी गई है, परंतु आहरण की तिथि न दी गई हो :

मान लीजिए रशीद अहमद एक फर्म में साझेदार है, जो 20,000 रु. की राशि निकालते हैं। आहरण पर 10% प्र.व. की दर से ब्याज लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में ब्याज की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :

$$(20{,}000 \text{ रु.} \times \frac{6}{12} \times \frac{10}{100}) = 1{,}000 \text{ रु.}$$

यहाँ पर ध्यान योग्य बिंदु यह है कि यदि राशि निकालने की तिथि नहीं दी गई है, अत: यह मान लिया गया है कि साझेदार द्‌वारा वर्ष भर में निश्चित समयावधि पर निरंतर समान राशि निकाली गई है। इस प्रकार ब्याज की गणना वर्ष की औसत समयावधि अर्थात छ: माह की अवधि पर की जाएगी।

(iii) जब प्रत्येक माह निश्चित राशि निकाली जाती है :

ऐसी स्थिति में तीन संभावनाएँ उभरती हैं और तदनुसार ब्याज लगाया जाता है :

(अ) यह राशि माह के दौरान आहरित की जाती है तो यह अंतर्निहित है कि इस राशि का आहरण माह के मध्य में हुआ है। अत: ब्याज की गणना 6 माह की अवधि के लिए लगाया जाता है।

(ब) यदि आहरण माह के आरंभ में किया जाता है, तो ब्याज 6 ½ माह के लिए लगाया जाता है।

(स) यदि आहरण माह के अंत में किया जाता है, तो ब्याज 5 ½ माह के लिए लगाया जाता है।

(iv) (अ) यदि राशि प्रत्येक तिमाही के आरंभ में निकाली जाती है, तो ऐसी स्थिति में कुल आहरण पर ब्याज की गणना 7 ½ माह के लिए लगाया जाता है।

(ब) यदि राशि प्रत्येक तिमाही के अंत में निकाली जाती है, तो कुल आहरण पर ब्याज 4½ माह के लिए दिया जाता है।

(v) जब विभिन्न अंतराल पर अलग-अलग राशि निकाली जाती है :

इस स्थिति में आहरित राशि के गुणनफल योग तथा समयावधि को ज्ञात किया जाता है तत्पश्चात ब्याज की दर 1 माह की अवधि पर लगाई जाती है।

मान लीजिए, सोनू 1 मार्च को 1,000 रु.; 30 जून को 2,000 रु.; 1 नवंबर को 1,000 रु. और 31 दिसंबर को 2,000 की राशि निकालता है। ब्याज 10% प्र.व. की दर से लगाया जाता है। इस स्थिति में ब्याज की गणना निम्न प्रकार की जाएगी :

पूँजी पर ब्याज की गणना का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दिनांक	*राशि (रु.)*	*समयावधि*	*गुणन (2 × 3)*	*ब्याज (रु.)*
1 मार्च	1,000	10 माह	10,000	10,000 × 10/100 = 1/12 = 83.33
30 जून	2,000	6 माह	12,000	12,000 × 10/100 × 1/12 = 100
1 नवंबर	1,000	2 माह	2,000	2,000 × 10/100 × 1/12 = 16.67
31 दिसंबर	2,000	0	0	0
योग			**24,000**	**200***

* *ऐसी पेचीदी गणना के बजाय एक माह की अवधि के गुणनफल योग राशि पर ब्याज की गणना द्वारा समान परिणाम प्राप्त किया जा सकता है*

$$= 24{,}000 \text{ रु.} \times \frac{10}{100} \times \frac{1}{2} = 200 \text{ रु.}$$

उदाहरण6

राजेश फर्म में साझेदार है। उसने वर्ष 2000 के दौरान निम्नलिखित राशियों का आहरण किया :

		रु.
31 जनवरी	..	6,000
31 मार्च	..	4,000
30 जून	..	8,000
30 सितंबर	..	3,000
31 अक्तूबर	..	5,000

आहरण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निकाला जाएगा। यह मानते हुए कि लेखा वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है, राजेश के नाम पक्ष में लिखी जाने वाली आहरण पर ब्याज की राशि निम्न प्रकार निकाली जाएगी :

(1)	(2)	(3)	(4)
दिनांक	*राशि (रु.)*	*काल (माह)*	*गुणन (2 × 3) (रु.)*
31 जनवरी	6,000	11	66,000
31 मार्च	4,000	9	36,000
30 जून	8,000	6	48,000
30 सितंबर	3,000	3	9,000
31 अक्तूबर	5,000	2	10,000
	26,000		**1,69,000**

गुणनफलों का कुल राशि पर एक माह के लिए आहरण पर ब्याज :

$$\frac{\text{ब्याज की दर}}{100} \times \text{गुणनफलों का योग} \times \frac{1}{12}$$

$$= \frac{6}{100} \times 1{,}69{,}000 \text{ रु.} \times \frac{1}{12} = 845 \text{ रु.}$$

वैकल्पिक रूप में प्रत्येक राशि पर ब्याज की गणना समयानुसार अलग-अलग करके जोड़ी जा सकती है। ऐसी स्थिति में भी हम इसी ब्याज की राशि को ज्ञात कर सकेंगे।

उदाहरण 7

अक्षय और पलाश साझेदार हैं और लाभ-हानि का विभाजन बराबर-बराबर करते हैं। अक्षय ने 2001 के दौरान अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए हर माह की पहली तिथि को 1,000 रु. प्रतिमाह नियमित रूप से निकाले। यदि आहरण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगे तो अक्षय के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए।

हल

1	2	3	4
दिनांक	*आहरण की राशि (रु.)*	*जितने समय के लिए राशि प्रयोग की गई*	*गुणनफल (2 × 3) (रु.)*
1 जनवरी	1,000	12	12,000
1 फरवरी	1,000	11	11,000
1 मार्च	1,000	10	10,000
1 अप्रैल	1,000	9	9,000
1 मई	1,000	8	8,000
1 जून	1,000	7	7,000
1 जुलाई	1,000	6	6,000
1 अगस्त	1,000	5	5,000
1 सितंबर	1,000	4	4,000
1 अक्तूबर	1,000	3	3,000
1 नवंबर	1,000	2	2,000
1 दिसंबर	1,000	1	1,000
योग	**12,000**	**योग**	**78,000**

$$\text{आहरण पर ब्याज} = \frac{\text{ब्याज की दर}}{100} \times \frac{1}{12} \times \text{गुणनफलों का योग}$$

$$= \frac{5}{100} \times \frac{1}{12} \times 78{,}000 \text{ रु.} = 325 \text{ रु.}$$

ध्यान रहे कि जब निश्चित समयावधि पर (एक निश्चित) राशि निकाली जाती है तो आहरण पर ब्याज की गणना औसत काल के आधार पर की जा सकती है। औसत काल का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि आहरण की निश्चित राशि माह की पहली या अंतिम तिथि को निकाली गई है।

यदि एक निश्चित राशि हर माह की पहली तिथि को आहरित की जाती है, तो औसत काल निम्न विधि से निर्धारित करेंगे :

$$\textbf{औसत काल} = \frac{\textbf{कुल समय माह में} + 1}{2}$$

परंतु यदि एक निश्चित राशि हर माह की आखिरी तिथि को आहरित की जाती है, तो औसत काल निम्न विधि से निर्धारित करेंगे :

$$\text{औसत काल} = \frac{\text{कुल समय माह में} - 1}{2}$$

उदाहरण 5 में साझेदारों ने स्थिर राशि हर माह की पहली तिथि को निकाली इसलिए आहरण पर ब्याज औसत विधि द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है :

$$\text{औसत काल} = \frac{\text{कुल महीनों की संख्या} + 1}{2} = 6.5 \text{ माह}$$

$$\text{औसत काल} = \frac{(12 + 1)}{2} = 6.5 \text{ माह}$$

5% प्र.व. की दर के आहरण पर ब्याज की गणना 6.5 माह के लिए इस प्रकार की जाएगी :

$$= 12{,}000 \times \frac{5}{100} \times \frac{13}{2} \times \frac{1}{12} = 325 \text{ रु.}$$

उदाहरण 8

मनीष और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार आहरण पर ब्याज 6% प्र.व. की दर से लगाया जाएगा। वर्ष 31 दिसंबर, 2002 की समाप्ति पर मनीष ने प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 5,000 रु. की राशि निकाली, जबकि मोहन ने प्रत्येक तिमाही के अंत में 5,000 रु. की राशि निकाली। साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए।

हल

मनीष का कुल आहरण = 5,000 रु. × 4 = 20,000 रु.

मोहन का कुल आहरण = 5,000 रु. × 4 = 20,000 रु.

मनीष के आहरण पर ब्याज की गणना :

$$\text{कुल समय माह में} = \frac{12+3}{2} = 7.5 \text{ माह}$$

$$\text{ब्याज} = 20.000 \text{ रु.} \times \frac{6}{100} \times \frac{15}{2} \times \frac{1}{12} = 750 \text{ रु.}$$

मोहन के आहरण पर ब्याज

$$\text{कुल समय माह में} = \frac{12-3}{2} = 4.5 \text{ माह}$$

$$\text{ब्याज} = 20{,}000 \text{ रु.} \times \frac{6}{100} \times \frac{9}{2} \times \frac{1}{12} = 450 \text{ रु.}$$

1.4 साझेदार को लाभ की गारंटी

गारंटी किसी साझेदार को दिया गया एक आश्वासन है, जिसमें उसे लाभ में से उसके हिस्से के लिए, किसी भी परिस्थिति में, न्यूनतम राशि अवश्य दी जाएगी। इसकी दो परिस्थितियाँ होती हैं :

(अ) एक साझेदार को अन्य (साझेदारों) द्वारा दी गई गारंटी

(ब) एक साझेदार को दूसरे साझेदार द्वारा दी गई वैयक्तिक गारंटी

(अ) कभी-कभी साझेदार को फर्म के लाभ में से उसके हिस्से के लिए न्यूनतम राशि की गारंटी दी जाती है। इस तरह की गारंटी नए साझेदार को प्रवेश के समय या वर्तमान साझेदार को दी जा सकती है। इस प्रकार के साझेदार को गारंटी की राशि तब दी जाएगी जबकि लाभ-विभाजन के अनुसार गणना करने पर उसके लाभ का हिस्सा उसे दी गई गारंटी की राशि से कम हो। साझेदार को दी गई गारंटी की राशि में कमी होने पर इस कमी को अन्य साझेदार अपने लाभ-विभाजन अनुपात में या किसी अन्य स्वीकृत अनुपात में वहन करेंगे।

उदाहरण के लिए गुप्ता और मिश्रा साझेदार हैं और उन्होंने शर्मा को साझेदारी फर्म में प्रवेश देने का निश्चय किया। लाभ का विभाजन अनुपात 3 : 2 : 1 तय हुआ और शर्मा को 5,000 रु. की गारंटी दी गई। वर्ष 2001 में व्यवसाय को 24,000 रु. का लाभ हुआ। शर्मा का लाभ में हिस्सा 4,000 रु. (24,000 रु. का 1/6 हिस्सा)आया। अतः शर्मा को उसके लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार लाभ हिस्से के 4,000 रु. मिलेंगे और दी गई गारंटी में कमी के रूप में 1,000 रु. (अर्थात् वह राशि जो लाभ की 4,000 रु. की राशि तथा गारंटी की 5,000 रु. की राशि का अंतर है)मिलेंगे।

1,000 रु. की यह राशि गुप्ता और मिश्रा के खाते में से 3 : 2 लाभ-विभाजन अनुपात में शर्मा के खाते के जमा पक्ष की ओर हस्तांतरित कर दी जाएगी।

उदाहरण 9

माऊस, की-बोर्ड और मॉनीटर एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने प्रिंटर को 20,000 रु. प्रतिवर्ष की गारंटी की राशि के साथ फर्म में प्रवेश देने का निश्चय किया। वह लाभ का विभाजन 4 : 3 : 3 : 2 के अनुपात में करते हैं। वर्ष 2002 में 96,000 रु. का कुल लाभ हुआ। आपको लाभ-हानि समायोजन खाता बनाना है और साझेदारों के बीच लाभ का वितरण दिखाना है।

माउस, की बोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर की पुस्तक

लाभ-हानि समायोजन खाता वर्षान्त 2002

नाम **जमा**

विवरण	*राशि (रु.)*	*विवरण*	*राशि (रु.)*
माऊस	30,400	शुद्ध लाभ	96,000
की-बोर्ड	22,800		
मॉनिटर	22,800		
प्रिंटर	20,000		
योग	**96,000**	**योग**	**96,000**

हल के संदर्भ में टिप्पणी :

प्रिंटर का हिस्सा = 96,000 रु. 2/12 = 16,000 रु.

यद्यपि प्रिंटर 20,000 रु. के न्यूनतम लाभ के अंश का अधिकारी है, अत:, 4,000 रु. की बकाया राशि (अर्थात् 20,000-16,000 = 4,000) माऊस, की–बोर्ड और मॉनीटर 4:3:3 के अनुपात में वहन करेंगे।

(i)	माऊस का लाभ में हिस्सा	= 96,000 रु. × 4/12	= 32,000 रु.
	घटाया : प्रिंटर का हिस्सा		
	4,000 रु. × 4/10	= 1,600 रु.	
	माऊस का अंतिम हिस्सा	= 30,400 रु.	
(ii)	की–बोर्ड का लाभ हिस्सा	= 96,000 रु. × 3/12	= 24,000 रु.
	घटाया : प्रिंटर का हिस्सा		
	(4,000 रु. × 3/10)	= 1,200 रु.	
	की–बोर्ड का अंतिम हिस्सा	= 22,800 रु.	
(iii)	मॉनीटर का हिस्सा	= 96,000 रु. × 3/12	= 24,000 रु.
	घटाया : प्रिंटर का हिस्सा		
	(4,000 रु. × 3/10)	= 1,200 रु.	
	मॉनीटर का अंतिम हिस्सा	= 22,800 रु.	

(ब) एक साझेदार को दूसरे साझेदार द्वारा दी गई गारंटी

प्रवेशी साझेदार को गारंटी सभी पुराने साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा किसी निर्धारित आधार पर नए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार दी जाती है। उपरोक्त उदाहरण 9 में यह मान

लिया गया है कि तीनों साझेदारों माऊस, की-बोर्ड और मॉनीटर ने अपने-अपने लाभ-विभाजन अनुपात में से प्रिंटर को न्यूनतम राशि की गारंटी देना स्वीकार किया है।

अतः प्रिंटर के लाभ के हिस्से की कमी को तीनों साझेदारों ने 4:3:3 के अनुपात में बाँटा। मानलीजिए, प्रिंटर के न्यूनतम लाभ की जिम्मेदारी यदि माऊस की होती तो लाभ का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता :

मॉनीटर का हिस्सा	= 96,000 रु. × 4/12	=	32,000 रु.
घटाया : प्रिंटर के लाभ का अंश		=	4,000 रु.
माऊस का अंतिम हिस्सा		=	**28,000 रु.**

दूसरे शब्दों में, की-बोर्ड और प्रत्येक को लाभ का पूरा हिस्सा अर्थात 24,000 रु. मिलेंगे।

उदाहरण 10

राज और रमेश फर्म में साझेदार हैं, 2:1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने महेश को 25,000 रु. गारंटी की राशि तथा लाभ में 1/4 हिस्से के साथ फर्म में प्रवेश देने का निश्चय किया। राज इस गारंटी की रकम के कारण उत्पन्न देयता को अपने लाभ-विभाजन अनुपात में पूरा करेगा। राज और रमेश के बीच लाभ-विभाजन अनुपात नहीं बदलेगा। फर्म को वर्ष 2001 में 76,000 रु. का लाभ होता है।

आपको लाभ-हानि विनियोग खाता तैयार करना है और साझेदारों के बीच लाभ का वितरण दर्शाना है।

हल

राज और रमेश की पुस्तक
वर्षान्त 2001 को लाभ-हानि विनियोग खाता

नाम **जमा**

विवरण	*राशि (रु.)*	*विवरण*	*राशि (रु.)*
लाभ का हिस्सा :		शुद्ध लाभ	76,000
राज	32,000[1]		
रमेश	19,000		
महेश	25,000[2]		
योग	**76,000**	**योग**	**76,000**

हल के सदंर्भ मे टिप्पणी :

महेश को न्यूनतम गारंटी की दी गई राशि 25,000 रु. है, जबकि लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार (2:1:1) उसके लाभ का हिस्सा केवल 19,000 रु. है। इसमें 6,000 रु. की कमी है। इस राशि की क्षतिपूर्ति राज द्वारा पूर्ण रूप से की जाएगी :

(1)	राज का लाभ में हिस्सा	=	76,000	रु. × 2/4	=	38,000 रु.
	घटाया : महेश का हिस्सा	=	6,000	रु.		
	राज का लाभ में अंतिम हिस्सा	=	32,000	रु.		
(2)	महेश का लाभ में हिस्सा	=	76,000	रु. ×1/4	=	19,000 रु.
	जमा : राज द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति	=	6,000	रु.		
	महेश का लाभ में अंतिम हिस्सा	=	**25,000**[3]			

1.5 पूर्व समायोजन

कभी-कभी जब अंतिम खाते तैयार कर दिए जाते हैं और साझेदारों के पूँजी खाते बंद कर दिए जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ मदों की प्रविष्टियों का लेखा गलती से रह गया है या गलत कर दिया गया है। इस तरह की अशुद्धियाँ या भूलें सामान्यतया पूँजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों के वेतन आदि से संबंधित होती हैं। इस स्थिति में साझेदारों के पूँजी खातों में आवश्यक समायोजन लाभ-हानि समायोजन खाते के द्वारा किए जाते हैं। आवश्यक समायोजन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया सहायक होगी :

1. यदि लेखा न की गई मदों में एक पूँजी पर ब्याज है, तो पहले साझेदार की प्रारंभिक पूँजी की गणना की जाती है। यह ज्ञात करने के लिए साझेदारों की अंतिम पूँजी में से चालू वर्ष के लाभ का हिस्सा घटा दिया जाता है और उनकी आहरण राशि जमा कर दी जाती है।
2. उन मदों की राशि ज्ञात कीजिए जिनका लेखा साझेदारों के पूँजी खाते में जमा पक्ष में नहीं किया गया, जैसे पूँजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन आदि। समायोजन के लिए निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टि करें।

   लाभ-हानि समायोजन खाता नाम

   साझेदारों के पूँजी खाते (व्यक्तिगत रूप से)

3. उन मदों की राशि ज्ञात कीजिए जिनका लेखा साझेदारों के पूँजी खाते के नाम पक्ष में नहीं किया गया, जैसे कि आहरण पर ब्याज और तत्पश्चात् निम्न समायोजन प्रविष्टि कीजिए :

   साझेदारों के पूँजी खाते (व्यक्तिगत रूप से) खाता नाम

   लाभ-हानि समायोजन खाता

4. लाभ-हानि समायोजन खाते का शेष ज्ञात कीजिए।
5. इस खाते का जमा शेष लाभ दिखाता है और नाम शेष हानि। इसे साझेदारों में वितरित किया जाना चाहिए।
6. उपरोक्त के अनुसार लाभ-हानि समायोजन खाते का शेष साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस तरह लाभ-हानि समायोजन खाता बंद हो जाता है। इसके लिए निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ होगी।

यदि जमा शेष है (लाभ)

लाभ-हानि समायोजन खाता	नाम
साझेदारों के पूँजी खाते (व्यक्तिगत रूप से)	

यदि नाम शेष है (हानि)

साझेदारों के पूँजी खाते (व्यक्तिगत रूप से)	नाम
लाभ-हानि समायोजन खाता	

लाभ-हानि समायोजन खाता तैयार किए बिना भी समायोजन साझेदारी के पूँजी खातों में प्रत्यक्ष रूप से किए जा सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में हम अशुद्धियों व भूलों का शुद्ध प्रभाव जानने के लिए एक विवरण सूची बनाएँगे और फिर उस साझेदार के पूँजी खाते के नाम पक्ष में लेखा करेंगे, जिनके जमा पक्ष में अधिक राशि है और उस साझेदार के पूँजी खाते के जमा पक्ष में लेखा करेंगे, जिसके नाम पक्ष में अधिक राशि है।

उदाहरण 11

अमर और एंथोनी फर्म में साझेदार हैं और समान अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। 31 दिसंबर, 2000 को उनके पूँजी खातों के शेष क्रमशः 60,000 रु. और 50,000 रु. हैं, जिसमें वर्ष 2000 का 20,000 रु. का लाभ भी सम्मिलित है। वर्ष 2000 के अंतिम खाते तैयार करते समय यह ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित मदों की प्रविष्टियों का लेखा नहीं किया गया है :

(i) साझेदारों को पूँजी पर प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देना था।

(ii) अमर और एंथोनी की वर्ष 2000 को आहरण राशि क्रमशः 8,000 रु. और 60,000 रु. है। आहरण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाता था।

(iii) अमर को 5,000 रु. का वेतन और एंथोनी को संपूर्ण वर्ष के लिए 2,000 रु. कमीशन दिया जाना था।

उपरोक्त त्रुटियों का लेखा करने के लिए आवश्यक समायोजन करने का निश्चय किया गया है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए और लाभ-हानि समायोजन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

हल

		अमर (रु.)	एंथोनी (रु.)
1.	**साझेदारों की प्रारंभिक पूँजी :**		
	अंतिम पूँजी	60,000	50,000
	घटाया : लाभ का हिस्सा (20,000 रु. का समान विभाजन)	(10,000)	(10,000)
		50,000	40,000
	जमा : आहरण	8,000	6,000
	प्रारंभिक पूँजी	**58,000**	**46,000**

2. पूँजी पर ब्याज :

अमर के लिए $58,000 \times 6/100 = 3,480$ रु.

एंथोनी के लिए $46,000 \times 6/100 = 2,760$ रु.

3. आहरण पर ब्याज :

8,000 रु. पर प्रतिवर्ष की दर से छः माह के लिए

अमर के लिए : $8,000 \times \frac{5}{100} \times \frac{5}{12} = 200$ रु.

एंथोनी के लिए : 6,000 रु. 5% प्रतिवर्ष की दर से छः माह के लिए

$$6,000 \times \frac{5}{100} \times \frac{6}{12} = 150 \text{ रु.}$$

अमर और एन्थोनी की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*		*खाता पृ.सं.*	*नाम पक्ष (रु.)*	*जमा पक्ष (रु.)*
दिसं. 31	लाभ-हानि समायोजन खाता	नाम		6,240	
	अमर का पूँजी खाता				3,480
	एंथोनी का पूँजी खाता				2,760
	(पूँजी पर ब्याज की राशि)				
दिसं.31	अमर का पूँजी खाता	नाम		200	
	एंथोनी का पूँजी खाता	नाम		150	
	लाभ-हानि समायोजन खाता				350
	(आहरण पर ब्याज की राशि)				
दिसं.31	लाभ-हानि समायोजन खाता	नाम		5,000	
	अमर की पूँजी खाता				5,000
	(वेतन की राशि)				
दिसं.31	लाभ-हानि समायोजन खाता	नाम		2,000	
	एंथोनी का पूँजी खाता				2,000
	(कमीशन की राशि)				
दिसं.31	अमर का पूँजी खाता	नाम		6,445	
	एंथोनी का पूँजी खाता	नाम		6,445	
	लाभ-हानि समायोजन खाता				12,890
	(समायोजन पर हानि की राशि)				

वर्षान्त 2000 को
लाभ-हानि समायोजन खाता

नाम **जमा**

विवरण		*राशि रु.*	*विवरण*		*राशि रु.*
पूँजी : पूँजी पर ब्याज			पूँजी : आहरण पर ब्याज :		
अमर	3,480		अमर	200	
एंथोनी	2,760	6,240	एंथोनी	150	350
अमर का पूँजी – वेतन		5,000	पूँजी : समायोजन से हानि		
एंथोनी का कमीशन		2,000	अमर की पूँजी	6,445	
			एंथोनी की पूँजी	6,445	12,890
योग		**13,240**	**योग**		**13,240**

साझेदारों का पूँजी खाता

नाम | जमा

दिनांक	विवरण	पृ. सं.	अमर (रु.)	एंथोनी (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ. सं.	अमर (रु.)	एंथोनी (रु.)
	लाभ-हानि समायोजन		200	150		शेष आ/ले		60,000	50,000
	आहरण पर ब्याज		6,240			लाभ-हानि विनियोजन			
	लाभ-हानि समायोजन		6,445	6,445		पूँजी पर ब्याज		3,480	2,760
	समायोजन से हानि					लाभ-हानि			
	शेष आ/ले		61,835	48,165		समायोजन वेतन		5,000	
						लाभ-हानि			2,000
						समायोजन			
						कमीशन			
			68,480	**54,760**				**68,480**	**54,760**
						शेष आ/ला		**61,835**	**48,165**

एकमात्र समायोजन प्रविष्टि के लिए, साझेदारों के वैयक्तिक पूँजी खातों में नाम अथवा जमा की जाने वाली राशियों का निर्धारण एक विश्लेषण सारणी द्वारा किया जाता है।

विश्लेषण सारणी

विवरण	अमर (रु.)	एंथोनी (रु.)
जमा राशि (वेतन, कमीशन एवं पूँजी पर ब्याज)	8,480	4,760
नाम राशि	6,645	6,545
(आहरण पर ब्याज और हानि में हिस्सा)	1,835 (जमा)	1,835 (नाम)

रोजनामचा प्रविष्टि

दिनांक	विवरण		रु.	रु.
	एंथोनी का पूँजी खाता नाम अमर का पूँजी खाता		1,835	 1,835

वैकल्पिक रूप में, विस्तृत विवरण इस प्रकार भी तैयार किया जा सकता हैं।

समायोजन विवरण

विवरण	*राशि जिसका लेखा किया जा चुका है*		*राशि जिसका लेखा किया जाना था*		*समायोजन*
	नाम रु.	*जमा (रु.)*	*नाम (रु.)*	*जमा (रु.)*	*नाम/जमा (रु.)*
अमर की पूँजी :					
पूँजी पर ब्याज	-	-	-	3,480	
आहरण पर ब्याज	-	-	200	-	
वेतन	-	-	-	5,000	
लाभ का हिस्सा	-	10,000	200	3,555	
		10,000		12,035	
शुद्ध		**10,000**		**11,835**	**जमा 1,835**
एंथोनी की पूँजी :					
पूँजी पर ब्याज	-	-	-	**2,760**	
आहरण पर ब्याज	-	-	150	-	
कमीशन	-	-	-	**2,000**	
लाभ का हिस्सा	-	10,000	150	**3,555**	
		10,000		**8,315**	
शुद्ध		**10,000**		**8,165**	**नाम 1,835**

लाभ-हानि विनियोजन खाता

नाम **जमा**

विवरण		*राशि (रु.)*	*विवरण*		*राशि (रु.)*
पूँजी पर ब्याज :			**लाभ :**		
अमर	3,480		लाभ-हानि खातानुसार		20,000
एंथोनी	2,760	6,240			
अमर का पूँजी-वेतन		5,000	आहरण पर ब्याज		
एंथोनी का पूँजी-कमीशन		2,000	अमर	200	
लाभ का हिस्सा :			एंथोनी	150	350
अमर	3,555				
एंथोनी	3,555	7,110			
		20,350			**20,350**

1.6 ख्याति (साख)

साझेदारी लेखांकन में ख्याति भी एक विशेष पहलू है जिसका लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन और साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय समायोजन करना आवश्यक होता है।

1.6.1 ख्याति (साख) का अर्थ

एक सुस्थापित व्यवसाय को कुछ समय पश्चात नाम, प्रतिष्ठा और विस्तृत व्यवसाय संबंधों का लाभ होने लगता है। यह व्यवसाय को नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। लेखांकन में ऐसे लाभ के मौद्रिक मूल्य को *ख्याति* कहते हैं। यह एक अमूर्त परिसंपत्ति समझी जाती है। दूसरे शब्दों में, ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है, जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। सामान्यतया यह देखा गया है कि जब एक व्यक्ति ख्याति की राशि का भुगतान करता है, तो यह भुगतान उसे अधिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पहुँचा देता है, जिसे वह मात्र अपने प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकता था।

सरल शब्दों में ख्याति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है : ''फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है या व्यवसाय का वह पूँजीकृत मूल्य है जो कि उसकी विभेदात्मक लाभ क्षमता से जुड़ा होता है''। अतः ख्याति तभी विद्यमान होगी जब फर्म सामान्य लाभों से अधिक लाभ अर्जित करती है। जिस फर्म में हानि हो रही हो या सामान्य लाभ हो रहे हों, उस फर्म की ख्याति नहीं है।

1.6.2 ख्याति-वृद्धि के घटक

ख्याति को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक निम्न हैं :

1. **व्यवसाय का स्वरूप** : ऐसी फर्में जो उच्च मूल्य वृद्धि उत्पादों का उत्पादन करती हैं या जिनके उत्पादों की मांग स्थिर रहती हैं, अधिक लाभ कमाती हैं, अतः ऐसी फर्मों की ख्याति अधिक होती हैं।
2. **स्थान** : यदि व्यवसाय केंद्रीय स्थान पर स्थित है या उस स्थान पर जहाँ उपभोक्ताओं की अधिक भीड़ है, तो ख्याति का मूल्य बढ़ने लगता है।
3. **प्रबंध निपुणता** : एक सुप्रबंधित फर्म ऊँची उत्पादकता और लागत कुशलता के कारण अधिक लाभ अर्जित करती है, जिससे उसकी ख्याति के मूल्य में भी वृद्धि होती है।

4. **बाजार की स्थिति :** एकाधिकार की स्थिति या सीमित प्रतियोगिता, फर्म को अधिक लाभ अर्जित करने के योग्य बनाती है, इससे भी फर्म की ख्याति – (साख) के मूल्य में वृद्धि होती है।
5. **विशेष लाभ :** जिस फर्म को आयात लाइसेंस, बिजली की निम्न दर व निरंतर आपूर्ति का आश्वासन, माल आपूर्ति के दीर्घकालीन ठेके, सुप्रसिद्ध सहयोगी, स्वामीगत अधिकार, एकस्व, व्यापारिक चिह्न आदि के विशेष लाभ प्राप्त हो, उसकी ख्याति (साख) का मूल्य ऊँचा होगा।

1.6.3 मूल्यांकन की आवश्यकता

सामान्यतया, व्यवसाय के विक्रय के समय ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। किन्तु साझेदारी फर्म के संदर्भ में निम्न परिस्थितियों में भी यह आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है :

1. वर्तमान साझेदारों के लाभ–विभाजन अनुपात में परिवर्तन
2. नए साझेदार का प्रवेश।
3. साझेदार का अवकाश ग्रहण।
4. साझेदार की मृत्यु।
5. फर्म का विघटन। (जिसमें चालू व्यवसाय के रूप में फर्म की बिक्री सम्मिलित हो)
6. फर्मों का एकीकरण।

1.6.4 ख्याति (साख) मूल्यांकन की विधियाँ

ख्याति मूल्यांकन की निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ हैं :

1. औसत लाभ विधि : इस विधि में पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ को एक निश्चित वर्षों की स्वीकृत संख्या (agreed number of years' purchase) से गुणा करके साख का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रणाली में साख का मूल्यांकन गत वर्षों के औसत लाभ की निश्चित संख्या (years' purchase) से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में नया व्यवसाय कोई लाभ अर्जित नहीं कर सकेगा। अत: वह व्यक्ति जो चालू व्यवसाय खरीदता है, वह ख्याति के लिए उस राशि का भुगतान अवश्य करता है, जिसे वह लाभ के रूप में व्यवसाय के प्रारंभिक कुछ वर्षों में प्राप्त कर सकता है। अत: ख्याति को ज्ञात करने के लिए गत वर्षों के औसत लाभ को उन भावी वर्षों की संख्या से गुणा करना चाहिए, जिनमें भावी लाभ अर्जित होने की संभावना हो।

उदाहरण के लिए, यदि व्यवसाय के गत वर्षों का औसत लाभ 20,000 रु. है और यह आशा है कि इतना ही लाभ भविष्य में भी प्राप्त होगा, तो ख्याति का मूल्य 60,000 रु. (20,000 रु.× 3 वर्ष) होगा, यदि ख्याति का मूल्यांकन गत वर्षों के औसत लाभों के तीन वर्षों के क्रय (years' purchase) पर आधारित हो।

उदाहरण 12

गत पाँच वर्षों में एक फर्म वेफ लाभ इस प्रकार हैं :

1999	4,00,000 रु.
2000	3,98,000 रु.
2001	4,50,000 रु.
2002	4,45,000 रु.
2003	5,00,000 रु.

पाँच वर्षों के औसत लाभों के चार वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए?

हल

वर्ष	लाभ (रु.)
1999	4,00,000
2000	3,98,000
2001	4,50,000
2002	4,45,000
2003	5,00,000
योग	**21,93,000**

$$\text{औसत लाभ} = \frac{\text{गत पाँच वर्षों का कुल लाभ}}{\text{वर्षों की कुल संख्या}}$$

$$= \frac{21,93,000 \text{ रु.}}{5} = 4,38,600 \text{ रु.}$$

ख्याति = औसत लाभ × क्रय वर्षों की कुल संख्या

ख्याति = 4,38,600 रु. × 4 = Rs. 17,54,400 रु.

उदाहरण 13

गत 5 वर्षों के औसत लाभों की चार वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं :

वर्ष		रु.
1999	-	40,000
2000	-	50,000
2001	-	60,000
2002	-	50,000
2003	-	60,000

हल

औसत लाभ :

वर्ष	(लाभ रु.)
1999	40,000
2000	50,000
2001	60,000
2002	50,000
2003	60,000
कुल योग :	**2,60,000**

औसत लाभ $= \frac{260{,}000 \text{ रु.}}{5}$

$=$ **52,000 रु.**

ख्याति $= 52{,}000 \text{ रु.} \times 4$

$=$ **2,08,000 रु.**

उदाहरण 14

एक फर्म के गत तीन वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं :

वर्षान्त 31 मार्च	लाभ
2000	4,00,000 रु. (50,000 रु. का असामान्य लाभ सम्मिलित)
2001	5,00,000 रु. (1,00,000 रु. की असामान्य हानि घटाने के पश्चात)
2002	4,50,000 रु. (50,000 रु. का प्लांट और मशीनरी पर बीमे की देय राशि सम्मिलित नहीं है)

फर्म के गत् तीन वर्षों के लाभ का दो वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए।

हल

औसत लाभ की गणना

वर्ष	*लाभ (रु.)*
2000 (4,00,000 रु. – 50,000 रु.)	3,50,000
2001 (5,00,000 रु. + 1,00,000 रु.)	6,00,000
2002 (4,50,000 रु. – 50,000 रु.)	4,00,000
योग	**13,50,000**

औसत लाभ	= 13,50,000 रु. ÷ 3	=	4,50,000 रु.
ख्याति (दो वर्षों के औसत क्रय पर)	= 4,50,000 रु. × 2	=	9.00,000 रु

ख्याति की उपर्युक्त गणना इस तथ्य पर आधारित है कि भविष्य में स्थिति परिवर्तन नहीं होगा।

2. *मूल्यांकित औसत लाभ विधि :* इस विधि में प्रत्येक वर्ष के लाभ को संबंधित भारांकों (जैसे 1, 2, 3, 4.... आदि) से गुणा करके (लाभ) गुणनफल ज्ञात किया जाता है तथा भारित औसत लाभ का निर्धारण करने के लिए (लाभ) गुणनफलों के योग को ख्याति का मूल्य निर्धारित करने के लिए भारित औसत लाभ को स्वीकृत संख्या से गुणा किया जाता है।

$$\text{मूल्यांकित औसत लाभ} = \frac{\text{(लाभ) गुणनफलों का कुल योग}}{\text{मूल्यों का कुल योग}}$$

ख्याति = मूल्यांकित औसत लाभ × स्वीकृत संख्या (years' purchase)

ख्याति मूल्यांकन की भारित औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि से अच्छी है क्योंकि इस विधि में व्यवसाय के उन नवीनतम लाभ को अधिक महत्त्व दिया जाता है। जिनके अनुरक्षण की भविष्य में संभावना बनी रहती है।

उदाहरण 15

एक फर्म के गत मार्च 31 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं।

वर्ष		लाभ
1999	-	20,000 रु.
2000	-	24,000 रु.
2001	-	30,000 रु.
2002	-	25,000 रु.
2003	-	18,000 रु.

ख्याति के मूल्य का निर्धारण मूल्यांकित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए। वर्ष 1999, 2000, 2001, 2002 और 2003 को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 भार प्रदान कीजिए।

हल

वर्ष	*लाभ (रु.)*	*अंक*	*गुणांक (रु.)*
1999	20,000	1	20,000
2000	24,000	2	48,000
2001	30,000	3	90,000
2002	25,000	4	1,00,000
2003	18,000	5	90,000
योग		**15**	**3,48,000**

मूल्यांकित औसत लाभ $= \dfrac{3,48,000 \text{ रु.}}{15} = 23,200$ रु.

ख्याति $= 23,200 \times 3 = 69,600$ रु.

उदाहरण 16

एक फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना गत चार वर्षों के मूल्यांकित औसत लाभों के तीन वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए। गत चार वर्षों का लाभ इस प्रकार है।

वर्ष	लाभ	अंक
2000	20,200 रु.	1
2001	24,800 रु.	2
2002	20,000 रु.	3
2003	30,000 रु.	4

अतिरिक्त सूचना :

(अ) 1 सितंबर, 2002 को प्लांट की मरमम्त पर 6,000 रु. के खर्च राशि को आगम पर प्रभारित किया गया। उक्त राशि का घटते हुए शेष विधि से 10% प्रतिवर्ष ह्रास का समायोजन करते हुए ख्याति की गणना हेतु पूँजीकृत किया जाना है।

(ब) वर्ष 2001 के लिए अंतिम रहतिये को 2,400 रु. से अति मूल्यांकित किया गया।

(स) ख्याति मूल्यांकन के लिए 4,800 रु की प्रबंधकीय लागत के वार्षिक प्रभार को भी सम्मिलित करना है।

हल

(1) समायोजित लाभ की गणना

वर्ष	2000 (रु.)	2001 (रु.)	2002 (रु.)	2003 (रु.)
लाभ	20,200	24,800	20,000	30,000
घटाया प्रबंधकीय लागत	4,800	4,800	4,800	4,800
योग	**15,400**	**20,000**	**15,200**	**25,200**
जमा पूँजीगत व्यय	-	-	6,000	-
योग	**15,400**	**20,000**	**21,200**	**25,200**
घटाया ह्रास	-	-	200[1]	580[2]
	15,400	**20,000**	**21,200**	**24,620**
घटाया अति मूल्यांकित अंतिम रहतिया	–	2,400	–	–
योग	**15,400**	**17,600**	**21,000**	**24,620**
जमा प्रारंभिक रहतिया का अति मूल्यांकित			2,400	
समायोजित लाभ	**15,400**	**17,600**	**23,400**	**24,620**

(II) मूल्यांकित औसत लाभ की गणना

वर्ष	लाभ	अंक	गुणांक (रु.)
2000	15,400	1	15,400
2001	17,600	2	35,200
2002	23,400	3	70,200
2003	24,620	4	98,480
		10	**2,19,280**

मूल्यांकित औसत लाभ $= \frac{2,19,280 \text{ रु.}}{10} = 21,928 \text{ रु.}$

ख्याति $= 21,928 \text{ रु.} \times 3 = 65,784 \text{ रु.}$

हल के सदंर्भ मे टिप्पणी

(i) वर्ष 2002 के लिए ह्रास = 6,000 रु. पर 4 माह के लिए 10% प्र.व. की दर से रु. $6,000 \times \frac{10}{100} \times \frac{4}{12} = 200$ रु.

(ii) वर्ष 2003 के लिए ह्रास = 5,800 रु. (अर्थात् 6,000 रु. 200 रु.) पर 10% प्र.व. की दर से ह्रास $= 5,800 \text{ रु.} \times \frac{10}{100} = 580 \text{ रु.}$

(iii) वर्ष 2001 का अंतिम रहतिया वर्ष 2002 का प्रारंभिक रहतिया होगा।

3. *अधिलाभ विधि :* ख्याति मूल्यांकन की औसत लाभ विधि में आधारभूत मान्यता यह है कि जब नया व्यवसाय स्थापित किया जाता है तो यह अपने संचालन के प्रथम प्रारंभिक कुछ वर्षों में कोई लाभ अर्जित नहीं कर पाता। अत: उस व्यक्ति को जो चालू व्यवसाय खरीदता है, ख्याति के रूप में व्यवसाय के प्रथम कुछ वर्षों में प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर राशि का भुगतान करना होता है।

यह भी विवादपूर्ण है कि क्रेता का वास्तविक लाभ उसके कुल लाभ में निहित नहीं है, यह लाभ की उस मात्रा तक सीमित है जो समान व्यवसाय में विनियोजित पूँजी पर व्यवसाय में विनियोजित पूँजी पर सामान्य प्रतिफल से अधिक है। अत: ख्याति का मूल्यांकन वास्तविक लाभ के आधार पर नहीं बल्कि अधिलाभ के आधार पर करना वांछनीय है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य अधिलाभ कहलाता है। सामान्य लाभ इस प्रकार निश्चित किया जा सकता है :

$$\text{सामान्य लाभ} = \text{विनियोजित पूँजी} \times \frac{\text{प्रतिफल की सामान्य दर}}{100}$$

मान लीजिए एक चालू फर्म 1,50,000 रु. की पूँजी पर 18,000 रु. का लाभ अर्जित करती है और प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। सामान्य लाभ 15,000 रु. (1,50,000 × 10/100) निकाला जाएगा। इस स्थिति में अधिक लाभ 3,000 रु. (18,000 रु – 15,000 रु.) होगा।

अधिलाभ विधि में ख्याति का मूल्य अधिलाभ को कुछ वर्षों के क्रय से गुणा करके निश्चित किया जा सकता है। यदि उपरोक्त उदाहरण में यह आशा की जाए कि अधिलाभों का फायदा भविष्य में 5 वर्षों तक मिलेगा, तो ख्याति का मूल्य 15,000 रु. (3,000 × 5) होगा। अतः इस विधि में निम्न चरण सम्मिलित हैं।

1. औसत लाभ की गणना कीजिए।
2. विनियोजित पूँजी पर प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर सामान्य लाभ की गणना कीजिए।
3. औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाकर अधिलाभ की गणना कीजिए।
4. अधिलाभ को दिए गए वर्षों की क्रय से गुणा करके ख्याति की गणना कीजिए।

उदाहरण 17

व्यवसाय की लेखा पुस्तकों के अनुसार 31 दिसंबर, 2001 को 5,00,000 रु. की पूँजी विनियोजित थी और पिछले पाँच वर्षों के लाभ इस प्रकार थे।

1997	40,000 रु.
1998	50,000 रु.
1999	55,000 रु.
2000	70,000 रु.
2001	85,000 रु.

आपको व्यवसाय के अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। प्रतिफल की सामान्य दर 10% है।

हल

सामान्य लाभ : $= \dfrac{\text{पूँजी विनियोजित} \times \text{सामान्य दर}}{100}$

$= \dfrac{5,00,000 \text{ रु.} \times 10}{100} = 50,000 \text{ रु.}$

औसत लाभ :

वर्ष	*लाभ*
1997	40,000 रु.
1998	50,000 रु.
1999	55,000 रु.
2000	70,000 रु.
2001	85,000 रु.
कुल लाभ	**3,00,000 रु.**

औसत लाभ $= \dfrac{3,00,000}{5}$

अधिलाभ (रु.) = 60,000 रु. – 50,000 रु. = 10,000 रु.

ख्याति = अधिलाभ × वर्षों में क्रय

= 10,000 रु. × 3 = 30,000 रु.

उदाहरण 18

31 मार्च, 2003 को विनियोजित पूँजी 20,00,000 रु. थी और गत पाँच वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं :

वर्ष	*लाभ*
1999	2,60,000 रु.
2000	2,80,000 रु.
2001	2,70,000 रु.
2002	2,50,000 रु.
2003	2,00,000 रु.

अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। प्रतिफल की सामान्य दर 10% है।

हल

$$\text{सामान्य लाभ} = \frac{\text{विनियोजित पूँजी} \times \text{प्रतिफल की सामान्य दर}}{100}$$

$$= 20,00,000 \text{ रु.} \times = \frac{10}{100} = 2,00,000 \text{ रु.}$$

$$\text{औसत लाभ (रु.)} = \frac{2,60,000 + 2,80,000 + 2,70,000 + 2,50,000 + 2,10,000}{5} = \frac{12,70,000}{5}$$

= 2,54,000 रु.

अधिलाभ = औसत लाभ – सामान्य लाभ

= 2,54,000 रु. – 2,00,000 रु.

= 34,000 रु. – 54,000 रु.

ख्याति = अधिलाभ × कुल क्रय वर्ष

= 54,000 रु. × 3

= 1,62,000 रु.

उदाहरण 19

'अ' और 'ब' फर्म की पूँजी 1,00,000 रु. और ब्याज दर 15% है। प्रत्येक साझेदारों का वार्षिक वेतन 6,000 रु.। गत तीन वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। क्रमशः 30,000 रु., 36,000रु. और 42,000 रु. है। ख्याति की गणना गत तीन वर्षों के औसत अधिलाभों पर दो वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए।

हल

पूँजी पर ब्याज (i)

जमा साझेदारों का वेतन = 12,000 रु. (ii)

∴ सामान्य लाभ = 27,000 रु. (iii)

औसत लाभ (रु.)

= 36,000 रु.

अधिलाभ

= 9,000 रु.

ख्याति

= 18,000 रु.

4. *पूँजीकरण विधि :* इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन दो प्रकार से किया जाता है – (अ) औसत लाभ के पूँजीकृत मूल्य या (ब) अधिलाभ के पूँजीकृत मूल्य के आधार पर

(अ) औसत लाभों का पूँजीकरण : इस विधि में ख्याति का मूल्य प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के पूँजीकृत मूल्य में से व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूँजी (शुद्ध परिसंपत्ति) को घटा करके निश्चित किया जाता है। इसमें निम्न चरण सम्मिलित हैं :

(i) पिछले कुछ वर्षों के कार्य संपादन के आधार पर औसत लाभ निश्चित कीजिए।

(ii) प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ का पूँजीगत मूल्य निम्न विधि से ज्ञात कीजिए।

$$\textbf{औसत लाभ} \times \frac{\textbf{100}}{\textbf{प्रतिफल की सामान्य दर}}$$

इससे व्यवसाय का कुल मूल्य प्राप्त होगा।

(iii) कुल परिसंपत्तियों (जिसमें ख्याति सम्मिलित नहीं है।) में से बाह्य देयता घटाकर व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूँजी (शुद्ध परिसंपत्तियाँ) ज्ञात कीजिए।

विनियोजित पूँजी = कुल परिसंपत्तियाँ (ख्याति शामिल नहीं) – बाह्य देयताएँ

(iv) व्यवसाय के कुछ मूल्य में से शुद्ध परिसंपत्तियाँ घटाकर ख्याति के कुल मूल्य की गणना कीजिए अर्थात (ii) - (iii)

उदाहरण 20

एक व्यवसाय में पिछले कुछ वर्षों में 1,00,000 रु. का औसत लाभ अर्जित किया और इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। यदि व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियाँ 8,20,000 रु. हो तो पूँजीकरण विधि द्वारा ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए।

हल

औसत लाभों का पूँजीकृत मूल्य	=	$1,00,000 \times \frac{100}{10} = 10,00,000$ रु.
ख्याति	=	पूँजीकृत मूल्य – शुद्ध परिसंपत्तियाँ
	=	10,00,000 रु. – 8,20,000 रु.
	=	1,80,000 रु.

(ब) अधिलाभों का पूँजीकरण :

इस पद्धति के अंतर्गत निम्न चरण आते हैं :

- फर्म की विनियोजित पूँजी ज्ञात करें जिसे कुल परिसंपत्तियों में से बाह्य देयताओं को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- निम्न सूत्र के द्वारा विनियोजित पूँजी पर लाभ की राशि को ज्ञात करें :

$$\textbf{लाभ} = \frac{\textbf{विनियोजित पूँजी} \times \textbf{आवश्यक प्रत्याय दर}}{\textbf{100}}$$

- गत वर्षों का औसत लाभ ज्ञात करें अर्थात 3 से 5 वर्ष।
- औसत लाभ में से आवश्यक लाभ की राशि को घटाकर अधिलाभ की राशि ज्ञात करें।
- प्रतिफल की सामान्य दर गुणांक को अधिलाभ की राशि से गुणा करें, अर्थात

$$\textbf{ख्याति} = \frac{\textbf{अधिलाभ} \times \textbf{100}}{\textbf{सामान्य प्रत्याय दर}}$$

दूसरे शब्दों में, ख्याति को अधिलाभ पर पूँजीकृत किया जाता है।

उदाहरण 21

(i) एक फर्म की ख्याति का अनुमान गत 5 वर्षों में से तीन वर्षों के औसत लाभ के आधार पर लगाया जाता है।

वर्ष	*(हानि)*
1998	10,000 रु.
1999	15,000 रु.
2000	4,000 रु.
2001	5,000 रु.
2002	6,000 रु.

(ii) यदि फर्म की कुल विनियोजित पूँजी 1,00,000 रु. है और प्रतिफल की सामान्य दर 8% है, गत 5 वर्षों का औसत लाभ 15,000 रु. है और ख्याति का अनुमान तीन वर्षों के अधिलाभ पर लगाया जाता है तो ख्याति का मूल्यांकन कीजिए

(iii) रामा ब्रदर्स का शुद्ध लाभ 30,000 रु. है और पूँजी 2,00,000 रु. है। प्रतिफल की सामान्य दर 10% है, अधिलाभ की पूँजीकरण विधि का प्रयोग करते हुए ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए।

हल

(i) कुल लाभ = 10,000 रु. + 15,000 रु. + 4,000 रु. + 6,000 रु. – 5,000 रु.
= 30,000 रु.
औसत लाभ = 30,000 रु. / 5 = 6,000 रु.
ख्याति = औसत लाभ × 3 = 6,000 रु. × 3
= 18,000 रु.

(ii) औसत लाभ = 12,000 रु.
साझेदारों का वेतन = 3,000 रु.
औसत वास्तविक लाभ = 12,000 रु. – 3,000 रु. = 9,000 रु.
सामान्य लाभ = 1,00,000 रु. × 8/100 = 8,000 रु.
अधिलाभ = औसत लाभ – सामान्य लाभ
= 9,000 रु. – 8,000 रु. = 1,000 रु.
ख्याति = अधिलाभ × 3 = 1,000 रु. × 3
= 3,000 रु.

(iii) सामान्य लाभ = 2,00,000 रु. × 10/100 = 20,000 रु.
अधिलाभ = औसत लाभ – सामान्य लाभ

$$\text{ख्याति} = \text{अधिलाभ} \times 100 / \text{सामान्य प्रत्याय दर} = \frac{10{,}000 \text{ रु.} \times 100}{10} = 1{,}00{,}000 \text{ रु.}$$

5. *अधिलाभों का वर्तमान मूल्य :* इस विधि में आगामी अधिलाभों के वर्तमान मूल्य के आधार पर ख्याति का अनुमान लगाया जाता है। इसमें निम्न चरण सम्मिलित हैं —

- व्यवसायिक सामर्थता के अनुसार आगामी 5-7 वर्षों के अधिलाभों को ज्ञात करना;
- प्रतिफल की सामान्य दर का चयन;
- वर्तमान मूल्य घटकों को ज्ञात करना;
- आगामी अधिलाभों को वर्तमान मूल्य घटकों के साथ गुणा करना;
- वर्तमान मूल्य घटकों के गुणनफल और अधिलाभ का जोड़ ख्याति का मूल्य होता है।

उदाहरण 22

आगामी 5 वर्षों के लिए एक फर्म के पूर्वानुमानित लाभ निम्न हैं:

वर्ष	I	II	III	IV	V
लाभ (रु.)	1,00,000	1,20,000	90,000	1,00,000	1,50,000

फर्म की कुल परिसंपत्तियाँ 10,00,000 रु. हैं, बाह्य देयताएँ 2,00,000 रु. है। वर्तमान मूल्य घटक 10% है:

वर्ष	I	II	III	IV	V
(वर्तमान मूल्य घटक)	.9091	.8264	.7513	.6830	.6209

ख्याति के मूल्य को ज्ञात कीजिए।

हल

वर्ष	*I* (रु.)	*II* (रु.)	*III* (रु.)	*IV* (रु.)	*V* (रु.)
लाभ	1,00,000	1,20,000	90,000	1,00,000	1,50,000
सामान्य लाभ	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
अधिलाभ	20,000	40,000	10,000	20,000	70,000
वर्तमान मूल्य घटक	.9091	.8264	.7513	.6830	.6209
अधिलाभों का वर्तमान्य मूल्य	18,182	83,058	7,513	13,660	43,463

ख्याति का मूल्य (रु.) = 18,182 + 83,058 + 7,513 + 13,660 + 43,463 = 1,15,874 रु.

1.7 लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन

कभी-कभी फर्म के साझेदार अपना वर्तमान लाभ-विभाजन अनुपात बदलने को सहमत हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप कुछ साझेदारों को भविष्य में लाभ होगा और कुछ को हानि। इस स्थिति में उस साझेदार को जिसे लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन से लाभ हुआ है, दूसरे साझेदार की क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिसने त्याग किया है। इसके प्रभावस्वरूप एक साझेदार दूसरे साझेदार के लाभ अंश/हिस्से को खरीदता है। इस प्रकार एक साझेदार का दूसरे साझेदार से लाभ के हिस्से को खरीदने की बात बन जाती है। उदाहरण के लिए, 'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। उन्होंने अब लाभ को समान अनुपात में बाँटने का फैसला किया। इस स्थिति में अ को लाभ के हिस्से में 1/10 की हानि (3/5 – 1/2) और ब के हिस्से में 1/10 का लाभ (1/2 – 2/5) होगा। अत: ब को भावी लाभ के हिस्से में इस हानि के लिए अ की क्षतिपूर्ति अवश्य करनी होगी।

क्षतिपूर्ति की राशि ख्याति के अनुपातिक मूल्य के बराबर होगी। मान लीजिए ख्याति का कुल मूल्य 50,000 रु. निश्चित हुआ, तब ब को 5,000 रु. (50,000 रु. का 1/10) अ को अवश्य देने होंगे। विकल्पस्वरूप ब के पूँजी खाते में 5,000 रु. नाम पक्ष की ओर तथा अ को पूँजी खाते में 5,000 रु. जमा पक्ष की ओर लिखे जाएँगे। रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

ब का पूँजी खाता	नाम	5,000	
अ का पूँजी खाता			5,000

वैकल्पिक रूप में यदि ख्याति की राशि का भुगतान एक साझेदार दूसरे को व्यक्तिगत रूप से करता है तो लेखा पुस्तकों में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है।

लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन ख्याति के मूल्य की क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त साझेदारों के पूँजी खातों में संचय तथा परिसंपत्ति व दायित्वयों के पूनर्मूल्यांकन आदि से संबंधित समायोजन आवश्यक होते हैं। यह समायोजन उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि साझेदारों के प्रवेश तथा अवकाश ग्रहण के समय किए जाते हैं। इन सभी पहलुओं की चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है।

1.8 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी

साझेदारी फर्म के सभी सदस्यों के जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। एक फर्म साझेदार के अवकाश ग्रहण के अवसर पर अथवा मृत्त साझेदार के उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए तथा फर्म की तरलता बनाए रखने के लिए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेती है। पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान साझेदार व्यक्तिगत रूप में अथवा स्वयं फर्म के द्वारा कर सकते हैं। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी किसी साझेदार की मृत्यु पर अथवा समयावधि की समाप्ति पर परिपक्व होती है। पॉलिसी के परिपक्वता से आशय बीमा कंपनी से बीमित राशि का भुगतान प्राप्त करने से होता है।

1.8.1 लेखांकन व्यवहार

पॉलिसी पर प्रीमियम साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप में अथवा फर्म के द्वारा दिया जा सकता है। जब प्रीमियम का भुगतान व्यक्तिगत रूप में किया जाता है तो फर्म की पुस्तकों में कोई लेखांकन प्रविष्टि नहीं दी जाती है। लेकिन जब प्रीमियम का भुगतान फर्म की धनराशि में से किया जाता है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित लेनदेन को फर्म की पुस्तकों में दर्शाया जाता है। फर्म की पुस्तकों में संयुक्त जीवन बीमा का लेखांकन व्यवहार इस पर निर्भर करेगा कि उसे आयगत व्यय अथवा पूँजीगत व्यय माना गया है।

जब भुगतान किए गए प्रीमियम को फर्म आयगत व्यय मानती है तो फर्म की पुस्तकों में ''संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता'' खोला जाता है। भुगतान किए गए वार्षिक प्रीमियम को इस खाते में नाम और रोकड़ खाते में जमा किया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर भुगतान किए गए प्रीमियम को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रीमियम के भुगतान और उसके लाभ व हानि खाते में अपलिखित करने की प्रविष्टियाँ दी जाती है। पॉलिसी की परिपक्वता पर परिपक्व राशि जो निवृत/मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के पूँजी खाते में जमा किया जाता है। जब प्रीमियम के भुगतान को पूँजीगत व्यय माना जाता है तो फर्म की पुस्तकों में ''संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी'' खाता खोला जाता है, जो एक परिसंपत्ति खाता है। प्रीमियम की राशि को इस खाते में नाम और बैंक खाते में जमा किया जाता है। वर्ष के अंत में, भुगतान किए गए प्रीमियम और अभ्यर्पण मूल्य के बीच के अंतर की राशि को नाम करके ''संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते'' के शेष को कम करके अभ्यर्पण मूल्य पर लाया जाता है। अभ्यर्पण मूल्य वह धनराशि है, जो पॉलिसी धारकों को परिपक्वता तिथि से पूर्व पॉलिसी समर्पण करने पर प्राप्त होती है। पॉलिसी की परिपक्वता पर, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को बीमा कंपनी से प्राप्त राशि के बराबर धनराशि नाम किया जाता है। तत्पश्चात, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते के शेष को सभी साझेदारों के पूँजी खातों में उनके लाभ-विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

इस संदर्भ में व्याख्या ''साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु'' नामक अध्याय में की गई है।

अध्याय में प्रयुक्त शब्द

- साझेदार
- साझेदारी विलेख
- साझेदार का चालू खाता
- ख्याति
- अधिलाभ मूल्य
- साझेदारी फर्म
- स्थायी एवं परिवर्तनीय पूँजी खाता
- लाभ-हानि समायोजन खाता
- औसत लाभ
- अधिलाभ का वर्तमान मूल्य

अधिगम उद्देश्य के संदर्भ में सारांश

1. साझेदारी की परिभाषा और अनिवार्य विशेषताएँ

साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है, जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बाँटने के लिए सहमत होते हैं जिनका संचालन उन सबके द्वारा या उन सब की ओर से उनमें से किसी के द्वारा किया जाता है।

(1) साझेदारी गठन के लिए कम से कम दो व्यक्ति अवश्य होने चाहिए।

(2) इसका गठन समझौते द्वारा होता है।

(3) समझौता किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए।

(4) समझौता किसी व्यवसाय के लाभ को बाँटने के लिए किया जाना चाहिए।

(5) यह साझेदारों के बीच पारस्परिक प्रतिनिधित्व संबंध पर आधारित है।

2. साझेदारी विलेख का अर्थ व विषय वस्तु

वह प्रलेख, जिसमें साझेदारों के बीच तय की गई साझेदारी की शर्तें हों, "साझेदारी विलेख" कहलाता है। सामान्यतया इसमें साझेदारों के सभी पारस्परिक अधिकार व दायित्व, लेखा पुस्तकों व अन्य प्रलेखों को सुरक्षित रखने के नियम, लेखा परीक्षक की नियुक्ति की विधि (यदि आवश्यक हो) होती है तथा साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु व फर्म के विघटन की स्थिति में अपनाए जाने वाले नियम इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

3. लेखांकन पर लागू होने वाले साझेदारी अधिनियम के प्रावधान

साझेदारी विलेख में साझेदारों के सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व सम्मिलित होते हैं। यदि कुछ पहलू सम्मिलित नहीं हैं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रासंगिक प्रावधान लागू हो जाते हैं। साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदार लाभ-हानि समान अनुपात में बाँटेंगे, किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, पूँजी और आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसे उस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा।

4. स्थिर व अस्थिर पूँजी विधियों के अंतर्गत पूँजी खाता तैयार करना

फर्म की लेखा पुस्तकों में साझेदारों के सभी लेनदेन उनके अपने पूँजी खातों में लिखे रहते हैं। साझेदारों के पूँजी खाते, अस्थायी पूँजी विधि या स्थायी पूँजी विधि के अनुसार रखे जा सकते हैं। अस्थायी पूँजी विधि में साझेदारों के सभी लेनदेन उनके पूँजी खातों में ही लिखे जाते हैं, जबकि स्थायी पूँजी विधि में पूँजी की राशि स्थिर रहती है, पूँजी पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ-हानि का हिस्सा जैसे लेनदेन का लेखा उनके पूँजी खातों में नहीं किया जाता अपितु इनका लेखा एक पृथक खाते में किया जाता है, जिसे साझेदारों का चालू खाता कहते हैं।

5. साझेदारों में लाभ-हानि का विभाजन

साझेदारों के बीच लाभ का वितरण लाभ-हानि विनियोजन खाते द्वारा दिखाया जाता है, जो लाभ-हानि खाते का विस्तार मात्र है। सामान्यत: पूँजी पर ब्याज व साझेदारों का देय वेतन/कमीशन इसमें नाम पक्ष की ओर लिखे जाते हैं। जो शेष बचता है वह लाभ या हानि है जिसे साझेदारों के बीच बाँटकर उनसे संबंधित पूँजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

6. साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी

कभी-कभी साझेदार को उसके लाभ के हिस्से के लिए न्यूनतम राशि की गारंटी दे सकते हैं। यदि किसी वर्ष में उनके लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार लाभ का हिस्सा गारंटी की राशि से कम हो, तो गारंटी देने वाले साझेदार तय किए अनुपात में क्षतिपूर्ति करते हैं। यह अनुपात सामान्यत: लाभ-विभाजन अनुपात होता है। यदि यह गारंटी उनमें से किसी साझेदार द्वारा दी गई तो वह/वे अकेला/अकेले ही क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे।

7. पूर्व समायोजन

यदि अंतिम खाते तैयार हो जाने के बाद पूँजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार के वेतन, कमीशन आदि के संबंध में कोई अशुद्धि या भूल हो जाती है तो लाभ और हानि समायोजन खाते के द्वारा साझेदार के पूँजी खाते में आवश्यक समायोजन सुधार किए जा सकते हैं।

8. ख्याति का अर्थ व मूल्यांकन की विधियाँ

विभिन्न घटकों के प्रभाव से कुछ समय पश्चात एक फर्म नाम और विस्तृत व्यवसायिक संबंधों का लाभ प्राप्त करने लगती है, जिसके फलस्वरूप वह नए स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करने की स्थिति में होती है। लाभ का यह मूल्य ख्याति कहलाता है। एक फर्म के संबंध में ख्याति को मूल्यांकन की आवश्यकता तब होती है जब फर्म के गठन में परिवर्तन हो; जैसे – साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण इत्यादि। ख्याति के मूल्यांकन की तीन विधियाँ हैं अर्थात औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि तथा पूँजीकरण विधि।

9. लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन का लेखांकन पर प्रभाव

जब साझेदार अपना लाभ-विभाजन परिवर्तित करने का निर्णय लेते हैं तो कुछ साझेदारों को लाभ होता है व कुछ को हानि। अत: लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार त्याग करने वाले उस साझेदार को ख्याति की अनुपातिक राशि का भुगतान करता है या (अपने संबंधित पूँजी खातों में आवश्यक समायोजन द्वारा) क्षतिपूर्ति कर देता है।

प्रश्न और अभ्यास

(अ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. बताइए क्या निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सही या गलत है?
   (i) साझेदारी समझौता लिखित में होना अनिवार्य है।
   (ii) स्थिर पूँजी विधि में अतिरिक्त लगाई गई पूँजी साझेदार के पूँजी खाते में दिखाई जाएगी।
   (iii) साझेदार द्वारा फर्म को ऋण के रूप में दी गई रकम पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, चाहे व्यवसाय में हानि ही क्यों न हो।

(iv) आहरण पर ब्याज की गणना सदैव कुल आहरण राशि पर संपूर्ण वर्ष के लिए की जाती है।

(v) फर्म पर व्यवसाय केवल एक साझेदार द्वारा भी चलाया जा सकता है।

(vi) लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय लगभग वही समायोजन करने होते हैं, जो नए साझेदार के प्रवेश के समय होते हैं।

(vii) साझेदार के चालू खाते अस्थिर पूँजी विधि में बनाए जाते हैं।

(viii) जब तक फर्म का व्यवसाय चलता रहता है, साझेदार एक-दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं।

2. दिपेश और राधिका एक फर्म में साझेदार हैं। यदि साझेदारी समझौता निम्नलिखित विषयों पर मौन है तो बताइए क्या उनका दावा वैध है-

   (i) दिपेश एक सक्रिय साझेदार है तथा प्रतिवर्ष 10,000 रु. का वेतन चाहता है।

   (ii) राधिका ने फर्म को ऋण दिया है। उसने 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दावा किया है।

   (iii) दिपेश ने 20,000 रु. और राधिका ने 50,000 रु. की पूँजी लगाई है। दिपेश चाहता है कि लाभ समान अनुपात में विभाजित हो।

   (iv) राधिका चाहती है कि पूँजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज खाते में जमा किया जाए।

(ब) लघु उत्तरीय प्रश्न

1. साझेदारी विलेख की परिभाषा दीजिए।
2. पचास शब्दों में बताइए कि साझेदारी विलेख लिखित में अधिक उचित क्यों समझा जाता है।
3. उन मदों को सूचीबद्ध कीजिए, जो सामान्यत: साझेदारों के पूँजी खातों के नाम पक्ष की ओर लिखे जाते हैं।
4. एक साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों उत्पन्न होती है।
5. ख्याति वृद्धि के घटकों को सूचीबद्ध कीजिए।

(स) निबंधात्मक प्रश्न

1. साझेदारी क्या है? साझेदारी की मुख्य विशेषताएँ बताइए।
2. साझेदारी अधिनियम के उन मुख्य प्रावधानों का विवरण दीजिए जो साझेदारी खातों से संबंधित हैं।
3. अंतर बताइए :

   (अ) स्थिर व अस्थिर पूँजी विधियाँ

   (ब) औसत लाभ और अधिलाभ

4. दर्शाइए कि विभिन्न परिस्थितियों में आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है?

ख्याति की परिभाषा दीजिए। मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

अभ्यास

1. असीम व आकाश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल, 2000 को उनकी पूँजी क्रमशः 2,50,000 रु. और 1,50,000 रु. थी। वे समान अनुपात में लाभ बाँटते हैं। 1 जुलाई, 2000 को उन्होंने निश्चित किया कि उनकी प्रत्येक की पूँजी 2,00,000 रु. होनी चाहिए। पूँजी में आवश्यक समायोजन नकद राशि देकर या निकालकर किए जाते हैं। पूँजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है। 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दोनों साझेदारों की पूँजी पर ब्याज की गणना कीजिए।

2. विशाल व ज्ञान एक फर्म में साझेदार हैं। वे 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार आहरण 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। 2000 में उनकी आहरण राशि क्रमशः 24,000 रु. और 16,000 रु. है। इस मान्यता के आधार पर कि संपूर्ण वर्ष समान राशि निकाली गई, आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए।

3. हसन एक फर्म में साझेदार है। वर्ष 2001 में उसकी आहरण राशियाँ निम्नलिखित हैं।

1 फरवरी	4,000 रु.
1 मई	10,000 रु.
30 जून	4,000 रु.
31 अक्तूबर	12,000 रु.
31 दिसंबर	4,000 रु.

आहरण पर 7½ % प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा। वर्ष के लिए हसन की आहरण राशि पर ब्याज की गणना कीजिए।

4. मनोज और टॉमस एक फर्म में साझेदार हैं। वे समान अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। उन दोनों की आहरण राशि प्रतिमाह 2,000 रु. है। आहरण पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। वर्ष 1993 के लिए मनोज की आहरण राशि पर ब्याज की गणना कीजिए। यदि आहरण राशि -

   (i) प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाली गई हो;

   (ii) प्रत्येक माह के बीच में निकाली गई हो;

   (iii) प्रत्येक माह के अंत में निकाली गई हो;

5. 31 मार्च, 2003 को पुस्तकें बंद करने के पश्चात राम, श्याम और मोहन के पूँजी खाते का शेष क्रमशः 24,000 रु., 18,000 रु. और 12,000 रु. था। परंतु, यह ज्ञात हुआ कि 5 प्रतिशत की दर

से पूँजी पर ब्याज नहीं लगाया गया है। वर्षान्त 31 मार्च, 2003 को लाभ 36,000 रु. था तथा साझेदारों की आहरण की राशि इस प्रकार थी :

राम	3,600 रु.
श्याम	4,500 रु.
मोहन	2,700 रु.

राम, श्याम और मोहन का लाभ-विभाजन अनुपात 3:2:1 है। पूँजी पर ब्याज की गणना कीजिए।

6. लोकेश और अहमद साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। उनकी पूँजी क्रमशः 50,000 रु. और 30,000 रु. है। पूँजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष की दर से लगाया जाता है। अहमद का वार्षिक वेतन 2,500 प्रतिवर्ष है। 2002 वर्ष के दौरान, पूँजी पर ब्याज की गणना से पूर्व अहमद के वेतन के पश्चात लाभ की राशि 12,500 रु. है। मैनेजर कमीशन के संदर्भ में, लाभ में से 5 % प्रावधान बनाना है। लाभ विभाजन खाता एवं साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

7. सिमि और सोनू एक फर्म में साझेदार हैं और 3:1 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का लाभ-हानि खाता 1,50,000 रु. का शुद्ध लाभ दर्शाता है। निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ-हानि विनियोजन खाता एवं साझेदारों के चालू खाते तैयार कीजिए।

   (i) 1 अप्रैल, 1999 को साझेदारों की पूँजी :
   सिमि- 30,000 रु. सोनू 60,000 रु.

   (ii) 1 अप्रैल, 1990 को चालू खातों का शेष :
   सिमि- 30,000 रु. (जमा): सोनू - 15,000 रु. (जमा)

   (iii) वर्ष के दौरान साझेदारों की कुल आहरण राशि :
   सिमि - 20,000 रु. : सोनू- 15,000 रु.

   (iv) पूँजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

   (v) आहरण राशि पर छः महीने की औसत पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

   (vi) साझेदारों के वेतन सिमि - 12,000 रु. और सोनू - 9,000 रु.।

8. रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं और व्यवसाय की प्रारंभिक पूँजी के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं, जो क्रमशः 80,000 रु. और 60,000 रु. है। फर्म ने 1 अप्रैल, 2000 को व्यवसाय शुरू किया। साझेदारी समझौते के अनुसार पूँजी और आहरण पर ब्याज क्रमशः 12% तथा 10% प्रतिवर्ष है। रमेश व सुरेश को 2,000 रु. और 3,000 रु. मासिक वेतन मिलेगा। 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ, उपरोक्त विनियोजन से पूर्व 1,00,300 रु. था। रमेश और सुरेश की आहरण राशियाँ क्रमशः 40,000 रु. और 50,000 रु. थीं। रमेश के आहरण पर ब्याज की राशि 2,000 रु. और सुरेश की 2,500 रु. है।

साझेदारों के पूँजी खातों को परिवर्तनीय मनाते हुए लाभ-हानि विनियोजन खाता और साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

9. शर्मा और वर्मा एक फर्म में साझेदार थे। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार :

(i) शर्मा और वर्मा 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करेंगे।

(ii) पूँजी पर 5% ब्याज मिलेगा।

(iii) वर्मा को 600 रु. मासिक वेतन मिलेगा।

31 दिसंबर, 1993 को फर्म की लेखा पुस्तकों से निम्न शेष लिए गए।

शर्मा		वर्मा
पूँजी खाता	40,000	40,000
चालू खाता	7,200 (जमा)	2,800
आहरण	10,850	8,150

पूँजी पर ब्याज और साझेदारों को वेतन देने से पूर्व वर्ष का शुद्ध लाभ 9,500 रु. था। यह देखा गया कि वर्मा अपना वेतन नियमित रूप से ले रहा था, परंतु यह आहरण खाते में दर्ज नहीं किया गया और न ही लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष की ओर लिखा गया।

लाभ-हानि विनियोजन खाता और साझेदारों के चालू खाते तैयार कीजिए।

10. मनीष और गणेश के साझेदारी समझौते के अनुसार :

(i) लाभ-हानि का समान अनुपात में विभाजन होगा।

(ii) मनीष को प्रतिमाह 400 रु. का वेतन मिलेगा।

(iii) गणेश को जो विक्रय विभाग का प्रबंध करता है, कमीशन दिया जाएगा जो मनीष का वेतन देने के बाद शुदध लाभ के बराबर 10% है।

(iv) साझेदारों की स्थिर पूँजी पर 7% ब्याज दिया जाएगा।

(v) साझेदारों की वार्षिक आहरण राशि पर ब्याज लिया जाएगा। मनीष और गणेश की स्थिर पूँजी क्रमशः 1,00,000 रु. और 80,000 रु. थी। उनकी वार्षिक आहरण राशि क्रमशः 16,000 रु. और 14,000 रु. थी। मनीष ने अपना वेतन नहीं लिया है। 31 मार्च, 2001 को संमाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ 40,000 रु. आया। फर्म का लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।

11. राम, रहीम और जॉर्ज साझेदार हैं और 5:3:2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष उसके लाभ के हिस्से के रूप में 10,000 रु. की न्यूनतम राशि मिलेगी। वर्ष 2001 का शुद्ध लाभ 40,000 रु. आया। लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।

12. अमन, बनीता और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ-विभाजन अनुपात 2:2:1 है। लेकिन सुरेश को प्रतिवर्ष उसके लाभ के हिस्से के रूप में 10,000 रु. की न्यूनतम राशि की गारंटी दी

गई है। इसमें कमी होने पर क्षतिपूर्ति बनीता द्वारा की जाएगी। 31 दिसंबर, 2000 और 2001 को समाप्त दो वर्षों के लाभ क्रमशः 40,000 रु. और 60,000 रु. थे।

दो वर्षों का लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।

13. 31 दिसंबर को खान, पंडित और केमी के पूँजी खाते के शेष लाभ और आहरण आदि के लिए समायोजन करने के बाद क्रमशः खान 80,000 रु., पंडित 60,000 रु. और केमी 40,000 रु. थे। बाद में देखा गया कि पूँजी और आहरण पर ब्याज में चूक हो गई। साझेदारों की पूँजी पर 5% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है। वर्ष के दौरान आहरण राशि: खान की 20,000 रु., पंडित की 15,000 रु. तथा केमी की 9,000 रु. थी। आहरण पर लिया जाने वाला ब्याज पंडित 500 रु, खान 360 रु. और केमी 200 रु. था। वर्ष के शुद्ध लाभ 1,20,000 रु. थे। साझेदारों का लाभ-विभाजन अनुपात 3:2:1 था। इन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए समायोजन प्रविष्टियाँ दीजिए। अपनी कार्य प्रणाली दिखाइए।

14. आजाद और राकेश समान लाभ अनुपात के साझेदार हैं। उनकी पूँजी क्रमशः 40,000 रु. तथा 80,000 रु. है। वर्ष के खाते तैयार करने के बाद यह पाया गया कि लाभ-विभाजन से पूर्व 5% प्रतिवर्ष की दर से पूँजी पर ब्याज नहीं लगाया गया। यह निश्चय लिया गया कि अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि की जाएगी।

    आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

15. फर्म की ख्याति का मूल्यांकन तीन वर्षों के औसत लाभ के दो वर्षों के आधार पर होता है। गत तीन वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं — 2000 : 30,000 रु., 2001 : 40,000 रु. और 2002 : 35,000 रु.। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए।

16. गिरधारीलाल टंकक को भविष्य में प्रतिवर्ष 30,000 रु. के औसत शुद्ध लाभ प्राप्ति की संभावना है। फर्म द्वारा व्यवसाय में विनियोजित औसत पूँजी 2,00,000 रु. है। ऐसे व्यवसाय में विनियोजित पूँजी पर प्रतिफल की सामान्य दर 10% है।

    फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए (अ) दो वर्षों के आधार पर अधिलाभ प्रणाली द्वारा (ब) पूँजीकरण प्रणाली द्वारा।

17. राजेंद्र और परमजीत एक फर्म में साझेदार थे। वे 5:3 के अनुपात में लाभ–हानि का विभाजन करते थे। 1 जनवरी, 2001 को उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में लाभ का समान अनुपात में लाभ-विभाजन करेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्य 60,000 रु. था। लेखा पुस्तकों में कोई ख्याति खाता नहीं है। राजेंद्र जिसे लाभ हुआ, परमजीत को देने वाली क्षतिपूर्ति की राशि जानना चाहता है। बताइए किन दो विधियों से इसका समायोजन हो सकता है।

18. रानी और गौरी एक फर्म में साझेदार हैं। वे 2:1 के अनुपात में लाभ–हानि का विभाजन करती हैं। उन्होंने निश्चय किया कि 1 जनवरी, 2001 से वे लाभ-हानि 3:2 के अनुपात में बाँटेंगी। लेकिन यह निर्णय 2001 वर्ष के लाभ को जो कि 30,000 रु. था, पुराने अनुपात में बाँट देने के बाद लिया गया। ख्याति का मूल्यांकन नए निर्णय तिथि के लागू होने से पूर्व के दो वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाएगा। 1999 और 2000 के लाभ क्रमशः 20,000 रु. और 25,000 रु. थे।

यह निश्चय हुआ कि बिना ख्याति खाता पुस्तकों को खोले, आवश्यक समायोजन पूँजी खातों द्वारा किए जाएँगे। 31 दिसंबर को रानी के पूँजी खातें में 50,000 रु. और गौरी के पूँजी खाते में 30,000 रु. थे। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

19. निम्नलिखित सूचनाओं से चंद्र एवं गुप्ता की फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए :

औसत लाभ के 3 वर्ष के आधार पर

- अधिलाभ के वर्ष के आधार पर
- अधिलाभों के पूँजीकरण के आधार पर
- औसत लाभों के पूँजीकरण के आधार पर

(i) व्यवसाय में औसत पूँजी निवेश 7,00,000 रु.।

(ii) फर्म के गत वर्षों के शुद्ध व्यापारिक परिणाम :

वर्ष	*लाभ/(हानि)*
2002	1,47,606 रु.
2003	(1,48,100) रु.
2004	4,48,700 रु.

(iii) जोखिम के आधार पर पूँजी से अपेक्षित ब्याज दर 18% है।

(iv) प्रत्येक साझेदार को उसकी सेवा के लिए 500 प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जाता है।

(v) ख्याति के अतिरिक्त परिसंपत्तियों की राशि 7,54,762 रु. है और फर्म के दायित्व 31,329 रुपये हैं।

20. कोठारी और प्रदीप साझेदार हैं, जो 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने चंदन को मैनेजर नियुक्त किया, जिसे वे 750 रु. प्रतिमाह वेतन का भुगतान करते थे। चंदन ने 20,000 रु. फर्म में जमा किए थे – जिस पर 9% प्र.व. की दर से ब्याज मिलता था। वर्ष 2001 की समाप्ति पर (लाभों के विभाजन के पश्चात) चंदन को 1 जनवरी, 1998 से साझेदार के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। उसे लाभ में 1/6 भाग दिया गया। उसकी जमा राशि को पूँजीमान कर अन्य साझेदारों की पूँजी के समान 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाने का भी निर्णय लिया गया। पूँजी पर ब्याज लगाने के पश्चात, फर्म का लाभ/हानि निम्न प्रकार था :

वर्ष		*राशि*
1998	लाभ	59,000 रु.
1999	लाभ	62,000 रु.
2000	हानि	(4,000) रु.
2001	लाभ	78,000 रु.

उपरोक्त लेनदेन की रोजनामचे में प्रविष्टियाँ कीजिए।

21. 'अ', 'ब' और 'स' 1 जनवरी, 1993 को साझेदारी फर्म शुरू करते हैं, परंतु लाभ-विभाजन अनुपात के सदंर्भ में कोई अनुबंध नही करते है। बजाय इसके कि 'अ' 'स' को ब्याज के पश्चात लाभ में न्यूनतम गारंटी देता है, जिसकी राशि 7,800 रु. से कम नही हो सकती है। उनकी प्रारंभिक पूँजी इस प्रकार है :

'अ'	1,00,000 रु.
'ब'	60,000 रु.
'स'	20,000 रु.

पूँजी के अतिरिक्त अ और ब ने फर्म को अस्थायी ऋण दिए थे, जो निम्न प्रकार है :

'अ' ने 1 मार्च, 1993 को 40,000 रुपये का अस्थायी ऋण दिया जिसे 1 सितम्बर, 1993 को लौटा दिया गया और जिसे 1 अक्तूबर, 1993 को 30,000 रु. तक बढ़ाया गया।

'ब' ने 1 फरवरी, 1993 को 80,000 रुपये का अस्थाई ऋण दिया। जिसे 1 मई, 1993 को लौटा दिया गया। 31 मार्च, 1993 को ब्याज से पूर्व का लाभ 21,000 रुपये था। वर्ष का लाभ-हानि खाता बनाइए।

उत्तर

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(1) सही : (2), (3), (5), (6) और (8)

गलत : (1), (4) और (7)

(2) (1) वैध नहीं, (2) वैध नहीं (3) वैध, (4) वैध नहीं

1. असीम – 17,000 रु., : आकाश – 15,000 रु.
2. विशाल – 1200 रु., ज्ञान– 800 रु.
3. 1075 रु.
4. (i) 1,300 रु. (ii) 1,200 रु. (iii) 1,100 रु.
5. पूँजी पर ब्याज-राम 600 रु., श्याम 525 रु., मोहन 435 रु.
6. शुद्ध लाभ लाभ-हानि विनियोजन खाते में हस्तांतरित 14,250 रु., लोकेश के पूँजी खाते में शेष 57,170 रु., अहमद के पूँजी खाते में शेष 37,080 रु.
7. लाभ : सिमि – 94,163 रु., सोनू – 42,313 रु.

   चालू खाता शेष : सिमि – 1,17,687 रु., सोनू – 12,000 रु.

8. लाभ का हिस्सा : रमेश – 1,600 रु., सुरेश – 12,000 रु.
9. हानि का हिस्सा : शर्मा–रु. (नाम), वर्मा– रु. (नाम)
   चालू खाता शेष : शर्मा 2 रु., (नाम), वर्मा–4030 रु. (नाम)
10. लाभ का हिस्सा : मनीष – 9,935, गणेश – 9,935 रु.
11. लाभ का हिस्सा : राम 18,750 रु., रहीम 11,250 रु., जार्ज 10,000 रु.
12. लाभ का हिस्सा : 2000 अमन – 16,000 रु., बबिता – 14,000 रु., सुरेश – 10,000 रु.,
    2001 अमन – 24,000 रु., बबिता – 24,000 रु., सुरेश – 12,000 रु.
13. समायोजित पूँजी खातों का शेष : खान – 79,430 रु., पंडित – 60,000 रु., केमी – 40,560
14. आजाद के खाते में नाम पक्ष की ओर, राकेश के खाते में जमा पक्ष की ओर – 1,000 रु.
15. ख्याति – 70,000 रु.
16. ख्याति पूँजीगत विधि द्वारा – 20,000 रु.
    ख्याति पूँजीकरण विधि द्वारा – 1,00,000 रु.
17. राजेंद्र ने परमजीत को 75,000 रु. देने हैं। इसका समायोजन नकद द्वारा या उनके पूँजी खाते में समायोजन प्रविष्टि द्वारा किया जा सकता है। राजेन्द्र के पूँजी खातों के नाम पक्ष में परमजीत के पूँजी खाते में जमा पक्ष में रु. 75,000
19. * 4,12,200 रु., * 34,200 रु., * 63,333 रु., * 39,900 रु.
21. अ के ऋण पर ब्याज 1,200 रु., ब के ऋण पर ब्याज 1,200 रु.
    लाभ : अ – 4,600 रु., ब – 6,200 रु., स – 7,800 रु.

अध्याय 2

साझेदारी फर्म का पुनर्गठन

अधिगम उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् आप :

- साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे;
- वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ-विभाजन अनुपात में बदलाव से संबंधित लेखांकन व्यवहार को समझ सकेंगे;
- पूँजी विनियोग में बदलाव से संबंधित लेखांकन व्यवहार को समझ सकेंगे;
- परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के तथा दायित्वों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता की व्याख्या कर सकेंगे;
- साझेदारों के मध्य संचिति समेकित लाभ अथवा हानि के लेखांकन व्यवहार को बही खातों में प्रविष्ट कर सकेंगे; तथा
- पुनर्गठित फर्म का तुलन–पत्र तैयार कर सकेंगे।

जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि साझेदारी सदस्यों के बीच एक व्यावसायिक फर्म के संचालन एवं उससे उत्पन्न लाभों के विभाजन का अनुबंध है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप होता है। साझेदारी अनुबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वर्तमान समझौते का अंत करता है तथा उसके स्थान पर एक नया समझौता निर्मित होता है। नया समझौता साझेदारी फर्म के सदस्यों के मध्य संबंध को बदल देता है। अत: जब कभी भी साझेदारी अनुबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होते है, तो फर्म क्रियाशील रहती है, किन्तु परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसका पुनर्गठन होता है। फर्म का पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है:

2.1 फर्म के पुनर्गठन की अवधारणा

- **वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन**

राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2:1 के अनुपात में लाभ-विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल, 2002 से वे आपस में बराबर

अनुपात में लाभ बाँटने का निर्णय लेते हैं। इस लाभ–विभाजन अनुपात में बदलाव के कारणवश फर्म का पुनर्गठन होगा।

- **पूँजी विनियोग में बदलाव**

  राज और राकेश एक फर्म में साझेदार हैं और 5: 3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। उनकी पूँजी क्रमशः 80,000 रु. और 60,000 रु. है। 1 अप्रैल, 2003 को राज ने 20,000 रु. की अतिरिक्त पूँजी निवेश की। साझेदारों ने पुराने अनुपात में ही लाभ विभाजित करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप, अतिरिक्त पूँजी का निवेश फर्म के पुनर्गठन की ओर संकेत करता है।

- **नए साझेदार का प्रवेश**

  हरि और हक एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे 1 अप्रैल, 2003 को जॉन को नए साझेदार के रूप में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। फर्म में जॉन के नए साझेदार के रूप में शामिल होने पर फर्म पुनर्गठित होगी।

- **वर्तमान साझेदार की सेवा निवृत्ति**

  रॉय, रवि और राव एक फर्म में साझेदार हैं तथा 2 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। 31 मार्च, 2003 को रवि सेवा निवृत्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप फर्म पुनर्गठित होगी।

- **साझेदार की मृत्यु**

  'अ', 'ब' और 'स' एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2003 को 'अ' की मृत्यु हो जाती है। 'ब' और 'स' फर्म चालू रखने का और भावी लाभ को बराबर अनुपात में बाँटने का फैसला लेते हैं। ऐसी स्थिति में फर्म का पुनर्गठन होगा।

- **दो साझेदारी फर्मों का समामेलन**

  राय और संजीव एक फर्म में साझेदार हैं तथा 4 : 1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। प्रतिस्पर्धा से बचने तथा प्रशासनिक व्ययों में कमी लाने हेतु, वे अपनी फर्म को सोहन और अशोक की फर्म में समामेलित करने का निर्णय लेते हैं। सोहन और अशोक 1 : 2 के अनुपात में लाभ को विभाजित करते हैं। यह फैसला लिया जाता है कि राय, संजीव, सोहन और अशोक का नया लाभ–विभाजन अनुपात 4 : 1 : 2 : 1 होगा। इस स्थिति में, दोनों फर्मों अर्थात् राज और संजीव की फर्म और सोहन और अशोक की फर्म के समामेलन के फलस्वरूप एक नई फर्म का पुनर्गठन होता है।

2.2 लाभ-विभाज़न अनुपात में परिवर्तन

कभी-कभी साझेदार अपने वर्तमान लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसी साझेदार को भविष्य में लाभ होता है तो किसी साझेदार को हानि। ऐसी स्थिति में, वह साझेदार जिसे लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन से लाभ होता है, त्याग करने वाले साझेदार की क्षतिपूर्ति करता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार से लाभ का भाग क्रय करता है। उदाहरणार्थ, राम और मोहन एक फर्म में साझेदार है और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे अब भविष्य में बराबर हिस्से में लाभ बाँटने का फैसला लेते हैं। मान लीजिए, फर्म का कुल लाभ 10 रु. है। लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन से पूर्व राम को 6 रु. और मोहन को 4 रु. प्राप्त हो रहे थे। जबकि वर्तमान स्थिति में दोनों साझेदारों को 5 रु. प्राप्त होंगे। इससे आशय यह है कि 10 रु. में से राम को 1 रु. कम और मोहन को 1 रु. अधिक मिलेगा। अर्थात्, राम को $\frac{1}{10}$ भाग की हानि तथा मोहन $\frac{1}{10}$ भाग का लाभ होगा।

अत: फर्म के भावी लाभ में अपने हिस्से के लिए मोहन राम को क्षतिपूर्ति करेगा। क्षतिपूर्ति की राशि ख्याति की अनुपातिक राशि के बराबर होगी। मान लीजिए, फर्म की कुल ख्याति राशि 1,00,000 रु. मूल्यांकित की जाती है। लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय, मोहन राम को 1,00,000 रु. में $\frac{1}{10}$ भाग के लिए क्षतिपूर्ति देगा अर्थात् 10,000 रु. इसके लिए, मोहन का पूँजी खाता 10,000 रु. के लिए नाम किया जाएगा और राम का पूँजी खाता उक्त राशि से जमा किया जाएगा। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टि दी जाएगी :

		रु.	रु.
मोहन का पूँजी खाता	नाम	1,00,000	
राम का पूँजी खाता			1,00,000

क्षतिपूर्ति भुगतान के अतिरिक्त, लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन साझेदारों के पूँजी खाते में अवितरित लाभ-हानि तथा संचय, परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आदि से संबंधित समायोजनों को आवश्यक बनाता है। निम्नवत् अनुच्छेदों में लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन, उसका लेखांकन व्यवहार, संचय और अवितरित लाभ-हानि के समायोजन और परिसंपत्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन की व्याख्या की गई है।

2.3 पूँजी विनियोग में परिवर्तन

साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध साझेदारी अवधारणा का मूल आधार माना गया है। इसके दो तत्त्व होते हैं – क्रमशः लाभ का बँटवारा और पूँजी विनियोग। जैसे-जैसे फर्म की गतिविधियों में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे, उसे बृहद् मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है। यदि फर्म के प्रत्येक साझेदार की आर्थिक सामर्थ्यता इसकी पूर्ति नहीं कर सकती है तो एक साझेदार जो कि आर्थिक रूप से सक्षम है, पूँजी के रूप में आवश्यक मात्रा में धनराशि लाने का निर्णय ले सकता है।

लेखांकन के दृष्टिकोण से यह स्थिति अतिरिक्त पूँजी विनियोजन के समान होती है। पूँजी विनियोजन के समय, बैंक खाते को नाम और साझेदार के पूँजी खाते को जमा किया जाता है। उदाहरण के लिए, 'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं और 2 : 1 के अनुपात में लाभ को विभाजित करते हैं। उनकी पूँजी क्रमशः 1,00,000 रु. और 60,000 रु. है। फर्म को 50,000 रु. की अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति केवल 'अ' द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी;

		रु.	रु.
बैंक खाता	नाम	50,000	
'अ' का पूँजी खाता			50,000

2.4 लाभ और संचय का वितरण

साझेदारी पुनर्गठन के समय कभी-कभी अवितरित लाभ एवं संचय विद्यमान हो सकते हैं। यह लाभ एवं संचय वर्तमान साझेदारों से संबंधित हैं, जो पुनर्गठन से पूर्व फर्म के सदस्य थे। अतः इन अवितरित लाभ एवं संचय को वर्तमान साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में बाँटे जाते हैं। इस स्थिति में निम्नवत् प्रविष्टि दी जाती है :

लाभ-हानि खाता / संचय खाता	नाम
साझेदारों का पूँजी खाता	

इसी प्रकार फर्म के पुनर्गठन के समय अवितरित हानि भी हो सकती है। अतः अवितरित हानि को पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में पुनर्गठन के पूर्व के लाभ-विभाजन अनुपात में नाम किया जाता है, इस उद्देश्य से निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है :

साझेदारों का पूँजी खाता	नाम
लाभ-हानि खाता	

उदाहरण 1

सुधा, पुष्पा और स्नेहा एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करती हैं। 1 अप्रैल, 2003 को वे लाभ को बराबर बाँटने का निर्णय लेती हैं। उक्त दिनांक को फर्म के लाभ-हानि खाता 24,000 रु. का जमा शेष दर्शाता है। लाभ-हानि खाते को बंद करने के बजाय यह निर्णय लिया जाता है कि लाभ-विभाजन अनुपात में बदलाव के लिए एक समायोजन प्रविष्टि दी जाए। इस संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए।

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल, 1	स्नेहा का पूँजी खाता नाम		2,000	
	सुधा का पूँजी खाता			1,000
	पुष्पा का पूँजी खाता			1,000
	(लाभ-विभाजन अनुपात में बदलाव के लिए लाभ-हानि खाते में समायोजन)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

साझेदार के लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण आधिक्य/त्याग का निर्धारण

सुधा का पुराना हिस्सा $= \frac{3}{8}$

सुधा का नया हिस्सा $= \frac{1}{3}$

सुधा का त्याग $= \frac{3}{8} - \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$

पुष्पा का पुराना हिस्सा $= \frac{3}{8}$

पुष्पा का नया हिस्सा $= \frac{1}{3}$

पुष्पा का त्याग $= \frac{3}{8} - \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$

स्नेहा का पुराना हिस्सा $= \frac{2}{8}$

स्नेहा का नया हिस्सा $= \frac{1}{3}$

स्नेहा का आधिक्य $= \frac{2}{8} - \frac{1}{3} = \frac{2}{24}$

चूँकि स्नेहा का आधिक्य $\frac{2}{24}$ है तथा सुधा और पुष्पा का त्याग $\frac{1}{24}$ है, अत: सुधा और पुष्पा प्रत्येक के पूँजी खाते को लाभ हानि खाते के शेष के $\frac{1}{24}$ भाग से जमा किया जाएगा (अर्थात् 2,400 रु. $\times \frac{1}{24}$ = 1,000 रु.) और स्नेहा के खाते को 2,000 रु. से नाम किया जाएगा।

उदाहरण 2

हरि और रवि एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 5 : 3 के अनुपात में बाँटते हैं। 31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र 80,000 रु. का सामान्य संचय दर्शाता है। उक्त तिथि को वे मोहन को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निश्चय करते हैं। हरि, रवि और मोहन के मध्य नया लाभ-विभाजन अनुपात 5 : 3 : 2 होगा। निम्न परिस्थितियों के लिए फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

(i) जब वे सामान्य संचय को अपने पूँजी खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय लेते हैं।

(ii) जब वे सामान्य संचय के हस्तातंरण के बजाय समायोजन प्रविष्टियाँ देने का निर्णय लेते हैं।

(i) **रोजनामचा**

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
मार्च, 31	सामान्य संचय खाता नाम		80,000	
	हरि का पूँजी खाता			50,000
	रवि का पूँजी खाता			30,000
	(सामान्य संचय पूँजी खाते में हस्तांतरित)			

(ii)

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
मार्च, 31	मोहन का पूँजी खाता नाम		16,000	
	हरि का पूँजी खाता			10,000
	रवि का पूँजी खाता			6,000
	(लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण सामान्य संचय के लिए समायोजन प्रविष्टियाँ)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

हरि का पुराना अनुपात = $\frac{5}{8}$

हरि का नया अनुपात = $\frac{5}{10}$

हरि के त्याग का अनुपात = $\frac{5}{8}-\frac{5}{10}=\frac{10}{80}$

रवि का पुराना अनुपात = $\frac{3}{8}$

रवि का नया अनुपात = $\frac{3}{10}$

रवि के त्याग का अनुपात = $\frac{3}{8}-\frac{3}{10}=\frac{6}{80}$

मोहन का अधिलाभ = $\frac{10}{80}+\frac{6}{80}=\frac{2}{10}$

उदाहरण 3

अनु, बीना और चिराग एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल, 2003 को वे भावी लाभ को समान अनुपात में बाँटने का निर्णय लेते हैं। उक्त दिनांक को उनके लाभ-हानि खाते में 60,000 रु. का जमा शेष और सामान्य संचय में 30,000 रु. का शेष था। वे, फर्म की पुस्तकों में आवश्यक विभाजन अनुपात से पूर्व, लाभ और सामान्य संचय को विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल, 1	लाभ-हानि खाता नाम		60,000	
	अनु का पूँजी खाता			30,000
	बीना का पूँजी खाता			20,000
	चिराग का पूँजी खाता			10,000
	(फर्म के पुनर्गठन पर अवितरित लाभ पूँजी खाते में हस्तांतरित)			

अप्रैल, 1	सामान्य संचय खाता नाम अनु का पूँजी खाता बीना का पूँजी खाता चिराग का पूँजी खाता (सामान्य संचय साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित)		30,000	 15,000 10,000 5,000

उदाहरण 4

धारणा और सोनी एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे फर्म के भावी लाभ को बराबर अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि पर लाभ-हानि खाते में 20,000 रु. का नाम शेष था। लाभ-विभाजन अनुपात परिवर्तन में पूर्व लाभ-हानि खाते के शेष के विभाजन हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

हल

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	धारणा का पूँजी खाता नाम सोनी का पूँजी खाता नाम लाभ-हानि खाता (अवितरित हानि साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित)		12,000 8,000	 20,000

कभी-कभी साझेदार लाभ-हानि पूँजी खाते अथवा संचय खाते के शेष को अपने लाभ के भाग में परिवर्तन के अनुसार नहीं करने का फैसला लेते हैं, वरन् इस संबंध में अपने पूँजी खातों में समायोजन करने का निर्णय लेते हैं, ऐसी स्थिति में प्रत्येक साझेदार का त्याग या प्राप्त लाभ का निर्धारण किया जाता है तथा इससे समायोजन प्रविष्टि की जाती है।

2.5 परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण

फर्म के पुनर्गठन के अवसर पर, परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य

पुस्तक मूल्य से भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्रय की गई भूमि को फर्म की पुस्तकों में क्रय मूल्य पर दिखाया जाता है, किंतु इसका वर्तमान बाजार मूल्य, पुस्तक मूल्य से अधिक हो सकता है। अतः फर्म के पुनर्गठन पर पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार फर्म के पास अंतिम रहतिया भी हो सकता है। अंतिम रहतिये का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से कम भी हो सकता है। इसी तरह फर्म के दायित्वों को भी पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर जिस साझेदार को लाभ प्राप्त होता है। वह लाभ न प्राप्त करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति करेगा। पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप निम्नांकित है तथा उदाहरण 5 द्वारा इसे समझाया गया है :

पुनर्मूल्यांकन खाता

दिनांक	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि (रु.)*	*दिनांक*	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि (रु.)*
	परिसंपत्तियां (वैयक्तिक)		***		परिसंपत्तियां (वैयक्तिक)		***
	पुनर्मूल्यांकन द्वारा मूल्यों में कमी		***		पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यों में वृद्धि		***
	पुनर्निरीक्षण पर मूल्यों में वृद्धि		***		दायित्व : पुनर्निरीक्षण पर मूल्यों में कमी		***
	पूँजी खाते		***		पूँजी खाते		***
	पुनर्मूल्यांकन पर लाभ		***		पुनर्मूल्यांकन पर हानि		***
	योग		***		**योग**		***

उदाहरण 5

सुरेश और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात से लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2003 को उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था :

31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
सुरेश की पूँजी	45,000	रोकड़	15,000
श्याम की पूँजी	30,000	प्लॉट	30,000
लेनदार	30,000	भवन	60,000
योग	**1,05,000**	**योग**	**1,05,000**

31 मार्च, 2003 को फर्म की ख्याति को 30,000 रु. पर तथा भवन के 75,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया था। 1 अप्रैल, 2003 से साझेदारों ने समान अनुपात में लाभ को बाँटने का

निर्णय लिया। लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के परिणामस्वरूप फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

विकल्प (i)

सुरेश और श्याम की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल 1	प्रीमियम (ख्याति) खाता नाम		30,000	
	भवन खाता नाम		15,000	
	सुरेश का पूँजी खाता			27,000
	श्याम का पूँजी खाता			18,000
	(ख्याति और भवन के बढ़े हुए मूल्य का साझेदारों के पूजी खाते में पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में हस्तांतरण)			
	सुरेश का पूँजी खाता नाम		22,500	
	श्याम का पूँजी खाता नाम		22,500	
	प्रीमियम (ख्याति) खाता			30,000
	भवन खाता			15,000
	(ख्याति और भवन के बढ़े हुए मूल्य का नए लाभ-विभाजन अनुपात में विभाजन)			

विकल्प (ii)

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल, 1	सुरेश का पूँजी खाता नाम		4,500	
	श्याम का पूँजी खाता			4,500
	(लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर ख्याति और भवन के मूल्य का समायोजन)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

सुरेश का त्याग = पुराना भाग − नया भाग

$$= \frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$

श्याम का प्राप्त लाभ = नया भाग – पुराना भाग

$$= \frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$$

चूँकि नए लाभ-विभाजन अनुपात के पश्चात् सुरेश का त्याग अनुपात $\frac{1}{10}$ और श्याम का प्राप्त लाभ $\frac{1}{10}$ है अत: श्याम अपने $\frac{1}{10}$ प्राप्त लाभ के भाग के लिए सुरेश को क्षतिपूर्ति करेगा अर्थात् 45,000 रु. × $\frac{1}{10}$ = 4,500 रु. (जो कि ख्याति के मूल्यांकन तथा भवन के पुनर्मूल्यांकन के कारण है।)

2.6 पुनर्गठित फर्म के तुलन-पत्र को तैयार करना

फर्म के पुनर्गठन पर, परिसंपत्तियों, देयताओं तथा साझेदारों के पूँजी खातों में बदलाव आता है, जिसके परिणामस्वरूप, नई फर्म का तुलन-पत्र तैयार करना आवश्यक होता है। तुलन-पत्र के निर्माण से पूर्व, वे सभी खाते, जिनमें पुनर्गठन के कारण बदलाव आया है, दोबारा तैयार किए जाते हैं, तत्पश्चात् नई फर्म का तुलन-पत्र तैयार किया जाता है।

उदाहरण 6

अजय, बहादुर और चंदर एक फर्म में साझेदार हैं तथा 2:2:1 के अनुपात में लाभ को विभाजित करते हैं। 31 मार्च, 2002 को उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था :

31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
लेनदार		50,000	भूमि	50,000
देय-विपत्र		25,000	भवन	50,000
पूँजी:			देनदार	15,000
अजय	1,00,000		रोकड़	5,000
बहादुर	50,000		रहतिया	50,000
चंदर	25,000	1,75,000	प्लांट	100,000
सामान्य संचय		20,000		
योग		**2,70,000**	**योग**	**2,70,000**

5 अप्रैल, 2003 को निम्न शर्तों पर अजय, बहादुर और चंदर ने समान अनुपात में लाभ बाँटने का फैसला किया :

(i) ख्याति को 30,000 रुपए पर मूल्यांकित किया।

(ii) भूमि को 80,000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया तथा भवन पर 6% की दर से ह्रास लगाया गया।

(iii) 400 रु. लेनदारों को भुगतान करने की संभावना नहीं है।

आपसे अनुरोध है कि —

(i) आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

(ii) साझेदारों के पूँजी खाते तैयार करें।

(iii) पुनर्गठन के पश्चात् फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल 1	चंदर का पूँजी खाता	नाम		4,000	
	अजय का पूँजी खाता				2,000
	बहादुर का पूँजी खाता				2,000
	(नए लाभ-विभाजन अनुपात पर ख्याति का लेखांकं व्यवहार)				
अप्रैल 1	चंदर का पूँजी खाता	नाम		4,000	
	अजय का पूँजी खाता				2,000
	बहादुर का पूँजी खाता				2,000
	(नए लाभ-विभाजन अनुपात पर सामायोजन प्रविष्टि)				
अप्रैल 1	अजय का पूँजी खाता	नाम		200	
	बहादुर का पूँजी खाता	नाम		200	
	चंदर का पूँजी खाता				400
	(भवन पर ह्रास के लिए समायोजन प्रविष्टि)				
अप्रैल 1	चंदर का पूँजी खाता	नाम		400	
	अजय का पूँजी खाता				200
	बहादुर का पूँजी खाता				
	(लेनदारों को भुगतान की संभावना नहीं)				

अप्रैल 1	सामान्य संचय नाम अजय का पूँजी खाता बहादुर का पूँजी खाता चंदर का पूँजी खाता (सामान्य संचय पूँजी खातों में हस्तांतरित)		20,000	 8,000 8,000 4,000

साझेदारों के पूँजी खाते

दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	अजय रु.	बहादुर रु.	चंदर रु.	दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	अजय रु.	बहादुर रु.	चंदर रु.
अप्रैल 1	अजय		–	–	2,000	अप्रैल 1	शेष आ/ला		1,00,00	50,000	25,000
	बहादुर		–	–	2,000		चंदर की पूँजी		2,000	2,000	–
	अजय		–	–	2,000		चंदर की पूँजी		2,000	2,000	–
	बहादुर		–	–	2,000		अजय की पूँजी		–	–	200
	चंदर		200	200	–		बहादुर की पूँजी		–	–	200
	अजय		–	–	200		चंदर की पूँजी		200	200	–
	बहादुर		–	–	200		सामान्य संचय		8,000	8,000	4,000
	शेष आ/ले		1,12,000	62,000	21,000						
	योग		**112,200**	**62,200**	**29,400**		**योग**		**1,12,200**	**62,200**	**29,400**

1 अप्रैल, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार		50,000	भूमि	50,000
देय-विपत्र		25,000	भवन	50,000
पूँजी			प्लांट	1,00,000
अजय	1,12,000		रहतिया	50,000
बहादुर	62,000		देनदार	15,000
चंदर	21,000	1,95,000	रोकड़	5,000
योग		**2,70,000**	**योग**	**2,70,000**

अध्याय में प्रयुक्त शब्द

(i) साझेदारी फर्म का पुनर्गठन

(ii) परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

(iii) देयताओं का पुनर्निर्धारण

(iii) अवितरित एवं संकलित लाभ व संचय

अधिगम उद्देश्य के संदर्भ में सारांश

1. *साझेदारी फर्म का पुनर्गठन :* एक साझेदारी फर्म को पुनर्गठित निम्नवत् परिस्थितियों में माना जाता है :
   - लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन
   - पूँजी अंशदान में परिवर्तन
   - नए साझेदार का प्रवेश
   - एक साझेदार का अवकाश ग्रहण
   - साझेदार की मृत्यु
   - दो साझेदारी फर्मों का समामेलन
2. *परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन तथा देयताओं का पुनर्निर्धारण :* फर्म के पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य उसके पुस्तक मूल्य से कम हो सकता है। इसी कारण, फर्म के देयताओं को भी पुनर्निर्धारण किया जाता है।
3. *नए फर्म के तुलन-पत्र का निर्माण :* फर्म की पुनर्गठन परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और देयताओं के पुनर्निर्धारण मूल्यों के आधार पर फर्म का तुलन-पत्र तैयार किया जाता है।

अभ्यास

1. ***वस्तुनिष्ठ प्रश्न***

(I) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

(i) साझेदारों के मध्य संबंधों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप साझेदारी फर्म का ________ होता है।

(ii) लाभ-हानि खाते में जमा शेष ________ लाभ दर्शाता है।

(iii) सामान्य संचय खाता________शेष दर्शाता है।

(iv) साझेदारों के मध्य लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण किसी साझेदार को________ होता है तथा किसी अन्य को अपने भाग का त्याग करना होता है।

(v) फर्म के पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उनके वर्तमान मूल्य पुस्तक मूल्य से ________________ हो सकते हैं।

II. निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य सत्य है :

(अ) वर्तमान साझेदारों के लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्तमान साझेदारों के मध्य संबंध में परिवर्तन नहीं होता है।

(ब) लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के परिणामस्वरूप फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है।

(स) वर्तमान साझेदारों के लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन के परिणामस्वरूप फर्म का पुनर्गठन होता है।

III. सही उत्तर पर चिह्न (√) लगाएँ :

(अ) पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि परिणामत:
- वर्तमान साझेदारों के लिए लाभ वृद्धि होती है।
- वर्तमान साझेदारों के लिए हानि होती है।
- वर्तमान साझेदारों के लिए न तो लाभ वृद्धि न हानि होती है।

(ब) फर्म के पुनर्गठन पर गैर अभिलेखित लेनदारों का अभिलेखन :
- वर्तमान साझेदारों के लिए लाभ वृद्धि है।
- वर्तमान साझेदारों के लिए हानि है।
- वर्तमान साझेदारों के लिए न तो लाभ वृद्धि है न ही हानि है।

3. ***लघु उत्तरीय प्रश्न***

(i) साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं ?

(ii) उन अवसरों की व्याख्या कीजिए, जिनसे साझेदारी फर्म का पुर्नगठन हो सकता है।

(iii) 'अ' 'ब' और 'स' एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 8 : 7 : 6 अनुपात में विभाजित करते हैं। अब वे 5:3: 2 के अनुपात में भावी लाभ विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर प्राप्त लाभ अथवा त्याग की गणना कीजिए।

(iv) 'क' 'ख' और 'ग' एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ को विभाजित करते है। 1 अप्रैल, 2003 से वे समान अनुपात में लाभ विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। इस अवसर पर फर्म के ख्याति को 2,00,000 रु. पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रत्येक साझेदार का प्राप्त-लाभ अथवा त्याग की गणना कीजिए।

(v) फर्म के पुनर्गठन पर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से क्या आशय है ?

(vi) फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है ?

4. ***दीर्घ उत्तरीय प्रश्न***

5. उदाहरण सहित उन अवसरों की व्याख्या कीजिए जब एक साझेदारी फर्म पुनर्गठित होती है।

6. लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर सामान्य संचय और लाभ-हानि खाते के शेष का लेखांकन व्यवहार. उदाहरण सहित बताएँ।

7. साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता क्यों होती है? संक्षिप्त व्याख्या करें।

अभ्यास

5. मोहन, सोहन और रोहन एक फर्म में क्रमश 3 : 2 : 1 के अनुपात में साझेदार हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ-हानि विभाजन का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए फर्म की ख्याति को 60,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया। उपर्युक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रविष्टि दीजिए।

6. सोनी, मोनी और लोनी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उन्होंने लाभ-हानि अनुपात 2 : 3 : 5 में विभाजित करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से ख्याति का पुनर्मूल्यांकन 1,50,000 रु. किया गया। नए लाभ-हानि विभाजन अनुपात को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रविष्टि दीजिए।

7. सीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 3:2 अनुपात में विभाजित करते है। वे फर्म के भावी लाभ को समान अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। इस अवसर पर फर्म की ख्याति को 50,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया है। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि दीजिए।

8. साहिल, राजीव और रश्मि एक फर्म में साझेदार हैं तथा 5:4:3 के अनुपात में फर्म के लाभ को विभाजित करते हैं। वे फर्म के भावी लाभ को 2:2:1 के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। इस अवसर पर फर्म की ख्याति को 1,80,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया है। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि दीजिए।

9. गोलू, मोलू और कालू एक फर्म में साझेदार हैं तथा 7:6:5 के अनुपात में लाभ को विभाजित करते हैं। उनकी स्थायी पूँजी क्रमशः 70,000 रु., 40,000 रु. और 80,000 रु. है। तीनों साझेदारों के मध्य यह निर्णय लिया गया कि फर्म की कुल पूँजी 3,30,000 रु. होगी तथा लाभ-विभाजन अनुपात के अनुरूप होगी। प्रत्येक साझेदार की पूँजी अंशदान की गणना कीजिए और आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए।

10. जेनी, जोसेफ और जार्ज एक फर्म में साझेदार हैं तथा 1:2:3 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। 31 मार्च, 2003 को फर्म के तुलन-पत्र में 1,20,000 रु. का सामान्य संचय दिखाया गया है। 1 अप्रैल, 2003 को समस्त साझेदार समान अनुपात में फर्म के भावी लाभ को बाँटने का निर्णय लेते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए, यदि साझेदार सामान्य संचय खाते को बंद न करने का निर्णय लेते हैं।

11. अर्पित और रुचिता एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। फर्म का तुलन-पत्र सामान्य संचय खाते में 50,000 रु. का शेष और लाभ-हानि खाते में 40,000 रु. का शेष दर्शाता है। अब वे फर्म के भावी लाभ को समान अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। सामान्य संचय खाते और लाभ-हानि खाते को बंद करने के बजाय, एक समायोजन प्रविष्टि करने का निर्णय लिया जाना है। उचित समायोजन प्रविष्टि कीजिए।

12. शैल्विन और डाल्फिन एक फर्म में साझेदार है तथा 9:3 के अनुपात में लाभों का बँटवारा करते हैं। 31 मार्च, 2003 को उनका तुलन पत्र 35,000 रु. का सामान्य सचंय दर्शाता है। उक्त तिथि पर वे सेवक को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। उनका नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है। निम्न परिस्थितियों आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें :

   (i) जब वे समान्य सचंय को पूँजी खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय लेते हैं;

   (ii) जब वे समान्य सचंय को पूँजी खाते में हस्तांतरित न करने का फैसला लेते है तथा समायोजित प्रविष्टियाँ देने का निर्णय देते है।

13. जैन और गुप्ता एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 2:3 अनुपात में बाँटते हैं। 31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
जैन की पूँजी	90,000		रोकड़	30,000
गुप्ता की पूँजी	<u>60,000</u>	1,50,000	प्लांट	60,000
लेनदार		60,000	भवन	1,20,000
	योग	**2,10,000**	**योग**	**2,10,000**

फर्म की ख्याति को 75,000 रु. पर और भवन को 1,50,000 रु. मूल्यांकित किया गया, 1. 4. 2003 से समान अनुपात में लाभ को विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टयाँ दीजिए

14. आजाद, हकीम और गंगा एक फर्म में साझेदार हैं और 2:2:1 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। 31 मार्च, 2002 को उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था :

31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व			राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार			30,000	भूमि	85,000
देय-विपत्र			20,000	भवन	50,000
सामान्य संचय			50,000	प्लांट	1,00,000
पूँजी :					
	अजय	50,000		रहतिया	40,000
	बहादुर	60,000		देनदार	25,000
	चंदर	70,000	1,80,000	रोकड़	5,000
योग			**3,05,000**	**योग**	**3,05,000**

1 अप्रैल, 2003 को निम्नवत् शर्तों पर समस्त साझेदारों ने 1:2:3 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करने का फैसला लिया।

- फर्म की ख्याति को 60,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।
- भूमि का मूल्यांकन 1,00,000 रु. पर किया गया और भवन पर 6% की दर से ह्रास लगाया गया।
- 3,000 रु. के लेनदारों का भुगतान नहीं किया जाना है।

उपर्युक्त के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए तथा साझेदारों के पूँजी खाते और नई फर्म का तुलन-पत्र तैयार कीजिए।

उत्तर

I. (i) पुनर्गठन

(ii) लाभ

(iii) जमा

(iv) अधिलाभ

(v) भिन्न

II. (स)

III. (अ) वर्तमान साझेदारों के लिए लाभ वृद्धि होती है।

(ब) वर्तमान साझेदारों के लिए हानि है।

5. रोहन की पूँजी (नाम) = 10,000 रु.
   मोहन की पूँजी (जमा) = 10,000 रु.
6. सोनी (नाम) 25,000 रु.
   मोनी (जमा) 20,000 रु.
   लोनी (जमा) 5,000 रु.
7. सीता की पूँजी (नाम) 5,000 रु.
   गीता की पूँजी (जमा) 5,000 रु.
8. साहिल की पूँजी (नाम) 12,000 रु.
   राजीव की पूँजी (जमा) 3,000 रु.
   रश्मि 9,000 रु.
9. गोलू की पूँजी 70,000 रु.
   मोलू की पूँजी 80,000 रु.
   कालू की पूँजी 20,000 रु.
10. जेनी की पूँजी (नाम) 20,000 रु.
    जार्ज की पूँजी (जमा) 20,000 रु.
11. अर्पित की पूँजी (नाम) 9,000 रु.
    रुचिता की पूँजी (जमा) 9,000 रु.
12. (i) समान्य संचय 35,000 रु. से नाम
        शैल्विन पूँजी खाता (जमा) 20,000 रु.
        डाल्फिन पूँजी खाता (जमा) 15,000 रु.
    (i) शेवक का पूँजी खाता (नाम) 7,000 रु.
        शैल्विन का पूँजी खाता (जमा) 2,917 रु.
        डाल्फिन का पूँजी खाता (जमा) 4,083 रु.

13. विकल्प (i)

2003 अप्रैल 1	जैन का पूँजी खाता नाम गुप्ता का पूँजी खाता (ख्याति का व्यवहार लाभ विभाजन अनुपात पर)		7,500	7,500
	जैन का पूँजी खाता नाम गुप्ता पूँजी खाता (भूमि के मूल्य में वृद्धि पर समायोजित प्रविष्टि)		9,000	9,000
	गुप्ता का पूँजी खाता नाम जैन का पूँजी खाता (भवन के मूल्य में गिरावट पर समायोजित प्रविष्टि)		500	500

विकल्प (ii)

2003	जैन का पूँजी खाता नाम गुप्ता का पूँजी खाता (ख्याति, भूमि व भवन के सदंर्भ में समायोजित प्रविष्टि)		16,000	16,000

14. पूँजी खाते का शेष

आजाद 87,500 रु.

हाकिम 85,000 रु.

गंगा 57,500 रु.

तुलन पत्र का योग 3,05,000 रु.

अध्याय 3

साझेदार का प्रवेश

अधिगम उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् आप :

- लेखा पुस्तकों की उन मदों की पहचान कर सकेंगे, जिनमें नए साझेदार के प्रवेश के समय समायोजन करना आवश्यक होता है;
- नया लाभ-विभाजन अनुपात निर्धारित कर सकेंगे और त्याग अनुपात की गणना कर सकेंगे;
- नए साझेदार के प्रवेश पर विभिन्न परिस्थितियों में ख्याति का वर्णन कर सकेंगे;
- संयुक्त जीवन बीमा के संदर्भ में आवश्यक समायोजन कर सकेंगे;
- परिसंपत्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवश्यक समायोजन कर सकेंगे;
- संचय एवं समेकित लाभ-हानि के लिए आवश्यक समायोजन कर सकेंगे;
- नए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार प्रत्येक साझेदार की पूँजी निर्धारित कर सकेंगे और आवश्यक समायोजन कर सकेंगे; तथा
- पुनर्गठित साझेदारी फर्म का तुलन-पत्र तैयार कर सकेंगे।

जब किसी चालू फर्म को अतिरिक्त पूँजी अथवा प्रबंधकीय सहायता अथवा दोनों की आवश्यकता होती है तो फर्म के साझेदार नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय करते हैं। एकल व्यवसाय के संदर्भ में, नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश होना साझेदारी का रूप लेता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति पर ही मिल सकता है, जब तक कि इसके विपरीत समझौता न हुआ हो। नए साझेदार के प्रवेश के साथ ही साझेदारी फर्म पुनर्गठित होती है तथा व्यवसाय को साझेदारी फर्म के रूप संचालन के लिए एक नए समझौते का निर्माण होता है। नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म से दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं :

1. फर्म के भावी लाभ में भाग लेने का अधिकार
2. फर्म की परिसंपत्तियों में भाग लेने का अधिकार

साझेदारी फर्म की परिसंपत्तियों के अधिकार हेतु साझेदार नकद या अन्य वस्तु के रूप में एक स्वीकृत राशि पूँजी के रूप में लाता है। एक साझेदारी फर्म के लाभ में हिस्सेदारी अधिकार प्राप्ति हेतु नए साझेदार को एक निश्चित राशि

पूँजी के अतिरिक्त लानी होती है, जिसे अधिलाभ (ख्याति का अंश) के रूप में जाना जाता है। प्रथम अधिकार की प्राप्ति हेतु उसे प्रीमियम के स्वीकृत मूल्य में अपना भाग (जिसे ख्याति भी कहा जाता है) लाना होता है, जो पुराने साझेदारों द्वारा आपस में बाँट लिया जाता है क्योंकि वे अपने लाभ के भाग के कुछ भाग का नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं।

प्रीमियम से आशय उस भुगतान से है, जो भूतकाल में दूसरों के प्रयत्नों से होने वाले लाभ में हिस्सेदारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है।

सामान्यतया नए साझेदार के प्रवेश पर निम्नलिखित ध्यान योग्य बिंदु होते है :

1. नए लाभ-विभाजन अनुपात का निर्धारण।
2. त्याग के अनुपात की गणना।
3. ख्याति एवं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन
4. परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं देयताओं का पुनर्निधारण
5. संचित लाभ-हानि और संचय का वितरण।
6. पूँजी का समायोजन।

3.1 नए लाभ-विभाजन अनुपात का निर्धारण

जब नए साझेदार को प्रवेश मिलता है, तो उसे पुराने साझेदारों के लाभ में से अपना हिस्सा प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों, में नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से के कुछ भाग का नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। इससे पुराने साझेदारों के लाभ के भाग में कमी आती है। यह कमी वर्तमान साझेदार/साझेदारों के लाभ का त्याग है। नए साझेदार को लाभ का वितरण किस अनुपात में किया जाएगा तथा पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात क्या होगा, इसका निर्णय पुराने साझेदारों एवं नए साझेदार की आपसी सहमति पर आधारित होता है।

मान लीजिए एक व्यवसाय का अनुमानित लाभ 1 (इकाई) है तथा प्रत्येक साझेदार के इस इकाई में भाग को अनुपात (proportion) कहते हैं, जिसे प्रतिशत अथवा अनुपात दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 'अ' और 'ब' 3 : 2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे 'स' को लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। इस स्थिति में, 'अ', 'ब' और 'स' के लाभ-विभाजन अनुपात की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी :

अनुपात

'अ'	:	'ब'	:	'स'
3	:	2	:	1

भाग

'अ'	:	'ब'	:	'स'
$\frac{1}{2}$	:	$\frac{1}{3}$	:	$\frac{1}{6}$

प्रतिशत

'अ'	:	'ब'	:	'स'
50 %	:	$33\frac{1}{3}$ %	:	$16\frac{2}{3}$ %

नया साझेदार फर्म के भावी लाभ में से अपना भाग किसी एक साझेदार अथवा एक से अधिक साझेदारों से प्राप्त कर सकता है। नए साझेदार के प्रवेश के उपरांत, पुराने साझेदारों के लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इस कारणवश कि कितना हिस्सा पुराने साझेदारों द्वारा प्रवेशी साझेदार को दिया गया है। इस कारणवश लाभ-विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात के निर्धारण की आवश्यकता होती है।

उदाहरण 1 (नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना)

अनिल और विशाल साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे सुमित को नए साझेदार के रूप में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अनिल, विशाल और सुमित के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।

हल

सुमित का भाग $= \frac{1}{5}$

शेष भाग $= 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

अनिल का नया भाग $= \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{12}{25}$

विशाल का नया भाग $= \frac{2}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{25}$

नए लाभ विभाजन अनुपात $= \frac{12}{25} : \frac{8}{25} : \frac{5}{25}$

अर्थात $= 12 : 8 : 5$

उदाहरण 2 (नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना जब नया साझेदार सभी साझेदारों से अपना भाग प्राप्त करता है।)

अंशु और नीतू एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे ज्योति को 3/10 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं, जिसे ज्योति अंशु से 2/10 भाग और नीतू से 1/10 भाग प्राप्त करती है। अंशु, नीतू और ज्योति के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।

हल

अंशु का नया भाग = पुराना भाग - त्याग किया गया भाग

$= \frac{3}{5} - \frac{2}{10} = \frac{6-2}{10} = \frac{4}{10}$

नीतू का नया भाग पुराना भाग – त्याग किया गया भाग

$= \frac{2}{5} - \frac{1}{10} = \frac{3}{10}$

$= \frac{4-1}{10} = \frac{3}{10}$

ज्योति का भाग $= \frac{3}{10}$

अंशु, नीतू और ज्योति का नया लाभ विभाजन अनुपात $= \frac{4}{10} : \frac{3}{10} : \frac{3}{10}$

अर्थात $= 4 : 3 : 3$

उदाहरण 3 (नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना जब नया साझेदार केवल एक साझेदार से अपना भाग प्राप्त करता है।)

दास और सिन्हा एक फर्म में साझेदार हैं और 4:1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे फर्म में पाल को 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं, जिसे पाल पूर्णतः दास से प्राप्त करता है। साझेदारों का नया लाभ-विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल

चूँकि पाल अपना भाग पूर्णतः दास से प्राप्त करेगा, अतः दास के नए भाग की गणना इस प्रकार की जाएगी :

दास का नया भाग $= \frac{4}{5} - \frac{1}{4} = \frac{11}{20}$

सिन्हा का भाग $= \frac{1}{5}$ अथवा $\frac{4}{20}$

पाल का भाग $= \frac{1}{4}$ अथवा $\frac{5}{20}$

नया लाभ-विभाजन अनुपात $= 11 : 4 : 5$

दास : सिन्हा : पाल

उदाहरण 4 (नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना)

राम और श्याम साझेदार हैं और 3:2 अनुपात में लाभ बाँटते हैं। वे घनश्याम को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। इसके लिए राम 1/4 भाग और श्याम 1/3 भाग का त्याग करते हैं। राम, श्याम और घनश्याम के नए लाभ-विभाजन अनुपात का निर्धारण कीजिए।

हल

राम का पुराना भाग $= \frac{3}{5}$

राम द्वारा किया गया त्याग $= \frac{1}{4}$

राम का त्याग $= \frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$

राम का नया अनुपात $= \frac{3}{5} - \frac{3}{20} = \frac{9}{20}$

श्याम का पुराना भाग $= \frac{2}{5}$

श्याम द्वारा किया गया त्याग $= \frac{1}{3}$

श्याम का त्याग $= \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$

श्याम का नया अनुपात $= \frac{2}{5} - \frac{2}{15} = \frac{4}{15}$

घनश्याम का भाग = राम का त्याग + श्याम का त्याग

$= \frac{3}{20} + \frac{2}{15} = \frac{17}{60}$

अत: राम, श्याम और घनश्याम का नया लाभ-विभाजन अनुपात

$= \frac{9}{20} : \frac{4}{15} : \frac{17}{60}$

अथवा 27 : 16 : 17

उदाहरण 5 (नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना)

सीता और गीता साझेदार हैं और वे 5 : 3 के अनुपात में लाभ विभाजित करती हैं। वे कविता और कामिनी को नए साझेदारों के रूप में शामिल करती हैं। सीता ने 1/2 भाग का त्याग कविता के पक्ष में किया और गीता ने 1/3 भाग का त्याग कामिनी के पक्ष में किया। सीता, गीता, कविता और कामिनी के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।

हल

सीता का पुराना भाग $= \frac{5}{8}$

कविता के पक्ष में त्याग $= \frac{1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{16}$

सीता का नया भाग $= \frac{5}{8} - \frac{5}{16} = \frac{5}{16}$

गीता का पुराना भाग $= \frac{3}{8}$

कामिनी के पक्ष में त्याग $= \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{24}$

गीता का नया भाग $= \frac{3}{8} - \frac{3}{24} = \frac{6}{24}$

सीता, गीता, कविता और कामिनी का नया लाभ-विभाजन अनुपात = 15 : 12 : 15 : 6

उदाहरण 6 (नए लाभ- विभाजन अनुपात की गणना)

संपत और गणपत साझेदार हैं और 2 : 1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे चंपत को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जिसे वह संपत और गणपत से 1:2 अनुपात में प्राप्त करता है। संपत, गणपत और चंपत के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।

हल

चंपत का भाग $= \frac{1}{5}$

यह 1/5 भाग वह संपत और गणपत से प्राप्त करता है, अत:

संपत का त्याग $= \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$

गणपत का त्याग $= \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$

संपत का नया भाग = पुराना भाग – त्याग

$= \frac{2}{3} - \frac{1}{15} = \frac{9}{15}$

गणपत का नया भाग = पुराना भाग – त्याग

$= \frac{1}{3} - \frac{2}{15} = \frac{3}{15}$

∴ संपत, गणपत और चंपत का नया लाभ-विभाजन अनुपात 3 : 1 : 1

3.2 त्याग अनुपात

वह अनुपात जिसमें फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के लाभ में भाग हेतु त्याग देते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है।

(साझेदार द्वारा दिया गया त्याग = लाभ में पुराना भाग – लाभ में नया भाग)

त्याग अनुपात की गणना की दृष्टि से निम्न स्थितियाँ हो सकती हैं :

3.2.1 जब प्रवेशी साझेदार अपने भाग की प्राप्ति सभी साझेदारों से करता है

इस स्थिति में पुराने साझेदार नए साझेदार के हिस्से के लिए अपने पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में त्याग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पुराने साझेदार नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात् भी लाभ का विभाजन उसी अनुपात में करते हैं। मान लीजिए, 'अ' और 'ब' साझेदार हैं, जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे 'स' को लाभ में 1/6 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। भविष्य में, 'अ', 'ब' और 'स' 3 : 2 : 1 के अनुपात में फर्म के भावी लाभ का विभाजन करेंगे क्योंकि 'स' के पक्ष में 1/6 भाग का त्याग 'अ' और 'ब' ने अपने पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में किया है। (जो कि 3 : 2 है)

3.2.2 जब प्रवेशी साझेदार किसी एक साझेदार से अपना लाभ प्राप्त करता है

ऐसी स्थिति में पुराने साझेदारों द्वारा दिया गया त्याग प्रवेशी साझेदार के लाभ के भाग के समान होता है। अतः पुराने साझेदारों के लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन आता है। मान लीजिए, 'अ' और 'ब' साझेदार हैं, जो लाभ व हानि का बँटवारा 5 : 3 अनुपात में करते हैं। वे 'स' को नए साझेदार के रूप में लाभ में ¼ हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जिसे 'स' केवल 'अ' से प्राप्त करेगा। 'अ' द्वारा दिया गया त्याग 'ब' के भावी लाभ के भाग के बराबर होगा जो कि ¼ है। अतः नया लाभ-विभाजन अनुपात 3 : 3 : 2 होगा।(देखें उदाहरण 3)

उदाहरण 7 (त्याग अनुपात की गणना)

रोहित और मोहित एक फर्म में साझेदार हैं, जो 5 : 3 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे विजय को लाभ में 1/7 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं तथा फर्म के भावी लाभ को 4 : 2 : 1 के अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। रोहित और मोहित के त्याग अनुपात की गणना कीजिए।

हल

रोहित का पुराना भाग $= \frac{5}{8}$

रोहित का नया भाग $= \frac{4}{7}$

रोहित का त्याग $= \frac{5}{8} - \frac{4}{7} = \frac{3}{56}$

मोहित का पुराना भाग $= \frac{3}{8}$

मोहित का नया भाग $= \frac{2}{7}$

$\therefore$ मोहित का त्याग $= \frac{3}{8} - \frac{2}{7} = \frac{5}{56}$

अतः रोहित और मोहित का त्याग अनुपात 3 : 5 होगा।

वैकल्पिक रूप में :

	मोहित	रोहित	विजय	योग	
पुराना अनुपात	5	3	--	8	(i)
नया अनुपात	4	2	1	7	(ii)

(i) को 7 से और (ii) को 8 से गुणा करें।

	मोहित	रोहित	
	35	21	(iii)
	32	16	(iv)

(iv) को (iii) से घटाइए।

त्याग अनुपात = 3 : 5

पुराने साझेदार प्रवेशी साझेदार के पक्ष में अपने लाभ-विभाजन अनुपात से हटकर त्याग करते हैं।

उदाहरण 8 (त्याग अनुपात की गणना)

अली और बहादुर एक फर्म में साझेदार हैं और 3 : 2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे लाभ में 1/4 हिस्से के लिए विक्रम को फर्म में शामिल करते हैं। अली और बहादुर का नया लाभ-विभाजन अनुपात 2 :1 होगा। उनके त्याग अनुपात की गणना किजिए।

हल

विक्रम का भाग $= \frac{1}{4}$

शेष भाग $= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$\therefore$ अली का नया भाग $= \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$

$\therefore$ बहादुर का नया भाग $= \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12}$

अली, बहादुर और विक्रम का नया लाभ-विभाजन अनुपात $= 2 : 1 : 1$

अब हम अली और बहादुर के त्याग अनुपात की गणना इस प्रकार करेंगे :

अली का त्याग $= \frac{3}{5} - \frac{2}{4} = \frac{2}{20}$

बहादुर का त्याग $= \frac{3}{5} - \frac{2}{4} = \frac{3}{20}$

अतः अली और बहादुर का त्याग अनुपात 2 : 3 होगा।

उदाहरण 9 (साझेदार के त्याग अथवा प्राप्त-लाभ की गणना)

रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं तथा 4 : 3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे मोहन को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। रमेश, सुरेश और मोहन का नया लाभ-विभाजन अनुपात 2 : 3 : 1 होगा। पुराने साझेदारों के प्राप्त लाभ अथवा त्याग अनुपात की गणना कीजिए।

हल

रमेश का पुराना भाग $= \frac{4}{7}$

रमेश का नया भाग $= \frac{2}{6}$

रमेश का त्याग $= \frac{4}{7} - \frac{2}{6} = \frac{10}{42}$

सुरेश का नया लाभ $= \frac{3}{6}$

सुरेश का पुराना लाभ $= \frac{3}{7}$

सुरेश का अधिलाभ $= \frac{3}{6} - \frac{3}{7} = \left(\frac{3}{42}\right)$

मोहन का भाग $= \frac{7}{42}$

रमेश का त्याग = (सुरेश का प्राप्त-लाभ) + (मोहन का प्राप्त-लाभ)

$$= \frac{3}{42} + \frac{7}{12} = \frac{10}{42}$$

टिप्पणी : *कभी-कभी नए साझेदार को शामिल करते समय एक या एक से अधिक साझेदारों के भावी लाभ के अनुपात में वृद्धि होती है। अतः अधिलाभ और त्याग दोनों की गणना करनी होगी।*

3.3 ख्याति का लेखांकन

गत वर्षों में पुराने साझेदारों द्वारा फर्म की साख बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम को ख्याति कहते हैं। अत: प्रवेशी साझेदार पुराने साझेदारों से लाभ में अपना भाग प्राप्त करता है। जिसके लिए उसे उसका मुआवजा देना पड़ता है। इस भुगतान को (ख्याति) प्रीमियम भी कहते हैं। लेखांकन के दृष्टिकोण से, इसकी निम्न अवस्थाएँ होती हैं :

3.3.1 जब ख्याति (प्रीमियम) गुप्त रूप से दी जाती है

ऐसी स्थिति में, ख्याति का लेखा फर्म की पुस्तकों में नहीं किया जाता है क्योंकि यह किसी भी प्रकार का व्यावसायिक लेनदेन नहीं है। अत: इस संदर्भ में कोई रोजनामचा प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

उदाहरण 10 (गुप्त रूप से प्राप्त प्रीमियम)

मधु और सुरेश साझेदार हैं और 3 : 1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल, 2002 को, वे लाभ में 1/4 भाग के लिए रजनी को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। रजनी 50,000 रु. गुप्त ख्याति (प्रीमियम) के रूप में मधु और सुदेश को देती है। उपर्युक्त लेनदेन का लेखा, यदि कोई है, मधु और सुदेश की पुस्तकों में किस प्रकार किया जाएगा।

हल

चूँकि रजनी ने मधु और सुदेश को ख्याति की राशि गुप्त रूप से दी है इसलिए इस लेनदेन की रोजनामचा प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

3.3.2 जब प्रवेशी साझेदार द्वारा ख्याति (प्रीमियम) नकद लाया जाता है और उसे व्यवसाय में सुरक्षित रखा जाता है

जब प्रवेशी साझेदार ख्याति में अपना अंश नकद रूप में लाता है तो उस राशि को पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसमें ध्यान योग्य बात यह है कि प्रवेशी साझेदार द्वारा लाई गई नकद राशि फर्म की पुस्तकों में गैर-अभिलेखित परिसंपत्ति के रूप में दिखाई जाती है। अत: यह अवस्था गैर-अभिलेखित परिसंपत्ति के विक्रय के समान होती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं :

- *प्रीमियम (ख्याति लाने पर)*

  रोकड़ / बैंक खाता — नाम

      प्रीमियम खाता

- *ख्याति का पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात के अनुसार पूँजी खातों में हस्तांतरण करने पर*

  प्रीमियम(ख्याति) खाता — नाम

      त्यागी साझेदारों का पूँजी/चालू खाता

हालांकि, उपर्युक्त दो प्रविष्टियों के बजाय केवल एक ही प्रविष्टि दी जा सकती है :

रोकड़ / बैंक खाता — नाम

    त्यागी साझेदारों का पूँजी/चालू खाता

उदाहरण 11 (जब प्रीमियम नकद लाया जाता है)

जॉन और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं तथा 5 : 3 के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। वे बशीर को नए साझेदार के रूप में लाभ में 1/5 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। बशीर लाभ में 1/5 हिस्से के लिए 20,000 रु. ख्याति के रूप में लाता है। बशीर के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। नया लाभ-विभाजन अनुपात 3 : 1 : 1 है।

हल

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	बैंक खाता — नाम ख्याति खाता (बशीर ख्याति का मूल्य नकद के रूप में लाया)		20,000	 20,000

	ख्याति खाता नाम जॉन का पूँजी खाता मोहन का पूँजी खाता (बशीर द्वारा लाई गई ख्याति राशि का जॉन और मोहन के पूँजी खाते में हस्तांतरण)		20,000	 2,500 17,500

हल के संदर्भ में टिप्पणी

जॉन का पुराना भाग $=\frac{5}{8}$

जॉन का नया भाग $=\frac{3}{5}$

जॉन का त्याग $=\frac{5}{8}-\frac{3}{5}=\frac{1}{40}$

मोहन का पुराना भाग $=\frac{3}{8}$

मोहन का नया भाग $=\frac{1}{5}$

मोहन का त्याग $=\frac{3}{8}-\frac{1}{5}=\frac{7}{40}$

अत: त्याग अनुपात 1:7 है।

उदाहरण 12 (जब प्रीमियम नकद में लाया जाता है)

'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं और 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल, 2003 को वे 'स' को फर्म में प्रवेश देते हैं। 'अ', 'ब' और 'स' का नया लाभ-विभाजन अनुपात 3:1:1 है। 'स' पूँजी के रूप में 50,000 रुपए और ख्याति के 12,000 लाती है। ख्याति के लेखांकन की फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
2003 अप्रैल	बैंक खाता नाम		62,000	
	'स'-पूँजी खाता			50,000
	ख्याति खाता			12,000
	(लाभ में 1/5 भाग के लिए 'स' द्वारा ख्याति की राशि लाई गई)			
	ख्याति खाता नाम		12,000	
	'अ' का पूँजी खाता			4,000
	'ब' का पूँजी खाता			8,000
	('स' द्वारा लाई गई ख्याति प्रीमियम को 'अ' और 'स' के पूँजी खाते में हस्तांतरण)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

'अ' का पुराना भाग $=\frac{2}{3}$

'अ' का नया भाग $=\frac{3}{5}$

'अ' का त्याग $=\frac{2}{3}-\frac{3}{5}=\frac{1}{15}$

'ब' का पुराना भाग $=\frac{1}{3}$

'ब' का नया भाग $=\frac{1}{5}$

'ब' का त्याग $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{2}{15}$

अत: त्याग अनुपात 1:2 है।

उदाहरण 13 (जब प्रीमियम नकद में लाया जाता है)

नीरु और परवीन साझेदार हैं और 4:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 1 अप्रैल, 2002 को ज्योति को नए साझेदार के रूप में लाभ में 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि फर्म के भावी लाभ को तीनों साझेदार बराबर बाँटेंगे। ज्योति लाभ में 1/3 हिस्से के लिए 15,000 ख्याति/प्रीमियम लाता है। फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

नीरु और परवीन और ज्योति की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
2003 1 अप्रैल	बैंक खाता ख्याति खाता (ज्योति द्वारा लाई गई ख्याति)	नाम		15,000	 15,000
	ख्याति खाता परवीन का पूँजी खाता नीरु का पूँजी खाता (ज्योति द्वारा लाया गया ख्याति प्रीमियम का पूँजी में हस्तांतरण)	नाम नाम		15,000 6,000	 21,000

हल के संदर्भ में टिप्पणी

चूँकि परवीन के भाग में 2/15 से वृद्धि हुई है इस कारण से वह नीरु को क्षतिपूर्ति करेगा। लाभ में 1/3 भाग के लिए ज्योति द्वारा लाया गया ख्याति प्रीमियम 15,000 रु. है। अत: परवीन नीरु को 6,000[1] रु. की क्षतिपूर्ति करेगा।

नीरु का पुराना भाग $=\frac{4}{5}$

नीरु का नया भाग $=\frac{1}{3}$

नीरु का त्याग $=\frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{7}{15}$

परवीन का पुराना भाग $=\frac{1}{5}$

परवीन का नया भाग $=\frac{1}{3}$

परवीन का अधिलाभ $= \frac{1}{5} - \frac{1}{3} = \left(\frac{2}{15}\right)$

ज्योति द्वारा लाई गई ख्याति = 15,000 रु.

परवीन द्वारा नीरु को क्षतिपूर्ति (रु.) $= 15{,}000 \times \frac{3}{1} \times \frac{2}{15}$ = 6,000 रु.

उदाहरण 14 (पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र)

मीना और नीना एक फर्म में साझेदार हैं तथा 5:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करती हैं। 1 अप्रैल, 2003 को उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दिनांक 1 अपैल, 2003 को मीना और नीना का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
मीना की पूँजी	80,000	बैंक	10,000
नीना की पूँजी	70,000	रहतिया	20,000
लेनदार	30,000	देनदार	30,000
		प्लांट एवं मशीनरी	40,000
		भवन	80,000
योग	**1,80,000**	**योग**	**1,80, 000**

तुलन-पत्र के दिनांक को वे लीना को नए साझेदार के रूप में निम्न शर्तों पर सम्मिलित करती हैं:

(i) नया लाभ-विभाजन अनुपात 2 : 3 : 3 होगा।

(ii) लीना 1,00,000 रु. नकद पूँजी के रूप में लाएगी तथा भावी लाभ में 3/8 हिस्से के लिए आवश्यक ख्याति प्रीमियम भी लाएगी। लीना के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 1,40,000 रु. मूल्यांकित की गई।

लीना के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए तथा साझेदारों के पूँजी खाते और पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र तैयार कीजिए।

हल

मीना, नीना और लीना की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2003	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
अप्रैल 1	बैंक खाता नाम लीना का पूँजी खाता ख्याति प्रीमियम खाता (लीना द्वारा पूँजी और ख्याति प्रीमियम लाया गया)		1,52,500	 1,00,000 52,500
	ख्याति प्रीमियम खाता नाम नीना का पूँजी खाता नाम मीना का पूँजी खाता (लीना द्वारा लाई गई ख्याति की राशि का मीना के पूँजी खाते में हस्तांतरण और नीना की पूँजी भी समानुपात राशि से नाम किया गया)		52,500 12,500	 65,000

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ. सं.	मीना	नीना	लीना	दिनांक	विवरण	पृ. सं.	मीना	नीना	लीना
2003 अप्रैल 1	मीना		---	12,500	52,500	2003	शेष आ/ला		80,000	70,000	---
						अप्रैल 1	बैंक		---	---	1,52,500
	शेष आ/ले		1,45,000	57,500	1,00,000		ख्याति प्रीमियम		12,500[2]		
							लीना		52,500[1]		
	योग		**1,45,000**	**70,000**	**1,52,500**		**योग**		**1,45,000**	**70,000**	**1,52,500**

दिनांक अप्रैल 1, 2003 का नीना और मीना का तुलन-पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
मीना की पूँजी	1,45,000	बैंक	1,62,500
नीना की पूँजी	57,500	रहतिया	20,000
लीना की पूँजी	1,00,000	देनदार	30,000
लेनदार	30,000	प्लांट और मशीनरी	40,000
		भवन	80,000
योग	**3,32,500**	**योग**	**3,32,500**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

ख्याति में लीना का भाग $= \frac{3}{8} \times 1{,}40{,}000$ रु.

$= 52{,}500$[1] रु.

मीना का पुराना भाग $= \frac{5}{7}$

मीना का नया भाग $= \frac{2}{8}$

मीना का त्याग $= \frac{5}{7} - \frac{2}{8} = \frac{26}{56}$

नीना का पुराना भाग $= \frac{2}{7}$

नीना का नया भाग $= \frac{3}{8}$

नीना का प्राप्त लाभ $= \frac{3}{8} - \frac{2}{7}$

$= \frac{21\text{-}16}{56} = \frac{5}{56}$

चूँकि लीना के प्रवेश से नीना के भाग में वृद्धि हुई है इस कारण से नीना, मीना की क्षतिपूर्ति करेगी :

$= 14{,}000$ रु. $\times \frac{5}{56} = 12{,}500$ रु.

3.3.3 जब नए साझेदार द्वारा नकद ख्याति प्रीमियम नहीं लाया जाता है

कभी-कभी नया साझेदार अपना प्रीमियम का भाग नकद न लाकर परिसंपत्तियों के रूप में लाता है। सामान्यतया, यह उन परिस्थितियों में होता है जब किसी एकल व्यापार में नया व्यक्ति साझेदार के रूप में प्रवेश करता है और एकल व्यापार साझेदारी फर्म में रूपांतरित होता है। ऐसी स्थिति में, परिसंपत्ति खाते को नाम (डेबिट) और ख्याति प्रीमियम खाते और नए साझेदार के पूँजी खाते को जमा (क्रेडिट) करते हैं। इसके पश्चात् ख्याति के मूल्य को त्याग अनुपात में साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

- *नए साझेदार द्वारा परिसंपत्ति लाने पर*

  परिसंपत्ति खाता (वैयक्तिक रूप में) नाम

  नए साझेदार का पूँजी खाता

  प्रीमियम (ख्याति) खाता

- *ख्याति के मूल्य को पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण करने पर*

  ख्याति प्रीमियम खाता नाम

  पुराने साझेदारों का पूँजी खाता (त्याग अनुपात में)

उदाहरण 15 (परिसंपत्ति के रूप में प्रीमियम)

मानस और मुकुल साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। अप्रैल 1, 2003 को वे मानव को लाभ में 3/13 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। उनका नया लाभ-विभाजन अनुपात 5:5:3 होगा। मानव पूँजी और 3/13 भाग के लिए ख्याति हेतु निम्न परिसंपत्तियाँ लाता है – रहतिया 40,000 रु., देनदार 60,000 रु., भूमि 1,00,000 रु., प्लांट एवं मशीनरी 60,000 रु.। मानव के प्रवेश के समय ख्याति 5,20,000 रु. पर मूल्यांकित की गई। मानव के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए तथा मानव का पूँजी खाता बनाइए।

हल

मानस, मुकुल और मानव की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
2003				
अप्रैल 1	परिसंपत्ति खाता नाम		2,60,000	
	मानव का पूँजी खाता			1,40,000
	प्रीमियम खाता			1,20,000
	(प्रवेश पर मानव परिसंपत्तियाँ लाया)			
	मानव का पूँजी खाता नाम		1,20,000[1]	
	मानस का पूँजी खाता			1,12,000[2]
	मुकुल का पूँजी खाता			8,000
	(ख्याति प्रीमियम का मानस और मुकुल के पूँजी खाते में हस्तांतरण)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

मानव का ख्याति में भाग $= 5,20,000 \times \frac{3}{13}$

$= 1,20,000$[1]

मानस का पुराना भाग $= \frac{3}{5}$

मानस का नया भाग $= \frac{5}{13}$

मानस का त्याग $= \frac{3}{5} - \frac{5}{13} = \frac{14}{65}$

मुकुल का पुराना भाग $= \frac{2}{5}$

मुकुल का नया भाग $= \frac{5}{13}$

मुकुल का त्याग $= \frac{2}{5} - \frac{5}{13} = \frac{1}{65}$

त्याग अनुपात = 14 : 1

ख्याति के भाग का मानस के पूँजी खाते में हस्तांतरण

$= \frac{14}{15} \times 1,20,000 = 1,12,000$[2]

ख्याति के भाग का मुकुल के पूँजी खाते में हस्तांतरण

$= \frac{1}{15} \times 1,20,000 = 8,000$[3]

मानव का पूँजी खाता

नाम जमा

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
2003 अप्रैल 1	शेष आ/ले		1,40,000	2003 अप्रैल 1	परिसंपत्तियाँ		1,40,000
	योग		**1,40,000**		**योग**		**1,40,000**

3.3.4 जब नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों द्वारा पूर्णत: अथवा आंशिक रूप में बाँट ली जाती हैं :

कभी-कभी फर्म के पुराने साझेदार प्रवेशी साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से बाँट लेते हैं। ऐसी स्थिति में, साझेदारों द्वारा पूँजी का कुछ भाग निकालने के लिए प्रीमियम लाने व हस्तांतरण की दो प्रविष्टियों के साथ-साथ आहरण की एक अतिरिक्त प्रविष्टि भी की जाती है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रविष्टि की जाएगी :

पुराने साझेदारों का पूँजी खाता नाम
    रोकड़ / बैंक खाता

उदाहरण 16 (लाई गई ख्याति को पूर्ण रूप से बाँटा जाना)

पल्लवी और पूनम एक फर्म में साझेदार हैं, जो 2 : 3 के अनुपात में लाभ को विभाजित करती हैं। वे 1 जनवरी, 2003 को ऋतु को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। ऋतु पूँजी के रूप में 80,000 रु. और लाभ में अपने 1/8 भाग के लिए 18,000 रु. लाता है। पल्लवी, पूनम और ऋतु के बीच नया लाभ-विभाजन अनुपात 3:3:2 है। पल्लवी और पूनम ख्याति की राशि को पूर्णत: बाँटने का निर्णय लेती हैं। फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

पल्लवी, पूनम और ऋतु

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
जनवरी 1	बैंक खाता नाम		98,000	
	ऋतु का पूँजी खाता			80,000
	प्रीमियम खाता			18,000
	(ऋतु से पूँजी और ख्याति की राशि प्राप्त)			
(i)	ख्याति प्रीमियम खाता नाम		18,000	
	पल्लवी का पूँजी खाता			1,800
	पूनम का पूँजी खाता			16,200
	(ख्याति की राशि का साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण)			
(ii)	पल्लवी का पूँजी खाता नाम		1,800	
	पूनम का पूँजी खाता नाम		16,200	
	बैंक खाता			18,000
	(ख्याति की राशि साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

	पल्लवी	पूनम	ऋतु	योग	
पुराना अनुपात	2	3	—	5..	..(i)
नया अनुपात	3	3	2	8..	..(ii)
(i) को 8 से और					
(ii) को 5 से गुणा करने पर	16	24		40	(iii)
(iv) को (iii) से घटाने पर	15	15		40	(iv)
त्याग अनुपात = 1 : 9					

उदाहरण 17 (लाई गई ख्याति प्रीमियम को आंशिक रूप से बाँटा जाए)

'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं और 8:7 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। 31 मार्च, 2003 को उनकी पूँजी क्रमशः 80,000 रु. और 70,000 रु. थी। इसी तिथि को वे लाभ में 1/3 भाग के लिए 'स' को फर्म में प्रवेश देते हैं। 'स' 50,000 रु. पूँजी के रूप में और लाभ में 1/3 भाग के लिए 15,000 रु. ख्याति प्रीमियम के रूप में लाता है। 'स' द्वारा लाई गई आधी ख्याति की राशि को 'अ' और 'ब' आपस में बाँट लेने का निर्णय लेते हैं। 'स' के फर्म में प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए और साझेदारों के पूँजी खाते बनाइए।

हल

'अ', 'ब' और 'स' की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
मार्च 1	बैंक खाता नाम		65,000	
	'स' का पूँजी खाता			50,000
	ख्याति प्रीमियम खाता			15,000
	('अ' द्वारा लाई गई पूँजी और ख्याति प्रीमियम की राशि)			
	ख्याति प्रीमियम खाता नाम		15,000	
	'अ' का पूँजी खाता			8,000
	'ब' का पूँजी खाता			7,000
	('स' द्वारा लाई गई ख्याति प्रीमियम की राशि साझेदारों के पूँजी खाते में अनुपात में हस्तांतरित)			

	'अ' का पूँजी खाता नाम 'ब' का पूँजी खाता नाम बैंक खाता (ख्याति प्रीमियम की आधी राशि 'अ' और 'ब' ने आपस में बाँटी)		14,000 3,500	7,500

साझेदारों के पूँजी खाते

दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	'अ' रु.	'ब' रु.	'स' रु.	दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	'अ' रु.	'ब' रु.	'म' रु.
मार्च 31	बैंक शेष आ/ले		4,000 84,000	3,500 73,500	50,000	मार्च 31	शेष आ/ले बैंक प्रीमियम (ख्याति)		80,000 8,000	70,000 7,000	 50,000
	योग		**88,000**	**77,000**	**50,000**		**योग**		**88,000**	**77,000**	**50,000**

3.3.5 जब नया साझेदार ख्याति प्रीमियम का केवल एक भाग नकद रूप में लेकर आता है

कभी-कभी प्रवेशी साझेदार ख्याति प्रीमियम का पूरा भाग लाने में समर्थ नहीं होता है, अत: वह केवल उसका एक भाग लेकर आता है। ऐसी स्थिति में नए साझेदार का पूँजी खाता लायी गई पूँजी की राशि से जमा (क्रेडिट) किया जाएगा तथा हस्तांतरण प्रविष्टि करते समय उसका पूँजी खाता उसके पूरे अधिलाभ (ख्याति) से किया जाएगा। इस प्रकार उसके नाम खाते में नाम शेष रह जाएगा या फिर उसकी पूँजी उसकी राशि से कम हो जाएगी। पुराने साझेदारों के पूँजी खातों को त्याग अनुपात में ख्याति प्रीमियम के मूल्य से जमा किया जाएगा तथा ख्याति प्रीमियम के मूल्य को नाम किया जाएगा। यदि दोनों स्थायी व चालू खाते खोले गए हैं तो साझेदार के नए स्थायी व चालू खाते क्रमश: नाम किए जाएंगे। इसमें ध्यान योग्य बिंदु यह है कि ख्याति खाते नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति राशि से नाम (डेबिट) किया जाता है तथा नए साझेदार के पूँजी खाते को शेष राशि से नाम (डेबिट) किया जाएगा।

उदाहरण 18 (ख्याति प्रीमियम का केवल एक भाग लाने पर)

पूजा और संदीप एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। वे लाभ में 1/5 भाग के लिए तुषार को फर्म में शामिल करते हैं। तुषार 50,000 रुपए के रूप में पूँजी लाता है। लाभ में अपने 1/5 भाग के लिए तुषार को 8,000 रु. की ख्याति राशि लानी है, किंतु किसी कारणवश वह केवल 5,000 रुपए ही ला सका है। पूजा, संदीप और तुषार के बीच नया लाभ-विभाजन अनुपात 4:3:2 है। फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

पूजा, संदीप और तुषार की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता नाम		55,000	
	तुषार का पूँजी खाता			50,000
	ख्याति/प्रीमियम खाता			5,000
	(तुषार 50,000 रु. की पूँजी और 5,000 रु. की ख्याति लाया)			
	ख्याति/प्रीमियम खाता नाम		5,000	
	तुषार का पूँजी खाता नाम		3,000	
	पूजा का पूँजी खाता			5,600
	संदीप का पूँजी खाता			2,400
	(पूजा और संदीप के पूँजी खातों में ख्याति की राशि का त्याग अनुपात में हस्तांतरण)			

वैकल्पिक विधि : रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता नाम		55,000	
	तुषार का पूँजी खाता			50,000
	प्रीमियम खाता			5,000
	तुषार का पूँजी खाता नाम		5,000	
	तुषार का चालू खाता नाम		3,000	
	पूजा का पूँजी खाता			5,600
	संदीप का पूँजी खाता			2,400

हल के संदर्भ में टिप्पणी

विवरण	पूजा	संदीप	तुषार	योग
पुराना अनुपात	3	2	-	5(i)
नया अनुपात	4	3	2	9(ii)
(i) को 9 से और (ii) को 5 से गुणा करें	27	18	-	45(iii)
(iv) को (iii) से घटाएं	20	15	10	45(iv)

त्याग अनुपात **7 : 3** है

3.3.6 जब नया साझेदार अपने ख्याति/प्रीमियम का भाग नकद में लाने में असमर्थ रहता है

कभी-कभी नया साझेदार नकद प्रीमियम राशि लाने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में, नए साझेदार के पूँजी खाते को उसके ख्याति के भाग से नाम (डेबिट) और पुराने साझेदारों के पूँजी खातों को त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टि की जाएगी :

नए साझेदार का पूँजी खाता (ख्याति में उसके भाग के लिए) नाम
त्यागी साझेदारों का पूँजी खाता (त्याग के अनुपात में)

उदाहरण 19 (ख्याति प्रीमियम लाने में असमर्थ)

नीरज और शिल्पी एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। 1 जनवरी, 2003 को वे लाभ में 1/6 भाग के लिए ओंकार को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। ओंकार 2,00,000 रुपए पूँजी के रूप में लाता है, परंतु लाभ में अपने भाग के लिए ख्याति प्रीमियम लाने में असमर्थ रहता है। ओंकार के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 1,50,000 रु. पर मूल्यांकित की गई। फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

नीरज, शिल्पी और ओंकार की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
जनवरी 1	बैंक खाता नाम		2,00,000	
	ओंकार का पूँजी खाता			2,00,000
	(ओंकार फर्म में लाया)			
	ओंकार का पूँजी खाता नाम		25,000[1]	
	नीरज का पूँजी खाता			15,000
	शिल्पी का पूँजी खाता			10,000
	(ओंकार के भाग की ख्याति की राशि को त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

चूँकि नया लाभ-विभाजन अनुपात नहीं दिया गया है। अतः नीरज और शिल्पी अपने पुराने लाभ- विभाजन अनुपात में त्याग करेंगे। इसलिए, त्याग अनुपात 3:2 होगा।

कुल ख्याति = 1,50,000 रु.

ओंकार का लाभ में भाग $= \frac{1}{6}$

ओंकार का ख्याति में भाग $= \frac{1}{6} \times 1,50,000$ रु.

$= 25,000$[1]

सामान्यतया ख्याति/प्रीमियम खाता, जो अमूर्त प्रकृति का होता है, को चालू फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है। यद्यपि फर्म के पुनर्गठन के समय, साझेदार फर्म की ख्याति समेत परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में, ख्याति को नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व फर्म के तुलन-पत्र में दिखाया जाता है। तत्पश्चात् वर्तमान साझेदारों के पूँजी खातों को पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में नाम (डेबिट) और ख्याति खाते को जमा (क्रेडिट) करके ख्याति खाते को बंद कर दिया जाता है।

उदाहरण 20 (प्रवेश के समय पुस्तक में ख्याति विद्यमान)

हर्षद और मनीष एक फर्म में साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे फरवरी 1, 2003 को हरीश को फर्म में प्रवेश देते हैं। फर्म के भावी लाभ में हर्षद, मनीष और हरीश बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। लाभ में 1/3 भाग के लिए हरीश 50,000 रु. की पूँजी और 21,000 रु. ख्याति प्रीमियम के रूप में लाता है। हरीश के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 14,000 रु. मूल्यांकित की जाती है। हरीश के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल :

हर्षद, मनीष और हरीश की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
फरवरी 1	हर्षद का पूँजी खाता नाम		8.000	
	मनीष का पूँजी खाता नाम		6,000	
	ख्याति खाता			14,000
	(फर्म की पुस्तकों को दिखाई गई ख्याति की राशि को अपलिखित किया गया)			
फरवरी 1	बैंक खाता नाम		71,000	
	हरीश का पूँजी खाता			50,000
	ख्याति प्रीमियम खाता			21,000
	(हरीश पूँजी और ख्याति की राशि लेकर आया)			
फरवरी 1	ख्याति खाता नाम		21,000	
	हर्षद का पूँजी खाता			15,000
	मनीष का पूँजी खाता			6,000
	(हरीश द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को हर्षद और मनीष के पूँजी खाते में हस्तांतरित किया गया)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

हर्षद का त्याग $= \frac{4}{7} - \frac{1}{3} = \frac{5}{21}$

मनीष का त्याग $= \frac{3}{7} - \frac{1}{3} = \frac{2}{21}$

त्याग अनुपात = 5:2

उदाहरण 21 (प्रवेश पर ख्याति प्रीमियम विद्यमान)

अंशु और अनूप एक फर्म में साझेदार हैं और 5:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 जनवरी, 2003 को वे शिल्पी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। उनका भावी लाभ में अनुपात 4:3:2 है। शिल्पी 1,00,000 रु. पूँजी के रूप में लाती है किंतु अपने भाग के लिए ख्याति लाने में असमर्थ रहती है। शिल्पी के प्रवेश पर फर्म की ख्याति 1,80,000 रुपए मूल्यांकित की जाती

है। शिल्पी के प्रवेश के समय 2,40,000 रुपए की ख्याति फर्म की पुस्तकों में विद्यमान थी। शिल्पी के प्रवेश पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

रोजनामचा

दिनांक	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
जनवरी 1	बैंक खाता	नाम		1,00,000	
	शिल्पी का पूँजी खाता				1,00,000
	(प्रवेश के समय शिल्पी द्वारा लाई गई पूँजी)				
जनवरी 1	अंशु का पूँजी खाता	नाम		1,50,000	
	अनूप का पूँजी खाता	नाम		90,000	
	ख्याति खाता				2,40,000
	(पुस्तकों में विद्यमान ख्याति अपलिखित की गई)				
	शिल्पी का पूँजी खाता	नाम		40,000[1]	
	अंशु का पूँजी खाता				32,500[2]
	अनूप का पूँजी खाता				7,500[3]
	(शिल्पी के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के पूँजी खातो में ख्याति को त्याग अनुपात में जमा किया गया)				

हल के संदर्भ में टिप्पणी

(1) अंशु का त्याग $= \frac{5}{8} - \frac{4}{9} = \frac{13}{72}$

अनूप का त्याग $= \frac{3}{8} - \frac{3}{9} = \frac{3}{72}$

त्याग अनुपात = 13:3

ख्याति में शिल्पी का भाग $= \frac{2}{9} \times 1{,}80{,}000$ रु. $= 40{,}000^1$ रु.

(2) अंशु के खाते में जमा की गई राशि की गणना $= 40{,}000^2 \times \frac{13}{16} = 32{,}500^2$ रु.

(3) अनूप के खाते में जमा की गई राशि की गणना $= 40{,}000^2 \times \frac{3}{16} = 7{,}500^3$ रु.

3.3.7 प्रच्छन्न ख्याति

कभी-कभी नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्य नहीं दिया गया होता। ऐसी स्थिति में पूँजी विनियोग की व्यवस्था और लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए, 'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं और फर्म के लाभ को बराबर बाँटते हैं। प्रत्येक साझेदार का पूँजी विनियोग 40,000 रु. है। वे लाभ में 1/3 भाग के लिए 'स' को फर्म में शामिल करते हैं। 'स' 60,000 रु. पूँजी के रूप में लाता है। अत: 'स' की पूँजी के आधार पर नई पुनर्गठित फर्म की कुल पूँजी 1,80,000 रु. होगी (60,000 रु. × 3) जबकि, फर्म में 'अ', 'ब' और 'स' की कुल पूँजी 1,40,000 रु. है (40,000 रु. + 40,000 रु. + 60,000 रु. = 1,40,000)। चूँकि फर्म की कुल पूँजी 1,40,000 रु. है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि फर्म में 40,000 रु. की ख्याति विद्यमान है, जिसे 'अ' और 'ब' बराबर हिस्से में बाँटेंगे।

उदाहरण 22 (प्रच्छन्न ख्याति)

हेम और नेम एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। उनकी पूँजी क्रमशः 80,000 रु. और 50,000 रु. है। वे 1 जनवरी, 2003 को किशन को भावी लाभ में 1/5 भाग के लिए शामिल करता है। किशन 60,000 रु. की पूँजी लेकर आता है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए और किशन के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

हेम, नेम और किशन की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
जनवरी 1	बैंक खाता नाम किशन की पूँजी (किशन फर्म में पूँजी लेकर आया)		60,000	 60,000
जनवरी 1	किशन का पूँजी खाता नाम हेम का पूँजी खाता नेम का पूँजी खाता (ख्याति की राशि हेम और नेम के पूँजी खाते में हस्तांतरित)		22,000[1]	 13,200 8,800

हल के संदर्भ में टिप्पणी

किशन की पूँजी	= 60,000
किशन का हिस्सा	$= \frac{1}{5}$
पुनर्गठित फर्म की कुल पूँजी	$= 60,000 \times 5 = 3,00,000$
हेम, नेम और किशन की विनियोजित पूँजी (रु.)	$= 80,000 + 50,000 + 60,000 = 1,90,000$
फर्म की ख्याति का मूल्य (रु.)	= 1,10,000
किशन का भाग	$= \frac{1}{5} \times 1,10,000 = 22,000$[1]

3.4 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का लेखांकन व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि बीमा प्रीमियम को हम आयगत व्यय अथवा पूँजीगत व्यय के रूप में मान रहे हैं। इस संदर्भ में व्याख्या निम्नवत् अनुच्छेदों में की गई है :

(अ) जब प्रीमियम को आयगत व्यय मानते हैं :

ऐसी स्थिति में, जब फर्म के साझेदार संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो भुगतान किए गए प्रीमियम को व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में नाम किया जाता है (क्योंकि इसे आयगत मद मानते हैं)। अत: पुरानी फर्म के तुलन-पत्र में इसे नहीं दर्शाया जाता है। हालांकि प्रत्येक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का एक समय पर अभ्यर्पण मूल्य होता है (केवल पॉलिसी प्राप्त करने वाले वर्ष को छोड़कर) साझेदार के प्रवेश पर, इसे अभ्यर्पण मूल्य पर अभिलिखित करेंगे। इस संदर्भ में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को नाम और पुराने साझेदारों के पूँजी खाते को पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में जमा किया जाएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टि दी जाएगी :

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता नाम
    पुराने साझेदारों के पूँजी खाते (पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में)

यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य लेखांकन व्यवहार नहीं दिया है तो इसे तुलन-पत्र में परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा।

उदाहरण 23 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

एकता और फरहा एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करती हैं। 1 मार्च, 2003 को वे गीता को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निर्णय लेती हैं। गीता 70,000 रुपए की पूँजी लेकर आती है। गीता के प्रवेश पर फर्म में 5,00,000 रु. की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी थी। पॉलिसी पर 12,000 रुपए का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान हुआ जिसे एकता और फरहा के पूँजी खाते में नाम किया गया। गीता के प्रवेश पर पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य 30,000 रु. था। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

एकता, फरहा और गीता की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
2003	बैंक खाता	नाम		70,000	
मार्च 1	गीता का पूँजी खाता				70,000
	(गीता नकद पूँजी लाई)				
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी	नाम		30,000	
	एकता का पूँजी खाता				18,000
	फरहा का पूँजी खाता				12,000
	(संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य पर अभिलेखित)				

कभी-कभी नए साझेदार के प्रवेश के समय संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य पर अभिलेखन के पश्चात् संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को फर्म की पुस्तकों में न दिखाने का निर्णय, लिया जाता है। ऐसी स्थिति में, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को सभी साझेदारों के पूँजी खाते में (नए साझेदार सहित) नए लाभ-विभाजन अनुपात में नाम (डेबिट) किया जाता है तथा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को जमा (क्रेडिट) किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नवत् प्रविष्टि दी जाती है :

समस्त साझेदारों का पूँजी खाता　　　　नाम　　　　(नए लाभ-विभाजन अनुपात में)

　　संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी

उदाहरण 24 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

सीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:1 अनुपात में लाभ का विभाजन करती हैं। वे फर्म के भावी लाभ में 1/4 भाग के लिए मीता को शामिल करती हैं। सीता, गीता और मीता के मध्य

नया लाभ-विभाजन अनुपात 2:1:1 रहेगा। मीता 75,000 रु. पूँजी के रूप में लाती है। मीता के प्रवेश की तिथि (1.1.2002) पर फर्म के पास 10,00,000 रु. की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी थी। सीता और गीता वार्षिक प्रीमियम को आयगत व्यय मानती हैं। पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य 80,000रु. है। सीता, गीता और मीता ने संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को तुलन-पत्र में न दिखाने का फैसला लिया। मीता के प्रवेश पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

सीता, गीता और मीता की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
2003 1 मार्च	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी नाम		80,000	
	सीता का पूँजी खाता			60,000
	गीता का पूँजी खाता			20,000
	(गीता के प्रवेश पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)			
	सीता का पूँजी खाता नाम		40,000	
	गीता का पूँजी खाता नाम		20,000	
	मीता का पूँजी खाता नाम		20,000	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी			80,000
	(पॉलिसी के अर्भ्यपण मूल्य अपलिखित)			

(ब) जब प्रीमियम को पूँजीगत व्यय मानते हैं :

जब प्रीमियम के भुगतान को पूँजीगत व्यय माना जाता है, तब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को उसके मूल्य पर ही उसे तुलन-पत्र में दिखाया जाता है। इसीलिए, साझेदार के प्रवेश पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के आगामी लेखांकन की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, यदि साझेदार संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को पुस्तकों में न दिखाने का निर्णय लेते हैं। तब उसी को पुराने साझेदारों के (पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में) खातों को नाम करके तथा ख्याति को जमा करके अपलिखित कर दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्न रोजनामचा प्रविष्टि दी जाएगी :

पुराने साझदारों के पूँजी खाते नाम

    पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में जीवन बीमा पॉलिसी खाता

उदाहरण 25 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं, तथा 2: 3 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। वे 1 अप्रैल, 2003 को 'स' को लाभ में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। 'स'

1,25,000 रु. पूँजी के रूप में तथा 25,000 रु. प्रीमियम के रूप में लाता है। 'स' के प्रवेश के समय, फर्म के तुलन-पत्र में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 40,000 रु. में दिखाई गई है। साझेदारों ने संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को फर्म की पुस्तकों में न दिखाने का निर्णय लिया। उपर्युक्त लेनदेन के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

हल

'अ', 'ब' और 'स' की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* (रु.)	*जमा राशि* (रु.)
अप्रैल 1	बैंक खाता	नाम		1,50,000	
	'स' का पूँजी खाता				25,000
	ख्याति (प्रीमियम) खाता				25,000
	('स' द्वारा पूँजी और ख्याति की राशि लाई गई)				
अप्रैल 1	ख्याति (प्रीमियम)	नाम		25,000	
	'अ' का पूँजी खाता				10,000
	'ब' का पूँजी खाता				15,000
	('स' द्वारा लाई गई ख्याति को 'अ' और 'ब' के पूँजी खाते में हस्तांतरित किया)				
अप्रैल 1	'अ' का पूँजी खाता	नाम		16,000	
	'ब' का पूँजी खाता	नाम		24,000	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी				40,000
	('स' के प्रवेश पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को अपलिखित किया)				

जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को पूँजीगत व्यय माना जाता है, तब अभ्यर्पण मूल्य के बराबर एक संचय सृजित किया जा सकता है। इसके उपरांत, तुलन-पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी अभ्यर्पण मूल्य पर दर्शायी जाती है और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय समान राशि को तुलन-पत्र के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। यदि नए साझेदार के प्रवेश पर समस्त साझेदार इन दोनों खातों को बंद करने का निर्णय लेते हैं तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते को नाम और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को जमा कर बंद कर दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्नवत् रोजनामचा प्रविष्टि दी जाती है :

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता नाम
    संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी

उदाहरण 26 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

दास और गुप्ता एक फर्म में साझेदार हैं तथा 1 अप्रैल, 2003 को नाथ को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में संयुक्त जीवन बीमा और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते को 30,000 रुपए में दिखाया गया था। समस्त साझेदारों ने यह निर्णय लिया कि यह दोनों खाते पुनर्गठित फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाए जाएँगे। इस संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

दास, गुप्ता और नाथ की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल	संयुक्त जीवन बीमा संचय खाता नाम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी (दोनों खातों को प्रवेश के समय बंद कर दिया गया)		30,000	30,000

3.5 संचय और समेकित लाभ-हानि खाते का समायोजन

कभी-कभी फर्म के तुलन-पत्र में संचय और समेकित लाभ-हानि खाता दर्शाया जाता है। नए साझेदार को इनमें से किसी में भी हिस्सा नहीं दिया जाता है। अतः संचय और समेकित लाभ-हानि खाते के शेष को पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टयाँ की जाती हैं :

- *संचय और समेकित लाभ के लिए*

  संचय खाता नाम
  लाभ-हानि खाता नाम
  पुराने साझेदारों का पूँजी खाता
  (पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में)

- *समेकित हानि की दशा में*

  पुराने साझेदारों का पूँजी खाता नाम
  लाभ-हानि खाता

उदाहरण 27 (संचय और समेकित लाभ एवं हानि)

राजेन्द्र और सुरेन्द्र एक फर्म में साझेदार हैं तथा 4:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 15 अप्रैल, 2003 को नरेन्द्र को फर्म में प्रवेश देते हैं। उपर्युक्त दिनांक को सामान्य संचय में 20,000 रु. और लाभ-हानि खाते में 50,000 रु. का शेष था। उपर्युक्त के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

राजेन्द्र, सुरेन्द्र और नरेन्द्र

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल 15	सामान्य संचय खाता नाम		20,000	
	राजेन्द्र का पूँजी खाता			16,000
	सुरेन्द्र का पूँजी खाता			4,000
	(नरेन्द्र के प्रवेश पर संचय साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित)			
	लाभ-हानि खाता नाम		50,000	
	राजेन्द्र का पूँजी खाता			40,000
	सुरेन्द्र का पूँजी खाता			10,000
	(नरेन्द्र के प्रवेश पर समेकित लाभ का पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण)			

उदाहरण 28 (समेकित हानि)

मुकुल और शिखा एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ को 11:5 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल, 2003 को वे शशी को लाभ में 1/8 भाग के लिए शामिल करते हैं। उपर्युक्त तिथि को लाभ-हानि खाता 80,000 रु. का नाम शेष दर्शाता है। शशी के प्रवेश पर लाभ-हानि शेष व्यवहार के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

मुकुल, शिखा और शशी

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल 1	मुकुल का पूँजी खाता नाम		55,000	
	शिखा का पूँजी खाता नाम		25,000	
	लाभ-हानि खाता			80,000
	(शशी के प्रवेश पर मुकुल और शिखा के पूँजी खाते में समेकित हानि का हस्तांतरण)			

3.6 परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण

नए साझेदार के प्रवेश के समय परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को वर्तमान मूल्यों पर दिखाया जाना आवश्यक हो जाता है। यदि परिसंपत्तियाँ अल्प मूल्यांकित अथवा अति मूल्यांकित होती हैं, तो उन्हें पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसी प्रकार दायित्वों का भी पुनर्निर्धारण किया जाता है ताकि उन्हें भी वर्तमान मूल्यों पर दर्शाया जा सके। कभी-कभी व्यवसाय में गैर-अभिलेखित परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व होते हैं, जिनका अभिलेखन किया जाता है। परिसंपत्तियों के पूनर्मूल्यांकन, दायित्वों के पुनर्निर्धारण एवं गैर-अभिलेखित परिसंपत्तियों एवं दायित्व हेतु फर्म की पुस्तकों में एक खाता तैयार किया जाता है जिसे ''पुनर्मूल्यांकन खाता'' कहा जाता है। इस खाते से उत्पन्न लाभ अथवा हानि को पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते में परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि तथा दायित्वों में कमी को जमा किया जाता है क्योंकि यह एक लाभ है। इसी प्रकार परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी तथा दायित्वों में वृद्धि को नाम किया जाता है क्योंकि यह हानि है। पुनर्मूल्यांकन खाते में, गैर-अभिलेखित दायित्वों को नाम तथा गैर अभिलेखित परिसंपत्तियों को जमा पक्ष में लिखा जाता है।

यदि पुनर्मूल्यांकन खाता जमा शेष दिखाता है तो उसे लाभ कहते हैं अन्यथा हानि कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ अथवा हानि को पुराने साझेदारों के पूँजी खाते में पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। परिसंपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं।

- *परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर :* (लाभ)

  परिसंपत्ति खाता नाम

  पुनर्मूल्यांकन खाता

- *परिसंपत्ति के मूल्य में कमी पर:* (हानि)

  पुनर्मूल्यांकन खाता नाम

  परिसंपत्ति खाता

- *दायित्व के मूल्य में वृद्धि पर :* (हानि)

  पुनर्मूल्यांकन खाता नाम

  दायित्व खाता

- *दायित्व के मूल्य में कमी पर :* (लाभ)

  दायित्व खाता नाम

  पुनर्मूल्यांकन खाता

- गैर-अभिलेखित परिसंपत्ति के लिए

परिसंपत्ति खाता   नाम   (लाभ)
    पुनर्मूल्यांकन खाता

- *गैर-अभिलेखित दायित्व के लिए*   (हानि)

पुनर्मूल्यांकन खाता   नाम
    दायित्व खाता

- *पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतिम शेष के लिए (यदि जमा शेष हो) (लाभ, पुराने अनुपात में)*

पुनर्मूल्यांकन खाता   नाम
    पुराने साझेदारों के पूँजी खाते (व्यक्तिगत रूप से)

- *पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतिम शेष के लिए (यदि नाम शेष हो हानि, पुराने अनुपात में)*

पुराने साझेदार के पूँजी खाते (व्यक्तिगत रूप से)   नाम
    पुनर्मूल्यांकन खाता

उदाहरण 29 (पुनर्मूल्यांकन खाता)

निम्नांकित तुलन-पत्र 'अ' और 'ब' की एक फर्म का है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं।

दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
विविध लेनदार	20,000	हस्तस्थ रोकड़	3,000
पूँजी खाते		देनदार	12,000
'अ' 30,000		रहतिया	15,000
'ब' 20,000	50,000	फर्नीचर	10,000
		प्लांट एवं मशीनरी	30,000
योग	**70,000**	**योग**	**70,000**

निम्नलिखित शर्तों पर 'स' को फर्म में शामिल किया गया

- रहतिये में 10% से कमी तथा प्लांट एवं मशीनरी में 10% से वृद्धि की गई।
- विविध देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया गया और 200 रु. बिजली का बिल दिया गया।

- फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन 9,000 रु. पर किया गया।
- 1,000 रु. के प्रपत्र (जिन्हें तुलन-पत्र में नहीं दर्शाया गया है) बही खाते में दिखाया जाएगा।
- एक लेनदार जिस पर 100 रु. देय है, अपलिखित किया गया।
- 'स' लाभ में 1/6 भाग के लिए 15,000 रु. की पूँजी और 5,000 रु. ख्याति प्रीमियम के रूप में लायेगा।

उपर्युक्त के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए तथा पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूँजी खाता बनाइए।

हल

'अ', 'ब' और 'स' की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल 1	बैंक खाता नाम		20,000	
	'स' का पूँजी खाता			15,000
	ख्याति प्रीमियम खाता			5,000
	('स' पूँजी और ख्याति लेकर आया)			
अप्रैल 1	ख्याति प्रीमियम खाता नाम		5,000	
	'अ' का पूँजी खाता			3,000
	'ब' का पूँजी खाता			2,000
	(त्याग अनुपात में 'अ' और 'ब' में ख्याति की राशि को बाँटा)			
अप्रैल 1	पुनर्मूल्यांकन खाता नाम		3,100	
	रहतिया खाता (15000 × 10/100)			1,500
	फर्नीचर खाता (10,000 – 9,000)			1,000
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाता (12,000 × 5/100)			600
	(पुनर्मूल्यांकन पर विविध परिसंपत्तियों में कमी पाई गई)			
अप्रैल 1	प्लांट एवं मशीनरी खाता नाम (30,000×10/100)		3,000	
	प्रपत्र खाता नाम		1,000	
	पुनर्मूल्यांकन खाता			4,000
	(पुनर्मूल्यांकन पर विविध परिसंपत्तियों में वृद्धि पाई गई)			

अप्रैल 1	पुनर्मूल्यांकन खाता नाम बकाया बिजली बिल खाता (बकाया बिजली बिल चुकाया)		200	 200
अप्रैल 1	विविध लेनदार खाता नाम पुनर्मूल्यांकन खाता (लेनदार द्वारा दावा न किए जाने पर राशि अपलिखित की गई)		100	 100
	पुनर्मूल्यांकन खाता नाम 'अ' का पूँजी खाता 'ब' का पूँजी खाता (पुनर्मूल्यांकन पर लाभ को 'अ' और 'ब' के पूँजी खाते में हस्तांतरित)		800	 480 320

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम जमा

दिनांक	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि (रु.)*	*दिनांक*	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि (रु.)*
2003	रहतिया		1,500		प्लांट एवं मशीनरी		3,000
अप्रैल 1	फर्नीचर		1,000		प्रपत्र		1,000
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		600		विविध देनदार		100
	बकाया बिजली बिल		200				
	'अ' की पूँजी		480				
	'ब' की पूँजी		320				
	योग		**4,100**		**योग**		**4,100**

साझेदारों का पूँजी खाता

नाम जमा

दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	अ (रु.)	ब (रु.)	स (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ. सं.	अ (रु.)	ब (रु.)	स (रु.)
अप्रैल1	ब की पूँजी					मार्च 31	शेष आ/ला		30,000	20,000	–
	शेष आ/ले		33,480	22,320	15,000		बैंक		–	–	15,000
							स की पूँजी		3,000	2,000	
							पुनर्मल्यांकन		480	320	
	योग		**33,480**	**22,320**	**15,000**		**योग**		**33,480**	**22,320**	**15,000**

उदाहरण 30

निम्नलिखित 'अ' और 'ब' का तुलन-पत्र है, जो 31 मार्च, 2003 को साझेदारी व्यापार चला रहे हैं तथा 2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं।

31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
देय विपत्र	10,000	हस्तस्थ रोकड	10,000
विविध लेनदार	58,000	बैंकस्थ रोकड़	40,000
बकाया व्यय	2,000	विविध देनदार	60,000
पूँजी खाते :		रहतिया	40,000
'अ' 1,80,000		प्लांट एवं मशीनरी	1,00,000
'ब' 1,50,000	3,30,000	भवन	1,50,000
योग	**4,00,000**	**योग**	**4,00,000**

वे 'स' को निम्नलिखित शर्तों पर फर्म में शामिल करते हैं :

(i) 'स' फर्म के भावी लाभ में 1/4 भाग के लिए 1,00,000 रु. पूँजी और 60,000 रु. ख्याति के रूप में लाएगा।

(ii) प्लांट का मूल्य 1,20,000 रु. हुआ और भवन के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हुई।

(iii) यह भी ज्ञात हुआ कि रहतिया 4,000 रु. से अति मूल्यांकित है।

(iv) देनदारों पर 5% की दर से डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया।

(v) 1,000 रु. के लेनदारों का अभिलेखन नहीं किया गया था (unrecorded creditors)।

'स' के प्रवेश पर रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए तथा पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते और पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र तैयार कीजिए।

हल

'अ', 'ब' और 'स' की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2003	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
मार्च 31	रोकड़ खाता	नाम		1,60,000	
	'स' का पूँजी खाता				1,00,000
	ख्याति (प्रीमियम) खाता				60,000
	पूँजी और ख्याति 'स' प्रवेश पर लाया				
	'स' का ख्याति (प्रीमियम) खाता	नाम		60,000	
	'अ' का पूँजी खाता				30,000
	'ब' का पूँजी खाता				30,000
	पुनर्मूल्यांकन खाता	नाम		7,000	
	रहतिया खाता				4,000
	डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान				3,000
	(रहतिये के मूल्य में कमी, खाता तथा देनदारों पर प्रावधान बनाया गया)				
	पुनर्मूल्यांकन खाता	नाम		1,000	
	लेनदार खाता				1,000
	(लेनदारों के मूल्य में वृद्धि)				
	प्लांट एवं मशीनरी खाता	नाम		20,000	
	भवन	नाम		15,000	
	पुनर्मूल्यांकन खाता				35,000
	(परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि)				
	पुनर्मूल्यांकन खाता	नाम		27,000	
	'अ' का पूँजी खाता				18,000
	'ब' का पूँजी खाता				9,000
	(पुनर्मूल्यांकन पर लाभ)				

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम | जमा

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	रहतिया		4,000		प्लांट एवं मशीनरी		20,000
	डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		3,000		भवन		15,000
	लेनदार		1,000				
	पुनर्मूल्यांकन पर लाभ पूँजी खातों में हस्तांतरित 'अ' 18,000 'ब' 9,000		27,000				
	योग		**35,000**		**योग**		**35,000**

साझेदारों का पूँजी खाता

नाम | जमा

दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	'अ' रु.	'ब' रु.	'स' रु.	दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	'अ' रु.	'ब' रु.	'स' रु.
अप्रैल 31	'अ'				40,000	मार्च 31	शेष आ/ला		1,80,000	1,50,000	—
	'ब'				20,000		रोकड़		—	—	1,60,000
	शेष आ/ले		2,38,000	1,79,000	1,00,000		'स'		40,000	20,000	
							पुनर्मूल्यांकन (लाभ का हस्तांतरण)		18,000	9,000	—
	योग		**2,38,000**	**1,79,000**	**1,60,000**		**योग**		**2,38,000**	**1,79,000**	**1,60,000**

3.6 पूँजी का समायोजन/निर्धारण

कभी-कभी, नए साझेदार के प्रवेश के समय, पुराने साझेदार नए लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर अपनी पूँजी के समायोजन का निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति में, यदि नए साझेदार की पूँजी की राशि दी गई है, तो उसके आधार पर पुराने साझेदारों की नई पूँजी की गणना की जाती है। समस्त समायोजनों के पश्चात् नए साझेदारों की पूँजी की तुलना पुराने साझेदारों की पूँजी से की जाती है। यदि किसी साझेदार की पूँजी कम होती है तो वह आवश्यक धनराशि लेकर आता है अन्यथा, आधिक्य को लौटा दिया जाता है।

उदाहरण 31 (पूँजी का समायोजन)

अमित और सुमित एक फर्म में साझेदार हैं तथा 2:1 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। वे ललित को लाभ में 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं। ललित 20,000 रु. पूँजी के रूप में लाता है। ख्याति, परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित समस्त समायोजनों के पश्चात् पुराने साझेदारों की पूँजी इस प्रकार थी :

अमित : 45,000 रु.

सुमित : 15,000 रु.

यह निर्णय लिया गया कि साझेदारों की पूँजी नए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुरूप होगी। अमित और सुमित की नई पूँजी ज्ञात कीजिए तथा यह जानते हुए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए कि जिस साझेदार की अपर्याप्त पूँजी होगी, वह आवश्यक धनराशि लेकर आएगा तथा पूँजी राशि अधिक होने पर धनराशि लौटा दी जाएगी।

हल

(i) नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना

चूँकि ललित को लाभ में भाग दिया जाएगा जिसे अमित और सुमित पुराने अनुपात 2:1 में से देंगे, अत:

अमित का त्याग $= \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12}$

सुमित का त्याग $= \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

अमित का नया भाग $= \frac{2}{3} - \frac{2}{12} = \frac{8-2}{12} = \frac{6}{12}$

सुमित का नया भाग $= \frac{1}{3} - \frac{2}{12} = \frac{4-1}{12} = \frac{3}{12}$

अत: अमित, सुमित और ललित का नया लाभ-विभाजन अनुपात 2:1:1 है।

(ii) अमित और सुमित की नई पूँजी

ललित की पूँजी (जिसका लाभ में 1/4 हिस्सा है) 20,000 रु. है। इसलिए उसका पूँजी में हिस्सा 20,000 रु. ही होगा। अमित का नया हिस्सा 2/4 होगा, जो कि ललित के भाग का दुगुना है। इसलिए उसकी पूँजी 40,000 रु. होगी।

ललित की पूँजी के आधार पर फर्म की कुल पूँजी 80,000 है (4/1 × 20,000) अत: लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार उनकी पूँजी इस प्रकार ज्ञात की जाएगी :

अमित की पूँजी (रु.) = 80,000 × 2/4 = 40,000 रु.

सुमित की पूँजी (रु.) = 80,000 × 1/4 = 20,000 रु.

समस्त समायोजनों के पश्चात् अमित और सुमित की पूँजी क्रमशः 45,000 रु. और 15,000 रु. है। अतः अमित को 5,000 (45,000–40,000 रु.) लौटाए जाएँगे जबकि, सुमित 5,000 रु. (20,000 रु.–15,000 रु.) की राशि लेकर आएगा।

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	अमित का पूँजी खाता नाम रोकड़ खाता (आधिक्य को अमित को लौटा दिया गया)		5,000	5,000
	रोकड़ खाता नाम सुमित की पूँजी (अपर्याप्त पूँजी होने पर आवश्यक धनराशि लाई गई)		5,000	5,000

कभी-कभी, फर्म की कुल पूँजी दी गई होती है। यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक साझेदार की पूँजी, लाभ-विभाजन अनुपात के अनुरूप हो। ऐसी स्थिति में प्रत्येक साझेदार की पूँजी का निधरिण (नए साझेदार सहित) उसके लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त पूँजी लाकर अथवा अतिरिक्त पूँजी का आहरण करके प्रत्येक साझेदार की अंतिम पूँजी को ऐच्छिक स्तर तक लाया जा सकता है। वैकल्पिक रूप में साझेदार के पूँजी खाते में आधिक्य अथवा कमी साझेदार के बीच अनुबंध के आधार पर संबंधित चालू खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।

उदाहरण 32 (पूँजी का समायोजन)

'अ', 'ब' और 'स' एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 'द' को फर्म में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह 'अ' से 1/8 भाग तथा 'ब' से 1/8 भाग प्राप्त करता है। फर्म की कुल पूँजी 1,20,000 रु. निर्धारित की जाती है तथा 'द' को अपने 1/4 भाग के लिए फर्म में पूँजी लेकर आना है।

अन्य साझेदारों की पूँजी का समायोजन भी उनके लाभ अनुपात के आधार पर किया जाएगा। समस्त समायोजनों के पश्चात् 'अ' की पूँजी क्रमशः 40,000 रु., 35,000 रु. और 30,000 रु. है। 'अ', 'ब' और 'स' की नई पूँजी राशि ज्ञात करें।

हल

नए लाभ-विभाजन अनुपात का निर्धारण

'द' का लाभ हिस्सा $\frac{1}{4}$ है जिसे वह $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{8}$ क्रमशः 'अ' और 'ब' से प्राप्त करेगा। अतः 'अ' और 'ब' के लाभ- विभाजन अनुपात की गणना इस प्रकार की जाएगी :

'अ' का हिस्सा $= \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{4-1}{8} = \frac{3}{8}$

'ब' का हिस्सा $= \frac{1}{3} - \frac{1}{8} = \frac{8-3}{24} = \frac{5}{24}$

'स' को लाभ में हिस्सा प्राप्त होगा। अतः 'अ', 'ब', 'स' और 'द' का नया लाभ-विभाजन अनुपात

$\frac{3}{8} : \frac{5}{24} : \frac{1}{6} : \frac{1}{4} = \frac{9}{24} : \frac{5}{24} : \frac{4}{24} : \frac{6}{24}$ होगा।

अर्थात 9:5:4:6

नई पूँजी का निर्धारण

फर्म की कुल पूँजी $= 1{,}20{,}000$ रु. $(\frac{4}{1} \times 30{,}000)$

'अ' की पूँजी $= 1{,}20{,}000 \times 9/24 = 45{,}000$ रु.

'ब' की पूँजी $= 1{,}20{,}000 \times 5/24 = 25{,}000$ रु.

'स' की पूँजी $= 1{,}20{,}000 \times 4/24 = 20{,}000$ रु.

'द' की पूँजी $= 1{,}20{,}000 \times 6/24 = 30{,}000$ रु.

अतः

'अ' 5000 रु. (45,000 रु. − 40,000 रु.) लेकर आएगा

'ब' को 10,000 रु. (35,000 − 25,000) लौटा दिए जाएँगे

'स' को 10,000 रु. (30,000 − 20,000) लौटा दिए जाएँगे

'द' 30,000 रु. की पूँजी फर्म में अपने भाग के लिए लेकर आएगा।

इस संदर्भ में निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाएँगी

रोजनामचा

दिनांक 2003	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
मार्च 31	रोकड़ खाता नाम		5,000	
	'अ' का पूँजी खाता			5,000
	(अतिरिक्त राशि द्वारा घाटे की पूर्ति)			
	'ब' का पूँजी खाता नाम		10,000	
	'स' का पूँजी खाता नाम		10,000	
	रोकड़ खाता			20,000
	('ब' और 'स' द्वारा आधिक्य पूँजी का आहरण)			
	रोकड़ खाता नाम		30,000	
	'द' का पूँजी खाता			30,000

वैकल्पिक रूप में,

दिनांक 2003	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
मार्च 31	'अ' का चालू खाता नाम		5,000	
	'अ' का पूँजी खाता			5,000
	(अ की पूँजी का घाटा अ के चालू खाते में नाम किया गया)			
	'ब' का पूँजी खाता नाम		10,000	
	'स' का पूँजी खाता नाम		10,000	
	'अ' का चालू खाता			10,000
	'ब' का चालू खाता			10,000
	(ब और स की आधिक्य पूँजी उनके चालू खाते में हस्तांतरित)			

उदाहरण 33 (पूनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र)

'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं तथा 2 : 1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 'स' को लाभ में 1/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। 'स' फर्म में 30,000 रु. की पूँजी लेकर आएगा और 'अ' व 'ब' को पूँजी उनके लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर समायोजित की जाएगी। 'स' के प्रवेश से पूर्व फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार		8,000	हस्तस्थ रोकड़	2,000
देय-विपत्र		4,000	बैंकस्थ रोकड़	10,000
सामान्य संचय		6,000	विविध देनदार	8,000
पूँजी :			रहतिया	10,000
'अ'	50,000		फर्नीचर	5,000
'ब'	32,000	82,000	मशीनरी	25,000
			भवन	40,000
योग		**1,00,000**	**योग**	**1,00,000**

उनके मध्य समझौते की शर्तें इस प्रकार हैं :

(i) 'अ' 12,000 रु. की राशि ख्याति के रूप में लेकर आएगा।

(ii) भवन को 45,000 रु. और मशीनरी को 23,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।

(iii) देनदारों पर 6% की दर से डूबते ऋण का प्रावधान तैयार किया जाएगा।

(iv) प्रारंभिक चालू खाते के शेष पर 'अ' और 'ब' की पूँजी का समायोजन किया जाएगा।

उपर्युक्त के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए और आवश्यक बहीखाते तथा तुलन-पत्र तैयार कीजिए।

हल

'अ', 'ब' और 'स' की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
मार्च 31	रोकड़ खाता नाम		42,000	
	'स' का पूँजी खाता			30,000
	प्रीमियम खाता			12,000
	('स' द्वारा लाई गई पूँजी और ख्याति की राशि)			
मार्च 31	प्रीमियम खाता नाम		12,000	
	'अ' का पूँजी खाता			8,000
	'ब' का पूँजी खाता			4,000
	(ख्याति प्रीमियम की राशि साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित)			

मार्च 31	पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मशीनरी खाता डूबते और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (मशीनरी के मूल्यों में गिरावट और डूबते ऋणों पर प्रावधान का सृजन)		2,480	 2,000 480
	भवन खाता नाम पुनर्मूल्यांकन खाता (भवन के मूल्य में बढ़ोत्तरी)		5,000	 5,000
मार्च 31	पुनर्मूल्यांकन खाता नाम 'अ' का पूँजी खाता 'ब' का पूँजी खाता (पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, 'अ' और 'ब' के पूँजी खातों में हस्तांतरित)		2,520	 1,680 840
मार्च 31	सामान्य संचय खाता नाम 'अ' का पूँजी खाता 'ब' का पूँजी खाता (अवितरित लाभ 'अ' और 'ब' के पूँजी खातों में हस्तांतरित)		6,000	 4,000 2,000
मार्च 31	'अ' का पूँजी खाता नाम 'ब' का पूँजी खाता नाम 'अ' का चालू खाता 'ब' का चालू खाता (पूँजी पर आधिक्य चालू खातों में हस्तांतरित)		3,680 8,840	 3,680 8,840

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम जमा

दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च 31	मशीनरी		2,000	मार्च 31	भवन		5,000
	डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		480				
	पूँजी खाता 'अ' 1,680 'ब' 840		2,520				
	योग		**5,000**		**योग**		**5,000**

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम **जमा**

दिनांक 2002	विवरण	पृ. सं.	'अ' रु.	'ब' रु.	'स' रु.	दिनांक 2002	विवरण	पृ. सं.	'अ'	'ब' रु.	'स' रु.
मार्च						मार्च 31	शेष आ/ला		50,000	32,000	–
31							रोकड़		–	–	30,000
	चालू शेष		3,680	8,840	–		'स' की पूँजी		8,000	4000	–
	शेष आ/ले		60,000	30,000	30,000		पुनर्मूल्यांकन		1,680	840	
							सामान्य संचय		4,000	2,000	
	योग		**63,680**	**38,840**	**30,000**		**योग**		**63,680**	**38,840**	**30,000**

साझेदारों के चालू खाते

नाम **जमा**

दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं	'अ' रु.	'ब' रु.	'स' रु.	दिनांक 2002.	विवरण	पृ.सं.	'अ' रु.	'ब' रु.	'स' रु.
मार्च31	शेष आ/ले		3,680	8,840		मार्च31	पूँजी		3,680	8,840	–

31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र (प्रवेश के पश्चात्)

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार	8,000	हस्तस्थ रोकड़	44,000
देय-विपत्र	4,000	बैंकस्थ रोकड़	10,000
चालू-खाता:		विविध देनदार 8,000	
'अ' 3,680		डूबते व संदिग्ध 480	7,520
'ब' 8,840	12,520	ऋणों के लिए प्रावधान	
		रहतिया	10,000
पूँजी:			
'अ' 60,000		फर्नीचर	5,000
'ब' 30,000		मशीनरी	23,000
'स' 30,000	1,20,000	भवन	45,000
योग	**1,44,520**	**योग**	**1,44,520**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. नया लाभ-विभाजन अनुपात

   चूँकि यह नहीं दिया गया है कि 'स' ने 'अ' और 'ब' से कितना अंश प्राप्त किया है, अत: इसे अनुमानित किया गया है कि 'अ' और 'ब' पुराने अनुपात में ही लाभ को बाँटेंगे जो कि 2:1 है।

   'स' का लाभ में भाग $= \frac{1}{4}$

   बाकि अंश $= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

   'अ' का नया अंश $= \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

   'ब' का नया अंश $= \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

   अत: 'अ', 'ब' और 'स' का अनुपात 2 : 1 : 1 होगा।

2. 'अ' और 'ब' की नई पूँजी की गणना

   'स' फर्म में 30,000 रु. पूँजी 1/4 भाग के लिए लेकर आया है। अत: फर्म की कुल पूँजी 1,20,000 रु. (30,000 × 4) होगी।

   'अ' की पूँजी $= \frac{2}{4} \times 1,20,000$ = 60,000 रुपए

   'ब' की पूँजी $= \frac{1}{4} \times 1,20,000$ = 30,000 रुपए

अध्याय में प्रयुक्त शब्द

- संचित लाभ
- संचित हानि
- प्रीमियम (नकद लाई गई ख्याति)
- लाभ-विभाजन अनुपात
- संचय
- पुनर्मूल्यांकन खाता
- त्याग अनुपात

अधिगम उद्देश्य के संदर्भ में सारांश

1. साझेदार प्रवेश के समय समायोजन

नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति, परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, संचय, लाभ (हानि), पुराने साझेदारों के पूँजी खाते के संदर्भ में फर्म की पुस्तकों में समायोजन किए जाते हैं।

2. नए लाभ-विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना

नया साझेदार पुराने साझेदारों से लाभ में अपना भाग प्राप्त करता है। इससे पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में कमी आती है। अत:, पुनर्गठित फर्म के साझेदारों के नए लाभ-विभाजन अनुपात और पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात का निर्धारण करना आवश्यक होता है। नए साझेदार के लाभ-विभाजन अनुपात की गणना जिसे उसने पुराने साझेदारों के त्याग से पाया है, पुराने साझेदारों के पुराने भाग से नए भाग को घटाकर की जाती है। वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार प्रवेशी साझेदार के समक्ष त्याग करते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। यह अनुपात सामान्यतया पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के समान होता है, किंतु आपसी समझौते के आधार पर यह अनुपात भिन्न भी हो सकता है।

3. ख्याति का लेखांकन व्यवहार

ख्याति एक अमूर्त परिसंपत्ति है जिस पर व्यवसाय के स्वामी का अधिकार होता है। साझेदार के प्रवेश पर, ख्याति पर पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। अत: प्रवेश के समय, ख्याति के लिए साझेदारों के पूँजी खातों में समायोजन किया जाता है ताकि नए साझेदारों को उस लाभ में से बिना कोई भुगतान किए हिस्सेदारी न मिल पाए जो कि फर्म ने अपनी ख्याति के परिणामस्वरूप अर्जित की है। वह राशि जिसका नया साझेदार ख्याति के लिए भुगतान करता है, ख्याति अधिलाभ कहलाती है। लेखांकन दृष्टिकोण से, प्रवेश पर ख्याति व्यवहार भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रवेशी साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बाँटते हैं। यदि नया साझेदार नकद ख्याति लाने में असमर्थ हो तो नए साझेदार के पूँजी खाते को उसके लाभ के भाग से नाम और पुराने साझेदारों के पूँजी खातों को त्याग अनुपात में जमा किया जाता है।

4. परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन

नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में यदि कोई गैर-अभिलेखित परिसंपत्ति या दायित्व विद्यमान होता है तो उसकी समायोजन प्रविष्टि पुनर्मूल्यांकन खाते के माध्यम से की जाती है। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया से उत्पन्न लाभ अथवा हानि को पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। साझेदार के प्रवेश के बाद पूँजी निर्धारण के अन्य आधार भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रवेश के तुरंत बाद व्यवसाय की कुल पूँजी में हिस्सेदारी।

5. *संचय और संचित लाभ-हानि का समायोजन*

यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में संचय और संचित लाभ (हानि) विद्‌यमान होते हैं, तो उन्हें पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

6. *साझेदारों के पूँजी खातों का समायोजन*

यदि समस्त साझेदारों के मध्य समझौता किया जाता हो तो नए लाभ-विभाजन अनुपात में सभी साझेदारों की पूँजी का निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में फर्म की कुल पूँजी को आधार मानकर नए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार नई पूँजी की राशि निर्धारित की जाती है तथा इस संदर्भ में समायोजन रोकड़ अथवा चालू खाते के माध्यम से किया जाता है।

अभ्यास

I वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सही पर (√) निशान लगाएँ :

अ. यदि प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में लाभ-हानि खाते के शेष को दिखाया गया है तो उसका हस्तांतरण किया जाएगा :

(i) लाभ-हानि समायोजन खाते में
(ii) समस्त साझेदारों के पूँजी खातों में
(iii) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों में

ब. यदि प्रवेश के समय कोई गैर-अभिलेखित दायित्व है तो उसे :

(i) पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम किया जाता है
(ii) पुनर्मूल्यांकन खाते में जमा किया जाता है
(iii) ख्याति खाते में नाम किया जाता है

स. 'अ' और 'ब' का लाभ-विभाजन अनुपात 5:3 है। 'स' 1/4 भाग के लिए फर्म में साझेदार बनता है, तो नया लाभ-विभाजन अनुपात होगा :

(i) 4 : 2 : 1
(ii) 5 : 3 : 4
(iii) 15 : 9 : 8

द. प्रवेशी साझेदार द्वारा लाई गई नकद ख्याति पुराने साझेदारों द्वारा बाँटी जाएगी :

(i) त्याग अनुपात में
(ii) पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में
(iii) नए लाभ-विभाजन अनुपात में

इ. जब प्रवेशी साझेदार अपने लाभ में भाग के लिए नकद राशि नहीं लेकर आता है तो :

(i) ख्याति को पुराने साझेदारों के पूँजी खातों को त्याग अनुपात में *जमा* और नए साझेदार के पूँजी खाते को उसके ख्याति के भाग से *नाम* किया जाता है।

(ii) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों को पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में *जमा* और नए साझेदार के पूँजी खाते को ख्याति में उसके भाग से *नाम* किया जाता है।

(iii) पुराने साझेदारों के पूँजी खातों को त्याग अनुपात में *नाम* और नए साझेदार के पूँजी खाते को उसके ख्याति में भाग के लिए *जमा* किया जाता है।

2. **रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :**

(i) नए साझेदार द्वारा लाई गई नकद ख्याति की राशि को..................कहते हैं।

(ii) प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में विद्यमान ख्याति को.........में नाम करके और ....जमा करके अपलिखित किया जाता है।

(iii) यदि, साझेदार के प्रवेश के समय, डूबते व संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया जाता है, तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में....................किया जाता है।

(iv) यदि नए साझेदार की पूँजी नहीं दी गई हो, तो उसकी गणना पुराने साझेदारों की ....पूँजी द्वारा की जाती है।

(v) यदि वैकल्पिक अनुपात न दिया गया हो तो, त्याग अनुपात..................के समान होता है।

(vi) पुनर्मूल्यांकन पर लाभ - हानि को.....................साझेदारों के मध्य बाँटा जाता है।

II लघु उत्तरीय प्रश्न

1. उन मदों की पहचान कीजिए जिनके संदर्भ में प्रवेश के समय समायोजन किया जाता है।
2. नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना क्यों आवश्यक होती है ?
3. नए साझेदार द्वारा प्राप्त किए गए दो अधिकारों की व्याख्या करें।
4. त्याग अनुपात से क्या आशय है ?
5. यदि प्रवेश के समय, ख्याति, फर्म की पुस्तकों में विद्यमान हो और नया साझेदार अपने लाभ में भाग के लिए नकद ख्याति लेकर आता है, तो विद्यमान ख्याति हेतु लेखांकन व्यवहार क्या होगा ?

III दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. यदि प्रवेशी साझेदार लाभ में अपने भाग के लिए नकद ख्याति लाने में असमर्थ रहता है, तो ख्याति के संदर्भ में लेखांकन व्यवहार क्या होगा ?
2. क्या आप प्रवेश के समय परिसंपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया से सहमत हैं? यदि हाँ, तो बताएँ क्यों ? साथ ही पुनर्मूल्यांकन के लेखांकन व्यवहार की व्याख्या करें।

3. यदि समस्त साझेदारों के मध्य यह समझौता होता है कि प्रत्येक साझेदार की पूँजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार निर्धारित की जाएगी तो आप सभी साझेदारों की पूँजी कैसे निकालेंगे ? उदाहरण और समायोजनों समेत साझेदारों की नई पूँजी की गणना कीजिए।

प्रश्न

1. 'क' और 'ख' साझेदार हैं तथा लाभ को 2 : 1 के अनुपात में बाँटते हैं। वे 'ग' को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं तथा लाभ में 1/6 भाग देने का निर्णय लेते हैं। नए लाभ – विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।
2. 'क' व 'ख' साझेदार हैं तथा लाभ को 7:5 के अनुपात में बाँटते हैं। वे 'ग' को फर्म में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। 'ग' इस भाग का 1/24 भाग 'क' से तथा 1/8 भाग 'ख' से प्राप्त करता है। नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।
3. 'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं तथा 7:3 के अनुपात में लाभ को विभाजित करते हैं। वे 'स' को प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। 'स' के लाभ में भाग के लिए 'अ' 1/7 भाग का त्याग और 'ब' 1/3 भाग का त्याग करते हैं। नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।
4. राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। मोहन को लाभ में 1/4 हिस्से साझेदार के रूप में शामिल करने का निर्णय लेते हैं, जिसे वह पुराने साझेदारों से 2:1 के अनुपात में प्राप्त करता है। नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।
5. 'अ' व 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 'स' को फर्म में शामिल करने का निर्णय लेते हैं – उनका नया लाभ-विभाजन अनुपात 5:3:2 है। त्याग अनुपात की गणना कीजिए।
6. 'अ' और 'ब' साझेदार हैं तथा 7:3 के अनुपात में लाभ को बाँटते हैं। 'स' के भाग के लिए 'अ' अपने 1/7 भाग का त्याग करता है तथा 'ब' अपने 1/3 भाग का त्याग करता है। नए लाभ-विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए।
7. 'अ' और 'ब' एक फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। वे 'स' को 1/5 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं, जिसे वह 'अ' और 'ब' से समान अनुपात में प्राप्त करता है। नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।
8. अ और ब साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे क और ख को नए साझेदार के रूप में फर्म में शामिल करते हैं। क के भाग के लिए अ अपने 1/3 भाग का त्याग करता है और ख के भाग के लिए ब अपने 1/2 भाग का त्याग करता है। अ, ब, क और ख के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।
9. अ और म साझेदार हैं तथा 3:1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे व को लाभ में 1/6 भाग के लिए फर्म शामिल करते हैं। व अपने लाभ का भाग अ ने और म से 2:1 अनुपात में प्राप्त करता है। अ, म व व का नया लाभ-विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए।

10. सुरेश और रमेश साझेदार हैं तथा 5:3 के अनुपात में लाभ को विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल, 2003 को वे दीपक को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। 31 जुलाई, 2003 को वे करण को फर्म में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह सुरेश, रमेश और दीपक से समान अनुपात में प्राप्त करता है। सुरेश, रमेश, दीपक और करण के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।

11. क और ख साझेदार हैं तथा 4:3 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे ग को 20% भाग के लिए शामिल करते हैं। ग अपने भाग को क और ख से 1:2 अनुपात में प्राप्त करता है। क, ख और ग के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।

12. गोपाल और गोविंदा साझेदार हैं तथा 11:8 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं, वे कृष्णा को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। गोपाल, गोविंदा और कृष्णा का नया लाभ-विभाजन अनुपात 12:5:4 है। गोपाल और गोविंदा के त्याग अनुपात की गणना कीजिए।

13. सीमा और घोष 5:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल, 2003 को वे मुनमुन को फर्म में प्रवेश देती हैं। सीमा, घोष और मुनमुन का नया लाभ-विभाजन अनुपात 4:3:3 है। सीमा और घोष के त्याग अनुपात की गणना कीजिए।

14. 'अ' और 'ब' साझेदार हैं तथा 3:2 अनुपात में लाभ को विभाजित करते हैं। 'स' के भाग के लिए 'अ' 1/4 भाग का त्याग करता है और 'ब' 1/3 भाग का त्याग करता है। नए लाभ अनुपात की गणना कीजिए।

15. 'अ' और 'ब' साझेदार हैं तथा 2:1 अनुपात में लाभ को बाँटते हैं। 'अ', 'ब', 'स' का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:1:2 है। त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए।

16. 'अ' और 'ब' फर्म में साझेदार हैं तथा फर्म के लाभ को 3:2 अनुपात में बाँटते हैं। वे 'स' को फर्म के भावी लाभ में 1/3 भाग के लिए साझेदारी में सम्मिलित करते हैं। निम्न परिस्थितियों में नया लाभ-विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए:
    - यदि नया साझेदार लाभ में अपना भाग साझेदारों के वास्तविक अनुपात में प्राप्त करता है।
    - यदि 'स' लाभ में अपना भाग समान अनुपात में पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है।
    - यदि 'स', लाभ में अपना भाग पुराने साझेदारों से 3:1 अनुपात में प्राप्त करता है।

17. बैकुल और गोकुल फर्म में साझेदार हैं तथा 2:1 अनुपात में फर्म के लाभ को विभाजित करते हैं। उनकी पूँजी क्रमशः 40,000 रु. और 30,000 रु. है। वे नकुल को फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं, जो लाभ में अपने 1/4 भाग के लिए 20,000 रु. की पूँजी और 6,000 रु. की ख्याति लेकर आएगा। ख्याति के आधे भाग को पुराने साझेदार आपस में बाँटने का फैसला करते हैं। नई फर्म की कुल पूँजी लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार नकुल की पूँजी के आधार पर ज्ञात की जाएगी। पूँजी के आधिक्य अथवा कमी का समायोजन नकदी में किया जाएगा। उपर्युक्त के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए तथा साझेदारों के पूँजी खाते और रोकड़ खाता तैयार कीजिए।

18. 'अ' और 'ब' फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 3:2 के अनुपात में बाँटते हैं। वे 'स' को नए साझेदार के रूप में लाभ में 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं। साझेदारों के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए, यदि –

- 'स' अपना भाग 'अ' और 'ब' से समान अनुपात में प्राप्त करता है।
- 'स' अपना भाग 'अ' और 'ब' से 2:1 के अनुपात में प्राप्त करता है।
- 'स' अपना संपूर्ण भाग 'अ' से प्राप्त करता है।
- 'स' अपना संपूर्ण भाग 'ब' से प्राप्त करता है।
- 'स' 3/20 भाग 'अ' से और 1/20 भाग 'ब' से प्राप्त करता है।

19. 'अ' और 'ब' फर्म में साझेदार हैं और 7:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 'स' को नए साझेदार के रूप में शामिल करने का निर्णय लेते हैं। 'स' के भाग हेतु 'अ' अपने 2/7 हिस्से का त्याग करता है। तथा 'ब' 1/7 हिस्से का त्याग करता है। 'अ', 'ब' और 'स' के नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए।

20. राम और श्याम फर्म में साझेदार हैं तथा 3 : 1 अनुपात में लाभ को विभाजित करते हैं। वे मोहन को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। नए लाभ-विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए।

21. अ और ब फर्म में साझेदार हैं तथा 4:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे स को फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। उनके मध्य नया लाभ-विभाजन अनुपात 7 : 4 : 3 है। त्याग अनुपात की गणना कीजिए।

22. अनिल और अजय फर्म में साझेदार हैं तथा 9:6 अनुपात में लाभ को बाँटते हैं। वे अरुण को फर्म के भावी लाभ में 1/8 भाग के लिए साझेदारी में शामिल करते हैं। वे यह भी निर्णय लेते हैं कि अजय व अनिल का भावी लाभ-विभाजन अनुपात क्रमशः 4:3 होगा। उनके त्याग अनुपात की गणना कीजिए।

23. 'अ' और 'स' एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 'स' को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। ख्याति का मूल्य 50,000 रु. आंका गया है। यह मानते हुए कि पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं दिखाया जाएगा तथा 'स' द्वारा लाया हुआ अधिलाभ व्यवसाय मे रखा जाएगा, फर्म की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

24. 'अ' और 'ब' फर्म में साझेदार हैं तथा 7:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 3/7 भाग के लिए 'स' को फर्म में प्रवेश देते हैं। जिसे 'स', 'अ' से 2 / 7 भाग और 'ब' से 1/7 भाग के रूप में प्राप्त करता है। 'स' 40,000 रु. की पूँजी और 15,000 रु. ख्याति के लेकर आता है। फर्म की पुस्तकों में ख्याति नहीं दिखाई गई है। उपर्युक्त के संदर्भ में फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

25. 'अ' और 'ब' फर्म में साझेदार हैं तथा 5:3 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 1/4 भाग के लिए 'स' को फर्म में शामिल करते हैं। 'अ' और 'ब' फर्म के भावी लाभ को समान अनुपात में बाँटने का फैसला लेते हैं। 'स' 20,000 रु. पूँजी के रूप में और 10,000 रु. ख्याति प्रीमियम के रूप में लेकर आता है। 'अ' और 'ब' के त्याग अनुपात की गणना कीजिए तथा, यह मानते हुए कि 'स' द्वारा लाई गई ख्याति प्रीमियम की राशि को फर्म में रखा जाएगा, रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

26. गहलोत और हैरिसन साझेदार हैं तथा 3:2 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे थॉमस को 1/5 भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं। थामस 30,000 रु. का प्रीमियम लेकर आता है। गहलोत, हैरिसन और थॉमस का नया लाभ-विभाजन अनुपात 11:9:5 होगा। ख्याति को पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया है। थामस द्वारा लाई गई ख्याति राशि का विभाजन गहलोत और हैरिसन के मध्य किस प्रकार किया जाएगा? निम्न परिस्थितियों के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

(i) जब ख्याति की राशि को फर्म में रखा जाता है।

(ii) ख्याति की राशि को पुराने साझेदार आपस में बाँट लेते हैं।

(iii) जब पुराने साझेदार अपने खाते में (क्रेडिट) ख्याति के हिस्से में से 50% निकाल लेते हैं।

27. राजीव और संजीव साझेदार हैं और समान अनुपात में लाभ को बाँटते हैं। उनका तुलन-पत्र 31 मार्च, 2002 को इस प्रकार था :

दायित्व			*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
लेनदार			15,000	रोकड़	10,000
संचय			15,000	देनदार	50,000
पूँजी:				रहतिया	20,000
	राजीव	45,000	80,000	फर्नीचर	10,000
	संजीव	35,000		ख्याति	20,000
योग			**1,10,000**	**योग**	**1,10,000**

वे लाभ में 1/4 भाग के लिए विक्रम को प्रवेश देते हैं। विक्रम 25,000 रु. की पूँजी 10,000 रु. ख्याति के लिए लाता है।

निम्न परिस्थितियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

(अ) जब साझेदार ख्याति को अपलिखित करने का निर्णय लेते हैं।

(ब) पुराने पुस्तक मूल्य में दिखाने का निर्णय लेते हैं।

(स) ख्याति को संपूर्ण मूल्य पर दर्शाने का निर्णय लेते हैं।

28. विमल और कमल फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 4:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे अमल को 1/3 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं, जो कि ख्याति के रूप में 15,000 रु. वे आपस में समान अनुपात में फर्म के भावी लाभ को विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। नया लाभ-विभाजन अनुपात, विमल और कमल का त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए तथा ख्याति के समायोजन हेतु रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

29. जॉर्ज और हेनरी फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे डेविड को फर्म में प्रवेश देते हैं तथा भावी लाभ को समान अनुपात में विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। डेविड 50,000 की पूँजी लेकर आता है। फर्म की ख्याति को 60,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया है। निम्न परिस्थितियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

- जब ख्याति पुस्तकों में नहीं दिखाई गई है।

- जब ख्याति पुस्तकों में 50,000 रु. पर दिखाई गई है।
- जब ख्याति पुस्तकों में 1,00,000 रु. पर दिखाई गई है।

30. प्रश्न 38 से आँकड़े लेते हुए रोजनामचा प्रविष्टि दें, यदि फर्म के साझेदार ख्याति खाते को पूर्णतः अपलिखित करने का निर्णय लेते हैं।

41. स्वदेश और स्वराज फर्म में साझेदार हैं और लाभ को समान अनुपात में बाँटते हैं। 31 मार्च, 2002 को उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था:

दायित्व	*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*		*राशि (रु.)*
लेनदार	50,000	रोकड़		12,000
देय-विपत्र	15,000	बैंकस्थ रोकड़		15,000
बकाया व्यय	3,000	देनदार	20,000	
पूँजी:		घटाया : प्रावधन	500	19,500
स्वदेश: 60,000	1,00,000	रहतिया		20,000
स्वराज: 40,000		फर्नीचर		10,000
		मशीनरी		18,500
		भूमि व भवन		73,500
योग	**1,68,000**	योग		**1,68,000**

उक्त तिथि पर निम्न शर्तों पर संभव ने फर्म में प्रवेश किया :

1. संभव को लाभ में 1/5 भाग मिलेगा तथा वह 20,000 रु. पूँजी और 5,000 रु. ख्याति के रूप में लेकर आएगा।
2. संभव द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदार आपस में बाँटेंगे।
3. डूबत और संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान देनदारों पर 5% तक लगाया जाएगा।
4. मशीनरी पर 2,000 रु. और फर्नीचर पर 12½ % की दर से ह्रास लगाया जाएगा
5. रहतिया को 23,000 रु. पर मूल्यांकित किया जाएगा।
6. भूमि और मशीनरी को 20% की दर से बढ़ाया जाएगा।
7. 2,000 रु. के गैर अभिलेखित प्रपत्रों को अभिलेखित किया जाएगा।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए और नई फर्म का तुलन-पर तैयार कीजिए।

32. राम और मोहन साझेदार हैं तथा लाभ को 3:2 के अनुपात में बाँटते हैं। 31 मार्च, 2002 को उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार		15,000	रोकड़	500
देय-विपत्र		7,500	बैंकस्थ रोकड़	8,000
सामान्य संचय		10,000	देनदार	40,000
पूँजी:			रहतिया	20,000
राम	30,000	80,000	फर्नीचर	12,000
मोहन	50,000		भूमि व भवन	32,000
योग		**1,12,500**	**योग**	**1,12,500**

उक्त तिथि को वे सोहन को निम्न शर्तों पर प्रवेश देते हैं :

- सोहन को लाभ में 1/4 भाग प्राप्त होगा।
- नया लाभ-विभाजन अनुपात 3 : 3 : 2 होगा।
- सोहन 1/4 भाग के लिए 10,000 रु. की ख्याति और 25,000 रु. की पूँजी लाएगा।
- रहतिया के मूल्य में 20% की कमी आएगी और फर्नीचर पर 15% की दर से ह्रास लगाया जाएगा। भूमि और भवन को 38,000 रु. पर पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते और नई फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

33. 'अ' और 'ब' फर्म में साझेदार हैं और 3 : 1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार		75,000	हस्तस्थ रोकड़	5,000
संचय		8,000	बैंकस्थ रोकड़	40,000
पूँजी:			देनदार	32,000
'अ'	60,000		प्राप्य विपत्र	6,000
ब	32,000	92,000	रहतिया	40,000
			फर्नीचर	2,000
			भवन	50,000
योग		**1,75,000**	योग	**1,75,000**

उक्त तिथि को वे 'स' को 1/5 भाग के लिए निम्न शर्तों पर प्रवेश देते हैं :

(i) 'स' 20,000 रु. पूँजी के रूप में लाएगा।

(ii) ख्याति को 40,000 रु. से पुस्तकों में दिखाया जाएगा।

(iii) देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों का प्रावधान बनाया जाएगा।

(iv) भवन के मूल्य को 20% की दर से बढ़ाया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते और नई फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

34. 'क' और 'ख' फर्म के साझेदार हैं और लाभ को 2:1 अनुपात में विभाजित करते हैं। 'ग' को 1/6 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। 'क' और 'ख' का तुलन-पत्र इस प्रकार है।

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ	राशि रु.
लेनदार		40,000	हस्तस्थ रोकड़	2,000
देय-विपत्र		30,000	बैंकस्थ रोकड़	45,000
पूँजी:			देनदार	50,000
'क'	1,00,000		प्राप्य-विपत्र	20,000
'ख'	70,000	1,70,0000	रहतिया	48,000
			फर्नीचर	10,000
			प्लांट व मशीनरी	35,000
			ख्याति	30,000
योग		**2,40,000**	**योग**	**2,40,000**

अतिरिक्त सूचनाएँ :

(i) 'ग' 50,000 रु. की पूँजी लेकर आएगा।

(ii) ख्याति को 1,20,000 रु. पर मूल्यांकित किया जाएगा।

(iii) देनदारों और प्राप्य-विपत्र पर 5% की दर से प्रावधान बनाया जाएगा।

(iv) 2½ % की दर से लेनदारों पर छूट प्रावधान बनाया जाएगा।

(v) साझेदारों की पूँजी को लाभ-विभाजन अनुपात में निर्धारित किया जाएगा तथा आधिक्य अथवा कमी का समायोजन नकदी में किया जाएगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए तथा नई फर्म का तुलन-पत्र बनाइए।

35. राज और रहीम 2:1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2001 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था।

दायित्व	राशि रु.	परिसंपत्तियाँ	राशि रु.
लेनदार	10,000	रोकड़	1,000
राज की पूँजी	18,000	देनदार	10,000
रहीम की पूँजी	17,000	रहतिया	20,000
संचय	6,000	भूमि व भवन	20,000
योग	**51,000**	**योग**	**51,000**

1 अप्रैल, 2002 को वे रेशमा को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं :

- रेशमा 15,000 रु. पूँजी के रूप में और 6,000 रु. प्रीमियम के रूप में लाएगी।
- भूमि और भवन के मूल्य को 25,000 रु. पर और रहतिये को 18,500 रु. पर पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा।
- 500 रु. का संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाएगा।

उपर्युक्त समायोजनों के उपरांत, साझेदारों के पूँजी खाते नए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार नए साझेदार की पूँजी के आधार पर समायोजित किए जाएँगे तथा आधिक्य अथवा कमी का समायोजन नकदी द्वारा किया जाएगा।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए, पूँजी खाते और नई फर्म का तुलन-पत्र तैयार कीजिए।

36. अलका और वंदना फर्म में साझेदार हैं तथा 2:1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व	*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
अलका की पूँजी	51,450	मशीनरी	50,000
वंदना की पूँजी	36,750	फर्नीचर	3,000
संचय	1,500	देनदार	18,000
लेनदार	10,300	रहतिया	27,000
		रोकड़	2,000
योग	**1,00,000**	**योग**	**1,00,000**

वे निम्न शर्तों पर चंदन को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं।

- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन गत तीन वर्षों के औसत पर दो वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा, जो क्रमशः 20,000 रु. 15,000 रु. और 22,000 रु. है।
- चंदन लाभ में अपने भाग के लिए ख्याति नकद लेकर आएगा।
- चंदन अपने लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर आनुपातिक पूँजी लेकर आएगा।

  साझेदारों के भावी लाभ-विभाजन अनुपात की गणना कीजिए और आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ देते हुए नई फर्म का तुलन-पत्र बनाए।

उत्तर

1. 10 : 5 : 3
2. 13:7:4
3. 3:1:1
4. 7:2:3
5. त्याग अनुपात 1 : 1
6. 1 : 1
7. अनुपात 5:3;2
8. 2:1:1:1
9. 23 : 7 : 6
10. 15:9:8
11. 53:31:21
12. 4.73
13. 3:1
14. नया लाभ विभाजन अनुपात 27:16:17
15. 1:1
16. नया लाभ विभाजन अनुपात

    (i) 6:4:5

    (ii) 13:7:10

    (iii) 21:19:20
17. पूँजी खातों के शेष

    बैकुल 40,000

    गोकुल 20,000

    नकुल 20,000

    बैकुल 2,000 निकालेगा।

    गोकुल 11,000 निकालेगा।
18. नया लाभ विभाजन अनुपात

    (i) 5:3:2

    (ii) 7:5:3

(iii) 2:2:1

(iv) 3:1:1

(v) 9:7:4

19. नया लाभ विभाजन अनुपात 35:18:17

20. 9:3:4

21. त्याग अनुपात 1 : 2

22. नया लाभ विभाजन अनुपात. 4:3:1

त्याग अनुपात 12 : 3

पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 15,985 रु.

पूँजी खातों का शेष 67,975 रु., 47,975 रु., 20,000 रु.

तुलन पत्र का योग 2,03,950 रु.

पुनर्मूल्यांकन पर लाभ 3,000 रु.

पूँजी खातों का शेष 30,000 रु., 15,000 रु.

राम 2,000 तथा मोहन 7,000 रु.

तुलन पत्र का योग 70,000 रु.

32. पुनर्मल्यांकन पर लाभ 3,000 रु.

पूँजी खाते का शेष राज 30,000 रु.

रहीम 15,000 रु.

राज 2,000 रु. लायेगा।

रहीम 7,000 रु. निकालेगा।

तुलन पत्र का योग 70,000

33. नया लाभ विभाजन अनुपात 8:4:3

पूँजी खातों का शेष

अलका = 57,517 रु.

वन्दना = 39,783 रु.

चंदना = 27,325 रु.

रोकड़ खाते का शेष = 33,925 रु.

तुलन पत्र का योग = 131,925 रु.

अध्याय 4

साझेदारी का पुनर्गठन

साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु

अधिगम उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् आप :

- नए लाभ-विभाजन अनुपात और प्राप्त-लाभ की गणना कर सकेंगे;
- साझेदार के अवकाश ग्रहण/मृत्यु पर ख्याति के लेखांकन व्यवहार की व्याख्या कर सकेंगे;
- परिसंपत्तियों और दायित्वों के लेखांकन व्यवहार की व्याख्या कर सकेंगे;
- संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के संदर्भ में लेखांकन व्यवहार की व्याख्या कर सकेंगे;
- निर्गामी साझेदार के हिस्से का निर्धारण तथा निपटारा कर सकेंगे;
- निर्गामी साझेदार का ऋण खाता तैयार कर सकेंगे; तथा
- पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र तैयार कर सकेंगे।

साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर वर्तमान साझेदारी संलेख समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर नए साझेदारी संलेख को गठित किया जाता है अर्थात् साझेदारी फर्म पुनर्गठित होती है। शेष साझेदार पृथक् शर्तों एवं समझौते पर व्यवसाय का संचालन करते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर लेखांकन व्यवहार समान्यतया एक समान होता है, चूँकि निर्गामी साझेदार पुनर्गठित साझेदारी फर्म का सदस्य नहीं रहता है। दोनों ही परिस्थितियों में निवृत्त साझेदार को अथवा मृत साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारियों को देय राशि के भुगतान का निर्धारण किया जाता है। साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण सभी साझेदारों की स्वीकृति से अथवा संलेख के शर्तों के अनुसार (अर्थात् निहित समझौते के आधार पर) अथवा स्वेच्छा से लिखित नोटिस देने पर लिया जा सकता है।

4.1 निर्गामी अथवा मृत साझेदार को देय राशि का निर्धारण

निर्गामी/मृत साझेदार को देय राशि में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है :

- पूँजी/चालू खाते में शेष
- संचित लाभ (हानि) एवं संचय में हिस्सा
- परिसंपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ-हानि में हिस्सा
- ख्याति में हिस्सा
- चालू वर्ष के लाभ में हिस्सा
- संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा
- गत तुलन-पत्र की तिथि से मृत्यु की तिथि अथवा अवकाश ग्रहण की तिथि तक पूँजी पर ब्याज तथा वेतन (यदि लागू हो तो) साझेदार के पूँजी खाते में जमा किया जाएगा। इसी प्रकार आहरण की राशि और आहरण पर ब्याज की राशि, उपयुक्त समयावधि के लिए, साझेदार के पूँजी खाते में नाम किया जाएगा।

साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के समय, शेष साझेदारों का नया लाभ-विभाजन अनुपात तथा प्राप्त लाभ (gaining ratio) अनुपात की गणना की जाती है, जो निम्नलिखित समायोजनों के लिए सहायक होती है :

- ख्याति
- परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन
- संचित लाभ-हानि एवं संचय का विभाजन
- पूँजी समायोजन (यदि कोई है तो)

उपर्युक्त कथित समायोजन निर्गामी/मृत साझेदार की देय राशि के लिए सहायक होते हैं।

4.1.1. नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना

नए लाभ-विभाजन अनुपात से आशय उस अनुपात से है, जिसमें शेष साझेदार फर्म के भावी लाभ का बँटवारा करते हैं (निर्गामी साझेदार के अतिरिक्त)। शेष साझेदारों को नए अनुपात में उनका अपना लाभ में हिस्सा तथा वह हिस्सा, जिसे वे निर्गामी/मृत साझेदार के भाग में से प्राप्त करते है, सम्मिलित होता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के समय शेष साझेदार परस्पर समझौते के आधार पर निर्गामी/मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं। यदि शेष साझेदार निर्गामी/मृत साझेदार के लाभ के भाग को पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं तो नए लाभ-विभाजन अनुपात को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह अनुपात पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के बराबर ही होगा। लाभ-विभाजन अनुपात से संबंधित

सूचना के अभाव में यह मान लिया जाता है कि शेष साझेदार पुराने अनुपात में ही निर्गामी/मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करेंगे (देखें उदाहरण 1)

यदि शेष साझेदार निर्गामी/मृत साझेदार के भाग को पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के बजाय अन्य अनुपात में प्राप्त करते हैं तो नए लाभ-विभाजन अनुपात को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों का लाभ में भाग उनके पुराने भाग और निर्गामी साझेदार के भाग से प्राप्त अंश का योग होता है।

शेष साझेदारों का नया भाग = पुराना भाग + निर्गामी/मृत साझेदार के भाग से प्राप्त अंश

4.1.2 प्राप्त लाभ अनुपात

वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार निर्गामी/मृत साझेदार के भाग को प्राप्त करते हैं, प्राप्त-लाभ अनुपात कहलाता है।

प्राप्त-लाभ = नया भाग – पुराना भाग

इसमें ध्यान योग्य है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर शेष साझेदारों में से कोई साझेदार अपने लाभ के भाग का त्याग भी कर सकता है; यदि वह अपने भाग को दूसरे साझेदार के समक्ष बेच देता है। ऐसी स्थिति में उस साझेदार के प्राप्त-लाभ अनुपात में ऋण-चिह्न (Minus Sign) होता है, जो लाभ के भाग के त्याग की ओर संकेत करता है।

यदि शेष साझेदार निर्गामी/मृत साझेदार के भाग को पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में प्राप्त करते हैं तो प्राप्त-लाभ अनुपात पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के समान होगा। (देखें उदाहरण 1)। यदि यह अनुपात दिया गया हो, जिसमें शेष साझेदार फर्म के भावी लाभ को विभाजित करेंगे, तो प्राप्त-लाभ अनुपात को नए भाग में से पुराने अनुपात को घटाकर ज्ञात किया जाएगा।

उदाहरण 1 : (नए लाभ-विभाजन अनुपात और प्राप्त लाभ की गणना)

सीता, रीता और राज साझेदार हैं तथा लाभ को 5:3:2 के अनुपात में बाँटते हैं। नए लाभ-विभाजन अनुपात और प्राप्त-लाभ अनुपात को ज्ञात करें, जब (i) सीता निवृत्त होती है (ii) राज निवृत्त होता है (iii) रीता निवृत्त होती है।

हल

I. नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना

(i) रीता और राज का नया भाग (यदि सीता निवृत्त होती है)

रीता और राज का नया अनुपात ज्ञात करने के लिए यह मान लिया गया है कि सीता के 5/10 भाग को रीता और राज पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में बाँटेंगे।

रीता का नया भाग $= \frac{3}{10}+(\frac{5}{10}\times\frac{3}{5})=\frac{3}{10}+\frac{15}{50}=\frac{30}{50}$

राज का नया भाग $= \frac{2}{10}+(\frac{5}{10}\times\frac{2}{5})=\frac{2}{10}+\frac{10}{50}=\frac{20}{50}$

अतः नया लाभ-विभाजन अनुपात 3 : 2[1] होगा

(ii) सीता और रीता का नया भाग (यदि राज निवृत्त होता है।)

इस स्थिति में यह मान लिया गया है कि राज का लाभ में भाग जो कि $\frac{2}{10}$ है। सीता और रीता पुराने अनुपात में विभाजित करेंगे :

सीता का नया भाग $= \frac{5}{10}+(\frac{2}{10}\times\frac{5}{8})=\frac{5}{10}+\frac{10}{80}=\frac{50}{80}$

रीता का नया भाग $= \frac{3}{10}+(\frac{2}{10}\times\frac{3}{8})=\frac{3}{10}+\frac{6}{80}=\frac{30}{80}$

अतः नया लाभ-विभाजन अनुपात 5 : 3[2] होगा

(iii) सीता और राज का नया भाग (यदि सीता निवृत्त होती है)

इस स्थिति में यह मान लिया गया है कि रीता के $\frac{3}{10}$ भाग को सीता और राज पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बाँटेंगे।

रीता का नया भाग $= \frac{5}{10}+(\frac{3}{10}\times\frac{5}{7})=\frac{5}{10}+\frac{15}{70}=\frac{50}{70}$

राज का नया भाग $= \frac{2}{10}+(\frac{3}{10}\times\frac{2}{7})=\frac{2}{10}+\frac{6}{70}=\frac{20}{70}$

अतः नया लाभ-विभाजन 5 : 2[3] होगा

II. प्राप्त-लाभ अनुपात की गणना

(i) रीता और राज का प्राप्त-लाभ अनुपात
रीता का प्राप्त-लाभ = नया भाग-पुराना भाग

राज का नया भाग $= \frac{3^{1}}{5}-\frac{3}{10}=\frac{3}{10}$

राज का प्राप्त-लाभ = नया भाग – पुराना भाग

$$= \frac{2^1}{5} - \frac{2}{10} = \frac{2}{10}$$

अत: प्राप्त लाभ अनुपात 3:2 होगा।

(ii) सीता और रीता का प्राप्त लाभ अनुपात

सीता का प्राप्त लाभ = नया भाग – पुराना भाग

$$= \frac{5^2}{8} - \frac{5}{10} = \frac{5}{40}$$

रीता का प्राप्त लाभ $= \frac{3^2}{8} - \frac{3}{10} = \frac{3}{40}$

अत: प्राप्त लाभ अनुपात 5 : 3 होगा।

(iii) सीता और राज का प्राप्त-लाभ

सीता का प्राप्त लाभ = नया अनुपात – पुराना अनुपात

$$= \frac{5^3}{7} - \frac{5}{10} = \frac{15}{70}$$

राज का प्राप्त लाभ $= \frac{2^3}{7} - \frac{2}{10} = \frac{6}{70}$

अत: सीता और राज का प्राप्त लाभ अनुपात 5 : 2 होगा।

उदाहरण 2 : (नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना)

अजय, विजय और वीणा साझेदार हैं और 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। अजय अवकाश ग्रहण लेता है और उसका भाग विजय और वीणा (i) समान अनुपात में और (ii) 3 : 2 अनुपात में प्राप्त करते हैं। विजय और वीणा का नया लाभ-विभाजन अनुपात ज्ञात करें।

हल

(i) जब अजय का भाग विजय और वीणा समान अनुपात में प्राप्त करते हैं :

विजय का लाभ में भाग $= \frac{2}{6}$

विजय का नया भाग $= \frac{2}{6} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$

(ब) वीणा का लाभ में भाग $= \frac{1}{6}$

अजय से प्राप्त भाग $= \frac{3}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{12}$

वीणा का नया भाग $= \frac{1}{6} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$

अत: विजय और वीणा का नया लाभ-विभाजन अनुपात 7 : 5 है।

(ii) जब अजय का भाग विजय और वीणा 3:2 अनुपात में करते हैं :

विजय का लाभ में भाग $= \frac{2}{6}$

अजय से प्राप्त भाग $= \frac{3}{5} \times \frac{3}{6} = \frac{9}{30}$

विजय का नया भाग $= \frac{2}{6} + \frac{9}{30} = \frac{19}{30}$

वीणा का लाभ में भाग $= \frac{1}{6}$

अजय से प्राप्त भाग $= \frac{2}{5} \times \frac{3}{6} = \frac{6}{30}$

वीणा का नया भाग $= \frac{1}{6} + \frac{6}{30} = \frac{11}{30}$

अत: विजय और वीणा का नया अनुपात 19 : 11 है।

उदाहरण 3 (नए लाभ-विभाजन अनुपात और प्राप्त-लाभ अनुपात की गणना)

महेश, नरेश और ओम फर्म में साझेदार हैं तथा $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$ और $\frac{1}{8}$ अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। महेश अवकाश ग्रहण लेता है और नरेश के लिए $\frac{2}{3}$ भाग का त्याग करता है और शेष भाग का त्याग ओम के लिए करता है। नए लाभ-विभाजन अनुपात और प्राप्त-लाभ अनुपात की गणना कीजिए।

हल

		नरेश	ओम
(i) वर्तमान भाग	=	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$
(ii) महेश से नरेश और ओम द्वारा प्राप्त भाग	=	$\frac{2}{3}\times\frac{3}{8}$	$(1-\frac{2}{3})\times\frac{3}{8}$
	=	$\frac{2}{8}$	$=\frac{1}{8}$
(iii) नया अनुपात $=(i+ii)$	=	$\frac{1}{2}+\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}+\frac{1}{8}$
	=	$\frac{6}{8}$	$=\frac{2}{8}$

6 : 2, अर्थात् 3 : 1

(iv) प्राप्त लाभ अनुपात = 2:1 (जैसा कि (ii) में ज्ञात किया गया है।)

उदाहरण 4 (नए लाभ-विभाजन अनुपात और प्राप्त-लाभ अनुपात की गणना)

काजल, लीना, मोहन और नारायण फर्म में साझेदार हैं और 3 : 2 : 1 : 4 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। काजल अवकाश ग्रहण कर लेती है और उसका भाग, समझौते के अनुसार, लीना और मोहन 3 : 2 अनुपात में प्राप्त करते हैं। नया लाभ-विभाजन अनुपात और प्राप्त-लाभ अनुपात की गणना करें।

हल

नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना :

		लीना	मोहन	नारायण
(i) पुराना भाग	=	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$
(ii) काजल के भाग का अधिकरण	=	$\frac{3}{10}\times\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}\times\frac{2}{5}$	–
	=	$\frac{9}{50}$	$\frac{6}{50}$	–

(iii) नया अनुपात (i + ii) $= \frac{2}{10} + \frac{9}{50} \quad \frac{1}{10} + \frac{6}{50} \quad \frac{4}{10}$

$= \frac{19}{50} : \frac{11}{50} : \frac{20}{50}$

अर्थात् नया लाभ विभाजन अनुपात 19 : 11 : 20 होगा।

टिप्पणी : *चूँकि लीना और मोहन ने काजल के भाग को 3 : 2 अनुपात में प्राप्त किया है, अत: प्राप्त-लाभ अनुपात 3 : 2 होगा।*

4.1.3. ख्याति का लेखांकन

निर्गामी साझेदार, अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर, ख्याति में अपने भाग के लिए हकदार होता है क्योंकि फर्म की साख समस्त साझेदारी (निवृत्त/मृत साझेदार सहित) के पूर्व प्रयासों का फल होता है। अत: शेष साझेदार निर्गामी साझेदार को प्राप्त-लाभ अनुपात में इस भाग के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं। इस संबंध में निर्गामी साझेदार के पूँजी खाते को जमा किया जाता है तथा निम्नवत् रोजनामचा प्रविष्टि दी जाती है :

शेष साझेदारों के पूँजी खाते नाम
    निवृत्त/मृत साझेदार का पूँजी खाता (अपने ख्याति के भाग के लिए)

इसमें ध्यान योग्य बिंदु यह है कि निर्गामी साझेदार के पूँजी खाते को ख्याति में उसके भाग के लिए जमा और शेष साझेदारों के पूँजी खातों को प्राप्त-लाभ अनुपात में नाम किया जाता है क्योंकि शेष साझेदार के लाभ के भाग में साझेदार की निवृत्ति/मृत्यु से वृद्धि होती है।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि कोई शेष साझेदारों में से यदि एक साझेदार, निवृत्ति/मृत्यु पर, अपने लाभ में भाग के कुछ अंश का त्याग करता है तो उसके पूँजी खाते को निर्गामी साझेदार के पूँजी खाते सहित जमा किया जाएगा तथा उन साझेदार के पूँजी खातों को नाम किया जाएगा, जिनके भाग में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टि दी जाएगी :

शेष साझेदारों के पूँजी खाते (जिनके भाग में वृद्धि हुई है) नाम
    निवृत्त/मृत साझेदार का पूँजी खाता
    शेष साझेदार का पूँजी खाता (जिसने अपने भाग का त्याग किया है।)

इस संदर्भ में ख्याति को वर्तमान साझेदारों के मध्य समझौते के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है (इसकी विस्तृत व्याख्या अध्याय 1 में की गई है।)

4.1.4 ख्याति का लेखांकन व्यवहार

निर्गामी/मृत साझेदार का ख्याति के हिस्से में अधिकार होता है क्योंकि ख्याति (साख) उस साझेदार सहित सभी साझेदारों के प्रयासों का परिणाम है। अवकाश ग्रहण/मृत्यु पर ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों के मध्य समझौते के आधार पर किया जाता है। चूँकि, निर्गामी/मृत साझेदार का फर्म के भावी लाभ में कोई हिस्सा नहीं होगा, जो एक स्तर तक ख्याति के वर्तमान मूल्य पर आधारित होता है। अत: यही उपयुक्त माना जाता है कि निर्गामी/मृत साझेदार को ख्याति का भाग शेष साझेदार प्राप्त-लाभ अनुपात में दें। इस कारणवश, निर्गामी/मृत साझेदार के पूँजी खाते को इस राशि से जमा कर दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टि दी जाती है :

शेष साझेदारों के पूँजी खाते नाम (प्राप्त-लाभ अनुपात में)
निर्गामी/मृत साझेदार का पूँजी खाता
(ख्याति में उसका भाग)

इसका तात्पर्य है कि निर्गामी/मृत साझेदार के पूँजी खाते को ख्याति के भाग से जमा और शेष साझेदारों के पूँजी खातों को प्राप्त लाभ अनुपात में नाम किया जाएगा। क्योंकि वे अवकाश ग्रहण/मृत्यु दर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण/मृत्यु की स्थिति में, लाभ में अपने भाग का कुछ अंश त्याग करता है तो निर्गामी/मृत साझेदार के पूँजी खाते के साथ उसके पूँजी खाते को भी जमा किया जाएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है :

शेष साझेदारों के पूँजी खाते नाम (जिन्हें लाभ हुआ है)
निर्गामी/मृत साझेदार का पूँजी
वर्तमान साझेदार का पूँजी खाता (जिसने त्याग दिया)

इस स्थिति में ख्याति को, साझेदारों के मध्य समझौते के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। (इसकी व्याख्या अध्याय 1 में की गई है।)

प्रच्छन्न ख्याति

यदि फर्म निर्गामी साझेदार को एक मुश्त राशि के भुगतान का निर्णय लेती है तो निर्गामी साझेदार के पूँजी खाते के शेष पर तथा पुनर्मूल्यांकन और संचय के भाग पर यदि देय राशि का आधिक्य होता है तो उस राशि को ख्याति में उसका भाग माना जाता है। उदाहरण के लिए, 'क', 'ख' और 'ग' फर्म में साझेदार हैं तथा 'ख' अवकाश ग्रहण करता है। संचय और पुनर्मूल्यांकन के समायोजनों के पश्चात् 'ख' के पूँजी खाते का शेष 64,000 रु. था। 'क' और 'ग' ने 80,000 रु. पूर्ण भुगतान के रूप में देने का फैसला लिया। इसका तात्पर्य यह है कि देय राशि पर 16,000 रु. का आधिक्य,

'ख' की ख्याति में उसके भाग के लिए है। ख्याति के भाग के 16,000 रु. को 'क' और 'ग' के पूँजी खाते में नाम और 'ख' के पूँजी खाते में जमा किया जाएगा।

उदाहरण 5 (ख्याति)

ओम, जय और जगदीश साझेदार हैं तथा 5 : 3 : 2 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। ओम अवकाश ग्रहण लेता है। फर्म की ख्याति को 50,000 रु. पर मूल्यांकित किया जाता है। शेष साझेदार फर्म के भावी लाभ को समान अनुपात में बाँटेंगे। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दें :

हल

ओम, जय और जगदीश की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
	जय का पूँजी खाता नाम		10,000	
	जगदीश का पूँजी खाता नाम		15,000	
	ओम का पूँजी खाता			25,000
	(ओम का ख्याति में भाग, प्राप्त-लाभ अनुपात में दिया गया।)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

प्राप्त लाभ का अनुपात = नया भाग – पुराना भाग

जय का पुराना भाग $= \frac{3}{10}$

जय का नया भाग $= \frac{1}{2}$

जय का प्राप्त लाभ $= \frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \frac{2}{10}$

जगदीश का पुराना भाग $= \frac{2}{10}$

जगदीश का नया भाग $= \frac{1}{2}$

जगदीश का प्राप्त भाग $= \frac{1}{2} - \frac{2}{10} = \frac{3}{10}$

अत: प्राप्त लाभ अनुपात = 2 : 3

उदाहरण 6 (ख्याति)

शशी, मधु, ऊषा और रेणु साझेदार हैं तथा 3 : 2 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। ऊषा के अवकाश ग्रहण पर फर्म की ख्याति 1,20,000 रु. मूल्यांकित की गई। ऊषा के ख्याति के भाग का समायोजन शशी, मधु और रेणु के पूँजी खातों में किया जाएगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दें।

हल

शशी, मधु, ऊषा और रेणु की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
	ऊषा का पूँजी खाता नाम		48,000	
	मधु का पूँजी खाता			12,000[1]
	शशी का पूँजी खाता			36,000[2]
	(ऊषा के अवकाश ग्रहण पर मधु और शशी ने अपने भाग का त्याग किया है जबकि रेणु ने लाभ प्राप्त किया है।)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

साझेदार का प्राप्त लाभ = नया भाग – पुराना भाग

शशी का प्राप्त लाभ $= \frac{3}{10} - \frac{3}{10}$ = 0 (पुराने अनुपात के समान)

मधु का प्राप्त लाभ $= \frac{1}{10} - \frac{2}{10} \left(\frac{1}{10}\right)$ (त्याग)

रेणु का प्राप्त लाभ $= \frac{6}{10} - \frac{2}{10} = \frac{4}{10}$

ख्याति की राशि को साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण पर

$$= 1,20,000 \text{ रु.} \times \frac{1}{10} = 12,000^{1} \text{ रु.}$$

$$= 1,20,000 \text{ रु.} \times \frac{3}{10} = 36,000^{2} \text{ रु.}$$

उदाहरण 7 (ख्याति)

संगीता, अमृत और रीता फर्म के साझेदार हैं जो लाभ को 3 : 2 : 1 के अनुपात में बाँटते हैं। अमृत ने अस्वस्थता के कारणवश फर्म से अवकाश ग्रहण का फैसला लिया है। इस संदर्भ में ख्याति गत तीन वर्षों के औसत अधिलाभ पर दो वर्षों के क्रय पर मूल्यांकित की जाएगी। तीन वर्षों के लाभ निम्नवत् हैं :

प्रथम वर्ष	=	36,600 रु.
द्वितीय वर्ष	=	43,600 रु.
तृतीय वर्ष	=	48,800 रु.

समानार्थी फर्मों का सामान्य लाभ 34,000 रु. है। अमृत के अवकाश ग्रहण पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

हल

संगीता, अमृत और रीता की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
	संगीता का पूँजी खाता नाम		4,500	
	रीता का पूँजी खाता नाम		1,500	
	अमृत का पूँजी खाता			6,000
	(अमृत के पूँजी खाते में ख्याति को जमा किया गया)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

$$\text{औसत लाभ रु.} = \frac{(36,000 + 43,600 + 48,800)}{3} = 43,000 \text{ रु.}$$

अधिलाभ = औसत लाभ – सामान्य लाभ

(रु.)	=	43,000 – 34,000 = 9,000 रु.	
ख्याति	=	अधिलाभ × क्रय वर्ष की कुल संख्या	
(रु.)	=	9,000 × 2	= 18,000
अमृत का ख्याति में भाग (रु.)	=	$18{,}000 \times \frac{2}{6}$	= 6,000 रु.

4.1.4. परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन

अवकाश ग्रहण/मृत्यु के समय, ऐसा हो सकता है कि फर्म की परिसंपत्तियों और दायित्वों को वर्तमान मूल्य पर नहीं दिखाया गया हो।

इसके अतिरिक्त, फर्म में कुछ गैर-अभिलेखित परिसंपत्तियाँ और देयताएँ भी हो सकती हैं, जिनका अभिलेखित किया जाना भी आवश्यक होता है। अतः पुनर्मूल्यांकन पर शुद्ध लाभ (हानि) के निर्धारण हेतु ''पुनर्मूल्यांकन खाता'' तैयार किया जाता है। ज्ञात किए गए शुद्ध लाभ (हानि) को समस्त साझेदारों के पूँजी खाते में (निर्गामी साझेदार सहित) हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्न रोजनामचा प्रविष्टियाँ दी जाती है :

- *परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि पर*
  परिसंपत्ति खाता नाम (वैयक्तिक रूप में)
  पुनर्मूल्यांकन खाता
- *परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी पर*
  पुनर्मूल्यांकन खाता नाम (वैयक्तिक रूप में)
  परिसंपत्ति खाता
- *दायित्वों के मूल्य में वृद्धि पर*
  पुनर्मूल्यांकन खाता नाम (वैयक्तिक रूप में)
  दायित्व खाता
- *दायित्वों के मूल्य में कमी पर*
  दायित्व खाता नाम (वैयक्तिक रूप में)
  पुनर्मूल्यांकन खाता
- *गैर-अभिलेखित परिसंपत्तियों के अभिलेखन पर*
  गैर-अभिलेखित परिसंपत्ति खाता नाम
  पुनर्मूल्यांकन खाता
- *गैर-अभिलेखित दायित्वों के अभिलेखन पर*
  पुनर्मूल्यांकन खाता नाम
  गैर-अभिलेखित दायित्व

- *पुनर्मूल्यांकन पर लाभ के विभाजन पर*

  पुनर्मूल्यांकन खाता नाम

  समस्त साझेदारों के पूँजी खाते (पुराने लाभ-विभाजन अनुपात पर)

  अथवा

- *पुनर्मूल्यांकन पर हानि*

  समस्त साझेदारों के पूँजी खाते नाम

  पुनर्मूल्यांकन खाता

टिप्पणी : *प्रथम चार प्रविष्टियों का अभिलेखन परिसंपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी के आधार पर किया जाएगा। समस्त साझेदार से तात्पर्य निवृत/मृत साझेदार सहित शेष साझेदार।*

4.1.5 समेकित लाभ-हानि एवं संचय का विभाजन

साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के समय तुलन-पत्र में दिखाए गए समेकित लाभ-हानि और संचयों पर सभी साझेदारों का समान अधिकार होता है तथा पुराने लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर सभी साझेदारों के पूँजी खातों में हस्तांतरण किया जाता है। समान रूप में, कभी-कभी फर्म द्वारा विशेष कोषों का भी सृजन किया जाता है, जैसे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष या निवेश घट-बढ़ कोष, जिनका उपयोग भविष्य में विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अवकाश ग्रहण/मृत्यु के अवसर पर यदि ऐसे कोषों की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे ''अधिशेष'' मानते हुए साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस संबंध में निम्न प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

- *संचय तथा संचित लाभ आदि के विभाजन पर :*

  संचय नाम

  लाभ व हानि खाता (लाभ अर्थात् जमा शेष) नाम

  समस्त साझेदारों का पूँजी खाता

- *हानि को सभी साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में विभाजन करने पर*

  सभी साझेदारों के पूँजी खाते नाम

  लाभ व हानि खाता (संचित हानि अर्थात् नाम शेष)

  स्थागित आयगत व्यय खाता

- *विशेष कोष के अधिशेष का साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण*

  कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता नाम

  निवेश घट बढ़ कोष खाता नाम

  समस्त साझेदारों के पूँजी खाते

उदाहरण 8 (लाभ-हानि का लेखांकन व्यवहार)

माया, काजल और अमित साझेदार हैं तथा $\frac{3}{6}$, $\frac{2}{6}$ और $\frac{1}{6}$ अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। माया विवाह के उपरांत फर्म से निवृत्त होने का फैसला लेती है। आप लाभ व हानि खाते का विभाजन किस प्रकार करेंगे? अवकाश ग्रहण की तिथि पर, फर्म का संक्षिप्त तुलन-पत्र इस प्रकार है:

..................को.............(फर्म)..............तुलन-पत्र।

दायित्व	*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
पूँजी :		रोकड़	14,000
माया 10,000		लाभ (हानि)	6,000
काजल 6,000			
अमित 4,000	20,000		
योग	**20,000**	**योग**	**20,000**

हल

माया, काजल और अमित की पुस्तक
रोजनामचा

	माया का पूँजी खाता नाम		3,000	
	काजल का पूँजी खाता नाम		2,000	
	अमित का पूँजी खाता नाम		1,000	
	लाभ व हानि खाता			6,000
	(6,000 रु. की हानि साझेदारों के पूँजी खाते में 3:2:1 के अनुपात में हस्तांतरित की गई)			

उदाहरण 9 (परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन)

गीता, सुनीता और शहनाज फर्म में साझेदार हैं और समान अनुपात में लाभ का विभाजन करती हैं। गीता अवकाश ग्रहण का फैसला लेती है और, उस तिथि पर फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार है :

..................को.............(फर्म),..............तुलन-पत्र।

दायित्व	*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
लेनदार	5,500	रोकड़	4,000
संचय कोष	3,000	देनदार	16,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष	1,500	फर्नीचर	15,000
पूँजी :		प्लांट	20,000
गीता 10,000		पेटेंट	6,000
सुनीता 15,000			
शहनाज 20,000	45,000		
लाभ व हानि	6,000		
योग	**61,000**	**योग**	**61,000**

अवकाश ग्रहण के समय, पेटेंट मूल्यहीन पाए गए, फर्नीचर का मूल्य 13,000 रु. आंका गया और प्लांट के मूल्य में 4,000 रु. की कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष पर कोई दायित्व नहीं था। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

गीता, सुनीता और शहनाज की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम* राशि रु.	*जमा* राशि रु.
	संचय कोष खाता नाम		3,000	
	कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता नाम		1,500	
	लाभ व हानि खाता नाम		6,000	
	गीता का पूँजी खाता			3,500
	सुनीता का पूँजी खाता			3,500
	शहनाज का पूँजी खाता			3,500
	(मुक्त संचय साझेदारों में विभाजित किए गए)			
	पुनर्मूल्यांकन खाता नाम		12,000	
	फर्नीचर खाता			2,000
	प्लांट खाता			4,000
	पेटेंट खाता			6,000
	(परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी का अभिलेखन)			

	गीता का पूँजी खाता नाम		4,000	
	सुनीता का पूँजी खाता नाम		4,000	
	शहनाज का पूँजी खाता नाम		4,000	
	पुनर्मूल्यांकन खाता			12,000
	(पुनर्मूल्यांकन पर हानि का अभिलेखन)			

4.1.6. निर्गामी/मृत साझेदार को देय राशि का निपटारा

निर्गामी/मृत साझेदार का पूँजी खाता साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार निपटाया जाता है अर्थात, तत्काल एक मुश्त का भुगतान करने अथवा ब्याज रहित/ब्याज सहित किश्तों पर अथवा आंशिक रूप में तत्काल नकद और नियतकालित समय अवधि पर आंशिक रूप में किश्तों पर।

यदि इस संदर्भ में कोई समझौता नहीं होता है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 लागू होती है, जिसके अनुसार निर्गामी/मृत साझेदार को 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है अथवा, उसके द्वारा निवेशित धनराशि से अर्जित लाभ में हिस्सा।

(अ) निवृत्त साझेदार के खाते का निपटारा

1. जब निवृत्त साझेदार को पूर्ण भुगतान किया जाता है तो निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है:

   निवृत्त साझेदार का पूँजी खाता नाम
       रोकड़/बैंक खाता

2. जब निवृत्त साझेदार को आंशिक रूप में भुगतान दिया जाता है और शेष राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है :

   निवृत्त साझेदार का पूँजी खाता नाम
   रोकड़/बैंक खाता
       ऋण खाता

3. ऋण खाते का निपटारा निम्न प्रविष्टियों के द्वारा किया जाता है :

   (i) देय तिथि पर ब्याज
   ऋण पर ब्याज खाता नाम
       ऋण खाता

   (ii) देय तिथि पर किश्त का भुगतान
   ऋण खाता नाम
       रोकड़/बैंक खाता

(ब) मृत साझेदार के खाते का निपटारा

1. मृत साझेदार के पूँजी खाते के जमा पक्ष में दिखाई गई अंतिम राशि के शेष को निष्पादक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टि दी जाती है :

   मृत साझेदार का पूँजी खाता नाम

   मृत साझेदार का निष्पादक खाता

2. मृत साझेदार के निष्पादक खाते का भुगतान फर्म और मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों के बीच समझौते के आधार पर किया जाता है।

3. (अ) जब पूर्ण भुगतान नकदी के रूप में किया जाता है तो निम्न प्रविष्टि दी जाती है :

   निष्पादक खाता नाम

   रोकड़ / बैंक खाता

   (ब) जब भुगतान किश्तों में किया जाता है तो निम्न प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

   - *देय ब्याज के लिए*

     निष्पादक खाते पर ब्याज नाम

     निष्पादक खाता
   - *ऋण खाते पर किश्त का भुगतान*

     निष्पादक खाता नाम

     रोकड़ / बैंक खाता

पूँजी खाता

दिनांक	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि रु.*	*दिनांक*	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि रु.*
	आहरण		* * *		शेष आ/ला		* * *
	आहरण पर ब्याज		* * *		शेष साझेदारों का पूँजी खाता (ख्याति के भुगतान पर)		* * *
	लाभ (हानि)[1]		* * *		लाभ व हानि (लाभ)[1]		* * *
	पुनर्मूल्यांकन (हानि)[2]		* * *		संचय कोष		* * *
	शेष आ/ले (निवृत्ति पर)		* * *		पूँजी पर ब्याज		* * *
	निष्पादन खाता (मृत्यु पर)		* * *		संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी		* * *
					पुनर्मूल्यांकन (लाभ)[2]		
	योग		* * *		**योग**		* * *

[1,2] इन मदों में लाभ अथवा हानि की प्रविष्टि की जाएगी।

प्रदर्श 4.1 *: निर्गामी साझेदार के पूँजी खातों का प्रारूप*

4.1.6. पूँजी का समायोजन

यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूँजी उनके लाभ-विभाजन अनुपात के अनुरूप होनी चाहिए। किंतु अवकाश ग्रहण/मृत्य के समय, शेष साझेदार लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार पूँजी निवेश करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में, शेष साझेदारों के पूँजी खातों का शेष ज्ञात किया जाता है तथा फर्म की कुल पूँजी राशि निर्धारित की जाती है। साझेदारों की नई पूँजी की गणना के लिए फर्म की कुल पूँजी को नए लाभ-विभाजन अनुपात के आधार पर बाँटा जाता है। ज्ञात की गई नई पूँजी की तत्पश्चात् पूँजी खातों के शेष से तुलना करके 'कमी' अथवा 'आधिक्य' की गणना करते हैं।

नई पूँजी पर आधिक्य अथवा कमी के संदर्भ में प्रविष्टियाँ इस प्रकार की जाती है :

(i) आधिक्य पर :

सभी साझेदारों के पूँजी खाते नाम
    रोकड़ / बैंक खाता

(ii) कमी पर

रोकड़ / बैंक खाता नाम
    सभी साझेदारों के पूँजी खाते

उदाहरण 10 (पूँजी का समायोजन)

'अ', 'ब' और 'स' फर्म में साझेदार हैं तथा 3 : 2 : 1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 'ब' फर्म से निवृत्त होता है। पूनर्मूल्यांकन, ख्याति एवं संचित लाभ के संबंध में समस्त समायोजनों के पश्चात् 'अ' की पूँजी का शेष 80,000 रु. और 'स' की पूँजी का शेष 40,000 रु. है। 'अ' और 'स' पूँजी को लाभ-विभाजन अनुपात में समायोजित करने का निर्णय लेते हैं। फर्म की नई पूँजी की गणना कीजिए और आधिक्य/कमी के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टयाँ दें।

हल

I. नए लाभ-विभाजन अनुपात की गणना

(i) 'अ' की पूँजी का शेष = 80,000

(ii) 'स' की पूँजी का शेष = 40,000

(iii) फर्म की कुल पूँजी ((i) + (ii)) = 1,20,000

(iv) 'अ' की नई पूँजी = $1,20,000 \times \frac{3}{4}$ = 90,000

(v) 'स' की नई पूँजी = $1,20,000 \times \frac{1}{4}$ = 30,000

(vi) 'अ' द्वारा कमी की क्षतिपूर्ति (रु.) ((i) – (iv)) = 80,000 - 90,000 = (10,000)

(vii) 'स' द्वारा पूँजी पर आधिक्य (रु.) = 40,000 - 30,000 = 10,000

I.I. **'अ', 'ब' और 'स' की पुस्तक**

रोजनामचा

	'अ' द्वारा नकद राशि लाने पर रोकड़ खाता नाम 'अ' का पूँजी खाता ('अ' द्वारा नकद राशि लाने पर)		10,000	10,000
	'स' का पूँजी खाता नाम रोकड़ खाता ('स' द्वारा नकद राशि निकालने पर)		10,000	10,000

कभी-कभी शेष साझेदार पुनर्गठित फर्म की कुल पूँजी निर्धारित करने का निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए 'ख' के अवकाश ग्रहण के उपरांत 'क' और 'ग' नई फर्म की कुल पूँजी का निर्धारण 1,50,000 रु. पर करते हैं, जिस पर वे नए लाभ-विभाजन अनुपात पर नई पूँजी को ज्ञात करने का निर्णय लेते हैं, जो कि 3 : 2 है। 'ख' के अवकाश ग्रहण से संबंधित समायोजनों के पश्चात् 'क' और 'ग' की पूँजी के शेष क्रमशः 85,000 रु. और 60,000 रु. थे।

अतः 'क' की नई पूँजी $= 1{,}50{,}000 \text{ रु.} \times \frac{3}{5} = 90{,}000 \text{ रु.}$

'ग' की नई पूँजी $= 1{,}50{,}000 \text{ रु.} \times \frac{2}{5} = 60{,}000 \text{ रु.}$

चूँकि, समस्त समायोजनों के पश्चात् 'क' की पूँजी 85,000 रु. थी तथा नई पूँजी 90,000 रु. है, अतः 'क' 5,000 रु. नकद लेकर आएगा (अर्थात् 90,000 रु. - 85,000 रु. = 5,000 रु.)। 'ग' न तो नकद राशि लाएगा न ही निकालेगा क्योंकि 'ग' की नई पूँजी और पुरानी पूँजी राशि समान है, अर्थात 60,000 रु.।

कभी-कभी निर्गामी/मृत साझेदार को देय राशि का भुगतान शेष साझेदारों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि उनकी पूँजी नए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुरूप हो जाती है। सर्वप्रथम, ऐसी स्थिति में अन्य साझेदारों के पूँजी खाते के जमा पक्ष के शेष की गणना की जाती है, इसके उपरांत इस राशि में निर्गामी/मृत साझेदार की देय राशि को जोड़ा जाता है (जिसे अन्य साझेदार लेकर आते हैं), जिससे फर्म की कुल पूँजी ज्ञात की जाती है। तत्पश्चात, फर्म की कुल पूँजी को नए विभाजन अनुपात के आधार पर बाँटा जाता है तथा पुनर्गठित फर्म के साझेदारों की नई पूँजी निर्धारित की जाती है। उन समस्त समायोजनों के उपरांत नई पूँजी पर आधिक्य अथवा कमी का निर्धारण किया जाता है।

उदाहरण 11 (पूँजी का समायोजन)

पूनम, करतार और रहमान साझेदार हैं तथा लाभ को क्रमशः 40%, 30% और 30% के अनुपात में बाँटते हैं। पूनम के अवकाश ग्रहण के अवसर पर सामान्य संचय, ख्याति तथा पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में समस्त समायोजनों के उपरांत उनके पूँजी खातों में क्रमशः 70,000 रु., 60,000 रु. और 50,000 रु. हैं। उन्होंने यह निर्णय लिया कि पूनम को देय राशि का भुगतान इस प्रकार किया जाए कि करतार और रहमान की पूँजी उनके लाभ-विभाजन अनुपात के अनुरूप निर्धारित हो जाए। करतार और रहमान द्वारा लाई गई पूँजी ज्ञात कीजिए तथा आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

हल

I. नई पूँजी की गणना

(i) करतार के पूँजी खाते में शेष = 60,000 रु.

(ii) रहमान के पूँजी खाते में शेष = 50,000 रु.

(iii) पूनम को देय राशि का भुगतान = 70,000 रु.

(iv) नई फर्म की कुल पूँजी {(i) + (ii) + (iii)} = 1,80,000 रु.

(v) करतार की नई पूँजी = 1,80,000 रु. $\times \frac{1}{2}$ = 90,000 रु.

(vi) रहमान की नई पूँजी = 1,80,000 रु. $\times \frac{1}{2}$ = 90,000 रु.

(vii) करतार द्वारा लाई गई नकद राशि (i + v) = 90,000 रु. – 60,000 रु. = (30,000) रु.

(viii) रहमान द्वारा लाई गई नकद राशि {(vii) + (iv)} = 90,000 रु. – 50,000 रु. = (40,000) रु.

II. रोजनामचा प्रविष्टियाँ

पूनम, करतार और रहमान की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
	रोकड़ खाता नाम		70,000	
	करतार का पूँजी खाता			30,000
	रहमान का पूँजी खाता			40,000
	(करतार और रहमान द्वारा लाई गई नकद राशि)			
	पूनम का पूँजी खाता नाम		70,000	
	रोकड़ खाता			70,000
	(पूनम को देय राशि का पूर्ण भुगतान)			

4.2 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी

निर्गामी साझेदार/मृत साझेदार के देयताओं/बकाये के पूर्ण भुगतान हेतु और फर्म की तरलता बनाए रखने के लिए, समस्त साझेदारों द्वारा अपने जीवन पर संयुक्त रूप में बीमा पॉलिसी ली जाती है। परिपक्वता तिथि पर बीमा कंपनी बीमित राशि (अर्थात् जिस राशि के लिए पॉलिसी ली जाती है) देने का समझौता करती है। परिपक्वता तिथि से आशय साझेदार मृत्यु की तिथि अथवा पॉलिसी समाप्त होने की अवधि, जो भी पहले हो, से है। इसके बदले में फर्म बीमा कंपनी को नियत कालित अवधि पर प्रीमियम का भुगतान करती है। सामान्यतया, प्रीमियम की राशि, समापन अवधि के अतिरिक्त, एक समान रहती है।

अभ्यर्पण मूल्य बीमा (Surrender Value), कंपनी द्वारा वह देय राशि है, जो परिपक्वता तिथि से पूर्व पॉलिसी के अभ्यर्पण/समाप्ति पर दी जाती है। हालांकि अभ्यर्पण मूल्य प्रीमियम के भुगतान के समरूप बढ़ता जाता है।

4.2.1 संयुक्त बीमा पॉलिसी का लेखांकन व्यवहार

संयुक्त बीमा पॉलिसी के लेनदेनों का फर्म की पुस्तकों में अभिलेखन निम्न प्रकार किया जाता है:

1. जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को फर्म का व्यय माना जाता है

जब प्रीमियम को फर्म का व्यय माना जाता है, तब उसे लाभ-हानि खाते में नाम करते हैं, जिससे फर्म के वितरित लाभ में कमी आती है। वर्ष-दर-वर्ष, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम, व्यय के रूप में अपलिखित किया जाता है।

साझेदार की मृत्यु पर, फर्म को बीमित राशि एवं बोनस, यदि है तो, प्राप्त होता है, जिसे साझेदारों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, फर्म के तुलन-पत्र में बीमा पॉलिसी को दिखाया जाना आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

पॉलिसी प्राप्त करने और चालू रखने के वर्ष में

- *प्रीमियम के भुगतान पर*

  संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम   नाम

  बैंक खाता

- *वर्ष की समाप्ति पर प्रीमियम के लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित करने पर*

  लाभ-हानि खाता   नाम

  संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता

पॉलिसी की परिपक्वता पर

यदि मृत्यु प्रीमियम की देय तिथि से पूर्व होती है तो प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि प्रीमियम के भुगतान का अभिलेखन नहीं किया जाएगा। पॉलिसी परिपक्वता पर, बीमित राशि के दावे हेतु बीमा पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है तथा बीमित राशि प्राप्त कर ली जाती है। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

(i) *साझेदार की मृत्यु पर बीमा कंपनी से बीमित राशि का दावा करने पर*

बीमा कंपनी/प्राप्त बीमित राशि खाता नाम

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी

(ii) *देय बीमित राशि की प्राप्ति पर*

बैंक खाता नाम

बीमा कंपनी / प्राप्त बीमित राशि हेतु दावा

(iii) *प्राप्त बीमित राशि साझेदारों के बीच विभाजित (निर्गामी साझेदार सहित)*

संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता नाम

समस्त साझेदारों के पूँजी खाते (वैयक्तिक रूप में)

2. जब भुगतान किए गए प्रीमियम को संयुक्त बीमा पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के बराबर राशि पर परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है :

यहाँ पर निश्चित तिथि पर तैयार किए गए तुलन-पत्र में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को अभ्यर्पण मूल्य पर दर्शाया जाता है। इस स्थिति में, निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

(i) *प्रथम वर्ष (जिस तिथि पर पॉलिसी प्राप्त की जाती है और प्रीमियम का भुगतान किया जाता है)*

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता नाम

बैंक खाता

(ii) *प्रथम वर्ष की समाप्ति पर, संयुक्त बीमा पॉलिसी खाता वह शेष दर्शाता है जो अभ्यपर्ण मूल्य के बराबर होगा। प्रीमियम के भुगतान और अभ्यर्पण मूल्य के अंतर को लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा :*

लाभ-हानि खाता नाम

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता

(गत वर्ष में अभ्यर्पण मूल्य + चालू वर्ष के दौरान प्रीमियम का भुगतान – चालू वर्ष में अभ्यर्पण मूल्य)

दूसरे वर्ष के पश्चात् (i) और (ii) प्रविष्टियाँ अंतिम वर्ष तक दोहराई जाएँगी।

अंतिम वर्ष में अर्थात्, मृत्यु के वर्ष में, प्रविष्टि (i) तभी अभिलेखित की जाएगी जब मृत्यु प्रीमियम की देय तिथि के पश्चात् होती है तथा प्रविष्टि (ii) को अभिलेखित नहीं किया जाएगा।

(iii) *पॉलिसी की परिपक्वता पर अथवा मृत्यु पर, देय राशि के दावे की प्रविष्टि इस प्रकार होगी*

बीमा कंपनी नाम

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी

(iv) *बीमा कंपनी द्वारा बीमित राशि की प्राप्ति पर निम्न प्रविष्टि दी जाएगी*

बैंक खाता नाम

बीमा कंपनी

(v) *संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते के शेष को सभी साझेदारों के मध्य लाभ-विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा।*

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का शेष = [कुल देय दावा – (गत वर्ष में पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य चालू वर्ष में प्रीमियम का भुगतान)]

4.2.2 व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी

फर्म प्रत्येक साझेदार के जीवन पर अलग बीमा पॉलिसी लेने का निर्णय ले सकती है। ऐसी बीमा पॉलिसी के संबंध में यदि प्रीमियम का भुगतान फर्म द्वारा किया जाता है तो इसे फर्म के देनदार मानते हुए फर्म की परिसंपत्ति में अभिलेखित करते हैं। जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है/ पॉलिसी परिपक्व होती है, फर्म बीमा कंपनी पर बीमित राशि के लिए दावा करती है तथा प्राप्त देय बीमित राशि को समस्त साझेदारों के मध्य लाभ-विभाजन अनुपात में बाँटा जाता है। मृत साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारियों को मृत साझेदार का हिस्सा आनुपातिक रूप से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अन्य साझेदारों की पॉलिसी पर अभ्यर्पण मूल्य को सभी साझेदारों के मध्य लाभ-विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को अभ्यर्पण मूल्य पर तुलन-पत्र में दर्शाया जाएगा।

उदाहरण 12 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

पवन, कुबेर और रमेश साझेदार हैं और 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। 14 अगस्त, 2002 को पवन की मृत्यु हो जाती है। फर्म द्वारा साझेदारों के जीवन पर बीमा पॉलिसी ली गई है तथा देय प्रीमियम प्रत्येक वर्ष लाभ-हानि खाते में नाम किया जाता है।

14 अगस्त, 2002 को पॉलिसी की राशि और अभ्यर्पण मूल्य

विवरण	*पॉलिसी राशि रु.*	*अभ्यर्पण मूल्य रु.*
जीवन बीमा पॉलिसी :		
पवन	60,000	25,000
कुबेर	90,000	35,000
रमेश	60,000	15,000

पवन के वैधानिक उत्तराधिकारियों को भुगतान हेतु देय बीमित राशि ज्ञात करें तथा आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

पवन, कुबेर और रमेश की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2002	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
अगस्त 14	बीमा कंपनी खाता	नाम		60,000	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी				60,000
	(बीमित राशि पर दावा)				
अगस्त 14	बैंक खाता	नाम		60,000	
	बीमा कंपनी				60,000
	(पवन की मृत्यु पर बीमित राशि प्राप्त)				
अगस्त 14	बीमा पॉलिसी खाता	नाम		60,000	
	पवन का पूँजी खाता				30,000
	कुबेर का पूँजी खाता				18,000
	रमेश का पूँजी खाता				12,000
	(बीमित राशि साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित)				
अगस्त 14	कुबेर का पूँजी खाता	नाम		15,000	
	रमेश का पूँजी खाता	नाम		10,000	
	पवन का पूँजी खाता				25,000
	(पवन के हिस्से की उसके पूँजी खाते में प्राप्त लाभ अनुपात (3 : 2) में जमा किया गया)				

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. रमेश और कुबेर की पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य = 35,000 रु. + 15,000 रु. = 50,000 रु.

2. पवन का हिस्सा : 50,000 रु. × $\frac{5}{100}$ = 25,000 रु.

उदाहरण 13 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

जतिन, गगन और किरण, जो बराबर के साझेदार हैं, 30 जून, 1999 को 60,000 रु. की राशि की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, जिस पर वार्षिक प्रीमियम 5,000 रु. है। पॉलिसी पर अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार है :

1999	-	शून्य
2000	-	3,000 रु.
2001	-	6,000 रु.
2002	-	10,000 रु.

3 जुलाई, 2002 को गगन की मृत्यु हो जाती है।

वर्ष 2002 के लिए, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें :

(i) यदि प्रत्येक वर्ष भुगतान किए गए प्रीमियम को लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

(ii) यदि भुगतान किए गए प्रीमियम को परिसंपत्ति माना जाता है। साथ ही संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता भी तैयार करें।

हल

(i) यदि प्रीमियम को लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है

जतिन, गगन और किरण

रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
जून 30	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता नाम		6,000	
	बैंक खाता			6,000
	(देय तिथि पर प्रीमियम का भुगतान)			
जुलाई 3	बीमा कंपनी खाता नाम		60,000	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी			60,000
	(गगन की मृत्यु पर बीमित राशि का दावा)			
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता नाम		60,000	
	जतिन का पूँजी खाता			20,000
	गगन का पूँजी खाता			20,000
	किरण का पूँजी खाता			20,000
	(प्राप्त बीमित राशि लाभ-विभाजन अनुपात में साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित)			

दिसंबर 31	लाभ-हानि खाता नाम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता (भुगतान किया गया प्रीमियम लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		6,000	6,000

टिप्पणी : *यह मान लिया गया है कि बीमा कंपनी पर देय राशि के लिए किया गया दावा कुछ समय के पश्चात् प्राप्त होगा।*

(ii) यदि प्रीमियम को परिसंपति माना जाता है।

जतिन, गगन और किरण

रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
जून 30	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता नाम बैंक खाता (देय तिथि पर प्रीमियम का भुगतान)		60,000	60,000
जुलाई 3	बीमा कंपनी खाता नाम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी (मृत्यु पर बीमित राशि देय)		60,000	60,000
जुलाई 3	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता नाम जतिन का पूँजी खाता गगन का पूँजी खाता किरण का पूँजी खाता (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का शेष अर्थात् (60,000 रु. – (6,000 रु. + 6,000 रु.) लाभ-विभाजन अनुपात में विभाजित)		48,000	16,000 16,000 16,000

संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2000	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*	*दिनांक*	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*
जून 1	शेष आ/ला		6,000*	जुलाई 3	बीमा कंपनी		60,000
जुलाई 3	बैंक		6,000				
	जतिन की पूँजी 16,000						
	गगन की पूँजी 16,000						
	किरण की पूँजी 16,000		48,000				
	योग		**60,000**		**योग**		**60,000**

टिप्पणी : *यह राशि मृत्यु पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते का शेष है, जो मृत्यु के 1 वर्ष से पूर्व में, अर्थात् वर्ष 2001 में 6,000 रु. है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का अभ्यर्पण मूल्य है*

उदाहरण 14 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

नीता और रीता साझेदार हैं तथा लाभ को 7:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 30 जून, 1999 को फर्म साझेदारों के जीवन पर 1,00,000 रु. की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेती है, जिस पर वार्षिक प्रीमियम 10,000 रु. है। 2 जनवरी, 2002 को नीता की मृत्यु होती है तथा बीमा कंपनी से 1,20,000 रु. (बोनस सहित) प्राप्त होते हैं। फर्म प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को प्रीमियम लाभ व हानि में नाम करती है तथा फर्म की पुस्तकें वित्तीय वर्ष में बंद की जाती है। यह मानते हुए कि बीमित राशि 1 फरवरी, 2002 को प्राप्त की गई आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

नीता और रीता

रोजनामचा

दिनांक 1999	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
जून 30	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता नाम		10,000	
	बैंक खाता			10,000
	(संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर बैंक द्वारा प्रीमियम का भुगतान)			
2000 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम		10,000	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता			10,000
	(लाभ-हानि खाते में प्रीमियम नाम किया गया)			

जून 30	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता नाम बैंक खाता (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम भुगतान)		10,000	 10,000
2001 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम बैंक खाता (लाभ-हानि खाते पर प्रीमियम चार्ज किया गया)		10,000	 10,000
जून 30	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता नाम बैंक खाता (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान)		10,000	 10,000
2002 जन 2	बीमा कंपनी नाम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता (पॉलिसी पर दावा)		1,20,000	 1,20,000
जन. 2	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता नाम नीता का पूँजी खाता रीता का पूँजी खाता (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरित)		1,20,000	 84,000 36,000
फर. 2	बैंक खाता नाम बीमा कंपनी (नीता की मृत्यु पर बीमित राशि प्राप्त)		1,20,000	 1,20,000
मार्च 31	लाभ-हानि खाता नाम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता (लाभ-हानि खाते में प्रीमियम नाम किया गया)		10,000	 10,000

उदाहरण 15 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

मधु और श्याम 3 : 2 के अनुपात में लाभ को बाँटते हैं तथा 14 मई, 1999 को 60,000 रु. की संयुक्त बीमा पॉलिसी लेते हैं जिस पर वार्षिक प्रीमियम 8,500 रु. हैं।

पॉलिसी पर अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार है।

वर्ष 1999 — शून्य		वर्ष 2000 —	4,500 रु.
वर्ष 2001 — 8,000 रु.		वर्ष 2002 —	12,000 रु.

14 नवंबर, 2002 को मधु की मृत्यु हो जाती है तथा 1 दिसंबर, 2002 को बीमित राशि प्राप्त होती है। फर्म की पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है। यह मानते हुए कि फर्म प्रीमियम को परिसंपत्ति मानती है और अभ्यर्पण मूल्य पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता बनाती है, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ तथा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता तैयार करें।

हल

मधु और श्याम

रोजनामचा

दिनांक	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
1999					
मई 14	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता	नाम		8,500	
	बैंक खाता				8,500
	(संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान)				
दिस. 3	लाभ-हानि खाता	नाम		8,500	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम खाता				8,500
	(संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को अपलिखित कर अभ्यर्पण मूल्य पर लाया गया)				
2000					
मई 14	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता	नाम		8,500	
	बैंक खाता				8,500
	(संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान)				
दिसं. 31	लाभ व हानि खाता	नाम		4,000	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी				4;000
	(संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को अपलिखित कर अभ्यर्पण मूल्य पर लाया गया)				
2001					
मई 14	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता	नाम		8,500	
	बैंक खाता				8,500
	(पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान)				
दिस. 31	लाभ व हानि खाता	नाम		5,000	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता				5,000
	(संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को अपलिखित कर अभ्यर्पण मूल्य पर लाया गया)				
2002					
मई 14	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता	नाम		8,500	
	बैंक खाता				8,500
	(पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान)				

नव. 14	बीमा कंपनी खाता	नाम		60,000	
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी				60,000
	(बीमित राशि के लिए दावा)				
दिस. 1	बैंक खाता	नाम		60,000	
	बीमा कंपनी खाता				60,000
	(बीमित राशि प्राप्त)				
दिस. 31	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी	नाम		43,500	
	मधु का पूँजी खाता				26,100
	श्याम का पूँजी खाता				17,400

संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता

नाम जमा

दिनांक	विवरण	राशि रु.	दिनांक	विवरण		राशि रु.
1999			1999			
मई 14	बैंक	8,500	31	लाभ व हानि		8,500
			अक्तू.	शेष आ/ले		शून्य
2000			2000			
जन. 1	शेष आ/ला	शून्य	31 दिस.	लाभ व हानि		4,000
मई 14	बैंक	8,500		शेष आ/ले		4,500
		8,500				**8,500**
2001			2001			
मई 14	शेष आ/ला	4,500	दिस. 31	लाभ व हानि		5,000
	बैंक	8,500	दिस. 31	शेष आ/ले		8,000
		13,000				**13,000**
2002						
जन. 1	शेष आ/ला	8,000	नव. 14	बीमा कंपनी		60,000
मई 14	बैंक	8,500				
नव. 14	मधु की पूँजी 26,100					
	श्याम की पूँजी 17,400					
		43,500				
	योग	**60,000**		योग		**60,000**

उदाहरण 16 (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)

महेश और राज 2 : 3 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं तथा 1 जुलाई, 1999 को 80,000 रु. की पॉलिसी लेते हैं जिस पर 8,000 रु. का वार्षिक प्रीमियम है। पॉलिसी अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष 1999	–	शून्य	वर्ष 2001	7,500 रु.
वर्ष 2000	–	4,200 रु.	वर्ष 2002	12,000 रु.

18 मार्च को राज को राज की मृत्यु हो जाती है तथा बीमित राशि प्राप्त होती है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता बनाएँ।

संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	*विवरण*		*राशि रु.*	*दिनांक*	*विवरण*		*राशि रु.*
1999				1999			
जुलाई	बैंक		**8,000**	दिस. 31	लाभ–हानि		**8,000**
2000				2000			
जुलाई 14	बैंक		8,000	दिस. 31	लाभ व हानि		3,800
					शेष आ/ले		4,200
			8,000				**8,000**
2001				2001			
जन. 1	शेष आ/ला		4,200	दिस. 31	लाभ व हानि		4,700
जुलाई 1	बैंक		8,000	दिस. 31	शेष आ/ले		7,500
			12,200				**12,200**
2002	शेष आ/ला		7,500	2002			
जन. 1	बैंक		8,000	मार्च 18	बीमा कंपनी		80,000
जुलाई 1	महेश की पूँजी	28,800			लाभ व हानि		7,500
मार्च 8	राज की पूँजी	43,200	72,000				
	योग		**87,500**		**योग**		**87,500**

उदाहरण 17 (साझेदार का अवकाश ग्रहण)

सीता, गीता और रीता 2 : 2 : 1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था।

31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन पत्र

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ	राशि रु.
विविध लेनदार		49,000	रोकड़	8,000
संचय		14,500	देनदार	19,000
पूँजी			रहतिया	42,000
सीता	80,000		मशीनरी	85,000
गीता	62,500		भवन	1,22,000
रीता	75,000	2,17,500	पेटेंट	9,000
कर्मचारी भविष्य निधि		4,000		
योग		**2,85,000**	**योग**	**2,85,000**

उक्त तिथि पर गीता अवकाश ग्रहण कर लेती है और सीता तथा रीता 5 : 3 अनुपात में भावी लाभों को बाँटने का निर्णय लेते हैं। ख्याति को 70,000 रु. पर मूल्यांकित किया, मशीनरी को 78,000 रु. पर मूल्यांकित किया, भवन को 1,52,000 रु. पर मूल्यांकित किया, रहतिया को 30,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया तथा 1,550 रु. के डूबत ऋणों पर अपलिखित किया गया। आवश्यक रोजनामचा प्रावष्टियाँ दें तथा नई फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

हल

सीता, गीता और रीता

रोजनामचा

दिनांक 2002	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
मार्च 31	पुनर्मूल्यांकन खाता	नाम		20,550	
	मशीनरी खाता				7,000
	रहतिया खाता				12,000
	देनदार खाता				1,550
	(पुनर्मूल्यांकन पर हानि अभिलेखित)				
	भवन खाता	नाम		30,000	
	पुनर्मूल्यांकन खाता				30,000
	(पुनर्मूल्यांकन पर भवन के मूल्य में बढ़ोतरी)				

	पुनर्मूल्यांकन खाता नाम सीता का पूँजी खाता गीता का पूँजी खाता रीता का पूँजी खाता (पुनर्मूल्यांकन पर लाभ साझेदारों के पूँजी खाते में 2 : 2 : 1 अनुपात में हस्तांतरित)		9,450	 3,780 3,780 1,890
	संचय नाम सीता का पूँजी खाता गीता का पूँजी खाता रीता का पूँजी खाता (संचय पूँजी खाते में हस्तांतरित)		14,500	 5,800 5,800 2,900
	सीता का पूँजी खाता नाम रीता का पूँजी खाता नाम गीता का पूँजी खाता (गीता का ख्याति में भाग प्राप्त लाभ अनुपात में दिया गया)		15,750 12,250	 28,000
	गीता का पूँजी खाता नाम गीता का ऋण खाता (देय राशि गीता के ऋण खाते में हस्तांतरित)		1,00,080	 1,00,080

31 मार्च, 2002 को तुलन पत्र

दायित्व		*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
विविध लेनदार		49,000	रोकड़	8,000
पूँजी			देनदार	17,450
सीता	73,830		रहतिया	30,000
रीता	67,540	1,41,370	मशीनरी	78,000
गीता का ऋण		1,00,080	भवन	1,52,000
कर्मचारी भविष्य निधि		4,000	पेटेंट	9,000
योग		**2,94,450**	**योग**	**2,94,450**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

प्राप्त लाभ अनुपात की गणना

सीता $= \frac{5}{8} - \frac{2}{5} = \frac{9}{40}$

रीता $= \frac{2}{8} - \frac{1}{5} = \frac{7}{40}$

अतः प्राप्त लाभ अनुपात 9 : 7 है।

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम जमा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
	मशीनरी		7,000		भवन		30,000
	रहतिया		12,000				
	देनदार		1,550				
	लाभ						
	सीता 3,780						
	गीता 3,780						
	रीता 1,890		9,450				
	योग		**30,000**		**योग**		**30,000**

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम जमा

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	सीता रु.	गीता रु.	रीता रु.	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	सीता रु.	गीता रु.	रीता रु.
	गीता की पूँजी		15,750		12,250		शेष आ/ला		80,000	62,500	75,000
	गीता का ऋण			1,00,080			पुनर्मूल्यांकन		3,780	3,780	1,890
	शेष आ/ले		73,830		67,540		संचय		5,800	5,800	2,900
							सीता की पूँजी			15,750	
							रीता की पूँजी			12,250	
	योग		**89,580**	**1,00,080**	**79,790**		**योग**		**89,580**	**1,00,080**	**79,790**

उदाहरण 18 (साझेदार का अवकाश ग्रहण)

'क' 'ख' और 'ग' फर्म में साझेदार हैं तथा 5: 3 : 2 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2002, फर्म का तुलन पत्र इस प्रकार था :

31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन पत्र

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
लेनदार		35,000	बैंक		22,000
पूँजी			देनदार	14,000	
'क'	38,000		प्रावधान	2,000	12,000
'ख'	35,000		रहतिया		27,400
'ग'	30,000	1,03,000	भवन		73,000
			लाभ व हानि		3,600
योग		**1,38,000**	**योग**		**1,38,000**

उक्त तिथि को 'ख' निम्न शर्तों पर निवृत्त होता है :

(i) भवन के मूल्य में 23,000 रु. से कमी

(ii) 'क' और 'ग' का नया अनुपात 2 : 1 होगा।

(iii) संदिग्ध ऋणों के प्रावधान देनदारों पर 20 % की दर से बनाया जाएगा।

(iv) 4,650 का बकाया वेतन अभिलेखित किया जाएगा तथा यह मान लिया गया है कि 6,000 के लेनदार दावा नहीं करेंगे।

(v) ख्याति 72,000 रु. पर मूल्यांकित की गई।

(vi) 'ख' को 12,000 रु. बैंक से दिए गए तथा शेष राशि को 'ख' के ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। 'ख' के अवकाश ग्रहण पर पुनर्मूल्यांकन खाता, पूँजी खाते और तुलन-पत्र तैयार करें।

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं	राशि (रु.)
	भवन		23,000		लेनदार		6,000
	संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान		800		हानि :		
	बकाया वेतन		4,650		'क' 11,225		
					'ख' 6,735		
					'ग' 4,490		22,450
	योग		**28,450**		**योग**		**28,450**

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम जमा

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	'क' रु.	'ख' रु.	'ग' रु.	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	'क' रु.	'ख' रु.	'ग' रु.
	पुनर्मूल्यांकन		11,225	6,735	4,490		शेष आ/ला		38,000	35,000	30,000
	लाभ व हानि		1,800	1,080	720		'क' की पूँजी			12,000	
	'ख' की पूँजी		12,000	-	9,600		'ग' की पूँजी			9,600	
	'ख' का ऋण		-	36,785	-						
	बैंक		-	12,000	-						
	शेष आ /ला		12,975	-	15,190						
	योग		**38,000**	**56,600**	**30,000**		**योग**		**38,000**	**56,600**	**30,000**

तुलन-पत्र (अवकाश ग्रहण के पश्चात्)

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
लेनदार		29,000	देनदार	14,000	
बकाया वेतन		4,650	घटाया : प्रावधान	2,800	11,200
पूँजी			रहतिया		27,400
'क' की पूँजी	12,975		भवन		50,000
'ग' की पूँजी	15,190	28,165	बैंक		10,000
'ख' का ऋण		36,785			
योग		**98,600**	**योग**		**98,600**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

(अ) प्राप्त लाभ–अनुपात = नया अंश – पुराना अंश

'क' = $\frac{2}{3} - \frac{5}{10} = \frac{5}{30}$

'ग' = $\frac{1}{3} - \frac{2}{10} = \frac{4}{30}$

'ख' का ख्याति में हिस्सा $= 72{,}000 \times \frac{3}{10} = 21{,}600$ रु-

(ब) **बैंक खाता**

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं	राशि (रु.)
	शेष आ/ला		22,000		'ख' की पूँजी शेष आ /ले		12,000 10,000
योग			**22,000**		**योग**		**22,000**

उदाहरण 19 (साझेदार का अवकाश ग्रहण)

'अ', 'ब' और 'स' फर्म में साझेदार हैं तथा 3 : 2 : 1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। बीमारी के कारणवश, 'ब' निवृत्ति का फैसला लेता है, उस तिथि पर फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

31 मार्च 2002 को तुलन-पत्र

दायित्व	राशि रु.	परिसंपत्तियाँ	राशि रु.
कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष	12,000	बैंक	7,600
लेनदार	15,000	देनदार 6,000	
देय-विपत्र	12,000	संदिग्ध ऋण पत्रों पर प्रावधान 400	5,600
बकाया वेतन	2,200	रहतिया	9,000
वैधानिक क्षति के लिए प्रावधान	6,000	फर्नीचर	41,000
पूँजी : 'अ' 46,000		भवन	80,000
'ब' 30,000			
'स' 20,000	96,000		
योग	**1,43,200**	**योग**	**1,43,200**

अतिरिक्त सूचना

1. भवन के मूल्य में 20% से वृद्धि, रहतिये के मूल्य में 10% से कमी और देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान, 1,200 रु. वैधानिक क्षति के लिए प्रावधान, फर्नीचर के मूल्य को 45,000 रु. तक बढ़ाया गया।

2. फर्म की ख्याति को 42,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।
3. 'ब' के पूँजी खाते में से 26,000 रु. उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किए गए और शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया गया। यदि, आवश्यक हुआ तो बैंक से ऋण लिया जा सकता है।
4. 'अ' और 'स' के मध्य नया लाभ-विभाजन अनुपात 5 : 1 होगा। आवश्यक बही खाते तैयार करें और फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

हल

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
	रहतिया		900		भवन		16,000
	वैधानिक क्षति के लिए प्रावधान		1,200		देनदार		100
	पूँजी :				फर्नीचर		4,000
	'अ' 9,000						
	'ब' 6,000						
	'स' 3,000		18,000				
	योग		**20,100**		**योग**		**20,100**

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	'क' रु.	'ख' रु.	'ग' रु.	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	'क' रु.	'ख' रु.	'ग' रु.
	'ब' की पूँजी		14,000	-	-		शेष आ/ला		46,000	30,000	20,000
	'ब' का ऋण		-	26,000	-		पुनर्मूल्यांकन		9,000	6,000	3,000
	बैंक		-	28,000	-		'अ' की पूँजी		-	14,000	
	शेष आ/ले		47,000	-	25,000		कर्मचारी		6,000	4,000	2,000
							क्षतिपूर्ति कोष				
	योग		**61,000**	**54,000**	**25,000**		**योग**		**61,000**	**54,000**	**25,000**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. प्राप्त लाभ अनुपात की गणना

'अ' का भाग $= \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6}$

'स' का भाग $= \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 0$

ध्यान रहे कि केवल 'अ' में भाग प्राप्त किया है।

अतः ख्याति में भाग 14,000 रु. (42,000 × 2/6) केवल 'अ' द्वारा दिया जाएगा क्योंकि 'स' का प्राप्त लाभ शून्य है।

बैंक खाता

नाम | जमा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*	*दिनांक*	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*
	शेष आ / ला		7,600		'ब' की पूँजी		28,000
	बैंक ऋण		28,000		शेष आ / ले		7,600
	योग		**33,600**		**योग**		**33,600**

चूँकि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष पर किसी भी प्रकार के दायित्व का दावा नहीं है इसलिए बाँट दिया जाएगा

31 मार्च, 2002 को तुलन-पत्र

('ब' के अवकाश ग्रहण के पश्चात्)

दायित्व	*राशि रु.*	*परिसंपत्तियाँ*		*राशि रु.*
विविध लेनदार	15,000	बैंक		7,600
देय-विपत्र	12,000	देनदार	6000	
बकाया वेतन	2,200	घटाया : प्रावधान	300	5,700
वैधानिक क्षति के लिए प्रावधान	7,200	रहतिया		8,100
'ब' का ऋण	26,000	फर्नीचर		45,000
बैंक का ऋण	28,000	भवन		96,000
पूँजी : 'अ' 47,000				
'स' 25,000	72,000			
योग	**1,62,400**	**योग**		**1,62,400**

उदाहरण 20 (साझेदार का अवकाश ग्रहण)

'ल' 'म' और 'न' साझेदार हैं और क्रमश: 50%, 30% और 20% पर लाभ का विभाजन करते हैं। उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व	राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
लेनदार	21,000	भवन		62,000
लाभ-हानि खाता	15,000	वाहन		20,000
विनियोग घट-बढ़ कोष	10,000	प्रपत्र		19,000
सामान्य संचय	25,000	संयत्र		12,000
पूँजी 'ल' 50,000		रहतिया		15,000
'म' 40,000		देनदार	40,000	
'न' 20,000	1,10,000	घटाया : प्रावधान	3,000	37,000
		रोकड़		16,000
योग	**1,81,000**	**योग**		**1,81,000**

उक्त तिथि पर 'म' निवृत्त होता है तथा निम्न शर्तों पर 'ल' और 'न' व्यवसाय बढ़ाने का निर्णय लेते हैं।

1. फर्म की ख्याति 51,000 रु. पर मूल्यांकित किया ऋण तथा 'म' की ख्याति को शेष साझेदारों के पूँजी खातों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।
2. विनियोग घट-बढ़ कोष पर 4,000 रु. तक का दावा है तथा प्रपत्रों का मूल्य 15,000 रु. से घटा है।
3. डूबत ऋणों पर प्रावधान में 1,000 रु. तक की कमी पाई गई।
4. 'म' को 8,200 रु. नकद दिए जाएँगे तथा शेष राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा जिसका भुगतान 10% प्रतिवर्ष की दर से तीन किश्तों में किया जाएगा।
5. 'ल' और 'न' की पूँजी रोकड़ खाते द्वारा नए अनुपात अर्थात् 3 : 2 में समायोजित की जाएगी। साझेदारों के पूँजी खाते, तुलन-पत्र, 'न' और 'म' का ऋण खाता तैयार करें।

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम जमा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं.	'ल' रु.	'म' रु.	'न' रु.	दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं.	'ल' रु.	'म' रु.	'न' रु.
	पुनर्मूल्यांकन		1,500	900	600		शेष आ/ला		50,000	40,000	20,000
	'म' की पूँजी		5,100	-	10,200		लाभ व हानि		7,500	45,00	3,000
	रोकड़			8,200	33,920		सामान्य संचय		12,500	7,500	5,000
	'म' का ऋण खाता			60,000			'ल' की पूँजी		-	5,100	
	रोकड़		15,520				'न' की पूँजी		-	10,200	-
	शेष आ/ला		50,880				प्रपत्र		-	-	-
							विनियोग घट-बढ़		3,000	1,800	1,200
							प्रपत्र		-	-	15,520
	योग		**73,000**	**69,100**	**44,720**		**योग**		**73,000**	**69,100**	**44,720**

मार्च 31, 1998 को तुलन-पत्र

दायित्व	राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
लेनदार	21,000	भवन		62,000
विनियोग घट-बढ़ कोष	4,000	वाहन		20,000
'म' का ऋण खाता	60,000	प्रपत्र		15,000
पूँजी खाता		प्लांट		12,000
'ल' 50,880		रहतिया		15,000
'न' 33,920	84,800	देनदार	40,000	
		घटाया : डूबत ऋणों पर प्रावधान	2,000	38,000
	रोकड़			7,800
योग	**1,69,800**	**योग**		**1,69,800**

'म' का ऋण खाता

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि रु.	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि रु.
1999				1999			
दिस. 31	रोकड़ (20,000+6,000)		26,000	जन. 1	'म' की पूँजी		60,000
दिस. 31	शेष आ/ले		40,000	दिस. 31	ब्याज		6,000
			66,000				**66,000**
2000				2000			
दिस. 31	रोकड़ (20,000+4,000)		24,000	जन. 1	शेष आ / ला		40,000
दिस. 31	शेष आ/ले		20,000	दिस. 31	ब्याज		4,000
			44,000				**44,000**
2001				2001			
दिस. 31	रोकड़ (20,000+2,000)		22,000	जन. 1	शेष आ/ला		20,000
				दिस. 31	ब्याज		2,000
	योग		**22,000**		**योग**		**22,000**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

रोजनामचा प्रविष्टि

	विनियोग घट-बढ़ कोष नाम प्रपत्र खाता (प्रपत्र के मूल्य में कमी को विनियोग घट-बढ़ कोष से पूरा किया जाता है।)	4,000	4,000

(अ) प्राप्त लाभ की गणना :

$$\text{'ल'} = \frac{3}{5} - \frac{5}{10} = \frac{1}{10}$$

$$\text{'न'} = \frac{2}{5} - \frac{1}{10} = \frac{2}{10}$$

अतः प्राप्त-लाभ अनुपात 1 : 2 है।

(ब) 'ल' और 'न' की पूँजी का समायोजन

'म' के अवकाश ग्रहण पर फर्म की कुल पूँजी = 66,400 रु. + 18,400 रु. = 84,800 रु.

नए अनुपात के अनुसार पूँजी :

'ल' $= 84,800 \times \frac{3}{5} =$ 50,880 रु.

'न' $= 84,800 \times \frac{2}{5} =$ 33,920 रु.

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम | जमा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
	विनियोग घट-बढ़ कोष		4,000		डूबत ऋणों पर प्रावधान		1,000
					हानि :		
					'ल'	1,500	
					'म'	900	
					'न'	600	3,000
	योग		**4,000**		**योग**		**4,000**

रोकड़ खाता

नाम | जमा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
	शेष आ/ला		16,000		'म' की पूँजी		8,200
	'न' की पूँजी		15,520		'ल' की पूँजी		15,520
					शेष आ/ला		7,800
	योग		**31,520**		**योग**		**31,520**

टिप्पणी : *निवृत्त साझेदार को शेष साझेदार इस प्रकार भुगतान करेंगे कि उनकी पूँजी नए लाभ-विभाजन के अनुपात के अनुसार समायोजित हो जाएगी।*

उदाहरण 21 (साझेदार का अवकाश ग्रहण)

फरहा, गायत्री और हेमा साझेदार हैं और क्रमशः 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार हैं :

31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
विविध लेनदार	22,000	स्थायी परिसंपत्तियाँ	1,00,000
देय-विपत्र	8,000	रहतिया	45,000
लाभ व हानि	15,000	देनदार	45,000
पूँजी खाता		रोकड़	10,000
फरहा 65,000			
गायत्री 50,000			
हेमा 40,000	1,55,000		
योग 2,00,000		**योग**	**2,00,000**

फरहा 31 दिसंबर, 2002 को निवृत्त होती है :

ख्याति 25,000 रु. पर मूल्यांकित की गई। स्थायी परिसंपत्तियाँ 1,25,000 रु. पर मूल्यांकित की गई। रहतिया 40,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया। फरहा का अंतिम भुगतान गायत्री और हेमा इस प्रकार करेंगे कि उनकी नई पूँजी 3 : 2 के अनुपात में समायोजित हो जाए। 7,000 रु. का न्यूनतम नकद शेष रखा जाएगा। गायत्री और हेमा के पूँजी खाते और फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम **जमा**

दिनांक	*विवरण*	*पृ.सं.*	*फरहा* रु.	*गायत्री* रु.	*हेमा* रु.	*दिनांक*	*विवरण*	*पृ.सं.*	*फरहा* रु.	*गायत्री* रु.	*हेमा* रु.
	रोकड़		90,000				शेष आ/ला		65,000	50,000	40,000
	फरहा			4,500	3,000		पुनर्मूल्यांकन		10,000	6,000	4,000
	शेष आ/ला			1,12,200	74,800		संचय		7,500	4,500	3,000
							गायत्री		4,500		
							हेमा		3,000		
							नकद			56,200	30,800
	योग		**90,000**	**1,16,700**	**77,800**		**योग**		**90,000**	**1,16,700**	**77,800**

31 दिसंबर, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व	राशि रु.	परिसंपत्तियाँ	राशि रु.
गायत्री की पूँजी	1,12,200	स्थायी परिसंपत्ति	1,25,000
हेमा की पूँजी	74,800	रहतिया	40,000
लेनदार	22,000	देनदार	45,000
देय-विपत्र	8,000	बैंक	7,000
योग	**2,17,000**	**योग**	**2,17,000**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

प्राप्त-लाभ अनुपात

(अ) गायत्री का प्राप्त-लाभ $= \frac{3}{5} - \frac{3}{10} = \frac{3}{10}$

हेमा का प्राप्त-लाभ $= \frac{2}{5} - \frac{3}{10} = \frac{1}{10}$

(ब) फरहा के अवकाश ग्रहण पर फर्म की कुल पूँजी

(i) गायत्री की पूँजी 56,000 रु.

(ii) हेमा की पूँजी 44,000 रु.

(iii) कुल पूँजी 1,00,000 रु.

(iv) गायत्री और हेमा द्वारा लाई गई नकद राशि

फरहा को भुगतान = 90,000 रु. – 3,000 रु. = 87,000 रु.

नई फर्म की कुल पूँजी (iii + iv) = 1,87,000 रु.

(स) गायत्री और हेमा द्वारा लाई गई /निकाली गई राशि

	हेमा	गायत्री
(अ) नई पूँजी	1,12,200 रु.	74,800 रु.
1,87,000 रु. 3 : 2 अनुपात		
(ब) पूँजी	56,000 रु.	44,000 रु.
(स) लाया गया नकद (अ – ब)	56,200 रु.	30,800 रु.

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम जमा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
	रहतिया		5,000		स्थायी परिसंपत्तियाँ		25,000
	लाभ का हस्तांतरण						
	फरहा 10,000						
	गायत्री 6,000						
	हेमा 4,000		20,000				
	योग		**25,000**		**योग**		**25,000**

रोकड़ खाता

नाम जमा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
	शेष आ/ला		10,000		फरहा की पूँजी		90,000
	गायत्री की पूँजी		56,200		शेष आ/ले		7,000
	हेमा की पूँजी		30,800				
	योग		**97,000**		**योग**		**97,000**

उदाहरण 22 (साझेदारों का अवकाश ग्रहण)

'अ', 'ब' और 'स' फर्म में साझेदार हैं और 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 जनवरी, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था।

1 अप्रैल, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*		*राशि* रु.
पूँजी खाते		प्राप्य विपत्र		15,000
'अ' 40,000		मशीनरी		82,000
'ब' 61,000		फर्नीचर		4,000
'स' 24,000	1,25,000	देनदार	70,000	
संचय	30,000	घटाया : प्रावधान	3,000	67,000
लेनदार	50,000	रहतिया		20,000
लाभ व हानि	28,000	बैंकस्थ रोकड़		50,000
देय-विपत्र	5,000			
योग	**2,38,000**	**योग**		**2,38,000**

1 अप्रैल, 2002 को 'ब' फर्म से अवकाश ग्रहण लेता है तथा 'अ' और 'स' 3 : 2 के अनुपात में साझेदारी फर्म के संचालन का फैसला लेते हैं। 'ब' की निवृत्ति पर निम्न निर्णय लिए जाते हैं:

(अ मशीनरी को 85,000 रु. पुनर्मूल्यांकित किया गया।

(ब) रहतिया के मूल्य में 1,000 रु. से कमी की जाएगी।

(स) फर्नीचर को 1,600 रु. पर मूल्यांकित किया।

(द) संदिग्ध ऋणों पर 6% की दर बनाया जाएगा।

(ग) बकाया व्ययों हेतु 8,000 रु. का प्रावधान बनाया जाएगा।

(फ) लेनदार में सम्मिलित 7,000 रु. की क्षति के दायित्व को 12,000 रु. का भुगतान पूर्ण भुगतान रूप में किया जाएगा।

साझेदारी विलेख में दिया गया है कि ख्याति को तीन वर्षों के क्रय औसत लाभ पर मूल्यांकित किया जाएगा जो 10,000 रु. है। 'ब' को एकमुश्त भुगतान किया जाएगा तथा 'अ' और 'स' नए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार अपनी पूँजी को समायोजित करने के लिए आवश्यक धनराशि लाएंगे। 40,000 रु. को नकद कार्यशील पूँजी के रूप में रखा जाएगा।

उपर्युक्त के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें तथा साझेदारों के पूँजी खाते तथा तुलन-पत्र तैयार करें।

हल

'अ', 'ब' और 'स' की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2002	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
अप्रैल 1	मशीनरी खाता	नाम		3,000	
	पुनर्मूल्यांकन खाता				3,000
	(मशीनरी के मूल्य में वृद्धि)				
अप्रैल 1	पुनर्मूल्यांकन खाता	नाम		10,400	
	रहतिया खाता				1,000
	फर्नीचर खाता				2,400
	देनदार खाता				1,200
	बकाया व्ययों के लिए प्रावधान खाता				800
	क्षति के लिए प्रावधान खाता				5,000
	(परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी)				
अप्रैल 1	'अ' का पूँजी खाता	नाम		3,700	
	'ब' का पूँजी खाता	नाम		2,220	
	'स' का पूँजी खाता	नाम		1,480	
	पुनर्मूल्यांकन खाता				7,400
	(पुनर्मूल्यांकन पर हानि)				
अप्रैल 1	संचय खाता	नाम		30,000	
	'अ' का पूँजी खाता				15,000
	'ब' का पूँजी खाता				9,000
	'स' का पूँजी खाता				6,000
	(संचय का साझेदारों के मध्य विभाजन)				
अप्रैल 1	'अ' का खाता	नाम		3,000	
	'स' का खाता	नाम		6,000	
	'ब' का खाता				9,000
	(ख्याति का प्राप्त-लाभ अनुपात (1 : 2) में समायोजन)				
अप्रैल 1	बैंक खाता	नाम		75,180	
	'अ' का पूँजी खाता				37,060
	'स' का पूँजी खाता				38,120
	(निवृत्त साझेदार के भुगतान के लिए शेष साझेदारों द्वारा लाई गई धनराशि)				
अप्रैल 1	'ब' का पूँजी खाता	नाम		85,180	
	बैंक खाता				85,180
	(निवृत साझेदात को भुगतान किया गया)				

पूँजी खाते

नाम / जमा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ. सं.	'अ' रु.	'ब' रु.	'स' रु.	दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ. सं.	'अ' रु.	'ब' रु.	'स' रु.
अप्रैल 1	'ब' की पूँजी		3,000		6,000	अप्रैल 1	शेष आ / ला		40,000	61,000	24,000
	पुनर्मूल्यांकन		3,700	2,220	1,480		लाभ व हानि		14,000	8,400	5,600
	बैंक			85,180			संचय		15,000	9,000	6,000
	शेष आ/ला		99,360				'अ'			3,000	
					66,240		'स'			6,000	
							बैंक		37,060		38,120
	योग		**1,06,060**	**87,400**	**73,720**		**योग**		**1,06,060**	**87,400**	**73,720**

पुनर्मूल्यांकन खाता

नाम / जमा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण		ब.पृ.सं	राशि (रु.)
अप्रैल 1	रहतिया		1,000	अप्रैल 1	मशीनरी			3,000
	फर्नीचर		2,400		हानि का विभाजन			
	संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान		1,200		'अ'	3,700		
	क्षति के लिए प्रावधान		5,000		'ब'	2,220		
	बकाया व्ययों के लिए प्रावधान		800		'स'	1,480		7,400
	योग		**10,400**		**योग**			**10,400**

31 दिसंबर, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
पूँजी			प्राप्य-विपत्र		15,000
'अ' की पूँजी	99,360		मशीनरी		85,000
'स' की पूँजी	66,240	1,65,600	फर्नीचर		1,600
बकाया व्ययों के लिए प्रावधान		8,00	देनदार	70,000	
क्षति के लिए प्रावधान		5,000	प्रावधान	4,200	65,800
लेनदार		50,000	रहतिया		19,000
देय-विपत्र		5,000	बैंकस्थ रोकड़		40,000
योग		**2,26,400**	**योग**		**2,26,400**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. ख्याति $= 10{,}000 \times 3$ = 30,000 रु.

2. 'ब' का हिस्सा = $30{,}000 \times \frac{3}{10} = 9{,}000$ रु.

3. प्राप्त-लाभ अनुपात

   'अ' $= \frac{3}{5} - \frac{5}{10} = \frac{1}{10}$

   'स' $= \frac{2}{5} - \frac{2}{10} = \frac{2}{10}$

   लायी गयी धनराशि = 'ब' की पूँजी + आवश्यक कार्यशील पूँजी – बैंकस्थ रोकड़

   = 85,180 रु. + 40,000 रु. – 50,000 रु. = 75,180 रु.

4. नई फर्म की कुल पूँजी = 'अ' की पूँजी + 'स' की पूँजी + लाई गई धनराशि

   = (69,000 रु. – 6,700 रु.) + (35,600 रु. + 7,480 रु.) + (85,180 रु. – 10,000 रु.)

   = 62,300 रु. + 28,120 रु. + 75,180 रु. = 1,65,600

5. अनुपातिक पूँजी

   'अ' = 1,65,600 रु. $\times \frac{3}{10}$ = 99,360 रु.

   'स' = 1,65,600 रु. $\times \frac{2}{5}$ = 66,240 रु.

4.3 साझेदार की मृत्यु

निम्नलिखित के अतिरिक्त साझेदार की मृत्यु के अवसर पर लेखांकन व्यवहार साझेदार के अवकाश ग्रहण के समान ही रहता है।

1. मृत साझेदार के उत्तराधिकारी उन सभी अधिकारों/धनराशि के हकदार हो जाते हैं, जिन पर मृत साझेदार का अधिकार था।
2. चूँकि मृत्यु किसी भी तिथि पर हो सकती है, अतः मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों का गत तुलन-पत्र दिनांक से लेकर मृत्यु की तिथि तक लाभ (हानि) में हिस्से, पूँजी/आहरण

पर ब्याज, यदि कोई है तो, हक होगा। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी पूँजी पर ब्याज, लाभ-हानि में गत तुलन-पत्र तिथि से लेकर मृत्यु तिथि तक हकदार होते हैं और देय राशि में से आहरण और आहरण पर ब्याज के समायोजन हेतु उत्तरदायी होते हैं।

3. यदि फर्म द्वारा संयुक्त बीमा पॉलिसी ली गई है तो वह बीमित राशि पर परिपक्व होती है। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्से के लिए हकदार होंगे।

यदि साझेदार की मृत्यु तुलन-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य तिथि पर होती है तो मृत साझेदार का लाभ में हिस्सा इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा।

(i) नया तलपट और लाभ-हानि खाता तैयार किया जाएगा।

(ii) तत्काल गत वर्ष के लाभ के आधार पर/इस स्थिति में, यह अनुमानित किया जाता है कि संपूर्ण वर्ष लाभ एक समान रहा है।

मृत्यु के वर्ष में मृत साझेदार के लाभ में हिस्सा इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा।

$$\frac{\textbf{गत वर्ष का लाभ} \times \textbf{गत तुलन-पत्र से मृत्यु की तिथि तक मध्यवर्ती दिनों की संख्या} \times \textbf{मृत साझेदार का अंश}}{365}$$

(iii) हालांकि, विक्रय के आधार पर भी, मृत साझेदार की गत तुलन-पत्र तिथि से मृत्यु की तिथि तक, लाभ में हिस्से की गणना की जा सकती है। इस प्रणाली का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब शेष साझेदारी और मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों के बीच लाभ दर स्वीकृत की जाती है। ऐसी स्थिति में, मृत साझेदार के लाभ में हिस्से की गणना इस प्रकार की जाएगी।

मध्यवर्ती अवधि के लिए विक्रय × कृत साझेदार का अंश × लाभ दर

ध्यान रहे कि साझेदार की मृत्यु पर, मृत्त साझेदार के पूँजी खाते को उसके निष्पादक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तत्पश्चात् स्वीकृत देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है। मृत साझेदार के पूँजी खाते उत्तराधिकारी खाते में हस्तांतरित करने हेतु निम्न प्रविष्टि दी जाती है।

मृत साझेदार का पूँजी खाता नाम

मृत साझेदार का निष्पादक का खाता

उदाहरण 23 (साझेदार की मृत्यु)

'अ', 'ब' और 'स' साझेदार हैं तथा 5 : 3 : 2 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। जून 30, 2002 अर्थात् फर्म की पुस्तकें बंद करने के तीन माह के पश्चात् 'ब' की मृत्यु हो जाती है। गत तीन वर्षों का लाभ इस प्रकार था।

वर्ष	रु.
2000	25,000
2001	20,000
2002	15,000

'ब' का लाभ में भाग ज्ञात करें यदि :

(1) पिछले व तत्काल एक वर्ष पूर्व के लाभ से लेकर मृत्यु तिथि तक के लाभ का अधिकारी है।

(2) पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ से लेकर मृत्यु तिथि तक अधिकारी है।

हल

(1) 'ब' का लाभ में हिस्सा $= 15{,}000 \times \frac{3}{10} \times \frac{3}{12} = 1{,}125$ रु.

(2) 'ब' का लाभ में हिस्सा $= \frac{(25{,}000 \text{ रु.} + 20{,}000 \text{ रु.} + 15{,}000 \text{ रु.})}{3}$

$$= 20{,}000 \times \frac{3}{10} \times \frac{3}{12} = 1{,}500 \text{ रु.}$$

उदाहरण 24 (साझेदार की मृत्यु)

'क', 'ख', और 'ग' फर्म में साझेदार हैं और 2 : 2 : 1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल, 2002 को 'क' की मृत्यु हो जाती है। जबकि फर्म की पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं। वर्ष 2001 के लिए विक्रय 4,00,000 रु. था और 1 जनवरी से 31 मार्च, 2002 वर्ष के लिए विक्रय 1,50,000 रु. रहा। वर्ष 2001 के लिए लाभ 40,000 रु. ज्ञात किया गया। वर्ष 2002 के लिए, विक्रय के आधार पर 'क' का लाभ में हिस्सा ज्ञात करें।

हल

लाभ की दर $= \frac{\text{लाभ}}{\text{विक्रय}} \times 100$

$= \frac{40,000 \text{ रु.}}{4,00,000} \times 100 = 10\%$

'क' का लाभ में हिस्सा $= 1,50,000 \times \frac{2}{5} \times = 6,000$ रु.

उदाहरण 25 (साझेदार की मृत्यु)

निम्नलिखित 31 मार्च, 2001 को कॉन, पॉन और बॉन का तुलन-पत्र है। वे फर्म में विनियोजित की गई पूँजी के आधार पर लाभ का विभाजन करते हैं :

31 मार्च, 2001 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
विविध लेनदार	4,600	भूमि व भवन	23,400
संचय	5,400	संयंत्र व मशीनरी	13,000
पूँजी खाते :		रहतिया	4,700
कॉन 24,000		विविध देनदार	6,500
पॉन 12,000		बैंकस्थ रोकड़	5,600
बॉन 8,000	44,000	हस्तस्थ रोकड़	800
योग	**54,000**	**योग**	**54,000**

31 मार्च, 2002 को पॉन की मृत्यु हो जाती है। साझेदारी के शर्तों के अनुसार मृत साझेदार के उत्तराधिकारी निम्न के लिए हकदार हैं :

1. मृत साझेदार के पूँजी खाते का शेष
2. 12 % प्रतिवर्ष की दर से पूँजी पर ब्याज
3. गत चार वर्षों के क्रय पर तीन वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति में हिस्सा
4. गत वर्ष के लाभ के आधार पर गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा। वर्ष 1999, 2000, 2001 के लिए लाभ क्रमशः 8,000 रु., 12,000 रु.

और 7,000 रु. है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें तथा यह मानते हुए कि बैंक ऋण द्वारा पॉन के उत्तराधिकारियों को भुगतान किया गया है, पॉन का खाता व निष्पादक खाता तैयार करें।

हल

कॉन, पॉन और बॉन की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
मार्च 31	संचय खाता नाम पॉन का पूँजी खाता (संचय का हिस्सा पॉन के पूँजी खाते में हस्तांतरित)		2,400.00	2,400.00
मार्च 31	ब्याज खाता नाम पॉन का पूँजी खाता 12% प्रतिवर्ष की दर से 3 माह के लिए ब्याज		720.00	720.00
मार्च 31	कॉन का पूँजी खाता नाम बॉन का पूँजी खाता नाम पॉन का पूँजी खाता (पॉन का ख्याति में हिस्सा उसके पूँजी खाते में हस्तांतरित)		12,000.00 4,000.00	16,000.00
मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम पॉन का पूँजी खाता (पॉन का लाभ में हिस्सा उसके पूँजी खाते में हस्तांतरित)		777.78	777.78
मार्च 31	पॉन का पूँजी खाता नाम निष्पादक खाता (पॉन का पूँजी खाता उत्तराधिकारी खाते में हस्तांतरित)		43,897.78	43,897.78

निष्पादक खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*	*दिनांक 2002*	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*
मार्च 31	रोकड़		43,897.78	मार्च 31	पॉन की पूँजी		43,897.78
	योग		**43,897.78**		**योग**		**43,897.78**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

(1) पूँजी पर ब्याज (रु.) = $24,000 \times \frac{12}{100} \times \frac{3}{12} = 720$ रु.

(2) तीन माह के लिए लाभ में भाग (रु.) = $7000 \times \frac{3}{12} \times \frac{4}{9} = 777.78$

(3) ख्याति की गणना :

वर्ष 1999 का लाभ	=	8,000 रु.		
वर्ष 2000 का लाभ	=	12,000 रु.		
वर्ष 2001 का लाभ	=	7,000 रु.		
कुल लाभ	=	27,000 रु		
औसत लाभ	=	$\frac{27,000 \text{ रु.}}{3}$	=	9,000 रु.
अत:, ख्याति	=	(9,000 रु × 4	=	36,000 रु.
पॉन का ख्याति में हिस्सा	=	36,000 रु. × $\frac{4}{3}$	=	16,000 रु.

पॉन का ख्याति में हिस्सा कॉन और बॉन के पूँजी खाते में 3:1 प्राप्त अनुपात में समायोजित किया जाएगा।

उदाहरण 26 (साझेदार की मृत्यु)

मनीष, नितिन और चेतन साझेदारी में व्यवसाय चलाते हैं तथा क्रमशः $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ और $\frac{1}{6}$ अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। मृत साझेदारी के देयताओं की पूर्ति के लिए और फर्म की तरलता बनाए रखने के लिए उन्होंने 10,000 रु. की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी (लाभ रहित) ली, जिस पर वार्षिक प्रीमियम 650 रु. है। चेतन की मृत्यु 30 जून, 2002 को हुई, जो अंतिम वार्षिक खाते तैयार करने के तीन माह पश्चात् की तिथि है। साझेदारी विलेख के अनुसार मृत साझेदार को मृत्यु तिथि तक के लाभ के भाग को पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर दिया जाएगा। समझौते के अनुसार, पूँजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है और ख्याति को लेखा पुस्तकों में गत तीन वर्षों के दो वर्षों पर क्रय औसत लाभ पर मूल्यांकित किया जाएगा, जिसकी गणना बीमा प्रीमियम से पूर्व और पूँजी पर ब्याज के पश्चात् की जाएगी।

31 मार्च, 2002 को चेतन की पूँजी 10,000 रु. थी तथा मृत्यु तिथि तक आहरण 2,000 रु. था। पूँजी पर ब्याज और प्रीमियम के पश्चात् गत तीन वर्षों का शुद्ध लाभ क्रमशः 3,350 रु. 4,150 रु. और 4,050 रु. था। पॉलिसी पर दिए गए प्रीमियम को लाभ व हानि खाते में अपलिखित किया जाता है। मृत्यु की तिथि को चेतन का पूँजी खाता और निष्पादक तैयार करें।

हल

चेतन का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	*विवरण*	*पृ.सं*	*राशि (रु.)*	*दिनांक 2002*	*विवरण*	*पृ.सं*	*राशि (रु.)*
जून 30	आहरण		2,000.00	मार्च 31	शेष आ / ला		10,000.00
	चेतन के उत्तराधिकारी		11,585.42	जून 30	पूँजी पर ब्याज		250.00
					मनीष की पूँजी		1,200.00
					नितिन की पूँजी		300.00
					संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी		1,666.67
					लाभ व हानि		168.75
	योग		**13,585.42**		**योग**		**13,585.42**

चेतन का उत्तराधिकारी खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	*विवरण*	*पृ.सं*	*राशि (रु.)*	*दिनांक 2002*	*विवरण*	*पृ.सं*	*राशि (रु.)*
मार्च 30	शेष आ / ले		11,585.42	मार्च 31	चेतन की पूँजी		11,585.42
	योग		**11,585.42**		**योग**		**11,585.42**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

(i) पूँजी पर ब्याज (रु.) $= 10,000 \times \frac{10}{100} \times \frac{3}{12} = 250$

(ii) ख्याति = औसत लाभ $\times 2$

औसत लाभ (रु.) $= \frac{(3,350 + 650) + (4,150 + 650) + (4,050 + 650)}{3}$

$= \frac{13,500}{3} = 4,500$ रु.

ख्याति (रु.) $= 4,500 \times 2$ $= 9,000$ रु.

चेतन का हिस्सा (रु.) $= 9,000 \times \frac{1}{6}$ $= 1,500$ रु.

(मनीष और नितिन के पूँजी खाते में प्राप्त-लाभ अनुपात (अर्थात् 4 : 1) में समायोजित किया जाएगा)

(iii) संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी (रु.) $= 1,000 \times \frac{1}{6}$ $= 1,666.67$ रु.

(iv) चालू वर्ष के तीन माह के लाभ में हिस्सा :

बीमा प्रीमियम के पश्चात् गत वर्ष का लाभ $= 4,050$ रु.

चेतन का लाभ में हिस्सा $= 4,050 \times \frac{3}{12} \times \frac{1}{6}$ $= 168.75$ रु.

अध्याय में प्रयुक्त शब्द

1. साझेदार का अवकाश ग्रहण/साझेदार की मृत्यु
2. प्राप्त-लाभ अनुपात
3. संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी
4. अभ्यर्पण मूल्य
5. मृत साझेदार के उत्तराधिकारी
6. निष्पादक खाता

अधिगम उद्देश्य के संदर्भ में सारांश

1. साझेदार का अवकाश ग्रहण / मृत्यु साझेदार के अवकाश ग्रहण / मृत्यु के कारण साझेदारी समाप्त हो जाती है। निवृत्त होने वाला साझेदार / मृत साझेदार के उत्तराधिकारी साझेदारी समझौते की शर्तों के अनुसार फर्म में अपने भाग का अधिकारी होता है। उसको सामान्यतः निम्न राशि देय होती है।

   पूँजी खाते का जमा शेष

   चालू खाते का जमा शेष

   फर्म की ख्याति में भाग

   संचित लाभ (हानि) और संचय में भाग

   परिसंपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ-हानि

   पूँजी पर ब्याज

   संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का भाग

   अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु की तिथि तक आहरण व उस पर ब्याज की कटौती।

2. *प्राप्त लाभ अनुपात :* वह अनुपात जिसमें शेष साझेदार निवृत्त अथवा मृत साझेदार का लाभ में भाग प्राप्त है, प्राप्त-लाभ अनुपात कहलाता है।
3. *अभ्यर्पण मूल्य :* बीमा पॉलिसी से प्राप्त होने वाला के मूल्य जो पॉलिसी बीमा कंपनी को परिपक्व होने से पहले सर्मपण करने से लाभ होता है।
4. *संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी :* फर्म साझेदारों का जीवन सुरक्षित करने के लिए संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले सकती है, इससे साझेदार की मृत्यु/पॉलिसी के परिपक्व होने पर बीमा कंपनी से रकम प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

प्रश्न और अभ्यास

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सत्य-असत्य बताइए
   (i) साझेदार के अवकाश ग्रहण पर परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / हानि पूँजीगत लाभ है।
   (ii) साझेदार की मृत्यु के अवसर पर परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि को शेष साझेदारों के पूँजी खातों में नए अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है।
   (iii) साझेदार के अवकाश ग्रहण / मृत्यु पर अवितरित लाभ-हानि शेष साझेदारों के बीच पुराने लाभ-विभाजन अनुपात में बाँटा जाता है।
   (iv) एक साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से अवकाश ग्रहण ले सकता है।
   (v) साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदारों के लाभ-विभाजन अनुपात में कमी आती है।
   (vi) निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान नकद में किया जाना अनिवार्य है।
   (vii) फर्म निवृत साझेदार की भुगतान न की गई राशि पर स्वीकृत ब्याज पर देने के लिए बाध्य होती है।
   (viii) संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर परिपक्व हो जाती है।
   (ix) संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर अभ्यर्पण मूल्य निश्चित तिथि पर दिए गए कुल प्रीमियम राशि के बराबर होता है।
   (x) साझेदार की निवृत्ति के उपरांत उसके परिवार का कोई एक सदस्य तत्काल पुनर्गठित फर्म का नया साझेदार बन जाता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

2. किन कारणवश एक साझेदार फर्म से निवृत्त हो सकता है?
3. उन विषयों को सूचीबद्ध करें जिनका साझेदार के अवकाश ग्रहण पर समायोजन किया जाता है?

4. त्याग, अनुपात और प्राप्त-लाभ अनुपात में अंतर कीजिए?
5. साझेदार के अवकाश ग्रहण/मृत्यु पर परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है?
6. निवृत्त/मृत्त साझेदार को फर्म की ख्याति में हिस्सा क्यों दिया जाता है?
7. वे स्थितियाँ बताएँ जब प्राप्त-लाभ अनुपात को प्रयोग किया जाता है?
8. अभ्यर्पण मूल्य से आप क्या समझते हैं?
9. संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से क्या आशय है?
10. अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के अवसर पर ख्याति के लेखांकन व्यवहार की व्याख्या करें?
11. फर्म के साझेदारों द्वारा ली गई संयुक्त बीमा पॉलिसी का उद्देश्य क्या है?
12. साझेदार की मृत्यु के अवसर पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर प्राप्त दावे के लेखांकन व्यवहार की व्याख्या करें।

III दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

13. निवृत्त साझेदार को देय राशि के विविध प्रकारों की व्याख्या करें।
14. मृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है।
15. साझेदार की मृत्यु की दशा में लाभ में भाग को ज्ञात करने की विविध पद्धतियों की व्याख्या करें।
16. संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। संयुक्त बीमा पॉलिसी के लेखांकन व्यवहार पद्धति की व्याख्या करें।

अभ्यास

17. संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को परिसंपत्ति मानते हुए उसके संदर्भ में लेखांकन व्यवहार दें।
18. शर्मा, वर्मा और नीतू साझेदार हैं तथा लाभ को 1/4, 1/8 और 10/16 के अनुपात में बाँटते हैं। नया लाभ-विभाजन अनुपात ज्ञात करें, यदि

    (अ) शर्मा अवकाश ग्रहण करता है
    (ब) वर्मा अवकाश ग्रहण लेता है
    (स) नीतू अवकाश ग्रहण लेती है।

    उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों में प्राप्त-लाभ अनुपात भी ज्ञात करें।
19. मधु, सुरभि और निखिल साझेदार हैं तथा साझेदारी विलेख का अभाव है। मधु अवकाश ग्रहण कर लेती है। शेष साझेदारों के मध्य भावी अनुपात ज्ञात करें, यदि वे मधु के लाभ को

    (i) 5 : 3 अनुपात में प्राप्त करते हैं
    (ii) समान अनुपात में प्राप्त करते हैं। साथ ही, उनका प्राप्त लाभ अनुपात ज्ञात करें।

20. मनु, कनु और आकांक्षा फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 20%, 30%, 50% के आधार पर बाँटते हैं। समस्त साझेदारों की सहमति से कनु निवृत्त होने का निर्णय लेती है तथा अपना संपूर्ण अंश मनु को बेच देती है। ख्याति को गत तीन वर्षों के औसत लाभ पर दो साल, छः साल के क्रय पर मूल्यांकित किया गया। गत तीन वर्षों के लाभ क्रमशः 50,000 रु., 70,000 रु. तथा 60,000 रु. है। तुलन-पत्र पर संचय कोष 30,000 रु. पर दर्शाया गया है। कनु के अवकाश ग्रहण पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें तथा उसका पूँजी खाता तैयार करके देय राशि की गणना करें जब समस्त समायोजनों से पूर्व, कनु की पूँजी 1,00,000 रु. था।

21. 'अ', 'ब' और 'स' फर्म में साझेदार हैं तथा 2 : 1 : 1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे वर्ष 2002 में 1,40,000 रु. की संयुक्त बीमा पॉलिसी लेते हैं। 31 मार्च, 2003 को 'ब' की मृत्यु हो जाती है। इस तिथि पर फर्म की पुस्तकों में पॉलिसी को 20,000 रु. के अभ्यर्पण मूल्य पर दर्शाया गया है। यदि 'ब' की मृत्यु पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को बंद करने हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें, यदि भुगतान किए गए प्रीमियम को (i) व्यावसायिक व्यय माना गया है, (ii) परिसंपत्ति माना गया है।

22. रीता, पुनीता और गीता साझेदार हैं तथा लाभ को 1 : 2 : 3 अनुपात में विभाजित करते हैं। रीता निम्न शर्तों पर तुलन-पत्र तिथि को निवृत्त होती है :

(अ) एक कंप्यूटर जिसकी लागत 40,000 रु. है। जिसका अभिलेखन नहीं किया गया था, अभिलेखित किया गया।

(ब) कर्मचारी के लिए 16,000 रु. की क्षतिपूर्ति के दायित्व को अंतिम रूप दे दिया गया। उपर्युक्त के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

23. राम, श्याम और मोहन फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 3 : 2 : 1 अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च, 1999 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

31 मार्च, 1999 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
विविध लेनदार		16,000	भवन	23,000
पूँजी :			देनदार	7,000
राम	20,000		रहतिया	12,000
श्याम	7,500		पेटेंट	8,000
मोहन	12,500	40,000	बैंक	6,000
योग		**56,000**	**योग**	**56,000**

उक्त तिथि पर श्याम निम्न शर्तों पर निवृत्त होता है :

(i) भवन के मूल्य में 8,800 रु. की वृद्धि हुई।

(ii) देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाए।

(iii) ख्याति को 9,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।

(iv) श्याम को 5,000 तत्काल दिए गए तथा शेष राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया गया जिस पर 6% प्रतिवर्ष दर से ब्याज दिया जाएगा।

उपर्युक्त के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें तथा पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

24. निम्नांकित 31 मार्च 2002 को जैन, गुप्ता और मलिक का तुलन-पत्र है :

31 मार्च, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
लेनदार		19,800	भूमि व भवन	26,000
बकाया दूरभाष बिल		300	बंधपत्र	14,370
देय-विपत्र		8,950	रोकड़	5,500
संचित लाभ		16,750	प्राप्य-विपत्र	23,450
पूँजी खाते :			देनदार	26,700
जैन	40,000		रहतिया	18,100
गुप्ता	60,000		कार्यालय फर्नीचर	18,250
मलिक	<u>20,000</u>	1,20,000	प्लांट व मशीनरी	20,230
			कंप्यूटर	13,320
		1,65,800		**1,65,800**

साझेदार 5 : 3 : 2 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल, 2002 को मलिक निवृत्त होने का निर्णय लेता है तथा उसकी देय राशि की गणना परिसंपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर इस प्रकार की जाएगी।

रहतिया : 20,000 रु., कार्यालय फर्नीचर : 14,250 रु.

प्लांट व मशीनरी : 23,530 रु., भूमि व भवन : 20,000 रु.

1,700 रु. के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया गया, फर्म की ख्याति को 9,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।

शेष साझेदारों ने मलिक को 16,500 रु. देने का निर्णय लिया जिसे वे 3 : 2 अनुपात में बाँटेंगे। मलिक के पूँजी खाते की शेष राशि को ऋण खाते में हस्तांतरित किया गया। पुनर्मूल्यांकित खाता, पूँजी खाता तथा पुनर्गठित फर्म के तुलन-पत्र तैयार करें।

25. 'अ', 'ब' व 'स' साझेदार हैं तथा पूँजी विनियोग के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2003 को उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
देय-विपत्र		6,250	फैक्ट्री भूमि व भवन		12,000
विविध-लेनदार		10,000	देनदार	10,500	5,500
संचय कोष		2,750	घटाया : प्रावधान	500	
पूँजी :			रहतिया		10,000
'अ'	20,000		प्राप्य-विपत्र		15,500
'ब'	15,000		रहतिया		7,000
'स'	15,000	50,000	प्लांट व मशीनरी		11,500
			बैंक शेष		10,000
योग		**69,000**	**योग**		**69,000**

तुलन-पत्र तिथि पर 'ब' निवृत्त होता है तथा निम्न समायोजन किए जाते हैं।

(अ) रहतिये में 10% से कमी आई
(ब) फैक्टरी भवन में 12% से वृद्धि हुई
(स) संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान बनाया गया
(द) 265 रु. का वैधानिक व्ययों के लिए प्रावधान बनाया गया
(इ) ख्याति 10,000 रु. पर मूल्यांकित की गई।
(फ) फर्म की नई पूँजी 30,000 रु. ज्ञात की गई। शेष साझेदारों ने 3 : 2 के नए लाभ-विभाजन अनुपात में पूँजी रखने का निर्णय लिया

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें तथा 'ब' के पूँजी पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

26. 31 मार्च, 2003 को पवन, कार्तिक और राम का तुलन-पत्र निम्नवत है। यह साझेदार पूँजी विनियोग के आधार पर लाभ का विभाजन करते हैं :

31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
देय-विपत्र		8,000	भूमि व भवन		50,000
लेनदार		12,000	बैंकस्थ रोकड़		30,000
संचय कोष		6,000	देनदार	10,000	
पूँजी :			घटाया : प्रावधान	200	9,800
पवन	30,000		रहतिया		14,000
कार्तिक	30,000		मशीनरी		8,200
राम	15,000	75,000	लाभ व हानि		6,000
कर्मचारी भविष्य निधि		17,000			
योग		**1,18,000**	**योग**		**1,18,000**

कार्तिक अवकाश ग्रहण कर लेता है तथा उसे देय राशि का भुगतान निम्न दायित्व और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् किया जाएगा :

(i) संपूर्ण बीमित राशि, जिसे लाभ-हानि खाते में पूर्णत: नाम किया गया है, में से 1,292 रु. को असमाप्त बीमा के रूप में आगे ले जाया गया।

(ii) भूमि व भवन के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि की गई।

(iii) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को देनदारों पर 5% तक बढ़ाया गया।

(iv) मशीनरी के मूल्य में 6% की दर से कमी पाई गई।

(v) 1,500 रु. का प्रावधान बकाया छपाई और लेखन सामग्री के लिए बनाया गया।

(vi) ख्याति को 18,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।

(vii) पुनर्गठित फर्म की नई पूँजी 60,000 रु. पर निर्धारित की गई जिसे पवन और राम क्रमश: 3/4 व 1/4 अनुपात में समस्त समायोजनों के पश्चात् बाँटेंगे अर्थात् : आधिक्य अथवा कमी को नकदी के रूप में पूरा किया जाएगा।

(viii) कार्तिक को तत्काल 5,000 नकंद दिए गए तथा शेष राशि जिसका भुगतान 6% ब्याज पर दो किश्तों में किया जाएगा। आवश्यक बही खाते तैयार करें तथा पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र बनाएँ। साथ ही कार्तिक का ऋण खाता पूर्ण भुगतान किए जाने तक तैयार करें।

27. 'क', 'ख' व 'ग' फर्म में साझेदार हैं तथा 3 : 2 : 1 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था।

31 दिसंबर 2002 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*		*राशि* रु.
पूँजी :			भवन		16,000
'क'	21,100		प्लांट		24,000
'ख'	14,000		मोटर कार		6,000
'ग'	12,000	47,100	रहतिया		10,000
संचय		6,000	देनदार	7,000	10,000
देय-विपत्र		2,000	घटाया : प्रावधान	1,000	6,000
लेनदार		8,000	बैंकस्थ रोकड़		1,100
योग		**63,100**	**योग**		**63,100**

'क' निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण लेता है :

(i) ख्याति को 12,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।

(ii) रहतिये व भवन के मूल्य में 10% से वृद्धि की गई।

(iii) प्लांट व मोटरकार के मूल्य में 10% से कमी की गई।

(iv) एक कर्मचारी को 4,800 रु. की ग्रेच्युटी के भुगतान को अभिलेखित नहीं किया गया था जिसका भुगतान अब देय है।

(v) देनदार प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(vi) 'क' को चार समान वार्षिक किश्तों में 1 जनवरी, 2003 से भुगतान किया जाएगा जिस पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूँजी खाते, 1.1.2003 को फर्म का तुलन-पत्र तथा पूर्ण भुगतान तक 'क' का ऋण खाता तैयार करें।

28. मिश्रा, पुरी और खुराना फर्म में साझेदार हैं तथा 1/2, 1/6 व 1/3 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
देय-विपत्र		12,000	भवन		40,000
लेनदार		18,000	मशीनरी		30,000
संचय		12,000	फर्नीचर		12,000
पूँजी खाते :			रहतिया		22,000
मिश्रा	30,000		देनदार	20,000	
पुरी	30,000		घटाया : खत ऋणों के	1,000	
खुराना	28,000	88,000	लिए प्रावधान		19,000
			रोकड़		7,000
योग		**1,30,000**	**योग**		**1,30,000**

खुराना अवकाश ग्रहण लेता है तथा समस्त साझेदार निम्न पुनर्मूल्यांकन पर सहमत होते हैं।

(i) भवन और रहतियों के मूल्य में क्रमशः 20% व 15% से वृद्धि की गई।

(ii) मशीनरी और फर्नीचर के मूल्य में क्रमशः 10% व 7% से कमी की गई।

(iii) डूबत ऋण प्रावधान को 1,500 रु. तक बढ़ाया गया।

(iv) खुराना की निवृत्ति पर ख्याति को 21,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।

(v) शेष साझेदारों ने अपनी पूँजी नए लाभ-विभाजन अनुपात में समायोजित करने का निर्णय लिया तथा आधिक्य अथवा कमी को चालू खाते के द्वारा समायोजित किया जाएगा।

आवश्यक बहीखाते तथा पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

29. पाल, गोपाल और वर्मा साझेदार हैं और क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 लाभ का विभाजन करते हैं। 31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
देय-विपत्र		40,000	रोकड़		15,000
विविध देनदार		1,90,000	देनदार	1,60,000	
संचय		1,20,000	घटाया : प्रावधान	6,000	1,55.000
पूँजी :			रहतिया		2,50,000
पाल	4,00,000		मोटर वैन		80,000
गोपाल	3,00,000		प्लांट व मशीनरी		3,50,000
वर्मा	2,50,000	9,50,000	फैक्ट्री भवन		4,50,000
		13,00,000			**13,00,000**

गोपाल अवकाश ग्रहण लेता है तथा उसकी निवृत्ति पर निम्न समायोजन किए गए :

(i) ख्याति को 1,80,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।

(ii) संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान को 19,500 रु. से बढ़ाया गया।

(iii) रहतिये के मूल्य पर 20% और भवन पर 10% की दर से वृद्धि की गई।

(iv) प्लांट के मूल्य में 10% और मोटर वैन पर 15% की दर से कमी की गई।

(v) गोपाल की देय राशि का तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा और शेष साझेदार इस प्रकार नकद लेकर आएँगे ताकि उनकी पूँजी नए लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार समायोजित हो जाए। गोपाल के भुगतान के संदर्भ में वर्तमान रोकड़ शेष का प्रयोग 5,000 रु. की कार्यशील पूँजी रखने के पश्चात् किया जा सकता है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें, तथा साझेदारों के पूँजी खाते तथा 1 अप्रैल, 2003 को साझेदारों का तुलन-पत्र तैयार करें।

30. लिलि और मिलि 7 : 3 अनुपात में लाभ का विभाजन करती हैं तथा 1 मई, 1999 को 1,30,000 रु. की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेती हैं जिसका वार्षिक प्रीमियम 5,200 रु. है। पॉलिसी पर अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	रु.
1999	शून्य
2000	1,600 रु.
2001	7,450 रु.
2002	9,450 रु.

मिलि की मृत्यु 15 सितंबर, 2002 को होती है तथा बीमित राशि 31 दिसंबर, 2002 को प्राप्त होती है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को फर्म की पुस्तकें बंद की जाती हैं। भुगतान किए गए प्रीमियम को –

(i) व्यय मानते हुए

(ii) परिसंपत्ति मानते हुए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें, साथ ही संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता बनाएँ।

31. आकाश, प्रकाश और शिक्षा साझेदार हैं तथा 2 : 3 : 5 अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे 16 अप्रैल, 1998 को 30,000 रु. की संयुक्त बीमा पॉलिसी लेते हैं, जिसका वार्षिक प्रीमियम 4.000 रु. है पॉलिसी पर अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	रु.
1998	शून्य
1999	400
2000	1,000
2001	1,700
2002	3,000

6 अक्तूबर, 2002 को आकाश की मृत्यु हो जाती है तथा बीमा कंपनी 31,200 रु. का भुगतान करती है, जिसमें 30 नवंबर, 2002 को देय बोनस सम्मिलित है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को फर्म की पुस्तकें बंद की जाती हैं। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित खाते बनाएँ जब अभ्यर्पण मूल्यों को परिसंपत्ति माना जाता है।

32. आरती, भारती और सीमा साझेदार हैं तथा 3: 2 : 1 के अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। 31 मार्च, 2003 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व			*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
देय-विपत्र			12,000	भवन	21,000
लेनदार			14,000	हस्थस्त रोकड़	12,000
सामान्य संचय			12,000	बैंक	13,700
पूँजी :				देनदार	12,000
	आरती	20,000		प्राप्य-विपत्र	4,300
	भारती	12,000		रहतिया	1,750
	सीमा	8,000	40,000	प्रपत्र	13,250
योग			**78,000**	**योग**	**78,000**

भारती की मृत्यु 12 जून, 2003 को होती है तथा विलेख के अनुसार उसके उत्तराधिकारी निम्न के हकदार है :

(i) उसके पूँजी खाते के जमा पक्ष का शेष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज

(ii) संचय कोष में भारती का अनुपातिक अंश

(iii) मध्यवर्ती अवधि के लिए उसका लाभ में भाग उस अवधि के विक्रय के आधार पर ज्ञात किया जाएगा, जो कि 1,00,000 रु. है। गत तीन वर्षों की लाभ-दर विक्रय पर 10% है।

(iv) भारती के लाभ में भाग के अनुसार ख्याति की गणना गत तीन वर्षों के औसत लाभ के दो गुणा में से 20% घटाकर की जाएगी।

गत तीन वर्षों के लाभ इस प्रकार है :

वर्ष	2001	8,200 रु.
वर्ष	2002	9,000 रु.
वर्ष	2003	9,800 रु.

भारती के उत्तराधिकारियों को भुगतान के लिए प्रपत्रों को 16,200 रु. पर बेचा गया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें तथा भारती का निष्पादक खाता तैयार करें।

33. 31, दिसंबर 2002 को कनिका, खुशबू और गोमती का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
विविध लेनदार		25,000	भवन	26,000
संचय कोष		20,000	प्रपत्र	15,000
पूँजी :			देनदार	15,000
कनिका	15,000		प्राप्य-विपत्र	6,000
खुशबू	10,000		रहतिया	12,000
गोमती	10,000	35,000	रोकड़	6,000
योग		**80,000**	**योग**	**80,000**

साझेदारी विलेख के अनुसार लाभ को 2 : 1 : 1 अनुपात में बाँटा जाएगा तथा साझेदार की मृत्यु के समय उसके उत्तराधिकारी निम्न के लिए हकदार होंगे :

1. गत तुलन-पत्र में दर्शायी गई पूँजी
2. गत तुलन-पत्र में दर्शाया गया संचय कोष का भाग
3. मृत्यु की तिथि तक लाभ में भाग को गत तीन वर्षों के औसत लाभ पर जमा 10% के आधार पर ज्ञात किया जाएगा।
4. ख्याति के लिए, गत तीन वर्षों के कुल लाभ में मृत साझेदार का भाग।

गत तीन वर्षों के लाभ इस प्रकार थे :

वर्ष	2000	16,000 रु.
वर्ष	2001	16,000 रु.
वर्ष	2002	15,400 रु.

1 अप्रैल, 2002 को गोमती की मृत्यु होती है। 'स' ने मृत्यु की तिथि तक 5,000 रु. का आहरण किया था। प्रपत्रों को सममूल्य पर बेचा गया तथा 'स' के उत्तराधिकारियों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

आवश्यक बही खाते तथा पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

34. मानसी और पुनीत साझेदारी व्यापार में हैं तथा 3 : 2 अनुपात में लाभ का बँटवारा करते हैं। वे 75,000 रु. की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, जिसका वार्षिक प्रीमियम 4,400 रु. व्यवसाय पर चार्ज किया जाता है। पुनीत की मृत्यु तुलन-पत्र तिथि से तीन माह पश्चात् होती है। साझेदारी संलेख के अनुसार, पुनीत के वैधानिक उत्तराधिकारी निम्न के अधिकारी हैं :

1. गत तुलन-पत्र के अनुसार पूँजी
2. मृत्यु की तिथि तक पूँजी पर 8% की दर से ब्याज
3. गत वर्ष के लाभ के आधार पर उसका लाभ में हिस्सा
4. अवधि का ध्यान न रखते हुए उसका आहरण कर 1 प्रतिशत औसत दर से ब्याज लगाया जाएगा

गत तीन वर्षों के शुद्ध लाभ (बीमा प्रीमियम की कटौती के पश्चात्) क्रमशः 20,000 रु. 25,000 रु. और 30,000 रु. हैं। तुलन-पत्र के अनुसार पुनीत की पूँजी 40,000 रु. और मृत्यु की तिथि तक आहरण 2,000 रु. है।

पुनीत का निष्पादक खाता तैयार करें।

35. निम्नांकित 31 मार्च, 2003 को मोनी, सोनी और रोमी का तुलन-पत्र है।

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ	राशि रु.
विविध लेनदार		16,000	प्राप्य-विपत्र	16,000
सामान्य संचय		16,000	फर्नीचर	22,600
पूँजी खाते:			रहतिया	20,400
मोनी	30,000		विविध देनदार	22,000
सोनी	20,000		बैंकस्थ रोकड़	18,000
रोमी	20,000	70,000	हस्तस्थ रोकड़	3,000
योग		**1,02,000**	**योग**	**1,02,000**

30 जून, 2003 को सोनी की मृत्यु होती है। साझेदारी विलेख के अनुसार मृत साझेदार के उत्तराधिकारी निम्न के लिए हकदार हैं :

(अ) साझेदार के पूँजी खाते के जमा पक्ष का शेष

(ब) पूँजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष की दर से

(स) गत तीन वर्षों के लाभ के औसत के दोगुने आधार पर ख्याति में भाग की गणना

(द) पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर गत वित्तीय वर्ष के अंत से मृत्यु की तिथि तक लाभ में भाग। वर्ष 2001, 2002 और 2003 के लिए लाभ क्रमशः 12,000 रु., 16,000 रु. और 14,000 रु. है। लाभ का विभाजन पूँजी विनियोग के आधार पर किया जाता है।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें, तथा सोनी का निष्पादक खाता तैयार करें।

36. नित्या, सत्या और मिथ्या साझेदार हैं तथा लाभ को 5: 3: 2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर, 2002 को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
लेनदार		14,000	प्रपत्र	10,000
संचय कोष		6,000	ख्याति	5,000
पूँजी खाते :			भवन	20,000
नित्या	30,000		पेटेंट	6,000
सत्या	30,000		मशीनरी	30,000
मिथ्या	20,000	80,000	रहतिया	13,000
			देनदार	8,000
			बैंक	8,000
योग		**1,00,000**	**योग**	**1,00,00**

मिथ्या की मृत्यु 1 मई, 2002 को होती है। मिथ्या के उत्तराधिकारियों और फर्म के बीच निम्न समझौता हुआ :

(अ) गत चार वर्षों के औसत लाभ के 2½ गुणा आधार पर ख्याति को मूल्यांकित किया गया।

(ब) पेटेंट को 8,000 रु. पर, मशीनरी को 25,000 रु. पर और भवन को 25,000 रु. पर मूल्यांकित किया गया।

(स) वर्ष 1998, 1999, 2000 और 2001 के लाभ क्रमशः 13,000 रु., 12,000 रु., 16,000 रु. और 15,000 रु. हैं।

(द) मिथ्या के लाभ में भाग को वर्ष 2002 के लाभ के आधार पर किया जाएगा।

(इ) मिथ्या के उत्तराधिकारियों को 4,200 रु. का तत्काल भुगतान किया जाएगा तथा शेष राशि का 10% की ब्याज दर से चार समान किश्तों में भुगतान किया जाएगा।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें तथा मिथ्या का निष्पादक खाता पूर्ण भुगतान होने तक तैयार करें। उपर्युक्त समस्त समायोजनों के उपरांत पुनर्गठित फर्म का तुलन-पत्र तैयार करें।

37. निम्नलिखित 'क', 'ख' और 'ग' का 31 दिसंबर, 2002 को तुलन-पत्र है :

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ	राशि रु.
देय-विपत्र		2,000	बैंकस्थ रोकड़	5,800
लेनदार		5,000	प्राप्य-विपत्र	800
सामान्य संचय		6,000	रहतिया	9,000
ऋण		7,100	विविध देनदार	16,000
पूँजी खाते			फर्नीचर	2,000
'क'	22,750		संयत्र एवं मशीनरी	6,500
'ख'	15,250		भवन	30,000
'ग'	12,000	50,000		
योग		**70,000**	**योग**	**70,000**

उनका लाभ-विभाजन अनुपात 3 : 2: 1 है। 30 अप्रैल, 2003 को 'ग' की मृत्यु हो जाती है। साझेदारी विलेख के अनुसार :

(i) ख्याति की गणना चार वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाएगी। चार वर्षों के इसके लाभ इस प्रकार हैं:

वर्ष	2003	14,000 रु.
वर्ष	2002	16,000 रु.
वर्ष	2001	20,000 रु.
वर्ष	2000	10,000 रु.

(ii) मृत साझेदार को गत वर्ष के लाभ के आधार पर लाभ में हिस्सा दिया जाएगा।

(iii) परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया :

रहतिया 10,000 रु., देनदार 15,000 रु., फर्नीचर 1,500 रु., संयत्र एवं मशीनरी 5,000 रु., भवन 35,000 रु., 600 रु. का विपत्र मूल्यहीन पाया गया।

(iv) यह भी निर्णय लिया गया कि ख्याति फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखायी जाएगी। 12,900 रु. तत्काल 'ग' के उत्तराधिकारियों को दे दिए गए तथा शेष राशि का भुगतान किश्तों में किया जाएगा।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए तथा 'ग' का निष्पादक खाता तैयार करें।

उत्तर

18.	शर्मा नया लाभ-विभाजन अनुपात		1/5
	(a)	नया लाभ-विभाजन अनुपात	1/5
		प्राप्त लाभ अनुपात	1/5
	(b)	नया लाभ-विभाजन अनुपात	2/5
		लाभ अनुपात	2/5
	(c)	नया लाभ विभाजन अनुपात	2/1
		प्राप्त लाभ अनुपात	2/1
19.	(a)	नया लाभ विभाजन अनुपात	13/8
		लाभ प्राप्ति अनुपात	1/1
	(b)	नया लाभ विभाजन अनुपात	1/1
		लाभ प्राप्ति अनुपात	1/1
20.		कनु को देय राशि	1,36,000 रु.
23.		तुलन पत्र का योग	59,450 रु.
24.		पुनर्मल्यांकन पर हानि	6,500 रु.
		तुलन पत्र का योग	1,59,300 रु.
25.		पुनर्मल्यांकन हानि	400 रु.
		तुलन पत्र योग	62,220 रु.
26.		पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	4,000 रु.
		तुलन पत्र योग	1,32,300 रु.
27.		पुनर्मूल्यांकन पर हानि	4,200 रु.
		तुलन पत्र योग	63,700 रु.
28.		तुलन पत्र योग	147,730 रु.
29.		तुलन पत्र योग	13,18,500 रु.
30.		लिलि का अंश	77,385 रु.
		मिलि का अंश	33,165 रु.
31.		आकाश	5,100 रु.
		प्रकाश	7,650 रु.
		शिक्षा	12,750 रु.

32.	भारती के उत्तराधिकारियों को देय राशि	22,916 रु.
34.	पुनीत के उत्तराधिकारियों की देय राशि	71,780 रु.
35.	सोनी के उत्तराधिकारियों को देय राशि	33,821 रु.
36.	तुलन पत्र योग	92,800 रु.
37.	ग का निष्पादक खाता	4,221 रु.
	पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	
	'क'	2,200 रु.
	'ख'	1,467 रु.
	'ग'	733 रु.

अध्याय 5

साझेदारी फर्म का विघटन

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय के पढ़ने के पश्चात् आप :

- फर्म के विघटन का आशय समझ सकेंगे;
- फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर कर सकेंगे;
- वसूली खाता तैयार कर सकेंगे;
- फर्म के दावों का निपटारा कर सकेंगे;
- फर्म की पुस्तकें बंद करने हेतु लेनदेनों को अभिलेखित कर सकेंगे और साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कर सकेंगे।

'विघटन' शब्द से अभिप्राय उन तत्त्वों के विच्छेदन से है, जिनके आधार पर उन तत्त्वों का एकीकरण हुआ था। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है — व्यवस्थाजन्य परिस्थितियों के कारण किसी कार्य का निष्क्रिय हो जाना। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी रंग को पानी में मिलाते हैं तो वह रंग पानी में पूर्णतः घुल जाता है, क्योंकि रंग को ठोसावस्था प्रदान करने वाले सभी तत्त्व अलग-अलग विभिन्न रूप में बिखर जाते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का विघटन वर्तमान स्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। यह कथन किसी साझेदारी फर्म के संदर्भ में पूर्णतः लागू होता है, क्योंकि वर्तमान साझेदारी का विघटन तभी होता है जब साझेदार के प्रवेश, आगमन, निवृत्ति या मृत्यु के कारण फर्म पुनर्गठित की जाती है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर देती हैं। यद्यपि साझेदारी का विघटन किसी साझेदारी फर्म के विलयन का संकेत नहीं करता क्योंकि इन दोनों की आधारभूत स्थितियाँ भिन्न हैं। साझेदारी के विलयन की दशा में साझेदारी फर्म पूर्ववत क्रियाशील (जीवित) रहते हैं, साझेदारों के आपसी संबंध ही पुनर्गठित होते हैं। जबकि साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में न केवल साझेदारी समाप्त होती है, बल्कि फर्म का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि साझेदारी फर्म के रूप में

वह फर्म बंद हो जाती हैं। अभिप्राय यह है कि साझेदारी फर्म के रूप में फर्म के कार्यकलाप बंद कर दिए जाते हैं। किसी फर्म के विघटन के पश्चात् फर्म व्यवसाय के रूप में निष्क्रिय हो जाते हैं। इस दशा में, व्यवसाय के समस्त कार्यकलापों का समापन समारोह एक प्रकार से मनुष्य के अंतिम संस्कार के सदृश होता है।

5.1 साझेदारी का विघटन

साझेदारों के मध्य संबंधों में बदलाव साझेदारी फर्म में परिवर्तन के बिना भी संभव है। अतः साझेदारी विघटन के संदर्भ में, साझेदारों के बीच आर्थिक आधार का पुनर्गठन फर्म के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता है और साझेदारी व्यापार पूर्ववत् कार्यशील रहता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में परस्पर अनुबंध में परिवर्तन द्वारा साझेदारी का विघटन होता है :

- साझेदारी के लाभ-विभाजन अनुपात में परिवर्तन
- साझेदारों के पूँजी विनियोग में परिवर्तन
- नए साझेदार का प्रवेश
- साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण, जहाँ कम से कम दो साझेदार रह गए हों
- साझेदार की मृत्यु (खंड 42)
- निर्णयादेश के अंतर्गत साझेदार का दिवालिया घोषित किया जाना
- व्यापार की नियत समय अवधि समाप्त होने पर
- निर्दिष्ट कार्य का समापन, जिस उद्देश्य के लिए साझेदारी की गई हो
- एक साझेदारी का दूसरे साझेदारी में संविलय।

5.2 साझेदारी फर्म का विघटन

फर्म का विघटन निम्न स्थितियों में होता है :-

1. *समझौते द्वारा विघटन* : फर्म का विघटन समझौते द्वारा निम्न स्थितियों में होता है।

   (अ) सभी साझेदार सहमत हों, अथवा

   (ब) साझेदारी समझौते की शर्तों के अनुसार हो।

2. *अनिवार्य विघटन :* फर्म का अनिवार्य विघटन निम्न स्थितियों में होता है।

   (अ) जब सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिए हो गए हों या मानसिक संतुलन खो बैठे हों।

(ब) जब व्यवसाय गैर कानूनी हो गया हो।

(स) जब केवल एक को छोड़कर सभी साझेदार फर्म से निवृत्त होना चाहते हों।

(द) जब सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई हो।

(य) फर्म अनिवार्य रूप से तभी विघटित होती है, यदि साझेदार संलेख में निम्न में से किसी एक से संबंधित प्रावधान हो :

(i) जितनी अवधि के लिए फर्म बनी है, उस अवधि की समाप्ति हो गई हो।

(ii) उस विशेष परियोजना या उपक्रम की समाप्ति हो गई हो, जिसके लिए फर्म बनाई गई हो।

3. *सूचना द्वारा विघटन :* स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में यदि कोई एक साझेदार दूसरे साझेदारों को लिखित सूचना दे, तो फर्म विघटित हो सकती है।

4. *न्यायालय द्वारा विघटन :* न्यायालय फर्म को विघटित होने का आदेश (धारा 44, के अंतर्गत) दे सकता है, यदि किसी एक साझेदार द्वारा निम्न स्थितियों में मुकदमा चलाया जाए :

(अ) जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो बैठा हो।

(ब) जब कोई साझेदार साझेदारी के कर्तव्य पूरा करने में स्थाई रूप से असमर्थ हो जाए।

(स) जब कोई साझेदार फर्म के प्रबंध से संबंधित समझौते का जानबूझ कर और लगातार उल्लंघन करे।

(द) जब साझेदार के आचरण से फर्म के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़े।

(ई) जब साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दे।

(फ) जब फर्म को व्यवसाय चलाने से केवल हानि हो।

(ज) जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्यायसंगत समझे।

5.3 साझेदारी विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर

आधार	*साझेदारीका विघटन*	*साझेदारीफर्मका विघटन*
1. व्यवसाय की समाप्ति	नहीं, व्यवसाय का समापन नहीं होता है।	व्यवसाय का समापन हो जाता है।
2. परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की व्यवस्था	परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और नया तुलन-पत्र तैयार किया जाता है।	परिसंपत्तियों को बेचा जाता है तथा दायित्वों का भुगतान किया जाता है।
3. न्यायालय का हस्तक्षेप	चूँकि साझेदारी का विघटन एक परस्पर अनुबंध होता है, जो पुनर्गठन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है इसलिए इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है।	फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश द्वारा किया जा सकता है।
4. आर्थिक संबंध	साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध समान अथवा परिवर्तनीय हो सकता है।	साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध समाप्त हो जाते हैं।
5. खाता पुस्तकों का बंद होना	कोई आवश्यकता नहीं होती है।	सभी पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं।

5.4 खातों का निबटारा

फर्म का विघटन होने पर, फर्म व्यवसाय के कार्यालय बंद कर दिए जाते हैं और खातों का निबटारा कर दिया जाता है। इसके लिए वह अपने दावे पूरा करने के लिए अपनी सभी परिसंपत्तियाँ बेच देती है।

इस संबंध में साझेदारी अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान के अनुसार साझेदारों के बीच खातों का निबटारा करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है:

1. हानि का भुगतान पहले लाभ में से हो, फिर पूँजी से और अंततः प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यक्तिगत आधार पर लाभ-हानि अनुपात में होगा।
2. फर्म अपनी संपत्ति का उपयोग किसी तीसरी पार्टी को फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार को पूँजी के अतिरिक्त ली गई अग्रिम राशि के बदले में देय योग्य रकम के लिए आनुपातिक आधार पर प्रत्येक साझेदार को पूँजी के बदले में फर्म से पाने योग्य रकम देने के लिए और बाकी बची राशि को साझेदारों के बीच उस अनुपात में बाँटेगी, जिस अनुपात में साझेदार लाभ बाँटने का फैसला करते हैं।

निम्न क्रम से दावे पूरे किए जाते हैं :

- वसूली करने में व्यय का भुगतान।
- फर्म के बाह्य दायित्वों का भुगतान। ध्यान योग्य बिंदु यह है कि सुरक्षित लेनदारों को सर्वप्रथम सुरक्षित परिसंपत्तियों की विक्रय राशि से भुगतान किया जाता है। तत्पश्चात्, असुरक्षित लेनदारों को भुगतान किया जाता है।
- साझेदार के पति/पत्नी द्वारा दी गई अग्रिम राशि का भुगतान।
- पूँजी के अतिरिक्त साझेदार द्वारा दी गई अग्रिम राशि का भुगतान।
- साझेदारों द्वारा लाई गई पूँजी का भुगतान।

5.4.1 फर्म के ऋण बनाम साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण

जब फर्म की परिसंपत्तियाँ फर्म के दायित्वों के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं होती हैं तो साझेदारों की असीमित दायित्व की प्रकृति के कारण, उन्हें स्वयं भुगतान निबटाने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में, साझेदारों को स्वयं की परिसंपत्तियों में से सर्वप्रथम अपने वैयक्तिक ऋणों के भुगतान का अधिकार प्राप्त है। इसके उपरांत, बचे हुए अधिशेष में से बाह्य लेनदारों को भुगतान किया जाता है। ध्यान योग्य बिंदु यह है कि स्त्रीधन के अतिरिक्त, समस्त परिसंपत्तियों पर साझेदार का वैयक्तिक रूप से अधिकार होता है।

निम्नलिखित चरणों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है :

- समस्त परिसंपत्तियों को बेचा जाता है और नकद वसूली की जाती है।
- फर्म के बाह्य दायित्वों का भुगतान, जैसे कि — लेनदार, ऋण, बैंक, अधिविकर्ष, देय-विपत्र, साझेदार के संबंधियों द्वारा प्राप्त अग्रिम ऋण
- साझेदार की पत्नी/पति द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि
- साझेदार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋणों का भुगतान
- साझेदार द्वारा निवेशित पूँजी का भुगतान
- यदि कोई शेष हो तो, उसे साझेदारों के बीच लाभ-विभाजन अनुपात में बाँटा जाएगा।

5.4.2 लेखांकन व्यवहार

जब फर्म का विघटन होता है, तो फर्म की पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं और परिसंपत्तियों की वसूली तथा दायित्वों को पूरा करने से होने वाले हानि या लाभ की गणना की जाती है। इसके लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा परिसंपत्तियों की वसूली और दायित्वों का भुगतान किया

जाता है। वसूली खाता परिसंपत्तियों और दायित्वों के भुगतान का शुद्ध प्रभाव जानने के लिए तैयार किया जाता है। परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य से अधिक या कम वसूली हो सकती है। इसी तरह, दायित्वों का निबटारा उनके पुस्तक मूल्य से अधिक या कम मूल्य से हो सकता है। वसूली से होने वाला हानि या लाभ साझेदारों को पूँजी खातों में लाभ-विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जिन साझेदारों के पूँजी खातों में नाम शेष है, उन्हें आवश्यक रोकड़ लानी होती है और जिनके खाते में जमा शेष है, उन्हें रोकड़ वापिस कर दी जाती है।

5.4.3 रोजनामचा प्रविष्टियाँ

1. *परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर*

   रोकड़, बैंक और अवास्तविक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त सभी परिसंपत्तियों के खाते अपने कुल पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते के नाम पक्ष में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।

   वसूली खाता नाम
   परिसंपत्तियाँ (व्यक्तिगत तौर पर) खाता

   ध्यान योग्य है कि संचित हानियाँ, और अस्थिगत व्ययों को वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। इनका हस्तांतरण साझेंदारो के पूँजी खाते में उनके लाभ-विभाजन अनुपात के अनुसार निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा किया जाता है :

   साझेदार पूँजी खाता नाम
   अवास्तविक परिसंपत्तियाँ खाता

2. *दायित्वों के हस्तांतरण पर*

   प्रावधान सहित सभी बाह्य दायित्वों, जिन्हें वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं, उन्हें पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते के जमा पक्ष में लिखकर बंद किया जाता है।

   बाह्य दायित्व (व्यक्तिगत आधार पर) खाता नाम
   वसूली खाता

   साझेदारोंका पूँजीखाता तथाऋणखाता पृथक्‌रूपसे तैयार किया जाता है और इसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करते हैं।

3. *परिसंपत्तियों की बिक्री पर*

   बैंक खाता (वसूली मूल्य) नाम
   वसूली खाता

4. *साझेदार द्वारा ली गयी परिसंपत्तियों के लिए*

   साझेदार का पूँजी खाता नाम
   वसूली खाता (स्वीकृत मूल्य)

5. *लेनदारों को भुगतान के लिए*

जब लेनदारों को नकद भुगतान किया जाता है तो वसूली खाते को नाम में और रोकड़ / बैंक खाते को जमा पक्ष में लिखते हैं :

वसूली खाता नाम
  बैंक खाता

6. *परिसंपत्ति के हस्तांतरण द्वारा लेनदारों का निबटारा*

(अ) जब लेनदार आंशिक रूप में परिसंपत्ति स्वीकार करता है, तो कोई प्रविष्टि नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेनदारों के प्रति दायित्व को पहले ही वसूली खाते के जमा पक्ष की ओर हस्तांतरित कर दिया गया है तथा जो परिसंपत्ति लेनदारों ने ली है, वह पहले से ही वसूली खाते के नाम पक्ष में हस्तांतरित की जा चुकी है। परिसंपत्ति का नाम शेष वसूली खाते में उसके अनुरूप दायित्व के जमा को रद्द करती है तथा शेष राशि का भुगतान नकद में होगा। *उदाहरणार्थ,* एक लेनदार जिसे 10,000 रु. देने हैं, 8,000 रु. के कार्यालयी उपकरण स्वीकार कर लेता है। उसे 2,000 रु. नकद में दिए जाएँगे और निम्न प्रविष्टि दर्ज होगी।

वसूली खाता	नाम	2,000	
बैंक खाता			2,000

(ब) जब लेनदार ने परिसंपत्ति स्वीकार कर ली है, जिसका मूल्य उसे मिलने वाली राशि से अधिक है, तो वह शेष रोकड़ वापिस करेगा। इसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी।

बैंक खाता नाम
  वसूली खाता

(स) जब लेनदार परिसंपत्ति पूरे व अंतिम निबटारे के रूप में स्वीकार करता है, तो किसी भी रोजनामचा प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है।

7. *वसूली पर व्यय*

(अ) जब फर्म द्वारा वसूली व्यय दिया जाता है :

वसूली खाता नाम
  बैंक खाता

(ब) जब फर्म द्वारा साझेदार को वसूली व्यय के बदले में चाहे वास्तविक व्यय कुछ भी हो, एक निश्चित राशि देना तय हो :

वसूली खाता नाम
  साझेदार का पूँजी खाता

(स) जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वास्तविक व्यय किया जाए, तो निम्न रोजनामचा प्रविष्टि होगी :

साझेदार का पूँजी खाता नाम
  बैंक खाता

हालांकि, यदि साझेदार स्वयं व्यय करता है और फर्म से न लेने का निर्णय करता है, तो किसी रोजनामचा प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती।

जब साझेदार फर्म की तरफ से व्यय का भुगतान करने का निर्णय करता है, तो प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

वसूली खाता नाम
    साझेदार का पूँजी खाता

8. *जब दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है :*

वसूली खाता नाम
    बैंक खाता

9. *जब साझेदार दायित्व को पूरा करता है :*

वसूली खाता नाम
    साझेदार का पूँजी खाता

10. *किसी गैर-अभिलेखित संपत्ति की वसूली के लिए :*

बैंक खाता नाम
    वसूली खाता

11. *जब गैर-अभिलेखित संपत्ति साझेदार ने ली हो :*

साझेदार का पूँजी खाता नाम
    वसूली खाता

12. *किसी गैर-अभिलेखित दायित्व के निबटारे के लिए :*

वसूली खाता नाम
    बैंक खाता

13. *जब गैर-अभिलेखित दायित्व का साझेदार ने स्वयं भुगतान करना हो :*

वसूली खाता नाम
    साझेदारी की पूँजी

14. *वसूली पर लाभ (हानि)साझेदार के पूँजी खाते में उनके लाभ-विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करने के लिए, जब वसूली से लाभ हो :*

वसूली खाता नाम
    साझेदार की पूँजी (व्यक्तिगत आधार पर) खाता

जब वसूली से हानि हो :

साझेदार का पूँजी (व्यक्तिगत आधार पर) खाता नाम
    वसूली खाता

15. *संचित लाभ और संचय साझेदारों के पूँजी खाते में उनके लाभ-विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करने के लिए :*

संचित लाभ / संचय खाता नाम

साझेदारों का पूँजी (व्यक्तिगत आधार पर) खाता

16. *अवास्तविक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण*

संचित हानि और अवास्तविक परिसंपत्तियाँ साझेदारों के पूँजी खाते में उनके लाभ- विभाजन अनुपात में नाम करने के लिए :

साझेदारों का पूँजी (व्यक्तिगत आधार पर) खाता नाम

संचित हानि/अवास्तविक परिसंपत्ति खाता

17. *साझेदारों से लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए :*

साझेदार का ऋण खाता नाम

बैंक खाता

18. *(अ) यदि साझेदार का पूँजी खाता नाम शेष दर्शाए व आवश्यक रोकड़ लाता है, तो प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी :*

बैंक खाता नाम

साझेदार का पूँजी खाता

(ब) जब साझेदार का खाता जमा शेष दर्शाए और राशि का भुगतान कर दिया जाए :

साझेदार का पूँजी खाता नाम

बैंक खाता

यह ध्यान रहे कि वह कुल राशि जो साझेदारों को अंततः देय योग्य है, बैंक में उपलब्ध रकम और नकद खाते के बराबर होनी चाहिए। अतः विघटन क्रिया पूर्ण होने पर फर्म के सभी खाते स्वतः बंद हो जाते हैं।

कभी-कभी विघटन के समय फर्म का तुलन-पत्र नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम समस्त बही खातों के शेष निकाले जाते हैं तत्पश्चात् फर्म का तुलन-पत्र तैयार किया जाता है। इसके उपरांत, विघटन प्रक्रिया चालू की जाती है। इसे निम्न उदाहरणों में समझाया गया है।

उदाहरण 1

राम और श्याम लाभ-हानि बराबर बाँट रहे हैं। वह फर्म के विघटन का फैसला करते हैं। फर्म के दायित्व इस प्रकार हैं : राम की पूँजी 25,000 रुपए, श्याम की पूँजी 30,000 रुपए, लेनदार 12,500 रुपए, देय-विपत्र 7,500 रुपए। फर्म की परिसंपत्तियों की वसूली 1,00,000 रुपए में हुई। वसूली खाता तैयार कीजिए।

हल

वसूली खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	राशि (रु.)
	विविध परिसंपत्तियाँ		75,000		बैंक		1,00,000
	बैंक :				लेनदार		12,500
	लेनदार		12,500		देय-विपत्र		7,500
	देय-विपत्र		7,500				
	पूँजी खाता :						
	राम 12,500						
	श्याम 12,500		25,000				
	योग		**1,20,000**		**योग**		**1,20,000**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. पूँजी + दायित्व = परिसंपत्तियाँ
   पूँजी + लेनदार + देय-विपत्र = परिसंपत्तियाँ
   25,000 रु. + 30,000 रु. + 12,500 रु. + 7,500 रु. = 75,000 रु.
   परिसंपत्तियाँ = 75,000 रु.

उदाहरण 2

जनवरी 1, 2001 को जॉन, स्मिथ और पीटर ने क्रमशः 1,00,000 रु., 80,000 रु. और 60,000 रु. की पूँजी के साथ व्यवसाय प्रारंभ किया। लाभ-हानि विभाजन का अनुपात 4 : 3 : 3 था। पूँजी पर 5% ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय था। वर्ष 2001 और 2002 के दौरान क्रमशः 40,000 रु. और 50,000 रु. का लाभ (पूँजी पर ब्याज घोषित करने से पूर्व) अर्जित किया गया। साझेदारों द्वारा आहरण की राशि 10,000 रु. प्रतिवर्ष थी।

दिसंबर 31, 1996 को फर्म का विघटन हो गया। उस दिन तक लेनदार 24,000 रु. का था। संपत्तियाँ के वसूली से प्राप्त शुद्ध रकम 24,000 रु.। फर्म की पुस्तक को बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए।

हल

पूँजी खाता

दिनांक 2001	विवरण	जॉन रु.	स्मिथ रु.	पीटर रु.	दिनांक 2001	विवरण	जॉन रु.	स्मिथ रु.	पीटर रु.
दिस.31	आहरण खाता	10,000	10,000	10,000	जन.1	बैंक खाता	1,00,000	80,000	60,000
	शेष आ/ला	1,06,200	82,400	61,400	दिस. 31	पूँजी पर ब्याज	5,000	4,000	3,000
						शुद्ध लाभ	11,200	8,400	8,400
		1,16,200	**92,400**	**71,400**			**1,16,200**	**92,400**	**71,400**
2002					2002				
दिस.31	आहरण	10,000	10,000	10,000	जन.1	शेष आ/ला	1,06,200	82,400	61,400
	शुद्ध आ/ला	1,16,510	87,770	65,720	दिस.31	पूँजी पर ब्याज	5,310	4,120	3,070
						शुद्ध लाभ	15,000	11,250	11,250
		1,26,510	**97,770**	**75,720**			**1,26,510**	**97,770**	**75,720**

पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	जॉन रु.	स्मिथ रु.	पीटर रु.	दिनांक	विवरण	जॉन रु.	स्मिथ रु.	पीटर रु.
2002					2002				
दिस.1	वसूली खाता	13,600	10,200	10,200	दिस.1	शुद्ध लाभ	1,16,510	87,770	65,720
	बैंक	1,02,910	77,570	55,520					
		1,16,510	**87,770**	**65,720**			**1,16,510**	**87,770**	**65,720**

तुलन-पत्र

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
पूँजी खाता			संपत्ति	2,94,000
जॉन	1,16,510			
स्मिथ	87,770			
पीटर	65,720	2,70,000		
लेनदार		24,000		
योग		**2,94,000**	**योग**	**2,94,000**

वसूली खाता

नाम जमा

दिनांक	विवरण	पृ. सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ. सं.	राशि (रु.)
	परिसंपत्तियाँ		2,94,000		लेनदार		24,000
	बैंक (लेनदार)		24,000		बैंक (संपत्ति)		2,60,000
					हानि का हस्तांतरण :		
					जॉन की पूँजी 13,600		
					पीटर की पूँजी 10,200		
					स्मिथ की पूँजी 10,200		34,000
	योग		**3,18,000**		**योग**		**3,18,000**

बैंक खाता

दिनांक	विवरण	पृ. सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ. सं.	राशि (रु.)
	वसूली (परिसंपत्तियाँ)		2,60,000		वसूली (लेनदार)		24,000
					पूँजी खाता		
					जॉन की पूँजी 1,02,910		
					पीटर की पूँजी 77,570		
					स्मिथ की पूँजी 55,520		2,36,000
योग			**2,60,000**	**योग**			**2,60,000**

उदाहरण 3

अंजू और मंजू का स्थिति-विवरण निम्न है। वे दिसंबर 31, 2000 को लाभ-हानि 3:2 के अनुपात में बाँट रही हैं :

अंजू और मंजू

31 दिसंबर, 2003 को फर्म का स्थिति-विवरण

दिनांक	*दायित्व*		*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*		*राशि (रु.)*
	लेनदार		19,000	संयंत्र व यंत्र		14,000
	अंजू के भाई से ऋण		5,000	फर्नीचर व फिक्सचर		2,000
	मंजू से ऋण		7,500	विनयोग		5,000
	साधारण संचय		1,250	रहतिया		3,000
				देनदार –	10,000	
	पूँजी :			घटाया : प्रावधान	500	9,500
	अंजू	5,000		बैंक		5,750
	मंजू	4,000	9,000	लाभ व हानि		2,500
	योग		**41,750**	**योग**		**41,750**

फर्म का विघटन दिसंबर 31, 2003 को हुआ जिसके कारण,

1. अंजू ने 4,000 रु. स्वीकृत मूल्य पर विनियोग किया और अपने भाई से लिए ऋण का भुगतान करने का निर्णय किया।
2. परिसंपत्तियों की नकद वसूली इस प्रकार थी : रहतिया 2,500 रु., देनदार 9,250 रु., फर्नीचर व फिक्सचर 2,250 रु. संयंत्र व यंत्र 12,500 रु.।
3. वसूली व्यय 300 रु. था।
4. लेनदारों ने पूरे निबटारे पर $2\frac{1}{2}$ % का बट्टा दिया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए और फर्म की पुस्तकें बंद कीजिए।

हल

रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	वसूली खाता नाम		34,000	
	रहतिया			3,000
	देनदार			10,000
	फर्नीचर व फिक्सचर			2,000
	संयंत्र व यंत्र			14,000
	विनियोग			5,000
	(विभिन्न परिसंपत्तियों का हस्तांतरण)			
	अंजू के भाई से ऋण खाता नाम		5,000	
	विविध लेनदार खाता नाम		19,000	
	संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान खाता नाम		500	
	वसूली खाता			24,500
	(बाह्य दायित्वों का हस्तांतरण)			
	बैंक खाता नाम		26,500	
	वसूली खाता			26,500
	(परिसंपत्ति का नकदीकरण)			
	वसूली खाता नाम		5,000	
	अंजू का पूँजी खाता			5,000
	(अंजू ने अपने भाई के ऋण का 5,000 रु. का दायित्व लिया पर क्योंकि उसने 4,000 रु. का विनियोग लिया है अत: शुद्ध प्रभाव 1,000 रु. का हुआ)			
	अंजू का पूँजी खाता नाम		4,000	
	वसूली खाता			4,000
	(अंजू द्वारा लिए गए प्रपत्र का समायोजन)			
	वसूली खाता नाम		18,525	
	बैंक खाता			18,525
	(लेनदारों को $2\frac{1}{2}$ % के बट्टे)			

	अंजू का पूँजी खाता नाम मंजू का पूँजी खाता नाम वसूली खाता (वसूली पर हानि का हस्तांतरण)		1,695 1,130	 2,825
	अंजू की पूँजी नाम मंजू की पूँजी नाम लाभ-हानि खाता (संचित हानि का साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण)		1,500 1,000	 2,500
	सामान्य संचय खाता नाम अंजू का पूँजी खाता मंजू का पूँजी खाता (सामान्य संचय का साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण)		1,250	 750 500
	मंजू का ऋण खाता नाम बैंक खाता (मंजू के ऋण का भुगतान)		7,500	 7,500
	अंजू का पूँजी खाता नाम मंजू का पूँजी खाता नाम बैंक (साझेदारों को अंतिम निबटारे के रूप में अंतिम भुगतान)		3,555 2,370	 5,925

वसूली खाता

नाम | जमा

दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
दिस.31	रहतिया		3,000	दिस.31	विविध लेनदार		19,000
	देनदार		10,000		संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		500
	फर्नीचर व फिक्सर		2,000				
	संयंत्र व मशीनरी		14,000		अंजू के भाई से ऋण		5,000
	विनियोग		5,000		अंजू का पूँजी खाता		4,000
	अंजू की पूँजी (समायोजन)		5,000		बैंक (संपत्तियों की वसूली)		26,500
	बैंक (व्यय)		300		पूँजी वसूली पर हानि:		
	बैंक (लेनदार)		18,525		अंजू 1,665		
					मंजू 1,130		2,825
	योग		**57,825**		**योग**		**57,825**

अंजू का पूँजी खाता

नाम जमा

दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
दिस.31	वसूली खाता (हानि)		1,695	दिस.31	शेष आ/ला		5,000
	वसूली खाता (प्रपत्र)		4,000		वसूली खाता (समायोजन)		5,000
	लाभ व हानि		1,500		सामान्य संचय		750
	बैंक		3,555				
	योग		**10,750**		**योग**		**10,750**

मंजू का पूँजी खाता

नाम जमा

दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
दिस.31	वसूली खाता (हानि)		1,130	दिस.31	शेष आ/ला		4,000
	लाभ व हानि		1,000		सामान्य संचय		500
	बैंक		2,370				
	योग		**4,500**		**योग**		**4,500**

बैंक खाता

नाम जमा

दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
दिस.31	शेष आ/ला		5,750	दिस.31	वसूली :		
	वसूली खाता		26,500		लेनदार		18,525
	(परिसंपत्तियों की वसूली)				व्यय		300
					मंजू का ऋण		7,500
					अंजू की पूँजी		3,555
					मंजू की पूँजी		2,370
	योग		**32,250**		**योग**		**32,250**

मंजू का ऋण खाता

नाम **जमा**

दिनांक *2003*	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि* *(रु.)*	*दिनांक*	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि* *(रु.)*
	बैंक		7,500		शेष आ/ला		7,500

उदाहरण 4

कमल और रंजीत व्यवसाय में साझेदार हैं और इनका लाभ-विभाजन 3:2 अनुपात है। उन्होंने 1 जून, 2001 को फर्म का विघटन करने का निर्णय लिया है। इस तिथि को उनकी पूँजी क्रमशः 20,000 रु. और 10,000 रु. थी। रंजीत द्वारा फर्म को दी जाने वाली राशि 6,400 रु. थी और कमल द्वारा दिया गया ऋण 8,000 रु. का था। लेनदारों की राशि 50,000 रु. थी तथा रोकड़ 5,400 रु. थी। रंजीत को दिया ऋण और रोकड़ के अतिरिक्त शेष परिसंपत्तियों से नकद वसूली 59,200 रु. हुई। वसूली व्यय 2,000 रु. के हुए। फर्म का तुलन-पत्र बनाइए और फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए फर्म के आवश्यक बही खाते तैयार कीजिए।

कमल और रंजीत की पुस्तक
तुलन-पत्र जून 1, 2001

दायित्व		*राशि* *(रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* *(रु.)*
विभिन्न लेनदार		50,000	रोकड़	5,400
कमल का ऋण		8,000	रंजीत का ऋण	6,400
पूँजी :			अन्य परिसंपत्तियाँ	76,200
कमल	20,000			
रंजीत	10,000	30,000		
योग		**88,000**	**योग**	**88,000**

वसूली खाता

नाम जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
1 जून	विविध परिसंपत्तियाँ		76,200	1 जून	लेनदार		50,000
1 जून	रोकड़ (व्यय)		2,000	1 जून	रोकड़ (परिसंपत्तियाँ वसूली)		59,200
1 जून	रोकड़ (लेनदार)		50,000	1 जून	पूँजी वसूली पर हानि कमल-11,400 रंजीत- 7,600		19,000
	योग		**1,28,200**		**योग**		**1,28,200**

रोकड़ खाता

नाम जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
1 जून	शेष आ/ला		5,400	1 जून	वसूली खाता(व्यय)		2,000
	वसूली (परिसंपत्तियाँ)		59,200		वसूली खाता (लेनदार)		50,000
	रंजीत की पूँजी		4,000		कमल का ऋण		8,000
					कमल की पूँजी		8,600
	योग		**68,600**		**योग**		**68,600**

पूँजी खाते

नाम जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	कमल राशि(रु.)	रंजीत राशि(रु.)	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	कमल राशि(रु.)	रंजीत राशि(रु.)
1 जून	रंजीत को ऋण			6,400	1 जून	शेष आ/ला.		20,000	10,000
	वसूली खाता (हानि)		11,400	7,600		रोकड़			4,000
	रोकड़		8,600						
	योग		**20,000**	**14,000**		**योग**		**20,000**	**14,000**

उदाहरण 5

दिनेश, रमेश और सतीश 5:3:2 के अनुपात में लाभ व हानि बाँटते हैं। उन्होंने 31 मार्च, 2002 को अपनी साझेदारी के विघटन का निर्णय लिया है। दिनेश से परिसंपत्तियों की वसूली करने और दायित्व का भुगतान करने को कहा गया। वसूली व्यय का भुगतान करना होगा, जिसके लिए उसे 2,000 रु. की निश्चित राशि देना तय हुआ। इस दिन उनकी वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी :

31 मार्च, 1994 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*		*राशि (रु.)*
लेनदार	27,500	संयंत्र व उपकरण		60,000
विनियोग घट-बढ़ कोष	9,000	विनियोग		30,000
पूँजी :		रहतिया		11,000
दिनेश	75,000	देनदार	14,200	
रमेश	30,000	घटाइए : संदिग्ध ऋण		
		के लिए व्यवस्था	900	13,300
		रोकड़		11,200
		सतीश की पूँजी		16,000
योग	**1,41,500**	**योग**		**1,41,500**

दिनेश 25,000 रु. पर विनियोग खरीदने को तैयार है। रमेश 10,500 रु. का रहतिया लेने और देनदारों को 11,800 रु. की राशि भुगतान करने को तैयार है। संयंत्र व उपकरण 45,000 रु. पर बेचे गए। गैर अभिलेखित परिसंपत्ति की वसूली से 3,000 रु. नकद प्राप्त हुए। वास्तविक वसूली व्यय 1,800 रु. था। फर्म का विघटन करने के लिए आवश्यक बही खाते बनाइए।

दिनेश, रमेश और सतीश की पुस्तकें
वसूली खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च	संयंत्र		60,000	मार्च	लेनदार		27,500
31	रहतिया		11,000	31	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		900
	विनियोग		30,000		विनियोग कोष		9,000
	देनदार		14,200		दिनेश की पूँजी (विनियोग)		25,000
	दिनेश की पूँजी(व्यय)		2,000		रमेश की पूँजी (रहतिया)		10,500
	नकद (लेनदारों को भुगतान)		27,500		रमेश की पूँजी (लेनदार)		11,800
					रोकड़ (संयंत्र व उपकरण)		45,000
					रोकड़ (अलिखित परिसंपत्ति)		3,000
					पूँजी :		
					वसूली से हानि		
					दिनेश 6,000		
					रमेश 3,600		
					सतीश 2,400		12,000
	योग		**1,44,700**		**योग**		**1,44,700**

रोकड़ खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च	शेष आ./ला		11,200	मार्च	वसूली खाता (लेनदार)		27,500
31	उपकरण		45,000	31	दिनेश की पूँजी (व्यय)		2,000
	वसूली खाता (गैर-अभिलेखित)				दिनेश की पूँजी		44,000
					रमेश की पूँजी		4,100
	परिसंपत्ति		3,000				
	सतीश की पूँजी		18,400				
	योग		**77,600**		**योग**		**77,600**

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम जमा

दिनांक 2002	विवरण	पृ. सं.	दिनेश राशि (रु.)	रमेश राशि (रु.)	सतीश राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	दिनेश राशि (रु.)	रमेश राशि (रु.)	सतीश राशि (रु.)
मार्च	शेष आ/ला.				16,000	मार्च	शेष आ/ला		75,000	30,000	
31	वसूली खाता(हानि)		6,000	3,600	2,400	31	रोकड़		2,000		18,400
	वसूली (विनियोग)		25,000								
	वसूली(रहतिया)			10,500							
	वसूली (लेनदार)			11,800							
	रोकड़		46,000	4,100							
	योग		**77,000**	**30,000**	**18,400**		**योग**		**77,000**	**30,000**	**18,400**

उदाहरण 6

राज, महाराज और सरताज हार्डवेयर स्टोर चलाते हैं और बराबर-बराबर लाभ बाँटते हैं। उनकी वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी :

मार्च 31, 2003 तुलन-पत्र

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
देय खाते		20,000	भूमि व भवन	50,000
बैंक ऋण		7,000	कार्यालय उपकरण	5,000
महाराज का ऋण		20,000	रहतिया	40,000
संयुक्त जीवन बीमा संचय		18,000	प्राप्य खाते	30,000
पूँजी :			संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी	18,000
राज	27,000		बैंक	6,000
महाराज	34,000			
सरताज	23,000	84,000		
योग		**1,49,000**	**योग**	**1,49,000**

साझेदार इस दिन फर्म का विघटन करने का निर्णय करते हैं। विघटन के बारे में आपको निम्न जानकारी दी जाती है :

1. संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, बीमा कंपनी को समर्पित कर दी। बीमा कंपनी ने 6,500 रु. कटौती करने के पश्चात् कुल 11,500 रु. दिए। यह कटौती की रकम महाराज द्वारा पॉलिसी के ऊपर ऋण और उस पर ब्याज के बदले में थी।
2. एक लेनदार ने कार्यालय उपकरण 700 रु. पर लिए शेष राशि उसे बैंक द्वारा दी गई।
3. बैंक ने रहतिया को 5,000 रु. में स्वीकार किया और शेष राशि का भुगतान उसे नकद किया गया।
4. फर्म ने 2001 में एक ठेका कंपनी से 5,000 रु. मूल्य के परिवर्तनीय ऋण-पत्र खरीदे। कुछ समय बाद विनियोग गलत समझा गया और बही खाते से अपलिखित कर दिया गया। इस ऋण-पत्र का बाजार मूल्य 8,000 रु. पाया गया और लेनदारों ने इसी मूल्य पर इन्हें स्वीकार किया।
5. परिसंपत्तियों की वसूली इस प्रकार की गई :
   भूमि व भवन 2,00,000 रु.
   रहतिया 30,000 रु.
   प्राप्य खाते 20,000 रु.
6. सभी देयताओं का भुगतान कर दिया गया। लेनदारों ने 200 रु. का बट्टा दिया।
7. वसूली व्यय 1,800 रु. का था।

आपको वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदारों के पूँजी खाते तैयार करने हैं।

हल

वसूली खाता

नाम | | | | | | | जमा

दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च 31	भूमि व भवन		50,000	मार्च 31	देय खाते		20,000
	कार्यालय उपकरण		5,000		बैंक ऋण		7,000
	रहतिया		40,000		संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय		18,000
	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी		18,000		बैंक :		
	प्राप्य खाते		30,000		संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 11,500		
	बैंक (देय खाते) 20,000				भूमि व भवन 2,00,000		
	घटाइए :				रहतिया 30,000		
	कार्यालय उपकरण 7,000				प्राप्य खाते 20,000		2,61,500
	ऋण-पत्र 8,000				महाराज की पूँजी (संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी)		6,500
	बट्टा 200						
	15,200		4,800				
	बैंक (बैंक अधिविकर्ष) 7,000						
	घटाइए : रहतिया 5,000		2,000				
	बैंक (वसूली व्यय)		1,800				
	पूँजी-वसूली पर लाभ						
	राज 53,800						
	महाराज 53,800						
	सरताज 53,800		1,61,400				
	योग		**3,13,000**		**योग**		**3,13,000**

बैंक खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ. सं.	राशि (रु.)
मार्च	शेष आ/ला.		6,000	मार्च	वसूली खाता (देय खाते)		4,800
31	वसूली खाता			31	वसूली खाता (बैंक अधिविकर्ष)		2,000
	संयुक्त जीवन बीमा				वसूली खाता (व्यय)		1,800
	पॉलिसी 11,500				महाराज का ऋण		20,000
	भूमि व भवन 2,00,000				पूँजी :		
	रहतिया 30,000				राज 80,800		
	प्राप्य विपत्र 20,000				महाराज 81,300		
			2,61,500		सरताज 76,800		2,38,900
	योग		**2,67,500**		**योग**		**2,67,500**

राज का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च	बैंक		80,800	मार्च	शेष आ/ला		27,000
31				31	वसूली खाता (लाभ)		53,800
	योग		**80,800**		**योग**		**80,800**

महाराज का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च	वसूली खाता (संयुक्त			मार्च			
31	जीवन बीमा पॉलिसी)		6,500	31	शेष आ/ला		34,000
	बैंक		81,300		वसूली खाता		53,800
	योग		**87,800**		**योग**		**87,800**

सरताज का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2003	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च 31	बैंक		76,800	मार्च 31	वसूली खाता लाभ शेष आ/ला		53,800 23,300
	योग		**76,800**		**योग**		**76,800**

उदाहरण 7

गोपाल और कृष्णा बराबर के साझेदार थे। 31 दिसंबर, 2000 को उन्होंने अपना व्यवसाय बंद करने का फैसला किया। इस दिन उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था।

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
विविध लेनदार		10,000	भूमि व भवन	20,000
देय बिल		20,000	फर्नीचर व फिक्सचर	14,000
पूँजी :			ट्रक	10,000
गोपाल	15,000		रहतिया	5,000
कृष्ण	15,000	30,000	देनदार	6,000
			रोकड़	5,000
योग		**60,000**	**योग**	**60,000**

गोपाल लेनदार और कृष्णा देय बिल के दायित्व की पूर्ति का निर्णय लिया। परिसंपत्ति की वसूली : देनदार — 4,000 रु., ट्रक — 15,000 रु., भूमि व भवन — 35,000 रु., फर्नीचर 10,000 रु. और रहतिया — 4,000 रु.। वसूली पर 500 रु. खर्च हुए।

उपर्युक्त लेनदेन अंकित करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए और वसूली खाता, रोकड़ खाता व साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

हल

गोपाल और कृष्णा की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2000	विवरण		ब.पृ.सं	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
दिस.31	वसूली खाता	नाम		55,000	
	देनदार खाता				6,000
	फर्नीचर व फिक्सचर				14,000
	रहतिया खाता				5,000
	ट्रक खाता				10,000
	भूमि व भवन खाता				20,000
	(परिसंपत्ति खाते बंद किए)				
	विविध लेनदार खाता	नाम		10,000	
	देय विपत्र खाता			20,000	
	वसूली खाता				30,000
	(दायित्व का हस्तांतरण)				
	रोकड़ खाता	नाम		68,000	
	वसूली खाता				68,000
	(परिसंपत्ति से नकद वसूली)				
	वसूली खाता	नाम		500	
	रोकड़ खाता				500
	(वसूली खाता व्यय)				
	वसूली खाता	नाम		30,000	
	गोपाल का पूँजी खाता				10,000
	कृष्णा का पूँजी खाता				20,000
	(साझेदारों ने दायित्व उठाया गोपाल– भिन्न लेनदारों और कृष्णा– देय बिल।)				
	वसूली खाता	नाम		12,500	
	गोपाल का पूँजी खाता				6,250
	कृष्णा का पूँजी खाता				6,250
	(लाभ को साझेदारों के नाम क्रेडिट किया)				
	गोपाल का पूँजी खाता	नाम		31,250	
	कृष्णा का पूँजी खाता	नाम		41,250	
	रोकड़ खाता				72,500
	(अंतिम भुगतान)				

वसूली खाता

नाम | जमा

दिनांक 2000	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2000	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
दिस.31	विविध देनदार		6,000	दिस.31	विविध लेनदार		10,000
	फर्नीचर व फिक्सचर		14,000		देय विपत्र		20,000
	रहतिया		5,000		रोकड़		
	ट्रक		10,000		(परिसंपत्तियों की वसूली)		68,000
	भूमि व भवन		20,000				
	गोपाल (देय योग्य बिल)		20,000				
	कृष्णा (लेनदार)		10,000				
	वसूली पर व्यय		500				
	पूँजी–वसूली पर लाभ :						
	गोपाल - 6,250						
	कृष्णा - 6,250		12,500				
	योग		**98,000**		**योग**		**98,000**

रोकड़ खाता

नाम | जमा

दिनांक 2000	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2000	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
दिस.31	शेष आ/ला		5,000	दिस.31	वसूली खाता (व्यय)		500
	वसूली खाता (परिसंपत्ति)		68,000		पूँजी:		
					गोपाल- 31,250		
					कृष्णा- 41,250		72,500
	योग		**73,000**		**योग**		**73,000**

गोपाल का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2000	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2000	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
दिस.31	शेष आ/ले		31,250	दिस.31	शेष आ/ला		15,000
					वसूली खाता (लेनदार)		10,000
					वसूली खाता (लाभ)		6,250
	योग		**31,250**		**योग**		**31,250**

कृष्णा का पूँजी खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2000	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2000	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
दिस.31	शेष आ/ला		41,250	दिस.31	शेष आ/ला		15,000
					वसूली खाता (देय विपत्र)		20,000
					वसूली खाता (लाभ)		6,250
	योग		**41,250**		**योग**		**41,250**

उदाहरण 8

लता, गीता और नीता साझेदार थीं और लाभ–हानि 5:3:1 के अनुपात में बाँटती थीं। उन्होंने मार्च 31, 1990 को साझेदारी विघटित करने का फैसला किया। उनका तुलन–पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ		राशि (रु.)
विविध लेनदार		16,600	संयंत्र		40,000
देय विपत्र		3,400	रहतिया		10,000
बंधक ऋण		15,000	देनदार –	25,000	
सामान्य संचय		45,000	घटा: व्यवस्था –	5,000	20,000
पूँजी खाते :			बैंक		19,500
लता –	22,000				
गीता –	18,000				
नीता –	10,000	50,000			
योग		**89,500**	**योग**		**89,500**

एक अपलिखित टाइपराइटर की वसूली से 500 रु. प्राप्त हुए। उनकी 20,000 रु. संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी थी, जो 5,000 रु. पर समर्पित की गई। ख्याति को 5,000 रु. में बेचा गया। अन्य परिसंपत्तियों की वसूली से निम्न प्राप्तियाँ हुईं : रहतिया 6,700 रु. देनदारों से 50%, संयंत्र व यंत्र-पुस्तक मूल्य से 10 % कम। लेनदारों को 16,000 रु. का भुगतान किया गया परंतु मरम्मत का 400 रु. का बकाया बिल भी चुकाना था। वसूली व्यय 620 रु. का हुआ। उपर्युक्त लेनदेन दर्ज करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए और आवश्यक बही खाते तैयार कीजिए।

हल

लता, गीता व नीता की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2001	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
मार्च 31	वसूली खाता	नाम		70,000	
	रहतिया खाता				10,000
	विविध देनदार खाता				20,000
	संयंत्र व यंत्र खाता				40,000
	(सब परिसंपत्तियों का हस्तांतरण)				
	विविध लेनदार खाता	नाम		16,600	
	देय-विपत्र खाता	नाम		3,400	
	बंधक ऋण खाता	नाम		15,000	
	वसूली खाता				35,000
	(सभी बाह्य दायित्वों का हस्तांतरण)				
	वसूली खाता	नाम		16,000	
	बैंक खाता				16,000
	(लेनदारों को भुगतान)				
	वसूली खाता	नाम		400	
	बैंक खाता	नाम			400
	(मरम्मत का अदत्त बिल चुकाया)				
	बैंक खाता	नाम		5,500	
	वसूली खाता				5,500
	(अलिखित संपत्ति टाइपराइटर और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य 500 रु. व 5,000 रु.)				

	बैंक खाता नाम वसूली खाता (परिसंपत्तियों की वसूली)	नाम		52,700	52,700
	वसूली खाता बैंक खाता (देय बिल व बंधक ऋण का भुगतान)	नाम		15,400	15,400
	वसूली खाता बैंक खाता (वसूली व्यय का भुगतान)	नाम		620	620
	लता का पूँजी खाता गीता का पूँजी खाता नीता की पूँजी वसूली खाता (हानि का हस्तांतरण)	नाम नाम नाम		5,400 3,240 1,080	9,720
	सामान्य संचय लता का पूँजी खाता गीता का पूँजी खाता नीता की पूँजी (सामान्य संचय का वितरण)	नाम		4,500	2,500 1,500 500
	लता का पूँजी खाता गीता का पूँजी खाता नीता की पूँजी बैंक खाता (विघटन होने पर साझेदारों को अंतिम भुगतान)	नाम		19,100 16,260 9,420	44,780

देय-विपत्र खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2001	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि (रु.)*	*दिनांक 2001*	*विवरण*	*पृ.सं.*	*राशि (रु.)*
मार्च 31	वसूली खाता		3,400	मार्च 31	शेष आ/ला		3,400

बंधक ऋण खाता

नाम जमा

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं. (रु.)	राशि
मार्च 31	वसूली खाता		15,000	मार्च 31	शेष आ/ला		15,000

सामान्य संचय खाता

नाम जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च 31	पूँजी : लता - 2,500 गीता - 1,500 नीता - 500		4,500	मार्च 31	शेष आ/ला		4,500
	योग		**4,500**		**योग**		**4,500**

रहतिया खाता

नाम जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च 31	शेष आ/ला		10,000	मार्च 31	वसूली खाता		10,000

देनदार

नाम जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च 31	शेष आ/ला		25,000	मार्च 31	वसूली खाता		25,000

संदिग्ध ऋण प्रावधान खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	वसूली खाता		5,000		शेष आ/ला		5,000

संयंत्र व यंत्र खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	शेष आ/ला		40,000		वसूली खाता		40,000

वसूली खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ. सं.	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ. सं.	राशि (रु.)
	रहतिया		10,000		डूबते व संदिग्ध ऋण प्रावधान		5,000
	देनदार		25,000		विविध लेनदार		16,600
	संयंत्र व यंत्र		40,000		देय बिल		3,400
	बैंक :				बंधक ऋण		15,000
	विविध लेनदार 16,000				बैंक (परिसंपत्तियों की वसूली):		
	देय बिल- 3,400				रहतिया 6,700		
	बंधक ऋण <u>15,000</u>		34,400		देनदार 12,500		
	बैंक - (बकाया मरम्मत व्यय)		400		संयंत्र व मशीनरी <u>36,000</u>		55,200
	व्यय		620		बैंक- गैर-अभिलेखित परिसंपत्ति की वसूली :		
					टाइपराइटर 500		
					संयुक्त जीवन		
					बीमा पॉलिसी <u>5,000</u>		5,500
					पूँजी वसूली पर हानि		
					लता 5,400		
					गीता 3,240		
					नीता <u>1,080</u>		9,720
	योग		**1,10,420**		**योग**		**1,10,420**

बैंक

नाम | जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
	शेष आ./ला.		19,500		वसूली खाता (दायित्व)		34,400
	वसूली खाता (परिसंपत्ति)		55,200		वसूली खाता (गैर-अभिलेखित दायित्व)		400
	वसूली खाता (परिसंपत्ति अलिखित)		5,500		वसूली व्यय		620
					पूँजी : लता 19,100; गीता 16,260; नीता 9,420		44,780
	योग		**80,200**		**योग**		**80,200**

साझेदारों का पूँजी खाता

नाम | जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	लता राशि रु.	गीता राशि रु.	नीता राशि रु.	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	लता राशि रु.	गीता राशि रु.	नीता राशि रु.
मार्च 31	वसूली खाता (हानि)		5,400	3,240	1,080	मार्च 31	शेष आ/ला.		22,000	18,000	10,000
	बैंक		19,100	16,260	9,420		सामान्य संचय		2,500	1,500	500
	योग		**24,500**	**19,500**	**10,500**		**योग**		**24,500**	**19,500**	**10,500**

लेनदार खाता

नाम | जमा

दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2001	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
मार्च 31	शेष आ./ला.		40,000	मार्च 31	वसूली खाता		40,000

उदाहरण 9

30 जून, 2002 को रमन तथा रमेश का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
विविध लेनदार	20,000	ख्याति	10,000
देय विपत्र	20,000	भवन	25,000
बैंक अधिविकर्ष	10,000	संयंत्र व साज सामान	25,000
श्रीमती रमन का ऋण	20,000	विनियोग प्रपत्र	15,300
रमेश का ऋण	10,000	रहतिया	8,700
विनियोग घट-बढ़ कोष	2,800	देनदार : 17,000	
कर्मचारी भविष्य निधि	1,200	घटाइए : 2,000	15,000
सामान्य संचय	2,000	प्राप्य बिल	10,000
रमन की पूँजी	20,000	बैंक	13,000
रमेश की पूँजी	20,000	लाभ व हानि खाता	4,000
योग	**1,26,000**	**योग**	**1,26,000**

जून 30, 2002 को फर्म का विघटन हुआ और फर्म की स्थिति इस प्रकार थी :

1. रमन ने अपनी पत्नी का ऋण चुका देने का फैसला किया।
2. लेनदारों से 12,000 रु. प्राप्त हुए।
3. रमेश ने सब विनियोग, 12,000 रु. पर ले लिया।
4. अन्य परिसंपत्तियों से वसूली इस प्रकार हुई।
   संयंत्र व अन्य साज सामान - 12,000 रु.
   भवन 50,000 रु.
   ख्याति 6,000 रु.
5. विभिन्न लेनदारों और देय बिलों का निबटारा 5% बट्टे पर हुआ।
6. रमन ने 8,000 रु. के मूल्य का रहतिया लेना स्वीकार किया और रमेश ने प्राप्य विपत्रों को 20% बट्टे पर ले लिया।
7. वसूली व्यय 2,000 रु. का हुआ। रोजनामचा प्रविष्टियाँ दर्ज कीजिए तथा बही खाते तैयार कीजिए।

हल

रमन और रमेश की पुस्तक में
रोजनामचा

दिनांक 2002	विवरण		ब.पृ.सं	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
जून 30	वसूली खाता	नाम		1,11,000	
	विनियोग प्रपत्र				15,300
	रहतिया				8,700
	प्राप्य विपत्र				10,000
	देनदार				17,000
	संयंत्र व अन्य साज सामान				25,000
	भवन				25,000
	ख्याति				10,000
	(विभिन्न परिसंपत्ति खाते बंद किए।)				
	डूबत व संदिग्ध ऋण	नाम		2,000	
	विविध लेनदार	नाम		20,000	
	देय विपत्र	नाम		20,000	
	बैंक अधिविकर्ष	नाम		10,000	
	श्रीमती रमन का ऋण	नाम		20,000	
	कर्मचारी भविष्य निधि	नाम		1,200	
	विनियोग घट-बढ़ कोष	नाम		2,800	
	वसूली खाता				76,000
	(विभिन्न बाह्य देयताएँ और व्यवस्था खाते हस्तांतरित)				
	वसूली खाता	नाम		38,000	
	बैंक खाता				38,000
	(लेनदारों और देय बिलों का भुगतान)				
	वसूली खाता	नाम		11,200	
	बैंक खाता				11,200
	(बैंक अधिविकर्ष और कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान)				
	वसूली खाता	नाम		2,000	
	बैंक खाता				2,000
	(वसूली व्यय का भुगतान)				

	वसूली खाता नाम		20,000	
	रमन का पूँजी खाता			20,000
	(रमन द्वारा श्रीमती रमन को ऋण चुकाना)			
	बैंक खाता नाम		88,000	
	वसूली खाता			88,000
	(परिसंपत्ति का नकदीकरण)			
	रमेश का पूँजी खाता नाम		20,000	
	रमन का पूँजी खाता		8,000	
	वसूली खाता			28,000
	(प्राप्य बिलों की जिम्मेदारी रमेश ने ली और विनियोग व रहतिया की रमन ने)			
	वसूली खाता नाम		9,800	
	रमेश का पूँजी खाता			4,900
	रमन का पूँजी खाता			4,900
	वसूली खाता (वसूली पर लाभ)			
	रमेश का ऋण खाता नाम		10,000	
	रमेश का पूँजी खाता			10,000
	(रमेश के ऋण का उसकी पूँजी में हस्तांतरण)			
	सामान्य संचय खाता नाम		2,000	
	रमेश का पूँजी खाता			1,000
	रमन का पूँजी खता			1,000
	(रमेश के ऋण का उसकी पूँजी में हस्तांतरण			
	रमन का पूँजी खाता नाम		2,000	
	रमेश की पूँजी खाता नाम		2,000	
	लाभ-हानि खाता			4,000
	(हानि का पूँजी खातों में हस्तांतरण)			
	रमन का पूँजी खाता नाम		35,900	
	रमेश का पूँजी खाता नाम		13,900	
	बैंक खाता			49,800
	(साझेदारों को अंतिम भुगतान)			

वसूली खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण	पृ.सं.	राशि (रु.)
जुन 30	विनियोग प्रपत्र		15,300	जुन 30	डूबत व संदिग्ध ऋण		2,000
	रहतिया		8,700		विविध लेनदार		20,000
	प्राप्य-विपत्र		10,000				
	देनदार		17,000		देय-विपत्र		20,000
	संयंत्र और अन्य वस्तुएँ		25,000		बैंक अधिविकर्ष		10,000
	भवन		25,000		श्रीमती रमन का ऋण		20,000
	ख्याति		10,000		कर्मचारी भविष्य निधि		1,200
	बैंक लेनदार 19,000				विनियोग घट-बढ कोष		2,800
	देय बिल <u>19,000</u>		38,000		बैंक लेनदार 12,000		
	बैंक (बैंक अधिविकर्ष)		10,000		संयंत्र और अन्य वस्तुएँ 20,000		
	कर्मचारी भविष्यि निधि		1,200		भवन 50,000		
	बैंक - वसूली व्यय		2,000		ख्याति <u>6,000</u>		88,000
	रमन की पूँजी (श्रीमती रमन का ऋण)		20,000		रमेश की पूँजी प्राप्य-विपत्र		8,000
	वसूली पर लाभ				रमन की पूँजी (आढतिया)		8,000
	रमन की पूँजी - 4,900				रमेश की पूँजी(विनियोग)		12,000
	रमेश की पूँजी - <u>4,900</u>		9,800				
	योग		**1,92,000**		**योग**		**1,92,000**

बैंक खाता

नाम जमा

दिनांक 2002	विवरण		पृ.सं.	राशि (रु.)	दिनांक 2002	विवरण		पृ.सं.	राशि (रु.)
जुन 30	शेष आ/ला			13,000	जुन 30	वसूली खाता :			
	वसूली खाता :					विविध			
	देनदार	12,000				लेनदार	19,000		
	संयंत्र व अन्य					देय बिल	19,000		38,000
	वस्तुएँ	20,000				वसूली खाता (व्यय)			2,000
	भवन	50,000				वसूली खाता (कर्मचारी)			
	ख्याति	6,000		88,000		भविष्य निधि			1,200
						वसूली खाता :			
						(बैंक अधिविकर्ष)			10,000
						रमन की पूँजी			35,900
						रमेश की पूँजी			13,900
	योग			**1,01,000**		**योग**			**1,01,000**

पूँजी खाता

नाम जमा

दिनांक	विवरण	पृ.सं.	रमन (रु.)	रमेश (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं.	रमन (रु.)	रमेश (रु.)
2002					2002				
30 जून	वसूली खाता				30 जून	शेष आ/ला		20,000	20,000
	विनियोग प्रपत्र			12,000		ऋण			10,000
	प्राप्य बिल			8,000		श्रीमती रमन का			
						ऋण		20,000	
	रहतिया		8,000			सामान्य संचय		1,000	1,000
	लाभ व हानि		2,000	2,000					
	बैंक (निपटारा)		35,900	13,900		वसूली खाता (लाभ)		4,900	4,900
	योग		**45,900**	**35,900**		**योग**		**45,900**	**35,900**

अध्याय में प्रयुक्त शब्द

- साझेदारी फर्म का विघटन;
- साझेदारी का विघटन;
- वसूली खाता;
- अनिवार्य विघटन;
- नोटिस द्वारा विघटन।

अधिगम उद्देश्य के संदर्भ में सारांश

1. *साझेदारी फर्म का विघटन :* फर्म के विघटन से आशय साझेदारी व्यापार का समापन माना जाता है तथा इस प्रक्रिया के द्वारा साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंधों का विलयन होता है। फर्म के विघटन की दशा में फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है तथा समस्त परिसंपत्तियों की वसूली की जाती है और देयताओं का पूर्णतः भुगतान कर दिया जाता है। लेनदारों को सर्वप्रथम भुगतान लाभ व परिसंपत्तियों की वसूली राशि से किया जाता है, तत्पश्चात यदि किसी प्रकार का भुगतान बाकी रहता है तो वह साझेदारों की निवेशित पूँजी, जो लाभ-विभाजन अनुपात में निवेश की गई है, में से किया जाता है। साझेदारों के अंतिम भुगतान के बाद, फर्म की पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं।
2. *साझेदारी का विघटन :* साझेदारी, साझेदार के प्रवेश, निवृत्ति तथा मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है, किंतु व्यवसाय चालू रहता है।
3. *वसूली खाता :* विक्रय, परिसंपत्तियों की वसूली और लेनदारों को भुगतान से संबंधित लेनदनों के लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न लाभ अथवा हानि को साझेदारों के बीच उनके लाभ/हानि विभाजन अनुपात में बाँट दिया जाता है। यदि किसी साझेदार पर किसी भी प्रकार की राशि देय होती है, तो अंतिम भुगतान करते समय उसका समायोजन कर दिया जाता है। इसी के साथ रोकड़/बैंक खाता बंद कर दिया जाता है।

प्रश्न और अभ्यास

1. ***वस्तुनिष्ठ प्रश्न***

अ. फर्म के विघटित होने पर हस्थ रोकड़ को हस्तांतरित करते हैं :

अ. वसूली खाता में

ब. साझेदारों के पूँजी खाते में उनके लाभ-विभाजन अनुपात में

स. रोकड़ खाते में

द. लेनदारों के खाते में

ब. साझेदारी के विघटन होने पर वसूली खाते के नाम पक्ष की ओर लिखे जाते हैं :

अ. फर्म के सभी दायित्व

ब. परिसंपत्तियों की बिक्री से रोकड़ वसूली

स. किसी एक साझेदार द्वारा ली गई कोई परिसंपत्ति

द. सभी परिसंपत्तियाँ, जिनकी वसूली होने वाली है

स. फर्म के विघटन के समय, लेनदार का भुगतान :

अ. लाभ से परिसंपत्तियों की वसूली से तथा साझेदारों द्वारा अंशदान से

ब. साझेदारों द्वारा अंशदान से, परिसंपत्तियों की वसूली से, लाभ से

स. परिसंपत्तियों की वसूली से, लाभ से, साझेदारों द्वारा अंशदान से

द. उपरोक्त में से कोई नहीं

(2) लघु उत्तरीय प्रश्न

(i) वसूली खाता किसे कहते हैं।

(ii) लेनदारों को भुगतान के चरणों को सूचीबद्ध करें।

(iii) साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

अभ्यास

3. गुरमीत, हरिंदर और जगत फर्म में साझेदार हैं और अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। उनका खिलाड़ियों के वस्त्रों का व्यापार है। फैशन के नए दौर तथा परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं के कारण, उन्होंने मार्च को फर्म के विघटन का फैसला किया। विघटन के समय उनका तुलन-पत्र इस प्रकार था ।

31 मार्च, 1998 को फर्म का तुलन-पत्र

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ		राशि (रु.)
देय विपत्र		50,800	भूमि एवं भवन		80,000
विविध लेनदार		29,200	रोकड़		30,000
हरिंदर का ऋण		40,000	प्रपत्र (अल्प कालीन)		20,000
चालू खाते :			विविध लेनदार	50,000	
गुरमीत	2,400		घटाया : संदिग्ध ऋण	11,760	38,240
हरिंदर	1,460				
जगत	1,740	5,600	रहतिया		53,000
पूँजी :			उपकरण		4,360
गुरमीत	50,000				
हरिंदर	30,000				
जगत	20,000				
		1,00,000			
योग		**2,25,600**	**योग**		**2,25,600**

उन्होंने वसूली इस प्रकार की :

भूमि व भवन – 70,000 रु., बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ –18,000 रु., विभिन्न देनदार – 47,000 रु. रहतिया – 30,000 रु., उपकरण 22,240 रु.। आवश्यक बही खाते दर्शाते हुए फर्म की पुस्तकें बंद कीजिए।

4. देशमुख और देसाई ने 1 अप्रैल, को साझेदारी आरंभ की। वे टिन बंद डिब्बों में खाद्यान्न वस्तुएँ विक्रय करते थे। उन्होंने क्रमशः 30,000 रु. और 20,000 रु. की पूँजी का निवेश किया, लाभ विभाजन पूँजी के अनुसार होना है। उन्होंने तीन वर्ष तक व्यवसाय चलाया, जिसके व्यावसायिक परिणाम इस प्रकार थे :

31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले प्रथम वर्ष – 30,000 रु. का लाभ

31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले द्वितीय वर्ष – 22,200 रु. का लाभ

31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले तृतीय वर्ष – 5,380 रु. की हानि

जब व्यवसाय में मंदी आई और हानि होने लगी, तब उन्होंने फर्म के विघटन का 31 मार्च, 1993 को निर्णय किया। हर साझेदार प्रतिवर्ष 4,000 रु. का आहरण कर रहा था। विघटन के दिन लेनदेन के 16,400 रु. थे। फर्म की परिसंपत्तियाँ 75,000 रु. पर बेच दी गईं और वसूली व्यय 550 रु. है। फर्म की पुस्तकें बंद कीजिए।

5. नरेश और मनीष बराबर के साझेदार थे। जो जनरल स्टोर चलाते थे। इसमें कुछ सजावट वस्तुएँ भी थी। 31 मार्च, 2000 को वे फर्म का विघटन करने का फैसला करते हैं। दिन इनकी वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी :

31 मार्च, 2000 को फर्म का तुलन-पत्र

देयताएँ	*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
देय खाते	1,800	बैंक	2,000
पूँजी :		प्राप्य खाते	3,800
नरेश - 12,000		रहतिया	10,000
मनीष - 8,000		फर्नीचर	2,000
	20,000	पट्टा	4,000
योग	**21,800**	**योग**	**21,800**

विभिन्न परिसंपत्तियों की वसूली इस प्रकार हुई : पट्टा - 6,000 रु., फर्नीचर-2,200 रु. स्कंध-9,200 रु. देनदार-3,600 रु.। लेनदार अंतिम निबटारे के तौर पर 1,720 रु. लेना स्वीकार करते हैं। वसूली पर 128 रु. खर्च हुए। फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए तथा आवश्यक बही खाते तैयार कीजिए।

6. निम्न सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े :

मार्च 31, 2001 को फर्म का तुलन-पत्र

देयताएँ	*राशि (रु.)*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि (रु.)*
देय खाते	25,200	भूमि व भवन	11,750
		बैंक	3,250
संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी	5,000	रहतिया	8,000
संचय	6,000		
सामान्य संचय		प्राप्य विपत्र	10,500
पूँजी: 'क' 15,000		विनियोग	31,300
'ख' 10,000		कार्यालय उपकरण	1,850
'ग' 5,000	30,000		
योग	**66,200**	**योग**	**66,200**

'क', 'ख' और 'ग' लाभ-हानि अपनी पूँजी के अनुपात में लाभ बाँट रहे थे। वे इस तिथि को फर्म को विघटित करने का फैसला करते हैं। 'क' और 'ख' विनियोग व रहतिया क्रमश: 9,000 रु. और 8,750 रु. पर ले लेते हैं। कार्यालय उपकरण 'ग' द्वारा, पुस्तक मूल्य पर ले लिए जाते हैं। प्राप्य

खाते और भूमि व भवनों से वसूली क्रमशः 28,500 रु. और 12,500 रु. की हुई। फर्म ने वसूली पर 225 रु. व्यय किए। बैंकर द्वारा प्राप्य बिल को अस्वीकार कर दिया गया और फर्म को बैंकर 250 रु. देने पड़े।

रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए और फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए बही खाते तैयार कीजिए।

7. अरुण और तरुण, जो 3:2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँट रहे थे, का 31 दिसंबर, 2001 को स्थिति-विवरण इस प्रकार था :

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ		राशि (रु.)
लेनदार		40,000	रोकड़		14,000
श्रीमती अरुण का ऋण		10,000	रहतिया		8,000
तरुण का ऋण		15,000	देनदार	18,000	
सामान्य संचय		5,000	घटाइए : व्यवस्था	1,000	17,000
पूँजी : अरुण	10,000		फर्नीचर		4,000
तरुण	8,000		संयंत्र		30,000
		18,000	विनियोग		10,000
			लाभ व हानि		5,000
योग		**88,000**	**योग**		**88,000**

फर्म 31 दिसंबर, 1993 को विघटित कर दी जाती है और निम्नलिखित परिणाम निकलता है:

1. अरुण 8,000 रु. पर विनियोग खरीद लेता है और अपनी पत्नी का ऋण चुकाना स्वीकार करता है।
2. संपत्तियों से वसूली इस प्रकार थी : स्कंध - 2,000 रु., देनदार - 20,500 रु., फर्नीचर - 1,000 रु. अधिक, संयंत्र - 2,000 रु. कम
3. वसूली व्यय 1,200 रु. का हुआ।
4. लेनदारों को 3% कटौती करके भुगतान किया गया।

फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए बही खाते दर्शाइए।

8. अमर, अकबर और एंथनी साझेदार हैं जो क्रमशः $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{6}$ के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते हैं। मार्च को फर्म का तुलन-पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ		राशि (रु.)
विभिन्न लेनदार		19,000	बैंक		2,500
देय बिल		5,000	देनदार	16,000	
संचय कोष		12,000	घटाइए : व्यवस्था	500	15,500
पूँजी खाता :					
अमर	40,000		रहतिया		25,000
अकबर	30,000		वाहन		8,000
एंथनी	25,000	95,000	संयंत्र मशीनरी		35,000
			कारखाना भवन		45,000
योग		**1,31,000**	**योग**		**1,31,000**

परिसंपत्तियों से 1,20,000 रु. की वसूली की गई। लेनदारों को पूर्णतः भुगतान दे दिया गया। वसूली व्यय 5,000 रु. हुए। फर्म की पुस्तकों को बंद करें।

9. राम, श्याम और अबरार साझेदार है और 2:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बाँटते थे। प्रथम जनवरी 2002 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार था :

दायित्व		राशि रु.	परिसंपत्तियाँ		राशि रु.
विभिन्न लेनदार		12,000	बैंक		12,000
सामान्य संचय		5,000	देनदार	8,000	
पूँजी खाते			व्यवस्था	200	7,800
राम	15,000		रहतिया		6,000
श्याम	12,000		फर्नीचर		2,000
अबरार	6,000	33,000	भवन		22,000
योग		**50,000**	**योग**		**50,000**

उक्त तिथि को फर्म का विघटन होता है। परिसंपत्तियों की वसूली इस प्रकार की गई

देनदार	- 7,000 रु.
स्कन्ध	- 5,000 रु.
फर्नीचर	- 1,000 रु.
भवन	- 25,000 रु.

लेददारों को 11,000 रु. देकर निबटारा हुआ। परंतु मालूम हुआ कि किसी हानि के लिए 3,000रु.

का दायित्व है जो अभी देना है। वसूली व्यय 12,000 रु. का हुआ। वसूली खाता, साझेदारों के पूँजी खाते और बैंक खाता तैयार कीजिए।

10. क, ख और ग ने प्रथम जनवरी 2000 को क्रमशः 50,000 रु. 40,000 रु. और 30,000 रु. की पूँजी के साथ व्यवसाय आरंभ किया उन्हें लाभ हानि 4 : 3 : 3 के अनुपात में बाँटने थे। उन्होंने 1992 और 1993 के वर्ष में क्रमशः 20,000 रु. 25,000 का लाभ अर्जित किया। प्रत्येक साझेदार प्रति वर्ष 5,000 रु. का आहरण करता था। 31 दिसम्बर को फर्म का विघटन हुआ। उस दिन लेनदारों का 12,000 रु. और रोकड़ 2,000 रु. था। परिसंपत्तियों से वसूली 1,50,000 रु. हुई। लेनदारों का निबटारा 11,500 रु. भुगतान करके किया गया। वसूली व्यय 500 रु. था वसूली खाता और रोकड़ खाता तैयार कीजिए।

11. मोहन, सोहन और रोहन साझेदार थे और लाभ हानि बराबर-बराबर बाँटते थे। उन्होंने साझेदारी विघटित करने का निर्णय लिया। विघटन के दिन 31 दिसम्बर, 2003 को सम्पत्तियाँ और देयताएँ इस प्रकार थीं :

दायित्व		*राशि रु.*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि रु.*
विभिन्न लेनदार		18,000	रोकड़	2,000
पूँजी खाता			विभिन्न परिसंपत्तियाँ	52,000
मोहन	25,000		रोहन की पूँजी	1,500
सोहन	12,500	37,500		
योग		**55,500**	**योग**	**55,500**

साझेदारों में यह तय हुआ कि मोहन परिसंपत्तियाँ 48,000 रु. के मूल्य पर देयताएँ 17,000 रु. के मूल्य पर लेगा। साझेदारों को अपने मध्य खातों का समायोजन रोकड़ के आधार पर करना है। फर्म की पुस्तकें बंद कीजिए।

12. बोहा, सिंह और इबराहिम 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बाँटते हैं उनका 30 जून, 2002 को स्थिति विवरण इस प्रकार था :

दायित्व		*राशि रु.*	*सम्पत्तियाँ*	*राशि रु.*
लेनदार		50,400	रोकड़	3,700
संयुक्त जीवन बीमा		10,000	रहतिया	20,100
पालिसी			देनदार	62,600
संचय निधि		12,000	विनियोग	16,000
पूँजी :			फर्नीचर	6,500
बोहा	30,000			
सिंह	20,000			
इबराहिम	10,000	60,000		
योग		**1,32,400**	**योग**	**1,32,400**

उस दिन फर्म का विघटन होता है। विघटन के लिए विनियोग का मूल्य 18,000 रु. रहतिया का मूल्य 17,500 रु. निश्चित हुआ। बोहा ने विनियोग और सिंह ने रहतिया लेना स्वीकार किया। इब्राहिम ने फर्नीचर पुस्तक मूल्य पर ले लिया। देनदारों तथा भवन से क्रमश: 57,000 और 25,000 रु. की नकद वसूली हुई। वसूली व्यय 450 रु. हुआ। इसके अतिरिक्त, एक 500 रु. का बट्टागत प्राप्य बिल अस्वीकार कर दिया गया और फर्म को इसका भुगतान करना पड़ा। फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए आवश्यक बही खाते तैयार कीजिए।

उत्तर

3.	वसूली पर हानि	8,360 रु.
	गुरमीत को देय राशि	48,220 रु.
	हरिंदर को देय राशि	28,952 रु.
	जगत को देय राशि	20,068 रु.
4.	विघटन से पूर्व परिसंपत्तियाँ	8,920 रु.
	वसूली पर हानि	14,770 रु.
	देशमुख को देय राशि	37,230 रु.
	देशाई का देय राशि	80,820 रु.
5.	वसूली पर लाभ	1,152 रु.
	नरेश का देय राशि	12,576 रु.
	मनीष को देय राशि	8,576 रु.
6.	वसूली पर हानि	2,825 रु.
	'क' को देय राशि	10,088 रु.
	'ख' को देय राशि	3,975 रु.
	'ग' को देय राशि	4,512 रु.
7.	वसूली पर हानि	23,500 रु.
	अरूण द्वारा देय राशि	2,100 रु.
	तरूण द्वारा देय राशि	21,400 रु.
8.	वसूली पर हानि	13,500 रु.
	अमर को देय राशि	39,250 रु.
	अकबर को देय राशि	29,500 रु.
	एन्थोनी को देय राशि	24,750 रु.
9.	वसूली पर हानि	2,800 रु.
	राम को देय राशि	15,880 रु.

	श्याम को देय राशि	12,880 रु.
	अबरार को देय राशि	6,440 रु.
10.	तुलन पत्र का योग	1,47,000 रु.
	वसूली पर लाभ	5,000 रु.
	'क' को देय राशि	60,000 रु.
	'ख' को देय राशि	45,000 रु.
	'ग' को देय राशि	35,000 रु.
11.	वसूली पर हानि	3,000 रु.
	मोहन को देय राशि	7,000 रु.
	सोहन को देय राशि	11,000 रु.
	रोहन को देय राशि	2,500 रु.
12.	वसूली पर हानि	2,650 रु.

अध्याय 6

कंपनी खाते : अंशों का निर्गमन

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप :

- संयुक्त स्कंध कंपनी की अवधारणा व प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे;
- अंशों के निर्गमन से संबंधित शब्दावली को समझ सकेंगे;
- विभिन्न निर्गम मूल्यों पर अंशों के निर्गमन से संबंधित लेन देन, जिसमें अंशों का अधि-अभिदान भी सम्मिलित हैं, का अभिलेखन कर सकेंगें;
- विभिन्न स्थितियों में अंशों के जब्तीकरण तथा उनके पुनर्निर्गमन का अभिलेखन कर सकेंगे;
- कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना और कर्मचारी स्कंध क्रय योजना के अंतर्गत कर्मचारी को अंशों के निर्गमन से संबंधित लेन देनों का अभिलेखन कर सकेंगे;
- कंपनी द्वारा अपने अंशों के क्रय प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे; तथा
- अंश पूँजी को तुलन-पत्र में दर्शा सकेंगे।

मानवीय आवश्यकताओं की बढ़ती हुई और निरंतर बढ़ते रहने की प्रवृत्ति ने व्यावसायिक क्रियाओं को अभिवृद्धि प्रदान की है जिसके फलस्वरूप व्यवसाय के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामत: व्यावसायिक क्रियाओं में विस्तार आया है ताकि उपयोगकर्ताओं की बढ़ती हुई संख्या और निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सेवाएँ एवं उत्पाद प्रदान किए जा सकें। इसके लिए अधिक धन, उच्च्व तकनीक एवं अत्यधिक मानवीय सहयोग की आवश्यकता होती है। जिसकी व्यवस्था करना एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी व्यवसाय द्वारा संभव नहीं है। मनुष्य की वैचारिक शक्ति ने संगठित अवधारणा को बढ़ावा दिया है, जिसे "संयुक्त स्कंध कंपनी", कंपनी या निगम के रूप में जाना जाता है। कंपनी का संगठित प्रारूप मनुष्य की वैचारिक क्षमता की अत्यंत उम्दा उत्पत्ति है जिसने कि व्यापार को ध न अर्जन के क्षेत्र में विश्वव्यापी बनाने में सक्षम किया है। समय के साथ संयुक्त स्कंध कंपनी व्यावसायिक संगठनों के लिए इतना महत्त्वपूर्ण संस्थागत रूप बन गई कि वह समाज के धनार्जन कार्यों और व्यावसायिक क्रियाओं के क्षेत्र में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना सकी है। यह अध्याय कंपनी के अंश पूँजी के लेखांकन से संबंधित हैं।

विशेषत: ये कंपनी की अवधारणा, अंशों की अवधारणा एवं प्रकार, विभिन्न मूल्यों पर एवं विभिन्न विधियों द्वारा अंशों के निर्गमन तथा अन्य संबंधित लेखांकन मामलों से संबंधित हैं।

6.1 कंपनी की प्रकृति

आम बोलचाल की भाषा में 'कंपनी' शब्द से आशय किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के समूह सहचारिता अथवा सहभागिता से है। संगठन के रूप में, 'कंपनी' शब्द से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से है जो स्वैच्छिक रूप में कंपनी गठित करने के लिए सहमत हैं। हालांकि, विधान के संबंधित, कंपनी का अर्थ है, वह कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 के संबंधित निर्मित और पंजीकृत हुई है अथवा वह विद्यमान कंपनी जो इससे पूर्व किसी भी अधिनियम के संबंधित निर्मित और पंजीकृत हुई है (कंपनी अधिनियम 1956, से पूर्व अधिनियम या अधिनियमों, कंपनी अधिनियम 1882, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 अथवा केंद्रीय विधि अधिनियम 1968, तथा पुर्तगाली व्यापारिक संहिता से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में कंपनी नियमन हेतु लागू कानून)। उपर्युक्त वैधानिक परिभाषा के अनुसार, कंपनी के निर्माण हेतु विधान के अंतर्गत परस्पर सहमत व्यक्तियों के समूह का होना आवश्यक है। इस प्रकार स्थापना के पश्चात् यह एक पृथक् वैधानिक अस्तित्व और विशिष्ट नाम की संस्था के रूप में गठित होती है। सदस्यों के बदलने पर इसके अस्तित्व पर कोई प्रभावित नहीं पड़ता है। सामान्यत: कंपनी की पूँजी में हस्तांतरित अंश सम्मिलित होते हैं तथा सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

6.1.1 अर्थ

वाष्पशक्ति की खोज ने मनुष्य की कल्पना को उत्प्रेरित किया जिससे अधिक उत्पादन हेतु बड़ी मशीनों का निर्माण किया गया तभी से प्रबंध को स्वामित्व से अलग करने की आवश्यकता के फलस्वरूप संगठन की उत्पत्ति हुई, जिसे आज 'कंपनी' के नाम से जाना जाता है। चूँकि 'कंपनी' का गठन विधान के संबंधित किया जाता है इसलिए अब हम देखेंगे कि वैधानिक रूप में इस शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार वह कंपनी को इस अधिनियम अथवा इससे पूर्व अधिनियम या अधिनियमों किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत हुई है (1956 के कंपनी अधिनियम से पूर्व, कंपनी अधिनियम 1882, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 अथवा केंद्रीय विधि अधिनियम 1968 तथा पुर्तगाली व्यापारिक संहिता से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में कंपनी नियमन हेतु लागू कानून) यह परिभाषा कंपनी की अवधारणा और वास्तविक प्रकृति को भलीभांति नहीं दर्शाती है। सरल शब्दों में कंपनी को व्यक्तियों के एक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें कंपनी के अंश रखने के फलस्वरूप अंशधारी

कहते हैं, जो संचालक मंडल चुनने हेतु विधिवत अधिकृत हैं तथा कंपनी अपने क्रिया-कलापों के संदर्भ में पृथक् वैधानिक इकाई के रूप में कार्य कर सकता है।

न्यायाधीश मार्शल के अनुसार, *"कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है।*

इसी प्रकार लॉर्ड न्यायाधीश हैने के अनुसार कंपनी – *"विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक् अस्तित्व, स्थायी उत्तराधिकार और अपनी सर्व मुद्रा होती है।"*

कंपनी की विभिन्न परिभाषाओं में एक सामान्य तर्क यह है कि यह व्यक्तियों की संस्था है जो विधान द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए पृथक् अंग के रूप में निर्मित की जाती है। इसके साथ ही इन परिभाषाओं ने निर्गमित संगठनों की विशेषताएँ निर्धारित की हैं, जो इसे एक पृथक् एवं विशिष्ठ संगठन बनाते हैं जो व्यक्तियों को कंपनी की पूँजी में अपने धन एवं संपत्ति अंशों को अभिदत्त करने हेतु और व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन के लिए प्रतिनिधियों के चयन एवं नियुक्ति करने योग्य बनाती है।

6.1.2 विशेषताएँ

कंपनी की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. समामेलित संस्था

कंपनी विधान द्वारा निर्मित की जाती हैं। कंपनी अधिनियम के संबंधित कंपनी का समामेलन होना अनिवार्य होता है। पंजीकरण के अभाव में, कोई भी संस्था कंपनी के रूप में गठित नहीं की जा सकती है। चूँकि यह विधान द्वारा निर्मित होती है इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण कंपनी को अधिवास की स्थिति प्रदान करता है।

2. पृथक् वैधानिक अस्तित्व

प्रत्येक कंपनी का पृथक् वैधानिक अस्तित्व है जो सदस्यता में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। गणितीय रूप में, कंपनी के अस्तित्व और सदस्यों की पृथकता को (n+1) द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है जहाँ n सदस्यों की संख्या और 1 कंपनी के अस्तित्व को दर्शाता है। यही कारण है कि कंपनी अपने निगमित नाम व क्षमता के संबंधित अनुबंध कर सकती है, मुकदमा दायर कर सकती है और किसी तीसरे पक्ष द्वारा कंपनी पर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

3. स्थायी उत्तराधिकार

चूँकि कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है, अतः किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन या अन्य किसी कारणवश सदस्यता में परिवर्तन के बावजूद भी कंपनी निरंतर क्रियाशील रहती है।

4. सीमित दायित्व

अंशों द्वारा सीमित कंपनी के हर अंशधारी का दायित्व उस राशि तक सीमित है जिसे वह आबंटित अंशों के बदले में कंपनी को अदा करने के लिए सहमत हो गया है या उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है यदि अंश पूर्णप्रदत्त है तो अंशधारियों का कंपनी के प्रति और कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं रहता है।

5. स्वामित्व और प्रबंध के बीच संबंध-विच्छेद

चूँकि कंपनी के अंशधारी बहुत अधिक संख्या में होते हैं और उनका फैलाव विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर हो सकता है, अतः वे कंपनी के दैनिक कार्यकलापों के लिए अपना योगदान देने हेतु असमर्थ रहते हैं। यही कारण है कि स्वामित्व को प्रबंध से अलग रखा जाता है, यद्यपि अंशधारियों द्वारा कंपनी में पूँजी विनियोग किया जाता है फिर भी कंपनी का प्रबंधन एवं नियंत्रण उनके द्वारा चुने गए संचालकों के हाथों में होता है। अतः कंपनी के प्रबंधक (संचालक) कंपनी के व्यवसाय को अंशधारियों के साथ पूर्ण सद्-विश्वास संबंध और संरक्षक के आधार पर संचालित करते हैं।

6. अंशों का हस्तांतरण

अंशों के अभिदान द्वारा अंशधारी कंपनी में पूँजी विनियोग करते हैं। इन अंशों का हस्तांतरण निर्बाध रूप से इसके सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। केवल निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हो सकते हैं।

7. सर्वमुद्रा

कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए इनकी भाँति दस्तावेजों को हस्ताक्षरित नहीं कर सकती है। अतः दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने हेतु सर्वमुद्रा का प्रयोग किया जाता है। यह मुद्रा समस्त दस्तावेजों पर उस अधिकृत व्यक्ति द्वारा मुद्रित की जाती है जो कंपनी की ओर से दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करता है। अतः कंपनी का अमूर्त स्वरूप मानवीकृत हो जाता है।

8. सूचना अभिगम्यता का अधिकार

कंपनी के अंशधारियों को लेखा बहियों, के निरीक्षण का अधिकार संस्था अंतर्नियम द्वारा प्रदान किया जाता है, केवल उन बहियों को छोड़कर जो विधान के संबंधित निरीक्षण के लिए खुली है। कंपनी के अंशधारी अपनी सभा में भागीदारी और समयकालित प्रतिवेदनों द्वारा संचालकों से सूचना प्राप्ति का अधिकार रखते हैं।

9. खातों का अनुरक्षण

एक कंपनी के लिए विधान के अनुसार निर्धारित लेखा पुस्तकें रखना अनिवार्य होता है। ऐसा न करना दंडनीय है।

10. नियतकालित अकेंक्षण

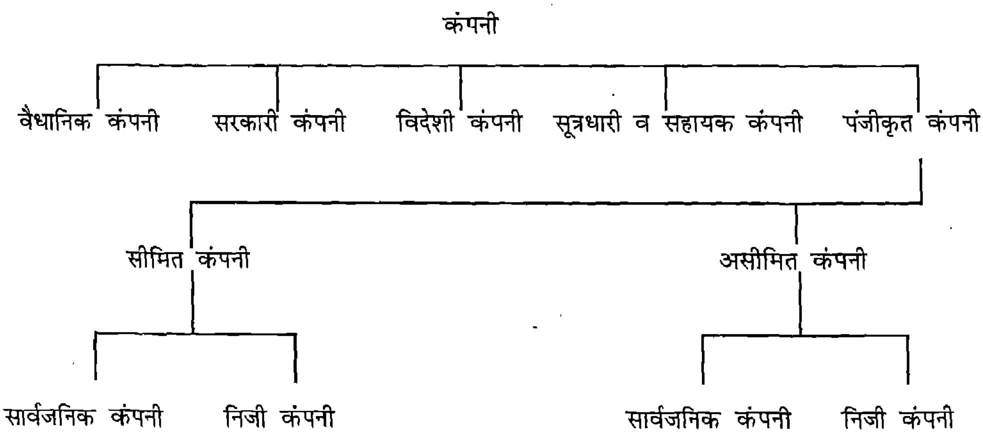
कंपनी को अपनी लेखा पुस्तकों की समयकालिक अंकेक्षण संचालक मण्डल की संस्तुति पर अंशधारियों द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाऊंटेंट(सनदी लेखापाल) द्वारा करना आवश्यक होता है।

11. नागरिकता

यद्यपि, कंपनी विधान के संबंधित स्थापित होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के भाँति उसे नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। कंपनी का वैधानिक अस्तित्व तो होता है किन्तु वह सामान्य नागरिकों के भाँति नागरिकता के अधिकारों व कर्तव्य का लाभ नहीं उठा सकती।

6.1.3 कंपनियों के प्रकार

निम्नांकित चित्र कंपनी के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है :



प्रर्दश : 6.1

वैधानिक कंपनी

वे कंपनियाँ जिनकी स्थापना संसद अथवा राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है, वैधानिक कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनियाँ अपने नाम के साथ 'लिमिटेड' शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं; जैसे कि रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी कंपनियों की बहियों का अंकेक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है तथा यह कंपनियाँ सार्वजनिक तौर पर राज्य विधान मंडल/संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

सरकारी कंपनी

कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार, ''सरकारी कंपनी से आशय ऐसे कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51% भाग केन्द्र सरकार या किसी एक अथवा अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार / सरकारों के पास हो। इसके अंतर्गत उन कंपनियों को भी शामिल किया जाता है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होती हैं।

विदेशी कंपनी

जिस कंपनी का समामेलन भारत से बाहर किसी स्थान पर हुआ है, परंतु वह भारत में व्यावसायिक क्रियाएँ करती है तो ऐसी कंपनी को विदेशी कंपनी कहते हैं।

सूत्रधारी कंपनी

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 (4) के संबंधित एक कंपनी तभी सूत्रधारी कंपनी समझी जाती है जब उसकी कोई सहायक कंपनी हो। एक कंपनी तभी सहायक कंपनी समझी जाती है जब कोई अन्य कंपनी उसकी प्रदत्त अंश पूँजी के 51% या उससे अधिक पर नियंत्रण रखती है तथा उसके संचालक मंडल में अपने संचालक नियुक्त करने का अधिकार रखती है या वह किसी सहायक कंपनी की सहायक कंपनी है।

सहायक कंपनी

धारा 4 (1) के अनुसार, एक कंपनी सहायक कंपनी समझी जाती है यदि :

(अ) कोई अन्य कंपनी का उसके संचालक मंडल के संगठन पर नियंत्रण हो। इससे आशय यह है कि नियंत्रक कंपनी को एक अथवा अधिसंख्यक व्यक्तियों को संचालक मंडल में नियुक्त, पदच्युत करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो; या

(ब) किसी अन्य कंपनी के पास उसकी समता अंश पूँजी का आधे से अधिक अंश प्राप्त हो; या

(स) वह कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी है, किंतु वह दूसरी सहायक कंपनी की सूत्रधारी है। उदाहरण के लिए, कंपनी 'ब' कंपनी 'अ' की सहायक कंपनी है और कंपनी 'स' कंपनी 'अ' की सहायक है अत: कंपनी 'ब', 'अ' कंपनी की सहायक कंपनी हैं इसलिए कंपनी 'स' कंपनी 'अ' की सहायक कंपनी समझी जाएगी; या

(द) कोई कंपनी जिसका समामेलन भारत की भौगोलिक परिसीमा के बाहर हुआ है तो ऐसी कंपनी की सहायक या नियंत्रक कंपनी को उस देश के विधान के संबंधित सहायक या नियंत्रक कंपनी समझा जाएगा ताकि कंपनी के लिए उस देश के अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी भारत में क्रियाशील है तो उसके लिए (अ) (ब) और (स) में निहित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य नहीं है।

पंजीकृत कंपनी : वे कंपनियाँ जिनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के संबंधित हुआ है, पंजीकृत कंपनियाँ कहलाती हैं।

सार्वजनिककंपनी: अधिनियम की धारा 3 (1) (iv) के अनुसार सार्वजनिक कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो (अ) निजी कंपनी नहीं है (ब) जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूँजी 5 लाख रु. अथवा अधिक है (स) जो सहायक निजी कंपनी है और उसकी सूत्रधारी कंपनी निजी कंपनी नहीं है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2000 के पश्चात् एक सार्वजनिक कंपनी 5 लाख रु. से कम पूँजी पर पँजीकृत नहीं हो सकती है सार्वजनिक कंपनी सूचीगत व असूचीगत कंपनी हो सकती है। सूचीगत कंपनी वह सार्वजनिक कंपनी होती है जिसकी प्रतिभूतियाँ किसी मान्य प्रतिभूति बाजार में सूचीबद्ध होती है। एक असूचीगत कंपनी वह सार्वजनिक कंपनी होती है जिसकी प्रतिभूतियाँ किसी मान्य प्रतिभूति बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती है।

निजी कंपनी

अधिनियम की धारा 3 (1) (iii) के अनुसार, निजी कंपनी वह कंपनी है जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूँजी 1 लाख रु. या अधिक है तथा जिसके अपने अंतर्नियमों के अनुसार :

(अ) अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है।

(ब) अंशधारियों की संख्या 50 तक सीमित होती है (कंपनी के वर्तमान तथा भूतपूर्व कर्मचारियों जो कंपनी के सदस्य हों, को छोड़कर)। इस संदर्भ में संयुक्त अंशधारियों को एक सदस्य माना जाता है।

(स) अंश एवं ऋणपत्रों को जारी करने का निषेध होता है।

(द) सदस्यों, संचालकों तथा संबंधियों के अतिरिक्त अग्रिम राशि प्राप्त करना निषेध होता है।

6.2 कंपनी की अंश पूँजी

एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी अपनी पूँजी का सृजन स्वयं नहीं कर सकती। कंपनी द्वारा अंशों के आबंटन पर अंशधारी पूँजी का योगदान करते हैं। प्रत्येक कंपनी को समामेलन के समय पँजीकृत की गई पूँजी को अंश के रूप में आमंत्रित करने का अधिकार है। कंपनी की अंश पूँजी अंशधारियों की विनियोजित धनराशि होती है जो उनकी द्वारा कंपनी के उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाई जाती है जिसके लिए वह निर्मित की गई है।

अंश पूँजी के प्रकार

कंपनी की अंश पूँजी को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

(1) अधिकृत/पंजीकृत/प्राधिकृत पूँजी

ये वह राशि है जिसे पार्षद् सीमा नियम के 'पूँजी वाक्य' में दिखाया जाता है जिससे कंपनी का पंजीकरण हुआ है। चूँकि समामेलन के समय कंपनी का पंजीकरण एक निश्चित अंश पूँजी पर किया जाता है अत: कंपनी उस राशि तथा संख्या तक अंश निर्गमन के लिए अधिकृत होती है। अत: इसे अधिकृत पूँजी भी कहा जाता है। अनुसूची IV तुलन–पत्र प्रारूप में अधिकृत पूँजी शब्द का प्रयोग किया गया है। अंश पूँजी विभिन्न मूल्य वर्गों के अंशों में विभाजित कर दी जाती है जैसे 10 रु., 50 रु., 100 रु. इत्यादि यह आवश्यक नहीं कि संस्था पार्षद् सीमा नियम में अंकित की गई सारी पूँजी एक ही समय पर निर्गमित करें।

(2) निर्गमित पूँजी

अधिकृत पूँजी का वह भाग जिसे जनता को अंश अभिदान के लिए प्रस्तावित किया जाता है, उसे निर्गमित पूँजी कहा जाता है। इसमें वे अंश भी सम्मिलित हैं जो संपत्ति विक्रेताओं को प्रतिफल के बदले निर्गमित किए जाते हैं। अधिकृत पूँजी का वह भाग जो अभिदान लेने के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया, उसे अनिर्गमित पूँजी कहा जाता है। जिसे जनता को किसी अग्रिम तिथि पर प्रस्तावित किया जा सकता है।

(3) अभिदत्त पूँजी

यह निर्गमित पूँजी का वह भाग है जो व्यक्तियों द्वारा अभिदान किए गए अंशों के अंकित मूल्य को दर्शाता है अर्थात् भावी अंशधारियों द्वारा आवेदित और कंपनी द्वारा आबंटित अंश। इसमें कंपनी द्वारा नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल पर निर्गमित अंशों के अंकित मूल्य को भी सम्मिलित

किया जाता है। निर्गमित पूँजी की शेष राशि को जिसे जनता से अभिदत्त नहीं किया हैं गैर अभिदत्त पूँजी कहते हैं।

सेबी (प्रकटीकरण एवं निवेशक सुरक्षा) रूपरेखा, 2000 (6.3.8.1. और 6.3.8.2) के अनुसार पूँजी का न्यूनतम अभिदान निर्गमित राशि के 90% से कम नहीं हो सकता है। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है तो कंपनी को संपूर्ण अभिदान राशि वापस करनी होगी। ऐसी स्थिति में यदि विलंब 8 दिनों से अधिक का होता है तो कंपनी 10% की दर से ब्याज देने के लिए बाध्य है (धारा 7(2))।

(4) प्रार्थित पूँजी

अभिदत्त पूँजी का वह भाग जिसकी अपेक्षा संचालक अंशधारियों से आबंटित अंशों के भुगतान के लिए करते हैं, याचित (माँगी) पूँजी कहलाता है। कंपनी के संचालक आवश्यकतानुसार अंकित मूल्य को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में लेने का निर्णय ले सकते हैं।

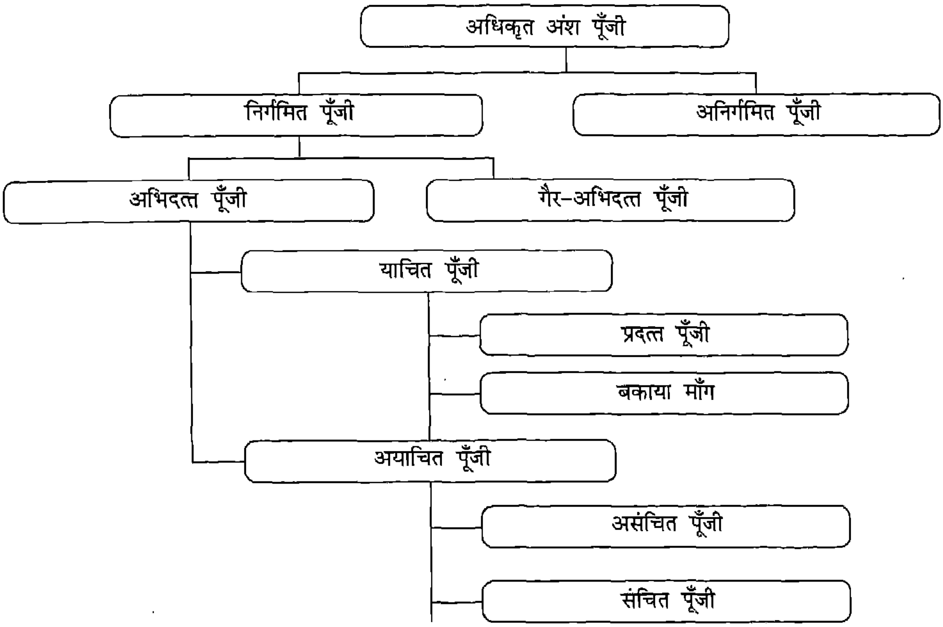
(5) प्रदत्त पूँजी

याचित (माँगी गई) पूँजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारियों द्वारा दे दिया गया है, प्रदत्त पूँजी कहलाता है। याचित पूँजी और प्रदत्त पूँजी में अंतर का कारण यह है कि कुछ अंशधारी अपने अंशों पर कंपनी द्वारा याचित राशि देने में असफल होते हैं। अंशों पर याचित राशि का शेष भाग जो कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया, 'बकाया माँग' राशि कहलाती है।

(6) संचित पूँजी

एक कंपनी विशेष संकल्प द्वारा अयाचित पूँजी के एक निश्चित भाग को केवल कंपनी परिसमापन की स्थिति एवं उद्देश्य हेतु संचित करती है, जिसे संचित पूँजी कहते हैं।

सुविधा अनुसार कंपनी की अंश पूँजी के विभिन्न रूप को क्रमपूर्वक निम्न प्रकार से दिखाए जा सकते हैं।



प्रदर्श : 6.2

उदाहरण एक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 10,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी पर की गई। जिसे 10 रु. प्रति अंश के 1,00,000 अंशों में विभाजित किया गया। कंपनी द्वारा 90,000 अंश अभिदान हेतु प्रस्तुत किए जिनमें से 85,000 अंश अभिदत्त हुए। संचालकों ने 6 रु. प्रति अंश की माँग की। 500 अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश के अतिरिक्त संपूर्ण राशि प्राप्त की। विभिन्न श्रेणी की अंश पूँजी की गणना कीजिए।

हल

अंश पूँजी के प्रकार

अधिकृत पूँजी	1,00,000	10 रु. प्रति अंश	10,00,000
निर्गमित पूँजी	90,000	10 रु. प्रति अंश	9,00,000
अनिर्गमित पूँजी	10,000	10 रु. प्रति अंश	1,00,000
अभिदत्त पूँजी	85,000	10 रु. प्रति अंश	8,50,000
गैर अभिदत्त पूँजी	5,000	10 रु. प्रति अंश	50,000
याचित पूँजी	85,000	6 रु. प्रति अंश	5,10,000
अयाचित पूँजी	85,000	4 रु. प्रति अंश	3,40,000
प्रदत्त पूँजी	85,000	अंश @ 6 रु. - 5003 अंश @ 2 रु.	5,09,000
बकाया माँग	500	500 अंशों पर 2 रुपए	1,000

6.2.1 कंपनी के अंश

शेयर (अंश) शब्द से अभिप्राय अंश पूँजी की एक इकाई से है जिस पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के प्रत्येक सदस्य को अपने अंश हस्तांतरण का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति फॉरवेल के अनुसार *''अंश (शेयर) अंशधारियों का स्वत्व है जिसे मौद्रिक रूप में आँका जाता है, जिसका दायित्व को प्रथम स्थान पर और स्वत्व को द्वितीय स्थान पर होता है, किंतु समस्त अंशधारक अधिनियम और अंतर्नियमों के अधीन एक वैधानिक अनुबंध करते हैं।''* (A Share is the interest of a Shareholder in the company measured by a sum of money, for the purpose of liability in the first place and interest in the second. But also consisting of mutual convenients entered into by all the shareholders in terms of Act and the Articles.)

6.2.2. अंश

कंपनी की पूँजी के रूप में अंश वह इकाई है, जिसमें कंपनी की कुल अंश पूँजी विभाजित की जाती है। अत: अंश अंशपूँजी का आंशिक भाग है और कंपनी के स्वामित्व का आधार है। वे व्यक्ति जो अंश द्वारा मुद्रा देते हैं, अंशधारक कहलाते हैं।

अधिकृत पूँजी की राशि और अंशों की संख्या, जिससे वह विभाजित की जाएगी, संस्था के पार्षद सीमा नियमों में दर्शायी जाती हैं परंतु अंशों के विभिन्न वर्गों के अधिकार व दायित्व जिसमें कंपनी की पूँजी विभाजित की जाएगी, संस्था के पार्षद अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं।

6.2.3. अंशों की श्रेणी

कंपनी की अंशपूँजी, जो कंपनी के अंशों के रूप में अपने पास उपलब्ध राशि विनियोग करने को तैयार है, के भिन्न-भिन्न वर्गों की विनियोग आवश्यकताओं को पूरा करने की विशेष योग्यता रखती है। यह अंश सामान्यत: पूर्वाधिकार एवं समता अंश होते हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 के भाग 86 के अनुसार 1 अप्रैल,1956 के बाद गठित कंपनी की अंश-पूँजी या उस तिथि के बाद निर्गमित अंशपूँजी केवल दो प्रकार की होगी अर्थात् पूर्वाधिकार अंश-पूँजी और समता अंशपूँजी। इसका अर्थ यह हुआ–भारत में अंशों के केवल दो वर्ग–पूर्वाधिकार अंश और समता अंश ही कंपनियों द्वारा जनता को निर्गमित किए जा सकते हैं।

परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कंपनी के सभी अंशों को जो वह जारी करने को अधिकृत है, वर्गीकृत किए जाएँ। कुछ अंश वर्गीकृत किए जा सकते हैं और अन्य कुछ बिना वर्गीकृत किए रखे जा सकते हैं, उन्हें कंपनी के संचालक भविष्य में किसी विशेष वर्ग में निर्गमित कर सकते हैं।

6.2.3.1 पूर्वाधिकार अंश

कंपनी अधिनियम 1956 के भाग 85 के अनुसार पूर्वाधिकार अंश के निम्न दो अधिकार होते हैं :

(क) कंपनी के कार्यकाल में कंपनी के अंशधारक निश्चित दर से या निचित राशि में समता अंशों पर लाभांश देने से पूर्व लाभांश अर्थात् पूर्वाधिकार लाभांश प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हों।

(ख) कंपनी का समापन होने पर इस अंश की पूँजी वापस करने का अधिकार समता अंश से पूर्व होना चाहिए। ये दोनों अधिकार अंश में एक साथ विद्‌यमान होने चाहिए ताकि इसे पूर्वाधिकार अंश कंहलाने का विशेषाधिकार मिल सके।

पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के हो सकते हैं, जो निम्न हैं :

6.2.3.2 पूर्वाधिकार अंश के प्रकार

पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के हो सकते हैं, जो निम्न हैं :

(1) संचयी पूर्वाधिकार अंश

संचयी पूर्वाधिकार अंश वह है जिसमें निश्चित वार्षिक लाभांश या निश्चित दर पर लाभांश का अधिकार होता है। ऐसा लाभांश आगामी लाभों में से भी दिया जा सकता है, यदि चालू वर्ष के लाभ इस उद्‌देश्य के लिए अपर्याप्त हैं। इसका अर्थ हुआ कि इन अंशों पर लाभांश संचित रहता है जब तक कि यह पूर्णत: अदा न कर दिया जाए, इसलिए इसे संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। लाभांश की बकाया राशि तब तुलन-पत्र में आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाई जाती है। भारत में पूर्वाधि कार अंश सदा संचयी होते हैं, जबतक अन्यथा बताया न गया हो।

यदि लगातार दो वर्षों तक या उससे अधिक समय लाभांश बकाया रहता है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने व प्रत्येक संकल्प में मत देने का अधिकार होता है।

(2) असंचयी पूर्वाधिकार अंश

असंचयी पूर्वाधिकार अंश में निश्चित वार्षिक लाभांश का अधिकार होता है यदि किसी वर्ष किसी कारण से लाभांश की घोषणा नहीं की गई, तो लाभांश प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि ऐसा अंशधारक लाभांश की बकाया राशि का हकदार नहीं होता है।

(3) भागी-पूर्वाधिकार अंश

इस वर्ग के पूर्वाधिकार (अंश) शेयर को हर वर्ष निश्चित लाभांश का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा समता अंश धारकों द्वारा निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त कर लेने के बाद यदि कोई अतिरिक्त लाभ है तो उसमें भी उन्हें भाग लेने का अधिकार होता है। इसी तरह कंपनी के समापन पर समता अंशपूँजी चुका देने के बाद यदि कोई अधिशेष का पूर्व निर्धारित भाग प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

(4) गैरभागी पूर्वाधिकार अंश

वह अंश जिस पर हर वर्ष केवल निश्चित दर का लाभांश बिना अतिरिक्त अधिकार सहित, लाभ में से और कंपनी समापन पर अधिशेष में से प्राप्त किया जाता है, गैर-भागी पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। पूर्वाधिकार अंश सामान्यतया गैर-भागी पूर्वाधिकार माने जाते हैं।

(5) शोध्य पूर्वाधिकार अंश

यह वह अंश है जिसे कंपनी इस शर्त पर निर्गमित करती है कि वे कंपनी द्वारा या तो निश्चित अवधि के बाद या कंपनी चाहे तो पहले भी भुगतान किए जा सकते हैं। इन अंशों की चुकौती शोधन कहलाती है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 80 द्वारा संचालित होती है। भारत में अब कंपनी केवल इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर सकती है।

(6) अशोध्य पूर्वाधिकार अंश

वह पूर्वाधिकार अंश जिनमें शोधन संबंधी व्यवस्था नहीं होती अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाता है।

(7) परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश

यह अंश अंशधारक को विकल्प के माध्यम से अंशों को उनके निर्गमन की शर्तों व निबंधनों के अनुसार समता अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान करता है।

(8) अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश

जब पूर्वाधिकार अंश के धारक को अपना अंश समता अंश में परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया हो, तो इसे अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश अपरिवर्तनीय होते हैं जबतक कि अन्यथा कहा न गया हो।

6.2.3.3 समता अंश

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 85 के अनुसार ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं हैं, समता अंश (*इक्विटी शेयर*) कहलाते हैं।

अतः वह अंश जो अधिमान अंशों पर धारकों को लाभांश का भुगतान हो चुकने के बाद धारकों को कंपनी द्वारा अर्जित संपूर्ण लाभ का हक देते हैं, समता अंश कहलाते हैं। इस वर्ग के अंश न तो निश्चित लाभांश और न कंपनी के समापन लाभ का अधिकार देते हैं, इस वर्ग के अंश न तो निश्चित लाभांश का अधिकार देते हैं और न कंपनी के समापन पर पूँजी की पूर्वनिर्धारित राशि के भुगतान का अधिकार देते हैं।

धारा 86 के अनुसार समता अंश जिनमें (i) मताधिकार के साथ हो सकता है। (ii) मताधिकार लाभांश अथवा निर्धारित नियमों के अनुसार विभेदक अधिकार के साथ हो सकता है।

6.2.4 स्वेट समता अंश

कंपनी के प्रारंभन में एक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् कंपनी अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को जानकारी देने अथवा बौद्धिक संपत्ति अधिकार हेतु बट्टे पर या नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों को निर्गमित करती है तो उसे स्वेट समता अंश कहते हैं। ऐसे अंशों को एक वर्ष के अंदर नहीं बेचा जा सकता है, जिसे ''लॉक-इन'' समयावधि कहते हैं।

6.2.5 कर्मचारी पूँजी विकल्प

जब कंपनी अपने संचालकों, प्रबंधकों व कर्मचारियों को यह विकल्प देती है कि किसी भविष्य अवधि पर कंपनी की प्रतिभूतियों को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर क्रय या अभिदत्त कर सकें तो उसे कर्मचारी पूँजी विकल्प कहते हैं।

6.3 अंशों का निर्गमन

कंपनी के अंश दो प्रकार से निर्गमित किए जा सकते हैं (क) नकदी के लिए (ख) नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए

(क) नकद के लिए अंशों का निर्गमन

कंपनी की पूँजी की एक मुख्य विशेषता यह है कि उसके अंशों पर धनराशि उसकी बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार आसान किस्तों में एकत्रित की जाती है परंतु यह किसी भी प्रकार से कंपनी को प्रार्थनापत्रों के साथ अंशों की पूरी राशि माँगने से नहीं रोकती है।

इस संबंध में कंपनी जिस तरह से अंशों का निर्गमन करती है उस तरीके की विस्तृत रूपरेखा अंश पूँजी लेनदेन के लेखांकन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण है। संक्षेप में अंश निर्गमन की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

(क) कंपनी जब भी अंशों के सार्वजनिक निर्गमन द्वारा पूँजी एकत्रित करना चाहती है उसे प्रविवरण अनिवार्यत: निकालना पड़ता है।

(ख) प्रविवरण द्वारा प्रस्तावित आमंत्रण से अंशों के लिए प्रार्थनापत्र अनुसूचित बैंक के जरिए विवरण जारी करने के कम-से-कम चार दिन बाद प्राप्त किए जाते हैं।

(ग) जब अभिदान सूची बंद कर दी जाती है, तो प्रविवरण पत्र जारी करने के बाद 120 दिनों के अंदर अंशों का आबंटन करना होता है, बशर्ते कि न्यूनतम अभिदान राशि (बाद में स्पष्ट किया गया) प्राप्त कर ली गई है।

(घ) उन प्रार्थियों को जिन्हें अंशों का आबंटन किया गया है, आबंटन पत्र भेजे जाते हैं, जिन्हें कोई आबंटन नहीं किया गया, उन्हें खेद-पत्र भेजे जाते हैं।

(ड.) एक बार अंशों का आबंटन हो जाने पर कंपनी और आबंटियों के बीच संविदा हो जाता है कि अंश से संबंधित सभी लेनदेन अंश निर्गमन की शर्तों और कंपनी अंतर्नियमों द्वारा संचालित होंगे।

इस निर्गमन की उपर्युक्त विधि वहीं रहती है, चाहे कंपनी के अंश प्रीमियम या बट्टे या सम मूल्य पर जारी किए जाएँ।

जब अंशों का निर्गमन अंश पर अंकित मूल्य पर किया जाता है तो उसको अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं।

कंपनी अपनी आवश्यकतानुसार अंशों को बट्टे पर, अधिमूल्य पर या सम मूल्य पर निर्गमित करके राशि एकत्रित कर सकती है।

6.3.1 अंशों के लिए आवदेन-पत्र

अंश पूँजी के निर्गमन के लिए प्रारंभिक बिंदु भावी निवेशकर्ताओं द्वारा अंशों के लिए आवेदन-पत्र हैं।

विधि

कंपनी का प्रविवरण पत्र जो सामान्य जनता के सदस्यों को अपनी अंश पूँजी में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता है, हमेशा यह अपेक्षा करता है कि अंशों के लिए हर प्रार्थनापत्र प्रत्येक निवेदित अंश

की "आवेदन राशि" कहीं जाने वाले निश्चित राशि सहित हो। आवेदन राशि की रकम संचालकों द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वह अंशों में अंकित मूल्य के 5% से किसी भी स्थिति में कम नहीं हो सकती।

न्यूनतम अभिदान

इसका अर्थ वह न्यूनतम राशि है, जो संचालकों की राय में कंपनी के निम्नलिखित संबंधित व्यावसायिक क्रियाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए इकट्ठी करनी होती है।

- क्रय की गई या क्रय की जाने वाली परिसंपत्ति क मूल्य जो पूर्णतः या आंशिक रूप से निर्गमन से प्राप्त राशि में से पूर किया जाएगा;
- कंपनी द्वारा देय प्रारंभिक व्यय और अंशों के निर्गमन से संबंधित कोई देय कमीशन;
- उपर्युक्त दो क्रियाओं के लिए कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का भुगतान;
- कार्यशील पूँजी, और
- व्यवसायिक क्रियाओं के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक कोई अन्य व्यय।

यहाँ ध्यानयोग्य बिंदु यह है कि पूँजी का "न्यूनतम अभिदान" निर्गमित राशि के 90% से कम नहीं हो सकता है (सेबी) प्रस्तुतिकरण एवं निवेशक संरक्षण - (6.3.8.1 और 6.3.8.2., निर्देशिका 2000) ।

यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है तो कंपनी को संपूर्ण अभिदान राशि लौटानी होगी। यदि इन प्रक्रिया में 8 दिनों से अधिक विलंब होता है तो कंपनी 15% की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगी [धारा 73(2)]।

आवेदन पत्रों का सूचीकरण

आवेदन पत्रों की प्राप्ति पर, प्रत्येक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक जाँचा जाता है कि वह पूर्णतया भरे गए हैं और हस्ताक्षरित हैं तथा धनराशि बैंक में जमा की गई है। इसके उपरांत, आवेदन किए गए अंशों की संख्या ज्ञात करने हेतु इन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है तथा इनकी प्रविष्टि आवेदन और आबंटन पुस्तक में की जाती है।

आवेदन व आबंटन पुस्तक

बाईं तरफ

आवेदन सं.	आबंटन सं.	नाम	पता	पेशा	आवेदित अंश पर प्राप्त राशि	आवेदन पर प्राप्त राशि	रोकड़ पुस्तक पृ.सं.

दाईं तरफ

आबंटित अंश	सुस्पष्ट सं.		आबंटन तक कुल देय राशि	आबंटन पर शेष	भुगतान की तिथि	राशि वापसी	रोकड़ पुस्तक पृ. सं.	अंश प्रपत्र रंज	सदस्यों का रजिस्टर	टिप्पणी
	कहाँ से	कहाँ तक								

नोट : *सुस्पष्ट सं. भौतिक अंशों के लिए प्रयोग में आती है "डी मैट" के संदर्भ में नहीं ।*

आवेदन पत्रों का वर्गीकरण

अंशों के आबंटन से पूर्व, आवेदन पत्रों को आवेदित अंशों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से अति अभिदान के संदर्भ में सहायक होती है। इस विवरण का प्रारूप निम्नांकित है :

श्रेणी	आवेदित अंश	आबंटित अंश	आवेदन धनराशि	आवेदन पत्र पर प्राप्त धनराशि की व्यवस्था			
				अंश पूँजी	अंश आबंटन	अग्रिम नाम	धन वापसी बैंक

लेखांकन विधि

जब अंशों के लिए आवेदन रोकड़ सहित प्राप्त कर लिए जाते हैं तो रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

बैंक खाता	नाम	(आवेदन-पत्र पर कुल रकम)
अंशों के लिए आवेदन खाता		
(अंशों पर.....रु. प्रति अंश की दर से आवेदन राशि)		

इससे पहले कि अंश आवेदन खाता अंश पूँजी खाते में हस्तांतरित हो कुछ औपचारिकताओं का पूरा होना आवश्यक है।

6.3.2 अंशों का आबंटन

प्राप्त किए गए प्रार्थनापत्रों के आधार पर अंशों का आबंटन अंश निर्गमन प्रक्रिया का मुख्य आधार है।

विधि

जब कंपनी के व्यवसाय के लिए आवश्यक न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त कर ली गई है और अंशों के आबंटन से संबंधित वैधानिक औपचारिकताएँ ठीक तरह पूरी कर ली गई हैं, कंपनी के संचालक अंशों का आबंटन करने के लिए तैयार करते हैं जो विवरण पत्र जारी करने के 120 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। अंशों के आबंटन का अर्थ है, कंपनी द्वारा प्रार्थियों को भेजे अंश क्रय करने के आवेदन स्वीकार करना। इस तरह से कंपनी और प्रार्थियों के बीच एक अनुबंध का जन्म होता है। प्रार्थी अब आबंटी बन जाते हैं और अंशधारक या सदस्य की हैसियत रखते हैं।

प्रभाव

लेखांकन की दृष्टि से अंशों के आबंटन के तीन प्रकार के परिणाम सामने आते हैं – प्रथम, जैसे ही आबंटन किया जाता है, आबंटियों से उन्हें आबंटित अंशों पर कुछ रोकड़ जिसे आबंटन राशि भी कहते हैं, की माँग करना आम बात है। दूसरा, आवेदकों का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर, प्राप्त की गई आवेदन राशि अंश पूँजी में हस्तांतरित कर देनी होगी क्योंकि औपचारिक रूप से वह उसी की भाग बन गई है। तीसरा, अस्वीकृत आवेदनपत्रों पर प्राप्त रोकड़ या तो प्रार्थियों को विवरण-पत्र जारी करने के 130 दिनों के अंदर पूर्णत: वापस कर देना चाहिए या यदि निवेदित अंशों से कम संख्या में अंशों का आबंटन किया गया है, तो अतिरिक्त आवेदन राशि को आबंटियों से प्राप्त आबंटन राशि के साथ समायोजित कर लेना चाहिए। आखिरी दो का प्रभाव अंश आवेदन खाता बंद कर देने का होता है, जो अंश पूँजी लेनदेन में मात्र अस्थायी खाता होता है।

लेखांकन प्रविष्टियाँ

अंशों के आबंटन पर लेखांकन प्रविष्टियाँ इस प्रकार होंगी :

1. आवेदन राशि का हस्तांतरण

अंश आवेदन खाता	नाम	(आबंटित अंशों की संख्या) × (प्रति अंश आवेदन राशि)
अंश पूँजी खाता		
(आबंटित अंशों की आवेदन राशि का अंशपूँजी में हस्तांतरण)		

टिप्पणी : *यदि सभी आवेदित अंशों के लिए आबंटन कर दिए गए हों तो अंश आवेदन खाता इस प्रविष्टि के बाद स्वत: बंद हो जाएगा।*

2. अस्वीकृत आवेदन पत्रों पर वापस की गई धनराशि

अंश आवेदन खाता	नाम	(अस्वीकृत अंश की संख्या) × (प्रति अंश प्रार्थना पत्र रोकड़)
बैंक खाता		
(......अंशों के लिए अस्वीकृत आवेदन पत्रों पर वापस की गई धनराशि)		

3. आबंटन पर देय राशि

अंश आबंटन खाता	नाम	(आबंटित अंशों की संख्या) × (प्रति अंश आबंटित रकम)
अंश पूँजी खाता		
(.....अंश.....रु. की दर से.....अंशों पर आवेदन राशि आबंटन पर प्राप्त होने वाली रकम में समायोजित)		

4. अधिक आवेदन राशि का समायोजन

अंश आवेदन खाता		(प्राप्त आवेदन राशि प्रार्थना-पत्र राशि पर अंश पूँजी में हस्तांतरण वापस की गई धनराशि)
अंश आबंटन खाता		

5. आबंटन राशि की प्राप्ति

बैंक खाता

अंश आबंटन खाता

(प्रति अंश....रु. की दर से.....अंशों पर प्राप्त आबंटन धनराशि)

मिश्रित खाता

कभी-कभी अंश आवेदन और अंश आबंटन का मिश्रित खाता जो अंश आवेदन और आबंटन खाता भी कहलाता है, कंपनी के खातों में रखा जाता है। मिश्रित खाता इस तर्क पर आधारित है कि बिना आवेदन के आबंटन असंभव है, जबकि बिना आबंटन के आवेदन अर्थहीन है ताकि अंश पूँजी

लेनदेन की दोनों अवस्थाओं का निकट संबंध हो। इस दृष्टि से अंश आवेदन और आबंटन खाता अधिक तर्कपूर्ण लगता हैं जहाँ मिश्रित खाता रखा जाता है, आवेदन-पत्र और आबंटन पर रोजनामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार दी जाती है :

1. *आवेदन राशि की प्राप्ति और आबंटन*	
बैंक खाता	(आवेदन-पत्रों पर प्राप्त कुल रकम)
अंश आवेदन खाता	
(प्रति अंश......रु. की दर से....अंशों के लिए प्राप्त आवेदन की रकम)	
2. *आवेदन पत्र राशि का अंतरण और प्राप्त होने वाली आबंटन राशि*	
अंश आवेदन और आबंटन खाता	(आबंटित अंशों की संख्या) × (प्रति अंश आवेदन राशि + प्रति अंश आबंटन राशि)
अंश पूँजी खाता	
3. *अस्वीकृत आवेदनों पर वापस की गई राशि*	
अंश आवेदन और आबंटन खाता	(आबंटित अंशों की संख्या) × (प्रति अंश आवेदन राशि)
बैंक खाता	
(........अंशों के लिए अस्वीकृत आवेदन पत्रों पर वापस की गई आवेदन राशि)	
4. *आबंटन राशि की प्राप्ति*	
बैंक खाता	
अंश आवेदन और आबंटन खाता	
(प्राप्त की गई शेष आबंटन राशि)	

6.3.3 अंशों पर माँग

अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाने में और अंश धारकों से अंशों की सारी रकम प्राप्त करने में माँग महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आबंटन पूरा होने तक अंशों पर पूर्ण रकम की माँग न करने पर संचालकों को जब चाहे अंशों पर बाकी रकम माँगने का अधिकार होता है। यह भी संभव है कि अंश धारकों द्वारा माँग भुगतान का समय अंश निर्गमन की शर्तों व निबंधनों द्वारा निर्धारित हो अर्थात् प्रविवरण में निश्चित हो। अंशों का पूरा अंकित मूल्य नकद में प्राप्त करने के लिए माँग की गई पहली माँग, दूसरी माँग, तीसरी और अंतिम माँग की जा सकती है। अंशों पर माँग से संबंधित दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। प्रथम, माँग की गई राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं

होनी चाहिए। दूसरा, दो माँगों के बीच कम से कम एक महीने का अंतर होना चाहिए। जबतक कि कंपनी के अंतर्नियमों में अन्यथा न दिया गया हो।

लेखांकन व्यवहार

जब अंशों पर माँग की गई राशि प्राप्त कर ली जाती है, तो रोजनामचा प्रविष्टियाँ निम्न तरह की होती हैं :

1. *देय माँग राशि*

अंश माँग खाता	नाम	(अंशों की संख्या ×
अंश पूँजी खाता		(प्रति अंश माँगी गई राशि)

(प्रति अंश.....रु. की दर से........अंशों पर माँगी गई देय रकम)

2. *माँग राशि की प्राप्ति पर*

बैंक खाता	नाम	
अंश माँग खाता		

उदाहरण 1

एक लिमिटेड कंपनी जनवरी 1, 2001 को 4,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी से समामेलित की गई जो कि 100 रु. प्रति अंश में विभाजित है। कंपनी ने 3,000 अंश जनता के लिए निर्गमित किए। जो निम्न प्रकार देय थे :

आवेदन पर	प्रति अंश 30 रु.
आबंटन पर	प्रति अंश 20 रु.
प्रथम माँग पर (आबंटन के एक महीने बाद)	प्रति अंश 25 रु
द्वितीय एवं अंतिम माँग पर (आबंटन के तीन महीने बाद)	प्रति अंश 25 रु.

जनता द्वारा अंश पूर्णतः क्रय कर लिए गए, और आवेदन की धनराशि 15 जनवरी, 2001 को विधिवत प्राप्त हुई। संचालकों ने फरवरी 2001 को आबंटन किया।

यह मानते हुए कि सभी देय राशि आबंटन और माँग करने के 15 दिन के भीतर प्राप्त कर ली गई है। अंश पूँजी लेनदेन को अभिलेखित करने के लिए कंपनी की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। आवेदन और आबंटन के मिश्रित खाते के साथ भी रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

हल

कंपनी की पुस्तक
अ. आवेदन और आबंटन के लिए पृथक् खाता
रोचनामचा

दिनांक 2001	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
जन. 15	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन (3,000 पर 30 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त अंशों राशि)		90,000	90,000
फर. 1	समता अंश आवेदन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (3,000 अशों की आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण)		90,000	90,000
फर. 1	समता अंश आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (3,000 अंशों पर 20 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन पर देय राशि)		60,000	60,000
फर. 15	बैंक खाता नाम समता अंश आबंटन खाता (अंशों के आबंटन पर प्राप्त राशि)		60,000	60,000
मार्च 1	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (3,000 अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग देय राशि)		75,000	75,000
मार्च 15	बैंक खाता नाम समता अंश प्रथम माँग खाता (अशों की प्रथम माँग पर प्राप्त राशि)		75,000	75,000
मई 1	समता अंश द्विवितीय व अंतिम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (3,000 अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से द्विवितीय व अंतिम माँग देय राशि)		75,000	75,000
मई 15	बैंक खाता नाम समता अंश व द्विवितीय अंतिम माँग खाता (अंशों की द्विवितीय व अंतिम माँग पर प्राप्त राशि)		75,000	75,000

टिप्पणी : *यदि निर्गमित अंशों के वर्ग के संबंध में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है, तो वे हमेशा समता अंश माने जाते हैं।*

ब. आवेदन-पत्र और आबंटन के लिए मिश्रित खाता

रोजनामचा

दिनांक 2001	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* (रु)	*जमा राशि* (रु)
जन. 15	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन व आबंटन खाता (3,000 अंशों के लिए पर 30 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त आवेदन राशि)		90,000	90,000
फर. 1	समता अंश आवेदन व आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (अंशों के आवेदन पर प्राप्त राशि व आबंटन पर देय राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण)		1,50,000	1,50,000
फर. 15	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन व आबंटन खाता (अंशों के आबंटन पर प्राप्त राशि)		60,000	60,000
मार्च 1	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (3,000 अंशों के लिए पर 25 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)		75,000	75,000
मार्च 15	बैंक खाता नाम समता अंश प्रथम माँग खाता (अंशों की प्रथम माँग पर प्राप्त राशि)		75,000	75,000
मई 1	समता अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (3,000 अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से द्वितीय अंतिम माँग राशि देय)		75,000	75,000
मई 15	बैंक खाता नाम समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग खाता (अंशों की द्वितीय व अंतिम माँग पर प्राप्त राशि)		75,000	75,000

6.3.3.1 माँग की बकाया राशि

कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अंशधारक आबंटन और उनके अंशों पर देय माँग राशि भुगतान करने में असफल होते हैं। एक या अधिक किश्तों की वजह से कुल अदत्त राशि को ''अदत्त माँग/ माँग की बकाया राशि कहते हैं।

माँग की बकाया राशि के लिए पृथक् खाता रखना अनिवार्य नहीं है। आबंटन या माँग खाता का नाम शेष तुलन-पत्र में परिसंपत्ति के रूप में नहीं बल्कि माँगी गई पूँजी में से कटौती करके दिखाया जाएगा। परंतु जहाँ कंपनी माँग की बकाया राशि का खाता रखती है, रोजनामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार की होगी।

माँग की बकाया राशि खाता	नाम	(बकाया माँग की राशि)
अंश आबंटन खाता और / या		
अंश माँग खाता		

कंपनी के अंतर्नियम संचालकों को सामान्यत: माँग की बकाया राशि पर निश्चित दर से ब्याज वसूल करने का अधिकार देता है यदि अंतर्नियम इस संबंध में मौन है तो तालिका 'क' में अंतर्विष्ट नियम लागू होगा। तालिका 'क' कंपनी अधिनियम 1956 के संबंधित बनाए गए आदर्श या प्रतिमान कंपनी अंतर्नियम का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए है, जिनका अपना कोई अंतर्नियम नहीं है या जिनका अंतर्नियम कुछ अर्थों में पूर्ण नहीं है इसके अनुसार अंशों पर भुगतान की निश्चित अवधि और वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि के लिए सभी अदत्त राशि पर ब्याज की व्यवस्था है, जो प्रतिवर्ष 55 से अधिक न होगी परंतु संचालकों को अपनी इच्छा से विशिष्ट मामलों में इसे टालने का अधिकार है।

बकाया माँग की दशा में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

(i) *बकाया माँग पर ब्याज देय*

विविध सदस्य (अंशधारक) खाता	नाम
बकाया माँग पर ब्याज खाता	

(ii) *बकाया माँग पर ब्याज प्राप्ति पर*

बैंक खाता	नाम
विविध सदस्य खाता	

अग्रिम माँग या माँग की अग्रिम राशि

अंशधारक भिन्न-भिन्न समय पर की गई माँगों पर भुगतान करने की कठिनाई से बचने के लिए अपने अंशों पर अभी तक नहीं माँगी गई राशि का आंशिक या पूर्ण माँग का भुगतान करता है।

अंशधारक द्वारा कोई भी राशि जो उसके द्वारा देय राशि के अतिरिक्त हो, अग्रिम माँग राशि कहलाती है। सारणी 'अ' के अनुसार अग्रिम माँग पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है।

कंपनी द्वारा प्राप्त की गई अग्रिम राशि "अग्रिम माँग खाते" में जमा की जाती है। इसकी रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

बैंक खाता	नाम	
अग्रिम माँग खाता		

इस तरह की माँगी गई राशि पर कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह कंपनी की अंश पूँजी का भाग नहीं बनता है। जब माँग वास्तव में देय बन जाती है और अग्रिम माँग खाते में समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है तो रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

अग्रिम माँग खाता		(देय योग्य माँग)
विशेष माँग खाता		

अग्रिम माँग खाते का शेष कंपनी के तुलन-पत्र अंश पूँजी शीर्षक के संबंधित दायित्व की ओर पृथक् मद के रूप में दिखाया जाता है परंतु प्रदत्त पूँजी की राशि में जोड़ा नहीं जाता है।

अग्रिम माँग पर ब्याज की लेखांकन विधि इस प्रकार है :

देय ब्याज

अग्रिम माँग पर ब्याज खाता	नाम	(भुगतान के लिए देय
विविध सदस्य		ब्याज की रकम)

देय ब्याज

अग्रिम माँग पर ब्याज	नाम	(भुगतान के लिए देय
विविध सदस्य		ब्याज की रकम)

उदाहरण 2 (बकाया माँग)

रश्मि लिमिटेड ने 10,000 अंश सम-मूल्य पर 10 रु. प्रति अंश की दर से निर्गमित किए जो प्रति अंश 2.50 रु. आवेदन पर 3 रु. आबंटन पर, 2 रु. प्रथम माँग पर और शेष अति माँग पर देय है। एक अंशधारी अपने 100 अंशों पर अंतिम माँग राशि देने में असफल रहा और इसके अतिरिक्त समस्त अंशों पर पूर्ण राशि का भुगतान हुआ। उपर्युक्त लेनदेन के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

हल

रश्मि लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन खाता (10,000 अंशों पर 2.50 रु. प्रति अंश की दर से प्रति आवेदन राशि)		25,000	25,000
	समता अंश आवेदन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (10,000 अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि का अंश पूँजी खाते में हस्तांरण)		25,000	25,000
	समता अंश आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (10,000 अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)		30,000	30,000
	बैंक खाता नाम समता अंश आबंटन खाता (अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)		30,000	30,000
	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (10,000 अंशों पर 2 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग देय)		20,000	20,000
	बैंक खाता नाम समता अंश प्रथम पूँजी खाता (प्रथम अंश माँग राशि प्राप्त)		20,000	20,000
	समता अंश अंतिम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (10,000 अंशों पर 2.50 रु. प्रति अंश की दर से अंतिम माँग देय)		25,000	25,000
	बैंक खाता नाम बकाया माँग खाता नाम समता अंश अंतिम माँग (9,900 अंशों पर अंतिम माँग राशि प्राप्त)		24,750 250	25,000

उदाहरण 3 (बकाया माँग एवं अग्रिम माँग)

एक लिमिटेड कंपनी जिसकी 2,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी 100 रु. प्रति अंश में विभाजित थी, अभिदान के लिए 1,000 अंश निर्गमित किए जो प्रति अंश 25 रु. आवेदन पर; प्रति अंश 30 रु. और आबंटन से तीन माह पश्चात् प्रथम माँग पर तथा शेष राशि जब भी आवश्यकता हो देय है, अभिदान सूची 31 जनवरी, 2002 को बंद हुई, जब 1,000 अंशों पर आवेदन की राशि प्राप्त कर ली गई और आबंटन एक मार्च, 2002 को किया गया।

आबंटन राशि पूरी प्राप्त हुई परंतु जब प्रथम माँग के समय एक अंशधारी अपने 100 अंशों पर देय राशि देने में असफल रहा और एक अन्य अंशधारी ने अपने 50 अंशों पर पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया।

यह मानते हुए कि समस्त देय राशि एक माह के भीतर प्राप्त कर ली थी। इस अंश पूँजी लेनदेन को कंपनी की बहियों में अभिलेखित करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

हल

कंपनी की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
जन. 31	बैंक खाता नाम		25,000	
	समता अंश आवेदन खाता			25,000
	(1,000 अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त आवेदन राशि)			
मार्च 1	समता अंश आवेदन खाता नाम		25,000	
	समता अंश पूँजी खाता			25,000
	(आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण)			
मार्च 1	समता अंश आबंटन खाता नाम		25,000	
	समता अंश पूँजी खाता			25,000
	(1,000 अंशों पर 30 रु. प्रति अंश की दर से राशि देय)			
अप्रैल 1	बैंक खाता नाम		25,000	
	समता अंश आबंटन खाता			25,000
	(अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)			

जून 1	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (1,000 अंशों पर 20 रु. प्रति अंश की दर से देय)		20,000	20,000
जुलाई 1	बैंक खाता नाम बकाया माँग खाता खाता नाम समता अंश प्रथम माँग खाता अग्रिम माँग खाता (900 अंशों पर 20 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग 100 अंशों पर 20 रु. प्रति प्रति अंश की दर से प्रथम माँग बकाया तथा 50 अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से अग्रीम राशि प्राप्त)		19,500 2,000	20,000 1,250

उदाहरण 4

रश्मि स्वदेशी लिमिटेड 50,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी पर समामेलित हुई, जिसका विभाजन 100 रु. प्रति अंश के 20,000, 5% पूर्वाधिकार अंशों और 100 रु. प्रति अंश के 30,000 के समता अंश पूँजी के आधार पर किया गया। कंपनी द्वारा आधी पूँजी निर्गमित की गई। अंशों पर माँग इस प्रकार देय थी।

	समता अंश	*पूर्वाधिकार अंश*
आवेदन	20	20
आबंटन	30	30
प्रथम माँग	25	25
अंतिम माँग	25	25

सभी अंश पूर्णतया अभिदत्त हुए तथा 100 समता अंशों और 200 पूर्वाधिकार अंशों पर अंतिम माँग के अतिरिक्त समस्त देय राशि प्राप्त की गई। उपर्युक्त लेनदेन को रोजनामचों और रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टि कीजिए।

हल

रश्मि स्वदेशी लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	समता अंश आवेदन खाता नाम 5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता नाम समता अंश पूंजी खाता 5% पूर्वाधिकार अंश पूँजी खाता (आवेदन राशियों का अंश पूँजी में हस्तांतरण)		3,00,000 2,00,000	 3,00,000 2,00,000
	समता अंश आबंटन खाता नाम 5% पूर्वाधिकार अंश आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता 5% पूर्वाधिकार अंश पूँजी खाता (15,000 समता अंशों पर 30 रु. प्रति समता अंश की दर से तथा 20,000 5% पूर्वाधिकार अंशों पर 30 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)		4,50,000 3,00,000	 4,50,000 3,00,000
	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम 5% पूर्वाधिकार अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता 5% पूर्वाधिकार अंश पूँजी खाता (15,000 समता अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से तथा 10,000 5% पूर्वाधिकार अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)		3,75,000 2,50,000	 3,75,000 2,50,000
	समता अंश अंतिम माँग खाता नाम 5% पूर्वाधिकार अंश अंतिम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता 5% पूर्वाधिकार अंश पूँजी खाता (15,000 समता अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से तथा 10,000 , 5% पूर्वाधिकार अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से अंतिम माँग राशि देय)		3,75,000 2,50,000	 3,75,000 2,50,000

	माँग पर बकाया राशि खाता नाम समता अंश पूँजी खाता 5% पूर्वाधिकार अंश अंतिम माँग खाता (100 समता अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से तथा 200, 5% पूर्वाधिकार अंशों पर 25 रु. प्रति अंश की दर से अंतिम माँग राशि देय)		7,500	 2,500 5,000

रोकड़ खाता (बैंक)

प्राप्तियाँ **रोकड़ पुस्तक (केवल बैंक पक्ष)** **भुगतान**

दिनांक	*विवरण*	*राशि* रु.	*दिनांक*	*विवरण* रु.	*राशि*
	समता अंश आवेदन	30,00,000		शेष आ/ले	24,92,500
	5% पूर्वाधिकार अंश आवेदन	2,00,000			
	समता अंश आबंटन	4,50,000			
	5% पूर्वाधिकार अंश आबंटन	3,00,000			
	समता अंश प्रथम माँग	3,75,000			
	5% पूर्वाधिकार अंश प्रथम माँग	2,50,000			
	समता अंश अंतिम माँग	3,72,500			
	5% पूर्वाधिकार अंश अंतिम माँग	2,45,000			
	योग	**24,92,500**		**योग**	**24,92,500**

6.3.4 अधि-अभिदान

ऐसी स्थिति जब विवरण-पत्र द्वारा जनता को प्रस्तावित अंशों की संख्या से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए जाते हैं तो इसे अधिक-अभिदान कहा जाता है। ऐसा सुव्यवस्थित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ कंपनियों के अंश निर्गमन के संदर्भ में है। तत्पश्चात् आबंटन सेबी रूपरेखा के अनुसार, समस्त आवेदन-पत्रों को आवेदन किए गए अंशों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विक्रय ढेरी में अनुपातिक आधार पर किया जाता है :

(अ) प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए गए कुल अंशों की संख्या की गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी अर्थात्, उस वर्ग में आवेदन किए गए अंशों की कुल संख्या (वर्ग के कुल आवेदक × आवेदन किए गए अंशों की संख्या) और अधि-अभिदान अनुपात के व्युत्क्रम का गुणनफल उदाहरणनार्थ, यदि 100 अंशों के वर्ग में 1,500 आवेदनकर्ता हैं और अभिदान तीन गुणा है तो इस वर्ग में आनुपातिक आबंटन निम्न प्रकार किया जाएगा :

$$1,50,000 \times \frac{1}{3} = 50,000 \text{ अंश}$$

(ब) सफल आवेदनकर्ताओं को अंशों का आबंटन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा अर्थात्, प्रत्येक आवेदनकर्ता द्वारा उस वर्ग में आवेदन किए गए कुल अंशों की संख्या और अधि–अभिदान अनुपात के व्युत्क्रम का गुणनफल। यह ध्यान देने योग्य है कि अंशों की संख्या विक्रय ढेरी में होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि आवेदनकर्ता ने 100 अंशों के लिए आवेदन किया है तथा अभिदान तीन गुणा है तो आवेदकर्ता के हिस्से में

$100 \times \frac{1}{3} = 33$ अंश आएँगे।

जिसे 100 अंशों पर पूर्णांकन किया जाएगा, यदि विक्रय ढेरी 100 अंशों की है।

(स) वे सभी आवेदन जिसमें प्रत्येक आवेदनकर्ता को 100 अंशों के कम अंश आबंटित किए गए हों, अंशों का आबंटन निम्न प्रकार किया जाएगा :

(i) प्रत्येक सफल आवेदनकर्ता को न्यूनतम 100 प्रतिभूतियाँ आबंटित की जाएँगी; और

(ii) उस वर्ग के सफल आवेदनकर्ताओं का चुनाव ढेरी में से चुनकर इस प्रकार किया जाएगा कि उस वर्ग में से आबंटित अंशों की कुल संख्या (अ) में गणना किए गए अंशों की संख्या के बराबर होगी।

(द) यदि आनुपातिक आबंटन के पश्चात्, किसी आवेदनकर्ता के हिस्से 100 से अधिक अंश आते हैं, जो कि 100 का गुणज नहीं है (जो कि विक्रय ढेरी है)। यदि वह संख्या 50 या उससे अधिक है तो ऐसी स्थिति में 100 के गुणज से अधिक संख्या को 100 के उच्च गुणज से पूर्णांकित किया जाएगा।

(इ) यदि यह संख्या 50 से कम है तो उसे 100 के निम्न गुणज से पूर्णांकित किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि आनुपातिक आबंटन 250 अंश है तो आवेदनकर्ता को 300 अंश दिए जाएँगे। किंतु, यदि आनुपातिक आबंटन 240 अंश है तो आवेदनकर्ता को 200 अंश दिए जाएँगे।

(फ) यदि किसी वर्ग में आवेदनकर्ताओं को आबंटित अंशों की संख्या उस वर्ग की कुल अंश संख्या से अधिक हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में आधिक्य की अन्य वर्ग की कमी के पूरा करने के लिए समायोजित किया जाएगा।

(ज) समस्त समायोजनों के उपरांत शेष अंशों, यदि हैं तो, उस वर्ग में जोड़ा जाएगा जिसमें आवेदनकर्ताओं द्वारा न्यूनतम अंशों के लिए आवेदन किया गया है।

(ह) 100 के गुणज के समीप की पूर्णांकन प्रक्रिया द्वारा यह संभव है कि वास्तविक आबंटन आवेदित अंशों से अधिक होने पर आवेदित अंशों में 10% की गुंजाइश की जाती है अर्थात् अंतिम आबंटन आवेदित अंशों से 10% अधिक हो सकता है।

6.3.4.1. लघु व्यक्तिगत आवेदनकर्ताओं हेतु संरक्षण

अधि-अभिदान की स्थिति में लघु व्यक्तिगत आवेदनकर्ताओं को संरक्षण हेतु नियम निम्नांकित हैं :

(अ) जनता को शुद्ध आवेदित प्रतिभूतियों का न्यूनतम 50% हिस्सा व्यक्तिगत आवेदनकर्ताओं को दिया जाना आवश्यक है, जिन्होंने 10 विक्रय ढेरी के बराबर अथवा कम अंशों, श्रणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है।

(ब) जनता हेतु प्रतिभूतियों के शुद्ध आवेदित शेष का आबंटन इस प्रकार किया जाएगा :

(i) व्यक्तिगत आवेदनकर्ताओं जिन्होंने 10 विक्रय ढेरी से अधिक प्रतिभूतियों के लिए आवेदन किया है; और

(ii) अन्य निवेशक को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों की संख्या को ध्यान में न रखते हुए, जिसमें कंपनी / संस्थाएँ सम्मिलित हैं।

(स) किसी भी वर्ग में शुद्ध आवेदन का गैर-अभिदान हिस्से की, जिसे (अ) और (ब) में बताया जा चुका है, अन्य वर्गों के आवेदनकर्ताओं के समक्ष आबंटन हेतु रखा जा सकता है / जाएगा।

ध्यान रहे कि ''सार्वजनिक आवेदन का न्यूनतम 50% से आशय है कि यदि व्यक्तिगत, आवेदनकर्ता आनुपातिक सूत्र के अनुसार, 70% प्राप्ति का अधिकारी है तो उस वर्ग को 70% दिया जाएगा। यदि वर्ग सार्वजनिक आवेदन के 30% का अधिकारी है तो आनुपातिक आंबटन सूत्र के अनुसार शुद्ध सार्वजनिक आवेदन के न्यूनतम 50% का संरक्षण दिया जाएगा।

न्यूनतम विक्रय ढेरी 10 रु. प्रति अंश के अंकित मूल्य के संदर्भ में, आवेदनकर्ता के विकल्प पर, आवेदन मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा : दिया गया है कि न्यूनतम विक्रय ढ़ेरी, किसी भी स्थिति में 100 अंशों से अधिक नहीं होगी।	
आवेदन मूल्य प्रति अंश	*न्यूनतम विक्रय ढ़ेरी*
100 रुपए तक	100 अंश
101 रुपए से 400 रुपए तक	50 अंश
400 रुपए से अधिक	10 अंश

फर्म आबंटन

जब प्रवर्तक अथवा अन्य व्यक्ति अथवा संस्था कुल अंश निर्गम में से एक विशेष संख्या के अंशों को अभिदत्त करने हेतु निवेदन करते हैं तो इस वर्ग में किए गए अंशों के आबंटन को फर्म आबंटन

कहा जाता है। फर्म आबंटन भारतीय और बहुपक्षीय विकासशील वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूट्यूअॅल कोष, निर्गामी कंपनी के स्थायी / नियमित कर्मचारी, अनुसूचित बैंक, अप्रवासी भारतीय, विदेशी कंपनियाँ और विदेशी संस्थागत निवेशकों को किया जा सकता है।

उदाहरण 5 (वर्गानुसार आबंटन)

'अ' लिमिटेड कंपनी ने प्रति अंश 10 रु. के 2,00,000 समता अंशों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए। अभिदान सूची के समापन पर, बैंक द्वारा 6,00,000 समता अंश पर आवेदन पत्र प्राप्त होने की सूचना दी गई, जिनका विवरण निम्नांकित है :

क्र.सं.	*वर्गानुसार आवेदित अंशों की संख्या*	*आवेदनकर्ता की संख्या*
1	100	1,500
2	200	400
3	300	300
4	400	300
5	500	200
6	600	100

प्रत्येक वर्ग में आबंटित अंशों की संख्या ज्ञात करें तथा 100 अंशों की विक्रय ढेरी मानते हुए सफल आवेदनकर्ताओं की संख्या ज्ञात करें।

हल

अंशों के आनुपातिक आबंटन की सारणी

क्र.सं.	वर्गानुसार आवेदित अंशों की संख्या	आवेदनकर्ताओं की संख्या	प्रत्येक आवेदनकर्ता द्वारा आवेदित अंशों की संख्या (2×3)	प्रत्येक वर्ग में आनुपातिक आबंटन (एक तिहाई)	प्रत्येक आवेदन पत्र पर आंबटित अंशों की संख्या	सफल आवेदनकर्ताओं की संख्या	कुल आबंटित आवेदन-पत्र पर आबंटित अंशों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	100	1,500	1,50,000	50,000	100	500	50,000
			+9,900*		+99*	+9,900	
2.	200	400	80,000	26,700	100	267	26,700
3.	300	300	90,000	30,000	100	300	30,000
4.	400	300	1,20,000	40,000	100	300**	30,000
5.	500	200	1,00,000	33,300	200	167#	33,400
			+100#				
6.	600	100	60,000	20,000	200	100	20,000
			6,00,000	2,00,000			2,00,000

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. स्तंभ 5 में प्रत्येक आवेदनकर्ता के आनुपातिक आबंटन जो कि एक तिहाई है, दर्शाया गया है।
2. वर्ग 5 में दर्शाये गए सफल आवेदनकर्ताओं की संख्या का पूर्णांकन के पश्चात् समायोजन 166.5 (33,300/200) से 167 (रु.) किया गया है।
3. वर्ग 1 और वर्ग 2 में जिनके आवेदनकर्ताओं ने क्रमशः 100 और 200 अंशों के लिए आवेदन किया है, उन्हें क्रमशः 33 और 66 अंश प्रदान किए गए हैं, जिनका 100 अंशों की विक्रय ढेरी के आधार पर पूर्णांकन किया गया है।
4. वर्ग 3,4,5 और 6 के आवेदनकर्ताओं को क्रमशः 100, 133,166, और 200 समता अंश प्रदान किए जाएँगे। हालांकि, पूर्णांकन 100 अंशों पर है इसलिए वर्ग 3 और वर्ग 4 को 100 अंश और वर्ग 5 और वर्ग 6 को 200 अंश दिए जाएँगे।

** चौथे वर्ग में सफल आवेदकों की संख्या और उन्हें आबंटित अंशों की संख्या उस आनुपातिक को वर्ग 1 में समायोजित किया जाएगा।

अधि-अभिदान के संदर्भ में लेखांकन व्यवहार

इस स्थिति में संचालकों के पास तीन विकल्प उपलब्ध होते हैं। वे कुछ आवेदनों को पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं और कुछ को पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं, वे *यथानुपात वितरण* कर सकते हैं, वे उपर्युक्त दोनों विकल्पों का मिला-जुला स्वरूप अपना सकते हैं और यह अति सामान्य व्यवहार है जिसे अपनाया जाता हैं।

अधि-अभिदान की समस्या अंततः अंशों के आबंटन द्वारा सुलझाई जाती है। इसलिए लेखांकन की दृष्टि से अभिदान की स्थिति को आवेदन और आबंटन के संपूर्ण ढाँचे में रखना उचित है अर्थात् आवेदन राशि की प्राप्ति आबंटन पर देय राशि और अंशधारियों से उसकी प्राप्ति की जाती है।

प्रथम विकल्प

संचालक कुछ आवेदन पत्र पूर्णतः स्वीकार कर सकते हैं और अपेक्षित संख्या से अधिक आवेदनों को पूर्णतः अस्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, तो इस विधि के अनुसार संचालक 5000 अंशों के लिए आए आवेदन पूर्णतः अस्वीकार कर देंगे जो कि अपेक्षित संख्या से अधिक हैं।

आवेदन एवं आबंटन के संदर्भ में निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टि दी जाएगी :

(1)	(i) बैंक खाता	नाम	(प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या × प्रति अंश आवेदन पत्र राशि)
	अंश आवेदन (प्रति अंश....रु. की दर से अंशों के लिए आवेदन पत्र पर प्राप्त राशि)		

द्वितीय विकल्प

संचालक आबंटन के लिए उपलब्ध अंशों के आवेदकों के बीच समानुपातिक करने का विचार भी कर सकते हैं। इस समानुपात का निर्धारण आबंटन करने वाले अंशों की संख्या और उन अंशों की संख्या जिसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, के अनुपात से होता है। इसे 'यथानुपात आबंटन' कहते हैं। उदाहरणस्वरूप, उस स्थिति में जब 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए और 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए तो प्रत्येक 5 अंशों के आवेदनकर्ता को (20,000 अंशः 25,000 अंश) यथानुपात आबंटन के अनुसार 4 अंशों का आबंटन किया जाएगा; 5,000 अंशों पर आधिक्य आवेदन राशियों को 20,000 अंशों पर देय आबंटन के प्रति समायोजित किया जाएगा (यदि निर्गम मूल्य को किश्तों पर माँगा गया है)। यदि संपूर्ण निर्गम मूल्य को आवेदन के समय ही माँगा गया है तो आवेदित प्रतिभूतियों की 10% से अधिक राशि को वापिस कर दिया जाएगा।

इस विकल्प के संबंधित आवेदन और आबंटन पर रोजनामचा प्रविष्टियाँ इस प्रकार होंगी :

(1) आवेदन राशि की प्प्ति पर

बैंक खाता	नाम	(प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या ×
अंश आवेदन		प्राप्त आवेदन की धनराशि)
(आवेदन राशि पर समायोजन)		

(2) आवेदन राशि के समायोजन पर

अंश आवेदन पत्र	नाम	(आबंटित शेयरों की संख्या)
अंश पूँजी खाता		×
अंश आबंटन खाता		प्रति शेयरों आवेदन पत्र की राशि)
(आबंटन राशि देय होने पर)		

(3) आवेदन राशि के देय होनम पर

अंश आबंटन खाता	नाम	
अंश पूँजी खाता		

(4) आबंटन राशि की प्प्ति पर

बैंक खाता	नाम	
अंश आबंटन खाता		

तृतीय विकल्प

यह ऊपर वर्णित दो विकल्पों का सम्मिश्रण है :

(क) कुछ अंशों के लिए आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकार कर दिए जाते हैं; और

(ख) बाकी अंशों के आवेदकों को यथानुपातिक आबंटन किए जाते हैं।'

अतः अस्वीकृत आवेदन की धनराशि वापस कर दी जाती है और यथानुपात वितरण के कारण आधिक्य आवेदन, आवेदन राशि को आबंटन पर देय राशि पर समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए 10,000 अंशों के आमंत्रण पर 15,000 अंशों को आवेदन प्राप्त होते हैं। संचालक 2,500 अंशों के आवेदन पत्रों को तुरंत अस्वीकार करने और शेष 12,500 अंशों के लिए आवेदन को 10,000 यथानुपात आबंटन करने का निर्णय लेते हैं ताकि प्रत्येक पाँच अंशों पर चार अंश आबंटित किए जा सके। (10,000 अंश : 12,500 अंश); अस्वीकृत 2,500 अंशों के लिए आवेदन-पत्रों की धनराशि वापस कर दी जाएगी। शेष और बाकी 2,500 अंशों को आवेदनों की धनराशि (12,500 अंश-10,000 अंश को आबंटन खाते के जमा पक्ष में दिखाया जाएगा क्योंकि 10,000 आबंटित अंशों पर देय आबंटन राशि के साथ समायोजन किया गया है।

इस विकल्प के अनुसार आवेदन और आबंटन पर रोजनामचा प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार की होंगी :

(1)	बैंक खाता अंश आवेदन खाता (प्रति अंश.....रु. की दर से अंशों के लिए आवेदन पर प्राप्त राशि)	नाम	(आवेदित अंशों की संख्या) × (प्रति अंश आवेदन की रकम)
(2)	अंश आवेदन खाता अंश पूँजी खाता अंश आबंटन खाता बैंक खाता	नाम	(आबंटित अंशों की संख्या प्रति अंश आवेदन राशि यथानुपात आबंटन के कारण अतिरिक्त आवेदन-पत्र राशि अस्वीकृत अंशों की संख्या) × (प्रति अंश आवेदन राशि)

(आवेदन की धनराशि अंश पूँजी में हस्तांतरित, अतिरिक्त आवेदन शुल्क, अंश आबंटन खाते में जमा और अस्वीकृत आवेदन-पत्र की धनराशि वापस की गई)

(3)	अंश आबंटन खाता अंश पूँजी खाता (प्रति अंश रु. की दर से अंशों के आबंटन पर देय राशि)	नाम	(आबंटित अंशों की संख्या × प्रति आबंटन राशि)
(4)	बैंक खाता अंश आबंटन खाता (अतिरिक्त आवेदन पत्र के रूप में पहले प्राप्त हो चुकी रकम के समायोजन के बाद प्राप्त आबंटन की धनराशि)	नाम	(देय आबंटन राशि) × (अतिरिक्त आवेदन राशि)

उदाहरण 6 (वर्गीकृत आबंटन)

एक लिमिटेड कंपनी ने प्रति अंश प्रत्येक 30 रु. 1,00,000 समता अंशों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जो निम्न प्रकार से देय थे :

		रु.
आवेदन पर	–	प्रति अंश 7.50
आबंटन पर	–	प्रति अंश 7.50
प्रथम माँग पर (आबंटन के दो माह बाद देय)	–	प्रति अंश 7.50
दूसरी व अंतिम माँग (प्रथम माँग के दो माह बाद देय)	–	प्रति अंश 7.50

1 जनवरी, 2001 को 4,00,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और अंशों का आबंटन 1 फरवरी, 2001 को किया गया।

निम्नलिखित प्रत्येक परिस्थितियों के संबंधित इन अंश पूँजी लेनदेन की रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

(1) संचालकों ने 1,00,000 अंशों का आनुपातिक आबंटन का निर्णय लिया शेष अंशों के लिए आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिए।

(2) संचालक अंशों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र के 25% का यथानुपात आबंटन करने, शेष आवेदन राशि को आबंटन पर देय राशि के प्रति समायोजित करने तथा उसके पश्चात् बाकी राशि को वापिस करने का निर्णय लिया।

लिमिटेड कंपनी की पुस्तक
रोजनामचा

प्रथम स्थिति

दिनांक 2001	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
जन. 1	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन खाता (4,00,000 अंशों पर 7.50 रु. प्रति अंश की दर से अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि)		30,00,000	 30,00,000
फर. 1	समता अंश आवेदन पत्र खाता नाम समता अंश पूँजी खाता बैंक खाता (1,00,000 अंशों की आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण और 3,00,000 अंशों की अस्वीकृत आवेदन की राशि वापस)		30,00,000	 7,50,000 22,50,000
फर. 1	समता अंश आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (1,00,000 अंशों पर 7.50 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)		7,50,000	 7,50,000
	बैंक खाता नाम समता अंश आबंटन खाता (अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)		7,50,000	 7,50,000

अप्रैल 1	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता नाम (1,00,000 अंशों पर 7.50 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)		7,50,000	7,50,000
''	बैंक खाता नाम समता अंश आबंटन खाता (अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)		7,50,000	7,50,000
जून 1	समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (1,00,000 अंशों पर 7.50 रु. प्रति अंश की दर से द्वितीय व अंतिम माँग राशि देय)		7,50,000	7,50,000
जून 1	बैंक खाता नाम समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग खाता (अंशों पर द्वितीय व अंतिम माँग राशि प्राप्त)		7,50,000	7,50,000

दूसरी स्थिति

दिनांक 2001	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
जन. 1	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन खाता (4,00,000 अंशों पर 7.50 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त आवेदन राशि)		30,00,000	30,00,000
फर. 1	समता अंश आवेदन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता समता अंश आबंटन खाता बैंक (आबंटित अंशों की आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण, अतिरिक्त आवेदन राशि आबंटन खाते में समायोजन और अस्वीकृत आवेदन राशि वापस)		30,00,000	7,50,000 7,50,000 15,00,000
फर. 1	समता अंश आवेदन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (1,00,000 अंशों पर 7.50 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)		7,50,000	7,50,000

टिप्पणी : *दोनों माँगों से संबंधित प्रविष्टियाँ पहली स्थिति की तरह होंगी।*

6.3.5. अल्प अभिदान

यदि अंशों की आमंत्रित संख्या से कम अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं, तो अल्प अभिदान की स्थिति उत्पन्न होती है जो यह इस शर्त पर आधारित है कि कम से कम न्यूनतम अभिदान प्राप्त कर लिया गया हो क्योंकि बिना इस अभिदान के अंश निर्गमन की प्रक्रिया वैधानिक रूप से आगे नहीं चल सकती है। अधि-अभिदान के विपरीत अल्प-अभिदान स्थिति के लिए किसी विशेष लेखांकन की आवश्यकता नहीं होती है। अल्प-अभिदान की स्थिति में लेखांकन प्रविष्टियाँ अंश निर्गम की प्रविष्टियों के समान की जाती है। यदि आवेदन 90% से कम होता है, निर्गमन समाप्त हो जाता है, यदि निर्गम अभिगोपित नहीं है तो।

6.3.6. निर्गमन मूल्य पर अंशों का निर्गमन

निर्गमन के दृष्टिकोण से एक कंपनी सार्वजनिक निर्गम निम्नाकिंत में से एक आधार पर कर सकती है।

6.3.6.1 सममूल्य पर अंशों का निर्गमन

यदि अंश निर्गम मूल्य अंकित मूल्य सममूल्य के बराबर होता है तो उसे सममूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं।

उदाहरण 7 (सममूल्य पर निर्गमन)

एक लिमिटेड कंपनी ने प्रति अंश 10 रु. अंश पर 2,00,000 अंश निर्गमित किए जिनका भुगतान इस प्रकार देय था :

आवेदन पर 2.50 रु.
आबंटन पर 2.50 रु.
शेष राशि दो समान माँग पर

जनता द्वारा सभी अंशों को अभिदत्त किया गया तथा सभी माँगों का पूर्णतः भुगतान कर दिया गया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन खाता (2,00,000 अंशों पर 2.5 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त आवेदन राशि)		5,00,000	5,00,000
	समता अंश आवेदन खाता नाम समता अंश आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण एवं 2,00,000 अंशों पर 2.5 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)		5,00,000 5,00,000	10,00,000
	बैंक खाता नाम समता अंश आबंटन खाता (अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)		5,00,000	5,00,000
	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (2,00,000 अंशों पर 2.5 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)		5,00,000	5,00,000
	बैंक खाता नाम समता अंश प्रथम माँग खाता (अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)		5,00,000	5,00,000
	समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (2,00,000 अंशों पर 2.5 रु. प्रति अंश की दर से द्वितीय व अंतिम माँग राशि देय)		5,00,000	5,00,000
	बैंक खाता नाम समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग खाता (अंशों पर अंतिम माँग राशि प्राप्त)		5,00,000	5,00,000

6.3.6.2. अधिमूल्य पर अंश का निर्गमन

जब कंपनी द्वारा अपनी प्रतिभूतियाँ अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित की जाती हैं तो इसे अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। अधिमूल्य, निर्गम मूल्य का अंकित मूल्य पर आधिक्य होता है। वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित कंपनी के अंशों के लिए यह बहुत सामान्य बात है कि वे अधिमूल्य पर निर्गमित हों अर्थात् अंश के अंकित या सममूल्य से अधिक राशि पर, अत: जब 100 रु. के अंकित मूल्य का अंश 105 रु. पर जारी किया जाए तो यह 5% के अधिमूल्य (प्रीमियम) पर निर्गमित किया गया माना जाएगा।

जब अंशों को अधिमूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो अधिमूल्य की राशि अंश पूँजी लेनदेन की किसी भी अवस्था में माँगी जा सकती हैं परंतु सामान्यतया अधिमूल्य आबंटन पर देय राशि के साथ माँगा जाता है। यह कभी-कभी आवेदन पत्र की राशि के साथ और यदा-कदा माँग राशि के साथ भी माँगा जा सकता है।

लेखांकन व्यवहार

जब अंश अधिमूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं, तो अधिमूल्य राशि को पृथक् खाता, जिसे अंश अधिमूल्य खाता कहते हैं, में जमा किया जाता है क्योंकि यह अंश पूँजी का भाग नहीं है, बल्कि यह कंपनी के लिए पूँजीगत लाभ है।

अंश अधिमूल्य खाता, जमा शेष होने के कारण कंपनी के तुलन-पत्र में ''संचय व अतिरिक्त शीर्षक के संबंधित दायित्वों की ओर दर्शाया जाता है। इसका उपयोग कंपनी अधिनियम की धारा 78 में वर्णित केवल चार अतिरिक्त'' उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है :

1. कंपनी की अनिर्गमित प्रतिभूतियों के भुगतान के लिए इन्हें कंपनी के सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त अधिलाभांश प्रतिभूतियों के रूप में निर्गमित किया जा सकता है।
2. कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए,
3. कंपनी की प्रतिभूतियों अथवा ऋणपत्रों पर व्ययों अथवा कमीशन भुगतान अथवा देय कटौती को अपलिखित करने के लिए।
4. कंपनी की पूर्वाधिकार प्रतिभूतियों अथवा ऋणपत्रों के शोधन अधिमूल्य पर शोधन के लिए
5. कंपनी द्वारा अपने अंशों के क्रय हेतु।

जब अंशों का निर्गमन अधिमूल्य पर किया जाता है तो रोजनामचा प्रविष्टियाँ इस प्रकार होंगी :

(क) आवेदन पत्र की राशि के साथ माँगी गई अधिमूल्य राशि

(1)	बैंक खाता अंश आवेदन पत्र (अधिमूल्य सहित प्रति अंश रु. के अंशों के आवेदन पत्र पर प्राप्त राशि)	नाम	(आवेदन की कुल धनराशि + अधिमूल्य राशि)
(2)	अंश आवेदन पत्र खाता	नाम	(आवेदित शेयरों की संख्या × प्रति अंश आवेदन पत्र की राशि)
	अंश पूँजी खाता		आबंटित अंशों की संख्या × प्रति अंश आबंटन व अधिमूल्य की राशि
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता		आवेदित अंशों की संख्या × प्रति अंशत अधिमूल्य की राशि)

(ख) आबंटन के साथ माँगी गई अधिमूल्य राशि

(1)	अंश आबंटन खाता	नाम	
	अंश पूँजी खाता		आबंटित अंशों की संख्या × प्रति अंश आबंटन का अधिमूल्य की राशि
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता		(आबंटित अंशों की संख्या × प्रति अंश अधिमूल्य)
	(अधिमूल्य सहित प्रति अंश...रु. की दर से.... अंशों के आबंटन पर देय राशि)		
(2)	बैंक खाता अंश आबंटन खाता (अधिमूल्य सहित प्राप्त आबंटन राशि)	नाम	

6.3.6.2.1 नए अंशों का मूल्यनिर्धारण

कंपनी नए अंशों को जारी करते समय अंशों के मूल्य निर्धारण निम्नलिखित तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए करते हैं।

1. विगत तीन वर्षों का प्रति अंश आय (EPS) पूँजी में हुए परिवर्तन के समायोजन के आधार पर।
2. पूर्व निर्गम की कीमत/आय और उसकी उद्योग कीमत/आय से तुलना (Net Profit)।
3. विगत तीन वर्षों की शुद्ध यर्थात् परिसंपत्ति पर औसत प्रत्याय।

4. पूर्व निर्गम प्रति अंश आय को रखने के लिए शुद्ध यर्थात् परिसंपत्ति पर न्यूनतम प्रत्याय।
5. गत तुलन-पत्र पर आधारित प्रति अंश शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य।
6. निर्गम के पश्चात् प्रति अंश शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य और उसकी निर्गम मूल्य से तुलना।

उदाहरण 8 (अधिमूल्य पर निर्गम)

पॉयनियर इक्यूपमेंट लिमिटेड ने 1 अक्तूबर, 2002 को प्रत्येक 100 रु. के अंश को 25% के अधिमूल्य पर निर्गमित किए जाने वाले 25,000 समता अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त किए जिसका भुगतान इस प्रकार होगा :

आवेदन-पत्र पर	–	25
आबंटन पर	–	75 रु. (प्रीमियम सहित)
अंशों पर शेष	–	जब भी आवश्यक हो

कंपनी द्वारा 20 अक्तूबर, 2002 को अंशों का आबंटन किया गया और 31 अक्तूबर को आबंटन की धनराशि प्राप्त की गई।

अंश निर्गमन से संबंधित लेनदेन अभिलेखन के लिए कंपनी की पुस्तक में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अक्तू. 1	बैंक खाता नाम		6,25,000	
	समता अंश आवेदन खाता			6,25,000
	(25,000 प्रति अंश 25 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त आवेदन राशि)			
अक्तू. 20	समता अंश आवेदन पत्र खाता नाम		6,25,000	
	समता अंश पूँजी खाता			6,25,000
	(अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण)			
अक्तू. 20	समता अंश आबंटन खाता नाम		18,75,000	
	समता अंश पूँजी खाता			12,50,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य			6,25,000
	(25,000 प्रति अंश 25 रु. प्रति अंश अधिमूल्य सहित की दर से आबंटन राशि देय)			
अक्तू. 31	बैंक खाता नाम		18,75,000	
	समता अंश आबंटन खाता			18,75,000
	(अंशों पर अधिमूल्य सहित आबंटन की धनराशि प्राप्त)			

6.3.6.3. बट्टे पर अंशों का निर्गम

ऐसे उदाहरण हैं जब कंपनी के अंश बट्टे पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं, अर्थात् अंशों के सममूल्य या अंकित मूल्य से कम राशि पर अंकित मूल्य और निर्गमित मूल्य का अंतर अंशों के निर्गमन पर बट्टा दर्शाता है। उदाहरण के लिए जब 100 रु. के अंकित मूल्य का अंश 25 रु. पर जारी होता है तो वह 2 % बट्टे पर जारी किया गया, कहा जाएगा। धारा 79 के अनुसार कंपनी अंशों का बट्टे पर निम्नलिखित शर्तों पूरी होने पर कर सकती है जब :

(क) कटौती पर अंश जारी करने के लिए कंपनी की साधारण सभा में एक साधारण संकल्प पारित कर दिया गया और कंपनी वैधानिक बोर्ड की स्वीकृति भी मिल गई हो।

(ख) संकल्प में बट्टे की अधिकतम दर वर्णित होनी चाहिए तथा यह दर अंशों के अंकित मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। कंपनी वैधानिक बोर्ड विशेष परिस्थितियों में इस प्रतिशत में वृद्धि की अनुमति दे सकता है।

(ग) कंपनी को निर्गम की तिथि पर व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हुए कम से कम एक वर्ष हो चुका है।

(घ) केवल उसी प्रकार के अंश बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं, जिनका निर्गमन पहले भी हो चुका हो।

(ङ.) कंपनी वैधानिक बोर्ड से स्वीकृति मिलने के दो माह के भीतर अंशों का निर्गमन कर दिया जाना चाहिए।

बट्टे पर अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंधों का स्पष्ट तात्पर्य है कि–

(i) नई कंपनी अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है, और

(ii) नए वर्ग के अंश बट्टे पर नहीं जारी किए जा सकते हैं।

यदि कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन करती है तो अंशों के सार्वजनिक निर्गमन संबंधी प्रत्येक प्रविवरण पत्रिका में अंशों के निर्गमन पर दी जाने वाली बट्टे की राशि या प्रविवरण जारी करने की तिथि को बट्टे की शेष राशि, जिसका अभी परिशोधन नहीं किया गया है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है।

लेखांकन व्यवहार

जब भी बट्टे पर अंशों का निर्गमन होता है तो बट्टे की राशि आबंटन पर बहियों में अंकित की जाती है। यह 'अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता' नाम करके किया जाता है। अत: अंशों के निर्गमन पर बट्टे खाते में लेखा करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

अंश आबंटन खाता	नाम
अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता	नाम
अंश पूँजी खाता	
(प्रति अंश......रु. के.....अंशों के आबंटन पर देय राशि और अंशों के निर्गमन पर बट्टे खाते में डाली)	

नाम शेष दर्शाने वाला 'अंश निर्गमन पर बट्टा खाता' कंपनी की हानि को इंगित करता है जो कि पूँजीगत हानि होती है। अतः इस खाते को कंपनी के तुलन-पत्र में 'विविध खर्चे' के संबंधित परिसंपत्तियों की ओर अंकित किया जाता है। आगामी वर्षों में अंश अधिमूल्य खाता यदि कोई है तो, इसे अपलिखित किया जाता है और इसके न होने पर लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

उदाहरण 9 (बट्टे पर निर्गम)

एक्स लिमिटेड ने 10 प्रतिशत के बट्टे पर 20 रुपए वाले 25,000 समता अंश निर्गमित किए जो इस प्रकार देय थे :

आवेदन	5 रु. प्रति अंश
आबंटन पर	6 रु. प्रति अंश
प्रथम माँग पर	4 रु. प्रति अंश
अंतिम माँग पर	3 रु. प्रति अंश

37,500 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और संचालकों ने 30,000 अंशों के लिए आवेदकों को यथानुपात आबंटन किए।

एक्स ने उसको आबंटित किए गए 200 अंशों पर आबंटन व प्रथम माँग की राशि का भुगतान नहीं किया, जबकि वाई ने अपने 100 अंशों पर अंतिम माँग का भुगतान नहीं किया।

कंपनी की बहियों में उपर्युक्त लेनदेन अभिलेखन रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें :

हल

एक्स लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता नाम		1,87,500	
	समता अंश आवेदन पत्र खाता			1,87,500
	(37,500 अंशों पर 5 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त आवेदन राशि)			
	समता आवेदन पत्र खाता नाम		1,87,500	
	समता अंश पूँजी खाता			1,25,000
	समता अंश आबंटन खाता			25,000
	बैंक खाता			37,500
	(आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण, अतिरिक्त आवेदन राशि का आबंटन में साथ, समायोजन और अस्वीकृत आवेदन राशि पत्र शुल्क की वापसी)			
	समता अंश आबंटन खाता नाम		1,50,000	
	अंशों के निर्गमन में छूट खाता नाम		50,000	
	समता अंश पूँजी खाता			2,00,000
	(25,000 अंशों पर 6 रु. प्रति अंश की दर से बट्टा राशि सहित आबंटन राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		1,24,000	
	बकाया माँग खाता नाम		1,000	
	समता अंश आबंटन			1,25,000
	(अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)			
	समता अंश प्रथम माँग नाम		1,00,000	
	समता अंश पूँजी नाम			1,00,000
	(25,000 अंशों पर 4 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		99,200	
	बकाया माँग खाता नाम		800	
	समता अंश प्रथम माँग			1,00,000
	(अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)			

	समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (25,000 अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से द्वितीय व अंतिम माँग राशि देय)		75,000	75,000
	बैंक खाता नाम बकाया माँग खाता नाम समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग (अंशों पर द्वितीय व अंतिम माँग राशि प्राप्त)		74,100 900	75,000

हल के संदर्भ में टिप्पणी

(i) आवेदन पर राशि प्राप्त = 37,500 अंश × 5 = 1,87,500 रु.

(ii) 7,500 अंशों पर राशि वापस = 5×7,500 = 37,500 रु.

(iii) आबंटन पर राशि समायोजित = (30,000 – 25,000) × 5 रु.

= 5,000× 5 रु. = 25,000 रु.

(iv) आबंटन पर बकाया माँग = $(200 \times 6$ रु.$) - (200\times\frac{30}{25}\times 5$ रु. $- 200$ रु. $\times 5$ रु.$)$

= 1,000 रु.

(v) प्रथम माँग पर बकाया माँग = 200 × 4 रु. = 800 रु.

(vi) अंतिम माँग पर बकाया माँग = 300 ×3 रु. = 900 रु.

6.3.6.4 अधिमानी आबंटन

कंपनी अपनी अंश पूँजी का विस्तार तीन विधियों द्वारा कर सकती है। सर्वप्रथम, वर्तमान अंशधारियों को उनके द्वारा लिए गए अंशों के अनुपात में नए अंशों का निर्गमन कर के (अधिकार अथवा अधि लाभांश निर्गम)। द्वितीय, आम जनता को अंश निर्गमन द्वारा, जिसे प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण {Initial Public Offer (IPO)} कहते हैं। तृतीय, किसी व्यक्ति, कंपनी अथवा जोखिम उद्योगपति को अंशों के नए निर्गम द्वारा आबंटन। इसे अधिमानी आबंटन कहते हैं। यह विधि अन्य विधियों से भिन्न इसलिए है क्योंकि संपूर्ण आबंटन पूर्व-परिचित व्यक्तियों को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर किया जाता है, जो वर्तमान अंशधारक हो भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं। अतः ऐसे अधिमानी आबंटन सामान्यतया प्रवर्तकों, जोखिम उद्योगपतियों वित्तीय सस्थाओं, कंपनी उत्पादनों के ग्राहक या पूर्तिकर्ताओं को पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है। इस स्थिति में, इन प्रतिभूतियों को खुले बाजार में आबंटन तिथि से तीन वर्षों तक नहीं बेचा जा सकता है (4.11)। इस समयावधि को 'लॉक इन'

समयावधि कहते हैं। यह समयावधि प्रवर्तक अंशदान के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। हालांकि, असूचीबद्ध कंपनी की अंश-पूँजी के पूर्व निर्गम की दशा में, 'लाक-इन' समयावधि व्यापारिक उत्पादन के शुरू होने से अथवा सार्वजनिक निर्गम की तिथि, जो भी पहले हो, से एक वर्ष तक होती है (4.14.1)

अधिमानी आबंटन उसी दशा में किया जा सकता है, जब केवल 3/4 अंशधारी अधिमानी आधार पर अंश निर्गमन के लिए सहमत होते हैं।

सेबी (SEBI) के अनुसार ऐसे निर्गमन का न्यूनतम मूल्य संचालक मंडल द्वारा अधिमान आबंटन का निश्चय करने की तिथि से 26 हफ्तों के उच्च मूल्यों और न्यून मूल्यों के औसत मूल्य पर आंका जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि अधिमानी आबंटन समता की 15% या उससे अधिक का होता है तो सेबी द्वारा निर्गमन का खुला प्रस्ताव अनिवार्य माना गया है। वर्तमान में, सेबी द्वारा अधिकतम मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि अधिमानी आबंटन में उच्च मूल्य बाजार मूल्य से प्रभावित होता है।

6.3.6.5 स्वैट समता

स्वैट समता अंश, वे अंश होते हैं जो कंपनी बट्टे पर अथवा नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु बौद्धिक परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार के लिए अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को निर्गमित करते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79A के अनुसार, धारा 79 के (दिए गए विषय के प्रतिरूप) कंपनी स्वैट समता अंश तभी निर्गमित कर सकती है, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी गई हों :

(अ) वार्षिक सामान्य सभा में विशेष संकल्प द्वारा कंपनी स्वैट समता अंश निर्गमित कर सकती है।

(ब) संकल्प में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल, यदि है तो, तथा संचालकों/कर्मचारियों के वर्ग का उल्लेख है, जिन्हें यह अंश निर्गमित किए जाने हैं।

(स) व्यापार को समामेलित हुए एक वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है।

(द) कंपनी के स्वैट समता अंशों, जिसके समता अंश मान्यता प्राप्त स्कंध विनिमेय बाजार पर सूचीबद्ध हैं, को सेबी (SEBI) के नियमनों के अनुसार निर्गमित किया जाता है।

6.3.6.6 अधिकार निर्गमन

कंपनी अधिनियम की धारा 81 के संबंधित, वर्तमान अंश धारकों को अपने अंशों के अनुपात में नई निर्गमित अंश पूँजी में से अंशों को अभिदत्त करने अथवा अस्वीकार करने अथवा अपने अधिकारों

को बेचने का पूर्ण अधिकार होता है। वर्तमान अंशधारक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी को ऐसे अंशों के निर्गमन के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

चूँकि यह निर्गमन पूर्णतया नया होता है, जिसमें अंशों के अंश मूल्य पूर्व-निर्गमन मूल्य से अधिक होने की संभावना भी हो सकती है, अतः, दोनों मूल्यों के बीच अंतर को मूल्य का अधिकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में,

अधिकार मूल्य = अंश का बाजार मूल्य – अंश का औसत मूल्य

जहाँ,

$$\text{अंश का औसत मूल्य} = \frac{\text{वर्तमान अंशों का बाजार मूल्य} + \text{आनुपातिक अधिकार अंशों का निर्गमन मूल्य}}{\text{वर्तमान अंश} + \text{अधिकार अंश}}$$

अधिकार अंशों के निर्गमन के संदर्भ में लेखांकन विधि आवेदन व आबंटन से संबंधित लेखांकन व्यवहार के समान होती है।

उदाहरण 10

एक लिमिटेड कंपनी 25% प्रीमियम पर 100 रु. प्रति अंश पर नए अंश निर्गमित करती है, जो वर्तमान अंशधारकों को 5 : 1 में दिए जाएँगे। अंशों का बाजार मूल्य 150 रु. है। अधिकार मूल्य की गणना कीजिए।

हल

अधिकार मूल्य = 150 रु. – 145.83 रु. = 4.17 रु.

$$\text{औसत मूल्य} = \text{रु. } \frac{150 \times 5 + 125}{5 + 1} = \frac{875}{6} = 145.83 \text{ रु.}$$

6.4 अंशों का जब्तीकरण

ऐसा हो सकता है कि कुछ अंशधारक एक या अधिक किश्तों अर्थात् आबंटन राशि या माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहें। इस परिस्थिति में कंपनी नोटिस के जरिए अंतर्नियमों में उल्लेखित प्रक्रिया के जरिए, अंशों का हरण कर सकती हैं। सेबी रूपरेखा के अनुसार, अभिदान की राशि आबंटन तिथि से 12 माह के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि निवेशक माँग राशि 12 माह के भीतर देने में असमर्थ होता है तो कंपनी को उसके द्वारा भुगतान की गई अभिदान राशि को हरण करने का अधिकार होता है। (8.6.2) अंशों के हरण का अर्थ है धनराशि न चुकाने वाले अंशधारकों का

आबंटन रद्द करना और अतर्नियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार पहले ही आबंटन पर प्राप्त राशि को कंपनी द्वारा हरण समझना।

6.4.1. लेखांकन विधि

हरण करना आबंटन रद्द करना होता है। इसलिए हरण किए गए अंशों से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ, सिवाय अधिमूल्य से संबंधित प्रविष्टियाँ छोड़कर, जो पहले से ही लेख में दर्ज कर ली गई हैं, रद्द कर देनी चाहिए।

(1) सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण करना

जब सममूल्य पर जारी किए अंशों का हरण किया जाता है, तो हरण का लेखा करने के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

अंश पूँजी	नाम	–	(माँगी गई राशि)
हरण किए गए अंश	नाम	–	(माँगी गई राशि)
अंश आबंटन		–	(भुगतान की राशि)
और / या			
अंश माँग / माँगें		–	(अदत्त राशि)
(अंशों को हरण करने की प्रविष्टि)			

नोट : *यदि कंपनी द्वारा माँग की बकाया राशि का खाता रखा जा रहा है तो उपर्युक्त प्रविष्टि में अंश आबंटन और/ या ''अंश माँग या माँगें'' खाता के बजाय माँग की बकाया राशि का खाता जमा होगा।*

अंश हरण खाते का शेष अंशों के पुन: निर्गमित करने तक तुलन-पत्र में दायित्व पक्ष में ''अंश पूँजी के शीर्षक के अंतर्गत कुल पूँजी वृद्धि के रूप में दर्शाइ जाएगी।

उदाहरण 11 (सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण)

एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूँजी 10 रु. के सममूल्य के 1,00,000 समता अंशों में विभक्त है। इसके 8,000 अंश जनता द्वारा अभिदत्त किए गए और अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष के दौरान प्रति अंश 3 रु. की माँग आवेदन पर, 3 रु. आबंटन पर, 2 रु. प्रथम माँग पर और 2 रु. द्वितीय व अंतिम माँग पर देय थे।

इन अंशों पर प्राप्त की गई राशि इस प्रकार थी :

6000 अंशों पर पूर्ण राशि
1250 अंशों पर प्रति अंश 8 रु. प्रति अंश
500 अंशों पर प्रति अंश 6 रु. प्रति अंश
250 अंशों पर प्रति अंश 3 रु. प्रति अंश

संचालकों के 750 अंश जिन पर 8 रु. से कम की राशि भुगतान की गई थी, जब्त कर लिए। इन अंशों के लेनदेन को कंपनी की पुस्तक में दर्ज करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए :

लिमिटेड कंपनी की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		24,000	
	समता अंश आवेदन खाता			24,000
	(8000 अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से आवेदन राशि प्राप्त)			
	समता अंश आवेदन खाता नाम		24,000	
	समता अंश आबंटन खाता नाम		24,000	
	समता अंश पूँजी खाता			48,000
	(8000 अंशों की आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण, व समता अंश आबंटन राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		23,250	
	समता अंश आबंटन खाता			23,250
	(अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)			
	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम		16,000	
	समता अंश खाता			16,000
	(8,000 अंशों पर 2 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		14,500	
	समता अंश प्रथम माँग खाता			14,500
	(अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)			
	समता अंश द्वितीय माँग खाता नाम		16,000	
	समता अंश पूँजी खाता			16,000
	(8,000 अंशों पर 2 रु. प्रति अंश की दर से द्वितीय माँग राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		12,000	
	समता अंश द्वितीय माँग खाता			12,000
	(अंशों पर द्वितीय माँग राशि प्राप्त)			
	समता अंश पूँजी खाता नाम		7,500	
	हरण अंश खाता			3,750
	समता अंश आबंटन खाता			750
	समता अंश प्रथम माँग खाता			1,500
	समता अंश द्वितीय माँग खाता			1,500
	(750 अंशों का पूर्ण भुगतान न करने पर जब्तीकरण)			

टिप्पणी : *उपर्युक्त प्रविष्टियों में दी गई राशि की गणना निम्न तालिका तैयार करके की जा सकती है :*

किश्त	प्रति अंश देय राशि रु.	8000 अंशों पर कुल देय राशि	गणना	8000 अंशों पर अदत्त या कुल प्राप्त राशि/बकाया राशि	बकाया रु.
आवेदन-पत्र	3	24,000	(6,000 × 3)	18,000	
			(1,250 × 3 रु.)	3,700	
			(500 अंश × 3 रु.)	1,500	
			(250 अंश × 3 रु.)	750	
		24,000	**8,000**	**24,000**	
आबंटन	3	24,000	(6,000 अंश × 3 रु.)	18,000	
			(1,250 अंश × 3 रु.)	3,700	
			(500 अंश × 3 रु.)	15,000	
		24,000	**7,750**	**23,750**	**750**
प्रथम माँग	2	16,000	(6,000 अंश × 2 रु.)	12,000	
			(1,250 अंश × 2 रु.)	25,000	
		16,000	**7,250**	**14,500**	**1,500**
द्वितीय माँग	2	16,000	(6,000 अंश × 2 रु.)	12,000	4,000
		16,000		12,000	
योग					**6,250**

टिप्पणी: *अंश आवेदन खाते का शेष अंश पूँजी में तभी हस्तांतरित किया जाएगा जब अंशों का औपचारिक आबंटन हो चुका हो।*

2. (अ) अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों का जब्तीकरण

जब अंश वास्तव में अधिमूल्य पर जारी किए गए हैं, जिस पर अधिमूल्य राशि पूर्णतः प्राप्त कर ली गई है और बाद में आबंटन/माँग राशि के भुगतान न करने के कारण हरण कर लिए गए हैं, लेखांकन विधि का रूप उसी प्रकार होगा, जिस तरह सममूल्य पर निर्गमित अंशों की स्थिति में था। अतः हरण के समय अंश हरण खाता नाम नहीं किया जाएगा।

इस संदर्भ में निम्नांकित प्रविष्टियाँ दी जाती है।

अंश पूँजी खाता	नाम	(माँगी गई राशि)
हरण किए गए अंश खाता		(पूँजी खाते में राशि प्राप्त)
अंश आबंटन खाता		

और / या	(माँगी हुइ राशि जिसका
अंश माँग / माँगें खाता	भुगतान नहीं किया गया)
(अधिमूल्य (प्रीमियम) प्राप्त होता है।)	

(ब) जब अधिमूल्य (प्रीमियम) प्राप्त नहीं होता है।

परंतु यदि वास्तव में अधिमूल्य पर अंश निर्गमित किए गए हैं, जिस पर अधिमूल्य राशि पूर्णतः या आँशिक रूप से अभी तक प्राप्त नहीं की गई, बाद में हरण कर लिए जाते हैं, अंश अधिमूल्य खाता हरण के समय अंश पूँजी खाते सहित अधिमूल्य की पूरी राशि के साथ जमा किया जाता है।

इसलिए अधिमूल्य पर जारी किए अंशों, जिन पर अधिमूल्य पूरा प्राप्त नहीं किया गया, की हरण को दर्ज करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

अंश पूँजी खाता	नाम	– (माँगी गई राशि)
अंश अधिमूल्य खाता	नाम	– (प्रीमियम की राशि)
हरण किए गए अंश खाता		– (भुगतान की गई राशि)
और या		
अंश माँग/माँगें खाता		– (भुगतान न की गई राशि)

टिप्पणी : *जहाँ माँग की बकाया राशि का खाता रखा जाता है, माँग की बकाया राशि को जमा करते हैं, न कि अंश आबंटन और / या अंश माँग / माँगें।*

उदाहरण 12 (अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण)

एक्स लिमिटेड ने 10 रु. प्रति अंश के 40,000 समता अंशों को 2 रु. प्रति अंश अधिलाभ पर सार्वजनिक अभिदान हेतु निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया :

आवेदन पर 4 रुपए प्रति अंश

आबंटन पर 5 रुपए (अधिमूल्य शामिल है) प्रति अंश

प्रथम माँग पर 3 रुपए प्रति अंश

60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 48,000 अंशों के आवेदकों को आनुपातिक आबंटन किया गया, शेष आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि आबंटन पर देय राशि के प्रति समायोजित की गई।

श्री चिटनिस, जिन्हें 1600 अंश आबंटित किए गए, आबंटन राशि का भुगतान करने में असफल रहे और श्री जगदले, जिन्हें 200 अंशों का आबंटन किया गया, माँग राशि का भुगतान न कर सके।

उपर्युक्त लेनदेन का कंपनी की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

एक्स लिमिटेड
रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन खाता (60,000 अंशों पर 2 रु. प्रति अंश की दर से आवेदन राशि प्राप्त)		2,40,000	 2,40,000
	समता अंश आवेदन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता समता अंश आबंटन खाता बैंक खाता (आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण, आवेदन राशि का अंश आबंटन खाते में समायोजन और अस्वीकृत आवेदन राशि की वापसी)		2,40,000	 160,000 32,000 48,000
	समता अंश आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता अंश अधिमूल्य (40,000 अंशों पर 2 रु. अधिलाभ सहित प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)		2,00,000	 1,20,000 80,000
	बैंक खाता नाम बकाया माँग आबंटन नाम समता अंश आबंटन (अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)		1,61,280 6720	 1,68,000
	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (40,000 अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)		120,000	 120,000
	बैंक खाता नाम बकाया माँग खाता नाम समता अंश प्रथम माँग (अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)		1,09,200 10,800	 1,20,000
	समता अंश पूँजी खाता नाम अंश अधिमूल्य खाता नाम जब्त अंश खाता बकाया माँग खाता (36,000 अंशों का पूर्ण भुगतान न करने पर जब्तीकरण)		36,000 3,200	 21,680 17,520

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. आबंटन पर प्राप्त राशि

(क) आबंटन पर देय राशि

40,000 अंश प्रति अंश 5 रुपए	-	2,00,000 रु.

(ख) आबंटन पर वास्तव में देय राशि

आबंटन पर देय राशि	-	2,00,000 रु.
घटाइए : अतिरिक्त आवेदन राशि जो आबंटन के साथ समायोजित	-	32,000 रु.
वास्तव में देय राशि	-	**1,68,000 रु.**

(ग) चिटनिस से आबंटन पर प्राप्त राशि

चिटनिस के अंशों पर आबंटन राशि 1600 अंश × प्रति अंश 5 रुपए	-	8,000 रु.
घटाएँ : आनुपातिक वितरण के कारण प्राप्त अतिरिक्त आवेदन शुल्क (1920 अंश - 1600 अंश) × 4	-	1,280 रु.
श्री चिटनिस से प्राप्त आबंटन राशि	-	**6,720 रु.**

1600 अंशों के आबंटन के लिए, आनुपातिक वितरण के अनुपात के अनुसार (40,000 अंश: 48,000 अंश), चिटनिस ने 1920 अंशों के लिए अवश्य (1600 अंश × 6/5) आवेदन होगा।

(घ) आबंटन राशि प्राप्त -

आबंटन पर वास्तव में देय राशि		168,000 रु.
घटाएँ : चिटनिस द्वारा भुगतान न की गई राशि	-	6,720 रु.
प्राप्त राशि .	-	**1,61,280 रु.**

2. जब्त किए गए अंश खाते का शेष

चिटनिस द्वारा अदा की गई रकम : 1,920 अंशों के आवेदन × प्रति अंश 4 रुपए	-	7,680 रु.
जगदले द्वारा दी गई रकम : 2000 अंश × (2 + 3) रु.	-	14,000 रु.
कुल रकम	-	**21,680 रु.**

जगदले के अंशों पर अधिलाभ को लेखे में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह कंपनी द्वारा पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है।

उदाहरण 13 (अंशों का हरण)

गैमन इंडिया लिमिटेड ने प्रत्येक अंश 10 रु. वाले अंश 30 रु. प्रति अंश की दर से 64,00,000 समता अंश निर्गमित किए जिसमें आवेदन पर 20 रु. (15 रु. अधिमूल्य सहित) तथा 10 रु. आबंटन पर। अंशों का आबंटन 30 अप्रैल, 2002 को किया गया तथा आबंटन माँग हेतु माँग पत्र भेजे गए। 5,000 अंशों के धारक आबंटन राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे, अतः 20 मई को उनके अंशों को जब्त कर लिया गया। 10,000 अंशधारकों ने स्कंध निवेश द्वारा आवेदन पत्रों पर पूर्ण भुगतान कर दिया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

गैमन इंडिया लिमिटेड की पुस्तकें

रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* (रु.)	*जमा राशि* (रु.)
अप्रैल 1	बैंक खाता	नाम		12,81,00,000	
	समता अंश आवेदन खाता				12,81,00,000
	(64,00,000 अंशों पर 20 रु. प्रति अंश की\दर से और 10,000 अंशों पर 10 रु. की दर से राशि प्राप्त)				
अप्रैल 1	समता अंश आवेदन खाता	नाम		12,81,00,000	
	समता अंश पूँजी खाता				3,20,00,000
	समता प्रतिभूति अधिमूल्य खाता				9,60,00,000
	समता अंश उचंती खाता				1,00,000
	(अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि अंश पूँजी खाते में, प्रतिभूति अधिमूल्य खाते तथा अंश उंचती खाते में हस्तातंरण)				
अप्रैल 30	समा अंश आबंटन खाता	नाम		6,40,00,000	
	समता अंश पूँजी खाता				3,20,00,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता				3,20,00,000
	(64,00,000 अंशों पर 10 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)				
मई 20	बैंक खाता	नाम		6,38,50,000	
	बकाया माँग खाता	नाम		50,000	
	समता अंश उचंती खाता	नाम		1,00,000	
	समता अंश आबंटन खाता				6,40,00,000
	(5,000 अंशों के अतिरिक्त समस्त अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त, आधिक्य राशि समायोजित)				

	समता अंश पूँजी खाता नाम		50,000	
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता नाम		75,000	
	बकाया माँग खाता			25,000
	समता अंश हरण खाता			1,00,000
	(5000 अंशों का हरण)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. 10,000 अंशों पर प्राप्त आधिक्य राशि को "अंश आबंटन खाते" की बजाय "अंश उचंती खाते" में जमा करेंगे क्योंकि आबंटन कुछ समय पश्चात् किया जाएगा। इस प्रकार का व्यवहार कुछ कंपनियों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए गैमन इंडिया लिमिटेड की 80 वीं वार्षिक रिपोर्ट, (2001-02) पृष्ठ सं. 36 देखें।
2. चूँकि अधिमूल्य पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए संपूर्ण राशि को "अंश जब्तीकरण खाते" में हस्तांतरित किया जाएगा। यह भी, उपर्युक्त की तरह, कंपनी व्यवहार है (देखें पृष्ठ 46, टिप्पणी सं. B-6)

(3) बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण

जब हरण किए गए अंश वास्तव में छूट पर निर्गमित किए गए हैं, इन अंशों पर दी गई छूट रद्द कर दी जानी चाहिए या इसका पुनरांकन किया जाना चाहिए।

इस बात को देखते हुए अंशों के निर्गमन पर छूट निर्गमन के समय जमा की गई हानि है, इसे हरण करते समय जमा करना चाहिए, ताकि अंशों का बट्टे पर निर्गमन खातों का शेष बाकी अंशों जो अंश पूँजी खाते का भाग है, से संबंधित रहें।

जब बट्टे पर जारी किए गए अंश हरण कर लिए जाते हैं, तो हरण का लेखा करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी:

अंश पूँजी खाता	नाम	(संचित राशि)
हरण किए अंश खाता		(भुगतान की गई राशि)
निर्गमित अंशों पर बट्टा खाता		(हरण किए गए अंशों पर कटौती)
अंश माँग / माँगे खाता		(भुगतान न की गई राशि)

6.4.2 हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन

कंपनी के संचालकों को यह अधिकार है कि जिन अंशों की माँग करने पर भुगतान नहीं किया गया, उन्हें हरण कर लें और उन अंशों को पुनः निर्गमित करें। हरण किए गए अंशों को बट्टे पर भी निर्गमित कर सकते हैं, बशर्ते कि पुनर्निर्गमन पर छूट की रकम प्रथम अंशधारक द्वारा इन अंशों पर दी गई रकम से अधिक न हों।

उदाहरण के लिए 10 रु. का अंश जिस पर उसके हरण होने तक 6 रु. प्राप्त कर लिए गए हैं, कम से कम 4 रु. (10 रु.– 6 रु.) पर पूर्ण प्रदत्त रूप से पुनः जारी किया जा सकता है। यदि शेयर 8 रु. पर प्रदत्त अंश के रूप में जारी किया जाता है, तो कम से कम 2 रु. (8 रु. – 6 रु.) उस व्यक्ति से प्राप्त करने होंगे, जिसके अंश को पुनः जारी किया जा रहा है।

जब हरण किए गए अंश कटौती पर पुनः निर्गमित किए जाते हैं, तो रोजनामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी :

बैंक खाता नाम	नाम	(प्राप्त राशि)
अंश हरण खाता		(बट्टे की राशि)
अंश पूँजी खाता		(निर्गमन मूल्य)
(प्रति अंश....रु. की दर से...अंशों का पुनः निर्गमन और पुनः निर्गमन पर बट्टे अंश हरण को नाम)		

यदि बट्टे पर जारी किए गए अंश हरण होने के बाद पुनः निर्गमित किए जाते हैं, तो इन अंशों के निर्गमन पर कटौती को पुनः निर्गमित अंशों की संख्या के आनुपातिक मूल्य से अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता नाम करके खाते में लिया जाता है। इससे अंश निर्गमन पर बट्टा खाता और अंश पूँजी खाते में आनुपातिक संबंध बनाए रखने में सहायता मिलती है।

हरण किए गए अंशों का खाता बंद करना

जब हरण किए गए सभी अंशों का पुनः निर्गमन हो गया है, हरण किए गए खाते की जमा शेष राशि पूँजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। इसके लिए प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

उदाहरण 14 (अंशों का हरण)

गौरीशंकर शर्मा के पास 10 रु. प्रति अंश के 1000 समता अंश हैं, जिन्हें 10% के बट्टे पर निर्गमित किया गया था। गौरीशंकर शर्मा ने आवेदन पर 2.50 का भुगतान किया तथा 2.50 रु. की आबंटन माँग देने में असफल रहा, इस कारण उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। इस लेनदेन को अभिलेखित करें।

कंपनी के पुस्तक में

रोजनामचा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	अंश पूंजी खाता नाम		6,000	
	अंश का जब्तीकरण खाता			2,500
	बकाया मांग खाता			2,500
	अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता			1,000
	(बट्टे पर जारी अंशों की जब्तीकरण)			

उदाहरण 15 (अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गम)

कंपनी के संचालकों ने 100 रु. के 100 अंशों को जब्त किया है। वह 5 प्रतिशत प्रति अंश बट्टे पर जारी किए गए थे, जिन पर 50 रु. प्रति अंश की माँग की गई और 3,000 रु. का भुगतान किया गया। ये अंश एक्स को 7,000 रु. की राशि के भुगतान करने पर पूर्ण प्रदत्त रूप में पुनः जारी किए जाते हैं, जब्त और पुनः निर्गमन के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ इस प्रकार होंगी :

कंपनी की पुस्तक में

रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	समता अंश पूँजी खाता नाम		5,000	
	अंश जब्त खाता			3,000
	निर्गमन पर बट्टा खाता			500
	माँग की बकाया राशि खाता			1,500
	(100 अंशों का माँग की बकाया राशि का भुगतान न करने पर जब्तीकरण तथा निर्गमन पर बट्टे का समायोजन)			
	बैंक खाता नाम		7,000	
	अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता		500	
	अंश हरण खाता		2,500	
	समता अंश पूँजी खाता			10,000
	(पूर्ण प्रदत्त के रूप में पुनः निर्गमन, निर्गमन पर बट्टे व अंश करण खाते के नाम पक्ष में लेखन, पुनः लेखन तथा शेष का 100 जब्त अंशों का खाता)			
	अंश हरण खाता नाम		500	
	पूँजी संचय खाता			500
	(अंश हरण खाता बंद करना)			

उदाहरण 16 (मूलतः अधिमूल्य पर निर्गमित किए हुए जब्त अंशों का पुनः निर्गमन)

1 जनवरी, 2002 को एक्स लिमिटेड के संचालकों ने 50,000 अंशों को 10 रु. प्रति अंश के मूल्य के अंशों को प्रति अंश 12 रु. पर जनता को क्रय करने के लिए जारी किए, जो इस प्रकार देय हैं–

आवेदन पर 5 रुपए (अधिलाभ सहित), आबंटन पर 4 रुपए और शेष एक मई, 2002 को।

10 फरवरी, 2002 को अभिदान सूची बंद कर दी गई, इस दिन तक 70,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त राशि में से 40,000 रु. वापस कर दिए गए और 60,000 रु. आबंटन पर देय राशि के साथ समायोजन हेतु रख दी, जिसकी शेष रकम 16 फरवरी, 2002 को भुगतान कर दी गई।

सिवाय 500 अंशों के आबंटियों के सभी अंशधारकों ने एक मई, 2002 को देय माँग राशि का भुगतान कर दिया।

इन अंशों को 29 सितंबर, 2002 को जब्त कर लिया गया और 1 नवंबर, 2002 को प्रति अंश 8 रु. पर पूर्ण प्रदत्त मानते हुए पुनः निर्गमन किया गया।

कंपनी नीति के अनुसार कंपनी माँग की बकाया राशि का खाता नहीं रखती।

कंपनी की बहियों में अंश पूँजी लेनदेन रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

एक्स लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
फर. 10	बैंक नाम समता अंश आवेदन व आबंटन (70,000 अंशों पर 5 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त आवेदन राशि)		3,50,000	 3,50,000
फर. 16	समता अंश आवेदन व आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता अंश अधिलाभ खाता (आबंटन 50,000 अंशों पर आवेदन राशि का अंश पूँजी व अधिलाभ खाते में अंतरण)		2,50,000	 1,50,000 1,00,000

फर. 16	समता अंश आवेदन व आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (प्रति अंश 4 रु. की दर से 50,000 अंशों के आबंटन पर देय राशि)		2,00,000	2,00,000
फर. 16	समता अंश आवेदन व आबंटन खाता नाम बैंक खाता (अस्वीकृत आवेदन की धनराशि वापस)		40,000	40,000
फर. 16	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन व आबंटन खाता (आबंटन राशि प्राप्त)		1,40,000	1,40,000
मई 1	समता अंश प्रथम व अंतिम माँग खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (प्रति अंश 3 रु. की दर से 50,00,000 अंशों पर देय प्रथम व अंतिम माँग राशि)		1,50,000	1,50,000
मई 1	बैंक खाता नाम प्रथम व अंतिम माँग खाता (प्रथम माँग राशि प्राप्त)		1,48,500	1,48,500
सित. 29	समता अंश पूँजी खाता नाम अंश हरण खाता समता अंश प्रथम व अंतिम माँग (माँग राशि भुगतान न करने पर 500 अंशों का हरण)		5,000	3,500 1,500
नव. 1	बैंक खाता नाम अंश हरण खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (प्रति अंश 8 रु. पर पूर्ण प्रदत्त की तरह 5000 हरण किए गए अंशों का पुन: निर्गमन)		4,000 1,000	5,000
नव. 1	अंश हरण खाता नाम पूँजी संचय खाता (हरण किए गए अशों की बकाया रकम पूँजी संचय में अंतरित)		2,500	2,500

टिप्पणी :

1. आवेदन आबंटन का सम्मिलित खाता उपयोग किया गया है।
2. ऊपर दी गई प्रविष्टि सं. 2 और 3 बिना तिथि की भी एक साथ की जा सकती हैं, क्योंकि ये आबंटन की तिथि को पारित की जाएगी।
3. अंश अधिलाभ की रकम 500 अंशों को जब्त करने के समय लेखे में नहीं ली गई क्योंकि वह नकद प्राप्त की गई है।

उदाहरण 17 (हरण किए गए अंशों का बट्टे पर पुनः निर्गम)

एक लिमिटेड कंपनी ने प्रत्येक 10 रु. के 1,000 समता अंश, जो 10 प्रतिशत बट्टे पर जारी किए गए थे, हरण कर लिए, क्योंकि प्रत्येक अंश पर 2 रु. की दर से प्रथम माँग राशि और 3 रु. की दर से द्वितीय माँग राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ये अंश पूर्ण प्रदत्त अंश मानते हुए "क" को 7,000 रुपए की रकम देने पर पुनः जारी किए गए। कंपनी माँग की बकाया राशि का खाता रखती है।

1,000 अंशों के जब्त करने और उनके पुनः निर्गमन से संबंधित कंपनी की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

हल

लिमिटेड कंपनी की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	समता अंश पूँजी खाता नाम		10,000	
	अंश हरण खाता			4,000
	अंशों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा खाता			1,000
	बकाया अंश माँग खाता			5,000
	(1,000 अंशों का माँग पर देय राशि का भुगतान नहीं करने के कारण जब्तीकरण तथा आबंटन पर दिए गए बट्टे को अपलिखित किया गया।)			
	बैंक खाता नाम		7,000	
	अंशों के निर्गमन पर		1,000	
	दिया गया बट्टा खाता नाम		2,000	
	अंश हरण खाता नाम			10,000
	समता अंश पूँजी खाता			
	(हरण किए गए 1000 अंशों को पूर्णदत्त अंशों के रूप में 7 रु. प्रति अंश पुनः जारी किया गया, बट्टे को अपलिखित करने के पश्चात् शेष राशि अंश हरण खाते में नाम किया गया।)			
	अंश हरण खाता नाम		2,000	
	पूँजी संचय खाता			2,000
	(अंश जब्त खाते को बंद किया गया।)			

उदाहरण 18

ओ लिमिटेड ने 10 रु. प्रति 2,00,000 समता अंश 2 रु. के अधिलाभ पर प्रस्तावित करते हुए प्रविवरण जारी किया। यह इस प्रकार देय थे :

आवेदन पर	प्रति अंश 2.50 रु.
आबंटन पर	प्रति अंश 4.50 रु. अधिमूल्य सहित
प्रथम माँग पर (आबंटन के 3 महीने बाद)	प्रति अंश 2.50 रु.
द्वितीय माँग पर (प्रथम माँग के 3 महीने के बाद)	प्रति अंश 2.50 रु.

23 अप्रैल, 2002 को 3,17,000 अंशों के क्रय के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 30 अप्रैल को निम्न प्रकार से आबंटन किया गया :

1. पूर्ण आबंटन (दो आवेदकों ने, जिन में से प्रत्येक ने 4,000 अंशों के रुपए आवेदन संबंध में किया था, आबंटन पर पूर्ण राशि का भुगतान किया) – 38,000
2. प्रत्येक 3 अंशों के आवेदन पर 2 अंशों का आबंटन किया – 1,60,000
3. प्रत्येक 4 अंशों के आवेदन पर 1 अंश का आबंटन किया – 2,000

77,500 रु. की नकद राशि (3,100 अंशों के लिए आवेदन पत्र के साथ प्राप्त आवेदन शुल्क राशि जिस पर कोई आबंटन नहीं किया) आवेदकों को वापस 6 मई, 2002 कर दी गई।

100 अंशों पर अंतिम माँग राशि को छोड़कर बाकी सभी आबंटियों से माँग राशि देय तिथि पर प्राप्त की गई। इन अंशों को 15 नवंबर, 2002 को जब्त कर लिया गया और 16 नवंबर को 9 रु. प्रति अंश पर 'अ' को पुनः निर्गमित किया गया।

कंपनी ने अपने अंतर्नियम के रूप में तालिका 'अ' अपनाई है।

ओम लिमिटेड की बहियों में नकद के अलावा अन्य से संबंधित रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए और यह भी बताइए जब कंपनी ने 31 अक्तूबर, 2002 से देय ब्याज नकद में भुगतान किया है, तो इसे तुलन-पत्र में किस प्रकार दर्शाया जाएगा।

ओ लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2002	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
अप्रैल 30	समता अंश आवेदन खाता नाम		7,15,000	
	समता अंश पूँजी खाता			5,00,000
	समता अंश आबंटन खाता			1,95,000
	अग्रिम माँग खाता			40,000
	(आबंटन अग्रिम राशि के बाद आवेदन धनराशि का अंश पूँजी में अंतरण और आनुपातिक आबंटन के कारण 86,000 अंशों पर आधिक्य आवेदन पत्र रकम अंश आबंटन खाते में जमा)			
अप्रैल 30	समता अंश आबंटन खाता नाम		9,00,000	
	समता अंश पूँजी खाता			5,00,000
	अंश अधिमूल्य खाता			4,00,000
	(अधिलाभ सहित प्रति अंश 3 रु. के 2,00,000 अंशों पर देय आबंटन राशि)			
जुलाई 31	समता अंश का प्रथम माँग खाता नाम		5,00,000	
	समता अंश पूँजी खाता			5,00,000
	(प्रति अंश 4 रु. के 2,00,000 अंशों पर देय प्रथम प्रथम माँग राशि)			
	अग्रिम माँग खाता नाम		20,000	
	समता अंश का प्रथम माँग खाता			20,000
	(8,000 अंशों पर अग्रिम माँग प्रथम माँग की देय राशि के साथ समायोजित)			
अक्तू. 31	समता अंश की द्विवितीय व अंतिम माँग खाता नाम		5,00,000	
	समता अंश पूँजी खाता			5,00,000
	(प्रति अंश 4 रु. पर 2,00,000 अंशों पर देय द्विवितीय व अंतिम माँ राशि)			
	अग्रिम माँग खाता नाम			
	समता अंश द्विवितीय व अंतिम माँग खाता		20,000	
	(8,00,000 अंशों पर अग्रिम माँग द्विवितीय व अंतिम माँग राशि के साथ समायोजित)			20,000

नव. 15	समता अंश पूँजी खाता नाम अंश हरण ,खाता समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग (माँग राशि का भुगतान न होने पर 100 अंशों को हरण किया)		1,000	 750 250
नव. 16	हरण अंश खाता नाम समता अंश पूँजी खाता (प्रति अंश 9 रु. पर पूर्ण प्रदत्त रूप में 100 अंशों का 'अ' को पुन: निर्गमन पर)		100	 100
नव. 16	अंश हरण खाता नाम पूँजी संचय खाता (अंश हरण समाप्त)		650	 650

रोकड़ पुस्तक

दिनांक	*प्राप्तियाँ*	*राशि (रु.)*	*दिनांक*	*भुगतान*	*राशि (रु.)*
	समता अंश आवेदन	7,92,500		समता आवेदन	77,500
	समता अंश आबंटन	6,85,000		शेष आ / ले	23,60,600
	समता अंश प्रथम माँग	4,80,000			
	समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग	4,79,750			
	समता अंश पूँजी	900			
	योग	**24,38,150**		**योग**	**24,38,150**

(क) नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन

जब कंपनी उन विक्रेताओं, जिनसे उसने परिसंपत्तियाँ क्रय की हैं, के साथ समझौता करती है, जिसके फलस्वरूप वह भुगतान में विक्रेता को पूर्ण प्रदत्त अंश निर्गमित करती है।

अत: अंशों के निर्गमन के लिए कोई नकद प्राप्त नहीं किया गया और अंशों के प्रार्थनापत्र व आबंटन की सामान्य प्रक्रिया भी पूरी हुई। स्पष्टत:, इन अंशों को नकद के लिए जारी किए गए अंशों से पृथक करना होगा और वह कंपनी के स्थिति-विवरण में स्पष्ट रूप में दिखाकर करना होता है। इस स्थिति में निम्न प्रविष्टियों की आवश्यकता होगी :

(1) परिसंपत्तियों का क्रय

परिसंपत्ति खाता नाम (खरीद मूल्य)

विक्रेता खाता

(क्रय की गई परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड)

(2) अंशों का निर्गमन

विक्रेता खाता

अंश पूँजी खाता

(नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए विक्रेताओं को अंश रु. के.......पूर्ण प्रदत्त का निर्गमन)

उदाहरण 19 (अंशों का निर्गम)

श्रीराम लिमिटेड सार्वजनिक कंपनी के रूप में 10 रु. प्रति अंश की दर से 16,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी द्वारा स्थापित की गई। दो वर्ष पश्चात् श्रीराम लिमिटेड ने सर्वश्री राम व रहीम से, जिन्होंने प्रवर्त्तक संचालक के रूप में सम्मिलित होने का निर्णय लिया, 3,80,000 रु. की परिसंपत्तियाँ क्रय की जिसके प्रतिफल में श्रीराम लिमिटेड ने 10 रु. प्रति अंश की दर से पूर्ण भुगतान हेतु अंश निर्गमित किए।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए, यदि अंशों का निर्गमन

- सममूल्य पर किया जाता है।
- स्वैट समता के रूप में 5% बट्टे पर किया जाता है।
- 20% अधिमूल्य पर किया जाता है।

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	परिसंपत्ति खाता नाम		3,80,000	
	राम व रहीम खाता			3,80,000
	(परिसंपत्तियों का क्रय)			
	राम व रहीम खाता नाम		3,80,000	
	अंश आवेदन खाता			3,80,000
	(प्रवर्तक श्रेणी में अंश प्राप्त करने हेतु आवेदन)			
	अंश आवेदन खाता नाम		3,80,000	
	समता अंश पूँजी खाता			3,80,000

	अंश आवेदन खाता नाम निर्गमित अंशों पर बट्टा नाम समता अंश पूँजी खाता (प्रवर्तकों को स्वैट समता अंश आबंटित)		3,80,000 20,000	 4,00,000
	अंश आवेदन खाता नाम समता अंश पूँजी खाता प्रतिभूति अधिमूल्य खाता (प्रर्वतकों को अधिमूल्य पर अंशों का आबंटन)		3,80,000	 3,04,000 76,000

6.5 अंशों की निजी व्यवस्था

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81 (1A) के अनुसार निजी व्यवस्था से आशय चुनिंदा व्यक्ति समूह को अंशों के निर्गमन और आबंटन से है। दूसरे शब्दों में ऐसा निर्गम जो सार्वजनिक निर्गमक नहीं है। वरन् चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं, अंशों की निजी व्यवस्था कहलाता है। अधिमानी आबंटन से संबंधित समस्त सेवी रूपरेखाएँ अंशों की निजी व्यवस्था पर भी लागू होती है। कंपनी विशेष संकल्प पारित कर निजी व्यवस्था के माध्यम से अंशों का निर्गम कर सकती है।

यदि इस संदर्भ में कंपनी द्वारा संकल्प पारित नहीं किया जाता है परंतु प्रस्ताव के समर्थन में दिए गए मतों की संख्या विरोध में दिए गए मतों की संख्या से अधिक हो तो कंपनी के संचालक केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव के लिए आवेदन भेज कर सहमति प्राप्त कर सकती हैं।

लेखांकन व्यवहार

प्रतिभूतियों की निजी व्यवस्था की लेखांकन प्रविष्टियाँ आवेदन और आबंटन तथा नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में अंशों का निर्गमन से संबंधित लेखांकन प्रविष्टियों के समान होती हैं। यदि अंशों का निर्गमन ऋणपत्रों के परिवर्तनीय भाग के शोधन अथवा अधिपत्र (वारंट) के समर्पण के लिए किया जाता है तो निम्न प्रविष्टियाँ दी जाएँगी।

1. *परिवर्तनीय राशि के हस्तांतरण पर*

   परिवर्तनीय ऋणपत्र खाता नाम

   ऋण धारक खाता

2. *आवेदन-पत्र प्राप्ति पर*

   ऋणपत्र धारक खाता नाम

   समता अंश आवेदन खाता

3. *आबंटन पर*

समता अंश आवेदन खाता नाम

समता अंश पूँजी खाता

प्रतिभूति अधिमूल्य (यदि है तो)

जब अधिपत्र समर्पित किए जाते हैं तो अधिपत्र को रद्द करके अंश निर्गमित किए जाते हैं।

6.6. कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना

अपने कर्मचारियों की योग्यता को सुरक्षित रखने और उनमें अपनत्व एवं भागीदारी की भावना जाग्रत करने हेतु, कंपनी उनके इच्छानुसार समता अंश क्रय करने का निवेदन कर सकती है। ऐसी योजना को कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना कहते हैं। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना के अंतर्गत कर्मचारी स्कंध विकल्प कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया एक अधिकार है, न कि दायित्व, जिसके संबंधित वे पूर्वनिर्धारित मूल्य पर कंपनी के अंशों को क्रय कर सकते हैं। शब्द ''कर्मचारी'' में कंपनी के स्थायी कर्मचारी जो कि भारत अथवा भारत से बाहर प्रवास करते हैं, अथवा कंपनी के संचालकगण अथवा सहायक या सूत्रधारी कंपनी के कर्मचारी सम्मिलित होते हैं। कर्मचारी के पास अंशों को क्रय करने के विकल्प का अधिकार एक निश्चित समयावधि तक ही रहता है, अर्थात् वह समयावधि जिसके अंर्तगत् यह योजना लागू रहती है। वह कर्मचारी जो प्रर्वतक समूह अथवा संचालकों से प्रत्यक्ष रूप में अथवा उनके संबंध के रूप में अथवा कोई अन्य कंपनी जिनके पास 10% से अधिक अदत्त समता अंश है, उन पर यह योजना लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्रय किए गए अंशों की ''लॉक-इन'' समयावधि आबंटन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष तक की होती है। हालांकि, सार्वजनिक निर्गमन के अंतर्गत यदि कर्मचारियों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो ''लॉक-इन'' समयावधि लागू नहीं होती है।

कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना का लेखांकन व्यवहार

इस योजना के संबंधित अंशों को क्रय करने का विकल्प कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिकार के रूप में समझा जाएगा। जब विकल्प स्वीकृत किया जाता है तो विकल्प मूल्य प्रयुक्त मूल्य और समापन बाजार मूल्य के अंतर तथा विकल्पों की संख्या का गुणनफल है। दूसरे शब्दों में, यह कंपनी के लिए व्यय होता है, अत: इसे निहित अवधि के दौरान अपलिखित किया जाता है। विकल्प का मूल्य इस प्रकार ज्ञात किया जाता है:

विकल्प की संख्या × (बाजार मूल्य – प्रयुक्त मूल्य)

उदाहरण के लिए, यदि कंपनी अपने कर्मचारियों को 30 रु. प्रति विकल्प की दर से 200 विकल्प प्रदान करती है तथा उक्त तिथि पर अंश का बाजार मूल्य 160 रु. है, इस स्थिति में विकल्प

का मूल्य इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा :

200 × (160 रु. − 30 रु.) = 26,000 रु.

इसे विकल्प बट्टा भी कहा जाता है, जिसे ''ब्लैक शॉलज़'' सूत्र अथवा अन्य समान मूल्यांकन विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

इसकी दो स्थितियाँ हो सकती हैं :

(i) जब कर्मचारी विकल्प हेतु स्वीकृति देते हैं

(ii) जब कुछ कर्मचारी विकल्प हेतु स्वीकृति नहीं देते हैं

प्रथम स्थिति में, विकल्प योजना को कर्मचारी प्रतिकार के रूप में माना जाता है तथा इस पर उत्पन्न व्यय को सीधी रेखा आधार पर निहित अवधि के दौरान अपलिखित किया जाता है।

दूसरी स्थिति में समाप्त हुए विकल्पों के मूल्य के अपलिखित हिस्से के बराबर कर्मचारी प्रतिकार को कर्मचारी स्कंध विकल्प बकाया योजना में *नाम* किया जाता है और स्थगित व्यय प्रतिकार व्यय खाते में *जमा* किया जाता है। यहाँ ध्यान योग्य बात यह है कि स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय एक खाता है और कर्मचारी स्कंध विकल्प बकाया दायित्व एक खाता है। दोनों ही स्थितियों में निम्न प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

1. *जब विकल्प अनुमोदित किया जाता है :*

स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता नाम
    बकाया कर्मचारी स्कंध विकल्प खाता

2. *जब कर्मचारी विकल्प पर स्वीकृति देते हैं*

रोकड़/बैंक खाता नाम
कर्मचारी स्कंध विकल्प बकाया खाता नाम
    समता अंश पूँजी खाता
    प्रतिभूति अधिमूल्य खाता

3. *व्यय को अपलिखित करने पर*

कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता नाम
    स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता

4. *जब विकल्प समाप्त होता है तो*

जब विकल्प समाप्त हो जाता है, विकल्प मूल्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, क्रमशः विकल्प मूल्य का अपलिखित हिस्सा और विकल्प मूल्य का लिखित हिस्सा।

(i) समाप्त हुए विकल्प का अपलिखित हिस्सा = समाप्त हुए विकल्पों की संख्या × बट्टा × निवेदन तिथि और समाप्ति तिथि निहित अवधि के मध्य समय-अंतराल

(ii) समाप्त हुए विकल्प का लिखित हिस्सा = समाप्त हुए अंशों की संख्या × बट्टा × निवेदन तिथि और समाप्ति तिथि निहित अवधि के मध्य समय-अंतराल

इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टि दी जाएगी
बकाया कर्मचारी स्कंध विकल्प खाता नाम
कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता (अपलिखित मूल्य)
स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता (लिखित मूल्य)

तुलन-पत्र में बकाया कर्मचारी स्कंध विकल्प को अंशधारक पूँजी के रूप में दर्शाया जाएगा तथा स्थगित कर्मचारी प्रतिकार ऋणात्मक मद के रूप में अंशधारक पूँजी का भाग दिखाया जाएगा। इससे आशय यह है कि निर्गमित पूँजी को दायित्व समझा जाएगा तथा व्यय को समता पूँजी में से घटाया जाएगा।

उदाहरण 20 (कर्मचारी स्कंध विकल्प)

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 1999 को 500 विकल्प 40 रु. (अंकित मूल्य 10 रु.) पर प्रदान किए जिनका बाजार मूल्य 160 रु. है और निहित अवधि 2½ वर्ष है। अधिकतम प्रयुक्त अवधि एक वर्ष है। 1 मई, 2002 को 150 अनिहित विकल्प प्रयुक्त किए गए तथा 50 विकल्प प्रयुक्त अवधि के पश्चात् समाप्त हुए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए।

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
1999 अप्रैल 1	स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता नाम बकाया कर्मचारी स्कंध विकल्प खाता (120 रु. बट्टे पर 500 विकल्प प्रदान किए गए)		60,000	60,000
2000 मार्च 31	कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता नाम स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता (स्थगित प्रतिकार अपलिखित)		24,000	24,000
2001 मार्च 31	कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता नाम स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता (स्थगित प्रतिकार अपलिखित)		24,000	24,000
2001 मई 1	बकाया कर्मचारी स्कंध विकल्प खाता नाम कर्मचारी व्यय खाता स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता (150 अनिहित विकल्पों की समाप्ति पर प्रतिकार लेखांकन का विपर्याय)		18,000	14,400 3,600

2002 मार्च 31	कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता नाम स्थगित कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता (स्थगित प्रतिकार अपलिखित)		8,400	8,400
जून 30	बैंक खाता नाम बकाया कर्मचारी स्कंध विकल्प खाता नाम समता अंश पूँजी खाता प्रतिभूति अधिमूल्य खाता (300 विकल्पों पर 40 रु. के प्रयुक्त मूल्य और 120 रु. के लेखा मूल्य पर राशि प्राप्त)		12,000 36,000	3,000 45,000
अक्तूबर 1	बकाया कर्मचारी स्कंध विकल्प खाता नाम कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता (50 विकल्पों का प्रयुक्त अवधि की समाप्ति पर विपर्यासन)		6,000	6,000

हल के संदर्भ में टिप्पणी

(i) विकल्पों का लेखा मूल्य = 500 × (160 रु. – 40 रु.)
= 60,000 रु.

(ii) परिशोधन :
वर्ष 1 60,000 / 2.5 = 24,000 रु.
वर्ष 2 60,000 / 2.5 = 24,000 रु.
वर्ष 3 60,000 / 0.5 = 12,000 रु.

(iii) परिशोधित हिस्सा = (150 × 120 रु.) × .2 / 2.5
= 14,400 रु.

(iv) अपरिशोधित हिस्सा = (150 × 120 रु.) × .5 / 2.5
= 3,600 रु.

(v) प्रतिभूति अधिमूल्य = प्रयुक्त विकल्पों की संख्या × (बाज़ार मूल्य-अंकित मूल्य)
= 300 × (160 रु. – 10 रु.) = 45,000 रु.

(vi) 1 अक्तूबर, 2002 को कर्मचारी प्रतिकार व्यय = समाप्त हुए विकल्पों की संख्या × (बाज़ार मूल्य-प्रयुक्त मूल्य)
= 50 × (160 रु. – 40 रु.)
= 50 × (120 रु.)
= 6,000 रु.

कर्मचारी स्कंध क्रय योजना हेतु लेखांकन

एक लेखांकन अवधि के दौरान, कर्मचारी स्कंध क्रय योजना के संबंधित निर्गमित अंशों के लिए निम्नांकित रोजनामचा प्रविष्टि दी जाएगी :

रोकड़ / बैंक खाता	नाम	(निर्गमित मूल्य × अंशों की संख्या)
कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता	नाम	(विकल्पों का लेखा मूल्य)
अंश पूँजी खाता		(अंशों की संख्या × अंकित मूल्य)

उदाहरण 21 (कर्मचारी स्कंध क्रय)

मान लीजिए, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, 1 जनवरी, 2002 को, कर्मचारी स्कंध क्रय योजना के संबंधित 100 रु. बाजार मूल्य के अंश 40 रु. प्रत्येक अंश की दर से निर्गमित करती है। यह मानते हुए रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए कि प्रत्येक अंश अंकित मूल्य 10 रु. है।

हल

रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* (रु.)	*जमा राशि* (रु.)
जून 30	बैंक खाता	नाम		20,000	
	कर्मचारी प्रतिकार व्यय खाता	नाम		30,000	
	समता अंश पूँजी खाता				5,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता				45,000
	(कर्मचारी स्कंध क्रय योजना के संबंधित 500 अंश निर्गमित)				

हल के संदर्भ में टिप्पणी

अंशों का लेखा मूल्य = 500 × (100 – 40)
= 30,000 रु.

प्रतिभूति अधिमूल्य = 500 × (100 – 10)
= 45,000 रु.

6.7 अंश पूँजी का कंपनी के तुलन-पत्र में प्रकटन

कंपनी अधिनियम 1950 की अनुसूची VI के अनुसार, अंश पूँजी के संदर्भ में सूचनाएँ इस प्रकार दिखाई जाती हैं:

....2002 को.....का तुलन-पत्र

(दायित्व पक्ष केवल अंश पूँजी सहित)

निर्देश	*गत वर्ष*	*दायित्व*	*चालू वर्ष*
शोधन अथवा परिवर्तन की निकटतम तिथि सहित शोधनीय पूँजी के शोधन अथवा परिवर्तन की शर्तें		अंश पूँजी अधिकृत...... प्रत्येक अंश रु. के अंश	
अनिर्गमित पूँजी पर विकल्प का स्पष्ट विवरण		निर्गमित (प्रत्येक श्रेणी के संदर्भ में निम्नांकित स्पष्ट विवरण और पूँजी विभिन्न श्रेणियों में अंतर)..... प्रत्येक अंश.....रु. के अंश	
विविध पूर्वाधिकार अंशों का विवरण		अभिदत्त (प्रत्येक श्रेणी के संदर्भ में निम्नांकित स्पष्ट विवरण और पूँजी की विभिन्न श्रेणियों में अंतर) प्रत्येक अंश.....रु. की माँगी अंश पूँजी उपर्युक्त अंशों पर...... भुगतान नकद में प्राप्त हुए बगैर अनुबंध के अनुवर्ती अंशों को पूर्ण भुगतान पर आबंटित किया गया है।	
अधिलाभांश अंशों के निर्गमन के स्रोत को स्पष्ट करें, उदाहरणार्थ – लाभांश का पूँजीकरण अथवा संचय अथवा प्रतिभूति अधिमूल्य		उपर्युक्त अंशों का आबंटन अधिलाभांश अंशों द्वारा पूर्ण भुगतान रूप में हुआ है।	
खाता हरण किए गए अंशों के पुन: निर्गमन पर पूँजीगत लाभ को पूँजी संचय में हस्तांतरित किया जाएगा।		घटाया : बकाया माँग (i) संचालकों द्वारा (ii) अन्य द्वारा जमा: हरण किए गए अंशों पर भुगतान की गई राशि	

उदाहरण 22 (अंश पूँजी का प्रकटन)

प्रदर्शन 1 और प्रदर्शन 2 में विप्रो लिमिटेड और गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की अंश पूँजी का प्रकटन दिखाया गया है:

प्रदर्श : 1.

31 मार्च, 2001 को विप्रो लिमिटेड का तुलन-पत्र (केवल अंश पूँजी)

अंश पूँजी	*2001* रु.	*2000* रु.
अधिकृत:		
2 रु. प्रति अंश के	7,50,000	4,70,000
37,50,00,000 समता अंश		
(2 रु. प्रति अंश)		
10.25% प्रत्येक अंश 100 रु. के	2,50,000	
शोचनीय संचित पूर्वाधिकार अंश		2,50,000
	10,00,000	**7,20,000**
निर्गमित, अभिदत्त और माँगी गई पूँजी	2,50,000	
प्रत्येक अंश 2 रु. के 23, 24, 33, 019 समता अंश		2,50,000
(2000 : 22, 91, 56, 350)		
शून्य (2000 : 25,00,000) 10.25%	-	2,50,000
शोधनीय संचित पूर्वाधिकार अंश, प्रत्येक अंश 100 रु.		
	4,64,866	**7,08,313**

टिप्पणी

1. समता अंश

(i) 226, 905, 825 समता अंशों (2000 रु. 226, 905, 825) को 32,639 रु. के अंश अधिमूल्य और 4,21,173 रु. के सामान्य संचय को पंजीकृत करके अधिलाभांश अंशों के रूप में आबंटित कर दिया गया।

(ii) समामेलन की योजना के फलस्वरूप, बिना नकद प्राप्त किए, 1,325,525 समता अंशों (2000 : 1, 325,525) को पूर्णतया आबंटित किया गया।

(iii) कंपनी द्वारा अमेरिकन निक्षेपागार के संबंधित वर्ष भर के दौरान 3,162,500 अमेरिकन निक्षेपागार प्राप्ति (ADR) के निरूपक 3,162,500 अंश प्राप्त हुए।

(iv) कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना के संबंधित 114,169 समता अंश निर्गमित किए गए।

2. दिसंबर, 2000 को पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया गया।

(विप्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2000-01, पृ.सं. 44)

प्रदर्श: 2

गुजरात अबुंजा सीमेंट लिमिटेड
(केवल अंश पूँजी)
30 जून, 2001 को

(रु. लाख में)

अंश पूँजी	*2001* रु.	*2000* रु.
अधिकृत 10 रु. प्रति अंश पर 25,00,00,000 समता अंश	25,000.00	25,000.00
10 रु. प्रति अंश पर 15,00,000 पूर्वाधिकार अंश	15,000.00	15,000.00
	40,000.00	**40,000.00**
निर्गमित प्रत्येक 10 रु. पर 14,72,77,310 समता अंश (14, 72, 76, 910) 25,00,00,000 समता अंश	14,727.69	14,727.69
(10,00,00,000) 10 रु. प्रति अंश के असंचित पूर्वाधिकार अंश	–	10,000.00
	14,727.73	**24,727.69**
अभिदत्त प्रति अंश 10 रु. पूर्णत: माँगी गई पूँजी के 14, 71, 31, 802 समता अंश	14,713.18	14,712.80
घटाया : बकाया आबंटन और माँग राशि (संचालकों के अतिरिक्त)	2.20	2.59
(10,00,00,000) प्रति अंश 10 रु. पूर्णदत्त असंचित पूर्वाधिकार अंश	–	10,000.00
	14,710.98	**24,710.21**

टिप्पणी :

1. *समता अंश*

(i) प्रतिभूति अधिमूल्य खाता और पूँजी शोधन संचय खाता के पूँजीकरण द्वारा 10,45, 33,376 प्रति अंश 10 रु., अंशों का अधिलाभांश अंशों के रूप में निर्गमन

(ii) 18.5% सुरक्षित शोधनीय अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों पर संलग्न व्यापारिक अधिपत्रों को प्रयुक्त करने हेतु 49,08,148 (49,06,448) अंशों का निर्गमन।

(iii) 15,997 3.5% प्रत्येक 5000 के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाँड के परिवर्तन पर 1,24,94,190 अंशों का निर्गमन।

(iv) 1999-2000 की कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना के संबंधित कर्मचारियों द्वारा विकल्पों को प्रयुक्त करने पर 400 (-) अंशो का निर्गमन।

2. 10% असंचित शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन सममूल्य पर यथाकथित तिथियों पर किया गया।

(गुजरात अबुंजा सीमेंट लिमिटेड वार्षिक
प्रतिवेदन 2000-2001, पृ.सं. 260)

6.8 कंपनी द्वारा अपने अंशों का क्रय

अंशों के क्रय से तात्पर्य कंपनी द्वारा मुक्त संचय, प्रतिभूति अधिमूल्य अथवा किसी भी प्रकार के अंशों अथवा प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि में से स्वयं अपने अंशों का क्रय करने से है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77 अ के अनुसार एक कंपनी स्वयं अपने अंशों को (अ) आनुपातिक आधार पर वर्तमान समता अंश धारकों से (ब) खुले बाजार से (स) विषम देरी के अंश धारकों से (द) स्कंध-विकल्प योजना या स्वैट समता का अनुसरण करने वाले कर्मचारियों से क्रय कर सकती है। इस पर निम्नलिखित नियम लागू होते हैं;

(i) अंशों का क्रय अतर्नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए।

(ii) अंश धारकों की सामान्य सभा में विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

(iii) एक वित्तीय वर्ष में अंशों का क्रय प्रदत्त पूँजी और मुक्त संचय के 25% से अधिक नहीं हो सकता है।

(iv) अंशों के क्रय के पश्चात् ऋण समता अनुपात 2 : 1 से अधिक नहीं हो सकता है।

(v) अंशों के क्रय हेतु समस्त अंश पूर्णतया प्रदत्त होने चाहिए।

(vi) विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर अंशों का क्रय कर दिया जाना चाहिए।

(vii) कंपनी को रजिस्ट्रार और सेबी के पास शोधन समता अधिघोषणा, जिसे कम से कम दो संचालकों ने हस्ताक्षरित किया हो, शपथ पत्र के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होता है। शपथ पत्र में यह घोषित करना अनिवार्य है कि बोर्ड ने कंपनी के समस्त कार्यकलापों की पूर्णतया जाँच की है तथा उनकी राय में कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है तथा बोर्ड की घोषणा की तिथि से एक वर्ष के भीतर उसके दिवालिया होने की संभावना नहीं है। [77 (अ) 6]

6.8.1 प्रमाण पत्र का निर्वापण

अपने अंशों का स्वयं क्रय करने के पश्चात् कंपनी द्वारा ऐसे अंशों का निर्वापण श्रेष्ठी बैंक अथवा रजिस्ट्रार अथवा वैधानिक अंकेक्षक के सामने सात दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए। [77 (अ) 7]

6.8.2 अंश निर्गमन पर रोक

जब कंपनी अंशों के क्रय की प्रक्रिया पूरी कर लेती है, तब केवल अधिलाभांश अंशों के निर्गमन अथवा दायित्वों की पूर्ति जैसे अधिपत्रों का परिवर्तन, स्कंध विकल्प योजना, स्वेट् समता, अथवा पूर्वाधिकार अंशों और ऋणपत्रों का समता अंशों में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी भी निर्गमन पर 24 माह तक की रोक होती है। [77 (अ) 8]

6.8.3 सेबी रूप रेखा

धारा 77 अ में समाविष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, सेबी द्वारा 1998 में अंशों के क्रय के संदर्भ में निम्नलिखित नियम लागू किए;

अंशों का क्रय स्कंध बाजार अथवा स्पॉट लेनदेनों अथवा निजी व्यवस्था द्वारा नहीं किया जा सकता है [4 (2)]

2. सार्वजनिक घोषणा में निम्न बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है :

(अ) आवेदन पत्र को भेजने की तिथि का उल्लेख, जिसे ''उल्लेखित तिथि'' कहा जाता है। यह उल्लेखित तिथि की अवधि 30 दिनों से कम और 42 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।

(ब) कंपनी द्वारा सार्वजनिक घोषणा तिथि से सात कार्यशील दिनों के भीतर सेबी को सूचना भेजना अनिवार्य होता है।

(स) अपने अंशों को क्रय करने का आवेदन कंपनी के सदस्यों के लिए 15 दिन की अवधि से कम और 30 दिनों से अधिक खुला नहीं रह सकता है। हालाँकि, आरंभिक तिथि

उल्लेखित तिथि से 7 दिनों की अवधि से कम और 30 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है।

(द) कंपनी द्वारा निवेदनों का सत्यापन समाप्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा प्रस्तुत हुए अंशों को स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है, जब तक कि समाप्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर अस्वीकरण की सूचना न भेज दी गई हो।

6.8.4 आनुपातिक अंशों का क्रय

यदि अंशों के क्रय करने हेतु आवेदन पत्र कंपनी द्वारा निर्धारित अंशों की संख्या से अधिक मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं, तो प्रत्येक सदस्य द्वारा अंश क्रय करने की संख्या को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाएगा :

कुल स्वीकृति = सदस्यों द्वारा स्वीकृति × क्रय किए जाने वाले अंशों की संख्या

6.8.5 निलंब परिसंपत्ति खाता

''निलंब परिसंपत्ति'' शब्द से आशय किसी तीसरे व्यक्ति के पास जमा एक अनुबंध अथवा बंधपत्र से है, जिसकी सुपुर्दगी गारंटी के रूप में किसी शर्त की पूर्ति हेतु की जाती है।

प्रतिभूतियों की क्रय योजना के संबंधित दायित्वों के निष्पादन हेतु कंपनी ''निलंब परिसंपत्ति'' खाता खोलती है, जिसमें निम्न मदें समाविष्ट होती हैं :

(i) व्यावसायिक बैंक में जमा की गई नकद राशि या

(ii) श्रेष्ठी बैंकर के पत्र में गारंटी;

(iii) उचित मात्रा रखते हुए स्वीकरण हेतु प्रतिभूतियों की जमा की गई नकद राशि

(iv) श्रेष्ठी बैंकर के पास 100 करोड़ के बराबर देय प्रतिफल की 25% राशि और यदि 100 करोड़ से अधिक देय प्रतिफल की अतिरिक्त 10% राशि के लिए (i), (ii) और (iii) का सम्मिश्रण।

प्रतिभूति धारकों को पूर्ण भुगतान करने के पश्चात्, जिन्होंने अंशों के क्रय को स्वीकार किया है तथा कंपनी ने भुगतान किया है, निलंब परिसंपत्ति में जमा राशि कंपनी को दे दी जाती है। सेबी को कंपनी द्वारा अपने दायित्वों के अपरितोषण की स्थिति में निलंब परिसंपत्ति खाते की राशि को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रतिभूति धारकों, जिन्होंने कंपनी द्वारा अनुमोदित अंशों के क्रय को स्वीकार किया है, संपूर्ण भुगतान के पश्चात् निलंब परिसंपत्ति में जमा राशि अथवा प्रतिभूतियाँ कंपनी को दे दी जाती है।

अध्याय में प्रयुक्त शब्द

1. कंपनी
2. अंश पूँजी
3. अधिकृत पूँजी
4. निर्गमित पूँजी
5. अनिर्गमित पूँजी
6. अभिदत्त पूँजी
7. अनअभिदत्त पूँजी
8. माँगी गई पूँजी
9. अनमाँगी पूँजी
10. चुकता पूँजी
11. संचित पूँजी
12. अंश
13. अधिमानी अंश
14. संचयी पूर्वाधिकार अंश
15. असंचयी पूर्वाधिकार अंश
16. सहभागी पूर्वाधिकार अंश
17. असहभागी पूर्वाधिकार अंश
18. शोध्य पूर्वाधिकार अंश
19. अशोध्य पूर्वाधिकार अंश
20. परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश
21. अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश
22. समता अंश
23. नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन
24. नकदी के लिए अंशों का निर्गमन।
25. सममूल्य पर अंशों का निर्गमन।
26. अंशों के लिए आवेदन
27. न्यूनतम अभिदान
28. अंशों का आबंटन
29. माँग पर अंश
30. अंश माँग की बकाया राशि
31. माँग की अग्रिम राशि
32. अधि-अभिदान
33. अल्प-अभिदान
34. अधिलाभ-अधिमूल्य
35. बट्टे पर अंशों का निर्गमन

अधिगम उद्देश्य के संदर्भ में सारांश

1. अंश

अंश पूँजी का एक भिन्नात्मक भाग होता है और कंपनी में स्वामित्व का आधार बनाता है। कंपनी अधि नियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः अंश दो प्रकार के होते हैं अर्थात् 'समता' अंश और 'पूर्वाधिकार' अंश। पूर्वाधिकार अंश पुनः भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं, जो उनको दिए गए अधिकारों की विभिन्नता पर आधारित हैं। किसी कंपनी की पूँजी बड़ी संख्या में, कभी-कभी बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को अंश निर्गमित करके एकत्र की जाती है। इन व्यक्तियों से प्राप्त अंशदानों को सामूहिक रूप में 'अंश पूँजी' कहा जाता है, जो अलग-अलग अंश धारकों द्वारा प्रदान की गई पूँजी से एकदम भिन्न होती है।

2. अंशों का निर्गमन

इस प्रकार अंशों का निर्गमन कंपनी का पूँजी आधार होता है। अंश या तो नकदी के लिए या नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए निर्गमित किए जाते हैं, इनमें से नकदी के लिए अधिक आम है। जब कंपनी

कारोबार या संपत्तियों का क्रय करती है और विक्रेता कंपनी पूर्णत: चुकता अंशों के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाती है तो अंशों को नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए जारी करने के लिए कहा जाता है।

नकदी के लिए अंशों का निर्गमन, इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित कार्यविधि के सर्वथा अनुरूप जारी करने की अपेक्षा की जाती है। जब अंश नकदी के लिए जारी किए जाते हैं तो उन पर निम्नलिखित एक या इससे अधिक अवस्थाओं में रकम इकट्ठी की जा सकती है :

(i) अंशों के आवेदन पर

(ii) अंशों के आबंटन पर

(iii) अंशों पर माँग/माँगें करने पर

3. बकाया माँग व अग्रिम माँग

कभी-कभी आबंटन पर माँगी गई पूरी रकम और/या माँग/माँगों की धनराशि आबंटियों/ अंशधारकों से प्राप्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार प्राप्त नहीं की गई राशि को संचयी तौर पर 'अदत्त माँग' या 'माँग की बकाया राशि' कहते हैं। हालांकि किसी कंपनी के लिए माँग की बकाया राशि का अलग खाता रखना अनिवार्य नहीं है। ऐसे भी दृष्टांत हैं, जहाँ कुछ अंशधारक उनको आबंटित अंशों पर अभी तक नहीं माँगी गई आंशिक या पूर्ण रकम का भुगतान करना विवेकपूर्ण मानते हैं। अंश धारक द्वारा आबंटन/माँग (माँगों) पर उनसे प्राप्य राशि से अधिक का किया गया भुगतान 'माँग की अग्रिम राशि' के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए एक अलग खाता रखा जाता है। कंपनी को अपने विवेक से माँग की बकाया राशियों पर ब्याज लगाने की शक्ति होती और यदि यह इनको स्वीकार करती है तो उन पर अग्रिम माँग की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व भी होता है।

4. अधि-अभिदान

कुछ कंपनियों के अंशों के मामले में यह संभव है कि अधि-अभिदान की स्थिति उत्पन्न हो, जिसका अर्थ है कि प्रविवरण के माध्यम से प्रस्तावित अभिदान से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं। ऐसी स्थिति में संचालकों के पास निम्नलिखित विकल्प रहते हैं :

(i) वे कुछ आवेदनों को पूर्णत: स्वीकार कर सकते हैं और अन्य को पूरी तरह अस्वीकार कर सकते हैं।

(ii) उनके द्वारा यथानुपात वितरण किया जा सकता है।

(iii) उपर्युक्त दोनों विकल्पों को मिला-जुलाकर अपनाया जा सकता है।

5. अल्प-अभिदान

किसी कंपनी के अंशों के लिए कम अभिदानों का आना भी बिल्कुल आम है। इसका अर्थ यह है कि अभिदान के लिए प्रस्तावित सभी अंशों के लिए जनता द्वारा आवेदन नहीं किए गए। इसके इसी स्वरूप के कारण कम अभिदान के मामले में इस पर कार्रवाई करने के लिए किसी विशेष व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती है।

6. सममूल्य व अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन

इस बात पर विचार किए बिना कि अंश नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए या नकदी के लिए निर्गमित किए गए हैं, वे या तो सममूल्य पर या अधिमूल्य पर जारी किए जा सकते हैं। सममूल्य पर निर्गमित अंशों का यह अर्थ है कि अंश अपने अंकित या सामान्य मूल्य/बराबर मूल्य के लिए जारी किए गए हैं। यदि अंश अधिलाभ पर अर्थात् अंकित मूल्य या सममूल्य से अधिक राशि पर निर्गमित किए गए हैं, तो अधि लाभ की राशि अंश अधिलाभ खाते के नाम से एक अलग खाते में जमा की जाती है, जिसका प्रयोग सर्वथा कानून के अनुसार ही किया जाता है।

7. बट्टे पर अंशों का निर्गमन

अंश बट्टे पर यानी अंकित मूल्य या सममूल्य से कम रकम पर जारी किए जाते हैं, बशर्ते कंपनी इसके संबंध में कानून द्वारा निर्धारित उपबंधों का पूर्णरूपेण अनुपालन करती हो। इस अनुपालन के अलावा कंपनी के अंश साधारणत: बट्टे पर जारी नहीं किए जा सकते। जब अंश बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो बट्टे की रकम अंश निर्गमन पर बट्टा खाते के नाम लिखी जाती है, जो कंपनी के लिए पूँजी हानि की तरह होती है।

8. अंशों का हरण

अंश के निर्गमन पर एक स्थिति यह उत्पन्न हो सकती है कि कुछ अंशधारक अपने नाम के अंशों पर एक या अधिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाए तो ऐसे मामले में कंपनी के पास चूककर्ताओं के अंशों को हरण करने का अधिकार होता है। इसे अंशों का हरण कहते हैं। हरण का अर्थ अनुबंध भंग होने के कारण आबंटन का निरस्तीकरण और इन अंशों पर पहले प्राप्त रकम को अंशहरण राशि के रूप में मानते हैं। अंश हरण का संक्षिप्त लेखांकन उन शर्तों पर निर्भर करता है, जिन पर ये अंश जारी किए गए हैं – सममूल्य पर, अधिमूल्य पर या बट्टे पर। सामान्यत: यों कहें कि हरण पर लेखांकन हरण की अवस्था तक पारित प्रविष्टियों को विघटित करना है। अंशों पर पहले प्राप्त हो चुकी रकम हरण किए गए अंश खाते में जमा कर दी जाएगी।

9. अंशों का पुन: निर्गम

कंपनी के प्रबंधन में इसके द्वारा एक बार हरण कर लिए अंशों को पुन: जारी करने की शक्ति निहित होती है, बशर्ते कि संस्था के अंतर्नियमों में इससे संबंधित शर्तों और निबंधनों में ऐसा प्रावधान हो। ये अंश बट्टे पर भी पुन: जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते अनुमानत: बट्टे की रकम पुन: जारी किए जाने वाले अंश से संबंधित अंशहरण खाते के जमा शेष से अधिक न हो।

अत: हरण किए गए अंशों को पुन: जारी किए जाने पर दिया गया बट्टा अंश हरण खाते के नाम लिखा जाता है।

10. अधिमानी आबंटन

कंपनी अधिमानी अनुपात पर अपने कर्मचारियों और संचालकों को अंश निर्गमित कर सकती है। इसमें दो योजनाएँ आती हैं : कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना और कर्मचारी स्कंध क्रय योजना। प्रथम योजना को स्थगित व्यय और दूसरी योजना को अधिमानी आबंटन कहते हैं।

11. अंशों का क्रय

कंपनी मुक्त निमंत्रण द्वारा अपने अंशों का स्वयं क्रय कर सकती है। इस निमंत्रण की न्यूनतम अवधि 7 दिन और अधिकतम अवधि 30 दिनों की होती है। अपनी कंपनी को 100 करोड़ रूपए के अंश क्रय करने के लिए प्रतिफल की 25% राशि को जमा कराना अनिवार्य है। यदि कंपनी 100 करोड़ रु. से अधि क के अंश क्रय करती है तो उसे प्रतिफल का 10% राशि जमा करना होगा। यह राशि समस्त दायित्वों की पूर्ति के पश्चात् कंपनी को वापस कर दी जाती है। यह कंपनी अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाती है तो सेबी 'एसक्रो' खाते के शेष का हरण कर सकती है।

प्रश्न और अभ्यास

I वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. एक कंपनी का निर्माण
   (अ) संसद में विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है;
   (ब) निवेशकों अथवा भावी अंश धारकों के बीच समझौते द्वारा किया जाता है;
   (स) सामान्य अधिनियम द्वारा किया जाता है;
   (द) सदस्यों के स्तर द्वारा किया जाता है।

2. कंपनी की अंश पूँजी में
   (अ) समता अंश व पूर्वाधिकार अंश का सम्मिश्रण होता है;
   (ब) केवल समता अंश होते हैं;
   (स) केवल पूर्वाधिकार अंश होते हैं;
   (द) स्थगित अंश होते हैं।

3. एक निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है :
   (अ) निजी कंपनी है;
   (ब) सार्वजनिक कंपनी है;
   (स) विदेशी कंपनी है;
   (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

4. पूर्वाधिकार अंश धारकों को मताधिकार प्राप्त होता है, यदि असंचित पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश:
   (अ) दो वर्षों तक नहीं दिया जाता है;
   (ब) गत छ: वर्षों में तीन वर्षों तक नहीं दिया जाता है;
   (स) छ: वर्षों तक नहीं दिया जाता है;
   (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
5. प्रतिभूति अधिमूल्य खाते का प्रयोग :
   (अ) अंशों पर लाभांश देने के लिए किया जाता है
   (ब) अंशों और ऋणपत्रों की लागत पूर्ति के लिए किया जाता है
   (स) कर-दायित्व की पूर्ति के लिए किया जाता है;
   (द) पुरानी परिसंपत्ति के विक्रय पर हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।
6. हरण किए गए अंशों खाते को अंततः बंद किया जाता है:
   (अ) प्रतिभूति अधिमूल्य खाते के शेष के हस्तांतरण द्वारा;
   (ब) समान्य संचय खाते के शेष के हस्तांतरण द्वारा;
   (स) ऋण का परिशोधन निधि द्वारा;
   (द) पूँजीगत संचय खाते द्वारा।
7. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:
   (i) अंश कंपनी की अंश पूँजी का..............एक भाग प्रदर्शित करता है।
   (ii) कंपनी की अंश पूँजी की व्यक्ति विशेष द्वारा किए जाने वाले असंख्य अंशदान से ही............... पहचान होती है।
   (iii) कंपनी की संचित पूँजी का अर्थ है कि इसकी माँग केवल उद्देश्य के लिए की जाती है।
   (iv) अंश कंपनी में...................का आधार बनाता है।
   (v) न्यूनतम अभिदान पूँजी की उस......................का सूचक है जो कंपनी द्वारा अपने अंश से पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए।

II लघु उत्तरीय प्रश्न

8. सार्वजनिक कंपनी क्या है?
9. निजी कंपनी क्या है?
10. सरकारी कंपनी को परिभाषित करें?
11. आप सूचीबद्ध कंपनी से क्या समझते हैं?

12. प्रतिभूति अधिमूल्य से आप क्या समझते हैं?
13. स्वसैट समता क्या है?
14. कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना क्या है?
15. अंशों के क्रय से आप क्या समझते हैं?
16. न्यूनतम अभिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी करें?

III दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

17. कंपनी शब्द का क्या अर्थ है। इसकी विशेषताओं का विशेष रूप से लेखांकन विधि के दृष्टिकोण से वर्णन कीजिए?
18. उन मुख्य श्रेणियों का संक्षिप्त में वर्णन करें जिनके संबंधित कंपनी की अंश पूँजी वर्गीकृत की जाती है।
19. आप अंश से क्या समझते हैं? कंपनी अधिनियम 1950 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अंशों की श्रेणियाँ स्पष्ट करें?
20. अधि-अभिदान की दशा में किसी कंपनी के अंश आबंटन की कार्यविधि की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें।
21. पूर्वाधिकार अंश क्या हैं? विभिन्न प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों का वर्णन करें।
22. ''माँग की बकाया राशि'' और ''माँग की अग्रिम राशि'' से संबंधित विधि के प्रावधानों का वर्णन करें।
23. अधि-अभिदान और अल्प-अभिदान शब्दों को स्पष्ट करें। लेखा पुस्तकों में इस संबंध में किस प्रकार लेखा किया जाता है।
24. उन स्थितियों का वर्णन करें जिनके लिए प्रतिभूति अधिमूल्य खाते का प्रयोग किया जाता है।
25. अब परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिनके अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन करती है। यह स्वैट समता से किस प्रकार भिन्न है।
26. 'अंशों का हरण' शब्द की व्याख्या करें और हरण पर लेखांकन विधि को बताएँ।

अभ्यास

27. हिन्दुस्तान ऑरगेनिक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 2,00,000 समता अंश के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जो 2.50 रुपए आवेदन पर, 2.50 रु. आबंटन पर और 2.50 रु. की तीन समान माँग पर देय थे। सभी धनराशि विधिवत प्राप्त की गई।

    कंपनी के रोजनामचे में इन लेनदेन का लेखा करें और दर्शाएँ।

28. एक लिमिटेड कंपनी ने एक रुपया प्रति अंश अधिलाभ पर 10 रु. वाले 10,000 समता अंश और प्रति 10 रु. के सममूल्य पर 5 हजार 10% पूर्वाधिकार अंश के आवेदन आमंत्रित किए। समता अंशों

पर धनराशि इस प्रकार देय थी–

आवेदन पर	2.50 रु. प्रति अंश
आबंटन पर	5 रु. प्रति अंश अधिलाभ सहित
पहली माँग पर	4.50 रु. प्रति अंश

पूर्वाधिकार अंशों की धनराशि निम्न प्रकार से देय थी :

आवेदन पर	3 रु. प्रति अंश
आबंटन पर	4 रु. प्रति अंश
पहली माँग पर	3 रु. प्रति अंश

सभी अंश पूर्णतः अभिदत्त, माँगे गए और प्रदत्त थे।

इन लेनदेन को कंपनी के रोजनामचे में लेखा करें और दर्शाएँ कि वे स्थिति विवरण में कैसे दर्शाए जाएँगे।

29. एक लिमिटेड कंपनी का निर्माण 1 मई, 2002 को किया गया जिसकी अधिकृत पूँजी 3,00,000,00 रु. है जो 10 रुपए वाले 10,00,000, 12% अधिमानी अंशों और 10 रुपए वाले, 20,00,000 समता अंशों में विभाजित है।

इसी तिथि को कंपनी ने 5,00,000 पूर्वाधिकार अंश के लिए और 14,00,000 समता अंशों के लिए जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण जारी किए। दोनों श्रेणियों के अंशों पर इस प्रकार देय थे।

आवेदन पर	2.50 रु. प्रति अंश
आबंटन पर	4 रु. प्रति अंश
पहली माँग पर (आबंटन के दो माह बाद)	शेष धनराशि

अभिदान सूची 31 मई, 2002 को बंद हो गई और आबंटन 15 जुलाई, 2002 को किया गया। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आबंटन किए गए, इस प्रकार आबंटन और माँग, पर प्राप्य नकद राशि प्राप्त हो गई।

कंपनी की बहियों में उपर्युक्त लेखा करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ पारित करें, रोकड़ बही तैयार करें।

30. भारत इंजीनियरी लिमिटेड ने शार्प एंड शार्ट से 30 जून, 2001 को एक समझौते के संबंधित कुछ एकस्व (पेटेंट) खरीदे, जिसकी कीमत रु. 40,000 थी और जिसके लिए विक्रेताओं को रु. 1,000 नकद और शेष 10 रु. वाले पूर्णतः प्रदत्त समता अंश में भुगतान किया गया।

विक्रेताओं को पूर्ण प्रदत्त रूप में आबंटित अंशों सहित कंपनी ने 10 रु. वाले 50,000 समता अंश (3 रु. आवेदन पर, 3 रुपए आबंटन पर और 4 रुपए तीन माह समाप्त होने पर) 10 रुपए वाले 4 रु. आवेदन पर, 3 रु. आबंटन पर और 3 रु. की तीन माह समाप्त होने पर देय रु. 25,000 10% पूर्वाधिकार अंशों में कुल मिलाकर रु. 75,000 की पूँजी निर्गमित की। शार्प और शार्ट के बीच हुए समझौते के संबंधित कंपनी को 9 जुलाई, 2001 को एकस्व दे दिए गए और इसी तिथि को जनता

को अंश आबंटित कर दिए गए। जनता को निर्गमित सभी अंश पूर्ण अभिदत्त एवं विधिवत चुकता कर दिए गए, सिवाय पूर्वाधिकार अंश पर अंतिम माँग की 200 रु. की बकाया माँग राशि के, सभी राशि कंपनी के बैंकरों को सीधे चुकता कर दी गई।

रोजनामचा प्रविष्टियाँ पारित कीजिए और कंपनी की लेखा पुस्तकों में रोकड़ बही तैयार कीजिए।

31. हीरो होंडा लिमिटेड ने 10 रुपए वाले एक रुपए प्रति अंश के बट्टे पर 1,00,000 समता अंश जारी किए, जो कि निम्न प्रकार देय थे :

आवेदन पर	2.50 रु. प्रति अंश
आबंटन पर	2.50 रु. प्रति अंश
माँग पर	शेष राशि

40 अंशधारक माँग की राशि अदा नहीं कर सके और अंशों को जब्त कर लिया गया है। जब्त किए गए अंशों में से 20 अंश पूर्णदत्त अंश के रूप में 5 रु. प्रति अंश की दर से पुन: निर्गमित किए गए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ बनाएँ ओर एक लिमिटेड की बहियों में अंश पूँजी एवं अंश हरण करें।

32. टैक्समकों लिमिटेड ने 20 रु. वाले 2,00,000 समता अंश पूँजी निर्गमित की, जिस पर 17.50 रु. प्रति अंश की माँग की गई।

30 सितंबर, 2002 को 'पी', जो 200 अंशों का धारक है, जिसकी न चुकाई गई माँग राशि 1,000 रुपए है।

संचालक मंडल के क्रमश: दिनांक 10 अक्तूबर, 1993 और 10 अक्तूबर, 2002 के प्रस्ताव द्वारा ये 200 अंश हरण कर लिए गए और कंपनी से प्राप्य रु. 2000 के प्रतिफल पर 12.50 रु. प्रति अंश की दर से पुन: निर्गमित कर दिए गए और उनको रु. 17.50 प्रति चुकता अंश बनाने के लिए रु. 5 प्रति अंश नकद राशि का तत्काल भुगतान करने को कहा गया।

टैक्समकों लिमिटेड को बहियों में उपर्युक्त का लेखा करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

33. रिलायंस इण्डस्ट्रीस लिमिटेड ने प्रत्येक अंश 10 रु. के 20,00,000 समता अंश 80 रु. प्रति अंश की दर से निर्गमित किए। निम्न वर्गों में 40,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए :

अंशों की संख्या	*आवेदक*
50	50,000
100	10,000
500	500
1000	200
5000	10

चूँकि निर्गमन अभिदत्त रहा इसलिए यह मानते हुए कि व्यापारिक ढेरी 100 अंशों की है, अंशों का आनुपातिक आबंटन करें।

34. डी.सी.एम. लिमिटेड ने प्रत्येक अंश 6,00,000 समता अंश 140 रु. की दर से निर्गमित किए विभिन्न वर्षों में 18,00,000 समता अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए :

अंशों की संख्या	*आवेदक*
100	4,500
200	1,200
300	900
400	200
500	100
600	

आप अंशों का आनुपातिक आबंटन करें।

35. गौतम प्लास्टिक्स लिमिटेड की अधिकृत पूँजी 5,00,000 रु. है, जो प्रति अंश 20 रु. पर विभाजित है। इसमें से, 8,000 अंशों को भवन के क्रय पर पूर्णत: चुकता रूप में निर्गमित किया गया है।

जनता द्वारा 16,000 अंशों को अभिदत्त किया गया तथा वर्ष 2001 के दौरान 10 रु. प्रति अंश पर राशि माँगी गई, जो इस प्रकार देय है: आवेदन पर 4 रु., आबंटन पर 2 रु., प्रथम माँग पर 2 रु. और द्वितीय माँग पर 2 रु.।

इन अंशों पर राशि निम्न प्रकार प्राप्त हुई :

12,000 अंशों पर पूर्ण राशि
2,500 अंशों पर 8 रु. प्रति अंश
1,000 अंशों पर 6 रु. प्रति अंश
500 अंशों पर 4 रु. प्रति अंश

कंपनी के संचालकों द्वारा 1,500 अंशों को जब्त किया गया, जिन पर 8 रु. कम भुगतान राशि का भुगतान किया गया था।

कंपनी की पूँजी लेनदेनों के अभिलेखन के लिए आवश्यक रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक प्रविष्टियाँ दीजिए।

36. एक लिमिटेड कंपनी, जिसकी अधिकृत पूँजी 10 रु. प्रति अंश 10,00,000 रु. है, ने 50,000 अंश 5 रु. प्रति अंश अधिमूल्य पर निर्गमित किए, जो इस प्रकार देय थे:

आवेदन पर 2.50 रु., आबंटन पर (अधिमूल्य सहित) 7.50 रु., शेष आवश्यकतानुसार।

60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 7 अप्रैल, 2002 को संचालकों ने इस प्रकार अंशों का आबंटन किया

(अ) 4,000 अंशों के आवेदकों को पूरे अंश मिले;

(ब) 1,500 अंशों के आवेदकों को 800 अंश आबंटित किए गए;

(स) 500 अंशों के आवेदकों को 200 अंश आबंटित किए गए तथा आधिक्य राशि लौटा दी गई।

15 अप्रैल, 2002 को आबंटन पर संपूर्ण राशि प्राप्त हुई।

प्रथम माँग पर 15 जुलाई, 2002 को 100 अंशों के अतिरिक्त संपूर्ण राशि प्राप्त हुई।

1 जून, 2003 को कंपनी ने प्रति अंश 10 रु. के 2000 अंशों को 9 रु. प्रति अंश की दर से स्वैट समता के रूप में प्रौद्योगिकी के सप्लायर, FAG-GMBH, जर्मनी को आबंटित किए।

इन लेनदेन को अभिलेखित करने हेतु आवश्यक रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक प्रविष्टियाँ दीजिए।

37. 'ए' के पास 10 रु. वाले 100 अंश हैं, जिन पर उसने आवेदन राशि के रूप में सिर्फ 2.50 का भुगतान किया है। 'बी' के पास 10 रु. वाले 200 अंश हैं, उसने आवेदन और आबंटन राशि के रूप में क्रमशः 2.50 और 2 रुपए का भुगतान किया है। 'सी' के पास 10 रु. वाले 300 अंश हैं, उसने आवेदन पर 2.50 रु. प्रति अंश, आबंटन पर 2 रु. प्रति अंश और पहली माँग पर 3 रु. प्रति अंश का भुगतान किया है। वे अपनी बकाया रकम और अंतिम माँग का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इसलिए संचालकों ने उनके अंशों को हरण कर लिया। ये अंश बाद में 10 प्रतिशत बट्टे पर पुनः जारी कर दिए गए।

38. रिचमंड लिमिटेड की 10 रु. वाले 1,00,000 अंशों की अधिकृत पूँजी है। ये संपूर्ण अंश 2002 में जारी किए गए और 2.50 रु. प्रति अंश के लिए चार किश्तों में पूर्णतः माँगे गए।

12 जुलाई, 2002 को निश्चित सूचना के बाद संचालकों ने शैलेन्द्र द्वारा धारित 100 अंशों को हरण करने का प्रस्ताव पारित किया, जो उसके पास की अंतिम किश्त भुगतान न होने की वजह से किया गया।

1 सितम्बर, 2002 को इस प्रकार हरण किए गए 100 अंश पूर्ण चुकता रूप में चेतन को जारी फेर दिए गए, जिसने उसको इसके लिए रु. 500/- का भुगतान किया। रिचमंड लिमिटेड की बहियों में इन लेनदेन का रिकार्ड करने के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

39. रितेश कुमार गुडली आयरन लिमिटेड में 10 रु. वाले 20 अंशों का धारक था, जिस पर 5 रु. प्रति अंश माँगा गया है परंतु उसने उस पर सिर्फ 2.50 रु. प्रति अंश का भुगतान किया। कंपनी ने उसके अंश हरण कर लिए और इसके बाद सतबीर सिंह को निर्गमित कर दिए, 5 रु. प्रति अंश चुकता रूप में 900 रु. जमा कर दिए गए।

अंशों का हरण और पुनः निर्गमन को कंपनी के रोजनामचे में किस प्रकार लेखा किया जाना चाहिए? कंपनी की आवश्यक कार्यकारी टिप्पणी देते हुए स्थिति विवरण बनाइए।

40. 1 फरवरी, 2002 को अल्फा लिमिटेड के संचालकों ने 10 रु. वाले 5,00,000 समता अंश 12 रु. प्रति अंश की दर से जारी किए, जो कि 5 रु. आवेदन पर (अधिमूल्य), 4 रु. आबंटन पर और शेष 1 मई, 2002 को देय थे।

10 फरवरी, 2002 को सूची बंद कर दी गई और इस तिथि तक 7,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त राशि में से 4,00,000 वापस कर दिए गए और 6,00,000 रु. आबंटन पर प्राप्य रकम हेतु ले जाए गए, जिसका शेष 16 फरवरी, 2002 को भुगतान किया गया।

500 अंशों के एक आबंटी को छोड़कर सभी अंश धारकों ने 1 मई, 2002 को प्राप्य माँग का भुगतान कर दिया। ये अंश 29 सितम्बर, 2002 को जब्त कर लिए गए और 1 नवंबर, 2002 को 8 रु. प्रति अंश की दर से पूर्ण चुकता रूप में पुनः जारी कर दिए गए।

अल्फा लिमिटेड की बहियों में इन अंश पूँजी लेनदेन के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

41. 1 जून, 2002 को एक लिमिटेड कंपनी ने 20 रु. अंश अधिमूल्य पर रु. 100 वाले 5,00,000 समता अंश अभिदान के लिए जारी किए, जो निम्न प्रकार से देय थे:

आवेदन पर	20 रु.
आबंटन पर	50 रु. प्रति अंश अधिलाभ सहित

आबंटन के दो माह बाद 50 रु. प्रति अंश 84,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

1 जुलाई, 2002 को संचालकों ने आनुपातिक आबंटन किए ।

इनमें से 4,500 अंशों के आवेदन पूर्णतः स्वीकार किए गए और शेष के संबंध में आबंटन यथानुपात किया गया है। इन आवेदकों द्वारा भुगतान की गई आधिक्य राशि आबंटन के लिए और उनसे माँग की प्राप्य धनराशि में प्रयोग की गई। एक आवेदक जिसे 300 अंश आनुपातिक तौर से 2002 को जब्त कर लिया गया, तत्पश्चात 130 रु. प्रति अंश पर दोबारा निर्गमित किया गया। कंपनी के रोजनामचे में इन लेनदेन के संबंध में प्रविष्टियाँ कीजिए।

42. मैजस्टिक ऑटो पार्ट्स लिमिटेड ने 2 रु. के अधिलाभ पर 10 रु. वाले 60,000 समता अंश जनता को अभिदान के लिए जारी किए, जो इस प्रकार देय थे।

आवेदन के साथ	2 रु. प्रति अंश
आबंटन पर (अधिमूल्य सहित)	5 रु. प्रति अंश
पहली माँग पर	2 रु. प्रति अंश
अंतिम माँग पर	3 रु. प्रति अंश

1,80,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए आबंटन यथानुपात किया गया। आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि आबंटन पर प्राप्य रकम के लिए समायोजित कर दी गई।

एक्स, जिसे 2,400 अंश आबंटित किए गए थे, दो माँगों का भुगतान नहीं कर पाया। दूसरी माँग करने के बाद ये अंश हरण कर लिए गए।

हरण किए गए सभी अंश जेड को 7 रु. प्रति अंश की दर से पूर्ण रूप से चुकता रूप में पुनः निर्गमित कर दिए गए।

अंश पूँजी से संबंधित इन लेनदेनो को लेखा करने के लिए कंपनी की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ पारित कीजिए। मून कंपनी लिमिटेड ने 1 रु. प्रति अंश अधिलाभ पर 10 रु. वाले 10,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जो कि 5 रु. आवेदन पर 3.50 रु. (अधिलाभ सहित) आबंटन पर और 2.50 रु. माँग पर देय थे।

15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 2,500 अंशों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए और उन पर प्राप्त रकम वापस कर दी गई। शेष आवेदकों को यथानुपात आबंटन किया गया। आधिक्य आवेदन राशि का आबंटन के लिए प्रयोग किया गया।

उपर्युक्त अंश पूँजी लेनदेन का लेखा करने के लिए कंपनी की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ पारित कीजिए।

43. कालिंग स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने एक प्रविवरण जारी किया, जिसमें 2 रु. प्रति अंश अधिमूल्य पर 10 रु. वाले 2,00,000 समता अंशों के लिए आवेदन माँगे, ये निम्न प्रकार से देय थे:

आवेदन के साथ	2 रु.
आबंटन पर	5 रु.
प्रथम माँग पर	3 रु.
दूसरी माँग पर	2 रु.

3,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए आवेदकों को यथानुपात आबंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि आबंटन पर प्राप्य रकम से समायोजित कर दी गई।

कांता जिसे 400 अंश आबंटित किए गए थे, आबंटित धनराशि का भुगतान नहीं कर पाई और बाद में प्रथम माँग पर भुगतान नहीं कर पाने पर उसके अंश प्रथम माँग के बाद हरण कर लिए गए।

शमीम जिसे 600 अंश आबंटित किए गए, दो माँगों का भुगतान नहीं कर सका और दूसरी माँग के बाद उसके अंश हरण कर लिए गए।

हरण कर लिए गए अंशों में 800 अंश पुन: जारी कर दिए गए। मैरी ने 9 रु. प्रति अंश पूर्ण चुकता रूप में दिए, इसमें कांता के पूरे अंश सम्मिलित कर लिए गए।

अंश पूँजी संबंधी उपर्युक्त लेनदेन का लेखा करने के लिए कंपनी की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए और तुलन-पत्र में संबंधित मदें प्रस्तुत कीजिए।

44. अभिनंदन लिमिटेड ने 10 रु. वाले 40,000 समता अंश 2.50 रु. प्रति अंश अधिमूल्य पर निर्गमित किए जो इस प्रकार देय थे:

आवेदन के साथ	4.50 रु. (अधिमूल्य सहित)
आबंटन पर	2.50 रु.
प्रथम माँग पर	5 रु.

80,000 अंशों के लिए आवेदन किए गए और अधि-अभिदान के कारण आबंटन इस प्रकार किए गए :

20,000 अंशों के लिए आवेदकों को 10,000 अंश आबंटित किए गए।

40,000 अंशों के आवेदकों को 20,000 अंश आबंटित किए गए। 20,000 अंशों के आवेदकों को 10,000 अंश यथानुपात आबंटित किए गए।

यह निर्णय किया गया कि अधिक आवेदन की धनराशि के बाद की प्राप्य राशियों को उस समय समायोजित किया जाए और अंतिम आधिक्य राशि वापस कर दी जाए।

'ए' जिसे यथानुपात आधार पर 300 अंश आबंटित किए गए, आबंटन की धनराशि का भुगतान नहीं किया। 'बी' जिसे यथानुपात आधार पर 450 अंशों का आबंटन किया गया, माँग की धनराशि अदा नहीं की। माँग के बाद उनके अंश हरण कर लिए गए।

हरण किए गए अंशों में से 500 अंश 9 रु. प्रति अंश की दर से 'सी' को पुनः निर्गमित कर दिए गए, जिसमें 'ए' के संपूर्ण अंश सम्मिलित किए गए।

कंपनी के रोजनामचे में, रोकड़ पुस्तक और तुलन-पत्र में प्रविष्टियाँ कीजिए।

45. वर्ष 2000-2001 के दौरान सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इडिंया लिमिटेड ने 9,70,000 स्कंध विकल्प योग्य स्थायी संचालकों एवं कर्मचारियों को 138 रु. प्रति अंश के प्रयुक्त मूल्य पर प्रदान किए। ये स्कंध विकल्प 4 समान किश्तों में संपन्न किए जाएँगे, अर्थात अप्रैल 2000 से क्रमशः प्रथम, द्विवितिय तृतीय व चतुर्थ वर्ष में। इन विकल्पों को संपन्न तिथियों से पाँच वर्षों की अवधि तक प्रस्तुत किया जा सकता है। 10 रु. के 2,000 अंशों को निर्गमित किया। उक्त तिथि पर बाजार मूल्य 200 रु. था। 31 मार्च, 2001 को कर्मचारियों द्वारा अपने पद से त्याग पत्र देने से 8,600 विकल्प व्यय गमन हुए।

उपर्युक्त लेनदेन का कंपनी की पुस्तकों में लेखा करें।

46. 1 जून, 2002 को टाटा पावर ने प्रति अंश 10 रु. के 5000 अंश अपने कर्मचारियों को 80 रु. के प्रयुक्त मूल्य पर निर्गमित किए। अंश का बाजार मूल्य 150 रु. था। यह मानते हुए कि अंशों का निर्गमन कर्मचारी स्कंध क्रय योजना (ESPS) के संबंधित किया गया है। उपर्युक्त लेनदेन का कंपनी की पुस्तकों में लेखा करें।

उत्तर

1. (स)
2. (अ)
3. (द)
4. (अ)
5. (ब)
6. (द)
7. (अ)

   (ii) अलग

   (iii) विलयन

   (iv) मालिकाना हित

   (v) न्यूनतम आबंटन

31. अंश हरण खाता/(पुन: निर्गमन के पश्चात् शेष) 1,000 रु.

32. पूँजीगत संचय 2,000 रु.

35. अंश हरण खाता 8,000 रु.

36. अंश हरण खाता 500 रु.

37. पूँजीगत संचय 28,00 रु.

38. पूँजीगत संचय 500 रु.

39. पूँजीगत संचय 400 रु.

40. पूँजीगत संचय 2,500 रु.

41. पूँजीगत संचय 15,000 रु.

42. पूँजीगत संचय 6,000 रु.

43. पूँजीगत संचय 2,700 रु.

44. पूँजीगत संचय 2,000 रु.

अनुसूची 6
(धारा 211 देखिए)
[1][भाग 1
तुलन-पत्र का प्रारूप

(यहाँ कंपनी का नाम भरिए)..............................कंपनी का तुलन-पत्र, जैसा वह...............
............(यहाँ वह तारीख भरिए जिस तक के लिए वह तैयार किया गया है) को थी

ये हिदायतें जिनके अनुसार दायित्व निश्चित किए जाने हैं	दायित्व		आस्तियाँ		वे हिदायतें जिनके अनुसार आस्तियाँ निश्चित की जानी चाहिए
	पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	चालू वर्ष के आंकड़े	पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	चालू वर्ष के आंकड़े	
	रु.	रु.	रु.	रु.	
	(ख)	(ख)	(ख)	(ख)	
* किसी मोचनीय अधिमानी पूँजी के (यदि कोई हो) मोचन या संपरिवर्तन के निबंधन उस निकटतम तारीख के साथ यहाँ दें जो मोचन या संपरिवर्तन की। अनिर्गमित अंश (शेयर) पूँजी विषयक किसी विकल्प की विशिष्टियाँ यहाँ दी जाएँ अधिमानी अंशों (फ्रिरेन्स शेयरों) के विभिन्न वर्गों की विशिष्टियाँ यहाँ दी जाएँ	*अंश (शेयर) पूँजी ...रु. प्रति अंश(शेयर) वाले प्राधिकृत अंश (शेयर) (विभिन्न वर्गों की पूँजी में भेद दिखाते हुए तथा हर वर्ग की बाबत नीचे दी हुई विशिष्टयाँ देते हुए लिखें) ... रु.प्रति अंश(शेयर) वाले ... निर्गमित अंश (शेयर) (विभिन्न वर्गों की पूँजी में भेद दिखाते हुए तथा हर वर्ग की बाबत नीचे दी हुई विशिष्टयाँ देते हुए लिखें। (ग) ... रु. प्रति अंश (शेयर) वाले		* स्थिर आस्तियाँ : (क) गुडविल (ख) भूमि (ग) निर्माण (घ) पट्टाधृतियाँ (ड.) रेल पार्श्विकाएँ (साइडिंग) (च) संयंत्र (प्लांट) और मशीनरी (छ) फर्नीचर और फिटिंग (ज) संपत्ति का विकास (झ) पेटेंट, व्यापार चिह्न, और डिजाईन (ड.) जीवधन, तथा (ट) यान आदि पर हुए व्यय अलग-अलग दिखाएँ		* हर शीर्षक के नीचे मूल लागत तथा वर्ष भर में उसमें हुई वृद्धियाँ और उसमें की गई कटौतियाँ तथा वह कुल अवक्षयण, जो अपलिखित कर दिया गया है या जिसके लिए उपबंध वर्ष के अंत तक के लिए, कर दिया गया है, कथित किया जाएगा, [2][जहाँ कि पूर्वोक्त मूल लागत तथा उसमें हुई किन्ही वृद्धियों और कटौतियों का संबंध ऐसी किसी स्थिर आस्ति से है जो भारत से बाहर के देश से अर्जित की गई है तथा ऐसी आस्ति के अर्जन के पश्चात् किसी समय विनिमय दर में तब्दीली होने के परिणामस्वरूप कंपनी के भारतीय करेंसी में

1. 1860 के अधिनियम सं. 65 की धारा 217 द्वारा मूल भाग 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 129, तारीख 3 जनवरी, 1968 द्वारा अन्त:स्थापित।

ये हिदायतें जिनके अनुसार दायित्व निश्चित किए जाने हैं	दायित्व		आस्तियाँ		वे हिदायतें जिनके अनुसार आस्तियाँ निश्चित की जानी चाहिए
	पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	चालू वर्ष के आंकड़े	पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े	चालू वर्ष के आंकड़े	
	(रु.) ख	(रु.) ख	(रु.) ख	(रु.) ख	अभिव्यक्त उस दायित्व में कोई वृद्धि या कमी हुई है जो उस आस्ति की पूरी लागत या उसके भाग मद्धे अदायगी करने अथवा उस आस्ति के अर्जन के खास प्रयोजन से किसी विदेशी करेंसी में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी व्यक्ति से कंपनी द्वारा उधार ली गई पूरी धन राशि या उसका भाग चुकाने का है (और जो दायित्व दोनों दशाओं में से हर एक में उस तारीख के अव्यवहितपूर्व विद्धमान था जिसको विनिमय दर में तब्दीली हुई है) वहाँ वर्ष के दौरान दायित्व में जितनी रकम से ऐसे वृद्धि या कमी हुई है वह यथा स्थिति लागत में जोड़ दी जाएगी या लागत से घटा दी जाएगी, तथा ऐसे जोड़ने या घटाने के पश्चात् जो रकम आई है वह स्थिर आस्ति की लागत समझी जाएगी। **स्पष्टीकरण 1-** यह पैरा उन सब तुलन-पत्रों के संबंध में लागू होगा जो तारीख 6 जून, 1966 या उसके किसी बाद के दिन

की स्थिति को व्यक्त करते हुए तैयार किए जाएँ और जहाँ कि भारत सरकार के औद्योगिक विकास और कंपनी कार्य मन्त्रालय (कंपनी कार्य विभाग) जी. एस. आर. सं. 129 और तारीख 3 जनवरी, 1968 वाली भारत सरकार की अधिसूचना के निकलने की तारीख पर ऐसा कोई तुलन-पत्र, जिसके संबंध में यह पैरा लागू होता है, पहले ही तैयार कर लिया जाता है तथा कंपनी के समक्ष उसके वार्षिक साधारण अधिवेशन में रख दिया गया है वहाँ इस पैरा में विनिर्दिष्ट समायोजन उक्त अधिसूचना के निकलने के पश्चात् किए गए पहले तुलन-पत्र में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण 2- इस पैरे में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 'विनियमय दर', 'विदेशी करेंसी' और 'भारतीय करेंसी' के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43क की उपधारा (1) के अधीन

1. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित। देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (1), पृष्ठ 117।

दिए हुए हैं, तथा उक्त उपधारा का स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 यावत्शक्य उक्त पैराग्राफ के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे उक्त उपधारा (1) 0 को लागू हैं।]

.... प्रतिश्रुत अंश (शेयर)। आहूत......................रु. ऊपर उल्लिखित अंशों (शेयरों) में से.........अंशों (शेयरों) का पूर्णत: समादत्त के रूप में आबंटन नकदी में कोई संदाय प्राप्त हुए बिना संविदा के अनुसरण में किया गया है।

[1][हर दशा में, जिसमें कि मूल लागत अयुक्तियुक्त व्यय या विलम्ब के बिना अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, बहियों से प्रकट होने वाला मूल्य दर्ज किया जाएगा। इस पैरे के प्रयोजनों के लिए ऐसा मूल्यांकन वह शुद्ध रकम होगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर कंपनी की बहियों में उस आस्ति का मूल्य उसमें से वे रकमें घटाकर दिया हुआ है जो अवक्षयण के लिए या मूल्य में कमी के कारण पहले उपबंधित या अपलिखित कर दी गई है तथा जहाँ कि ऐसी आस्ति बेच दी जाती हैं, वहाँ विक्रय आगमों की रकम कटौती के रूप में दिखाई जाएगी।]

[1][वह स्रोत अंशों (शेयरों) में से उदाहरणार्थ लाभों के पूंजीकरण अथवा आरक्षितियों या अंश (शेयर) प्रीमियम खाता विनिदिष्ट कीजिए जिससे बोनस अंश (शेयर) निर्गमित किए गए हैं।

[1][ऊपर उल्लिखित अंशों (शेयरों) में से..अंश (शेयर) पूर्णत: समादत्त के तौर पर बोनस अंशों (शेयरों) के रूप में आबंटित किए गए हैं।]

वे आहूत राशियाँ घटाइए जो : (i) प्रबंध अभिकर्ता

जहाँ कि पूँजी में कमी की जाने या आस्तियाँ के पुन: मूल्यांकन पर कोई राशियाँ अपलिखित की गई हैं वहाँ (प्रथम तुलन-पत्र के

1. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित। देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (1), पृष्ठ 117।

या सचिवों तथा कोषपालों द्वारा तथा उस दशा में जिसमें कि प्रबंध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल फर्म है, उसके भागीदारों द्वारा तथा उस दशा में जिसमें कि प्रबंध अभिकत्ता या सचिव तथा कोषपाल प्राइवेट कंपनी हैं, उस कंपनी के निदेशकों या सदस्यों द्वारा

(ii) निदेशकों द्वारा

(iii) अन्यों द्वारा असमादत्त हैं।

[1][समहृत अंशों (शेयरों) के पुनः निर्गमन पर कोई पूँजीगत लाभ पूँजी आरक्षिति को अंतरित की जानी चाहिए।]

*[जोड़िए– समहृत अंश (शेयर) वह (रकम जो मूलतः समादत्त की गई थी)

पश्चात्) हर तुलन-पत्र में, जो वह कमी की जाने या मूल्यांकन किए जाने के बाद का है कम किए गए आंकड़े मूल लागत के बदले और कमी करने की तारीख दर्ज किए जाएंगे।

की गई कमी की रकम कमी करने के बाद वाले पहले पाँच वर्षों के प्रत्येक तुलन-पत्र में दिखाई जाएगी।

इसी प्रकार जहाँ कि आस्तियों का अधिमूल्यन करके कोई राशियाँ जोड़ी गई हैं वहाँ अधिमूल्यन के बाद वाले हर तुलन-पत्र में वर्धित आंकड़े मूल लागत के बदले वृद्धि की तारीख सहित दिए जाएँ, अधिमूल्यन की तारीख के बाद पहले पाँच वर्षों के लिए हर तुलन-पत्र में वृद्धि की रकम दिखायी जाएगी।

[2][**स्पष्टीकरण** –पूर्ववर्ती दो पैराओं में की कोई बात दूसरे पैरे के अनुसार किए गए किसी समायोजन को लागू नहीं होगी।]

---

1. अधिसूचना सं. सा. का. नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 129, तारीख 3 जनवरी, 1968 द्वारा अन्तःस्थापित। देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 117।
3. अधिसूचना सं. सा.का. नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित। देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3 (i), पृ. 117।

अंतिम तुलन-पत्र के बाद वाली वृद्धियाँ और कटौतियाँ हर विनिर्दिष्ट शीर्षक के अंतर्गत दिखाइए आरक्षिति के संबंध में [4]'निधि' शब्द केवल वहाँ प्रयुक्त किया जाना चाहिए जहाँ कि ऐसी आरक्षिति खास तौर पर विशिष्ट मद के लिए ही विनिधान के रूप में है।]

*** आरक्षितियाँ और अधिशेष**

3(1) पूँजी आरक्षितियाँ

(2) पूँजी मोचन आरक्षितियां

(3) अंश (शेयर) प्रीमियम खाता (गग)

(4) हर आरक्षिति का स्वरूप विनिर्दिष्ट करते हुए अन्य आरक्षितियाँ तथा तद्विषयक रकम। इसमें से लाभ-हानि खाते के नामे पक्ष में अतिशेष (यदि कोई हो) घटा दीजिए (छ)।

(5) अधिशेष अर्थात् निम्नलिखित के लिए आबंटित रकमों का उपलब्ध करने के पश्चात् लाभ-हानि लेखा का अतिशेष : – लाभांश, बोनस तथा आरक्षितियाँ।

(6) आरक्षितियों के लिए वे रकमें जिन्हें उनमें जमा कर देने की प्रस्थापना है।

(7) निक्षेप निधियाँ

विनिधान

यह दिखाएँ कि विनिधान का स्वरूप तथा मूल्यांकन का ढंग क्या है, उदाहरणार्थ लागत या बाजार मूल्य तथा निम्नलिखित के बीच प्रभेद करें।

(1) सरकारी या न्यासिक प्रतिभूतियों में विनिधान,

(2) अंशों (शेयरों), डिबेंचरों या बन्धपत्रों में विनिधान, पूर्णतः तथा भागतः समादत्त अंशों (शेयरों) को पृथक्तः दिखाएँ तथा अंशों (शेयरों) के विभिन्न वर्गों में भी प्रभेद करें तथा समनुषंगी कम्पनियों के अंशों (शेयरों), डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधानों को भी ऐसे ही ब्यौरों सहित दिखाएँ

(3) स्थावर संपत्तियाँ

2[(4) भागीदारी फर्मों की पूंजी में विनिधान]

*कंपनीके जिन विनिधानों का कुटेशन होता है उनकी संकलित रकम तथा उनका बाजार मूल्य भी दिखाया जाए।

कंपनी के जिन विनिधानों का कुटेशन नहीं होता उसकी भी संकलित रकम दिखाई जाएँ।

---

1. अधिसूचना सं. सा. का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 494 (ई), तारीख 30 अक्तूबर, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

1[निदेशकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों तथा कोषपालों, प्रबंधक से लिए उधार पृथक्त: दिखाए जाएँ।]	**प्रतिभूत उधार** (1) डिबेंचर (2) बैंकों से लिए गए उधार और अग्रिम (3) समनुषंगियों से लिए गए उधार और अग्रिम (4) अन्य उधार और अग्रिम	**चालू आस्तियाँ उधार और अग्रिम** (क) चालू आस्तियाँ (1) विनिधानों पर प्रोदभूत ब्याज	
प्रतिभूत उधारों पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज 'प्रतिभूत उधार' शीर्षक के नीचे समुचित उप-शीर्षकों के नीचे दिखाए जाएँ।		*(2) स्टोर और फालतू पुर्जे [3](3) वियोजित औजार] *(4) व्यापार स्टाक *(5) वे संकर्म जो चल रहे हैं।	*स्टाक का मूल्यांकन करने का ढंग यहाँ दिया जाए तथा कच्चे माल की रकम भी वहाँ, जहाँ भी साध्य हो, पृथक्त: लिखी जाए।
प्रतिभूति का स्वरूप हर दशा में दिखाया जाएँ,		(6) अन्याय ऋणी	*जो संकर्म चला रहे हैं उनके मूल्यांकन का ढंग लिखिए। विविध ऋणियों के बारे में निम्नलिखित की विशिष्टियाँ पृथक्त: दी जाए:
जहाँ कि उधारों के लिए प्रत्याभूति प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों तथा कोषपालों, प्रबन्धकों और/या निदेशकों ने दी है वहाँ उनका भी		(क) छह मास से अधिक तक की कालावधि के लिए विद्धमान ऋण (ख) अन्य ऋण (इनमें से निम्नलिखित के लिए	(क) वे ऋण जिनकी बाबत यह विचार है कि वे खरे हैं और जिनके लिए पूरी-पूरी प्रतिभूति कंपनी को प्राप्त है, तथा

उल्लेख किया जाएगा तथा ऐसे उधारों की संकलित रकम हर शीर्षक के नीचे दिखाई जाए।

** निर्गमित डिबेन्चरों के मोचन या संपरिवर्तन के निबंधन, यदि कोई हों, मोचन या संपरिवर्तन के निबंधन, यदि कोई हों, मोचन या संपरिवर्तन की शीघ्रतम तारीख सहित दिखाएँ।

[1][उपबंधित रकम घटा दें]

[2][(7क) हाथ में रोकड़ बाकी

(7ख) बैंक में अतिशेष जो–

(क) अनुसूचित बैंकों में, तथा

(ख) अन्यों में, है।]

(ख वे ऋण जिनकी बाबत यह विचार है कि वे खरे हैं, किन्तु जिनके लिए ऋणी की वैयक्तिक प्रतिभूति के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिभूति कंपनी को प्राप्त नहीं है, तथा

(ग) संदेहास्पद ऋण या डूबन्त समझे जाने वाले ऋण।

वे ऋण जो कंपनी के निदेशकों से या अन्य अधिकारियों से अथवा उनमें से किसी द्वार या तो पृथक्‌तः या किसी अन्य व्यक्ति के साथ शोध्य हैं अथवा वे ऋण जो यथाक्रम ऐसी फर्मों या कंपनियों द्वारा शोध्य हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है, पृथक्‌तः दिखाया जाएँ।

[2][जो कंपनियों धारा 370 की उपधारा (1ख) के अर्थ के अंतर्गत उसी प्रबंध मंडल के अधीन हैं, उनसे शोध्य ऋण कंपनियों के नामों सहित संप्रकट किए जाएँ।]

कंपनी के निदेशकों या अन्य

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 78, तारीख 4 जनवरी, 1963 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिकारियों से वर्ष के दौरान किसी भी समय शोध्य अधिकतम रकम टिप्पण के रूप में दिखाई जाएँ। इस शीर्षक के नीचे दिखाई जाने वाली [1][उपबंधित रकम] उन ऋणों की रकमों से अधिक नहीं होनी चाहिए जिन्हें डूबन्त या संदेहास्पद समझा गया है तथा ऐसी [1][उपबंधित रकम] का कोई अतिशेष, यदि पहले ही सृष्ट हो, हर बार खाता बन्द करने के समय दायित्व कालम में ''आरक्षितियाँ और अधिशेष शीर्षक'' के नीचे संदेहास्पद और डूबन्त ऋणों के लिए आरक्षिति उपशीर्षक के नीचे दिखाएँ।

[2][बैंकों में विद्यमान अतिशेषों के संबंध में निम्नलिखित की विशिष्टियाँ पृथक्तः दी जाएँ :

(क) अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में, आह्वान खातों में तथा निक्षेप खातों में विद्यमान रकमें;

(ख) अनुसूचित बैंकों से भिन्न बैंककारों के नाम तथा ऐसे बैंककारों के यहां चालू खातों,

---

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 78, तारीख 4 जनवरी, 1963 द्वारा प्रतिस्थापित।

आह्वान खातों, तथा विद्यमान अतिशेष रकमें तथा ऐसे हर बैंककारों से वर्ष के दौरान किसी समय ऋण के तौर पर खाड़ी अधिक रकम; तथा

(ग) किसी निदेशक का या उसके नातेदार या अथवा प्रबंध अभिकर्ता का, सचिवों तथा कोषपालों का, पश्चात्कथित के किसी सहयुक्त अथवा यदि कोई हित (अनुसूचित बैंकों से भिन्न) उन बैंककारों में से किसी में हैं, जिनके प्रति ऊपर (ख) में निर्देश किया गया है, तो उनमें हर एक में उस हित का स्वरूप।]

1[निदेशकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों तथा कोषपालों, प्रबंधक से लिए गए उधार पृथक्तः दिखाए जाएँ।

अप्रतिभूत उधारों पर प्रोदभूत और शोध्य ब्याज अप्रतिभूत उधार शीर्षक के समुचित उपशीर्षकों के नीचे सम्मिलित किया जाएगा।]

जहाँ कि उधारों के लिए प्रत्याभूति प्रबंधन अभिकर्ताओं, प्रबंध तथा/कोषपालों, प्रबंध तथा/या निदेशकों द्वारा दी गई है वहाँ उसका तथा ऐसे उधारों की संकलित रकम का भी उल्लेख ऐसे हर शीर्षक के नीचे किया जाएगा।

प्रारूप के पादभाग की टिप्पण (घ) देखें।

अप्रतिभूत उधार

(1) सावधिक निक्षेप

(2) समनुषंगियों से उधार और अग्रिम

(3) (क) बैंकों से

(ख) अन्यों से

अल्पावधि उधार और अग्रिम

(4)(क) बैंकों से

(ख) अन्यों से

अन्य उधार और अग्रिम

चालू दायित्व और उपबन्धित रकम

क. चालू दायित्व

3(1) प्रतिग्रहण

*(ख) उधार और अग्रिम

(8)[2][(क)] समनुषंगियों को अग्रिम और उधार

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा अन्तःस्थापित
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 494 (ई), तारीख 30 अक्तूबर, 1973 द्वारा मद 8 पुनः अक्षरांकित की गई।
3. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 78, तारीख 4 जनवरी, 1963 द्वारा प्रतिस्थापित

(2) विविध लेनदार
(3) समनुषंगी कंपनियां
(4) उस प्रभाग के लिए अग्रिम संदाय और अनवसित डिस्काउन्ट जिसका मूल्य उस समय निम्नलिखित प्रकार जैसी कंपनियों की दशा में देना बाकी है, उदाहरणार्थ, समाचारपत्र, अग्नि, बीमा, नाट्य मंडली क्लब, बैंककारी, वाष्प पोत कंपनियां आदि
(5) वे लाभांश जो बिना दावा रह गए हैं।
(6) अन्य दायित्व, यदि कोई हों।
(7) वह ब्याज जो उधारों पर प्रोद्भूत तो हो गया है पर शोध्य नहीं हुआ है।]

(ख) उपबंधित रकमें

[2](8) कराधान लेखो उपबंधित रकम
(9) प्रस्थापित लाभांश
(10) आकस्मिकताओं के वास्ते
(11) भविष्य निधि स्कीम के लिए

[1](ख) भागीदार फर्मों को जिनमें कंपनीया उसका कोई समनुषंगी भागीदार है, अग्रिम ओर उधार]
(9) विनिमय पत्र
(10) वे अग्रिम, जो नकदी में या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में अर्थात् रेटों, करों, बीमों आदि में वसूलीय हैं
(11) प्रबंध अभिकर्त्ताओं, सचिवों तथा कोषपालों के यहाँ चालू खाते में अति शेष
(12) सीमा शुल्क, पत्तन न्यास आदि के यहाँ अतिशेष (जहाँ कि वे माँग पर देय हो)।

*''अन्याय ऋणी'' संबंधी जो हिदायतें ऊपर दी गई हैं वे ''उधार और अग्रिम'' को भी लागू होंगी।

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 494 (ई), तारीख 30 अक्तूबर, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

(12) बीमा, पैंशन और कर्मचारिवृन्द के लिए वैसी ही अन्य सुविधाओं के लिए
(13) अन्य उपबन्धित रकमें।]

वह कालावधि जिसके लिए लाभांश बकाया पड़े रहे हैं अथवा उस दशा में जिसमें कि अंश (शेयर) एक से अधिक वर्गों के हैं वह कालावधि, जिसके लिए हर ऐसे वर्ग लेखे लाभांश बकाया पड़े रहे हैं, दर्ज की जाएगी।

वह रकम आय-कर की कटौती करने से पूर्व रूप की दिखाई जाएगी किंतु कर मुक्त लाभांश की दशा में वह रकम आय-कर से मुक्त रूप में दिखाई जाएगी तथा यह तथ्य कि वह ऐसे दिखाई गई है कथित दर्ज किया जाएगा। कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों की ओर से कंपनी द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की रकम दर्ज की जाएगी ओर जहाँ साध्य हो कर ऐसे समाश्रित दायित्व की रकम भी, यदि सारभूत हो, विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(तुलन-पत्र में एक पाद-टिप्पण निम्नलिखित को पृथक्कतः दिखाते हुए दे दिया जाए-

(1) कंपनी के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है।
(2) भागतः समादत्त अंशों (शेयरों) पर अनाहृत दायित्व।
(3) नियत संचयी लाभांश की बकाया
(4) उन संविदाओं लेखे प्राकलित रकम जो पूँजी खाते निष्पादित किए जाने के लिए बची है और जिनके लिए रकम उपलबंधित नहीं की गई है।
(5) कोई अन्य धन जिसके लिए कंपनी समाश्रितत: दायित्वाधीन।]

प्रकीर्ण व्ययः
(वहाँ तक, जहाँ तक कि वह उपलिखित 1[या समायोजित] नहीं कर दिया गया है।

(1) प्रारंभिक व्यय
(2) व्यय, जिसके अंतर्गत अंशों (शेयरों) या डिबेंचरों की हामीदारी या प्रतिश्रुति के लिए कमीशन या दलाली आती है।
(3) अंशों (शेयरों या डिबेंचरों के निर्गमन परम अनुज्ञात बट्टा (डिस्काउन्ट)
(4) सन्निमणि के दौरान पूँजी में से दिया गया ब्याज (ब्याज की दर भी लिख दीजिए)
(5) विकासार्थ व्यय जिनका समायोजन नहीं हुआ है।
(6) (हर का स्वरूप विनिर्दिष्ट करते हुए) अन्य मदें।

2[लाभ-हानि लेखा]

1[मद विशेष के लिए अलग नियत न की गई आरक्षितियों की, यदि कोई हों, कटौती के पश्चात् लाभ-हानि लेखा का अग्रेनीत नामे पक्ष का अतिशेष यहाँ दिखाइए।]

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा अन्तःस्थापित
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित

टिप्पणी

तुलन-पत्र तैयार करने के लिए हिदायतें - (क) इस प्ररूप में की किन्ही मदों या उपमदों में से किसी के दिए जाने के लिए जो जानकारी अपेक्षित है यदि वह स्वयं तुलन-पत्र में सुविधापूर्वक सम्मिलित नहीं की जा सकती तो वह प्रत्येक अनुसूची या अनुसूचियों में दी जाएगी जो तुलन-पत्र से उपाबद्ध कर दी जाएगी तथा उसका भाग बन जाएगी। यह सिफारिश उस सूरत के लिए की जाती है जब भरी जाने वाली मदें अनेक हों।

(ख) यदि यह वांछित हो तो रुपयों के अलावा नए पैसे भी दर्ज किए जा सकते हैं।

(ग) [1][समनुषंगी कंपनी] की दशा में नियंत्री कंपनी द्वारा धृत अंशों (शेयरों) की तथा क्रमान्तिम नियंत्री कंपनी तथा उसकी समनुषंगियों द्वारा धृत अंशों (शेयरों) की संख्या पृथक्तः दर्ज की जानी चाहिएँ।

संपरीक्षक से यह अपेक्षित नहीं होता कि वह प्रबंध मंडल द्वारा यथा प्रमाणित अंशधारिता हित का सही होना प्रमाणित करें।

[1](गग) अंश (शेयर) प्रीमियम खाता मद के अंतर्गत उस रीति से, जो धारा 78 में उपबन्धित है, उपयोग के वर्ष में उसके उपयोग करने के ब्यौरे आते हैं।]

(घ) अल्पावधि उधारों के अंतर्गत वे उधार होंगे जो तुलन-पत्र की तारीख पर एक से अनधिक वर्ष तक शोध्य रहे हैं।

(ड.) वह अवक्षयण जो अपलिखित कर दिया गया है या जिसके लिए उपबंध कर दिया गया है, विभिन्न आस्ति शीर्षकों में बाँट दिया जाएगा तथा स्थिर आस्तियों का मूल्य निकालते समय उसकी कटौती कर ली जाएगी।

(च) तुलन-पत्र की तारीख के पश्चात् जो लाभांश समनुषंगी कंपनियों ने घोषित किए हैं वे तब के सिवाय सम्मिलित न किए जाने चाहिएँ जिसमें की वे ऐसी कालावधि के लिए हैं जो तुलन-पत्र की तारीख को या पूर्व खत्म हो गई हो।

(छ) संविदाएँ जिस विस्तार तक निष्पादित नहीं की गई हैं वहाँ तक उनसे प्रत्याशित फायदों के प्रति कोई भी निर्देश तुलन-पत्र में न दिया जाएगा पर बोर्ड की रिपोर्ट में वह निर्देश किया जाएगा।

[1][(ज) लाभ-हानि खाते में नामे पक्ष में के अतिशेष को अनायोजित आरक्षितियों में से, यदि कोई हों, घटाए गए के रूप में दिखाया जाएगा।]

(झ) जहाँ तक उधारों और अग्रिमों का संबंध है, वह रकम जो प्रबंध अभिकर्ताओं अथवा सचिवों तथा कोषपालों द्वारा किन्हीं अन्य व्यक्तियों से पृथक्तः या संयुक्ततः शोध्य है, पृथक्तः दिखाई जाएगी; [2][वे रकमें जो धारा 370 की उपधारा (1ख) के अर्थ के अंतर्गत एक ही प्रबंध मंडल के अधीन अन्य कंपनियों द्वारा शोध्य हैं] वे भी कंपनियों के नामों सहित दिखाई जाएगी तथा उनमें से किसी भी एक द्वारा जो अधिकतम रकम वर्ष भर में किसी भी समय शोध्य है वह भी दिखानी होंगी।

---

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 78, तारीख 4 जनवरी, 1963 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 494 (ई), तारीख 30 अक्तूबर, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

(त्र) किन्हीं मोचित डिबेंचरों की जिन्हें कंपनी को निर्गमन करने की शक्ति है, विशिष्टयाँ दी जानी चाहिएँ।

(ट) जहाँ कि कंपनी के डिबेंचरों में से कोई कंपनी के नामनिर्देशिती या न्यासी द्वारा धृत है, वहाँ डिबेंचरों की अभिहित रकम तथा वह रकम जिस मूल्य के वे कंपनी के नामनिर्देशिती या न्यासी द्वारा धृत है, वहाँ डिबेंचरों की अभिहित रकम तथा वह रकम जिस मूल्य के वे कंपनी की बहियों में दिखाए गए हैं दर्ज करनी चाहिएँ।

[3][(ठ) विनिधानों का एक विवरण (भले ही वे ''विनिधान'' या व्यापार के रूप में ''चालू आस्तियों'' के नीचे दिखाए गए हों) जिसमें व्यापारिक विनिधान और अन्य विनिधान पृथकत: वर्गीकृत किए गए हैं, तुलन-पत्र के साथ उपाबद्ध किया जाएगा जिसमें उन निर्गमित निकायों (एक ही प्रबंध-तंत्र के अधीन निगमित निकायों को पृथक्त: उपदर्शित करते हुए) के नाम जिनके अंशों, डिबेंचरों में विनिधान (उन सब विनिधानों सहित, भले ही वे अस्तित्वशील हों या न हों, जो उस तारीख के पश्चात् किए गए हैं जिसकी पूर्ववर्ती तुलन-पत्र तैयार किया गया था) किए गए थे और ऐसे प्रत्येक निगमित निकाय में ऐसे किए गए विनिधानों का स्वरूप और मात्रा दर्शित किए जाएंगे, परन्तु किसी विनिधान कंपनी की दशा में, अर्थात् ऐसी कंपनी की दशा में, जिसका प्रधान कारबार अंशों, स्टॉक डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन करना है, यदि विवरण में उस तारीख पर, जिस तक के लिए तुलन-पत्र तैयार किया गया है अस्तित्वशील विनिधान दिखाए जाते हैं। तो उतना ही कर देना पर्याप्त होगा। भागीदार फर्मों की पूँजी में के विनिधानों के संबंध में, विवरण में फर्मों के नाम (उनके सभी भागीदार के नाम, कुल पूँजी और प्रत्येक भागीदार के अंश सहित) दिए जाएँगे।]

(ड.) यदि बोर्ड की यह राय है कि किन्हीं [1][चालू आस्तियों, उधारों और अग्रिमों] को उनको कारोबार के मामूली अनुक्रम में धन रूप में प्राप्त करने पर उनका मूल्य कम से कम इस रकम के बरार न होगा जो उनकी होनी कथित है तो वह तथ्य कि बोर्ड की वैसी राय है कथित किया जाएगा।

(ढ) अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् जो प्रथम तुलन-पत्र कंपनी के समक्ष रखा गया है उसके सिवाय तुलन-पत्र में वे सब तत्स्थानी रकमें दिखाई जाएँगी जो अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सब मदों, लेखों तुलन-पत्र में दिखई गई थीं, जो कंपनियों त्रैमासिक या अर्धवार्षिक लेखा आदि तैयार करती है उनकी दशा में इस बारे में की अपेक्षा पूर्ववर्ती वर्ष में की उससे मेल खाती तारीख तक के लिए तैयार किए गए तुलन-पत्र के संबंध में लागू होंगी।

(ण) अन्यान्य ऋणी शीर्षक के अधीन दिखाई जाने वाली रकमों में वे रकमें सम्मिलित की जाएँगी जो बेचे गए माल या की गई सेवाओं लेखे, अथवा अन्य संविदाजात बाध्यताओं लेखे शोध्य है किंतु वे रकमें सम्मिलित न की जाएँगी जो उधार या अग्रिम के स्वरूप की हैं।

[1][(त) निदेशकों, प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों तथा कोषपालों और प्रबंध के यहाँ चालू खाते चाहे उनमें आकलन अथवा विकलन अधिक हो आदि पृथक्-पृथक् दिखाए जाएँगे।।]

भाग 2

लाभ-हानि लेखा विषयक अपेक्षाएँ

1. इस भाग के उपबंध उस आय-व्यय लेखा को, जो अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट

---

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 494 (ई), तारीख, 30 अक्तूबर, 1973

है, वैसी ही रीति से, जैसी से वे लाभ-हानि लेखा को लागू होते हैं, किन्तु निदेशों विषयक उस उपान्तर सहित, जो उस उपधारा में विनिर्दिष्ट हैं, लागू होंगे।

2. लाभ-हानि लेखा-

(क) इतनी स्पष्टता से ऐसे तैयार किया जाएगा कि जितनी कालावधि के लिए वह लेखा है उतनी के दौरान कंपनी के कर्म साधन का फलस्पष्ट रूप से संप्रकट हो जाए, तथा

(ख) अनावर्ती संव्यवहारों पर या असाधारण स्वरूप के संव्यवहारों के विषय में आकलन या प्राप्तियों तथा विकलनों या व्ययों सहित हर तात्त्विक बात संप्रकट करने वाला होगा।

3. लाभ-हानि लेखा में वे सब मदें, जो कंपनी की आय और कंपनी के व्ययों से संबंधित है, अत्यन्त सुविधापूर्ण शीर्षक के नीचे कराने से लिखी होगी तथा विशिष्ट: उसमें उस कालावधि के बारे में, जितनी के लिए वह लेखा है, निम्नलिखित जानकारी संप्रकट की जाएगी-

[2][(i) (क) व्यापारावर्त, अर्थात् वह संकलित रकम जितनी के कंपनी द्वारा विक्रय किए गए हैं, जिसमें कंपनी द्वारा व्यौहार किए गए मालों के प्रत्येक वर्ग के बारे में विक्रय की रकम दी जाएगी और प्रत्येक वर्ग के ऐसे विक्रयों की मात्राएँ उपदर्शित की जाएँगी।]

[1][(ख) अधिनियम की धारा 294 के अंतर्गत एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन,

(ग) अन्य विक्रय अभिकर्ता को दिया गया कमीशन,

(घ) विक्रयों पर प्रायिक व्यापारिक डिस्काउन्ट (बट्टे) में भिन्न दलाली और डिस्काउन्ट (बट्टा)];

[2][(ii) (क) विनिर्माता कंपनियों की दशा में, —

(1) मद के अनुसार ह्रास बतलाते हुए और उसकी मात्राएँ उपदर्शित करते हुए उपयुक्त कच्चे माल की कीमत इस ह्रास में, यथासंभव, सभी महत्त्वपूर्ण आधारित कच्चे मालों की पृथक् मदों के रूप में दर्शित किया जाएगा। अन्य विनिर्माताओं से प्राप्त मध्यस्थ वस्तुओं या घटकों का उस दशा में उनकी मात्रा न बताते हुए यथोचित शीर्षकों के नीचे समूहीकरण किया जाएगा जबकि ह्रास में सम्मिलित की जाने के लिए उनकी सूची अधिक बड़ी हो। परंतु उन सभी मदों को जिनका अलग-अलग मूल्य, उपयुक्त किए गए कच्चे माल के कुछ मूल्य का 10 प्रतिशत या अधिक है, ह्रास में उनकी मात्रा सहित पृथक् और सुभिन्न मदों के रूप में दिखाया जाएगा।

(2) प्रत्येक वर्ग के माल के बारे में ह्रास बताते हुए और उनकी मात्राओं को उपदर्शित करते हुए उत्पादित माल का आरंभिक या बंद स्टाक,

(ख) व्यापारिक कंपनियों की दशा में, कंपनी द्वारा व्यापार किए गए, मालों के प्रत्येक वर्ग के बारे में ह्रास बतलाते हुए और उनकी मात्राएँ उपदर्शित करते हुए किए गए, क्रय और उसका आरंभिक और बंद स्टाक,

(ग) जो कंपनियां सेवा कर रही हैं या उनका प्रदाय कर रही हैं उनकी दशा में की गई या प्रदान की गई सेवाओं से व्युत्पन्न सकल आय,

1. 1960 के अधिनियम सं. 65 की धारा 217 द्वारा ''संकर्म अभी पूरे किए जाने हैं'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. 1960 के अधिनियमसं. 65 की धारा 217 द्वारा ''देय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(घ) ऊपर के खण्ड (क), (ख) और (ग) में वर्णित प्रवर्गों में से एक से अधिक में आने वाली कंपनी की दशा में यदि आरंभिक और बंद स्टॉक क्रय विक्रय और मूल्य और मात्रा संबंधी ह्रास कच्चे माल का उपभोग तथा की गई सेवाओं में हुई सकल आय दिखा दिया जाता है, तो यह बात जहाँ दी गई अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन होगी।

(ङ.) अन्य कंपनियों की दशा में, विभिन्न शीर्षकों के अधीन व्युत्पन्न सकल आय।

टिप्पण 1— कच्चे माल की मात्रा, क्रय, स्टाक और व्यापारावर्त, मात्रा-संबंधी उन अभिधानों के नाम से अभिव्यक्त किए जाएँगे जिनसे उनका प्रसामान्यः बाजार में क्रय या विक्रय किया जाता है।

टिप्पण 2— मद (11) (क), (11) (ख) और (11) (घ) के प्रयोजन के लिए, वे मद माल के पृथक् वर्गों के रूप में समझे जाएँगे जिनके लिए कंपनी के पास पृथक् औद्योगिक अनुज्ञप्तियाँ हैं। परन्तु जहाँ किसी कंपनी के पास एक ही मद के लिए विभिन्न स्थानों पर उत्पादन के लिए या अनुज्ञप्त हैसियत के प्राप्त विस्तार के लिए एक से अधिक औद्योगिक अनुज्ञाप्तियाँ हैं, वहाँ ऐसी सभी अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत आने वाली मद एक वर्ग के रूप में समझी जाएगी। व्यापारिक कम्पनियों की दशा में, आयात अनुज्ञप्तियाँ अनुदत करते समय आयातित मदों की मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक द्वारा माने गए वर्गीकृत किया जाएगा।

टिप्पण 3— क्रयों, स्टाफ और व्यापारावर्त के ह्रास बतलाते समय, फालतू पुर्जे और उपांगो जैसी मदों को, जिनकी सूची इतनी बड़ी है कि उन्हें ह्रास में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, परिणाम न बतलाते हुए उचित शीर्षकों के नीचे समूहीकृत किया जा सकेगा, परंतु उन सभी मदों को जिनका अलग-अलग मूल्य, यथास्थिति, क्रय, स्टॉक या व्यापारावर्त के सकल मूल्य का दस प्रतिशत या अधिक है, अलग-अलग मात्रा सहित पृथक् और सुभिन्न मदों के रूप में दिखाया जाएगा।]

(iii) जिन समुत्थानों के संकर्मों पर काम चल रहा है उनकी दशा में वे रकमें जितनी तक [1][ऐसे संकर्म] लेखा कालावधि के प्रारंभ पर और अंत पर [1][पूरे हो चुके हैं];

(iv) स्थिर आस्तियों में अवक्षयण, उनके नवीकरण पर उनके मूल्य में कमी के लिए उपबंधित रकम में,

यदि ऐसा उपबंध अवक्षयण प्रभार के रूप में नहीं लिया गया है तो ऐसा उपबन्ध करने के लिए अपनाई गई रीति।

यदि अवक्षयण के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है तो यह तथ्य कि कोई उपबंध नहीं किया गया है दर्ज किया जाएगा [2][तथा अधिनियम की धारा 205(2) के अनुसार संगणित अवक्षयण की बकाया का परिमाण टिप्पण के रूप में दिया जाएगा।

(v) कंपनी के डिबंचरों और अन्य सावधिक उधारों पर अर्थात् नियत कालावधि के लिए उधारों पर ब्याज की रकम, यह बात पृथक्तः दर्ज की जाएगी कि प्रबंध निदेशक, प्रबंध अभिकर्ता, सचिव तथा कोषपालों तथा प्रबंधक को, यदि कोई हो [3][दी गई या देय] यदि कोई ब्याज है तो उस ब्याज की रकम क्या है;

---

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 494, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1960 के अधिनियम सं. 65 की धारा 217 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1965, तारीख 9 अक्तूबर, 1971 द्वारा पुनः संख्यांकित किया गया।
4. अधिसूचना सं.का.आ. 723 (अ.), तारीख 18.9.1990 द्वारा लोप किया गया।

(vi) भारतीय आय-कर तथा लाभ पर अन्य भारतीय कराधान ले जिसके अंतर्गत जहाँ साध्य हो भारतीय आय-कर के साथ वह कराधान है जो भारतीय आय-कर से अवमुक्ति की मात्रा तक, यदि कोई हो, अन्यत्र लगाया गया है, भार की रकम, तथा वहाँ जहाँ कि वह साध्य हो आय-कर और अन्य कराधान अलग-अलग दिखाया जाएगा;

(vii) [1][वें रकमें जो]—

(क) अंश (शेयर) पूँजी की वापसी के लिए, तथा

(ख) उधारों को चुकाने के लिए,

[1][आरक्षित कर दी गई है];

(viii) (क) आरक्षितियों लेखे अलग रखी या अलग रखी जाने के लिए प्रस्थापित किन्हीं रकमों का योग, यदि वह सारभूत हों, किंतु उसके अंतर्गत ऐसे किसी विनिर्दिष्ट दायित्व आकस्मिकता या अभिबंधन, की पूर्ति के लिए उपबंधित रकम नहीं आती जिसके बारे में यह जानकारी है कि वह उस तारीख को विद्‌यमान है जिस तक के लिए तुलन-पत्र तैयार किया गया है,

(ख) ऐसी आरक्षितियों में से निकाली गई किन्हीं रकमों का योग, यदि वे तात्त्विक हों ;

(ix) (क) विनिर्दिष्ट दायित्वों, आकस्किमताओं या अभिबंधनों की पूर्ति करने के लिए उपबंध करने के वास्ते अलग रख दी गई रकमों का, यदि वे सारभूत हों, योग,

(ख) ऐसी उपबधित रकमों में, जिनकी आवश्यकता आगे के लिए नहीं रह गई है, निकाली गई रकमों का, यदि कोई हों, योग ;

निम्नलिखित मदों में से हर एक मद पर अलग-अलग दिखाते हुए हर मद पर उपगत व्यय -

(क) स्टोरों और फालतू पुर्जों का उपयोग,

(ख) विद्‌युत और ईंधन,

(ग) भाटक,

(घ) भवनों की मरम्मत,

(ड.) मशीनरी की मरम्मत,

(च) (1) संबलम्, मजदूरी और बोनस,

भविष्य और अन्य निधियों में अभिदाय, कर्मकारों ओर कर्मचारिवृन्द के कल्याण पर हुए व्यय [2][जहाँ तक कि वे किन्ही पूर्ववर्ती उपबधित रकमों या आरक्षितियों में से समायोजित नहीं दिए गए हैं।]

टिप्पण [3] [1]—इस मद सम्बन्धी जानकारी तुलन-पत्र में भी सुसंगत उपबन्धित रकम या आक्षिति खाता के शीर्षक के नीचे दी जानी चाहिए।

---

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 494 (ई;, तारीख 30 अक्तूबर, 1973 द्‌वारा अन्त:स्थपित।
2. 1960 के अधिनियम सं. 65 की धारा 217 द्‌वारा अन्तः स्थापित।
3. 1960 के अधिनियम सं. 65 की धारा 217 द्‌वारा पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्‌वारा प्रतिस्थापित।

(छ) बीमा,

(ज) आय पर कर को अपवर्जित कर के और कर,

(झ) प्रकीर्ण आय :

[1][परंतु ऐसा कोई मद जिसके अधीन खर्चें, कंपनी के कुल राजस्व के 1 प्रतिशत या पाँच हजार रुपए में से जो भी अधिक हो, उससे अधिक हो, लाभ-हानि खाते में समुचित लेख के सामने पृथक् और सुभिन्न मद के रूप में दिखाया जाएगा और उसे "प्रकीर्ण व्यय" के अधीन दिखाए जाने वाली किसी अन्य मद के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।]

(xi) (क) व्यापारिक विनिधानों और अन्य विनिधानों में प्रभेद करते हुए विनिधानों से आय की रकम,

(ख) ब्याज के तौर पर अन्य आय उस आय का स्वरूप विनिर्दिष्ट किया जाए,

(xii) (क) [1][किसी भागीदारी फर्म की सदस्यता मद्दे उपार्जित लाभ या हानि के विस्तार को स्पष्टत: दिखाते हुए] विनिधानों पर उस मात्रा तक लाभ और हानियाँ [2][जिस तक वे किसी पूर्ववर्ती उपबधित रकम या आरक्षिति से समायोजित नहीं कर दी गई है।

टिप्पणी — इस मद के बारे में जानकारी तुलन-पत्र में भी सुसंगत उपबन्ध या आरक्षिति खाता शीर्षक के नीचे दी जाएगी।]

(ख) उस किस्म के संव्यहारों के बारे में जो, प्राय: कंपनी द्वारा हाथ में नहीं लिए जाते, अथवा आपवादिक या अनावर्ती परिस्थितियों में हाथ में लिए जाते हैं, लाभ या हानि यदि उनकी रकम सारभूत हो,

(ग) प्रकीर्ण आय में;

(xiii)(क) समनुषंगी कंपनियों से लाभांश,

(ख) समनुषंगी कंपनियों की हानि के लिए उपबधित रकमें;

(xiv) उन लाभांशों की संकलित रकम, जो दे दिए गए हैं या दिए जाने के लिए प्रस्थापित हैं तथा यह भी दर्ज किया जाए कि उन रकमों में से आय-कर की कटौती होनी है या नहीं;

(xv) वह रकम, यदि सारभूत हो, जिसके कारण लाभ-हानि खाते में दिखाई गई किन्हीं मदों पर उस दशा में असर पड़ेगा जिसमें कि लेखाकरण के आधार पर कोई तब्दीली की जाती है।

[3][4. [4][लाभ-हानि लेखा में निम्नलिखित को पृथक्त: दिखाते हुए वे संदाय भी दिए हुए होंगे अथवा उनकी बाबत ब्यौरेवार जानकारी एक टिप्पण के रूप में उसमे दी जाएगी जो निदेशकों (जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक आता है) प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों तथा कोषपालों अथवा प्रबंधक को, यदि कोई हो, कंपनी, कंपनी की समनुषंगिओं और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान उपबधित किए गए या दिए गए हैं—]

(i) [4][अधिनियम की धारा 198 के अधीन प्रबंधकीय पारिश्रमिक, जो] निदेशकों (जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक आता है), प्रबंध अभिकर्ता, सचिवों तथा कोषपालों या प्रबंधक को, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष के दौरान

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 494 (ई) तारीख 30 अक्तूबर, 1973 द्वारा अन्त:स्थापित
2. 1960 के अधिनियम सं. 65 की धारा 217 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. 1960 के अधिनियम सं. 65 की धारा 217 द्वारा पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4][दिए गए हैं या देय है];

(ii) वे व्यय जिनकी बाबत प्रबंध अभिकर्ता की प्रतिपूर्ति द्वारा 354 के अधीन की गई है;

(iii) प्रबंध अभिकर्ता या उसके सहयुक्त को धारा 356, 357, 358 के अधीन पृथक्त: देय कमीशन या अन्य पारिश्रमिक में ;

[4][(iv) वह कमीशन जो उन संविदाओं लेखे अन्य समुत्थानों के विक्रय या क्रय अभिकर्ता के रूप में प्रबंध अभिकर्ता या उसके सहयुक्त को अधिनियम की धारा 359 के अधीन प्राप्त हुआ है या उसे प्राप्य है, जो संविदा ऐसे समुत्थान द्वारा उस कंपनी से की गई थी;]

(v) मालों तथा सामग्रियों के क्रय या विक्रय की या सेवाओं के प्रदाय की उन संविदाओं का धन मूल्य जो कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंध अभिकर्ता या उसके सहयुक्त से धारा 360 के अधीन की हैं;

[4][(vi) अन्य मोक और कमीशन जिसके अन्तर्गत प्रत्याभूति कमीशन आता है (इनके ब्यौरे दिए जाएँ);]

(vii) कोई अन्य नकदी में या वस्तु रूप में परिलब्धियाँ या फायदे (जहाँ साध्य हो वहाँ उनका लगभग धन मूल्य लिखा जाए);

(viii) पैंशनें आदि —

(क) पेंशनें,

(ख) उपदान,

(ग) अपने चंदों और उन पर ब्याज से आधिक्य में भविष्य निधियों से संदाय,

(घ) पद हानि के लिए प्रतिकर,

(ड.) पद से निवर्तन से संबंधित प्रतिफल।

[3][4क. लाभ-हानि लेखा में अधिनियम की धारा 349 के अनुसार शुद्ध लाभ की संगणना देते हुए या वह संगणना दर्शित करते हुए कथन के रूप में एक टिप्पणी कमीशन के उन सुसंगत ब्यौरों के साथ दिया हुआ होगा जो ऐसे लाभ के प्रतिशत भाग के रूप में निदेशकों (जिनके अंतर्गत प्रबंध निदेशक आते हैं), प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों तथा कोषपालों या प्रबंधक को, यदि कोई हो, देय हैं।]

[2][4 ख.] लाभ-हानि लेखा में, इसके अतिरिक्त उन रकमों की बाबत ब्यौरेवार जानकारी अन्तर्विष्ट होगी या टिप्पणी के रूप में दी हुई होगी [3][जो चाहे देय फीस, व्यय या अन्यथा की गई सेवाओं के लिए संपरीक्षक को—]

(क) संपरीक्षक के रूप में, 4 [***]

1. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 414, तारीख 21 मार्च, 1961 द्वारा पुन: संख्यांकित किया गया।
3. अधिसूचना सं.का.सा.नि. 78, तारीख 4 जनवरी, 1963 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 455, तारीख 27 अप्रैल, 1974 द्वारा ''और' शब्द का लोप किया गा।
5. अधिसूचना स.सा.का.नि. 455, तारीख 27 अप्रैल, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं.सा.का.नि. 494 (ई) तारीख 30 अक्तूबर, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

5[(ख) निम्मलिखित के बारे में सलाहकार के रूप में या किसी अन्य हैसियत में,–

(1) कराधान संबंधी मामले,

(2) कंपनी विधि मामले,

(3) प्रबंध सेवाएँ; और

(ग) किसी अन्य रीति में।]

6[(4ग.) विनिर्माता कंपनियों की दशा में, लाभ-हानि खाते में टिप्पणी के रूप में विनिर्माता मालों के प्रत्येक वर्ग को बाबत निम्नलिखित के बारे में परिणाम विषयक सूचना विस्तार सहित होगी, अर्थात्:-

(क) अनुज्ञप्त क्षमता (जहाँ अनुज्ञप्त प्रवृत्त है)

(ख) प्रतिष्ठापित क्षमता, और

(ग) वास्तविक उत्पादन।

टिप्पणी 1 कंपनी की अनुज्ञप्ति और प्रतिष्ठापित क्षमता, जैसी कि वह उस वर्ष के अंतिम दिन की है जिससे लाभ-हानि संबंधित है, क्रमश: उपरोक्त मद (क) और (ख) के सामने उल्लिखित की जाएंगी।

टिप्पणी 2 मद ग के सामने, विक्रय के लिए परिष्कृत उत्पादों के संबंध में वास्तविक उत्पादन उल्लिखित किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ कंपनी द्वारा अर्ध-साधित उत्पादों का विक्रय भी किया जाता है, वहाँ उनके पृथक् ब्यौरे दिए जाएँगे।

टिप्पणी 3 इस पैरे के प्रयोजन के लिए, वे मद जिनके लिए कंपनी के पास पृथक् औद्योगिक अनुज्ञप्तियाँ हैं, माल के पृथक् वर्गों के रूप में समझी जाएँगी, किंतु जहाँ कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर मद के उत्पादन के लिए या अनुज्ञप्ति क्षमता के विस्तार के लिए एक से अधिक औद्योगिक अनुज्ञप्तियों हैं, वहाँ ऐसी सभी अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत आने वाली मद को एक वर्ग के रूप में समझा जाएगा।

4 घ. लाभ-हानि खाते में टिप्पणी के रूप में निम्नलिखित सूचना भी होगी, अर्थात्:–

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित के बारे में कंपनी द्वारा सी.आई.एफ. के आधार पर संगणित आयातों का मूल्य:-

(i) कच्चा माल,

(ii) संघटक और फालतू पुर्जे,

(iii) पूँजी माल,

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान स्वामित्व, जानकारी, वृतिक परामर्श फीसें, ब्याज और अन्य बातों के कारण विदेशी मुद्रा में हुए व्यय,

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान उपयुक्त सभी आयातित कच्चे माल, फालतू पुर्जे और संघटकों का मूल्य और उन सभी देशी कच्चे माल फालतू पुर्जे ओर संघटक का मूल्य जिनका उपभोग समान रूप से होता है ओर प्रत्येक का सकल उपभोग से प्रतिशत,

(घ) लाभांशों मुद्दे विदेशी मुद्रा में वर्ष के दौरान भेजी गई रकम जिसमें अतिवासी अंशधारियों की संख्या उनके द्वारा धारित उन अंशों की संख्या जिन पर लाभांश प्रोद्भूत हुए थे और वह वर्ष जिसके बारे में लाभाश दिए गए हों,

(ड.) वह उपार्जन जो विदेशी मुद्रा में हैं, निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किए जाते हैं, अर्थात्: -

(i) एफ.ओ.बी. आधार पर संगणित मालों का निर्यात,

(ii) स्वामित्व, जानकारी, वृतिक और परामर्श फीस,

(iii) ब्याज और लाभांश,

(iv) वह आय, जिसमें उनकी प्रकृति उपदर्शित होगी।,

5. केंद्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि कंपनी आस्तियों में अवक्षयण, उनके नवीकरण या उनके मूल्य में कमी के लिए उपबंधित रकमों से भिन्न ऐसी रकमों को, जो अलग-अलग रख ली गई हैं, दिखाने के लिए आबद्ध उस दशा में न होगी जिसमें कि केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि वह जानकारी लोकहित में संप्रकट न की जानी चाहिए और उससे कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा किंतु यह बात इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि ऐसे अलग रखी गई रकम को गणना में लेने के पश्चात् निकली रकम जिसे किसी शीर्षक के अधीन दिखाई गई है वह उपलबंध ऐसे किया या अंकित किया जाएगा कि उससे वह तथ्य उपदिर्शित हो जाए।

6. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कंपनी के समक्ष रखे गए प्रथम लाभ-हानि लेखा की दशा को छोड़ कर लाभ-हानि लेखे में अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लाभ-हानि लेखे में दी गई सब मदों के लिए तत्स्थानी रकमें दिखा दी जाएँगी।

(2) उपखंड (1) में जो अपेक्षा है वह वह ऐसी कंपनियों की दशा में, जो त्रैमासिक या अर्धवार्षिक लेखा तैयार करती है, उस कालावधि के लाभ-हानि लेखा से संबंधित होगी जो पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानी तारीख को खत्म हुआ था।

अध्याय 7

कंपनी खाते : ऋणपत्रों का निर्गम एवं शोधन

अधिगम उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात् आप :

- ऋणपत्रों के अर्थ एवं प्रकारों को समझ सकेंगे;
- नकदी पर ऋणपत्रों के निर्गम की विधि का विवेचन एवं लेखांकन कर सकेंगे;
- समपाश्विक प्रतिभूति, नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल पर ऋणपत्रों के निर्गम का लेखांकन कर सकेंगे;
- ऋणपत्रों के शोधन के स्रोतों को जान सकेंगे तथा शोधन के संदर्भ में लेखांकन कर सकेंगे।
- ऋणपत्रों के शोधन की विधियों की व्याख्या कर सकेंगें।
- निक्षेप विधि प्रपत्र संबंधी लेनदेनों को अभिलेखित कर सकेंगे।
- ब्याज रहित व ब्याज सहित तथा मुक्त बाजार क्रियाओं को समझ सकेंगे।

आपने पिछले अध्याय में आपने अंश पूँजी के निर्गम के संबंध में पढ़ा, जिसके माध्यम से एक कंपनी दीर्घकाल की आवश्यकताओं की पूर्ति और व्यवसायिक क्रियाओं के वित्त की व्यवस्था के लिए धनराशि जुटाती है। कभी-कभी समता वित्त के स्रोत निगम के विस्तार एवं विकास की सदैव बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अत: कंपनी वित्तीय संस्थाओं, व्यावसायिक बैंक अथवा निजी वितरण या सार्वजनिक अभिदान के द्वारा ऋण प्राप्त करके वित्त प्रबंध करती है। ऋणपत्रों से प्राप्त ऋण वित्त प्रबंध न केवल पूँजी की लागत में कमी लाता है बल्कि, कंपनी के लिए एक उपयुक्त पूँजी ढाँचा भी तैयार करने में मदद करता है। यह अध्याय ऋणपत्रों और बंधपत्रों के लेखाकरण; विशेष रूप से निर्गमन, ऋणपत्रों के परिवर्तन सहित शोधन से संबंधित है।

7.1 ऋणपत्र की अवधारणा

भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 (12) के अनुसार "ऋणपत्र" में 'ऋणपत्र स्कंध, बंध पत्र तथा कंपनी द्वारा जारी की गई अन्य प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं, चाहे उनसे कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न होता है अथवा नहीं।

ऋणपत्र : कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण है। ऋण के लिखित प्रमाण के रूप में ऐसे दस्तावेज कंपनी की सर्वमुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं। ऋणपत्र दस्तावेज में अंकित मूल्य, सममूल्य, ब्याज दर, मूलधन का भुगतान, ऋणपत्र की अवधि तथा शोधन की शर्तों का विशेष उल्लेख रहता है।

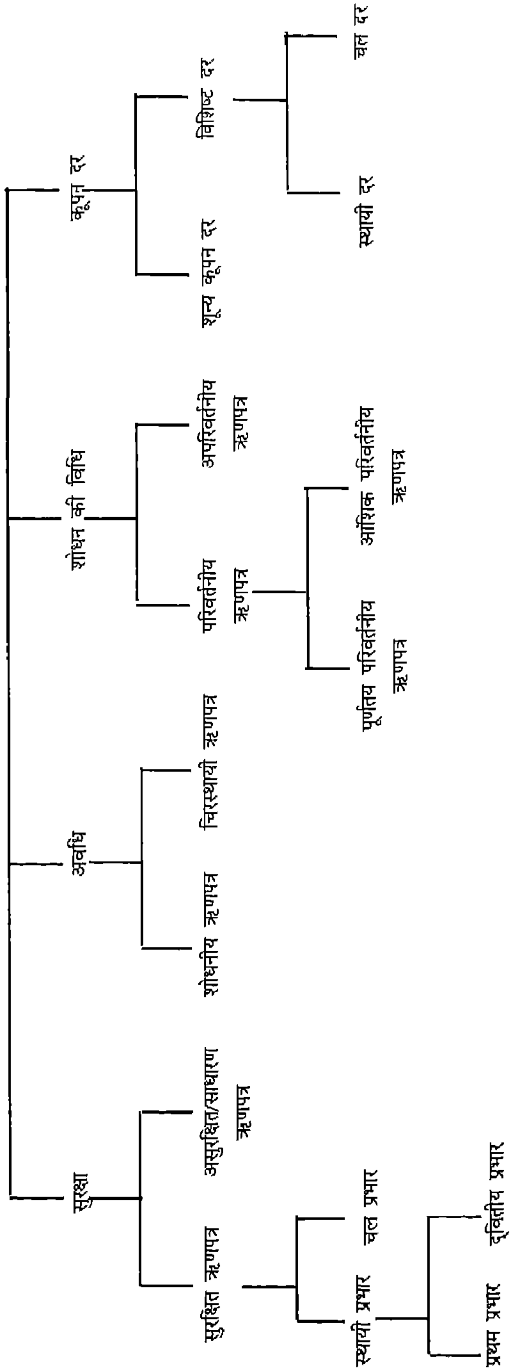
बंधपत्र : जैसा कि उपर्युक्त परिभाषा से विदित है कि विषय-वस्तु और प्रकृति, दोनों के संदर्भ में, बंधपत्र और ऋणपत्र में समानता होती है। परंपरागत रूप में, बंधपत्र केवल सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते थे, किन्तु अब बंधपत्र अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ऋण के प्रमाण के रूप में भी जारी किए जाते हैं। बंधपत्रों और ऋणपत्रों के बीच मूल अंतर उनके निर्गम शर्तों के आधार पर होता है अर्थात् बंधपत्र एक पूर्वनिर्धारित ब्याज दर के बिना भी जारी किए जा सकते हैं, जैसे कि *डीपडिस्काऊंटबॉण्ड* की दशा में होता है। डीप डिस्काऊंट बॉण्ड पूर्व प्रत्यय ब्याज दर के बिना भी जारी किया जा सकता है, जो कि भुगतान की शर्तों में ही अंतरनिहित होता है।

प्रभार : न्यास विलेख के अंतर्गत ऋण, दायित्वों की पूर्ति हेतु एक भार है, जिसमें कंपनी प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार के द्वारा किसी परिसंपत्ति के विशिष्ट हिस्से को बंधक रखने के लिए अपनी सहमति देती है। ऐसे प्रभार से आशय लेनदारों के उस अधिकार से है जो अपने भुगतान को ऐसी परिसंपत्तियों के माध्यम से भुगतान अथवा कंपनी के समापन की दशा में परिसमापक द्वारा कंपनी में सुरक्षित रखते हैं।

निम्नलिखित को प्रभार के वर्ग में शामिल किया जाता है –

- ऋणपत्रों निर्गम को सुरक्षित रखने हेतु प्रभार,
- कंपनी अप्रार्थित अंश पूँजी,
- कंपनी के पुस्तक ऋण सिवाय उन परक्राम्य प्रपत्रों के जिन्हें पुस्तक ऋणों को सुरक्षित हेतु रखा गया है।
- कंपनी की चल परिसंपत्ति जहां कहीं भी स्थित हो अथवा उस पर किसी प्रकार का ब्याज,
- ऐसा प्रभार जो कंपनी की चल परिसंपति पर बंधक नहीं रखा गया है,
- रहतिया सहित कंपनी की परिसंपत्ति पर चल प्रभार,

ऋणपत्रों के प्रकार



प्रदर्श : *7.1*

- अंशों पर माँग जिसका भुगतान नहीं हुआ है,
- पोत पर माँग जिसका भुगतान नहीं हुआ है,
- ख्याति, एकस्व अथवा एकस्व के अंतर्गत लाईसेंस व्यापार चिह्न, स्वत्वाधिकार अथवा स्वत्वाधिकार के अंतर्गत लाईसेंस,
- यदि भारत की परिसीमा के बाहर किसी कंपनी की परिसंपत्ति पर प्रभार उत्पन्न होता है तो, प्रभार के प्रमाण का प्रेषण 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

7.2 ऋण पत्रों के प्रकार

ऋणपत्र को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. सुरक्षा
2. अवधि
3. शोधन की विधि
4. कूपन दर

7.2.1. सुरक्षा के दृष्टिकोण से

सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऋणपत्र सुरक्षित और असुरक्षित हो सकते हैं। सुरक्षित ऋणपत्र पूर्णतया सुरक्षित अथवा आंशिक रूप में सुरक्षित हो सकते हैं। पूर्णतया सुरक्षित ऋणपत्रों से आशय विशिष्ट परिसंपत्तियों पर स्थायी प्रभार से है, जिनको साधारणतया स्थायी और विशेष प्रभार कहा जाता है। हालांकि, आंशिक रूप से सुरक्षित ऋणपत्रों/बंधपत्रों की स्थिति में, बंधक रूप से रखी गई परिसंपत्तियाँ विशेष तो होती हैं, किन्तु उनका मूल्य कंपनी पर देय राशि से कम होता है।

स्थायी प्रभार

जब प्रभार का सृजन विशेष परिसंपत्तियों पर किया जाता है, तब ऐसे प्रभार को स्थायी प्रभार कहते हैं। ऐसा प्रभार कंपनी की उन परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है, जिनका प्रयोग कंपनी के व्यापारिक कार्यकलापों के लिए किया जाता है न कि विक्रय के लिए। स्थायी प्रभार दो प्रकार का होता है: प्रथम प्रभार व द्वितीय प्रभार। स्थायी प्रभार, प्रभार के गुणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है तथा इनका संबंध ऐसे प्रभार के हिताधिकारियों को दिए जाने वाले भुगतान के क्रमांक से होता है। यह वास्तव में ऋणपत्र धारकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

चल प्रभार

चल प्रभार लेनदारों के लिए एक प्रकार की सुरक्षा है, जिस पर किसी विशेष परिसंपत्ति को नहीं वरन् फर्म की समस्त परिसंपत्तियों को प्रभारित किया जाता है (सुरक्षित लेनदारों को दिए गए विशेष प्रभार के अतिरिक्त)। इससे तात्पर्य यह है कि असुरक्षित लेनदारों के भुगतान से पहले, चल प्रभारित लेनदारों को भुगतान के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

प्रथम प्रभार और द्‌वितीय प्रभार

प्रथम प्रभार से आशय उन धारकों को भुगतान की प्राथमिकता से है, जिनके पास विशिष्ट परिसंपत्तियों पर ऐसा प्रभार है। वे परिसंपत्तियाँ जिन पर प्रथम प्रभार सृजित किया गया है, का प्रयोग सर्वप्रथम सुरक्षित लेनदारों के भुगतान हेतु किया जाता है। वे लेनदार जो विशिष्ट परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार रखते हैं, अपनी देय राशि की वसूली इन परिसंपत्तियों की शुद्‌ध वसूली मूल्य से प्राप्त करेंगे। इन परिसंपत्तियों की वसूली से शेष बची हुई राशि का प्रयोग उन लेनदारों के भुगतान के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जिनका द्‌वितीय प्रभार है। यदि, द्‌वितीय प्रभारित धारकों को पूर्णतया भुगतान नहीं हो पाता है, तो ऐसे लेनदारों की अदत्त राशि को असुरक्षित मान लिया जाता है, अत: उस सीमा तक उनका भुगतान असुरक्षित लेनदारों के साथ किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, आंशिक रूप से सुरक्षित लेनदारों की अदत्त भुगतान की राशि को असुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में रखा जाएगा।

उदाहरणतया

निम्नलिखित आकड़े 31 मार्च, 2002 को ड्रीम कंप्यूटर लिमिटेड के तुलन-पत्र से प्राप्त किए गए :

(आंकड़े लाख में)

दायित्व	*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*		*राशि* रु.
12% 'अ' श्रेणी ऋण पत्र (कंपनी की भूमि और भवन पर प्रभार द्‌वारा सुरक्षित)	2,000	**स्थायी परिसंपत्तियाँ**		
		सकल खंड	4,800	
		समेकित ह्रास	2,300	
12% 'ब' श्रेणी ऋण पत्र (कंपनी की भूमि और भवन पर द्‌वितीय प्रभार द्‌वारा सुरक्षित)	2,000	शुद्‌ध खंड		5,500
		चालू परिसंपत्तियाँ		2,800
12% 'स' श्रेणी ऋण पत्र (चल प्रभार सहित)	3,000			
असुरक्षित लेनदार	1,300			
योग	**8,300**	**योग**		**8,300**

तुलन-पत्र के संदर्भ में टिप्पणी

भूमि को 1,500 लाख रु. पर मूल्यांकित किया गया (लागत 600 लाख रु.) और भवन को 1,750 लाख (1,700 लाख का पुस्तक मूल्य), जो सकल खण्ड में शामिल है। अन्य स्थायी परिसंपत्तियों से 3,000 लाख के मूल्य वसूल हुए तथा चालू परिसंपत्तियों को 2,600 रु. पर मूल्यांकित किया गया। आप सुरक्षित लेनदारों की कमी का मूल्य ज्ञात करें जिन्हें असुरक्षित लेनदारों के क्रम में रखा जाएगा। साथ ही असुरक्षित लेनदारों की राशि भी ज्ञात करें।

हल

विशिष्ट परिसंपत्तियों का मूल्य *(रु. लाख में)*

विवरण	*राशि* रु.
भूमि का वसूली मूल्य	1,500
भवन का वसूली मूल्य	1,750
भूमि और भवन का कुल वसूली मूल्य	**3,250**
12% 'अ' श्रेणी ऋणपत्र, जिन पर प्रथम प्रभार है, से देय राशि	(2,000)
	1,250
12% 'ब' श्रेणी ऋणपत्र, जिन पर द्विवतीय प्रभार है, से देय राशि	(2,000)
'कमी' – असुरक्षित लेनदारों के क्रम हेतु	(750)

असुरक्षित लेनदारों को किसी भी प्रकार के भुगतान से पूर्व, वे लेनदार जो चल प्रभार धारक है, अर्थात् 12% 'स' श्रेणी ऋणपत्र धारक, उनको अन्य परिसंपत्तियों से वसूल की गई राशि से देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

असुरक्षित लेनदार *(रु. लाख में)*

विवरण	*राशि* रु.
तुलन-पत्र के अनुसार	1,300
जमा : आंशिक सुरक्षित ऋणपत्र धारकों के लिए कमी	750
कुल असुरक्षित लेनदार	**2,050**

7.2.2 अवधि के दृष्टिकोण से

अवधि के दृष्टिकोण से ऋणपत्र शोधनीय अथवा चिरस्थायी हो सकते हैं :

शोधनीय ऋणपत्र

ऐसे ऋणपत्रों का शोधन ऋणपत्र न्यास विलेख में लिखित नियत समयावधि में ही कर दिया जाता है। इन ऋणपत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी निश्चित समय के बाद या लाटरी द्वारा किश्तों में अपने जीवन काल में ही कर देती है।

लॉटरी के द्वारा भुगतान नकदी के रूप में किया जाता है, जबकि किसी एक विशेष हिस्से का अंशों में परिवर्तन करके सभी ऋणपत्र धारकों को समान अधिकार के रूप में दिया जाता है।

चिरस्थायी ऋणपत्र

ऐसे ऋणपत्र किसी आकस्मिकता की दशा में, हालांकि दूरवर्ती अथवा किसी अवधि की समाप्ति पर, हालांकि लंबी अवधि, पर ही शोधनीय होते हैं।

ऋणपत्र/बंधपत्र स्थायित्व की इस विशेषता पर आधारित है कि भुगतान न केवल लम्बी अवधि पर किया जाता है, बल्कि एक निश्चित ब्याज दर पर किया जाता है, अतः उसका वर्तमान मूल्य शून्य होता है।

7.2.3 शोधन विधि के दृष्टिकोण पर

शोधन विधि के दृष्टिकोण पर ऋणपत्र परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय हो सकते हैं।

1. *परिवर्तनीय ऋणपत्रों* को समता अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में ऋणपत्र धारियों के विकल्प पर अथवा कंपनी के विकल्प पर परिवर्तित किया जाता है।
   (i) *पूर्णतया परिवर्तनीय ऋणपत्र :* वे ऋणपत्र जो कंपनी की निर्धारित शर्तों के अनुसार पूर्णतः समता अंशों में परिवर्तित किए जाते हैं, पूर्णतः परिवर्तनीय ऋणपत्र कहलाते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन आबंटन तिथि से 18 माह पर या इसके पश्चात् किन्तु 36 माह के भीतर हो जाना चाहिए तथा सेबी रूपरेखा के अनुसार ऋणपत्रों का परिवर्तन ऐच्छिक होता है।
   (ii) *आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र :* इस प्रकार से ऋणपत्रों के एक भाग को निर्धारित समय पर अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है तथा शेष भाग का स्वीकृत शर्तों पर शोधन कर दिया जाता है।
2. *अपरिवर्तनीय ऋणपत्र :* वे ऋणपत्र जिन्हें अंशों में या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अपरिवर्तनीय ऋणपत्र कहलाते हैं।

7.2.4 कुपन दर दृष्टिकोण पर

सामान्यतया, ऋणपत्र उल्लेखित ब्याज दर के साथ निर्गमित किए जाते हैं जिसे कूपन दर कहते हैं। ये उल्लेखित दर स्थायी अथवा चल हो सकती है। चल ब्याज दर सामान्यता बैंक दर के साथ निहित होती है तथा जोखिम पर प्रतिफल सहित उत्पन्न होती है। चूँकि, बैंक दर और राजकोषीय प्रतिभूतियों पर आय समयावधि के दौरान अस्थिर रहती है, अत: कोई भी परिवर्तन जोखिम अधिमूल्य में प्रतिपूरक होता है। इस स्थिति में ब्याज दर को इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है: "PLR + 50 आधार बिन्दु"। इस स्थिति में यदि हम PLR को 9% मानते हैं तो ब्याज दर 9.5% होगा "+ आधार बिन्दु" का निर्धारण निहित जोखिम के संबंध में किया जाता है।

शून्यकूपनबंधपत्र पर उल्लेखित ब्याज दर नहीं होती है। निवेशकों की प्रतिपूर्ति हेतु, ऐसे बंधपत्र उन्हें पर्याप्त बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं। अंकित मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच का अंतर ब्याज की कुल राशि को दर्शाता है, जो कि बंधपत्र की अवधि से संबंधित है। ब्याज के नियतकालित प्रभार की गणना हेतु निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है:

$$BO = \frac{MV}{(1+i)^n}$$

जहाँ,

BO = शून्य कूपन बंधपत्र का मूल्य है

MV = शून्य कूपन बंधपत्र का परिपक्वता मूल्य है

n = शून्य कूपन बंधपत्र का जीवन काल

i = आवश्यक प्रत्याय दर

उपरोक्त सूत्र में, $(1+i)^n$ का मूल्य निर्गम मूल्य को बंधपत्र के परिपक्वता मूल्य से विभाजित करके सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इन बंधपत्रों पर लागू ब्याज दर को ज्ञात करने हेतु वर्त्तमान मूल्य ब्याज गुणक सारणी में दर्शायी गई समयावधि के समक्ष 'n' की दर को आंका जाता है तथा सगणित मूल्य के नजदीकी मूल्य को ज्ञात किया जाता है। इस कोष्ठक में दिखाया गया ब्याज दर बंधपत्रों पर लागू ब्याज को दर्शाता है। अत: यदि हमें ब्याज दर, परिपक्व वर्ष तथा निर्गम मूल्य ज्ञात है तो परिपक्वता मूल्य सरलता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि ब्याज दर, परिपक्व वर्ष तथा परिपक्वता मूल्य ज्ञात है तो निर्गम मूल्य को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। 'i' ब्याज

दर के लिए तथा 'n' वर्ष के लिए वर्त्तमान मूल्य ब्याज गुणक को PVIF, i,n लिखा जाता है। यह सारणी परिशिष्ट में दी गई है।

$$\textbf{BO} = \frac{\textbf{1}}{\textbf{(1 + i) n}}\ \textbf{PVIF i.n}$$

$$\textbf{MV} = \frac{\textbf{BO}}{\textbf{PVIF i, n}}$$

$$\textbf{PVIF i,n} = \frac{\textbf{BO}}{\textbf{MV}}$$

उदाहरणतया

सुसॅन लिमिटेड ने 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए 1,000 रु. अंकित मूल्य के शून्य कूपन बंधपत्र निर्गमित किए। शून्य कूपन बंधपत्र का मूल्य ज्ञात करें, जिसका निवेशकों को भुगतान करना होगा, यदि आवश्यक प्रत्याय दर 12% है।

$$\begin{aligned} BO &= MV \times (PV1F\ i,n) \\ &= 1000 \times (PV1F.\ 12.15) \\ &= 1000 \times 0.183^{*} = 183 \text{ रुपए} \end{aligned}$$

इससे तात्पर्य है कि निवेशक को शून्य कूपन बंधपत्र 183 रुपए तक प्राप्त होगा, जिसका अंकित मूल्य 1,000 रुपए है।

*(इस मूल्य के लिए PVIF सारणी देखें, जो कि परिशिष्ट में दी गई है)।

7.3 न्यास विलेख

यह विलेख ऋणपत्र प्रविवरण पत्रिका अथवा सार्वजनिक अभिदान के निवेदन पत्र से पूर्व तैयार किया जाता है। न्यास विलेख वह दस्तावेज है, जिसे कंपनी अन्य ऋणपत्रों के सार्वजनिक अभिदान से पूर्व, ऋणपत्रधारकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए न्यासियों की नियुक्ति करती है। प्रस्ताव दस्तावेज के माध्यम से जारी किए गए परिवर्तनीय/अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों के लिए निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होता है :

(i) ऋण प्रपत्रों (परिवर्तनीय प्रपत्रों सहित) की परिपक्वता अथवा परिवर्तन समयावधि के संदर्भ में कोई सार्वजनिक अथवा अधिकार निर्गम तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि

साख निर्धारण एजेंसी से साख मूल्य निर्धारण प्राप्त न कर लिया गया हो तथा प्रस्तुत दस्तावेज में प्रकटीकरण न कर दिया गया हो। (10.1.1)

(ii) निर्गम कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूति के लिए ऋण प्रपत्रों के सार्वजनिक अथवा अधिकार निर्गम (परिवर्तीय प्रपत्र सहित) से गत तीन (3) वर्षों के दौरान प्राप्त समस्त साख मूल्य निर्धारण का प्रकटीकरण प्रस्तुत दस्तावेज किया जाना अनिवार्य है। (10.1.4)

(iii) निर्गम समाप्ति से छः माह के भीतर निर्गमक कंपनी द्वारा न्यास विलेख को ऋणपत्र न्यासियों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(iv) ऋणपत्रधारियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें संस्थागत ऋणपत्रधारियों के परामर्श द्वारा संचालक मंडल में मनोनीत संचालक की नियुक्ति का अधिकार भी सम्मिलित है, ऋणपत्र निर्गम के न्यासियों को अपेक्षित अधिकार प्राप्त हैं।

(v) ऋणपत्रों और ऋणपत्र शोधन संचय पर सुरक्षा प्रदान करने हेतु ऋणपत्र न्यासियों द्वारा शर्तों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

7.3.1 न्यासी कौन हो सकता है

यदि ऋणपत्रों का निर्गम 18 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए किया जाता है तो निर्गमक ऋणपत्र न्यासी नियुक्त कर सकता है। केवल निम्नलिखित ऋणपत्र न्यासी के लिए उपयुक्त है:

(i) एक अनुसूचित बैंक जो व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित है

(ii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 (अ) के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था

(iii) एक बीमा कंपनी

(iv) निगम

(ii) के संदर्भ में कंपनी अधिनियम की धारा 4A(1) को निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है:

4A. (1) Each of the financial institution specified in this sub-section shall be regarded. for the purposes of this Act, as a public financial institution, namely:

(i) The Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, a company formed and registered under the Indian Companies Act, 1913 (7 of 1913);

(ii) The Industrial Finance Corporation of India, established under section 3 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948);

(iii) The Industrial Development Bank of India, established under section 3 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964);

(iv) The Life Insurance Corporation of India, established under section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);

(v) The Unit Trust of India, established under section 3 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

49 (vi) The Infrastructure Development Finance Company Limited, a company formed and registered under this Act;]

49a[(vii)] The Securitisation Company or the Reconstruction Company which has obtained a certificate of registration under sub-section (4) of section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002.]

(2) Subject to the provisions of Sub-section (1), the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify such other institution as it may think fit to be a public financial institution:

Provided that no institution shall be so specified unless —

(i) it has been established or constituted by or under any central Act, or

(ii) not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital of such institution is held or controlled by the Central Government.]

49. Inserted by the companies (Amendment) Act. 1999. w.e.f. 31.10.1998.

49a. Inserted by the Securities and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest (Second) Ordinance, 2002, w.e.f. 21.6.2002.

7.3.2 कौन न्यासी नहीं हो सकता है

किसी व्यक्ति की नियुक्ति न्यासी के रूप में नहीं की जा सकती है, यदि —

(i) वह कंपनी के अंशों का लाभभोगी है;

(ii) वह कंपनी द्वारा ऋणपत्र न्यासी को देय धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है;

(iii) उसने मूल ऋण के संदर्भ में कोई गारंटी दी है, जो कि ऋणपत्र अथवा उस पर अर्जित ब्याज पर सुरक्षित है।

7.3.3 न्यासी के कार्य एवं कर्तव्य

(i) निगम से समयकालित प्रतिवेदन मँगवाना;

(ii) न्यास विलेख के प्रावधानों के अनुसार न्यास परिसंपत्ति का स्वामित्व लेना;

(iii) ऋणपत्रधारकों के हित को सुरक्षित रखना;

(iv) ऋणपत्र न्यास विलेख के अंतर्गत परिसंपत्तियों पर सृजित प्रभार को आबंटन पत्र जारी करने और ऋणपत्र प्रमाणपत्र को भेजने के 30 दिनों के भीतर पूरा करना।

एक ऋणपत्र न्यासी अयोग्य समझा जाता है, यदि वह शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है या अधिनियम के प्रावधानों, नियमों अथवा नियमों का कंपनी अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करता है।

7.4 नकदी पर ऋणपत्रों के निर्गम का लेखांकन

ऋणपत्रों का निर्गम कूपन दर के साथ अथवा बगैर कूपन दर किया जा सकता है :

7.4.1 कूपन दर/ब्याज दर

कूपन दर सहित निर्गमित ऋणपत्रों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गम और सममूल्य पर शोधन

(ii) ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गम और सममूल्य पर शोधन

(iii) ऋणपत्रों का अधिमूल्य पर निर्गम और सममूल्य पर शोधन

(iv) ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गम और अधिमूल्य पर शोधन

(v) ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गम और अधिमूल्य पर शोधन।

उपर्युक्त के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार हैं :

1. *ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गम और सममूल्य पर शोधन*

जब ऋणपत्रों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाता है, तो निर्गम मूल्य सममूल्य के बराबर होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

(अ) आवेदन राशि की प्राप्ति पर

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र आवेदन खाता

(ब) आवेदन राशि का ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण पर

ऋणपत्र आवेदन खाता नाम   नाम

    $x\%$ ऋणपत्र खाता

(स) ऋणपत्रों के आबंटन पर

ऋणपत्र आबंटन खाता   नाम

    $x\%$ ऋणपत्र खाता

वैकल्पिक रूप में, निम्नलिखित संयुक्त प्रविष्टियां भी अभिलेखित की जा सकती हैं

(i) ऋणपत्र आवेदन खाता   नाम

ऋणपत्र आबंटन खाता   नाम

    $x\%$ ऋणपत्र खाता

(ii) आबंटन राशि की प्राप्ति पर

बैंक खाता   नाम

    $x\%$ ऋणपत्र आबंटन खाता

उदाहरण 1 (ऋणपत्रों का निर्गम)

अमोल लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 50 रु. के 9%, 40,00,000 ऋणपत्र निर्गमित किए, जो प्रविवरण पत्रिका में निहित शर्तों के अनुसार आवेदन पर देय थे तथा जो निर्गम तिथि से तीन वर्षों के पश्चात् सममूल्य पर शोधनीय है। पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ अभिलेखित करें।

अमोल लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन खाता (40,00,000 ऋणपत्रों पर 50 रु. की दर से आवेदन राशि प्राप्त)		20,00,00,000	20,00,00,000
	ऋणपत्र आवेदन खाता नाम 9% ऋणपत्र खाता (आबंटन पर, आवेदन राशि 9% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		20,00,00,000	20,00,00,000

उदाहरण 2 (ऋणपत्रों का निर्गम)

कंट्रीक्राफ्ट लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 के 20,00,000 ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित किए, जो कि इस प्रकार देय थे : आवेदन पर 40 रु. और आबंटन पर 60 रु., जो ऋणपत्र निर्गम तिथि से 5 वर्षों पर शोधनीय है। कंट्रीक्राफ्ट लिमिटेड की पुस्तकों से आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

कंट्रीक्राफ्ट लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
(अ)	बैंक खाता	नाम		8,00,00,000	
	ऋणपत्र आवेदन खाता				8,00,00,000
	(20,00,000 ऋणपत्रों पर 40 रु. की दर से आवेदन राशि प्राप्त)				
*(ब)	ऋणपत्र आवेदन खाता	नाम		8,00,00,000	
	ऋणपत्र आबंटन खाता	नाम		12,00,00,000	
	8% ऋणपत्र खाता				20,00,00,000
	(ऋणपत्र आवेदन और आबंटन पर माँग राशि का ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण)				
(स)	बैंक खाता	नाम		12,00,00,000	
	ऋणपत्र आबंटन खाता				12,00,00,000
	(आबंटन पर मांग की राशि प्राप्त)				

* वैकल्पिक रूप में, प्रविष्टि (ब) के लिए निम्न दो रोजनामचा प्रविष्टियाँ इस प्रकार भी की जा सकती हैं :

दिनांक	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
(i)	ऋणपत्र आवेदन खाता	नाम		8,00,00,000	
	8% ऋणपत्र खाता				8,00,00,000
	(ऋणपत्र आवेदन राशि 8% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण)				
(ii)	ऋणपत्र आबंटन खाता	नाम		12,00,00,000	
	8% ऋणपत्र खाता				12,00,00,000
	(आबंटन पर माँग)				

2. *ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गम और अधिमूल्य पर शोधन*

जब ऋणपत्र बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं, तब निर्गम मूल्य सममूल्य से कम होता है। दोनों के मध्य अंतर को *ऋणपत्र निर्गम पर हानि* कहते हैं, जिसे ऋणपत्र के संपूर्ण जीवनकाल में अपलिखित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं। बट्टे/हानि का व्यवहार इस अध्याय में आगे बताया गया है :

(अ) आवेदन राशि की प्राप्ति पर

बैंक खाता	*नाम*
ऋणपत्र आवेदन खाता	

(ब) आबंटन पर

(i) आवेदन राशि का ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण

ऋणपत्र आवेदन खाता	नाम
$x\%$ ऋणपत्र खाता	

(ii) आबंटन के लिए माँग पर

ऋणपत्र आबंटन खाता	नाम
ऋणपत्र के निर्गम पर बट्टा खाता	नाम
$x\%$ ऋणपत्र खाता	

(iii) आबंटन की माँग पर राशि प्राप्त

बैंक खाता	नाम
ऋणपत्र आबंटन खाता	

उदाहरण 3

अतुल लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. पर 1,00,00,000, 8% ऋणपत्र, 10% बट्टे पर निर्गमित किए जो 10 वर्ष पश्चात् शोधनीय है। ऋणपत्र पर राशि का भुगतान इस प्रकार देय है :

आवेदन पर 30 रु.

आबंटन पर 60 रु.

ऋणपत्रों के निर्गम पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

अतुल लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
	बैंक खाता	नाम		30,00,00,000	
	ऋणपत्र आवेदन खाता				30,00,00,000
	(1,00,00,000 ऋणपत्रों पर 100 रु. की दर से आवेदन राशि प्राप्त)				
	ऋणपत्र आवेदन खाता	नाम		30,00,00,000	
	8% ऋणपत्र खाता				30,00,00,000
	(आबंटन पर, आवेदन राशि 8% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)				
	ऋणपत्र आबंटन खाता	नाम		60,00,00,000	
	ऋणपत्र के निर्गम पर बट्टा खाता	नाम		10,00,00,000	
	8% ऋणपत्र खाता				70,00,00,000
	(आबंटन पर माँग)				
	बैंक खाता	नाम		60,00,00,000	
	ऋणपत्र आबंटन खाता				60,00,00,000
	(आबंटन पर माँग की राशि प्राप्त)				

3. *ऋणपत्रों का अधिमूल्य पर निर्गम और सममूल्य पर शोधन*

जब ऋणपत्र अधिमूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो निर्गम मूल्य सममूल्य से अधिक होता है। अधिमूल्य की राशि को प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

(I) **जब अधिमूल्य राशि आवेदन पर प्राप्त की जाती है —**

(अ) आवेदन राशि की प्राप्ति पर

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र आवेदन खाता

(ब) आबंटन पर

(i) आवेदन पर प्राप्त राशि के हस्तांतरण पर

ऋणपत्र आवेदन खाता नाम

x% ऋणपत्र खाता

प्रतिभूति अधिमूल्य खाता

(ii) आबंटन के लिए माँग पर

ऋणपत्र आबंटन खाता नाम

x% ऋणपत्र खाता

(iii) आबंटन पर माँग की राशि प्राप्त

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र आबंटन खाता

(II) जब अधिमूल्य राशि आबंटन पर प्राप्त की जाती है —

(अ) आवेदन राशि की प्राप्ति पर

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र आवेदन खाता

(ब) आबंटन पर माँग के लिए

(i) आवेदन पर प्राप्त राशि के हस्तांतरण पर

ऋणपत्र आवेदन खाता नाम

x% ऋणपत्र खाता

(ii) आबंटन पर माँग के लिए

ऋणपत्र आबंटन खाता नाम

x% ऋणपत्र खाता

प्रतिभूति मूल्य खाता

(स) आबंटन पर माँग की राशि प्राप्त

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र आबंटन खाता

उदाहरण 4

कोईनल केमिकल्स लिमिटेड ने 10% अधिमूल्य पर प्रति ऋणपत्र 50 रु. के 10%, 15,00,000 ऋणपत्र निर्गमित किए जो 20 रु. आवेदन पर और शेष आबंटन पर देय हैं। ऋणपत्र 6 वर्षों के पश्चात् सममूल्य पर शोधनीय हैं। आबंटन पर संपूर्ण राशि माँगी गई तथा प्राप्त की गई। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए, यदि अधिमूल्य राशि :

- आवेदन राशि में सम्मिलित है;
- आबंटन राशि में सम्मिलित है।

हल

कोईनल केमिकल्स लिमिटेड
रोजनामचा

(i) जब अधिमूल्य राशि आवेदन राशि में सम्मिलित हो :

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन खाता (15,00,000 ऋणपत्रों पर 20 रु. की दर से आवेदन राशि प्राप्त)		3,00,00,000	 3,00,00,000
	ऋणपत्र आवेदन खाता नाम 10% ऋणपत्र खाता प्रतिभूति अधिमूल्य खाता (आबंटन पर, आवेदन राशि ऋणपत्र खाते और प्रतिभूति अधिमूल्य में हस्तांतरण)		3,00,00,000	 2,25,00,000 75,00,000
	ऋणपत्र आबंटन खाता नाम 10% ऋणपत्र खाता (आबंटन के लिए माँग पर देय)		5,25,00,000	 5,25,00,000
	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आबंटन खाता (आबंटन पर माँग राशि प्राप्त)		5,25,00,000	 5,25,00,000

(ii) जब अधिमूल्य राशि आबंटन राशि में सम्मिलित हो :

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	बैंक खाता नाम		3,00,00,000	
	ऋणपत्र आवेदन खाता			3,00,00,000
	(आवेदन राशि प्राप्त)			
	ऋणपत्र आवेदन खाता नाम		3,00,00,000	
	10% ऋणपत्र खाता			3,00,00,000
	(आबंटन पर, आवेदन राशि का 10% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण)			
	ऋणपत्र आबंटन खाता नाम		5,25,00,000	
	10% ऋणपत्र खाता			4,50,00,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता			75,00,000
	(अधिमूल्य सहित, ऋणपत्र के आबंटन पर माँग देय)			
	बैंक खाता नाम		5,25,00,000	
	ऋणपत्र आबंटन खाता			5,25,00,000
	(आबंटन पर माँग राशि प्राप्त)			

4. ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गम और अधिमूल्य पर शोधन

जब ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित और अधिमूल्य पर शोधनीय होते हैं तो निर्गम मूल्य सममूल्य के बराबर होता है, किन्तु शोधन मूल्य सममूल्य से अधिक होता है और उसे ऋणपत्र निर्गम पर हानि के रूप में अभिलेखित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

(अ) आवेदन राशि की प्राप्ति पर

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र आवेदन खाता

(ब) आबंटन पर माँग के लिए

(i) आवेदन पर प्राप्त राशि ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण पर

ऋणपत्र आवेदन खाता नाम

$x\%$ ऋणपत्र खाता

(ii) सममूल्य पर निर्गमित एवं अधिमूल्य पर शोधनीय ऋणपत्रों का आबंटन पर मांग

ऋणपत्र आबंटन खाता नाम
ऋणपत्र निर्गम पर हानि खाता नाम (ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य के बराबर)
$x\%$ ऋणपत्र खाता
ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता

(स) आबंटन पर माँग के लिए राशि प्राप्त

बैंक खाता नाम
ऋणपत्र आबंटन खाता

उदाहरण 5

मॉर्डन उपकरण लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 1,000 रुपए पर 2,00,000, 12% ऋणपत्र निर्गमित किए जो इस प्रकार देय हैं :

आवेदन पर	300 रु.
आबंटन पर	700 रु.

सभी ऋणपत्र पूर्णतया अभिदत्त हुए और संपूर्ण राशि प्राप्त की गई। प्रविवरण पत्रिका में निहित शर्तों के अनुसार ऋणपत्रों का शोधन 1,100 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से किया जाएगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

माडर्न उपकरण लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन खाता (12% 2,00,000 ऋणपत्रों पर 1,000 की दर से आवेदन पत्र राशि प्राप्त)		6,00,00,000	6,00,00,000
	ऋणपत्र आवेदन खाता नाम 12% ऋणपत्र खाता (आबंटन पर, आवेदन राशि का 12% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण)		6,00,00,000	6,00,00,000

	ऋणपत्र आबंटन खाता नाम ऋणपत्र निर्गम पर हानि खाता नाम 12% ऋणपत्र खाता ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता (सममूल्य पर निर्गमित और अधिमूल्य पर शोधनीय ऋणपत्रों पर आबंटन के लिए माँग)		14,00,00,000 2,00,00,000	 14,00,00,000 2,00,00,000
	बैंक खाता नाम 12% ऋणपत्र आबंटन खाता (आबंटन पर माँग राशि प्राप्त)		14,00,00,000	 14,00,00,000

5. *ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन और अधिमूल्य पर शोधन*

जब ऋणपत्रों का निर्गम बट्टे पर और शोधन अधिमूल्य पर किया जाता है, तो निर्गम मूल्य सममूल्य से कम होता है किन्तु शोधन मूल्य सममूल्य से अधिक होता है। शोधन मूल्य और निर्गम मूल्य के मध्य अंतर को ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा/हानि कहते हैं।

(अ) आवेदन पत्र की प्राप्ति पर

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र आवेदन खाता

(ब) आबंटन पर माँग के लिए

(i) आवेदन राशि का ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण

ऋणपत्र आवेदन खाता नाम

x% ऋणपत्र खाता

(ii) बट्टे पर निर्गमित और अधिमूल्य पर शोधनीय ऋणपत्रों के आबंटन के लिए मांग

ऋणपत्र आबंटन खाता नाम (ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा और ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य के बराबर राशि)

ऋणपत्र निर्गम पर हानि खाता नाम

x% ऋणपत्र खाता

ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता

(स) आबंटन के लिए माँग पर राशि प्राप्त

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र आबंटन खाता

उदाहरण 6

एग्रो टेक लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. पर 1,40,00,000, 9% ऋणपत्र बट्टे पर जारी किए जो 3 वर्ष पश्चात् 5% अधिमूल्य पर शोधनीय हैं। ऋणपत्रों पर भुगतान इस प्रकार देय है : आवेदन पर 50 रु. और आबंटन पर 40 रु.। ऋणपत्रों के निर्गमन पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

एग्रो टेक लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	बैंक खाता	नाम		70,00,00,000	
	ऋणपत्र आवेदन खाता				70,00,00,000
	(1,40,00,000, 9% ऋणपत्रों पर 50 रु. की दर से राशि प्राप्त)				
	ऋणपत्र आवेदन खाता	नाम		70,00,00,000	
	9% ऋणपत्र खाता				70,00,00,000
	(आबंटन पर, आवेदन राशि का 9% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरण)				
	ऋणपत्र आबंटन खाता	नाम		61,60,00,000	
	ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा / हानि खाता	नाम		15,40,00,000	
	9% ऋणपत्र खाता				70,00,00,000
	ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता				7,00,00,000
	(ऋणपत्रों का आबंटन के लिए माँग देय)				
	बैंक खाता	नाम		61,60,00,000	
	ऋणपत्र आबंटन खाता				61,60,00,000
	(ऋणपत्रों पर माँग की राशि प्राप्त)				

हल के संदर्भ में टिप्पणी

ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा/हानि = निर्गम पर बट्टे की राशि + शोधन पर देय अधिमूल्य

= 1,40,00,00,000 रु. का 6% + 1,40,00,00,000 रु. का 5%

= 8,40,00,000 रु. + 7,00,00,000 रु.

= 15,40,00,000 रु.

7.4.1.1 ऋणपत्र पर ब्याज

कूपन दर सहित ऋणपत्रों पर देय ब्याज राशि का कंपनी के लाभ पर प्रभारित किया जाता है। ऋणपत्रों पर ब्याज का समयकालित भुगतान किया जाता है तथा ब्याज की गणना ऋणपत्र के अंकित मूल्य पर कूपन दर के आधार पर की जाती है। कंपनी द्वारा ऋणपत्रों धारकों को शुद्ध ब्याज (कर के पश्चात्) का ही भुगतान किया जाता है। चूंकि कंपनी समय-समय पर प्रचलित कर दरों के आधार पर कर(tax) काटने के लिए बाध्य होती है। कंपनी द्वारा काटी गई कर(tax) राशि कर-अधिकारियों को जमा कराई जाती है। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टियाँ दी जाती है :

1. *ब्याज देय होने पर*

   ब्याज खाता ... नाम

   ऋणपत्रधारक खाता

2. *उद्गम पर कर कटौती (TDS) के पश्चात् ब्याज के भुगतान पर*

   ऋणपत्रधारक खाता ... नाम

   देय कर खाता

   बैंक खाता

3. *कर राशि के भुगतान पर*

   देय कर खाता ... नाम

   बैंक खाता

4. *ब्याज का लाभ-हानि खातें में हस्तांतरण पर*

   लाभ व हानि खाता ... नाम

   ब्याज खाता

7.4.2 कूपन दर के बगैर ऋणपत्रों का निर्गम (*डीप डिस्काऊंट बॉण्ड की स्थिति में*)

जब ऋणपत्र निश्चित ब्याज दर के बगैर जारी किए जाते हैं तथा निर्गम मूल्य पर अत्याधिक छूट दी जाती है तो, ऋणपत्रों के इस प्रकार के निर्गमन को 'डीप डिस्काऊंट बॉण्ड' कहते हैं।

अभिप्रायात्मक (Notional) बट्टे पर कुल राशि में निर्गम मूल्य और शोधन मूल्य का अंतर ब्याज राशि दर्शाता है, जो बंधपत्र के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान लगाया गया है। लेखांकन के दृष्टिकोण से, निर्गम के समय इस राशि को "स्थगित ब्याज व्यय खाते" के रूप में अभिलेखित किया जाता है तथा आनुपातिक राशि को ब्याज व्यय के रूप में प्रतिवर्ष अपलिखित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

1. *आवेदन राशि की प्राप्ति पर*

बैंक खाता नाम

    ऋणपत्र आवेदन खाता

2. *आबंटन पर आवेदन राशि और स्थगित ब्याज व्यय ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित होने पर :*

ऋणपत्र आवेदन खाता नाम

स्थगित ब्याज व्यय खाता नाम

    x% ऋणपत्र खाता

7.4.2.1 स्थगित ब्याज व्यय

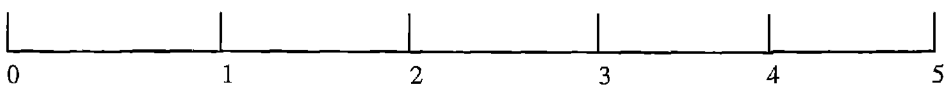
समयकालित ब्याज पर निर्धारण

यहाँ ध्यान योग्य है कि यौगिक और कटौती एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि एक समीकरण भविष्यकालित मूल्य (FV) अथवा वर्त्तमानकालित मूल्य (PV) को ज्ञात करने में सहायक होता है।

वर्त्तमानकालित मूल्य (कटौती पर आधारित) : $PV = \frac{FV_n}{(1+i)^n} = FV = \left(\frac{1}{1+i}\right)^n$

भविष्यकालित मूल्य (यौगिक पर आधारित) : $FV = PV(1+i)^n$

उपरोक्त समीकरण में चार चर हैं अर्थात PV, FV, i और n । यदि हमें तीन चरों का मूल्य ज्ञात है तो हम चौथे चर का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। डीप डिस्काऊंट बॉण्ड की दशा में, PV (निर्गम मूल्य), FV (परिपक्व मूल्य), n (वर्षो की संख्या), ज्ञात होती हैं। अत: हम i (ब्याज दर) की गणना कर सकते हैं। मान लीजिए, किसी कंपनी ने 783.50 मूल्य पर डीप डिस्काऊंट बॉण्ड जारी किए जिनका मूल्य पाँच वर्ष पश्चात् 1,000 होगा। यहाँ पर वर्त्तमान मूल्य (PV) 783.50 है, वर्षों की संख्या 5 वर्ष है तथा भविष्यकालित मूल्य (FV) 1,000 रु. है। परंतु हमें ब्याज दर ज्ञात नहीं है। अत:, वर्त्तमानकालित और भविष्यिकालित अवधारणा के आधार पर हम 'i' का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं।



समय काल 1,000 रु.

783.50 रु.

समीकरण के प्रयोग पर

FV_n = $PV(1+i)^n$ =

1,000 रु. = 783.50 $(1+i)^n$

'i' की गणना

$FVn = PV\ (1+i)^n$ = PV (FVIF, i,n)

1,000 रु. = 783.50 रु. (FVIF, i, 5)

FVIF, i,5 = 1000/783.50 = 1.2763

भविष्यकालित मूल्य सारणी (Future Value Table) में यदि हम देखें तो यह मूल्य 5% कॉलम में है। अत: 5% की ब्याज दर पर 783.50 रु. पाँच वर्षो में 1,000 रु. बनेंगें (देखे परिशिष्ट में FV सारणी)

अभिप्रायात्मक दर वह दर है जिस पर यदि निर्गम मूल्य को योगिक किया जाता है तो वह शोधन के समय परिपक्वता मूल्य के बराबर हो जाएगा। अभिप्रायात्मक ब्याज दर की गणना वर्तमान मूल्य सारणी द्वारा की जाती है। इसे ज्ञात करने हेतु निम्न चरण होते हैं।

(i) निर्गम मूल्य को परिपक्वता मूल्य से भाग करने पर वर्तमान मूल्य ब्याज दर (PVIF) ज्ञात करें :

$$\text{वर्तमान मूल्य ब्याज दर (PVIF)} = \frac{\text{निर्गम मूल्य}}{\text{परिपक्वता मूल्य}}$$

(ii) उस ब्याज दर की गणना करें, जिससे ऋणपत्रों का जीवनकाल वर्षों की संख्या में ज्ञात किया जा सके (एक उच्च और दूसरा निम्न), और

(iii) उचित अभिप्रायात्मक ब्याज दर को अंतर्वेशन द्वारा निम्न सूत्र से ज्ञात करें।

अभिप्रायात्मक ब्याज दर =

$$\text{निम्न दर} + \frac{\text{निम्न दर वर्तमान मूल्य} - \text{परिकालित वर्तमान मूल्य}}{\text{निम्न दर पर वर्तमान मूल्य} - \text{उच्च दर वर्तमान मूल्य ब्याज दर}} \times \text{उच्च दर} - \text{निम्न दर}$$

डीप डिस्काऊंट बॉण्ड पर ब्याज की गणना की दो विधियाँ है। चूंकि ब्याज का भुगतान प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है, अत: स्थगित व्यय अथवा उपार्जित ब्याज व्यय के रुप में बंधपत्रों की परिपक्वता या तेजी/मंदी की स्थिति में ब्याज की पहचान की जाती है। जब ब्याज की पहचान

परिपक्वता तक बढ़ा दी जाती है तब ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक तक उपार्जित ब्याज को टिप्पणी के रुप में तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है (प्रदर्श 7.2)।

तुलन-पत्र में डीप डिस्काऊंट बॉण्ड का प्रकटीकरण

	31 मार्च, 2001 राशि (लाखों में)	*31 मार्च, 2000 राशि (लाखों में)*
असुरक्षित ऋण		
15% डीप डिस्काउंट ऋण-पत्र	463.00	463.00
(1 मार्च 2002 को शोधन पर देय ऋण-पत्र		
जिसका मूल्य 653.52 लाख रु. होगा।)		
(गुजरात अँबूजा सीमेंट लि. की सहायक कंपनियों का लेखा प्रतिवेदन बर्ष 2000-2001, पृष्ठ-6)		

	31 मार्च, 2002 राशि (लाखों में)	*31 मार्च, 2001 राशि (लाखों में)*
असुरक्षित ऋण		
15% डीप डिस्काउंट ऋण-पत्र		463.00
(7 मार्च 2002 को शोधन पर देय ऋण-पत्र)		
(गुजरात अँबूजा सीमेंट लि. की सहायक कंपनियों का लेखा प्रतिवेदन बर्ष 2001-2002, पृष्ठ-6)		

प्रर्दश : *7.2*

उपरोक्त स्थिति में, ऋणपत्रों को निर्गम मूल्य पर दर्शाया जाता है तथा शोधन तक उपार्जित ब्याज को स्थगित कर दिया जाता है। जब ब्याज को स्थगित आगम व्यय समझा जाएगा और प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार दर्शाया जाएगा तब निम्नवत् प्रविष्टियां दी जाती है।

1. निर्गम की तिथि पर

(i) आवेदन राशि प्राप्त होने पर

बैंक खाता नाम

    ऋणपत्र आवेदन खाता

(ii) आबंटन पर आवेदन राशि ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित होने पर

ऋणपत्र आवेदन खाता नाम

    x % ऋणपत्र खाता

2. प्रत्येक वर्ष के अंत में

(i) जब स्थगित ब्याज व्यय को ऋणपत्र ब्याज खाते में चार्ज किया जाता है

ऋणपत्र पर ब्याज खाता नाम

स्थगित ब्याज व्यय खाता

(ii) ऋणपत्रों पर ब्याज लाभ-हानि खाते में हस्तांतरण पर

लाभ व हानि खाता नाम

ऋणपत्र पर ब्याज खाता

3. अंतिम वर्ष में (अर्थात् परिपक्वता वर्ष में)

(i) परिपक्वता पर ऋणपत्र धारकों को देय राशि के लिए

ऋणपत्र खाता नाम (निर्गम मूल्य से)

स्थगित ब्याज खाता नाम (कुल स्थगित ब्याज व्यय)

ऋणपत्र धारक खाता (ऋणपत्रों पर अंकित मूल्य)

(ii) ऋणपत्र धारकों को भुगतान के लिए

ऋणपत्र धारक खाता नाम

बैंक खाता

उदाहरण 7 (ऋणपत्रों का निर्गम)

अजय लिमिटेड ने 1,000 रु. अंकित मूल्य के 10,000 शून्य कूपन बंधपत्र जारी किए, जो 506.65 रु. के निर्गम मूल्य पर छः वर्षों के पश्चात् परिपक्व होंगे। बंधपत्रों के निर्गम और ब्याज के व्यवहार हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

अजय लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
निर्गम तिथि पर	बैंक खाता नाम बंधपत्र आवेदन खाता (10,000 शून्य कूपन बंधपत्रों पर 1,000 रु. की दर से आवेदन राशि प्राप्त)		50,70,000	50,70,000
	बंधपत्र आवेदन खाता नाम स्थगित ब्याज व्यय खाता नाम बंधपत्र खाता (आबंटन पर बंधपत्र आवेदन खाता और स्थगित ब्याज व्यय बंधपत्र खाते में हस्तांतरित)		50,70,000 49,30,000	1,00,00,000

प्रथम वर्ष की समाप्ति पर	बंधपत्र पर ब्याज खाता नाम स्थगित ब्याज व्यय खाता (स्थगित ब्याज व्यय बंधपत्र पर ब्याज पर प्रभारित)		6,07,957	6,07,957
	लाभ व हानि खाता नाम बंधपत्र पर ब्याज खाता (बंधपत्र पर ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभारित)		6,07,957	6,070,957
दूसरे वर्ष की समाप्ति पर	बंधपत्र पर ब्याज खाता नाम स्थगित ब्याज व्यय खाता (स्थगित ब्याज व्यय बंधपत्र पर ब्याज पर प्रभारित)		6,80,912	6,80,912
	लाभ व हानि खाता नाम बंधपत्र पर ब्याज खाता (बंधपत्र पर ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभारित)		6,80,912	6,80,912
तीसरे वर्ष की समाप्ति पर	बंधपत्र पर ब्याज खाता नाम स्थगित ब्याज व्यय खाता (स्थगित ब्याज व्यय बंधपत्र पर ब्याज पर प्रभारित)		7,62,622	7,62,622
	लाभ व हानि खाता नाम बंधपत्र पर ब्याज (बंधपत्र पर ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभारित)		7,62,622	7,62,622
चौथे वर्ष की स्माप्ति पर	बंधपत्र पर ब्याज खाता नाम स्थगित ब्याज व्यय खाता (स्थगित ब्याज व्यय बंधपत्र पर ब्याज पर प्रभारित)		8,54,136	8,54,136
	लाभ व हानि खाता नाम बंधपत्र पर ब्याज (बंधपत्र पर ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभारित)		8,54,136	8,54,136
पाँचवे वर्ष की समाप्ति पर	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता नाम स्थगित ब्याज व्यय खाता (स्थगित ब्याज व्यय बंधपत्र पर ब्याज पर प्रभारित)		9,56,633	9,56,633
	लाभ व हानि खाता नाम बंधपत्र पर ब्याज (बंधपत्र पर ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभारित)		9,56,633	9,56,633
छठे वर्ष की समाप्ति पर	बंधपत्र पर ब्याज खाता नाम स्थगित ब्याज व्यय खाता (स्थगित ब्याज व्यय बंधपत्र पर ब्याज पर प्रभारित)		1,07,1428	1,07,1428
	लाभ व हानि खाता नाम बंधपत्रों पर ब्याज (बंधपत्रों पर ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभारित)		1,07,1428	1,07,1428

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. भविष्यकालित गुणन

[1](10,000 × 506.65)

[2](10,000 × 493.35)

मूल्य ब्याज गुणन (PVIF) $= \dfrac{\text{निर्गम मूल्य}}{\text{परिपक्व मूल्य}}$

$= \dfrac{1,00,00,000}{50,70,000} = 1.9723\%$

अत: योगिक गुणन 1.12 वार्षिकी है।

चूँकि 1.9723% PVIF मूल्य छठे वर्ष की पंक्ति में 12% ब्याज दर *के कॉलम में है अत:, इन बंधपत्रों पर ब्याज* दर *12% है।*

3. अब, निर्गम मूल्य को परिपक्वता मूल्य के बराबर करने हेतु हमें संचित ब्याज की राशि तथा प्रत्येक वर्ष देय ब्याज राशि की गणना करने की आवश्यकता होगी। यहां ध्यान योग्य है कि कंपनी छठे वर्ष के अंत में 1,000 रु. प्रति बॉण्ड का भुगतान करेगी जिसमें उस वर्ष के लिए ब्याज एवं मूलधन, दोनों सम्मिलित हैं। ब्याज का भुगतान 12% प्रतिवर्ष की दर से किया जाना है अत: छठे वर्ष के अंत में भविष्यकालित मूल्य (छठे वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में) 1+ 0.12 = 1.12 होगा, जहाँ 1 रु. मूलधन है और 0.12 ब्याज है। अत: छठे वर्ष का ब्याज 1,000 रुपए × 0.12/1.12 = 107.14285 होगा। अत: छठे वर्ष के प्रारंभ में वर्त्तमानकालित मूल्य 1,000 रु. – 107.14285 = 892.8572 रु. छठे वर्ष के प्रारंभ का वर्त्तमान मूल्य पाँचवे वर्ष के अंत में भविष्यकालित मूल्य होता है। इसी क्रम में हम पाँचवे, चौथे, तृतीय, द्वितीय व प्रथम वर्ष की ब्याज राशि ज्ञात कर सकते हैं। इसके परिणाम निम्नलिखित हैं:

वर्ष	*भविष्यकालित मूल्य*	*ब्याज*	*वर्त्तमानकालित मूल्य*
छठा	1,000	107.14285[3]	892.8572
पाँचवा	892.8572	95.603267[4]	797.1934
चौथा	797.19394	85.413635[5]	711.78031
तीसरा	711.78031	76.262175[6]	635.51814
दूसरा	635.51814	68.091228[7]	657.442692
प्रथम	567.42692	60.795741[8]	506.631179

4. बंधपत्रों पर ब्याज की गणना

छठा वर्ष	=	$1{,}000 \times \frac{.12}{1.12}$	=	107.14285[3] रु.
पाँचवाँ वर्ष	=	$892.86 \times \frac{.12}{1.12}$	=	95.663267[4] रु.
चौथा वर्ष	=	$797.20 \times \frac{.12}{1.12}$	=	85.413635[5] रु.
तीसरा वर्ष	=	$711.79 \times \frac{.12}{1.12}$	=	76.262176[6] रु.
दूसरा वर्ष	=	$635.53 \times \frac{.12}{1.12}$	=	68.091228[7] रु.
पहला वर्ष	=	$635.53 \times \frac{.12}{1.12}$	=	60.795741[8] रु.

इस स्थिति में ब्याज की गणना अंतिम वर्ष से शुरू की जाती है। परिपक्व मूल्य को पाँचवें वर्ष के अंत में ऋणपत्रों पर देय राशि + इस राशि पर छठा वर्ष 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर ज्ञात किया जाएगा।

मान लीजिए देय राशि	=	1 रु. है
अर्जित ब्याज	=	.12 रु. है
छठे वर्ष में कुल राशि	=	1.12

हम इस संबंध को छठे वर्ष की राशि ज्ञात करने हेतु प्रयोग कर सकते हैं

$$= 1{,}000 \times \frac{.12}{1.12} = 107.14285$$

टिप्पणी : *सारणी में मूल्य 4 दशमलव तक दर्शाया गया है। अत: 12% ब्याज दर पर PVIFO -50% है। .5066 को पूर्णांकन के पश्चात् .507 का मूल्य प्राप्त होता है। उपरोक्त मूल्यों को 10,000 से गुणा किया गया है।*

7.5 नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल पर ऋणपत्रों का निर्गमन

कभी-कभी ऋणपत्र अधिमानी आधार पर स्वत्वाधिकार, एकस्व के विक्रेताओं अथवा पूर्तिकर्ताओं तथा बौद्धिक परिसंपत्ति अधिकार के हस्तांतरण पर बगैर नकद प्राप्ति के निर्गमित किए जाते हैं।

ऋणपत्रों के ऐसे निर्गम को नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल पर ऋणपत्रों का निर्गमन कहते हैं। जब ऋणपत्र क्रय प्रतिफल की संतुष्टि के लिए निर्गमित किए जाते हैं तो, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

1. परिसंपत्तियाँ और देयताओं के लिए

परिसंपत्ति खाता	नाम	(प्राप्त की गई परिसंपत्तियों का मूल्य)
देयताओं का खाता		(देयताएँ के उपार्जन पर)
विक्रेताओं का खाता		(क्रय प्रतिफल)

2. क्रय प्रतिफल की संतुष्टि पर ऋणपत्रों का निर्गम

(अ) विक्रेता खाता	नाम	(विक्रेता के नाम से)
x% ऋणपत्र खाता		
(सममूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गम)		
या		
(ब) विक्रेता खाता	नाम	(विक्रेता के नाम से)
x% ऋणपत्र खाता		
प्रतिभूति अधिमूल्य खाता		
(अधिमूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गम)		
या		
(स) विक्रेता खाता	नाम	(विक्रेता के नाम से)
ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा हानि खाता		
x% ऋणपत्र खाता		
(बट्टे पर ऋणपत्रों का निर्गम)		

क्रय प्रतिफल

जब कोई कंपनी किसी परिसंपत्ति/व्यवसाय के क्रय पर रोकड़ के स्थान पर भुगतान किसी अन्य प्रतिफल के रूप में करती है तो उसे *क्रयप्रतिफल* कहते हैं। क्रय प्रतिफल को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है : *क्रय प्रतिफल = परिसंपत्तियों का मूल्य – अनुमानित देयता* उदाहरण के लिए, कंट्रीक्राफ्ट लिमिटेड ने 10,00,000 रु. परिसंपत्तियाँ और 4,00,000 रु. के अनुमानित देयताएँ बत्रा लिमिटेड से प्राप्त की। इस स्थिति में, क्रय प्रतिफल 6,00,000 रु. का होगा अर्थात् 10,00,000 रु. – 4,00,000 रु.।

उदाहरण 8 (ऋणपत्रों का निर्गम)

अल्फा पॉलिस्टर लिमिटेड ने मैरीन सोल्युशन लिमिटेड से 1,00,00,000 रु. की परिसंपत्तियाँ और 10,00,000 रु. के लेनदारों का अधिग्रहण किया और प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 5% ऋणपत्र निर्गमित किए। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ अल्फा पॉलिस्टर लिमिटेड की पुस्तकों में करें, यदि :

1. ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित किए गए
2. ऋणपत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए
3. ऋणपत्र 25% अधिमूल्य पर निर्गमित किए गए।

हल

अल्फा पॉलिस्टर लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	(i) जब ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित किए गए			
	(अ) परिसंपत्ति खाता ... नाम		1,00,00,000	
	विविध लेनदार खाता			10,00,00,000
	मैरीन सोल्युशन लि.			90,00,000
	(परिसंपत्तियों के क्रय पर)			
	(ब) मैरीन सोल्युशन लि. ... नाम		90,00,000	
	5% ऋणपत्र खाता			90,00,000
	(क्रय प्रतिफल की उन्मुक्ति पर 5% ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित)			
	(ii) जब ऋणपत्र बट्टे पर निर्गमित किए गए			
	(अ) परिसंपत्ति खाता ... नाम		1,00,00,000	
	विविध लेनदार खाता			10,00,000
	मैरीन सोल्युशन लि.			90,00,000
	(परिसंपत्तियों के क्रय पर)			
	(ब) मैरीन सोल्युशन लि. ... नाम		90,00,000	
	ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा/हानि खाता ... नाम		10,00,000	
	5% ऋणपत्र खाता			1,00,00,000
	(5% ऋणपत्र 10% बट्टे पर निर्गमित)			

(iii) जब ऋणपत्र अधिमूल्य पर निर्गमित किए गए

(अ) परिसंपत्ति खाता	नाम	1,00,00,000	
विविध लेनदार खाता			10,00,000
मैरीन सोल्युशन लि.			90,00,000
(ब) मैरीन सोल्युशन लि..	नाम	1,00,00,000	
5% ऋणपत्र खाता			80,00,000
प्रतिभूति अधिमूल्य खाता			20,00,000
(5% ऋणपत्र 25% अधिमूल्य पर निर्गमित)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

ऋणपत्रों की संख्या $= \dfrac{\text{देय राशि}}{\text{ऋणपत्रों का निर्गम मूल्य}}$

ऋणपत्रों का निर्गम मूल्य = ऋणपत्रों का अंकित मूल्य + अधिमूल्य राशि (या) - बट्टा राशि

1. $\dfrac{90,00,000}{100-10=90}$ = 1,00,000 ऋणपत्र

2. ऋणपत्रों की संख्या $= \dfrac{1,00,00,000}{100 + 25 = 125}$

$= \dfrac{90,00,000}{100 + 10 = 90}$

3. प्रतिभूति अधिमूल्य = 72,000 × 25 रु. = 18,00,000 रु.

उदाहरण 9 (ऋणपत्रों का निर्गम)

सीता ट्रेवल्स ने बत्रा ट्रेवल्स से निम्नलिखित परिसंपत्तियाँ क्रय की :
संयंत्र एवं उपकरण (लागत 10,00,000 रु.) 8,00,000 रु. पर, भूमि एवं भवन (लागत 50,00,000 रु.) 72,00,000 रु. पर जिसका क्रय प्रतिफल 75,00,000 रु. है। 20,00,000 रु. का भुगतान नकद में किया गया तथा शेष राशि के लिए प्रति अंश 10 रु. के 20% अधिमूल्य पर 10% ऋणपत्र निर्गमित किए गए। सीता ट्रेवल्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

सीता ट्रेवल्स लि. की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
(i)	*व्यवसाय के क्रय पर*				
	संयंत्र एवं उपकरण खाता	नाम		8,00,000	
	भूमि एवं भवन खाता	नाम		72,00,000	
	बत्रा ट्रेवल्स लि. खाता				80,00,000
(ii)	*आंशिक नकदी के रूप में क्रय प्रतिफल की उन्मुक्ति पर*				
	बत्रा ट्रेवल्स लि.	नाम		80,00,000	
	रोकड़ खाता				80,00,000
(iii)	*क्रय प्रतिफल की शेष राशि की उन्मुक्ति अधिमूल्य पर 10% ऋणपत्रों के निर्गम पर निर्गमित*				
	बत्रा ट्रेवल्स खाता	नाम		60,00,000	
	10% ऋणपत्र खाता (5,00,000 × 10)				50,00,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य के (5,00,000 × 2)				10,00,000

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. ऋणपत्रों की संख्या $= \dfrac{\text{देय राशि}}{\text{अंकित मूल्य}+\text{अंकित मूल्य}}$

$$= \frac{60,00,000}{10+2} = 5,00,000 \text{ ऋणपत्र}$$

2. प्रतिभूति अधिमूल्य = 5,00,000 रु. × 2 = 10,00,000 रु.

3. 10% ऋणपत्र = 5,00,000 × 10 = 50,00,000 रु.

7.6 ऋणपत्रों का समपाश्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित

समपाश्विक प्रतिभूति से आशय मूलभूत प्रतिभूति की सहायक या अतिरिक्त प्रतिभूति से है। जब ऋणदाता यह महसूस करता है कि वह मूलभूत प्रतिभूति से पूर्णतया सुरक्षित नहीं है, तो वह अतिरिक्त प्रतिभूति की माँग कर सकता है। इस प्रकार, ऋणग्रहणकर्ता अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में

बंधपत्र/ऋणपत्र निर्गमित कर सकती है, जिसे समपाश्विक प्रतिभूति कहते हैं। इस स्थिति में ऋणदाता इन ऋणपत्रों/बंधपत्रों का केवल संरक्षक होता है तथा वह इन ऋणपत्रों/बंधपत्रों पर ब्याज का अधिकारी नहीं होगा। हालांकि, यदि ऋणग्रहणकर्ता यथासमय पर ब्याज सहित ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो ऋणदाता, दिए गए ऋण की वसूली मूलभूत प्रतिभूति के विक्रय से कर सकता है। यदि मूलभूल प्रतिभूति का वसूली मूल्य ऋण के देय राशि से कम होता है तो ऐसी दशा में ऋणदाता समपाश्विक प्रतिभूति का प्रयोग कर सकता है। उस स्थिति में, ऋणपत्रों का या तो शोधन किया जा सकता है या उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है

यदि प्रतिभूति के विक्रय से ऋणदाता को आधिक्य प्राप्त होता है तो ऋणदाता द्वारा अधिक राशि ऋणग्रहणकर्ता को वापस कर दी जाती है।

7.6.1 लेखांकन व्यवहार

ऋणपत्रों को समपाश्विक प्रतिभूति के रूप में बंधक रखने के लिए कोई विशेष रोजनामचा प्रविष्टि नहीं दी जाती है क्योंकि ऐसी दशा में कंपनी द्वारा किसी तत्काल दायित्व का सृजन नहीं किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि कंपनी के लिए दायित्व केवल तभी उत्पन्न होता है, जब ऋणदाता समपाश्विक प्रतिभूति में अपने निहित अधिकार का प्रयोग करता है। इस स्थिति में लेखांकन व्यवहार का निर्धारण प्रतिबंधि ऋणपत्र विलेख में दी गई प्रतिबंधित शर्तों द्वारा किया जाएगा, जो कि ऋण व्यवस्था में ऋणपत्रों के निर्गम के समान है।

दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टि दी जाएगी :

ऋण खाता	नाम	(बकाया मूलधन और ब्याज)
बकाया ब्याज खाता	नाम	(मध्यवर्ती अवधि के लिए बकाया ब्याज)
$x\%$ ऋणपत्र खाता		

इसमें महत्त्वपूर्ण है कि समपाश्विक प्रतिभूति एक अकास्मिक दायित्व का सृजन करती है, जिसका प्रकटीकरण सार्वजनिक खातों में किया जाता है। समपाश्विक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों के निर्गम का लेखांकन व्यवहार निम्न प्रकार दर्शाया जाता है :

..........................को तुलन-पत्र

ऋण प्रति..................रु. पर.................. (समपाश्विक प्रतिभूति $x\%$ ऋणपत्रों पर सुरक्षित)		बैंक..................	

उदाहरण 10 (समपाश्विक प्रतिभूति)

रामानुज कंपनी लिमिटेड ने ICICI लिमिटेड के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए 20 करोड़ रु. के 10.5% प्रतिवर्ष पर का समयकालित ऋण प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया। इस ऋण को फैक्टरी, भूमि व भवन एवं मशीनरी को बंधक रखकर सुरक्षित किया गया है। चूँकि भूमि व भवन एवं मशीनरी पुरानी थी इसलिए ICICI लिमिटेड ने अतिरिक्त प्रतिभूति की माँग की। इसके लिए, रामानुज कंपनी ने समपाश्विक प्रतिभूति के रूप में 15,00,000, 9% ऋणपत्र निर्गमित किए। इन लेनदेनों का कंपनी की पुस्तकों में अभिलेखन करें।

हल

रामानुज कंपनी लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
जब ऋण लिया गया है	बैंक खाता नाम ऋण खाता (ICICI से ऋण पर, फैक्टरी भूमि व भवन एवं मशीनरी को बंधनकरण और 15,00,000, 9% ऋणपत्रों को समपाश्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया गया)		20,00,00,000	20,00,00,000
प्रथम वर्ष की समाप्ति पर	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		20,10,00,000	20,10,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ऋण पर ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		20,10,00,000	20,10,00,000
दूसरे वर्ष की समाप्ति पर	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		20,10,00,000	20,10,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ऋण पर ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		20,10,00,000	20,10,00,000

तीसरे वर्ष की समाप्ति पर	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		20,10,00,000	20,10,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ऋण पर ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		20,10,00,000	20,10,00,000
चौथे वर्ष की समाप्ति पर	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		20,10,00,000	20,10,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ऋण पर ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		20,10,00,000	20,10,00,000
पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		20,10,00,000	20,10,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ऋण पर ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		20,10,00,000	20,10,00,000

ICICI लिमिटेड से ऋण प्राप्ति पर तुलन-पत्र में अभिलेखन

दायित्व	*राशि रु.*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि रु.*
सुरक्षित ऋण : ICICI से ऋण (भूमि व भवन एवं मशीनरी पर सुरक्षित तथा 1,50,00,000, 9% ऋणपत्रों पर समपाश्विक प्रतिभूति)	20,00,00,000		

उदाहरण 11 (समपाश्विक प्रतिभूति)

चिनार लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 2000 को 12% प्रतिवर्ष मध्यवर्ती ब्याज दर पर, जो कि 30 सितंबर और 31 मार्च के देय हैं, 25 करोड़ रु. का ऋण लिया, जिसका भुगतान 3 वर्ष के बाद किया जाएगा तथा मूलभूत प्रतिभूति के रूप में गुवाहटी में स्थित भूमि व भवन को बंधक रखा। इसके अतिरिक्त 15 करोड़ के 12% ऋणपत्रों को समपाश्विक रूप में बंधक रखा गया। वर्ष 2001 के अंत से कंपनी

वित्तीय कठिनाई का सामना करने लगी। जिसके कारणवश अक्तूबर 1, 2001 से वह ऋण पर ब्याज देने पर असमर्थ रही। देय तिथि पर भी कंपनी ऋण का भुगतान नही कर सकी। 30 जून, 2003 को वैधानिक कार्यविधि के पश्चात ऋणदाता ने गुवाहाटी में स्थित भूमि व भवन, जिसका मूल्य 24 करोड़ था, पर स्वत्व प्राप्त किया तथा समपाश्विक प्रतिभूति में अपने निहित अधिकार की याचना की। उपरोक्त लेनदेनों के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

चिनार लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

(राशि करोड़ में)

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
2000 अप्रैल 1	बैंक खाता नाम ऋण खाता (भूमि व भवन पर 25 करोड़ रु. के स्थायी प्रभार से ऋण प्राप्त तथा 15 करोड़ के 12% ऋणपत्र पर समपाश्विक प्रतिभूति)		25.00	25.00
सितंबर 30	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		1.50	1.50
2001 मार्च 31	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		1.50	1.50
मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभावित किया गया)		3.00	3.00
सितंबर 30	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		1.50	1.50
2002 मार्च 31	ब्याज खाता नाम बकाया ब्याज खाता (ऋण पर ब्याज दिया)		1.50	1.50

मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभावित किया गया)		3.00	3.00
अक्तू. 30	ब्याज खाता नाम बकाया ब्याज खाता (देय ब्याज पर भुगतान नहीं किया गया)		1.50	1.50
2003 मार्च 31	ब्याज खाता नाम बकाया ब्याज खाता (देय ब्याज पर भुगतान नहीं किया गया)		1.50	1.50
मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ब्याज लाभ व हानि खाते पर प्रभावित किया गया)		3.00	3.00
जून 30	ऋण खाता नाम भूमि व भवन खाता (देय राशि के आंशिक भुगतान के लिए मूलभूत प्रतिभूति पर ऋणदाता का अधिकार प्राप्त)		24.00	24.00
जून 30	बकाया ब्याज खाता नाम ऋण खाता (बकाया ब्याज राशि ऋण खाते में हस्तांतरित)		4.50	4.50
जून 30	ऋण खाता नाम बकाया ब्याज खाता नाम 12% ऋणपत्र (बकाया ब्याज राशि ऋण खाते में हस्तांतरित)		5.50 0.75	6.25

7.7 निर्गम पर बट्टे/हानि का अपलेखन

ऋणपत्रों के शोधन से पूर्व ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टे अथवा हानि को अपलिखित कर दिया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अनुसार प्रतिभूति अधिमूल्य द्वारा ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टे अथवा हानि को अपलिखित किया जा सकता है। जब तक बट्टा अपलिखित नहीं किया जाता, तब तक उसे तुलन-पत्र की परिसंपत्ति पक्ष में 'फुटकर व्यय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

(i) प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में से बट्टे को अपलिखित करने पर निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है।

प्रतिभूति अधिमूल्य खाता नाम
    ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा/हानि

(ii) *कंपनी लाभ में से ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा/हानि को अपलिखित करने का निर्णय ले सकती है। इसके निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है :*

लाभ व हानि खाता नाम
ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा/हानि खाता

7.7.1 बट्टे/हानि का निर्धारण

यह मानते हुए कि प्रतिभूति अधिमूल्य की राशि ज्ञात नहीं है, प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाने वाली न्यूनतम राशि शोधनीय ऋणपत्रों की राशि के अनुपात में होगा। इससे आशय है कि बट्टा/हानि बकाया ऋणपत्रों के अनुपात में होते हैं। हांलाकि, कंपनीयां अधिक राशि भी अपलिखित कर सकती है यदि उचित लाभ प्रप्त हैं।

उदाहरण 12 (ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि)

1 अप्रैल, 2000 को प्रति निखिल जैन कंपनी लिमिटेड ने ऋणपत्र 100 रु. पर 1,00,00,000, 7% ऋणपत्र, 4% बट्टे पर निर्गमित किए जो कि 6% अधिमूल्य पर 5 वर्षों के पश्चात् शोधनीय है। ऋणपत्रों के निर्गम और ऋणपत्र निर्गम पर हानि को अपलिखित करने हेतु रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें। साथ ही, ऋणपत्र निर्गम पर हानि खाता तैयार करें।

हल

निखिल जैन एंड कंपनी लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा *(राशि करोड़ में)*

दिनांक 2000	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
अप्रैल 1	बैंक खाता नाम		96	
	ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता नाम		10	
	7% ऋणपत्र खाता			100
	ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य			6
	(ऋणपत्रों को बट्टे पर, निर्गम, अधिमूल्य पर शोधन)			
2001 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम		2	
	ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता			2
	(ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि अपलिखित)			

2002 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता (ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि अपलिखित)		2	2
2003 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता (ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि अपलिखित)		2	2
2004 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता (ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि अपलिखित)		2	2
2005 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता (ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि अपलिखित)		2	2

ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता

नाम **जमा**

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*	*दिनांक*	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*
2000 अप्रैल 1	6% ऋणपत्र		4	2001 मार्च 31	लाभ व हानि		2
	ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य		6	मार्च 31	शेष आ/ले		8
			10				**10**
2001 अप्रैल 1	शेष आ/ला		8	2002 मार्च 31	लाभ व हानि		2
				मार्च 31	शेष आ/ले		6
			8				**8**
2002 अप्रैल 1	शेष आ/ला		6	2003 मार्च 31	लाभ व हानि		2
				मार्च 31	शेष आ/ले		4
			6				**6**
2003 अप्रैल 1	शेष आ/ला		4	2004 मार्च 31	लाभ व हानि		2
				मार्च 31	शेष आ/ले		2
			4				**4**
2004 अप्रैल 1	शेष आ/ला		2	2005 मार्च 31	लाभ व हानि		2
			2	मार्च 31			**2**

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. चूँकि ऋणपत्रों का शोधन परिपक्वता पर किया जाएगा, अत: ऋणपत्रों की संपूर्ण अवधि के लिए राशि समान होगी अर्थात् 100 करोड़ रुपए। अत: प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋणपत्रों का अनुपात 1:1:1:1:1 होगा।
2. वर्ष भर में ऋणपत्रों की हानि राशि अपलिखित

$$\frac{\text{कुल हानि}}{\text{वर्षो संख्या}} = \text{रु.}\ \frac{10,00,000}{5} = 2,00,00,000\ \text{रु.}$$

उदाहरण 13

जे. एम. डी. लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 2,00,000 5% ऋणपत्र 1 अप्रैल, 1999 को निर्गमित किए जिनका शोधन इस प्रकार किया जाएगा :

- 31 मार्च, 2001 को 80,000 ऋणपत्र
- 31 मार्च, 2002 को 40,000 ऋणपत्र
- 31 मार्च, 2003 को शेष ऋणपत्र

ऋणपत्रों की भुगतान तिथि तक प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाने वाली बट्टे की राशि ज्ञात करें। साथ ही ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता तैयार करें।

हल

प्रत्येक वर्ष में बट्टे की अपलिखित राशि दर्शाने हेतु सारणी

दिनांक	*बकाया ऋणपत्रों की राशि (रु.)*	*अनुपात*	*बट्टा (रु.)*
31 मार्च, 2000	20,00,000	20	$12,00,000 \times \frac{20}{60}$ = 4,00,000
31 मार्च, 2001	20,00,000	20	$12,00,000 \times \frac{20}{60}$ = 4,00,000
31 मार्च, 2002	12,00,000	12	$12,00,000 \times \frac{12}{60}$ = 2,40,000
31 मार्च, 2003	8,00,000	8	$12,00,000 \times \frac{8}{60}$ = 1,60,000
कुल बट्टा $= 2,00,00,000 \times \frac{6}{100} = 12,00,000$ रु.			

ऋणपत्रो के निर्गम पर हानि/बट्टा अपलिखित करने हेतु अनुपातिक बकाया विधि न्युनतम राशि की मांग की पूर्ति करता है।

ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता

नाम **जमा**

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*	*दिनांक*	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि (रु.)*
1999 अप्रैल 1	5% ऋणपत्र		12,00,000	2000 मार्च 31	लाभ व हानि		4,00,000
					शेष आ/ले		8,00,000
			12,00,000				**12,00,000**
2000 अप्रैल 1	शेष आ/ला		8,00,000	2001 मार्च 31	लाभ व हानि		4,00,000
					शेष आ/ले		4,00,000
			8,00,000				**8,00,000**
2001 अप्रैल 1	शेष आ/ला		4,00,000	2002 मार्च 31	लाभ व हानि		2,40,000
					शेष आ/ले		1,60,000
			4,00,000				**4,00,000**
2002 अप्रैल 1	शेष आ/ला		1,60,000	2003 मार्च 31	लाभ व हानि		1,60,000
			1,60,000				**1,60,000**

उदाहरण 14 (बट्टे की राशि का अपलेखन)

1 अप्रैल, 1997 को संगीता लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 60,00,000, 12% ऋणपत्र 50% बट्टे पर निर्गमित किए। ऋणपत्रों का भुगतान पाँच समान किश्तों पर छठे वर्ष की समाप्ति से किया जाएगा। उपर्युक्त तिथि की प्रतिभूति अधिमूल्य खाता .6 करोड़ रु. का शेष दर्शाता है। अपलिखित की जाने वाली बट्टे की राशि ज्ञात करें तथा लेनदेन को संगीता लिमिटेड की पुस्तकों में अभिलेखित करें।

हल

संगीता लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

(राशि करोड़ में)

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
1997 अप्रैल 1	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन अधिमूल्य (12%, 60,00,000 ऋणपत्रों पर 100 रु. की दर से आवेदन राशि प्राप्त)		57.00	57.00
	ऋणपत्र आवेदन खाता नाम ऋणपत्र के निर्गम पर बट्टा खाता नाम 12% ऋणपत्र ख़ाता (आबंटन पर ऋणपत्र आवेदन राशि ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		57.00 3.00	60.00
	लाभ व हानि खाता नाम अंशो के निर्गम पर बट्टा खाता			
	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.30	0.30
1998 मार्च 31	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि प्रतिभूति अधिमूल्य खाते में हस्तांतरित)		0.60	0.60
1999 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.30	0.30
2000 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.30	0.30

2001 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.30	0.30
2002 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.30	0.30
2003 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.30	0.30
2004 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.24	0.24
2005 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.18	0.18
2006 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.12	0.12
2007 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा खाता (बट्टे की राशि लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित)		0.60	0.60

हल के संदर्भ में टिप्पणी

लाभ व हानि खाते पर प्रभारित ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टे की राशि की गणना *(राशि करोड़ में)*

दिनांक	*बकाया ऋणपत्रों की राशि (रु.)*	*अनुपात*	*बट्टा (रु.)*
31 मार्च, 1998	60	5	$\frac{5}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.3$ रु.
31 मार्च, 1999	60	5	$\frac{5}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.3$ रु.

31 मार्च, 2000	60	5	$\frac{5}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.3$ रु.
31 मार्च, 2001	60	5	$\frac{5}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.3$ रु.
31 मार्च, 2002	60	5	$\frac{5}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.3$ रु.
31 मार्च, 2003	60	5	$\frac{5}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.3$ रु.
31 मार्च, 2004	48	4	$\frac{4}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.24$ रु.
31 मार्च, 2005	36	3	$\frac{3}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.18$ रु.
31 मार्च, 2006	24	2	$\frac{2}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.12$ रु.
31 मार्च, 2007	12	1	$\frac{1}{40} \times 2.4$ रु. $= 0.06$ रु.
	40		**2.4**

7.8 ऋणपत्रों का शोधन

यह खंड ऋणपत्रों/बंधकों के वैधानिक ढाँचे तथा लेखांकन व्यवहार से संबंधित है। शब्द 'शोधन' से आशय ऋणपत्र न्यास विलेख के माध्यम से उत्पन्न होने वाले संविदा दायित्व की उन्मुक्ता से है। ऋणपत्रों का शोधन लाभ में से अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों का अंशों में परिवर्तन से है अथवा ऋणपत्रों व बंधपत्रों की नई श्रेणी के निर्गम से है। दूसरे शब्दों में, लाभ में से ऋणपत्रों का शोधन से तात्पर्य नकदी में अपरिवर्तनीय ऋणपत्र धारकों को भुगतान से है, जबकि परिवर्तनीय ऋणपत्रों की दशा में, नकदी का बहिर्गमन नहीं होता है, परन्तु उसके स्थान पर अंशों के निर्गम के द्वारा दायित्वों को उन्मुक्त किया जाता है। यह खंड तीन उप-खंडों में विभाजित है : उप-खंड 1 अपरिवर्तनीय लाभ

में से अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों से संबंधित है, उप-खंड 2 परिवर्तनीय ऋणपत्रों से संबंधित है तथा उप-खंड 3 मुक्त बाजार क्रियाकलापों से ऋणपत्रों के शोधन से संबंधित है।

7.8.1 उप-खंड 1 *अपरिवर्ततीय ऋणपत्रों का लाभों में से शोधन*

संचित लाभों में से अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों का शोधन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 117 स (1) के अनुसार, जब ऋणपत्रों का शोधन लाभ में से किया जाता है, तो संचित लाभ राशि के पर्याप्त भाग को प्रत्येक वर्ष, शोधन से पूर्व, ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सेबी रूपरेखा संख्या 10.3.2 (स) (अ) में यह स्पष्टतया निर्दिष्ट है कि शोधन से पूर्व ऋणपत्र निर्गम के 50% के बराबर भाग को ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है। इस प्रावधान से अभिप्राय यह है कि जब भी ऋणपत्रों का शोधन किया जाता है, कम से कम ऋणपत्र निर्गम के 50% की बराबर राशि ऋणपत्र शोधन संचय के जमा पक्ष की ओर दर्शायी जानी चाहिए।

मान लीजिए, एक लिमिटेड कंपनी ने इस शर्त पर 5 करोड़ रुपए के ऋणपत्रों का निर्गम किया कि उनका शोधन तीसरे वर्ष से किया जाएगा। अत: ऋणपत्र शोधन संचय में 2.50 करोड़ रुपए (6.5 × 5 करोड़) का शेष होना अनिवार्य है।

यह केवल अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों और आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्रों के अपरिवर्तनीय भाग पर लागू होता है।

7.8.1.1 ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन की अवधि

ऋणपत्र शोधन संचय का सृजन शोधन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व किया जाना चाहिए। यदि ऋणपत्रों का निर्गमन किसी परियोजना वित्त हेतु किया जा रहा है तो ऋणपत्र शोधन संयंत्र का सृजन बराबर किश्तों में अथवा उच्च राशि, यदि लाभ पर्याप्त हैं तो, उत्पादन के क्रियान्वयन कि तिथि पर किया जाना चाहिए [10.3.02. (ब)]। हालांकि, नई कपंनीयों के परिवर्तनीय निर्गम की स्थिति में ऋणपत्र शोधन संचय का सृजन ऋणपत्रों की शेष अवधि के लिए उस वर्ष से प्रारंभ किया जाता है जिस वर्ष से कंपनी लाभ कमाना आरंभ करती हैं [10.3.2 (ड)]।

7.8.1.2 ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन के अपवाद

उपरोक्त नियम के अपवाद इस प्रकार है :

1. बुनियादी कंपनीयाँ (ऐसी कंपनी जो पूर्णत: बुनियादी साधनों के विकास, रख-रखाव तथा क्रियान्वयन के व्यापार में समर्पित है [1.2.1 (XV)] को ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन की आवश्यकता नहीं है [10.3.2 (स) (स)]

2. ऐसी कंपनी जो ऋणपत्रों को 18 माह की अवधि से कम अवधि के लिए निर्गमित करती है। (10.3.1)

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा सेबी रूपरेखा से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी अधिनियम ऋणपत्र शोधन संचय के संदर्भ में कोई अंतर नहीं करता है, जबकि सेबी इस संबंध में अपवाद प्रदान करती है। अतः उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रावधान में प्रस्तावित दंड से बचने के लिए, सभी कंपनीयों को ऋणपत्र शोधन संचय तैयार करना अनिवार्य है क्योंकि सेबी रुपरेखा अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं जिन्हे समय-समय पर प्रस्तावित किया जाता है (खंड 32, सेबी अधिनियम -1992)।

उदाहरण स्वरूप, गैमन इंडिया लिमिटेड एक बुनियादी परियोजना कंपनी नियमित रुप से ऋणपत्र शोधन संचय तैयार करती है (देखें पृ. 37, वार्षिक रिपोर्ट 2001-02)। वैकल्पिक रुप में, खंड 117 स (1) में निर्दिष्ट पर्याप्त राशि का निर्धारण सेबी रूपरेखा के अनुसार किया जा सकता है।

इस संदर्भ में निम्न प्रविश्टियाँ दी जाती है :

ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन पर

लाभ व हानि विनियोजन खाता नाम
    ऋणपत्र शोधन संचय

शोधन के वर्ष में शोधन की शर्तानुसार, ऋणपत्रधारकों को देय राशि से जमा किया जाएगा।

(i) यदि ऋणपत्र सममूल्य पर शोधनीय हैं, तो शोधन हेतु ऋणपत्रों के सममूल्य को ऋणपत्रधारकों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी।

जब सममूल्य पर ऋणपत्रों का शोधन किया जाता है तब ऋणपत्रधारकों के देय राशि के लिए :

$x\%$ ऋणपत्र खाता नाम
    ऋणपत्र धारक खाता

(ii) यदि ऋणपत्र अधिमूल्य पर शोधनीय होते हैं तो अधिमूल्य राशि को ऋणपत्र धारक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्न प्रविष्टि दी जाएगी :

अधिमूल्य पर ऋणपत्रों का शोधन किया जाता है तब ऋणपत्रधारकों के देय राशि के लिए :

$x\%$ ऋणपत्र खाता नाम
ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता नाम
    ऋणपत्रधारक खाता

ऋणपत्रधारकों के भुगतान करने पर

ऋणपत्रधारक खाता नाम

बैंक खाता

उदाहरण 15

1 अप्रैल, 2002 को गुँजन लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 5,00,000, 12% ऋणपत्र निर्गमित किए जो 1 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर शोधनीय हैं। कंपनी ने 6,00,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त किए और समस्त आवेदन-पत्रों पर यथानुपात आधार पर आबंटन किया गया। देय तिथि पर समस्त ऋणपत्रों का शोधन किया गया। यह बताएँ कि शोधन हेतु कितनी राशि का ऋणपत्र निर्गम शोधन संचय सृजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्गम और शोधन के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

गुंजन लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
2002 अप्रैल 1	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन खाता (आवेदन पत्र पर राशि प्राप्त)		6,00,00,000	 6,00,00,000
अप्रैल 1	ऋणपत्र आवेदन खाता नाम 12% ऋणपत्र खाता बैंक खाता (आबंटन पर आवेदन राशि ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		6,00,00,000	 5,00,00,000 1,00,00,000
2003 मार्च 31	ब्याज खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (ब्याज देय होने पर)		60,00,000	 60,00,000
मार्च 31	12% ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (ब्याज के भुगतान पर)		60,00,000	 60,00,000

मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ब्याज अपलिखित होने पर)		60,00,000	60,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय (ऋणपत्र शोधन संचय में खंड 117(स)(1) के निहित लाभ का समायोजन)		2,50,00,000	2,50,00,000
जून 30	ब्याज खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (दो माह के लिए ब्याज देय)		10,00,000	10,00,000
जुलाई 1	12% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (ऋणपत्रों के शोधन पर भुगतान देय)		5,00,00,000	5,00,00,000
जुलाई 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (शोधन पर ऋणपत्र धारकों को भुगतान दिया गया)		5,00,00,000	5,00,00,000
2004 मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ब्याज के हस्तांतरण पर)		10,00,000	10,00,000
मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय नाम समान्य संचय (ऋणपत्र शोधन संचय का समान्य संचय में हस्तांतरण)		2,50,00,000	2,50,00,000

उदाहरण 16

नौएडा टॉल ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एक बुनियादी ढाँचा कंपनी) के पास 1997 में निर्गमित ऋणपत्र के 200 लाख 9% ऋणपत्र हैं, जिनका शोधन 30 जून, 2003 को देय है। ऋणपत्रों के शोधन से पूर्व कितनी राशि का ऋणपत्र शोधन संचय तैयार करना आवश्यक है। ऋणपत्रों के शोधन हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें। कंपनी अपनी पुस्तकें प्रत्येक वर्ष मार्च 31 को बंद करती है।

हल

सेबी रूपरेखा के अनुसार बुनियादि ढ़ांचा कंपनीयाँ ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन से मुक्त हैं। हालांकि, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 117 स (1) के अनुसार पर्याप्त राशि ऋणपत्र शोधन

संचय में हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है। ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित की जाने वाली न्यूनतम राशि 1,00,00,00,000 रु. है जो शोधन के समय हस्तांतरित कर दी जाएगी।

नोएडा टॉल ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
जून 30	9% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (ऋणपत्रों के शोधन पर भुगतान देय)		2,00,00,00,000	2,00,00,00,000
	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (शोधन पर ऋणपत्र धारकों को भुगतान किया गया)		2,00,00,00,000	2,00,00,00,000

उदाहरण 17

गणेशन लिमिटेड के पास प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 800 लाख 10% ऋणपत्र हैं, जिनका शोधन 31 मार्च, 2003 को देय है। मान लीजिए उक्त तिथि को ऋणपत्र शोधन संचय का शेष 3,40,00,00,000 रु. है। शोधन के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

गणेशन लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2001	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
मार्च 31	लाभ–हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (सेबी रूपरेखा के अनुसार लाभ का हस्तांतरण)		60,00,00,000	60,00,00,000
मार्च 31	10% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्रों के भुगतान देय)		8,00,00,000	8,00,00,000
मार्च 31	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (शोधन पर ऋणपत्र धारकों को भुगतान दिया गया)		8,00,00,000	8,00,00,000

मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय नाम सामान्य संचय (शोधन के पश्चात्, ऋणपत्र शोधन संचय सामान्य संचय में हस्तांतरित)		40,00,00,000	40,00,00,000

टिप्पणी : *चूंकि प्रश्न में ब्याज के भुगतान पर कुछ नहीं कहा गया है, अत: यह मान लिया गया है कि शोधन पर तिथि पर कोई बकाया ब्याज नहीं है।*

उदाहरण 18

शांतनु लिमिटेड के पास प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 50,00,000, 8% ऋणपत्र हैं, जो 31 मार्च, 2003 से वार्षिक किश्तों में शोधन के लिए देय हैं। उक्त तिथि को ऋणपत्र शोधन संचय का शेष 18,00,00,000 रु. था। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ अभिलेखित करें।

हल

शांतनु लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
मार्च 31	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋणपत्र पर देय ब्याज का भुगतान)		4,00,00,000	4,00,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		4,00,00,000	4,00,00,000
मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (लाभ का ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरण ताकि वह 5,00,00,00,000 के 50% के बराबर हो जाए)		7,00,00,000	7,00,00,000
मार्च 31	8% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्रों के भुगतान देय)		12,50,00,000	12,50,00,000
मार्च 31	ऋणपत्र धारक खाता नाम 12,50,00,000 बैंक खाता (शोधन पर देय राशि का भुगतान)			12,50,00,000

2004 मार्च 31	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान)		3,00,00,000	3,00,00,000
मार्च 31	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		3,00,00,000	3,00,00,000
मार्च 31	8% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्रों के भुगतान देय)		12,50,00,000	12,50,00,000
2005 मार्च 31	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान)		2,00,00,000	2,00,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ब्याज खाता (ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		2,00,00,000	2,00,00,000
मार्च 31	8% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्रों के भुगतान देय)		12,50,00,000	12,50,00,000
मार्च 31	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (शोधन पर देय राशि का भुगतान)		12,50,00,000	12,50,00,000
2006 मार्च 31	ब्याज खाता नाम बैंक खाता (ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान)		1,00,00,000	1,00,00,000
मार्च 31	लाभ व हानि खाता ब्याज खाता (ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		1,00,00,000	1,00,00,000
मार्च 31	8% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्रों के भुगतान देय)		12,50,00,000	12,50,00,000
मार्च 31	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (शोधन पर देय राशि का भुगतान)		12,50,00,000	12,50,00,000
मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय खाता नाम सामान्य संचय खाता (ऋणपत्र शोधन संचय सामान्य संचय में हस्तांतरित)		25,00,00,000	25,00,00,000

उदाहरण 19

30 जून, 2001 को निखिल कॉसमेटिक्स लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 50 रु. के 12,00,000, 5% ऋणपत्र निर्गमित किए जो 1 जुलाई, 2005 को 6% अधिमूल्य पर शोधनीय हैं। संचालक मंडल ने लाभ में से एक भाग को ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जो निम्न प्रकार है :

31 मार्च, 2003 को 2,00,00,000 रु.

31 मार्च, 2004 को 50,00,000 रु.

31 मार्च, 2005 को 50,00,000 रु.

ऋणपत्रों के निर्गम और शोधन के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें। ऋणपत्र निर्गम पर अपलिखित हानि एवं ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रविष्टयों को न करें।

हल

निखिल कॉस्मेटिक्स लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक *2001*	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	निर्गम के समय			
	बैंक खाता नाम		6,00,00,000	
जून 30	ऋणपत्र आवेदन खाता			6,00,00,000
	(ऋणपत्रों के निर्गम पर आवेदन राशि प्राप्त)			
जून 30	ऋणपत्र आवेदन खाता नाम		6,00,00,000	
	ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि खाता		36,00,000	
	5% ऋणपत्र खाता			6,00,00,000
	ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता			36,00,000
	(आबंटन पर, अधिमूल्य पर शोधनीय ऋणपत्र आवेदन राशि 5% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)			
2003	*ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन पर*			
अप्रैल 1	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम		2,00,00,000	
	ऋणपत्र शोधन संचय खाता			2,00,00,000
	(संचालक मंडल के संकल्प के अनुसार लाभ का हिस्सा ऋणपत्र संचय में हस्तांतरित)			

2004 अप्रैल 1	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (संचालक मंडल के संकल्प के अनुसार लाभ का हिस्सा ऋणपत्र संचय में हस्तांतरित)		50,00,000	 50,00,000
2005 अप्रैल 1	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (संचालक मंडल के संकल्प के अनुसार लाभ का हिस्सा ऋणपत्र संचय में हस्तांतरित)		50,00,000	 50,00,000
 जुलाई 1	*शोधन के समय* 5% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता ऋणपत्र धारक अधिमूल्य खाता (ऋणपत्रों के शोधन पर भुगतान देय)		 6,00,00,000 36,00,000	 6,36,00,000
जुलाई 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (शोधन पर देय राशि का भुगतान)		6,36,00,000	 6,36,00,000
2006 मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय नाम समान्य संचय (ऋणपत्र शोधन संचय सामान्य संचय में हस्तांतरित)		3,00,00,000	 3,00,00,000

उदाहरण 20

के. टी. लिमिटेड ने जून 30, 2001 को प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 1,00,000, 10% (i) सममूल्य, (ii) 5% अधिमूल्य पर ऋणपत्र निर्गमित किए जो जूलाई 1, 2003 को शोधनीय हैं। संचालक मंडल ने 31 मार्च, 2002 और 31 मार्च, 2003 को 25,00,000 रु. ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। निर्गम और शोधन के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें। ब्याज के भुगतान के संदर्भ में प्रविष्टियाँ न करें।

हल

(i) सममूल्य पर ऋणपत्रों का शोधन

के. टी. लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
2001 जून 30	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन खाता (ऋणपत्रों के निर्गम पर आवेदन राशि प्राप्त)		1,00,00,000	1,00,00,000
जून 30	ऋणपत्र आवेदन खाता नाम 10% ऋणपत्र खाता (आबंटन पर आवेदन राशि 10% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		1,00,00,000	1,00,00,000
2002 मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (लाभ में से ऋणपत्र शोध संचय तैयार किया गया)		25,00,000	25,00,000
2003 मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (लाभ में से ऋणपत्र शोध संचय तैयार किया गया)		25,00,000	25,00,000
जुलाई 1	10% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर देय राशि का भुगतान)		1,00,00,000	1,00,00,000
2004 मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय खाता नाम सामान्य संचय खाता (ऋणपत्र शोधन संचय की राशि सामान्य संचय में हस्तांतरित)		50,00,000	50,00,000

(ii) अधिमूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गमन

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	निर्गम के समय				
2001 जून 30	बैंक खाता	नाम		1,05,00,000	
	ऋणपत्र आवेदन खाता				1,05,00,000
	(ऋणपत्रों के निर्गम पर आवेदन राशि प्राप्त)				
जून 30	ऋणपत्र आवेदन खाता	नाम		1,05,00,000	
	10% ऋणपत्र खाता				1,00,00,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता				5,00,000
	(आबंटन पर अधिमूल्य पर शोधनीय ऋणपत्रों के आवेदन 10% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)				
2002	*ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन पर*				
मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता	नाम		25,00,000	
	ऋणपत्र शोधन संचय खाता				25,00,000
	(लाभ में से ऋणपत्र शोधन संचय तैयार किया गया)				
2003 मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता	नाम		25,00,000	
	ऋणपत्र शोधन संचय				25,00,000
	शोधन के समय				
जुलाई 1	10% ऋणपत्र खाता	नाम		1,00,00,000	
	ऋणपत्र धारक खाता				1,00,00,000
	(शोधन पर देय राशि का भुगतान)				
जुलाई 1	ऋणपत्र धारक खाता	नाम		1,00,00,000	
	बैंक खाता				1,00,00,000
	(शोधन पर देय राशि का भुगतान)				

उदाहरण 21

1 अप्रैल, 2001 को जी. के. डब्ल्यू. लिमिटेड से निम्न शेष प्राप्त किए गए :

60,00,000 रु. के 9% ऋणपत्र, 20,00,000 रु. का ऋणपत्र शोधन संचय। 31 मार्च, 2002 को संचालक मंडल ने 10,00,000 रु. ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

ऋणपत्रों का शोधन 1 अप्रैल, 2003 से शुरु किया जाएगा। उपर्युक्त लेनदेन के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें। ब्याज के संदर्भ में प्रविष्टियाँ न दें।

हल

जी. के. डब्ल्यू. लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
2002 मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (लाभ ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित)		10,00,000	10,00,000
अप्रैल 1	9% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्र धारकों का भुगतान देय)		60,00,000	60,00,000
2003 अप्रैल 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (ऋणपत्र धारकों को देय राशि)		60,00,000	60,00,000
2004 मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय समान्य संचय		30,00,000	30,00,000

उदाहरण 22

सीता एंटरप्राईज़ेज़ लिमिटेड में 1 अप्रैल, 2001 को प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 4,00,00,000, 11% ऋणपत्र निर्गमित किए जो 1 अप्रैल, 2003 से चार समान वार्षिक किश्तों पर शोधनीय हैं। संचालक मंडल ने 31 मार्च, 2002 और 2003 को 1,00,00,000 रु. का ऋणपत्र शोधन संचय तैयार करने का निर्णय लिया। ऋणपत्रों के निर्गम और शोधन तथा ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ अभिलेखित करें।

हल

सीता एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
2001	*निर्गम के समय*			
अप्रैल 30	बैंक खाता नाम		4,00,00,000	
	ऋणपत्र आवेदन खाता			4,00,00,000
	(4,00,00,000, 11% ऋणपत्रों के निर्गम पर आवेदन राशि प्राप्त)			
अप्रैल 1	ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता नाम		4,00,00,000	
	11% ऋणपत्र खाता			4,00,00,000
	(आबंटन पर अधिमूल्य पर शोधनीय ऋणपत्रों की आवेदन राशि 11% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)			
2002	*ऋणपत्र शोधन संचय के सृजन पर*			
मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम		1,00,00,000	
	ऋणपत्र शोधन संचय			1,00,00,000
	(लाभ में से ऋणपत्र शोधन संचय तैयार किया गया)			
2003				
मार्च 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम		1,00,00,000	
	ऋणपत्र शोधन संचय			1,00,00,000
	(ऋणपत्रों का शोधन देय)			
	शोधन के समय			
अप्रैल 1	11% ऋणपत्र खाता नाम		1,00,00,000	
	ऋणपत्र धारक खाता			1,00,00,000
	(ऋणपत्रों का शोधन देय)			
अप्रैल 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम		1,00,00,000	
	बैंक खाता			1,00,00,000
	(शोधन पर देय राशि का भुगतान)			
2004				
अप्रैल 1	11% ऋणपत्र खाता नाम		1,00,00,000	
	ऋणपत्र धारक खाता			1,00,00,000
	(ऋणपत्रों का शोधन देय)			
अप्रैल 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम		1,00,00,000	
	बैंक खाता			1,00,00,000
	(शोधन पर देय राशि का भुगतान)			

2005 अप्रैल 1	11% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (ऋणपत्रों का शोधन देय)		1,00,00,000	1,00,00,000
अप्रैल 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (शोधन पर देय राशि का भुगतान)		1,00,00,000	1,00,00,000
2006 अप्रैल 1	11% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (ऋणपत्रों का शोधन देय)		1,00,00,000	1,00,00,000
अप्रैल 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (शोधन पर देय राशि का भुगतान)		1,00,00,000	1,00,00,000
2007 मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय खाता नाम समान्य संचय (ऋणपत्र शोधन संचय सामान्य संचय में हस्तांतरित)		2,00,00,000	2,00,00,000

7.9 ऋणपत्रों के शोधन की वित्त व्यवस्था

अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों का भुगतान करने हेतु विशाल नकद राशि की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचालक मंडल उपयुक्त बहत् धनराशि दूसरी व्यापारिक इकाइयों के प्रतिभूतियों एवं बंधपत्रों में निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, नियत समयावधि के दौरान, धनराशि व्यवसाय से बाहर निवेशित की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, पर्याप्त राशि *ऋणपत्रशोधननिक्षेप निधि* हस्तांतरित की जाती है। पर्याप्त राशि की गणना निक्षेप निधि गुणन की सहायता से की जाती है, जो कि प्रपत्रों पर ब्याज दर और वर्षों की संख्या पर आधारित होती है। इस खाते को प्रतिवर्ष यह सुनिश्चित करने हेतु जमा किया जाता है, ताकि ऋणपत्रों के शोधन से पूर्व पर्याप्त निक्षेप राशि इस खाते में एकत्रित हो जाए। निधि गुणन पर 'n' वर्षों की संख्या के लिए 'r' ब्याज दर 'n' वार्षिकी (FVIFA) हेतु भविष्यकालित गुणन का व्युत्क्रम है। निक्षेप निधि गुणन = 1/FVIFA, 'r', 'n', FVIFA सारणी परिशिष्ट में दी गई है। ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि खाते को प्रत्येक वर्ष जमा किया जाता है ताकि ऋणपत्रों के शोधन से पूर्व पर्याप्त धनराशि एकत्रित हो सके। यहाँ पर ध्यान योग्य है कि ऋणपत्र शोधन निक्षेप विधि, विधान के आवश्यकतानुसार, ऋणपत्र शोधन संचय के समरूप

होता है, अत: ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि की राशि को ऋणपत्र शोधन संचय के समान माना जाएगा। अत: वैधानिक पूर्ति हेतु, विनियोजित राशि ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि के बजाय ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित की जाएगी।

इस संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. प्रथम वर्ष के अंत में प्रविष्टियाँ

ऋणपत्रों के निर्गम, ब्याज का भुगतान तथा ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्टा/हानि का अपलेखन का वर्णन पिछले खंडों में किया जा चुका है। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर अन्य संबंधित प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं :

(अ) ऋणपत्र शोधन संचय में लाभ का हस्तांतरण

लाभ-हानि विनियोजन खाता   नाम

ऋणपत्र शोधन संचय

(ब) ऋणपत्र शोधन संचय की राशि, जिसे पृथक् रूप से रखा गया है, के द्वारा ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि प्रपत्रों के क्रय हेतु

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि प्रपत्र खाता   नाम

बैंक खाता

2. द्वितीय एवं परवर्त्ती वर्षों के अंत में प्रविष्टियाँ

द्वितीय एवं परवर्ती वर्षों में कंपनी को पूर्व वर्षों के प्रपत्रों पर ब्याज प्राप्त होने लगता है, जिसे ऋणपत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ऋणपत्र शोधन संचय में एकत्रित धनराशि और ऋणपत्र शोधन निक्षेप विधि प्रपत्रों पर अर्जित ब्याज की प्राप्ति से कंपनी प्रपत्र क्रय करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं।

(अ) ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज प्राप्ति हेतु

बैंक खाता   नाम

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि प्रपत्र पर ब्याज खाता

(ब) प्राप्त ब्याज ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि प्रपत्र पर ब्याज खाता   नाम

ऋणपत्र शोधन संचय

(स) *लाभ को ऋणपत्र शोधन संचय पर हस्तांतरण के लिए*

लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम

ऋणपत्र शोधन संचय

(द) *ऋणपत्र शोधन संचय और प्राप्त ब्याज की राशि द्वारा प्रपत्रों के क्रय पर*

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि प्रपत्र खाता नाम

बैंक खाता

3. शोधन का वर्ष

वह वर्ष जिसमें ऋणपत्रों का शोधन देय है, ब्याज प्राप्ति, उसका ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरण तथा लाभ के पृथक् रूप से ऋणपत्र शोधन संचय में रखने हेतु प्रविष्टियाँ का अभिलेखन सामान्य रूप में ही किया जाएगा। केवल प्रपत्रों के क्रय के बजाए, पूर्व वर्षों में क्रय किए गए समस्त प्रपत्रों को शोधन के लिए तरलता प्रदान करने हेतु बेचा जाता है। जब परिपक्वता पर समस्त ऋणपत्रों का शोधन कर दिया जाता है, तब ऋणपत्र शोधन संचय खाता शेष को सामान्य संचय में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। लॉटरी के माध्यम से ऋणपत्रों के शोधन के संदर्भ में, 10% ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात् ऋणपत्र शोधन संचय में से आहरण किया जा सकता है। इस स्थिति में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

(अ) *ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज प्राप्त करने पर*

बैंक खाता नाम

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि प्रपत्र पर ब्याज खाता

(ब) *ब्याज को ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतिरित करने पर*

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता नाम

ऋणपत्र शोधन संचय

(स) *लाभ को ऋणपत्र शोधन संचय पर हस्तांतरण करने पर*

लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम

ऋणपत्र शोधन संचय

(द) (i) *ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्रों के विक्रय पर (ध्यान रहे कि ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर लाभ अथवा हानि, यदि है तो, को ऋणपत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाएगा)*

(द) (ii) *प्रपत्रों का पुस्तक मूल्य पर विक्रय*

बैंक खाता नाम (प्रपत्रों का विक्रय मूल्य)

ऋणपत्र शोधन संचय

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर खाता (प्रपत्रों का कुल क्रय मूल्य)

(द) (iii) प्रपत्रों का पुस्तक मूल्य से कम राशि पर विक्रय

अथवा

बैंक खाता — नाम

ऋणपत्र शोधन संचय — नाम — (प्रपत्रों का विक्रय पर हानि)

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि–प्रपत्र खाता

अथवा

(द) (iv) प्रपत्रों का पुस्तक मूल्य से अधिक राशि पर विक्रय

बैंक खाता — नाम — (प्रपत्रों का विक्रय मूल्य)

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि–प्रपत्र पर खाता

ऋणपत्र शोधन संचय (प्रपत्रों के विक्रय पर लाभ)

(ई) सममूल्य पर ऋणपत्रों के शोधन पर ऋणपत्र धारकों को देय राशि :

$x\%$ ऋणपत्र खाता — नाम

ऋणपत्र धारक खाता

अथवा

अधिमूल्य पर ऋणपत्र के शोधन पर निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाएगी :

$x\%$ ऋणपत्र खाता — नाम

ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता — नाम

ऋणपत्र धारक खाता

(फ) देय राशि पर ऋणपत्र धारकों को भुगतान

ऋणपत्र धारक खाता — नाम

बैंक खाता

(ज) ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात् ऋणपत्र शोधन संचय खाता सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित करने पर निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है :

ऋणपत्र शोधन संचय — नाम

सामान्य संचय

उदाहरण 23

1 जनवरी, 2000 को अंशु डिटर्जेंटस ने प्रति ऋणपत्र 10 रु. के 2,00,000, 10% ऋणपत्र निर्गमित किए जिनका शोधन चार वर्ष पश्चात् किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि प्रपत्र तैयार किया। प्रपत्रों पर 4% ब्याज प्रति वर्ष प्राप्त होने की संभावना है। निक्षेप

निधि गुणन सारणी से यह ज्ञात होता है कि 4% पर 0.23549 रु. की निवेशित राशि 4 वर्षों के अंत में 1 रु. के बराबर होती है। 31 दिसंबर, 2003 को प्रपत्रों से 15,00,000 ऋणपत्रों का भुगतान ऋणपत्रों के निर्गम के शर्त्तानुसार किया गया। ऋणपत्रों के निर्गम, संचय में निवेश तथा ऋणपत्रों के शोधन के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

अंशु डिटर्जेंट की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
2000 जन. 1	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता (2,00,000, 10% ऋणपत्रों पर 10 रु. की दर से राशि प्राप्त)		20,00,000	20,00,000
जन. 1	ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता नाम 10% ऋणपत्र खाता (आबंटन पर आवेदन राशि 11% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		20,00,000	20,00,000
दिस. 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय (लाभ ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित)		4,70,980	4,70,980
दिस. 31	ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र खाता नाम बैंक खाता (प्रपत्रों का क्रय)		4,71,000	4,71,000
2001 दिस. 31	बैंक खाता नाम ऋणपत्र निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता (प्रपत्रों पर ब्याज प्राप्ति)		18,840	18,840
दिस. 31	ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (ब्याज राशि निक्षेप निधि में हस्तांतरित)		18,840	18,840
दिस. 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय खाता (लाभ ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित)		4,70,980	4,70,980

दिस. 31	ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र खाता नाम बैंक खाता (4,70,980 + 18,840 = 4,89,840 प्रपत्रों का क्रय)		4,89,840	4,89,840
2002 दिस. 31	बैंक खाता नाम ऋणपत्र निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता (ब्याज की प्राप्ति)		38,433.60	38,433.60
दिस. 31	ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय (ब्याज राशि निक्षेप निधि में हस्तांतरित)		38,433.60	38,433.60
दिस. 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय (लाभ ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित)		4,71,000	4,71,000
दिस. 31	ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र खाता नाम बैंक खाता (4,70,980 + 38,433.60 = 5,09,433.60 प्रपत्रों का क्रय)		5,09,433.60	5,09,433.60
2003 दिस. 31	बैंक खाता नाम ऋणपत्र निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता (4,71,000 + 4,89,840 + 5,09,433.60 पर 4% ब्याज की प्राप्ति)		58,810.94	58,810.94
दिस. 31	ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय (ब्याज राशि निक्षेप निधि में हस्तांतरित)		58,810.94	58,810.94
दिस. 31	लाभ-हानि विनियोजन खाता नाम ऋणपत्र शोधन संचय (लाभ ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित)		47,0915.46	47,0915.46
दिस. 31	बैंक खाता नाम ऋणपत्र निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता ऋणपत्र शोधन संचय (प्रपत्रों के विक्रय पर लाभ)		15,00,000	14,70,273.60 29726.40
दिस. 31	10% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्र धारकों को भुगतान देय)		20,00,000	20,00,000
दिस. 31	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (ऋणपत्रों पर भुगतान किया गया)		20,00,000	20,00,000

दिस. 31	ऋणपत्र शोधन संचय खाता नाम सामान्य खाता (शोधन के पश्चात्, निक्षेप निधि को सामान्य संचय में हस्तांतरित करके बंद कर दिया गया)		20,29,726.40	20,29,726.40

हल के संदर्भ में टिप्पणी

लाभ में से वार्षिक राशि ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित = 0.23549 × 20,00,000 रु. = 7,70,980 रु.

उदाहरण 24

1 अप्रैल, 2001 को शिवालिक लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 10,00,000, 7% ऋणपत्र निर्गमित किए, जो चार वर्षों के पश्चात् शोधनीय है। यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में ऋणपत्र शोधन संचय बनाया जाएगा। ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि सारणी से यह ज्ञात हुआ कि यदि 0.221926 रु. को 8% शासकीय प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है तो उसका मूल्य 5 वर्षों में 1 रु. के बराबर होगा। 31 मार्च, 2005 को बैंक शेष 5,00,00,000 रु. था। ऋणपत्रों का शोधन प्रस्तुत दस्तावेज में निहित शर्तों के अनुसार किया गया।

ऋणपत्रों के शोधन तक आप आवश्यक खाते तैयार करें।

8% ऋणपत्र खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	पृ.सं	राशि (रु.)
2002 मार्च 31	शेष आ/ले		10,00,00,000	2001 अप्रैल 1	बैंक		10,00,00,000
2003 मार्च 31	शेष आ/ले		10,00,00,000	2002 अप्रैल 1	शेष आ/ला		10,00,00,000
2004 मार्च 31	शेष आ/ले		10,00,00,000	2003 अप्रैल 1	बैंक		10,00,00,000
2005 मार्च 31	शेष आ/ले		10,00,00,000	2004 अप्रैल 1	शेष आ/ला		10,00,00,000

ऋणपत्र धारक खाता

नाम **जमा**

दिनांक 2005	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि* (रु.)	*दिनांक* 2005	*विवरण*	*ब.पृ.सं*	*राशि* (रु.)
मार्च 31	बैंक		10,00,00,000	मार्च 31	8% ऋणपत्र		1,00,00,000

ऋणपत्र शोधन संचय

नाम **जमा**

दिनांक 2002	*विवरण*	*पृ.सं*	*राशि* (रु.)	*दिनांक* 2002	*विवरण*	*पृ.सं*	*राशि* (रु.)
मार्च 31	शेष आ/ले		2,21,92,600	मार्च 31	लाभ व हानि विनियोजन		2,21,92,600
2003							
मार्च 31	शेष आ/ले		4,61,60,608	अप्रैल 1	शेष आ/ला		2,21,92,600
				2003	ऋणपत्र शोधन निक्षेप		17,75,408
				मार्च 31	निधि-प्रपत्र पर ब्याज		
					लाभ व हानि विनियोजन		2,21,92,600
			4,61,60,608				**4,61,60,608**
2004				2004			
मार्च 31	शेष आ/ले		7,20,46,056.64	अप्रैल 1	शेष आ/ला		4,61,60,608.00
					ऋणपत्र शोधन निक्षेप		36,92,848.64
					निधि-प्रपत्र पर ब्याज		
					लाभ व हानि विनियोजन		2,21,92,600.00
			7,20,46,056.64				**7,20,46,056.64**
2005				2005			
मार्च 31	शेष आ/ले		10,00,02,341.17	अप्रैल 1	शेष आ/ला		7,20,46,056.64
					ऋणपत्र शोधन निक्षेप		57,63,684.53
					निधि-प्रपत्र पर ब्याज		
					लाभ व हानि विनियोजन		2,21,92,600.00
			10,00,02,341.17				**10,00,02,341.17**

ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्र पर ब्याज खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
2003				2003			
मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय		17,75,408	मार्च 31	बैंक		17,75,408
2004				2004			
मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय		36,92,848.64	मार्च 31	बैंक		36,92,848.64
2005				2005			
मार्च 31	ऋणपत्र शोधन संचय		57,63,684.53	मार्च 31	बैंक		57,63,684.53

ऋणपत्र शोधन निक्षेप-निधि प्रपत्र खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
2002				2002			
मार्च 31	बैंक		2,21,92,600	अप्रैल 1	शेष आ/ला		2,21,92,600
अप्रैल 1	शेष आ/ला		2,21,92,600	2002			
2003				अप्रैल 1	शेष आ/ला		4,61,60,608
मार्च 31	बैंक		2,39,68,008				
			4,61,60,608				**4,61,60,608**
अप्रैल 1	शेष आ/ला		4,61,60,608	2003			
2004				मार्च 31	शेष आ/ला		7,20,46,056.64
मार्च 31	बैंक		2,58,85,448.64				
			7,20,46,056.64				**7,20,46,056.64**
अप्रैल 1	शेष आ/ला			2005			
			7,20,46,056.64	मार्च 31	बैंक*		**7,20,46,056.64**[2]

बैंक खाता

नाम **जमा**

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)	दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं	राशि (रु.)
2005 मार्च 31	शेष आ/ला		5,00,00,000	2005 मार्च 1	ऋणपत्र धारक		10,00,00,000.00
	ऋणपत्र निक्षेप निधि-प्रपत्र		36,92,848.64				
	ऋणपत्र निक्षेप निधि-प्रपत्र		7,20,46,056.64		शेष आ/ला		2,57,38,905.20
			12,57,38,905.28				**12,57,38,905.28**

[1] विनियोजित राशि = .221926 × 10,00,00,000 रु. = 2,21,92,600.00

[3] यह मान लिया गया है कि ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्रों को न लाभ न हानि पर बेचा गया है।

7.10 परिवर्तनीय ऋणपत्रों का शोधन

ऋणपत्रों का शोधन उन्हें समता अंशों में परिवर्तित करके, ऋणपत्र निर्गम की शर्तों के अनुसार, किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम ऋणपत्रों के अपरिवर्तनीय भाग का शोधन परिवर्तन द्वारा करने पर प्रतिबंध लगता है। इससे तात्पर्य है कि ऋणपत्रों का परिवर्तन द्वारा शोधन उस दशा में किया जा सकता है, जब वे परिवर्तन द्वारा शोधन के प्रावधान के अंतर्गत निर्गमित किए गए हों। ऐसी स्थिति में नकद बहीर्गमन नहीं होता है साथ ही ऋणपत्र शोधन संचय की आवश्यकता नहीं होती है जब कभी ऋणपत्रों का शोधन परिवर्तन द्वारा किया जाता है तो ऋणपत्र धारकों को उसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त करनी होती है। सेबी रूपरेखा के अनुसार कंपनी केवल 36 माह के परिवर्तनीय अवधि के लिए ही पूर्णत: परिवर्तनीय अंश निर्गमित कर सकती है जबतक कि यह परिवर्तन वैकल्पिक रूप में 'तेजी' तथा "मंदी" विकल्प सहित जारी किये गए हो। यदि ऋणपत्रों का परिवर्तन 18 माह के पश्चात् और 36 माह से पूर्व किया जाता है तो संपूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन का विकल्प ऋणपत्र धारको के समक्ष होता है। परिवर्तन की अधिमूल्य राशि और समय निर्गमक कंपनी द्वारा निर्धारित तथा प्रकट किया जाता है (10.8)। किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निर्गमित पूर्णत: परिवर्त्तनीय मूल्य निर्गम के समय तय न किया गया हो तो ऐसी दशा में ऋणपत्र धारकों को समता अंशपूँजी के परिवर्तन का विकल्प नहीं दिया जा सकता है [10.7.1.2 (1)]। इसके अतिरिक्त, केवल उसी दशा में परिवर्तन संभव है जहाँ ऋणपत्र धारकों से सकारात्मक सहमति प्राप्त कर ली गई हो न कि

नकारात्मक सहमति की उपस्थिति में। हालांकि यह उस स्थिति में लागू नहीं होता है जहाँ पूँजी मूल्य तय कर लिया गया हो (10.7.1.2)।

लेखांकन व्यवहार

परिवर्तनीय ऋणपत्रों की दशा मे दायित्वों की उन्मुक्तता हेतु निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टियाँ अभिलेखित की जाती है:

I अंशों में परिवर्तन हेतु सममूल्य पर ऋणपत्रों का शोधन

(i) ऋणपत्र धारकों को देय राशि के लिए

x% ऋणपत्र खाता नाम
ऋणपत्र धारक खाता

(ii) सममूल्य पर समता अंशों के निर्गम द्वारा ऋणपत्र धारकों की उन्मुक्ति हेतु

ऋणपत्र धारक खाता नाम
समता अंश पूंजी खाता

अथवा

(iii) अधिमूल्य पर समता अंशों के निर्गम द्वारा ऋणपत्रों की उन्मुक्ति हेतु

ऋणपत्र धारक खाता नाम
समता अंश पूंजी खाता
प्रतिभूति अधिमूल्य खाता

चूंकि अंशों का निर्गम अधिमूल्य पर हुआ है, अतः निर्गमित अंशों की संख्या शोधनीय ऋणपत्रों की राशि/निर्गम मूल्य के बराबर होगी।

II अंशों में परिवर्तन हेतु अधिमूल्य पर ऋणपत्रों का शोधन

(i) ऋणपत्र धारकों को देय राशि के लिए

x% ऋणपत्र खाता नाम
ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता नाम
ऋणपत्र धारक खाता

(ii) सममूल्य पर समता अंशों के निर्गम द्वारा ऋणपत्र धारकों की उन्मुक्ति हेतु

ऋणपत्र धारक खाता नाम
समता अंश पूंजी खाता

अथवा

(iii) अधिमूल्य पर समता अंशों के निर्गम द्वारा ऋणपत्र धारकों की उन्मुक्ति के लिए :

ऋणपत्र धारक खाता नाम

समता अंश पूंजी खाता

प्रतिभूति अधिमूल्य खाता

उदाहरण 25

स्वाति डिटर्जेंट लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. पर 90,00,000, 6% ऋणपत्र जारी किए, जो 4 वर्ष पश्चात् 10 रु. प्रति अंश के समता अंशों में परिवर्तन पर शोधनीय हैं। निर्गम और शोधन के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें। ब्याज के भुगतान की प्रविष्टि न दें।

हल

स्वाति डिटर्जेंट की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
निर्गम की तिथि पर	बैंक खाता नाम 6% ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता (90,00,000, 6% ऋणपत्रों पर 10 रु. की दर से आवेदन राशि प्राप्त)		90,00,00,000	90,00,00,000
निर्गम की तिथि पर	ऋणपत्र आवेदन का खाता नाम 6% ऋणपत्र खाता (आबंटन पर आवेदन 6% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		90,00,00,000	90,00,00,000
शोधन की तिथि पर	6% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्र धारकों को देय राशि)		90,00,00,000	90,00,00,000
शोधन की तिथि पर	ऋणपत्र धारक खाता नाम अंश पूँजी खाता (अंशों के निर्गम द्वारा देय राशि की उन्मुक्ति)		90,00,00,000	90,00,00,000

उदाहरण 26

ऋषि और निशी लिमिटेड ने 1 जुलाई, 2000 को प्रति ऋणपत्र 50 रु. के 88,00,000, 8% ऋणपत्र 5% अधिमूल्य पर निर्गमित किए जो परिवर्तन पर 30 जून, 2003 को 2 रुपए अधिमूल्य सहित 20 रु. प्रति अंश की दर से सममूल्य पर शोधनीय हैं। ऋणपत्रों के शोधन पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

ऋषि और निशी की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
2002 जुलाई 31	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता (88,00,000, 8% ऋणपत्र पर आवेदन राशि प्राप्त हुई)		46,20,00,000	 46,20,00,000
2003 जुलाई 31	ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता नाम 8% ऋणपत्र खाता प्रतिभूति अधिमूल्य खाता (आबंटन पर, आवेदन पर राशि 8% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		46,20,00,000	 44,00,00,000 2,20,00,000
2002 जुलाई 31	8% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्र धारक खाता (शोधन पर ऋणपत्र धारकों को देय राशि)		44,00,00,000	 44,00,00,000
जुलाई 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम अंश ऋणपत्र खाता प्रतिभूति अधिमूल्य खाता (अंशों के निर्गम द्वारा देय राशि का भुगतान)		44,00,00,000	 40,00,00,000 4,00,00,000

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. निर्गमित किए जाने वाले समता अंशों की संख्या

$$= \frac{\text{ऋणपत्र धारकों को देय राशि}}{\text{अंशों का अंकित मूल्य + ऋणपत्रों पर अधिमूल्य}}$$

$$= \frac{44,00,00,000}{(20+2)=22} = 2,00,00,000$$

2. अंश पूँजी (रु.) = $2,00,00,000 \times 20 = 40,00,00,000$

3. प्रतिभूति अधिमूल्य (रु.) = $2,00,00,000 \times 2 = 4,00,00,000$

उदाहरण 27

अभय तनेजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास प्रति ऋणपत्र 500 रु. के 45,00,000, 7% ऋणपत्रों का बकाया शेष है, जो 10% अधिमूल्य पर शोधनीय हैं। शोधन की शर्तों के अनुसार कंपनी ने 20% ऋणपत्रों का अंशों के परिवर्तन द्वारा 10% अधिमूल्य पर प्रति अंश 50 रु. की दर से शोधन किया है। शोधन के संबंध में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

अभय तनेजा कन्सट्रक्शन लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	7% ऋणपत्र खाता नाम		45,00,00,000	
	ऋणपत्र शोधन अधिमूल्य खाता नाम		4,50,00,000	
	ऋणपत्र धारक खाता			49,50,00,000
	(अधिमूल्य पर ऋणपत्रों के शोधन पर भुगतान देय)			
	ऋणपत्र धारक खाता नाम		49,50,00,000	
	अंश पूँजी खाता नाम			45,00,00,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता			4,50,00,000
	(अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों द्वारा देय राशि की उन्मुक्ति)			

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. अंशों की संख्या $= \frac{49,50,00,000}{(50+5)=55} = 90,00,000$

2. अंश पूँजी = $90,00,000 \times 55$ रु. = 45,00,00,000 रु.

3. प्रतिभूति अधिमूल्य = $90,00,000 \times 50$ रु. = 4,50,00,000 रु.

यदि शोधन हेतु परिवर्तन ऋणपत्र मूल रूप से बट्टे पर निर्गमित से निर्गमित किए गए हों तो इन ऋणपत्रों के निर्गम पर प्राप्त वास्तवितक राशि ऋणपत्र धारकों पर देय होगी। उनके दायित्वों को उन्मुक्ति अंश निर्गम के माध्यम से की जाएगी। यदि ऐसे ऋणपत्रों को ऋणपत्रों के अंकित मूल्य पर अंशो में परिवर्तित किया जाता है, तो अंशों का निर्गम समान बट्टे दर पर किया जाएगा। जिसपर ऋणपत्र मूलरूप से निर्गमित किए गए थे।

इसे निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है।

जील इंडिया लिमिटेड ने प्रति 100 रु. पर 1,00,000, 9% ऋणपत्र 6% बट्टे पर जारी किये जो 7 वर्ष पश्चात् समता अंशों में परिवर्तित होने पर शोधनीय हैं। ऋणपत्रों के शोधन के समय ऋणपत्र धारकों को 94,00,000 रु. के समता अंश दिये जाएंगे अर्थात ऋणपत्र निर्गम पर ऋणपत्र धारकों से प्राप्त धनराशि दी जाएगी न कि 1,00,00,000 रु. के समता अंश, क्योंकि यह अंश कंपनी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत बट्टे पर निर्गमित हुए थे।

उदाहरण 28

अंकित हार्डवेयर लिमिटेड ने अप्रैल 1, 2001 को 100 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से 2,00,000, 9% ऋणपत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए, जो 5 वर्ष पश्चात् समता अंशों पर परिवर्तन द्वारा शोधनीय हैं। ऋणपत्रों के निर्गम एवं शोधन पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

अंकित हार्डवेयर लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
2001 अप्रैल 1	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता (2,00,000, 9% ऋणपत्रों पर आवेदन राशि प्राप्त)		18,00,00,000	18,00,00,000
अप्रैल 1	ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता नाम ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा खाता नाम 9% ऋणपत्र खाता (बट्टे पर निर्गमित ऋणपत्र आवेदन राशि 9% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		18,00,00,000 2,00,00,000	20,00,00,000

2006 अप्रैल 1	9% ऋणपत्र खाता नाम बट्टे पर ऋणपत्र निर्गम खाता (ऋणपत्र धारकों को शोधन पर राशि देय जो कि निर्गम पर प्राप्त धनराशि के बराबर है)		20,00,00,000	2,00,00,000
अप्रैल 1	ऋणपत्र धारक खाता नाम बैंक खाता (ऋणपत्रों को देय राशि का भुगतान)		18,00,00,000	18,00,00,000

7.11 खुले बाजार क्रियाओं द्वारा ऋणपत्रों का शोधन

यदि कंपनी के अंतर्नियम अनुमति दें तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत् कंपनियों पर स्वयं अपने जारी किए गए ऋणपत्रों को अनुकूल मूल्यों पर खुले बाजार से क्रय करने और/अथवा रद्द करने की अनुमति देती है। जब कंपनी स्वयं अपने ऋणपत्रों को रद्द न करने के इरादे से क्रय करती है तो ऐसी स्थिति में इन्हें अन्य प्रपत्रों की भाँति ही समझा जाता है तथा तत्पश्चात् इन्हें अन्य प्रपत्रों के समान बाजार में बेचा जा सकता है। हालांकि, कंपनी ऋणपत्रों को निवेश उद्देश्य के लिए क्रय करती है किन्तु बाद में खुले बाजार में बेचने के बजाय रद्द करने का निर्णय भी ले सकती है। एक कंपनी अपने ऋणपत्रों को रद्द करने के इरादे से भी क्रय कर सकती है। यहाँ यह माना जाता है कि रद्द करने हेतु ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए कंपनी के पास ऋणपत्र शोधन संचय में पर्याप्त धनराशि है। ऋणपत्रों का क्रय निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

(अ) इन ऋणपत्रों पर देय ब्याज की तिथि पर

(ब) दो ब्याज तिथियों के मध्य तिथि पर

अत:, दोनों स्थितियों में उपार्जित अथवा अनउपार्जित ब्याज के कारणवश ऋणपत्रों के क्रय के संदर्भ में अलग लेखांकन व्यवहार होगा।

7.11.1 जब ऋणपत्र पर देय ब्याज तिथि पर ऋणपत्रों का क्रय किया जाता है

(अ) यदि ऋणपत्रों के क्रय के समय ब्याज देय होता है तो लेखांकन व्यवहार निम्न प्रकार किया जाएगा :

(i) जब ऋणपत्रों का क्रय निवेश उद्देश्य हेतु किया जाता है तो निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है :

स्वयं के ऋणपत्रों में निवेश खाता नाम
बैंक खाता

(ii) जब स्वयं के ऋणपत्रों को कुछ समय पश्चात् बाजार में बेचा जाता है

बैंक खाता नाम

स्वयं के ऋणपत्रों में निवेश खाता

अथवा

(iii) जब प्रपत्रों को क्रय मूल्य से कम पर बेचा जाता है

बैंक खाता नाम

प्रपत्रों के विक्रय पर हानि खाता नाम

स्वयं के ऋणपत्रों में निवेश खाता

अथवा

(iv) जब प्रपत्रों को क्रय मूल्य से अधिक राशि पर बेचा जाता है

बैंक खाता नाम

स्वयं के ऋणपत्रों में निवेश खाता

प्रपत्रों के विक्रय पर लाभ खाता

(ब) जब ऋणपत्र खुले बाजार से रद्द करने हेतु क्रय करने पर :

ऋणपत्रों को रद्द करने के लिए खुले बाजार से उनका क्रय संचालक मंडल द्वारा संकल्प पारित करके ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ दी जाती हैं :

(i) जब ऋणपत्रों को अंकित मूल्य पर क्रय किया जाता है

x% ऋणपत्र खाता नाम

स्वयं को ऋणपत्र में निवेश खाता

अथवा

(iv) जब प्रपत्रों को अंकित मूल्य से कम पर क्रय किया जाता है

x% ऋणपत्र खाता नाम

स्वयं का ऋणपत्र खाता

रद्द करने पर लाभ खाता

ऋणपत्रों को रद्द करने पर लाभ–हानि का यदि कोई शेष है तो, पूँजीगत संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है अथवा ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा/हानि को अपलिखित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टि दी जाती है :

रद्द करने पर लाभ खाता नाम

पूँजीगत संचय

अथवा

रद्द करने पर लाभ-खाता नाम
ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा/हानि खाता

उदाहरण 29

एल. जी. एम. लिमिटेड ने 500 रु. प्रति ऋणपत्र के स्वयं के 10,00,000, 9% ऋणपत्रों को प्रति ऋणपत्र 480 रु. की दर से क्रय किया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

एल. जी. एम. लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	स्वयं को ऋणपत्र खाता नाम बैंक खाता (स्वयं के ऋणपत्रों का 480 रु. की दर से क्रय)		48,00,00,000	 48,00,00,000
	9% ऋणपत्र खाता नाम स्वयं का ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्रों को रद्द करने पर लाभ खाता (स्वयं के ऋणपत्रों को क्रय और रद्द करना)		50,00,00,000	 48,00,00,000 2,00,00,000
	ऋणपत्रों को रद्द करने पर लाभ खाता नाम पूँजीगत संचय (रद्द करने पर लाभ का पूँजींगत संचय में हस्तांततरण)		2,00,00,000	 2,00,00,000

उदाहरण 30

अप्रैल 1, 2003 को गेज़ इण्डिया लिमिटेड के पास प्रति ऋणपत्र 200 रु. के 11,00,000, 10% बकाया ऋणपत्र हैं। संचालक मंडल ने स्वयं के 20% ऋणपत्रों को रद्द करने का निर्णय लिया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

एल. जी. एम. लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
	स्वयं को ऋणपत्र खाता नाम बैंक खाता (स्वयं के ऋणपत्रों का 200 रु. की दर से क्रय)		4,40,00,000	 4,40,00,000
	10% ऋणपत्र खाता नाम स्वयं का ऋणपत्र खाता नाम (क्रय हुए स्वयं ऋणपत्रों को रद्द किया)		4,40,00,000	 4,40,00,000

उदाहरण 31

साहिल लिमिटेड के पास प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 40,00,000 बकाया 8% ऋणपत्र हैं तथा ऋणपत्र शोधन संचय में वैधानिक माँग की पूर्ति हेतु पर्याप्त धनराशि है। कंपनी के संचालक मंडल ने 1,00,000 ऋणपत्रों को 90 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से निवेश उद्देश्य के लिए क्रय करने का निर्णय लिया। किन्तु कुछ ही माह पश्चात् संचालक मंडल ने इन ऋणपत्रों को 105 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से बाजार में बेचने का निर्णय लिया। उपर्युक्त लेनदेनों ने लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

साहिल लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक	विवरण	ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
	स्वयं के ऋणपत्र में निवेश खाता नाम बैंक खाता (निवेश के लिए ऋणपत्रों का क्रय)		96,00,000	 96,00,000
	बैंक खाता नाम प्रपत्रों के विक्रय पर लाभ खाता प्रपत्र खाता (स्वयं के ऋणपत्रों का लाभ पर विक्रय)		1,05,00,000	 9,00,000 96,00,000

	स्वयं के ऋणपत्रों में निवेश विक्रय पर लाभ खाता नाम लाभ-हानि खाता (प्रपत्रों के विक्रय पर लाभ, लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		9,00,000	9,00,000

7.11.2 जब ऋणपत्रों का क्रय देय ब्याज तिथि के अतिरिक्त अन्य दिन किया जाता है

यह मान लिया गया है कि ऋणपत्रों को तत्काल ब्याज भुगतान तिथि के पश्चात् क्रय किया गया है, अतः, ऋणपत्रों के क्रय तिथि पर कोई उपार्जित ब्याज राशि देय नहीं है। हालांकि वास्तविक जीवन में यह संभव नहीं है क्योंकि कंपनी बाजार में प्रचलित मूल्यों से प्रभावित होगी, जो कि उसके लिए अनुकूल है। ऐसी स्थिति में, कंपनी बाजार में ऋणपत्रों का क्रय केवल तभी करती है, जब वह कंपनी के लिए लाभकारी हो। ब्याज के अंतिम भुगतान की तिथि से लेकर क्रय की तिथि तक पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखा जाता है।

7.11.2.1 ब्याज रहित एवं ब्याज सहित उद्धरण

ब्याज रहित एवं ब्याज सहित की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब ऋणपत्रों का क्रय ब्याज की देय तिथि के अतिरिक्त किसी अन्य दिन किया जाता है। इस स्थिति में, भुगतान की गई कुल राशि को पूँजीगत भाग (वास्तविक मूल्य) और आयगत भाग (गत तिथि से लेकर क्रय तिथि तक पर अर्जित ब्याज) अर्थात् समाप्त समयावधि पर ब्याज, में बाँटा जाता है। अतः, यह जानना आवश्यक है कि क्रय मूल्य में अर्जित ब्याज राशि को सम्मिलित किया गया है कि नहीं। यदि क्रय मूल्य में अर्जित ब्याज राशि सम्मिलित नहीं है तो उसे ब्याज रहित मूल्य कहा जाता है, जो कि ऋणपत्रों के भुगतान का वास्तविक मूल्य है। यदि अर्जित ब्याज राशि को सम्मिलित किया जाता है तो उसे ब्याज सहित मूल्य कहते हैं, जो ऋणपत्रों के क्रय करने हेतु कुल राशि होती है। अतः उपर्युक्त कथन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए जा सकते है :

1. वास्तविक मूल्य = ब्याज सहित मूल्य
2. वास्तविक मूल्य + अर्जित ब्याज = ब्याज सहित मूल्य
3. कुल भुगतान किया गया = ब्याज सहित मूल्य
4. कुल भुगतान किया गया = वास्तविक मूल्य + अर्जित ब्याज

इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अभिलेखित की जाती हैं :

(i) स्वयं के ऋणपत्रों के क्रय पर वास्तविक मूल्यों का भुगतान अर्थात् ब्याज रहित या ब्याज सहित

स्वयं को ऋणपत्र खाता	नाम	(वास्तविक मूल्य)
ऋणपत्रों पर ब्याज खाता	नाम	(अर्जित ब्याज)
बैंक खाता		(भुगतान की गई कुल राशि)

(ii) ब्याज रहित/ब्याज सहित क्रय किए गए ऋणपत्रों को रद्द किए जाने पर

x% ऋणपत्र खाता	नाम	(ऋणपत्रों का अंकित मूल्य)
स्वयं को ऋणपत्र खाता		(वास्तविक मूल्य)
रद्द करने पर लाभ खाता		(वास्तविक मूल्य, और अंकित मूल्य का अंतर)

(अ) जब ऋणपत्रों का क्रय तत्काल रद्दीकरण के लिए किया जाता है : जब ऋणपत्रों का क्रय तत्काल रद्दीकरण के लिए किया जाता है तब शेष ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान, ब्याज देय होने पर किया जाता है।

उदाहरण 32

अप्रैल 1, 2002 को डोरस्टेप डिलेवरी लि. के पास 100 रु. प्रति ऋणपत्र के 1,00,000, 9% ऋणपत्र बकाया हैं। प्रति वर्ष मार्च 31 और सितंबर 30 को ब्याज का भुगतान किया जाता है। जुलाई 1, 2002 को कंपनी ने 97 रु. (ब्याज सहित) के 8,000 ऋणपत्र तत्काल रद्द करने हेतु क्रय किए। सितंबर 30, 2002 को ऋणपत्रों के क्रय, रद्दीकरण एवं ब्याज के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दें।

हल

डोर स्टेप डिलेवरी लि.

रोजनामचा

दिनांक 2002	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
जुलाई 1	स्वयं के ऋणपत्र खाता	नाम		7,58,000	
	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता	नाम		18,000	
	बैंक खाता				7,76,000
	(स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय)				
जुलाई 1	9% ऋणपत्र खाता	नाम		8,00,000	
	स्वयं के ऋणपत्र खाता				7,58,000
	रद्दीकरण पर लाभ खाता				42,000
	(स्वयं के ऋणपत्रों का रद्दीकरण)				

सित.30	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता	नाम		4,14,000[1]	
	ऋणपत्र धारक खाता				4,14,000
	(ऋणपत्रों पर ब्याज देय)				
	ऋणपत्र धारक खाता	नाम		4,14,000	
	बैंक खाता				4,14,000
	(देय बयाज का ऋणपत्र धारकों को भुगतान)				
सित.30	लाभ व हानि खाता	नाम		4,32,000	
	ऋणपत्रो पर ब्याज खाता				4,32,000
	(मध्यवर्ती ब्याज के भुगतान पर)				

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. ऋणपत्रों पर ब्याज $= 92,00,000$ रु. $\times \frac{9}{100} \times \frac{6}{12} = 4,14,000$ रु.

(ब) वर्ष के अंत में ऋणपत्रों का क्रय एवं रद्दीकरण : ऐसी स्थिति में बाहरी व्यक्तियों द्वारा धारित ऋणपत्रों पर देय ब्याज की राशि से ऋणपत्र पर ब्याज को नाम उस तिथि से किया जाता है, जबसे अंतिम ब्याज का भुगतान किया गया है।

उदाहरण 33

अप्रैल 1, 2002 को क्रिप्टन इंडिया लि. के पास 100 रु. प्रति ऋणपत्र के 1,00,000, 9% ऋणपत्र बकाया हैं। कंपनी प्रत्येक वर्ष सितंबर 30 और मार्च 31 को ब्याज का भुगतान करती है। कंपनी मई 1, 2002 को 96 रु. की दर से (ब्याज रहित) 10,000 ऋणपत्रों का क्रय करती है। वह पुनः जनवरी 1, 2003 को 98 रु. की दर से (ब्याज सहित) 2,000 ऋणपत्रों का क्रय करती है। समस्त ऋणपत्रों को मार्च 31, 2003 को रद्द कर दिया जाता है। ऋणपत्रों के क्रय, ब्याज के भुगतान तथा रद्दीकरण हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दें।

हल

क्रिप्टन इंडिया लि.

रोजनामचा

दिनांक	विवरण		ब.पृ.सं.	नाम राशि रु.	जमा राशि रु.
2002					
मई 1	स्वयं के ऋणपत्र खाता	नाम		9,60,000	
	स्वयं ऋणपत्रों पर ब्याज खाता	नाम		7,500	
	बैंक खाता				9,67,500
	(स्वयं के ऋणपत्रों क्रय)				
सितं 30	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता	नाम		4,42,500	
	ऋणपत्र धारक खाता				4,05,000
	स्वयं ऋणपत्रों पर ब्याज खाता				37,500
	(ऋणपत्रों पर ब्याज देय)				
सितं 30	ऋणपत्र धारक खाता	नाम		4,05,000	
	बैंक खाता				4,05,000
	(ऋणपत्र धारको का ब्याज का भुगतान)				
2003					
जन. 1	स्वयं के ऋणपत्र खाता	नाम		1,91,500	
	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता	नाम		4,500	
	बैंक खाता				1,96,000
	(स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय)				
मार्च 31	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता	नाम		4,45,500	
	ऋणपत्र धारक खाता				3,96,000
	स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज				49,500
	(ऋणपत्रों पर बयाज देय)				
मार्च 31	ऋणपत्र धारक खाता	नाम		3,96,000	
	बैंक खाता				3,96,000
	(ऋणपत्र धारकों को ब्याज का भुगतान)				
मार्च 31	स्वयं ऋणपत्र पर ब्याज खाता	नाम		87,000	
	लाभ व हानि खाता	नाम			87,000
	(ऋणपत्रों पर ब्याज लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)				
मार्च 31	लाभ व हानि खाता	नाम		87,000	
	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता				87,000
	(ऋणपत्रों पर ब्याज हस्तांतरित)				

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. मई 1, 2002

   (i) क्रय किए गए ऋणपत्रों पर अर्जित ब्याज $= 10{,}000 \times 100 \times \frac{9}{100} \times \frac{1}{12} = 7{,}500$ रु.

2. सितम्बर 30, 2002

   (i) ऋणपत्रों पर ब्याज $= 90{,}000$ रु. $\times 100 \times \frac{9}{100} \times \frac{6}{12} = 4{,}05{,}000$ रु.

   (ii) स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज $= 10{,}000$ रु. $\times 100 \times \frac{9}{100} \times \frac{5}{12} = 37{,}500$ रु.

3. मार्च 31, 2003

   (i) ऋणपत्रों पर ब्याज $= 88{,}00{,}000$ रु. $\times \frac{9}{100} \times \frac{6}{12} = 3{,}96{,}000$ रु.

   (ii) बाहरी व्यक्तियों द्वारा $= 10{,}000$ रु. $\times \frac{9}{100} \times \frac{6}{12} = 45{,}000$ रु.

उदाहरण 34

जील इंडिया लिमिटेड ने 1 अगस्त, 2002 को 10,000 रु. के ऋणपत्र ब्याज सहित 95 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से क्रय किए, जिनकी ब्याज तिथि 31 मार्च और 30 सितंबर है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें, यदि ऋणपत्रों का क्रय रद्द करने हेतु किया गया है।

हल

जील इंडिया लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*		*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
	स्वयं के ऋणपत्र खाता	नाम		9,500	
	बैंक खाता				9,500
	(ऋणपत्रों का क्रय)				
	9% ऋणपत्र खाता	नाम		10,000	
	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता	नाम		300	
	स्वयं का ऋणपत्र खाता				9,500
	ऋणपत्र रद्द करने पर लाभ खाता				800
	(रद्द करने पर ऋणपत्रों का क्रय)				
	रद्द करने पर लाभ खाता	नाम		800	
	पूँजी खाता				800
	(लाभ की राशि पूँजीगत संचय में हस्तांतरित)				

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. समाप्त हुई समयावधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2002 से 31 जुलाई, 2002 की राशि क्रय मूल्य में सम्मिलित है।

2. समाप्त हुई समयावधि पर ब्याज अथवा उपार्जित ब्याज 1,40,000 रु. $\times \frac{9}{100} \times \frac{4}{12}$ = 300 रु.

3. ऋणपत्रों के लिए भुगतान = 100 रु. × 95 रु. = 9,500 रु.

   (9,500 रु. में वास्तविक मूल्य शामिल है (पूँजीगत भाग) अर्थात् (9,500 रु. – 300 रु.) = 9,200 रु. और 300 रु. आयगत भाग के लिए है अर्थात् समाप्त हुई समयावधि पर ब्याज)।

4. शोधन पर लाभ = ऋणपत्रों का अंकित मूल्य – ऋणपत्रों का वास्तविक मूल्य

   = 10,000 रु. – 9,200 = 800 रु.

उदाहरण 35

ध्रुव इंडिया लिमिटेड ने 1 मार्च, 2002 को 100 रु. प्रति ऋणपत्र पर 10,000 रु. के 12% ऋणपत्र ब्याज रहित 25 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से क्रय किए, जिनकी देय ब्याज की तिथि 30 जून और 31 दिसंबर है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें, यदि ऋणपत्रों को रद्द करने के लिए क्रय किया गया है।

हल

ध्रुव इंडिया लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
	स्वयं के ऋणपत्र खाता नाम बैंक खाता (स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय)		38,800	 38,800
	12% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्रों पर ब्याज खाता नाम स्वयं का ऋणपत्र खाता ऋणपत्र रद्द करने पर लाभ खाता (ब्याज रहित क्रय किए गए ऋणपत्र को रद्द किया गया)		40,000 800	 38,800 2,000
	रद्द करने पर लाभ खाता नाम पूंजीगत संचय खाता (लाभ की राशि पूंजीगत संचय में हस्तांतरित)		2,000	 2,000

हल के संदर्भ में टिप्पणी

1. समाप्त हुई समयावधि के लिए ब्याज अर्थात् 1 जनवरी से 1 मार्च, 2002 को देय ब्याज राशि को क्रय मूल्य में शामिल नहीं किया गया है। अतः, ब्याज की इस राशि को ऋणपत्र के क्रय मूल्य में अलग रूप से जोड़ा जाएगा।

2. समाप्त हुई समयावधि पर ब्याज 40,000 रु. $\times \frac{12}{100} \times \frac{2}{12} = 800$ रु.

3. ऋणपत्रों के लिए मूल्य का भुगतान = 400 रु. × 95 रु. = 38,000 रु.

4. ऋणपत्रों के क्रय पर कुल देय राशि + वास्तविक मूल्य + समाप्त हुई समयावधि के लिए ब्याज

   38,000 रु. + 800 रु. = 38,800 रु.

   शोधन पर लाभ = 40,000 रु. − 38,000 = 2,000 रु.

7.11.3 स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज

जब स्वयं के ऋणपत्रों पर देय ब्याज की परवर्ती तिथि पर कंपनी रद्द करने हेतु ऋणपत्र क्रय करती है तो उसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है :

(अ) स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज को स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज खाते में जमा और ऋणपत्रों पर ब्याज खाते में नाम किया जाता है। वर्ष के अंत में जब लेखा पुस्तकें बंद की जाती हैं तब स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज खाते लाभ व हानि खाते के जमा पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, स्वयं के ऋणपत्रों को निक्षेप निधि प्रपत्र का भाग माना जाता है, अतः स्वयं के ऋणपत्र दर ब्याज खाते को निक्षेप विधि खाते में जमा कर दिया जाता है।

(ब) बाहरी व्यक्तियों के पास ऋणपत्र पर ब्याज राशि को ऋणपत्र धारक खाते में जमा और लाभ व हानि खाते में नाम किया जाता है। ब्याज के भुगतान पर, ऋणपत्र धारक खाते को नाम और बैंक खाते को जमा किया जाता है।

लेखांकन व्यवहार

1. ऋणपत्र पर देय ब्याज के लिए

ऋणपत्र ब्याज खाता	नाम	(कुल ब्याज देय)
ऋणपत्र धारक खाता		(बाहरी व्यक्तियों ऋणपत्रों पर ब्याज देय)
स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज खाता		(कंपनी द्वारा स्वयं के ऋणपत्रों पर देय ब्याज राशि)

2. *ऋणपत्र धारकों को ब्याज के भुगतान पर*

ऋणपत्र धारक खाता नाम (बाहरी व्यक्तियों को ब्याज का भुगतान)

बैंक खाता

3. *ब्याज को लाभ व हानि खाते के हस्तांतरण पर*

स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज खाता नाम

लाभ व हानि खाता

उदाहरण 36

के. एम. लिमिटेड की 1,50,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी है, जिसे प्रति अंश 10 रु. के समता अंशों में विभाजित किया गया है। 31 मार्च, 2003 को कंपनी का तुलन-पत्र इस प्रकार था।

31 मार्च, 2003 को कंपनी का तुलन-पत्र

दायित्व	*राशि* रु.	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि* रु.
अंश पूँजी	50,00,000	स्थायी परिसंपत्तियाँ	60,00,000
(निर्गमित व पूर्णतया चुकता पूँजी)		चालू परिसंपत्तियाँ	15,00,000
सामान्य संचय	10,00,000	स्वयं के ऋणपत्र	4,50,000
8% ऋणपत्र	20,00,000	(5,00,000 रु. का अंकित मूल्य)	
विविध लेनदार	10,00,000	बैंकस्थ रोकड़	10,50,000
		फर्नीचर	
योग	**90,00,000**		**90,00,000**

कंपनी ने निम्नलिखित निर्णय लिए :

(i) 30 सितबंर, 2003 को 8% ऋणपत्रों का शोधन तथा स्वयं के ऋणपत्रों को रद्द करने के लिए।

(ii) शोधन की तिथि पर ऋणपत्र धारकों को ब्याज का भुगतान।

उपर्युक्त लेनदनों के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

के. एल. एम. लिमिटेड की पुस्तक
रोजनामचा

दिनांक 2003	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि रु.*	*जमा राशि रु.*
सित. 30	8% ऋणपत्र खाता नाम		15,00,000	
	ऋणपत्र धारक खाता			15,00,000
	(शोधन पर धनराशि देय)			
	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता नाम		1,60,000	
	ऋणपत्र धारक खाता			1,20,000
	स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज खाता			40,000
	(बकाया ऋणपत्रों पर ब्याज राशि देय, जिसमें निवेश के रूप में स्वयं के ऋणपत्र भी सम्मिलित हैं)			
	ऋणपत्र धारक खाता नाम		1,20,000	
	बैंक खाता			1,20,000
	(ऋणपत्र धारकों को ब्याज का भुगतान)			
	स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज खाता नाम		40,000	
	लाभ व हानि खाता			40,000
	(स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज राशि लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)			
	लाभ व हानि खाता नाम		1,60,000	
	ऋणपत्रों पर ब्याज खाता			1,60,000
	(ऋणपत्रों पर ब्याज राशि लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)			
	8% ऋणपत्र खाता नाम		5,00,000	
	स्वयं का ऋणपत्र खाता			4,50,000
	ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ खाता			50,000
	(स्वयं के ऋणपत्रों को रद्द किया गया)			
	ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ नाम		50,000	
	पूँजीगत संचय खाता			50,000
	(ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ पूँजीगत संचय में हस्तांतरित)			

7.11.4 मंदी व तेजी विकल्प

ऋणपत्रों के निर्गम के शर्तानुसार, कंपनी के पास परिपक्वता तिथि से पूर्व प्रयुक्त मूल्य पर ऋणपत्रों को निष्क्रिय करने का अधिकार होता है। कंपनी इन शर्तों के अंतर्गत, ऋणपत्र धारकों को यह अधिकार दे सकती है कि वे परिपक्वता तिथि से पूर्व प्रयुक्त मूल्य पर अपने ऋणपत्रों को निष्क्रिय करा सकें। प्रथम स्थिति को मंदी विकल्प और बाद की स्थिति को तेजी विकल्प कहते हैं जब विकल्प (मंदी अथवा तेजी) को प्रयुक्त किया जाता है तो निष्क्रित ऋणपत्रों का भुगतान नकदी में प्रयुक्त मूल्य के बराबर धनराशि पर ही किया जाता है।

इस संदर्भ में लेखांकन प्रविष्टियाँ नकदी पर ऋणपत्रों के शोधन के समान होती हैं, जिनका विवरण पिछले खंडों में किया जा चुका है।

उदाहरण 37

जे. एम. के. इंडिया लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 10,00,000, 7% ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित किए, जिनका शोधन 10 वर्ष पश्चात् सममूल्य पर किया जाएगा। इन ऋणपत्रों को 4 वर्ष पश्चात् 102 रु. से प्रयुक्त मूल्य पर माँगा जा सकता है। पाँच वर्षों के पश्चात्, कंपनी की 25,00,000 रु. के अंकित मूल्य पर ऋणपत्रों पर शोधन हेतु माँग की आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

जे. एम. के. इंडिया लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
निर्गम की तिथि पर	बैंक खाता 7% ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता (स्वयं के ऋणपत्र 480 रु. की दर से क्रय किए गए)	नाम	10,00,00,000	10,00,00,000
	7% ऋणपत्र आवेदन पर खाता नाम 7% ऋणपत्र खाता (आबंटन पर आवेदन राशि 7% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		10,00,00,000	10,00,00,000
ऋणपत्रों को रद्द करने की तिथि पर	7% ऋणपत्र खाता नाम शोधन पर हानि खाता बैंक खाता (लाभ की राशि पूँजीगत संचय में हस्तांतरित)		25,00,000 50,000	25,50,000
	लाभ व हानि खाता नाम शोधन पर हानि खाता (शोधन पर हानि-लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		50,000	50,000

उदाहरण 38

चार्ली लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 4,00,000, 9% ऋणपत्र निर्गमित किए, जो 8 वर्ष पश्चात् शोधनीय हैं। ऋणपत्र धारकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे $3\frac{1}{2}$ वर्षों के पश्चात् अपने ऋणपत्रों को 105 रु. प्रति ऋणपत्र की दर से निष्क्रित करा सकते हैं।

चौथे वर्ष की समाप्ति पर, 20,000 ऋणपत्रों के धारकों ने शोधन हेतु विकल्प को प्रयुक्त किया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

हल

चार्ली लिमिटेड की पुस्तक

रोजनामचा

दिनांक	*विवरण*	*ब.पृ.सं.*	*नाम राशि* रु.	*जमा राशि* रु.
निर्गम की तिथि पर	बैंक खाता नाम ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता (आवेदन राशि प्राप्त)		4,00,00,000	 4,00,00,000
आबंटन की तिथि पर	ऋणपत्र आवेदन पत्र खाता नाम 9% ऋणपत्र खाता (आबंटन पर आवेदन राशि 7% ऋणपत्र खाते में हस्तांतरित)		4,00,00,000	 4,00,00,000
विकल्प प्रयुक्त करने की तिथि पर	9% ऋणपत्र खाता नाम ऋणपत्रों के शोधन पर हानि खाता नाम बैंक खाता (मंदी विकल्प पर ऋणपत्रों की माँग)		20,00,000 1,00,000	 21,00,000
	लाभ व हानि खाता नाम ऋणपत्रों के शोधन पर हानि खाता (शोधन पर हानि, लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित)		1,00,000	 1,00,000

अध्याय में प्रयुक्त शब्द

- ऋणपत्र
- प्रभार
- चल प्रभार
- डीप डिस्काऊंट बॉण्ड
- ब्याज रहित
- निर्गम पर बट्टा/हानि
- परिवर्तनीय ऋणपत्रों का शोधन
- लॉटरी द्वारा शोधन
- ब्याज सहित
- बंधपत्र
- कूपन दर
- प्रथम प्रभार
- न्यास विलेख
- ऋणपत्रों का शोधन
- खुले बाजार में ऋणपत्रों का क्रय ब्याज रहित
- मंदी व तेजी विकल्प
- एकमुश्त भुगतान
- अधिपत्र
- स्थायी प्रभार
- द्वितीय प्रभार
- सामपाश्विक प्रतिभूति
- स्थगित ब्याज व्यय
- लाभ में से ऋणपत्रों का शोधन
- स्वयं के ऋणपत्र
- क्रय प्रतिफल

अधिगम उद्देश्यों के संदर्भ में सारांश

ऋणपत्र : एक प्रकार की ऋणपूँजी है, जिसे कंपनी आम जनता से दीर्घगामी ऋण के रूप में उठाती है। ऋणपत्र लिए गए ऋण का एक प्रमाण-पत्र है। वह व्यक्ति जिसके पास ऋणपत्र होते हैं, ऋणपत्र धारक कहलाते हैं।

बंधपत्र : ऋणपत्र के ही समान होते हैं। इसमें और ऋणपत्र में केवल निर्गम की शर्तों के आधार पर अंतर किया जाता है, अर्थात् बंधपत्रों को पूर्वनिर्धारित ब्याज दर के बगैर निर्गमित किया जा सकता है, जैसे कि डीप डिस्काऊंट बांड की स्थिति में।

प्रभार : न्यास विलेख के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति करने हेतु एक भार है जिसके अंतर्गत कंपनी किसी विशिष्ट भाग को बंधक रखने हेतु प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार पर अपनी स्वीकृति देती है। प्रथम प्रभार से आशय ऋण के भुगतान के लिए प्राथमिकता से है। वे व्यक्ति जो प्रथम प्रभार रखते हैं, उन्हें परिसंपत्ति के विक्रय से प्राप्त वसूली मूल्य पर सर्वप्रथम अधिकार रखते हैं। यदि कोई अधिशेष रहता है तो द्वितीय प्रभार का भुगतान किया जाता है।

ऋणपत्रों के प्रभार : ऋणपत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं : सुरक्षित और असुरक्षित शोधनीय और अशोधनीय परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, शून्य कूपन दर व विशिष्ट दर।

ऋणपत्रों के निर्गम : यदि ऋणपत्र का निर्गम मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है तो उसे सममूल्य पर निर्गमित ऋणपत्र कहते हैं। यदि निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है तो उसे अधिमूल्य पर निर्गमित ऋणपत्र कहते हैं। यदि निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तो उसे बट्टे पर निर्गमित ऋणपत्र कहते हैं। अधिमूल्य राशि को 'ऋणपत्र अधिमूल्य खाते' में जमा किया जाता है। बट्टा/हानि को ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा/हानि खाते में नाम किया जाता है और आगामी वर्षों के दौरान अपलिखित किया जाता है।

ब्याज विलेख : यह दस्तावेज है, जिसे कंपनी ऋणपत्र धारियों के हितों की रक्षा के लिए न्यासियों की नियुक्ति हेतु तैयार करती है।

ऋणपत्रों पर ब्याज : कंपनी द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर नियुक्तिकालित ब्याज दिया जाता है। ब्याज राशि का निरंतर भुगतान किया जाता है तथा यह आमदनी पर प्रभार होता है।

अभिप्रायात्मक ब्याज दर : वह ब्याज दर, जिस पर यदि निर्गम मूल्य को यौगिक किया जाए, तो वह शोधन के समय परिपक्वता मूल्य के बराबर हो जाएगी।

नकदी के अतिरिक्त ऋणपत्रों का निर्गम : कभी-कभी स्वत्वाधिकार, एकस्व के पूर्तिकर्ताओं और बौद्धिक परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर बगैर नकदी के ऋणपत्र जारी किए जाते हैं जिसे नकदी के अतिरिक्त ऋणपत्रों का निर्गम कहा जाता है।

क्रय प्रतिफल : वह राशि जिसका भुगतान परिसंपत्ति/व्यवसाय का क्रय करने वाली कंपनी किसी दूसरी व्यापारिक संस्था को करती है।

सामपाश्विक प्रतिभूति : मूलभूत प्रतिभूति के अतिरिक्त अन्य बंधक रखी गई प्रतिभूति को सामपाश्विक प्रतिभूति कहते हैं।

ऋणपत्रों का शोधन : कंपनी द्वारा ऋण के भुगतान के दायित्व की उन्मुक्ति को ऋणपत्रों का शोधन कहा जाता है। सामान्यतया, शोधन किसी नियत अवधि की समाप्ति पर शर्तानुसार किया जाता है।

शोधन की विधियाँ : ऋणपत्रों को चार विधियों द्वारा निष्क्रित किया जाता है : एकमुश्त विधि, लॉटरी द्वारा, खुले बाजार से क्रय पर परिवर्तन द्वारा।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सत्य/असत्य बताएँ

   (i) कंपनी स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय नहीं कर सकती है।

   (ii) ऋणपत्र शोधन निक्षेप निधि-प्रपत्रों पर ब्याज को लाभ व हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है।

   (iii) ऋणपत्रों पर ब्याज केवल लाभ अर्जन की दशा में दिया जाता है।

   (iv) ऋणपत्रों के निष्क्रित होने पर ऋणपत्र शोधन संचय को पूँजीगत संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

   (v) शून्य कूपन अधिपत्रों को विशेष दर के बगैर निर्गमित किया जाता है।

   (vi) डीप डिस्काऊंट बांड को सामान्यतया परिपक्वता राशि से कम मूल्य पर निर्गमित किया जाता है।

   (vii) ऋणपत्रों में निवेश का शोधन की शर्तों से कोई संबंध नहीं होता है।

   (viii) कंपनी की परिसंपत्तियों पर ऋणपत्रों द्‌वारा भारित प्रभार ऋणपत्र धारकों को उस स्थिति में भी परिसंपत्तियों का अधिकार प्रदान करता है जब समस्त निहित शर्तों के अनुसार उनका भुगतान कर दिया गया हो।

   (ix) कंपनी की परिसंपत्तियों पर ऋणपत्रों द्‌वारा रक्षित अस्थायी प्रभार उनके धारकों को ऐसी परिसंपत्तियों के विक्रय के समय प्रथम प्रभार धारकों पर प्राथमिकता पर अधिकार देता है।

   (x) कूपन दर ऋणपत्रों पर विशेष ब्याज दर की ओर संकेत करता है।

   (xi) ऋणपत्र न्यासकर्त्ताओं की नियुक्ति ऋणपत्र जारी करने वाली कंपनियों के हितों को सुरक्षित रखता है।

   (xii) ऋणपत्रों का निर्गम कूपन दर के बगैर भी किया जा सकता है।

   (xiii) मूलभूत और समपाश्विक प्रतिभूति का स्वरूप एक ही होता है।

   (xiv) ऋणपत्रों के निर्गम पर बट्‌टा/हानि को अपलिखित करना अनिवार्य नहीं है।

   (xv) ऋणपत्रों के शोधन से तात्पर्य ब्याज के भुगतान से है।

   (xvi) जब कभी ऋणपत्र लाभ में से निष्क्रित किए जाते हैं तब उसके बराबर राशि को ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित किया जाता है।

(xvii) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों अंतर्गत शोधन से पूर्व कंपनी द्वारा ऋणपत्र निर्गम के 50% के बराबर राशि को ऋणपत्र शोधन संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(xviii) 18 माह की परिपक्वता अवधि के लिए निर्गमित ऋणपत्रों के लिए ऋणपत्र शोधन संचय बनाया जाता है।

(xix) किसी भी व्यक्ति को ऋणपत्र न्यासी बनाया जा सकता है।

(xx) यदि परिवर्तन द्वारा ऋणपत्रों का शोधन होता है तब भी ऋणपत्र शोधन संचय तैयार किया जाता है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

2. ऋणपत्र किसे कहते हैं ?
3. न्यास विलेख से आप क्या समझते हैं ?
4. 'न्यास विलेख' के न्यासी कौन हो सकते हैं ?
5. विभिन्न प्रकार के ऋणपत्रों को सूचीबद्ध करें ?
6. नकदी से अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋणपत्रों के निर्गम से क्या तात्पर्य है ?
7. ऋणपत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं ?
8. मंदी और तेजी विकल्प से आप क्या समझते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. समपाश्विक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों के निर्गम से आप क्या समझते हैं ? इसके लेखांकन व्यवहार को बताएँ ?
10. ऋणपत्रों के संदर्भ में ''न्यास विलेख'' पर टिप्पणी दें ?
11. आप स्थगित ब्याज व्यय से क्या समझते हैं। अभिप्रायात्मक ब्याज की गणना की विधि बताएँ?
12. ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा/हानि क्या है ? क्या इसका अपलेखन अनिवार्य है ? प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाने वाली राशि की गणना करें ?
13. सममूल्य पर अंशों का निर्गम और अधिमूल्य पर शोधन से आप क्या समझते हैं ?
14. ऋणपत्रों के शोधन के लिए वित्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ?
15. परिवर्तन विधि द्वारा शोधन से आशय क्या है। साथ ही इस संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।
16. स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज के लेखांकन व्यवहार की व्याख्या करें।

17. ब्याज रहित और ब्याज सहित पर लघु टिप्पणी दें।
18. खुले बाजार कार्यकलापों द्वारा ऋणपत्रों के क्रय पर लघु टिप्पणी दें।

ऋणपत्रों का निर्गम

19. गुडविल इंडिया लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 50 रु. के 75,00,000, 5% ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित किए, जो 15 रु. आवेदन पर और 35 रु. आबंटन पर देय हैं तथा 7 वर्ष पश्चात् शोधनीय हैं। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।
20. स्मृति लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 50,00,000, 8% ऋणपत्र निर्गमित किए, जो केवल आवेदन पर देय हैं और छः वर्ष पश्चात् सममूल्य पर शोधनीय हैं। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।
21. अनुश्री लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 50 रु. के 90,00,000, 9% ऋणपत्र 8% बट्टे पर जारी किए, जो सममूल्य पर नौ वर्ष पश्चात् शोधनीय हैं। अनुश्री लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।
22. रोहण केमिकल्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में स्थित है 1 अप्रैल, 2003 को प्रति ऋणपत्र के 1,00,00,000, 10% ऋणपत्र 10% ऋणपत्र अधिमूल्य पर निर्गमित किए, जो 40 रु. आवेदन पर और 40 रु. आबंटन पर देय हैं। ऋणपत्रों का शोधन 31 मार्च, 2010 को किया जाएगा। यह मानते हुए कि सभी ऋणपत्र पूर्णतया अभित्त किए गए और समस्त राशि पूर्णतया प्राप्त की गई, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।
23. ट्रेडिशनल प्रॉडक्ट्स लिमिटेड ने 30 जून, 2002 को प्रति ऋणपत्र 500 रु. के 2,00,000, 8% ऋणपत्र 10% अधिमूल्य पर निर्गमित किए, जो आवेदन पर 200 रु. (अधिमूल्य सहित) और शेष आबंटन पर देय हैं और जिनका शोधन पश्चात् किया जाएगा। आवेदन 3,00,000 ऋणपत्रों के लिए किया गया और आनुपातिक आधार पर आबंटन किया गया। आवेदन और आबंटन पर समस्त राशि प्राप्त हुई। ऋणपत्रों के निर्गम पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।
24. आत्म कॉस्मेटिक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 2003 को प्रति ऋणपत्र 1,000 रु. के 5,00,000, 9% ऋणपत्र निर्गमित किए, जो 10 वर्ष पश्चात् 8% अधिमूल्य की शर्तों के अनुसार 400 रु. आवेदन पर और शेष राशि आबंटन पर देय है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।
25. रिचटैक्ट लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 200 रु. के 20,00,000, 10% ऋणपत्र 7% बट्टे पर निर्गमित किए, जिनका शोधन 8% अधिमूल्य पर 9 वर्ष पश्चात् किया जाएगा। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।
26. मधु एग्रोटेक्ट ने 40,000 शून्य कूपन अधिपत्र 1,000 रु. के अंकित मूल्य पर निर्गमित किए, जो 7 वर्ष पश्चात् 583 रु. के निर्गम मूल्य पर परिपक्व होंगे। इस संदर्भ में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें तथा कंपनी की पुस्तकों में ब्याज का लेखांकन व्यवहार अभिलेखित करें।

27. मोंगा लिमिटेड ने सीता लिमिटेड की 9,00,00,000 रु. की परिसंपत्तियों और 3,00,00,000 रु. की देयताओं पर अधिकार प्राप्त किया तथा प्रति 100 रु. के 8% ऋणपत्र जारी किए। मोंगा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

28. जे. एम. लिमिटेड ने 4,00,00,000 रु. के उपकरण क्रय किए और गुडलक लिमिटेड से 70,00,000 रु. की देयताएँ प्राप्त की और प्रति ऋणपत्र 1,000 ऋणपत्र 10% अधिमूल्य पर निर्गमित किए। जे. एम. लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

29. गरिमा लिमिटेड ने IDBI से 4,00,00,000 रु. का नियतकालित ऋण छः वर्षों के लिए 11% प्रतिवर्ष की दर से लिया। यह ऋण प्लॉट व मशीनरी को बंधक रखकर सुरक्षित किया गया। चूँकि IDBI रक्षित की गई प्लॉट व मशीनरी से संतुष्ट थी, इस कारणवश, कंपनी ने सामपाश्विक प्रतिभूति के रूप में प्रति ऋणपत्र 100 रु. के 1,00,000 10% ऋणपत्र जारी किए। ब्याज के भुगतान सहित गरिमा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

30. आप 18 वर्ष के शून्य कूपन अधिपत्र को क्रय करने का विचार कर रहे हैं। जिसका अंकित मूल्य 1,000 रु. है, यदि आपका आवश्यक प्रत्याय दर 11% है तो कितना भुगतान करने पर तैयार होंगे।

31. फुलवारी लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 1999, 40 करोड़ रुपए का 10% ऋणपत्र लिया, जो त्रैमासिक अवधि पर 30 जून, 30 सितंबर, 31, दिसंबर और 31 मार्च पर देय है, ऋणपत्र का भुगतान 4 वर्ष पश्चात् किया जाएगा। ऋणपत्र प्राप्त करने हेतु फैक्टरी भूमि को मूलभूत प्रतिभूति के रूप में बंधक रखा गया। इसके अतिरिक्त, 20 करोड़ रु. के 11% ऋणपत्र सामपाश्विक प्रतिभूति को रूप में रखे। चूंकि कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण, वह जुलाई 1, 2002 से ऋण पर ब्याज नहीं दे सकी। इसके अलावा, देय तिथि पर कंपनी ऋण का भुगतान भी नहीं कर सकी। ऋणदाता ने 30 सितंबर, 2003 को, 35 करोड़ रुपए की फैक्टरी भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया और सामपाश्विक प्रतिभूति के रूप में कंपनी के ऋणपत्रों में निहित अधिकार को प्रयुक्त किया। उपर्युक्त लेनदेनों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

32. 1 अप्रैल, 2003 को अवस्थी लिमिटेड ने प्रति ऋणपत्र 50 रु. के 40,00,000 10% ऋणपत्र 8% बट्टे पर निर्गमित किए। इन ऋणपत्रों का शोधन चार समान वार्षिक किश्तों पर 31 मार्च, 2003 से किया जाएगा। प्रतिभूति अधिमूल्य खाता 70,00,000 रु. का शेष दर्शाता है। ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा हानि को उपलिखित करने हेतु राशि की गणना करें और अवस्थी लिमिटेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

33. जावेरी लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 2002 को प्रति ऋणपत्र 100 रु. पर 50,00,000, 8% ऋणपत्र 6% बट्टे पर जारी किए जो लाटरी विधि द्वारा 4% अधिमूल्य पर निम्न प्रकार शोधनीय हैं:

20,00,000 ऋणपत्र 31 मार्च, 2002 को

10,00,000 ऋणपत्र 31 मार्च, 2004 को

20,00,000 ऋणपत्र 31 मार्च, 2005 को

ऋणपत्रों के भुगतान तक प्रत्येक वर्ष अपलिखित राशि की गणना करें। साथ ही ऋणपत्र निर्गम पर बट्टा/हानि खाता तैयार करें।

34. चुनमुन कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल, 2001 को प्रति ऋणपत्र 100 रु. पर 10,00,00,000, 6% ऋणपत्र 6% बट्टे पर निर्गमित किए जो चौथे वर्ष के अंत में शोधनीय हैं। ऋणपत्र निर्गम अपलिखित करने हेतु आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दें।

उत्तर

1. सही : (ब), (ई), (फ), (ग), (ज), (क), (म), (ओ), (र), (स), (त).
   गलत : (अ), (स), (द), (ह), (ई), (ल), (न), (प), (क).

9. निर्गम पर घाटा रु. 40,000,000

10. निर्गम पर घाटा रु. 600,00,000

13. 6% निर्गमित ऋणपत्रों की संख्या = 30,000

14. 6 वर्षों के शोधन अवधि तक ब्याज कि देय राशि 44,00,000 रु.

16. 30 सितम्बर 2003 तक अर्जित ब्याज 5,00,00,000 रु.

17. बट्टा/हानि अपलिखित

मार्च 31, 2001	रु. 20,00,000
मार्च 31, 2002	रु. 20,00,000
मार्च 31, 2003	रु. 20,00,000
मार्च 31, 2004	रु. 15,00,000
मार्च 31, 2005	रु. 10,00,000
मार्च 31, 2006	रु. 500,000

18. बट्टा/हानि अपलिखित

मार्च 31, 2001	रु. 125,00,000
मार्च 31, 2002	रु. 125,00,000
मार्च 31, 2003	रु. 125,00,000
मार्च 31, 2004	रु. 75,00,000
मार्च 31, 2005	रु. 50,00,000

19. बट्टा अपलिखित

मार्च 31, 2002	रु. 150,00,000
मार्च 31, 2003	रु. 150,00,000
मार्च 31, 2004	रु. 150,00,000
मार्च 31, 2005	रु. 150,00,000

20. ऋण-पत्र शोधन संचय कोष का निर्माण नहीं किया गया
21. ऋण-पत्र शोधन संचय कोष का निर्माण नहीं किया गया
22. 22,00,00,000 रु. के ऋणपत्र शोधन संचय कोष का निर्माण ऋणपत्र शोधन से पहले किया जाएगा।
23. ऋण-पत्र शोधन संचय कोष का शेष 31 मार्च 2005 को 13,00,00,000 रु.
24. ऋण-पत्र शोधन संचय कोष का निर्माण नहीं किया गया

मार्च 31, 2007	रु. 3,50,00,000
मार्च 31, 2008	रु. 3,50,00,000
मार्च 31, 2009	रु. 3,50,00,000

27. अंशो का निर्गम रु. 4,40,00,000
28. अंशो का निर्गम रु. 55,00,000
29. ऋण-पत्र धारको को शोधन पर देय राशि 1,09,80,000 रु.
30. पूँजीगत संचय में हस्तांतरित राशि 32,00,000 रु.
32. स्वंय के ऋण-पत्रों के विक्रय पर लाभ 32,00,000 रु.
33. स्वंय के ऋण-पत्रों के निरस्तीकरण पर लाभ 4,75,000 रु.
34. ऋणपत्र पर ब्याज 1,32,812.5 रु.
    ऋणपत्र के निरस्तीकरण पर लाभ 7,50,000 रु.
35. शोधन पर हानि 2,00,00,000 रु.
35. शोधन पर हानि 3,00,00,000 रु.
37.

31 मार्च 2004 निक्षेप-निधि	43,10,000 रु.
31 मार्च 2005 निक्षेप-निधि	90,51,000 रु.
31 मार्च 2006 निक्षेप-निधि	42,66,100 रु.
निक्षेप-निधि का शेष	20,00,27,100 रु.

38.

निक्षेप-निधि	7,85,27,500 रु.
31 मार्च 2004, निक्षेप-निधि विनियोग खाते पर ब्याज	47,11,650 रु.
विक्रय पर लाभ	3,23,53,330 रु.
निक्षेप-निधि विनियोग कोष का विक्रय मूल्य	19,411,980 रु.
शेष राशि सामान्य संचय में हस्तांतरित	2,82,353,470 रु.

APPENDIX : FUTURE VALUE & PRESENT VALUE TABLES

Table A. Future Value Rs 1: $(1+r)^n$

Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	12 %	14%	15%	16%	18%	20%	24%	28%	32%	36%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.100	1.1200	1.1400	1.1500	1.1600	1.1800	1.2000	1.2400	1.2800	1.3200	1.3600
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2544	1.2996	1.3225	1.3456	1.3924	1.4400	1.5376	1.6384	1.7424	1.8496
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.4049	1.4815	1.5209	1.5609	1.6430	1.7280	1.9066	2.0972	2.3000	2.5155
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5735	1.6890	1.7490	1.8106	1.9388	2.0736	2.3642	2.6844	3.0360	3.4210
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.7623	1.9254	2.0114	2.1003	2.2878	2.4883	2.9316	3.4360	4.0075	4.6526
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.9738	2.1950	2.3131	2.4364	2.6996	2.9860	3.6352	4.3980	5.2899	6.3275
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.2107	2.5023	2.6600	2.8262	3.1855	3.5832	4.5077	5.6295	6.9826	8.6054
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.4760	2.8526	3.0590	3.2784	3.7589	4.2998	5.5895	7.2058	9.2170	11.703
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.7731	3.2519	3.5179	3.8030	4.4355	5.1598	6.9310	9.2234	12.166	15.916
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	3.1058	3.7072	4.0456	4.4114	5.2338	6.1917	8.5944	11.805	16.059	21.646
11	1.1157	1.2434	1.3842	1.5395	1.7103	1.8983	2.1049	2.3316	2.5804	2.8531	3.4785	4.2262	4.6524	5.1173	6.1759	7.4301	10.657	15.111	21.198	29.439
12	1.1268	1.2682	1.4258	1.6010	1.7959	2.0122	2.2522	2.5182	2.8127	3.1384	3.8960	4.8179	5.3502	5.9360	7.2876	8.9161	13.214	19.342	27.982	40.037
13	1.1381	1.2936	1.4685	1.6651	1.8856	2.1329	2.4098	2.7196	3.0658	3.4523	4.3635	5.4924	6.1528	6.8858	8.5994	10.699	16.386	24.758	36.937	54.451
14	1.1495	1.3195	1.5126	1.7317	1.9799	2.2609	2.5785	2.9372	3.3417	3.7975	4.8871	6.2613	7.0757	7.9875	10.147	12.839	20.319	31.691	48.756	74.053
15	1.1610	1.3459	1.5580	1.8009	2.0789	2.3966	2.7590	3.1722	3.6425	4.1772	5.4736	7.1379	8.1371	9.2655	11.973	15.407	25.195	40.564	64.358	100.71
16	1.1726	1.3728	1.6047	1.8730	2.1829	2.5404	2.9522	3.4259	3.9703	4.5950	6.1304	8.1372	9.3576	10.748	14.129	18.488	31.242	51.923	84.953	136.96
17	1.1843	1.4002	1.6528	1.9479	2.2920	2.6928	3.1588	3.7000	4.3276	5.0545	6.8660	9.2765	10.761	12.467	16.672	22.186	38.740	66.461	112.13	186.27
18	1.1961	1.4282	1.7024	2.0258	2.4066	2.8543	3.3799	3.9960	4.7171	5.5599	7.6900	10.575	12.375	14.462	19.673	26.623	48.038	85.070	148.02	253.33
19	1.2081	1.4568	1.7535	2.1068	2.5270	3.0256	3.6165	4.3157	5.1417	6.1159	8.6128	12.055	14.231	16.776	23.214	31.948	59.567	108.89	195.39	344.53
20	1.2202	1.4859	1.8061	2.1911	2.6533	3.2071	3.8697	4.6610	5.6044	6.7275	9.6463	13.743	16.366	19.460	27.393	38.337	73.864	139.37	257.91	468.57
21	1.2324	1.5157	1.8603	2.2788	2.7860	3.3996	4.1406	5.0338	6.1088	7.4002	10.803	15.667	18.821	22.574	32.323	46.005	91.591	178.40	340.44	637.26
22	1.2447	1.5460	1.9161	2.3699	2.9253	3.6035	4.4304	5.4365	6.6586	8.1403	12.100	17.861	21.644	26.186	38.142	55.206	113.57	228.35	449.39	866.67
23	1.2572	1.5769	1.9736	2.4647	3.0715	3.8197	4.7405	5.8715	7.2579	8.9543	13.552	20.361	24.891	30.376	45.007	66.247	140.83	292.30	593.19	1178.6
24	1.2697	1.6084	2.0328	2.5633	3.2251	4.0489	5.0724	6.3412	7.9111	9.8497	15.178	23.212	28.625	35.236	53.108	79.496	174.63	374.14	783.02	1602.9
25	1.2824	1.6406	2.0938	2.6658	3.3864	4.2919	5.4274	6.8485	8.6231	10.834	17.000	26.461	32.918	40.874	62.668	95.396	216.54	478.90	1033.5	2180.0
26	1.2953	1.6734	2.1566	2.7725	3.5557	4.5494	5.8074	7.3964	9.3992	11.918	19.040	30.166	37.856	47.414	73.948	114.47	268.51	612.99	1364.3	2964.9
27	1.3082	1.7069	2.2213	2.8834	3.7335	4.8223	6.2139	7.9881	10.245	13.110	21.324	34.389	43.535	55.000	87.259	137.37	332.95	784.63	1800.9	4032.2
28	1.3213	1.7410	2.2879	2.9987	3.9201	5.1117	6.6488	8.6271	11.167	14.421	23.883	39.204	50.065	63.800	102.96	164.84	412.86	1004.3	2377.2	5483.8
29	1.3345	1.7758	2.3566	3.1187	4.1161	5.4184	7.1143	9.3173	12.172	15.863	26.749	44.693	57.575	74.008	121.50	197.81	511.95	1285.5	3137.9	7458.0
30	1.3478	1.8114	2.4273	3.2434	4.3219	5.7435	7.6123	10.062	13.267	17.449	29.959	50.950	66.211	85.849	143.37	237.37	634.81	1645.5	4142.0	10143.
40	1.4889	2.2080	3.2620	4.8010	7.0400	10.285	14.974	21.724	31.409	45.259	93.050	188.88	267.86	378.72	750.37	1469.7	5455.9	19426.	66520	.
50	1.6446	2.6916	4.3839	7.1067	11.467	18.420	29.457	46.901	74.357	117.39	289.00	700.23	1083.6	1670.7	3927.3	9100.4	46890	.	.	.
60	1.8167	3.2810	5.8916	10.519	18.679	32.987	57.948	101.25	176.03	304.48	897.59	2595.9	4383.9	73.701	20555.	56347	.	.	.	.

.FVIF > 99,999.

Table B. Present Value of Rs.1: $\frac{1}{(1+r)^n}$

Period	1%	3%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	24%	28%
1	.9901	.9709	.9524	.9434	.9346	.9259	.9174	.9091	.9009	.8929	.8850	.8772	.8696	.8621	.8547	.8475	.8403	.8333	.8065	.7813
2	.9803	.9426	.9070	.8900	.8734	.8573	.8417	.8264	.8116	.7972	.7831	.7695	.7561	.7432	.7305	.7182	.7062	.6944	.6504	.6104
3	.9706	.9151	.8638	.8396	.8163	.7938	.7722	.7513	.7312	.7118	.6930	.6750	.6575	.6407	.6244	.6086	.5934	.5787	.5245	.4768
4	.9610	.8885	.8227	.7921	.7629	.7350	.7084	.6830	.6587	.6355	.6133	.5921	.5718	.5523	.5336	.5158	.4987	.4823	.4230	.3725
5	.9515	.8626	.7835	.7473	.7130	.6806	.6499	.6209	.5934	.5674	.5428	.5194	.4972	.4761	.4561	.4371	.4190	.4019	.3411	.2910
6	.9420	.8375	.7462	.7050	.6663	.6302	.5963	.5645	.5346	.5066	.4803	.4556	.4323	.4104	.3898	.3704	.3521	.3349	.2751	.2274
7	.9327	.8131	.7107	.6651	.6627	.5835	.5470	.5132	.4187	.4523	.4251	.3996	.3759	.3538	.3332	.3139	.2959	.2791	.2218	.1776
8	.9235	.7894	.6768	.6274	.5820	.5403	.5019	.4665	.4339	.4039	.3762	.3506	.3269	.3050	.2848	.2660	.2487	.2326	.1789	.1388
9	.9143	.7664	.6446	.5919	.5439	.5002	.4604	.4241	.3909	.3606	.3329	.3075	.2843	.2630	.2434	.2255	.2090	.1938	.1443	.1084
10	.9053	.7441	.6139	.5584	.5083	.4632	.4224	.3855	.3522	.3220	.2946	.2697	.2472	.2267	.2080	.1911	.1756	.1615	.1164	.0847
11	.8963	.7224	.5847	.5268	.4751	.4289	.3875	.3505	.3173	.2875	.2607	.2366	.2149	.1954	.1778	.1619	.1476	.1346	.0938	.0662
12	.8874	.7014	.5568	.4970	.4440	.3971	.3555	.3186	.2858	.2567	.2307	.2076	.1869	.1685	.1520	.1372	.1240	.1122	.0757	0517
13	.8787	.6810	.5303	.4688	.4150	.3677	.3262	.2897	.2575	.2292	.2042	.1821	.1625	.1452	.1299	.1163	.1042	.0935	.0610	.0404
14	.8700	.6611	.5051	.4423	.3878	.3405	.2992	.2633	.2320	.2046	.1807	.1597	.1413	.1252	.1110	.0985	.0876	.0779	.0492	.0316
15	.8613	.6419	.4810	.4173	.3624	.3152	.2745	.2394	.2090	.1827	.1599	.1401	.1229	.1079	.0949	.0835	.0736	.0649	.0397	.0247
16	.8528	.6232	.4581	.3936	.3387	.2919	.2519	.2176	.1883	.1631	.1415	.1229	.1069	.0930	.0811	.0708	.0618	.0541	.0320	.0191
17	.8444	.6050	.4363	.3714	.3166	.2703	.2311	.1978	.1696	.1456	.1252	.1078	.0929	.0802	.0693	.0600	.0520	.0451	.0258	.0150
18	.8360	.5874	.4155	.3503	.2959	.2502	.2120	.1799	.1528	.1300	.1108	.0946	.0808	.0691	.0592	.0508	.0437	.0376	.0208	.0118
19	.8277	.5703	.3957	.3305	.2765	.2317	.1945	.1635	.1377	.1161	.0981	.0829	.0703	.0596	.0506	.0431	.0367	.0313	.0168	.0092
20	.8195	.5537	.3769	.3118	.2584	.2145	.1784	.1486	.1240	.1037	.0868	.0728	.611	.0514	.0433	.0365	.0308	.0261	.0135	.0072
25	.7798	.4776	.2953	.2330	.1842	.1460	.1160	.0923	.0736	.0588	.0471	.0378	.0304	.0245	.0197	.0160	.0129	.0105	.0046	.0021
30	.7419	.4120	.2314	.1741	.1314	.0994	.0754	.0573	.0437	.0334	.0256	.0196	.0151	.0116	.0090	.0070	.0054	.0042	.0016	.0006
40	.6717	.3066	.1420	.0972	.0668	.0460	.0318	.0221	.0154	.0107	.0075	.0053	.0037	.0026	.0019	.0013	.0010	.0007	.0002	.0001
50	.6080	.2281	.0872	.0543	.0339	.0213	.0134	.0085	.0054	.0035	.0022	.0014	.0009	.0006	.0004	.0003	.0002	.0001	.	.
60	.5504	.1697	.0535	.0303	.0173	.0099	.0057	.0033	.0019	.0011	.0007	.0004	.0002	.0001	.0001	.	.0000	.	.	.

Table C. Future value of an Annuity of Rs 1 for n Periods : $(1 + r)^1$

Number of Pay.	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	12%	14%	15%	16%	18%	20%	24%	28%	32%	36%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1200	2.1400	2.1500	2.1600	2.1800	2.2000	2.2400	2.2800	2.3200	2.3600
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3744	3.4396	3.4725	3.5056	3.5724	3.6400	3.7776	3.9184	4.0624	4.2096
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7793	4.9211	4.9934	5.0665	5.2154	5.3680	5.6842	6.0156	6.3624	6.7251
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.3528	6.6101	6.7424	6.8771	7.1542	7.4416	8.0484	8.6999	9.3983	10.146
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	8.152	8.5355	8.7537	8.9775	9.4420	9.9299	10.980	12.135	13.405	14.798
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	10.089	10.730	11.066	11.413	12.141	12.915	14.615	16.533	18.695	21.126
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.259	10.636	11.028	11.435	12.299	13.232	13.726	14.240	15.327	16.499	19.122	22.163	25.678	29.731
9	9.3685	9.7546	10.159	10.582	11.026	11.491	11.978	12.487	13.021	13.579	14.775	16.085	16.785	17.518	19.085	20.798	24.712	29.369	34.895	41.435
10	10.462	10.949	11.463	12.006	12.577	13.180	13.816	14.486	15.192	15.937	17.548	19.337	20.303	21.321	23.521	25.958	31.643	38.592	47.061	57.351
11	11.566	12.168	12.807	13.486	14.206	14.971	15.783	16.645	17.560	18.531	20.654	23.044	24.349	25.732	28.755	32.150	40.237	50.398	63.121	78.998
12	12.682	13.412	14.192	15.025	15.917	16.869	17.888	18.977	20.140	21.384	24.133	27.270	29.001	30.850	34.931	39.580	50.894	65.510	84.320	108.43
13	13.809	14.680	15.617	16.626	17.713	18.882	20.140	21.495	22.953	24.522	28.029	32.088	34.351	36.786	42.218	48.496	64.109	84.852	112.30	148.47
14	14.947	15.973	17.086	18.291	19.598	21.015	22.550	24.214	26.019	27.975	32.392	37.581	40.504	43.672	50.818	59.195	80.496	109.61	149.23	202.92
15	16.096	17.293	18.598	20.023	21.578	23.276	25.129	27.152	29.360	31.772	37.279	43.842	47.580	51.659	60.965	72.035	100.81	141.30	197.99	276.97
16	17.257	18.639	20.156	21.824	23.657	25.672	27.888	30.324	33.003	35.949	42.753	50.980	55.717	60.925	72.939	87.442	126.01	181.86	262.35	377.69
17	18.430	20.012	21.761	23.697	25.840	28.212	30.840	33.750	36.973	40.544	48.883	59.117	65.075	71.673	87.068	105.93	157.25	233.79	347.30	514.66
18	19.614	21.412	23.414	25.645	28.132	30.905	33.999	37.450	41.301	45.599	55.749	68.394	75.836	84.140	103.74	128.11	195.99	300.25	459.44	700.93
19	20.810	22.840	25.116	27.671	30.539	33.760	37.379	41.446	46.018	51.159	63.439	78.969	88.211	98.603	123.41	154.74	244.03	385.32	607.47	954.27
20	22.019	24.297	26.870	29.78	33.066	36.785	40.995	45.762	51.160	57.275	72.052	91.024	102.44	115.37	146.62	186.68	303.60	494.21	802.86	1298.8
21	23.239	25.783	28.676	31.969	35.719	39.992	44.865	50.422	56.764	64.002	81.698	104.76	118.81	134.84	174.02	225.02	37.46	633.59	1060.7	1767.3
22	24.471	27.299	30.536	34.248	38.505	43.392	49.005	55.456	62.873	71.402	92.502	120.43	137.63	157.41	206.34	271.03	469.05	811.99	1401.2	2404.6
23	25.716	28.845	32.452	36.617	41.430	46.995	53.436	60.893	69.531	79.543	104.60	138.29	159.27	183.60	244.48	326.23	582.62	1040.3	1850.6	3271.3
24	26.973	30.421	34.426	39.082	44.502	50.815	58.176	66.764	76.789	88.497	118.15	158.65	184.16	213.97	289.49	392.48	723.46	1332.6	2443.8	4449.9
25	28.243	32.030	36.459	41.645	47.727	54.864	63.249	73.105	84.700	98.347	133.33	181.87	212.79	249.21	342.60	471.98	898.09	1706.8	3226.8	6052.9
26	29.525	33.670	38.553	44.311	51.113	59.156	68.676	79.954	93.323	109.18	150.33	208.33	245.71	290.08	405.27	567.37	1114.6	2185.7	4260.4	8233.0
27	30.820	35.344	40.709	47.084	54.669	63.705	74.483	87.350	102.72	121.09	169.37	238.49	28.56	337.50	479.22	681.85	1383.1	2798.7	5624.7	11197.9
28	32.129	37.051	42.930	49.967	58.402	68.528	80.697	95.338	112.96	134.20	190.69	272.88	327.10	392.50	566.48	819.22	1716.0	3583.3	7425.6	15230.2
29	33.450	38.792	45.218	52.966	62.322	73.639	87.346	103.96	124.13	148.63	214.58	312.09	37.16	456.30	669.44	984.06	2128.9	4587.6	9802.9	20714.1
30	34.784	40.568	47.575	56.084	66.438	79.058	94.460	113.28	136.30	164.49	241.33	356.78	434.74	530.31	790.94	1181.8	2640.9	5873.2	1294.0	28172.2
40	48.886	60.402	75.401	95.025	120.79	154.76	199.63	259.05	337.88	442.59	767.09	1342.0	1779.0	2360.7	4163.2	7343.8	22728.	69337	.	.
50	64.463	84.579	112.79	152.66	209.34	290.33	406.52	573.76	815.08	1163.9	2400.0	4994.5	7217.7	10435.	21813.	45479.	.	.	.	.
60	81.669	114.05	163.05	237.99	353.58	533.12	813.52	1253.2	1944.7	3034.8	7471.6	18535.	29219.	46057.	.	.	.	.	.	.

Table D. Present Value of an Annuity of Rs 1 for n Periods : $(1 + r)^1$

Number of Pay.	1%	3%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	24%
1	0.9901	0.9709	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.872	0.8696	0.8621	0.8547	0.8475	0.8403	0.8333	0.8065
2	1.9704	1.9135	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257	1.6052	1.5852	1.5656	1.5465	1.5278	1.4568
3	2.9410	2.8286	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832	2.2459	2.2096	2.1743	2.1399	2.1065	1.9813
4	3.9020	3.7171	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550	2.7982	2.7432	2.6901	2.6386	2.5887	2.4043
5	4.8534	4.5797	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522	3.2743	3.1993	3.1272	3.0576	2.9906	2.7454
6	5.7955	5.4172	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9976	3.8887	3.7845	3.6847	3.5892	3.4976	3.4098	3.3255	3.0205
7	6.7282	6.2303	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604	4.0386	3.9224	3.8115	3.7057	3.6046	3.2423
8	7.6517	7.0197	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873	4.3436	4.2072	4.0706	3.9544	3.8372	3.4212
9	8.5660	7.7861	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.716	4.6065	4.4506	4.3030	4.1633	4.0310	3.5655
10	9.4713	8.5302	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.417	6.1446	5.8992	5.6502	5.4262	5.216	5.0188	4.8332	4.6586	4.4941	4.3389	4.1925	3.6819
11	10.3676	9.2526	8.3064	7.8869	7.4987	7.1390	6.8052	6.4951	6.2065	5.9377	5.6869	5.4527	5.2337	5.0286	4.8364	4.6560	4.4865	4.3271	3.757
12	11.2551	9.9540	8.8633	8.3838	7.9427	7.5361	7.1607	6.8137	6.4924	6.1944	5.9176	5.6603	5.4206	5.1971	4.9884	4.7932	4.6105	4.4392	3.8514
13	12.1337	10.6350	9.3936	8.8527	8.3577	7.9038	7.4869	7.1034	6.7499	6.4235	6.1218	5.8424	5.5831	5.3423	5.1183	4.9095	4.7147	4.5327	3.9124
14	13.0037	11.2961	9.8986	9.2950	8.7455	8.2442	7.7862	7.3667	6.9819	6.6282	6.3025	6.0021	5.7245	5.4675	5.2293	5.0081	4.8023	4.6106	3.9616
15	13.8651	11.9397	10.3797	9.7122	9.1079	8.5595	8.0607	7.6061	7.1909	6.8109	6.4624	6.1422	5.8474	5.5755	5.3242	5.0916	4.8759	4.6755	4.0013
16	14.7179	12.5611	10.8378	10.1059	9.4466	8.8514	8.3126	7.8237	7.3792	6.9740	6.6039	6.2651	5.9542	5.6685	5.4053	5.1624	4.9377	4.7296	4.0333
17	15.5623	13.1661	11.2741	10.4773	9.7632	9.1216	8.5436	8.0216	7.5488	7.2497	6.7291	6.4674	6.0472	5.1280	5.4746	5.2223	4.9897	4.7746	4.0591
18	16.3983	13.7535	11.6896	10.8276	10.0591	9.3719	8.7556	8.2014	7.7016	7.1196	6.8399	6.3729	6.1280	5.7487	5.5339	5.2732	5.0333	4.8122	4.0799
19	17.2260	14.3238	12.0853	11.1581	10.3356	9.6036	8.9501	8.3649	7.8393	7.3658	6.9380	6.5504	6.1982	5.8775	5.5845	5.3162	5.0700	4.8435	4.0967
20	18.0456	14.8775	12.4622	11.4699	10.5940	9.8181	9.1285	8.5136	7.9633	7.4694	7.0248	6.6231	6.2593	5.9288	5.6278	5.3527	5.1009	4.8696	4.1103
25	22.0232	17.4131	14.0939	12.7834	11.6536	10.6748	9.8226	9.0770	8.4217	7.8431	7.3300	6.8729	6.4641	6.0971	5.7662	5.4669	5.1951	4.9476	4.1474
30	25.8077	19.6004	15.3725	13.7668	12.4090	11.2578	10.2737	9.4269	8.6838	8.0552	7.4957	7.0027	6.5660	6.1772	5.8294	5.5168	5.2347	4.978	4.1601
40	32.8347	23.1148	17.151	15.0463	13.3317	11.9246	10.7574	9.7791	8.9511	8.2438	7.6344	7.1050	6.6418	6.2335	5.8713	5.5482	5.2582	4.99666	4.1659
50	39.1961	25.7298	18.2559	15.7619	13.007	12.2335	10.9617	9.148	9.04177	8.3045	7.6752	7.1327	6.6605	6.2463	5.8801	5.5541	5.2623	4.9995	4.1666
60	44.9550	27.6756	18.9293	16.1614	14.0392	12.3766	11.040	9.9672	9.0892	8.3240	7.6873	7.1401	6.6651	6.2492	5.8819	5.5553	5.2630	4.9999	4.1667

शब्दावली

A

Agent	:	प्रतिनिधि
Average period	:	औसत काल
Amalgamation of firm	:	फर्मो का एकीकरण (समामेलन)
Accumulated Profit/Loss	:	संचित लाभ/हानि
Aurthorised Capital	:	अधिकृत/प्राधिकृत/पंजीकृत

B

Balance Sheet	:	तुलन–पत्र
Bonus	:	अधिलाभांश
Bonds	:	बंधपत्र

C

Capitalisation	:	पूँजीकरण
Called up capital	:	याचित पूँजी
Calls in arrears	:	बकाया माँग
Calls in advance	:	अग्रिम माँग
Charge	:	प्रभार
Copyright	:	स्वत्वाधिकार
Calls on ship	:	पोत पर माँग
Collatoral security	:	सामपाश्विक प्रतिभूति
Call and put option	:	मंदी व तेज़ी विकल्प

D

Disolution of firm	:	फर्म का विघटन
Debt	:	ऋण
Drawings	:	आहरण
Debentures	:	ऋणपत्र
Deferred interest	:	स्थगित ब्याज व्यय
Draw by lots	:	लॉटरी द्वारा चयन

E

Executor's account	:	निष्पादक खाता
Employee stock option plan	:	कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना
Employee stock purchase scheme	:	कर्मचारी स्कंध क्रय योजना
Earning per share	:	प्रति अंश आय
Price Earning Ratio	:	कीमत आय अनुपात
Extinguishment of certificates	:	प्रमाण-पत्रों का निर्वापण
Escrow account	:	निलंब परिसंपत्ति खाता

F

Fixed capital	:	स्थायी पूँजी
Fluctuating capital	:	अस्थायी पूँजी

G

Gaining ratio	:	प्राप्त लाभ अनुपात
Goodwill	:	ख्याति

H

Hidden goodwill	:	प्रच्छन्न ख्याति
Holding company	:	सूत्रधारी कंपनी

I

Issued capital	:	निर्गमित पूँजी
Initial public offer	:	प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण

J

Joint life policy	:	संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी

M

Maintenance of books of accounts	:	लेखा पुस्तकों का अनुरक्षण
Merchant banker	:	श्रेष्ठी बैंकर

N

Normal profits	:	सामान्य लाभ

O

Outgoing partner	:	निर्गामी साझेदार
Over subscription	:	अधि-अभिदान
Open market	:	खुला बाज़ार

P

Partnership	:	साझेदारी
Partnership firm	:	साझेदारी फर्म
Partnership deed	:	साझेदारी विलेख
Profit and loss appropriation	:	लाभ व हानि विनियोजन
Past adjustments	:	पूर्व समायोजन
Principal	:	प्रधान
Paid up capital	:	प्रदत्त पूँजी
Prefrential allotment	:	अधिमानी आबंटन
Private placement of shares	:	अंशों की निजी व्यवस्था
Patents	:	एकस्व
Purchase consideration	:	क्रय प्रतिफल

R

Reconstitution of firm	:	फर्म का पुनर्गठन
Retirement	:	अवकाश ग्रहण
Revaluation of assets	:	परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन
Reassessment of liabilities	:	दायित्वों का पुनर्निर्धारण

Realisation account	:	वसूली खाता
Reserve capital	:	संचित पूँजी
Right issue	:	अधिकार निर्गम
Redemption of debenture	:	ऋणपत्रों का शोधन
	S	
Super profits	:	अधि-लाभ
Surplus	:	आधिक्य, अधिशेष
Sacrificing ratio	:	त्याग अनुपात
Surrender value	:	अभ्यर्पण मूल्य
Subscribed capital	:	अभिदत्त पूँजी
	T	
Trade mark	:	व्यापार चिह्न
Trust deed	:	न्याय विलेख
Trustee	:	न्यासी
	U	
Under subscription	:	अल्प-अभिदान